भारत के
नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का

31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

प्रतिवेदन

संख्या-1

(वाणिज्यिक)

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

अध्याय/ परिशिष्ट	विवरण	सन्दर्भ प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन		iii-iv
	विहंगावलोकन		v-xv
अध्याय–I	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन	1	1–42
अध्याय–II	सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षायें	2	43
	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2अ	45–79
	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	2ब	81–118
	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2स	119–152
अध्याय–III	सांविधिक निगमों से सम्बन्धित समीक्षायें	3	153
	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद		
	अपूर्ण विष्णुप्रयाग जल–विद्युत परियोजना	3अ	155–171
	जल–विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं का नियोजन व कियान्वयन	3ब	173–184
	जवाहर ताप विद्युत परियोजना का निजीकरण	3स	185–195
	वितरण जोन वाराणसी	3द	197–228
	पनकी ताप विद्युत गृह	3ई	229–247
अध्याय–IV	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बन्धित विविध रूचिकर विषय	4	249
	सरकारी कम्पनियाँ	4अ	251–275
	सांविधिक निगम	4ब	277–297
परिशिष्ट			
1	उन कम्पनियों की सूची जिनमें सरकार ने 10 लाख रूपसे से अधिक धनराशि निवेशित की किन्तु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन नहीं है।		301–305

अध्याय/ परिशिष्ट	विवरण	सन्दर्भ प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
2	अद्यतन पूँजी, बजट–बर्हिगमन, बजट से दिये गये ऋण एवं अनिस्तारित ऋणों को दर्शाती हुई विवरणी		307–328
3	सरकारी कम्पनियों के अद्यतन वर्ष के वित्तीय परिणामों को दर्शाती हुई विवरणी, जिनके लेखाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया		329–350
3अ	कम्पनियों के नाम, अन्तिम रूप दिये गए लेखाओं के वर्षों तथा वर्षों से सम्बन्धित बकायों को दर्शाती हुई विवरणी		351–363
3ब	समापनाधीन सरकारी कम्पनियों के वित्तीय परिणामों को दर्शाती हुई विवरणी		365–367
3स	प्राप्त तथा प्राप्य उपदानों एवं प्रत्याभूतियों को दर्शाती हुई विवरणी		369–375
4	क्षमता उपयोग दर्शाने वाली विवरणी		377–379
5	सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाली विवरणी जिनके लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है		381
6	काटन यार्न वसूली के मिल–वार विवरण		383–384
7	मिश्रण में ट्रैश प्रतिशतता के आधार पर उत्पादन में हानि		385–386
8	मशीनों द्वारा ग्रहीत निम्न गति के फलस्वरूप उत्पादन में हानि		387
9	यार्न बिक्री में गिरावट की प्रवृत्ति एवं सीमान्त–हानि		389
10	वाराणसी क्षेत्र में बकाये में वृद्धि		391

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सहित सांविधिक निगमों के क्रियाकलापों को प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन समय–समय पर यथा संशोधित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19अ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखा–परीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पन्न की जाती है। कुछ ऐसी कम्पनियाँ हैं जिनमें सरकार और सरकारी कम्पनियाँ/निगम सम्मिलित रूप से 51 प्रतिशत अंश पूँजी धारण करते हैं, की लेखा परीक्षा भी कम्पनी अधिनियम की धारा 619बी के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

तथापि, कुछ कम्पनियाँ ऐसी हैं जो सरकारी निवेश के होने पर भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अन्तर्गत नहीं है क्योंकि सरकार या सरकारी स्वामित्व/नियंत्रण वाली कम्पनियाँ/निगम 51 प्रतिशत से कम अंश पूँजी धारण करते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जो कि सांविधिक निगम हैं, के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के सम्बन्ध में उन्हें उनके लेखाओं की लेखा परीक्षा सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा किये गए लेखा परीक्षण से अलग स्वतंत्र रूप से सम्पन्न करने का अधिकार प्राप्त है। इन निगमों के लेखाओं के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश शासन को पृथक रूप से भेजे जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में चार अध्याय सम्मिलित हैं। अध्याय–1 में सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के क्रियाकलापों के परिणामों के सामान्य पहलुओं की चर्चा की गई है।

अध्याय–2 में सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित तीन समीक्षायें सम्मिलित हैं जैसे, उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की कार्य प्रणाली।

अध्याय–3 सांविधिक निगमों की पाँच समीक्षाओं से सम्बन्धित है, जैसे अपूर्ण विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं का नियोजन व क्रियान्वयन, जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना का निजीकरण, वितरण जोन वाराणसी तथा पनकी ताप विद्युत गृह।

अध्याय–4 हानि, मितव्ययिता, अथवा कार्य कुशलता में कमी तथा लोक–रूचि के अन्य प्रकरणों से जुड़े हुए विविध विषयों से सम्बन्धित है। इस खण्ड में प्रतिवेदित मामले वर्ष 1996–97 के दौरान लेखा परीक्षण के समय संज्ञान में आये तथा वे भी जो पहले ही संज्ञान में आ चुके थे परन्तु पूर्ववर्ती वर्षों के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये गये थे। 1996–97 के अनुवर्ती अवधि से सम्बन्धित प्रकरण भी, यथा आवश्यकता सम्मिलित किये गये हैं।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

31 मार्च 1997 तक राज्य के पास 97 सरकारी कम्पनियाँ (37 सहायक कम्पनियों सहित) छः कम्पनियाँ, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619बी के अन्तर्गत तथा चार सांविधिक निगम थे। पन्द्रह कम्पनियाँ (बारह सहायक कम्पनियों सहित) समापन की प्रक्रिया में थीं।

(प्रस्तर 1.2.1, 1.2.11 तथा 1.3)

सरकारी कम्पनियों की समस्त प्रदत्त पूँजी 1792.34 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 1446.96 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा 46.03 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार द्वारा, 272.36 करोड़ रुपये नियंत्रक कम्पनी द्वारा एवं 26.99 करोड़ रुपये अन्य द्वारा निवेशित किये गये थे। 31 मार्च 1997 तक 44 कम्पनियों के विरुद्ध कुल बकाया दीर्घ कालीन ऋण 1211.10 करोड़ रुपये के थे।

राज्य सरकार ने ऋणों की अदायगी एवं उस पर ब्याज की अदायगी की प्रतिभूति दी थी। मार्च 1997 के अन्त में प्रतिभूतियों की कुल बकाया राशि 781.54 करोड़ रुपये की थी।

(प्रस्तर 1.2.1, 1.2.4 एवं परिशिष्ट–2 एवं 3(स))

82 सरकारी कम्पनियों में से 78 कम्पनियों के लेखे 1 वर्ष से 22 वर्षों तक की अवधि तक बकाये में थे।

(प्रस्तर 1.2.6)

चार कम्पनियों में से जिन्होंने वर्ष 1996–97 के अपने लेखाओं को अन्तिम रूप दिया था, दो कम्पनियों ने 1.34 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया किन्तु किसी ने भी लाभांश नहीं घोषित किया।

(प्रस्तर 1.2 एवं 7.2)

अद्यतन प्राप्त लेखाओं के अनुसार 26 कम्पनियों ने अपनी प्रदत्त पूँजी का क्षरण कर दिया था क्योंकि इन कम्पनियों की संचित हानि 1818.97 करोड़ रुपये इन्हीं कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी 1003.03 करोड़ रुपये से अधिक हो गई थी। 51 हानि उठाने वाली कम्पनियों में से, 18 कम्पनियों ने मार्च 1997 तक विगत पाँच वर्षों में हानि उठाई।

(प्रस्तर 1.2.7.3)

चार सांविधिक निगमों में से, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम ने वर्ष 1996–97 के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया एवं शेष एक निगम ने वर्ष 1995–96 के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ने क्रमशः 41.87 करोड़ रुपये (1995-96) तथा 14.26 करोड़ रुपये (1996-97) की हानि उठाई। शेष दो निगमों ने 171.50 करोड़ रुपये का लाभ/आधिक्य अर्जित किया।

(प्रस्तर 1.3.4)

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड

कम्पनी का निगमन, उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड (राज्य सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी) की सहायक कम्पनी के रूप में अगस्त 1974 में किया गया था, जो कि रायबरेली, बाराबंकी, अकबरपुर तथा मऊ स्थित 50,000 स्पिण्डिल क्षमता वाली प्रत्येक मिलों में काटन व स्टेपल/पोलियेस्टर यार्न के उत्पादन व बिक्री में लगी थी। अकबरपुर मिल तालाबन्दी के कारण जून 1990 से बन्द पड़ी है।

(प्रस्तर 2अ.1.1)

कम्पनी की 1995–96 तक पाँच वर्षों के दौरान (1993-94 को छोड़कर) हानियाँ 2.18 करोड़ रुपये से 19.86 करोड़ रुपये के मध्य रही। 1995–96 की समाप्ति तक समेकित हानि 98 करोड़ रुपये से बढ़कर 115.25 करोड़ रुपये हो गई जिससे 78.43 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी का क्षरण हो गया।

(प्रस्तर 2अ.1.5.1 तथा 2अ.1.5.2)

उत्पादन के विभिन्न चरणों में काटन व फाईबर वेस्ट पर काटन टेक्सटाईल रिसर्च एसोशियेसन (सी.टी.आर.ए.एस.) द्वारा लागू मानक से तुलना करने पर, कम्पनी ने 1995–96 तक पाँच वर्षों के दौरान वेस्टेज का उच्च प्रतिशत पंजीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप (जब मानक से तुलना की गई तो) 17.24 लाख किग्रा. के कच्चे माल की हानि परिणामित हुई जिसका मूल्य 6.27 करोड़ रुपये था।

(प्रस्तर 2अ.2.3)

मशीनों की धीमी स्पिण्डिल गति के कारण प्रति स्पिण्डिल पाली का उत्पादन 1995–96 तक पाँच वर्षों के दौरान कम रहा जिसके फलस्वरूप 22.77 लाख किग्रा. यार्न की उत्पादन हानि हुई जिसका मूल्य 15.36 करोड़ रुपये था।

(प्रस्तर 2अ.2.4)

निम्न काउण्ट यार्न के उत्पादन में बेहतर श्रेणी के काटन के उपयोग से केवल 1995–96 के दौरान 0.17 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2अ.3.2)

उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड

कम्पनी का निगमन जनवरी 1973 में राज्य में हैण्डलूम/पावरलूम की इकाईयों के विकास व सहायतार्थ किया गया था। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, कम्पनी बुनकरों से कपड़ा प्राप्त करती है तथा अपने शोरुमों द्वारा बिक्री करती है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा घोषित विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। 1992–93 से यह घाटा उठाती रही थी और समेकित हानि प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गई।

(प्रस्तर 2ब.1, 2ब.1.1 तथा 2ब.14)

बिक्री सम्भाव्यता के आकलन के बिना 1.34 करोड़ रुपये मूल्य के गमछा की क्रय के फलस्वरुप स्कन्ध मे दो वर्षो के दौरान अ–बिक्रीत स्कन्ध से न केवल 1.11 करोड़ रुपये की निधि अवरुद्ध हुई, अपितु उक्त अवरुद्ध निधि पर 0.51 करोड़ रुपये के ब्याज की भी क्षति हुई।

(प्रस्तर 2ब.2.7)

मार्च 1996 तक कम्पनी बुनकरों को 2.97 करोड़ रुपये के केन्द्रीय उपदान का उपयोग व वितरण, योजना की वैधता अवधि के अन्दर रियायती मूल्य पर यार्न को क्रय व वितरण में असफलता के कारण न कर सकी।

(प्रस्तर 2ब.4.1.1)

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड

30 मार्च 1971 को निगमित पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड को अगस्त 1976 में कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड के रूप में पुनर्नामित किया गया, ताकि कुमाऊँ परिक्षेत्र में उद्योग, पर्यटन, मार्केटिंग व निर्माण की गतिविधियों के प्रोत्साहन द्वारा सामाजिक आर्थिक स्तर को सुधारा जा सके।

(प्रस्तर 2स.1)

शासनादेश के विरुद्ध कम्पनी ने सरकार से प्राप्त निधि पर अर्जित 1.31 करोड़ रुपये के ब्याज को लेखित किया तथा उसे सरकार को क्रेडिट करने के स्थान पर स्व–आय के रूप में एफ.डी.आर.में निवेशित किया।

(प्रस्तर 2स.5.2)

पर्वत वायर निर्माणी के कम क्षमता उपयोग के कारण, कम्पनी ने 1995–96 तक विगत पाँच वर्षों के दौरान 0.55 करोड़ रुपये का घाटा उठाया जो कि मूल्य निर्धारण कमेटी द्वारा अनुमोदित क्रय मूल्यों में ह्रास के लाभ को उपभोक्ताओं को देने पर 0.15 करोड़ रुपये बढ़ जायेगा।

(प्रस्तर 2स.6.अ.1)

कम्पनी ने अत्यधिक उपरिव्यय तथा व्यापार को सीधे किसानों द्वारा करने की अनुमति देने के कारण जड़ी–बूटी व्यवसाय में 0.77 करोड़ रुपये का घाटा उठाया।

(प्रस्तर 2स.6ब.2)

अपूर्ण विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना का निजीकरण

परिषद ने चमोली जनपद में विष्णुप्रयाग में अलकनन्दा नदी के बन्धे पर 1965 में 120 एम. डब्ल्यू. क्षमता की एक जलविद्युत परियोजना की स्थापना का निर्णय लिया। जिसे 1987 में संशोधित कर के 360 एम.डब्ल्यू. किया गया। परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार 1993–94 से 28.43 पैसे प्रति यूनिट की दर से 2213.57 एम. यू. ऊर्जा का वार्षिक उत्पादन होना था। 60.19 करोड़ रुपये के व्यय के पश्चात् भी परियोजना को मुख्यतः निधि के अभाव के कारण पूर्ण न किया जा सका, तथा अंततोगत्वा अक्टूबर 1992 में सरकार को इसका निजीकरण करना पड़ा।

(प्रस्तर 3अ.1)

श्रीनगर जोशीमठ पारेषण लाईन की स्थापना पर 2.20 करोड़ रुपये की लागत–वृद्धि का भुगतान किया गया, जो कि समान कार्यो हेतु भुगतान की दरों की तुलना में उच्च दरों पर मूल्य वृद्धि के भुगतान के कारण था। इस धनराशि में से 1.37 करोड़ रुपये की मूल्य वृद्धि का भुगतान परिहार्य था, यदि परिषद् ने अन्य एजेन्सियों द्वारा उक्त कार्य के दो आईटमों का कराये जाने सम्बन्धी परिषद् के अधिकारी के प्रस्ताव की संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया होता।

(प्रस्तर 3अ.2.3(i))

पी.पी.ए. में 60.19 करोड़ रुपये मूल्य की सम्पत्ति की लागत पर अनुज्ञापी द्वारा केवल 25 करोड़ रुपये भुगतान का प्रावधान था। इस प्रकार, इससे परिषद को 35.19 करोड़ रुपये का सम्भावित घाटा परिणामित हुआ।

(प्रस्तर 3अ.3.2)

पी.पी.ए. में प्रदत्त द्वि–सूत्री दर सूची के फलस्वरूप परिषद को 29.66 करोड़ रुपये (लगभग) प्रतिवर्ष उर्जा की अतिरिक्त लागत के रूप में भुगतान करना होता, जिसके कारक परिचालन व अनुरक्षण व्यय की अत्यधिक दर (18.07 करोड़ रुपये), एस्क्रो लेखे में परिषदीय निधि के अवरोधन

पर ब्याज–क्षति (5.98 करोड़ रुपये), तथा कार्यवाही पूँजी पर अत्यधिक ब्याज (5.61 करोड़ रुपये) थे।

(प्रस्तर 3अ.3.3अ .3.4 तथा 3अ.3.5)

जल–विद्युत परियोजनाओं का नियोजन व क्रियान्वयन

दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों में उर्जा की माँग को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने (अप्रैल 1977 तथा मार्च 1988 के मध्य) मनेरी भाली (द्वितीय चरण), लखवाड़ व्यासी और श्रीनगर में तीन जलविद्युत परियोजनाओं का कार्य ग्रहण किया, जिन्हें वित्तीय स्रोतों के अभाव में पूर्ण न किया जा सका।

(प्रस्तर 3ब.1)

इन परियोजनाओं के अ–क्रियान्वयन के फलस्वरूप परिषद 926.43 करोड़ रुपये मूल्य की 3462.13 एम.यू. ऊर्जा के वार्षिक उत्पादन लक्ष्य को न प्राप्त कर सका। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक जल के उपयोग से मँहगे व दुर्लभ कोयले व तेल के संरक्षण का उद्देश्य असफल हो गया और तापीय उत्पादन पर निर्भरता जारी रही जिसके परिणामस्वरूप 166.24 करोड़ रुपये मूल्य के 27.56 लाख एम.टी. कोयले का प्रतिवर्ष उपभोग हुआ।

(प्रस्तर 3ब.3)

आदेशों के निरस्तीकरण के कारण परिषद् को बी.एच.ई.एल.को भुगतान किये गये अग्रिम की वापसी न होने पर 10.65 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

(प्रस्तर 3ब.4)

तीन परियोजनाओं पर हुये 486.60 करोड़ रुपये के व्यय के अवरुद्ध रहने के कारण परिषद् को 87.59 करोड़ रुपये के आवर्ती वार्षिक ब्याज का भार भी वहन करते रहना पड़ा।

(प्रस्तर 3ब.7)

जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना का निजीकरण

सरकार ने नवम्बर 1993 में जवाहरपुर (एटा) में एक 750 एम.डब्ल्यू. (जिसे जुलाई 1994 में 800 एम.डब्ल्यू. किया गया) स्थापित क्षमता की एक तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना हेतु वैनकुवर (कनाडा) के पैसेफिक इलेक्ट्रिक पावर वलपमेंट कार्पोरेशन के साथ एक मेमौरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैण्डिंग पर हस्ताक्षर किये। दिसम्बर 1995 में, जवाहरपुर पावर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली नामक कैनेडियन फर्म की सहायिका के साथ ऊर्जा क्रय करार (पावर परचेज एग्रीमेन्ट) (पी.पी.ए.) किया गया।

(प्रस्तर 3स.1)

पी.पी.ए. में प्रावधानित द्विसूत्रीय दर सूची के फलस्वरुप परिषद् को 118.59 करोड़ रुपये (लगभग) प्रतिवर्ष ऊर्जा की अतिरिक्त लागत का भुगतान करना पड़ता, जिसके कारक परिचालन व अनुरक्षण व्यय की अत्यधिक दरें (79.25 करोड़ रुपये), ऐस्क्रो लेखे में अवरूद्ध परिषदीय निधि पर ब्याज की क्षति (16.06 करोड़ रुपये), कार्यवाही पूँजी पर अत्यधिक ब्याज (13.37 करोड़ रुपये) तथा अत्यधिक परिवर्तनीय व्यय (9.91 करोड़ रुपये) थे।

(प्रस्तर 3स.2.(ii) से (v))

वितरण ज़ोन वाराणसी के क्रिया कलाप

वाराणसी वितरण ज़ोन उन तेरह क्षेत्रों में से एक है जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने विद्युत वितरण एवं ऊर्जा बिलिंग के नियोजन एवं अनुश्रवण पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से स्थापित किया है और इसके प्रधान मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता हैं।

(प्रस्तर 3द.1.1)

सी.ई.ए. द्वारा निर्धारित 11.5 प्रतिशत वितरण हानि के मानक के विरुद्ध वास्तविक हानि 19.9 तथा 23.1 प्रतिशत के मध्य श्रेणीबद्ध रही। 1996–97 तक पाँच वर्षों की अवधि के दौरान मानक से अधिक ऊर्जा क्षति का अंश 1411.759 एम.यू. आगणित हुआ जिसका मूल्य 188.19क करोड़ रुपये था।

(प्रस्तर 3द.2.1)

आवश्यकतानुसार कैपिसिटर बैंक न लगाने के परिणामस्वरूप 24.990 एम.यू. प्रणालीगत हानियाँ हुईं जिसका मूल्य 3.57 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष था।

(प्रस्तर 3द.2.2)

बिना मीटर के वितरण/दोषयुक्त मीटरों आदि के कारण ऊर्जा उपभोग के अशुद्ध निर्धारण के फलस्वरूप 13.08 करोड़ रुपये तक के कम राजस्व प्रभारित हुए।

(प्रस्तर 3द.2.3)

फालतू लाइनों के उखाड़ने की त्वरित कार्यवाही में असफलता के फलस्वरूप 0.40 करोड़ रुपये मूल्य की लाइन सामग्री चोरी हो गई।

(प्रस्तर 3द.4.6)

पनकी ताप विद्युत केन्द्र

पनकी ताप विद्युत केन्द्र में चार संयन्त्र हैं (दो संयन्त्र 32 एम.डब्लू. क्रमशः अक्टूबर 1967 व जुलाई 1968 में स्थापित तथा दो संयन्त्र 110 एम.डब्लू. क्रमशः नवम्बर 1976 व मार्च 1977 में स्थापित)

जिनकी सम्मिलित क्षमता 284 एम.डब्लू. है। जनवरी 1990 से क्षमता को 274 एम.डब्लू. निर्धारित किया गया था।

(प्रस्तर 3ई.1.1)

10 प्रतिशत के मानक के विरुद्ध 1996–97 तक पाँच वर्षों के दौरान सहायक उपभोग 10.9 से 16.1 प्रतिशत के मध्य श्रेणीबद्ध रहा, जिसके फलस्वरूप 147.482 एम.यू. विद्युत का अतिरिक्त उपभोग हुआ जिसका मूल्य 19.47 करोड़ रुपये था।

(प्रस्तर 3ई.2.3)

1996–97 तक पाँच वर्षों के दौरान परिषद् के 118 पैसे से 148 पैसे प्रति यूनिट औसत राजस्व के विरुद्ध विद्युत केन्द्र पर विद्युत उत्पादन की लागत 144.74 पैसे से 274.64 पैसे प्रति यूनिट के मध्य श्रेणीबद्ध रही। उत्पादन की उच्च लागत निम्न तापीय दक्षता प्राप्ति के कारण थी, जिसके फलस्वरूप 94.29 करोड़ रुपये की ऊष्मा–हानि हुई। परिणामतः कोयले, तेल तथा खनिजहीन पानी का अत्यधिक उपयोग हुआ।

(प्रस्तर 3ई.4)

रेलवे की पूर्व–भुगतान प्रणाली के अनुसार लदान बिन्दु पर माल भाड़े के अग्रिम भुगतान व मुफ्त रेलवे रसीद की प्राप्ति व्यवस्था निष्पादन में असफलता के फलस्वरूप 1996–97 तक पाँच वर्षों के दौरान परिषद् को 12.35 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

(प्रस्तर 3ई.5)

विविध रूचिकर विषय

ऊपर उल्लिखित समीक्षाओं के अतिरिक्त सरकारी कम्पनियों व सांविधिक निगमों के अभिलेखों की सामान्य जाँच में निम्न विविध रूचिकर बिन्दु प्रकाश में आये:

अपट्रान इण्डिया लिमिटेड ने उपयुक्तता को सुनिश्चित किये बिना ही, विभिन्न उपस्करों का आयात किया किन्तु तकनीकी में अप्रचलन के कारण उन्हें कर देयक भण्डारागारों में छोड़ देना पड़ा जिससे 1.78 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। कम्पनी ने 1.66 करोड़ रुपये का भुगतान भी उन एजेण्टों को अनुचित कमीशन के रूप में किया जिन्हें वितरण आदेश की प्राप्ति के पश्चात् नियुक्त किया गया था।

(प्रस्तर 4अ.1 तथा 4अ.2)

उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड वास्तविक आवश्यकतानुसार विद्युत भार को घटाने में असफल रहा जिससे 0.50 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। विदेशी मुद्रा विनिमय की अग्रिम बुकिंग में असफलता के कारण भी 0.22 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

(प्रस्तर 4अ.5 तथा 4अ.6)

उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन ने ग्यारह वर्षों तक एक न्यायालयीय मामले को लड़कर जीतने व सफलतापूर्वक कब्जा ग्रहण करने के पश्चात् भी 0.74 करोड़ रुपये की प्रचलित दर के विरुद्ध 0.45 करोड़ रुपये में मूल आवंटी के पक्ष में भूखण्ड को अनाधिकृत रूप से वापस कर दिया जिसके फलस्वरूप 0.29 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

(प्रस्तर 4अ.9)

उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड ने अग्रिम–कर के भुगतान में विलम्ब तथा त्रुटिपूर्ण लेखा बनाने के कारण 0.20 करोड़ रुपये का घाटा उठाया।

(प्रस्तर 4अ.14)

उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड ने गबन के कारण 0.10 करोड़ रुपये का घाटा उठाया, क्योंकि अंसदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति की तैनाती, प्रारूपों के यथासमय प्रस्तुतिकरण को सुनिश्चित न किये जाने तथा लेखाओं की वाँछित जाँच न किये जाने से यह गबन सम्भव हुआ।

(प्रस्तर 4अ.16)

शहरी विद्युत वितरण खण्ड II मुजफरनगर ने एक उपभोक्ता से 33 के.वी.ऐ. की लागत न भारित करके उसे 0.17 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुँचाया।

(प्रस्तर 4ब.3)

विद्युत वितरण केन्द्र सिद्धार्थनगर में ऊर्जा उपभोग के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के फलस्वरूप 2.71 करोड़ रुपये के राजस्व का अवनिर्धारण हुआ।

(प्रस्तर 4ब.5)

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ने अपनी सकल आय में त्रुटिपूर्ण रूप से इण्ट्रेस्ट कर को सम्मिलित किया जिसे श्रेणियों से वसूला जाना था और उस पर इण्ट्रेस्ट कर का भुगतान भी किया, जिससे 0.20 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

(प्रस्तर 4ब.13)

अध्याय I

सामान्य

अध्याय–1

अनुच्छेद–1
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
1	प्रस्तावना	5
2	सरकारी कम्पनियाँ–सामान्य अवलोकन	5
2.2	क्षेत्रवार निवेश	6
2.3	निवेश का विश्लेषण	9
2.4	प्रत्याभूतियाँ	9
2.5	बजट बहिर्गमन तथा बकाये का अधित्याग	9
2.6	लेखाओं का अन्तिमीकरण	10
2.7	कार्यचालन परिणाम	11
2.7.1	लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियाँ	11
2.7.2	लाभ एवं लाभांश	12
2.7.3	घाटा उठाने वाली कम्पनियाँ	12
2.7.4	कम्पनी अधिनियम की धारा 619 (4) के अन्तर्गत सम्पूरक लेखापरीक्षा	16
2.7.5	पूँजी पर प्रतिलाभ	16
2.8	सरकारी कम्पनियों द्वारा प्रोन्नत संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अंशदानों का पुनः क्रय	18
2.9.1	सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा भारत के नियंत्रक व लेखापरीक्षक द्वारा लिये गए महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण	18
2.10	क्षमता उपयोग	22
2.11	619–बी कम्पनियाँ	22
2.12	अन्य निवेश	23
3	सांविधिक निगम	24
3.1	सामान्य पहलू	24

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
3.2	निवेश	25
3.3	ऋणों पर प्रत्याभूति	25
3.4	लेखाओं का अन्तिमकरण	26
3.5	बजट बहिर्गमन	26
3.6	उपदान	27
3.7	कार्यचालन परिणाम	27
4	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्	27
5	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	33
6	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	36
7	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	39

अध्याय 1

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

1.1 प्रस्तावना

सरकारी कम्पनियों और मान्य सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम 1965 की धारा 619 बी में यथा परिभाषित) के लेखों का लेखा परीक्षण सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है जिन्हें कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की सलाह पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है। कम्पनी अधिनियम की धारा 619 (4) के प्रावधानों के अनुसार ये लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाने वाली पूरक लेखा परीक्षा के अन्तर्गत भी आते हैं।

चार सांविधिक निगमों में से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् तथा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखों का लेखा परीक्षण सी.ए.जी. द्वारा अपने सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत एक मात्र रूप से किया जाता है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के लेखों का लेखा परीक्षण राज्य सरकार द्वारा सी0ए0जी0 की सलाह पर, जो इन निगमों का पृथक रूप से भी लेखा परीक्षण करते हैं, नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा किया जाता है। सभी सांविधिक निगमों के लेखों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सी0ए0जी0 द्वारा संबन्धित संगठनों/राज्य सरकार को जारी किये जाते हैं।

1.2 सामान्य अवलोकन

1.2.1 सरकारी कम्पनियाँ

31 मार्च 1997 को 97 सरकारी कम्पनियाँ (37 सहायक सहित) जिसमें से 15 कम्पनियाँ (12 सहायक सहित) परिसमापनाधीन थी, के पास 16.17 करोड़ रुपये प्रदत्त पूँजी थी (परिशिष्ट–3 बी में विवरण दिया है)। शेष 82 कम्पनियों (25 सहायक सहित) में कुल निवेश 31 मार्च 1996 तक 86 कम्पनियों के कुल निवेश 3487.43 करोड़ रुपये (अंशपूँजी 1809.98 करोड़ रुपये तथा दीर्घकालीन ऋण–1677.45 करोड़ रुपये) के विरुद्ध 3003.44 करोड़ रुपये (अंशपूँजी–1792.34 करोड़ रुपये तथा दीर्घकालीन ऋण–1211.10 करोड़ रुपये) था। 31 मार्च 1997 को छः मान्य सरकारी कम्पनियाँ थीं

जिनका कुल निवेश 198.02 करोड़ रुपये (अंशपूँजी–48.32 करोड़ रुपये तथा दीर्घकालीन ऋण–149.70 करोड़ रुपये) था।

कम्पनियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है:–

(करोड़ रुपये में)

		कम्पनियों की संख्या	प्रदत्त पूँजी
(अ)	कार्यशील कम्पनियाँ	59	1761.57
(ब)	अकार्यशील कम्पनियाँ		
(i)	अप्रचलित कम्पनियाँ	23*	30.77
(ii)	परिसमापनाधीन कम्पनियाँ	15	16.17

23 अप्रचलित कम्पनियों में से कोई भी बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित नहीं थी।

1.2.2 सभी सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम क्रमशः परिशिष्ट 2 एवं 3 में दिये गये हैं।

सभी 88 कम्पनियों में से (6 मान्य सरकारी कम्पनियों के 198.02 करोड़ रुपये के निवेश सहित) क्षेत्रवार निवेश निम्न प्रकार है:–

(करोड़ रुपये में)

विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की श्रेणी	31 मार्च 1996 को			31 मार्च 1997 को			31 मार्च 1997 को ऋण अंशपूँजी अनुपात (पी.एस.यू.)
	संख्या	अंशदान	ऋण	संख्या	अंशदान	ऋण	
कृषि							
सरकारी कम्पनियाँ	3	35.87	15.59	3	35.87	1.22	0.03:1
मान्य सरकारी कम्पनी	1	2.46	--	1	2.69	--	--
पशुपालन							
सरकारी कम्पनियाँ	2	4.35	1.65	2	5.65	1.71	0.30:1
मान्य सरकारी कम्पनी	1	0.24	0.31	1	0.24	0.28	1.17:1

* परिशिष्ट–3 की क्रम संख्या: 3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,23,27,37,38,40,42,49,51,52,55 एवं 60.

(करोड़ रुपये में)

विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की श्रेणी	31 मार्च 1996 को			31 मार्च 1997 को			31 मार्च 1997 को ऋण अंशपूँजी अनुपात (पी.एस.यू.)
	संख्या	अंशदान	ऋण	संख्या	अंशदान	ऋण	
क्षेत्रीय विकास							
सरकारी कम्पनियाँ	10	9.37	4.07	10	9.36	1.34	0.14:1
सहायक कम्पनी	1	0.02	--	1	0.02	--	--
सीमेण्ट							
सरकारी कम्पनी	1	68.28	118.56	1	68.28	121.79	1.78:1
इलेक्ट्रानिक्स							
सरकारी कम्पनी	1	80.60	26.11	1	70.30	26.46	0.38:1
सहायक कम्पनियाँ	6	57.15	88.56	4	57.13	12.71	0.22:1
मान्य सरकारी कम्पनियाँ	2	42.49	143.51	2	42.49	143.51	3.38:1
निर्यात प्रोत्साहन							
सरकारी कम्पनियाँ	3	17.86	5.80	3	18.11	3.54	0.20:1
वित्त							
सरकारी कम्पनियाँ	3	148.88	453.84	3	148.88	525.49	3.53:1
मत्स्य विकास							
सरकारी कम्पनी	1	1.00	--	1	1.00	--	--
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति							
सरकारी कम्पनी	1	5.50	15.27	1	5.50	15.17	2.76:1
हरिजन एवं समाज कल्याण							
सरकारी कम्पनियाँ	6	59.84	47.34	6	68.44	39.32	0.57:1
पर्वतीय विकास							
सरकारी कम्पनियाँ	3	22.99	15.48	3	27.48	16.48	0.60:1
सहायक कम्पनियाँ	9	73.80	6.49	7	1.86	1.68	0.90:1
मान्य सरकारी कम्पनी	1	2.00	2.90	1	2.00	5.92	2.96:1
गृह							
सरकारी कम्पनी	1	3.00	--	1	3.00	--	--
उद्योग एवं औद्योगिक विकास							
सरकारी कम्पनियाँ	3	64.13	1.53	3	67.16	16.98	0.25:1
सहकारी कम्पनियाँ	5	5.46	13.09	5	48.60	206.49	4.25:1

(करोड़ रुपये में)

विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की श्रेणी	31 मार्च 1996 को			31 मार्च 1997 को			31 मार्च 1997 को ऋण अंशपूँजी अनुपात (पी.एस.यू.)
	संख्या	अंशदान	ऋण	संख्या	अंशदान	ऋण	
संस्थागत वित्त							
सरकारी कम्पनी	1	8.18	0.16	1	8.18	--	--
सिंचाई							
सरकारी कम्पनी	1	5.90	--	1	10.87	--	--
पंचायत राज							
सरकारी कम्पनी	1	1.46	--	1	1.46	--	--
योजना विभाग							
सरकारी कम्पनियाँ	2	1.06	--	2	1.06	--	--
विद्युत							
सरकारी कम्पनियाँ	2	3.23	19.00	2	253.51	19.00	0.07:1
सार्वजनिक निर्माण							
सरकारी कम्पनियाँ	2	11.00	--	2	11.00	--	--
ग्रामीण एवं लघु उद्योग							
सरकारी कम्पनियाँ	2	28.81	21.96	2	31.25	21.96	0.70:1
सहायक कम्पनियाँ	2	0.78	0.76	2	0.79	0.76	0.96:1
मान्य सरकारी कम्पनी	1	0.90	--	1	0.90	--	--
चीनी एवं गन्ना विकास							
सरकारी कम्पनियाँ	5	488.84	633.76	5	477.60	102.22	0.21:1
सहायक कम्पनियाँ	4	72.23	39.80	4	72.23	12.17	0.17:1
वस्त्र							
सरकारी कम्पनी	1	160.79	83.61	1	160.79	24.38	0.15:1
सहायक कम्पनियाँ	2	110.33	58.14	2	110.33	39.76	0.36:1
पर्यटन							
सरकारी कम्पनी	1	8.19	6.08	1	15.13	0.48	0.03:1
वक्फ							
सरकारी कम्पनी	1	1.50	--	1	1.50	--	--
योग	**92**	**1858.07**	**1824.17**	**88**	**1840.66**	**1360.80**	

1.2.3 निवेश का विश्लेषण

अ. पी.एस.यू. में अंशपूँजी को अपनिवेशित करने की केन्द्र सरकार की औद्योगिक नीति के संदर्भ में, राज्य सरकार ने 50 पी.एस.यू. के मामले स्वगठित 'अधिकार प्राप्त कमेटी' (दिसम्बर 1995) के पास उनके पुनर्निर्माण/पुनर्गठन/संयोजन/निजीकरण के विचार के लिए संदर्भित किया उनका प्रतिवेदन राज्य सरकार अनुमोदनों के साथ अब तक प्रतीक्षित है (अक्टूबर 1997)।

1.2.4 प्रत्याभूतियाँ

बैंकों आदि द्वारा पी.एस.यू. को दिये गये 1996–97 तक के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के तथा 31 मार्च 1997 (विवरण परिशिष्ट–3स में दिया गया है) को बकाया ऋणों एवं उधार के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं:–

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	प्रत्याभूतियाँ	प्रत्याभूति राशि			31 मार्च 1997 को अनिस्तारित प्रत्याभूति की राशि
		1994-95	1995-96	1996-97	
1.	भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद उधार	33.55	142.93	560.20	579.14
2.	अन्य श्रोतों से ऋण	9.80	182.78	84.17	202.40
	योग	**43.35**	**325.71**	**644.37**	**781.54**

1.2.5 बजटरी बहिर्गमन एवं बकायों का अधित्याग

1994–95 से 1996–97 के वर्षों के दौरान साधारण अंशपूँजी, ऋणों एवं उपदान के रूप में 82 में से 25 कम्पनियों को राज्य सरकार से बहिर्गमन (वर्ष 1996–97 के लिए विवरण परिशिष्ट–2 तथा 3स में दिया गया है) निम्न प्रकार है:–

(करोड़ रुपये में)

		1994-95	कम्पनियों की संख्या	1995-96	कम्पनियों की संख्या	1996-97	कम्पनियों की संख्या
1.	बजट से अंशपूँजी बहिर्गमन	54.56*	16	34.45	15	33.63	11
2.	बजट से प्रदत्त ऋण	79.36	12	87.36	17	117.25	14
3.	उपदान	0.07	1	164.68	9	221.20	11
	योग	**133.99**		**286.49**		**372.08**	

* इसमें ऋण से अंशपूँजी में परिवर्तित 5.60 करोड़ रुपये की धनराशि भी सम्मिलित है।

1.2.6 लेखाओं का अन्तिमकरण

विधायिका के प्रति पी.एस.यू. का उत्तरदायित्व निर्धारित समय सूची के अन्दर सम्प्रेक्षित वार्षिक लेखाओं के विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने पर पूर्ण होता है। 82 में से 78 सरकारी कम्पनियों के लेखे 1 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की विस्तीर्ण अवधियों से बकायें में थे जैसा कि परिशिष्ट–3अ में इंगित किया गया है (30 सितम्बर 1997 तक)। केवल 4 कम्पनियों के वर्ष 1996–97 के लेखाओं का अन्तिमीकरण सितम्बर 1997 तक हुआ था।

इन कम्पनियों को नवीनतम अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार* 51 कम्पनियों ने 236.38 करोड़ रुपये का घाटा उठाया तथा शेष 27 कम्पनियों ने 13.43 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है:–

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनियों की संख्या	वर्ष जब तक लेखे अन्तिम किये गये	लाभ		हानि		परिशिष्ट ३ में कम्पनी की क्रम संख्या का संदर्भ	
			कम्पनियों की संख्या	धनराशि	कम्पनियों की संख्या	धनराशि	लाभ वाली	हानि वाली
1.	1	1974-75	--	--	1	0.81	--	60
2.	1	1976-77	--	--	1	0.01	--	55
3.	1	1981-82	1	0.44	--	--	11	--
4.	1	1982-83	--	--	1	4.00	--	27
5.	2	1983-84	--	--	2	12.37	--	7,35
6.	2	1984-85	--	--	2	135.83	--	3,8
7.	2	1985-86	2	37.07	--	--	10,26	--
8.	4	1986-87	1	11.24	3	331.03	6	9,14,62
9.	5	1987-88	--	--	5	47.63	--	13,15, 16,33,51
10.	2	1988-89	--	--	2	29.42	--	25,38
11.	4	1989-90	1	7.20	3	41.69	75	37,54,59
12.	2	1990-91	1	0.13	1	16.10	73	4
13.	3	1991-92	2	153.69	1	45.29	28,44	23
14.	4	1992-93	2	88.52	2	351.33	34,69	41,61

* परिशिष्ट–3 की क्रम संख्या 45 की कम्पनी परियोजना निर्माणाधीन थी तथा क्रम संख्या 40,42, तथा 49 की तीन कम्पनियों ने संस्थापना के बाद से कोई लेखे नहीं प्रस्तुत किया

क्रम संख्या	कम्पनियों की संख्या	वर्ष जब तक लेखे अन्तिम किये गये	लाभ		हानि		परिशिष्ट ३ में कम्पनी की क्रम संख्या का संदर्भ	
			कम्पनियों की संख्या	धनराशि	कंम्पनियों की संख्या	धनराशि	लाभ वाली	हानि वाली
15.	10	1993-94	2	20.93	8	6666.69	50,52	5,12,36 39,56,64 66,71
16.	7	1994-95	3	98.67	4	3502.50	30,31, 70	18,22,29 63
17.	23	1995-96	10	760.91	13	12216.08	17,21, 24,32, 43,58, 67,68 76,81	1,2,20, 46,47, 48,53, 57,65, 78,79, 80,82
18.	4	1996-97	2	133.99	2	236.78	72,74	19,77
योग	**78**		**27**	**1342.79**	**51**	**23637.56**		

प्रशासकीय विभागों को पर्यवेक्षण करना एवं सुनिश्चित करना होगा कि कम्पनियों द्वारा लेखाओं को अन्तिम रूप दे दिया जाता है तथा सामान्य वार्षिक बैठक में कम्पनी अधिनियम 1956 में निर्धारित समय सीमा में अधिग्रहीत कर लिया जाता है। यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा सम्बन्धित प्रशासकीय मंत्रालयों एवं सरकार के अधिकारियों को बकाये की स्थिति से त्रैमासिक रूप से अवगत करा दिया गया था, सरकार द्वारा इन लेखाओं को अन्तिम रूप देने के विषय में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये। चूँकि, इन कम्पनियों ने समय सूची का अनुसरण नहीं किया, इन कम्पनियों में किये गये निवेश लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र से बाहर रहे और उनके उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं किये जा सके।

1.2.7 कार्यचालन परिणाम

1.2.7.1 लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियाँ

वर्ष के दौरान 16 कम्पनियों* ने जिन्होंने वर्ष 1996–97 अथवा पूर्व वर्षों के लेखाओं को अन्तिम रूप दे दिया था, कुल 11.34 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इनमें से 13 कम्पनियों** ने लगातार दो या अधिक वर्षों से लाभ कमाया एवं तीन कम्पनियों ने लाभांश घोषित किये। 57 कम्पनियों ने 145.29 करोड़ रुपये के स्वतंत्र निधियाँ एवं अधिव्यय बनाये।

* परिशिष्ट–3 की क्रम संख्या– 24,28,30,31,34,43,52,58,67,68,70,72,73,74,76 तथा 81 ।

** परिशिष्ट–3 की क्रम संख्या– 28,30,31,34,43,58,67,68,72,73,74,76 व 81 ।

1.2.7.2 लाभ एवं लाभांश

चार कम्पनियों में से जिन्होंने सितम्बर 1997 तक 1996–97 के अपने लेखाओं को अन्तिम रूप दिया था दो कम्पनियों (परिशिष्ट–3 की क्रम संख्या 72 एवं 74) ने 125.71 करोड़ रुपये की कुल अंशपूँजी पर 1.34 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया किन्तु उनमें से किसी ने भी लाभांश घोषित नहीं किया।

नवीनतम अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार, कुल 27 लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों में अंशपूँजी के प्रतिशत के रूप में 0.61 करोड़ रुपये का लाभांश 0.16 आगणित हुआ जो कि 376.29 करोड़ रुपये की कुल अंशपूँजी पर था। कुल अंशपूँजी पर, राज्य सरकार को प्रतिलाभ 1995–96 में 0.11 प्रतिशत की तुलना में 1996–97 में 0.03 प्रतिशत आगणित हुआ।

1.2.7.3 घाटा उठाने वाली कम्पनियाँ

नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के अनुसार 26 कम्पनियों* ने 1003.03 करोड़ रुपये की अपनी प्रदत्त पूँजी का क्षरण कर दिया क्योंकि इन कम्पनियों की 1818.97 करोड़ रुपये की संचित हानियाँ प्रदत्त पूँजी से कहीं अधिक हो गयी। 51 घाटा उठाने वाली कम्पनियों में से 18 कम्पनियों ने लगातार 5 वर्षों से घाटा उठाया तथा अपनी प्रदत्त पूँजी का क्षरण किया जैसा कि निम्न तालिका में प्रदर्शित है:–

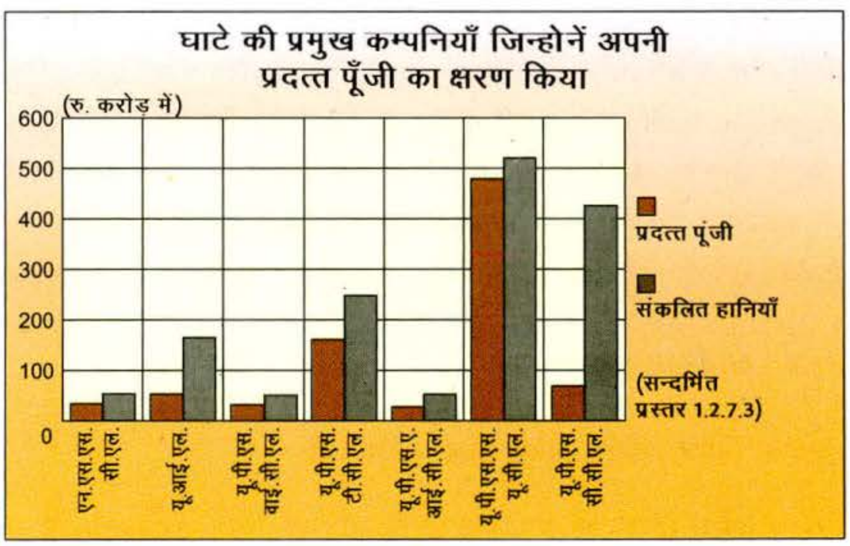

---

* क्रम संख्या– 2,3,4,10,17,18,23,24,25,39,44,46,47,48,51,52,59,62,63,64,66, 71,77,78,79, व 80 ।

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	वर्ष जब तक लेखे प्राप्त हुए	प्रदत्त पूँजी	संचित हानियाँ	क्षय हुई पूँजी का प्रतिशत संख्या	हानि के कारण	परिशिष्ट 3 की क्रम संख्या की संदर्भ
1.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की सहायक कम्पनी)	1994-95	12.73	19.87	156.09	अधिक ह्रास का बोझ तथा टीथिंग समस्या	63
2.	नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की सहायक कम्पनी)	1993-94	34.04	53.36	156.75	चीनी की कम प्राप्ति तथा सरकार को लेवी बिक्री	66
3.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की सहायक कम्पनी)	1993-94	8.65	15.27	176.55	संयन्त्र क्षमता की वायाबिलिटी न होने के कारण	64
4.	इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	1995-96	0.22	10.27	4663.58	कच्चे माल की कमी तथा निधि का अभाव	46
5.	उत्तर प्रदेश राज्य ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	1991-92	5.38	6.49	120.64	अव्यावहारिक योजनाओं का लागूकरण	23
6.	ट्रांस केबिल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	1993-94	0.63	2.24	354.66	निधि का अभाव	39
7.	यू0पी0एस0आई0सी0 पाटरीज लिमिटेड (उ0प्र0 स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1989-90	0.76	2.26	295.91	कार्यवाही पूँजी की कमी, विपणन समस्यायें तथा वृद्धिगत वेतन व पारिश्रमिक	59

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	वर्ष जब तक लेखे प्राप्त हुए	प्रदत्त पूँजी	संचित हानियाँ	क्षय हुई पूँजी का प्रतिशत संख्या	हानि के कारण	परिशिष्ट 3 की क्रम संख्या की संदर्भ
8.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1994-95	53.16	164.81	310.05	उपलब्ध नहीं	18
9.	उ0प्र0 इन्स्ट्रूमेण्ट्स लिमिटेड (उ0प्र0 स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1995-96	2.02	22.32	1103.84	अत्यधिक मानवशक्ति, उत्पादन श्रेणी केवल एक तक सीमित	47
10.	उ0प्र0 डिजिटल्स लिमिटेड (उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	1995-96	0.35	5.76	1635.99	एच0एम0टी0 द्वारा पुर्जों की अपर्याप्त आपूर्ति एवं श्रम विवाद	48
11.	उ0प्र0 स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उ0प्र0 स्टेट वस्त्र निगम लिमिटेड की सहायक)	1996-97	31.91	50.91	159.55	प्रतिकूल विपणन स्थिति	77
12.	उ0प्र0 स्टेट वस्त्र निगम लिमिटेड	1995-96	160.79	248.42	154.49	निधि का अभाव, प्रतिकूल विपणन स्थिति, विद्युत दर सूची में वृद्धि तथा ब्याज का भार	78
13.	उ0प्र0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	1995-96	27.32	52.51	192.19	निम्न बिक्री, उच्च उपरिव्यय, कार्यवाही पूँजी की कमी तथा कर्मचारियों का अधिकाय	
14.	उ0प्र0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	1993-94	479.15	520.76	108.68	पुरानी व अप्रचलित मिलें जिनकी क्रशिंग की क्षमता कम थी, लेने के कारण	71

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	वर्ष जब तक लेखे प्राप्त हुए	प्रदत्त पूँजी	संचित हानियाँ	क्षय हुई पूँजी का प्रतिशत संख्या	हानि के कारण	परिशिष्ट 3 की क्रम संख्या की संदर्भ
15.	उ0प्र0 सीमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1995-96	68.28	425.99	623.89	क्षमता का अल्प उपयोग तथा उत्पादन की उच्च लागत	80
16.	उ0प्र0 स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	1986-87	10.43	11.16	106.91	ब्याज का अत्यधिक भार एवं स्थिर व्यय	62
17.	उ0प्र0 स्टेट होर्टीकल्चर मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	1984-85	1.91	2.55	133.85	क्षमता का अल्प उपयोग, निधि का अभाव	3
18.	उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1988-89	1.00	1.02	102.28	सशर्त ऋण पर ब्याज तथा स्थिर सम्पत्ति पर ह्रास	25
	योग		**898.73**	**1615.97**			

82 कार्यरत कम्पनियों में से 17*कम्पनियाँ या तो रूग्ण थीं या बी.एफ.आई.आर. को संदर्भित होने की प्रक्रिया में थी। 26 कम्पनियों जिन्होंने अपनी पूँजी का क्षरण किया, में से 5** कम्पनियाँ अप्रचलित या अकार्यशील थी।

प्रदत्त पूँजी को सम्पूर्ण क्षति पहुंचाते हुए खराब सम्पादन के बावजूद, राज्य सरकार कम्पनियों को साधारण अंशदानों में योगदान, ऋण एवं उपदान आदि के रूप में वित्तीय सहयोग देती रही। वर्ष 1996–97 के दौरान इनमें से 8*** कम्पनियों को दिया गया कुल वित्तीय सहयोग 124.60 करोड़ रुपये का था।

* परिशिष्ट 3 की क्रम संख्या 3,10,14,15,17,18,27,46,51,59,64,66,71,77,78,79 एवं 80

** परिशिष्ट 3 की क्रम संख्या 3,10,23,51 एवं 52

*** परिशिष्ट 3 की क्रम संख्या 47,62,64,66,71,77,78 एवं 80

1.2.7.4 कम्पनी अधिनियम की धारा 619(4) के अंतर्गत सम्पूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर टिप्पणी या सम्पूरण करने का अधिकार है। इस प्रावधान के अन्तर्गत, सरकारी कम्पनियों के वार्षिक लेखाओं का पुनरीक्षण चयनात्मक आधार पर संचालित किया जाता है। वर्ष के दौरान 54 कम्पनियों से प्राप्त 64 लेखाओं में से 40 कम्पनियों के 49 लेखे इस पुनरीक्षण के लिये चयनित किये गये जो कि अक्टूबर 1996 से सितम्बर 1997 की अवधि के थे। इस पुनरीक्षण के फलस्वरूप महत्वपूर्ण टिप्पणियों का कुल प्रभाव निम्नवत दर्शाया गया है:–

(करोड़ रुपये में)

विवरण	लेखाओं की संख्या	वित्तीय प्रभाव
लाभ में कमी/हानि में वृद्धि	14	430.89

नवीनतम उपलब्ध लेखाओं पर आधारित सभी 82 कम्पनियों के वित्तीय परिणाम परिशिष्ट–3 में दिये गये हैं।

1.2.7.5 निवेशित पूँजी पर प्रतिलाभ

निवेशित पूँजी को शुद्ध स्थिर सम्पत्ति (कैपिटल वर्क–इन–प्रोग्रेस) तथा कार्यवाहक पूँजी के योग के रूप में लिया गया है। ऋणितनिधि पर ब्याज को शुद्ध लाभ में जोड़ा गया/हानि में से घटाया गया, जैसा कि लाभ हानि लेखे में परिलक्षित हुआ। इस आधार पर वर्ष 1996–97 के दौरान 82 कम्पनियों में 1956.20 करोड़ रुपये के कुल निवेश पर, 1995–96 में 1935.51 करोड़ रुपये के कुल निवेश पर 103.46 करोड़ रुपये के नकारात्मक प्रतिलाभ की तुलना में 48.70 करोड़ रुपये का नकारात्मक प्रतिलाभ हुआ।

नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार 1995–96 तथा 1996–97 के दौरान निवेशित पूँजी पर शुद्ध प्रतिलाभ का क्षेत्रवार विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है:–

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	निवेशित पूँजी		निवेशित पूँजी पर प्रतिलाभ		निवेशित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	
	1995-96	1996-97	1995-96	1996-97	1995-96	1996-97
कृषि	18.38	51.68	2.25	-0.52	12.24	--
पशुपालन	3.01	3.70	0.26	-0.08	8.63	--
क्षेत्रीय विकास	10.37	10.27	- 0.78	-0.85	--	--
सीमेण्ट	- 75.25	-239.80	- 35.43	-22.91	--	--
इलेक्ट्रानिक्स	94.54	95.69	- 10.03	-10.07	--	--
निर्यात प्रोत्साहन	18.09	23.78	- 2.54	-0.22	--	--
वित्त पोषण	611.29	672.28	5.23	3.74	0.85	0.56
मत्स्य	3.32	5.93	- 0.35	-0.11	--	--
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	5.24	5.24	1.21	1.21	23.08	23.09
हरिजन व समाज कल्याण	48.53	118.83	2.19	3.45	4.51	2.90
पर्वतीय विकास	43.79	43.48	- 1.91	0.35	--	0.81
गृह	4.66	5.38	1.00	1.25	21.43	23.23
उद्योग एवं औद्योगिक विकास	229.21	244.55	- 3.77	-4.39	--	--
संस्थागत वित्त	3.66	6.11	- 0.11	0.78	--	12.77
सिंचाई	6.12	6.12	- 1.16	-1.16	--	--
पंचायती राज	1.40	1.43	0.00	-0.03	--	--
योजना	1.02	0.88	- 0.02	-0.14	--	--
विद्युत	142.57	152.20	1.98	-0.78	1.08	--
सार्वजनिक निर्माण	48.06	26.16	- 7.31	2.15	--	8.22

क्षेत्र	निवेशित पूँजी		निवेशित पूँजी पर प्रतिलाभ		निवेशित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	
	1995-96	1996-97	1995-96	1996-97	1995-96	1996-97
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	48.25	50.64	- 1.82	-3.81	--	--
चीनी एवं गन्ना विकास	497.02	520.18	- 46.73	1.67	--	0.32
वस्त्र	118.41	96.27	- 5.76	-19.25	--	--
पर्यटन	12.54	14.01	0.14	1.05	1.11	7.49
वक्फ	1.28	1.19	0.00	0.00	--	0.00
योग	**1935.51**	**1956.20**	**- 103.46**	**-48.70**		

1.2.8 सरकारी कम्पनियों द्वारा प्रोन्नत संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अंशदानों का पुनः क्रय

कुछ सरकारी कम्पनियाँ राज्य में उद्योगों के विकास/प्रोत्साहन में उन्हें ऋण देकर अथवा उनकी अंशपूँजी में निवेश करने में कार्यरत हैं। प्रोत्साहन समझौते की शर्तों में, सहप्रोन्नतकर्ता द्वारा प्रोन्नत ईकाई के वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने के पश्चात सरकारी कम्पनियों से अंशदानों के पुनः क्रय करने का प्रावधान है। वर्ष के दौरान, 2.00 लाख रुपये मूल्य के अंशदान उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड द्वारा निम्न विवरण के अनुसार अपनिवेशित किये गये:–

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम (सम्मिलित उपक्रम)	अनिवेशित अंशों की संख्या	अंकित मूल्य	निर्धारित बिक्री
1.	अपटेक कम्प्यूटर्स कन्सल्टेंसी लिमिटेड	20000	2.00	2.42

1.2.9 सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी.ए.जी. द्वारा की गईं महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

1.2.9.1 कम्पनी अधिनियम 1956 भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक को सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षकों को उनके कार्य निष्पादन के संदर्भ में निर्देश जारी करने के लिये प्राधिकृत करता है। ऐसे जारी किये गये निर्देशों के अनुसरण में 6 कम्पनियों के लेखाओं पर कम्पनी लेखापरीक्षकों

के विशेष प्रतिवेदन अक्टूबर 1996 से सितम्बर 1997 के दौरान प्राप्त किये गये। इन प्रतिवेदनों में दिये गये मुख्य बिन्दु निम्नवत संक्षेपित हैं:

क्रम संख्या	कमियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जहाँ कमियाँ देखी गईं	परिशिष्ट 3 के क्रमांक का संदर्भ
1.	लेखा नियमावली की कमी	3	22,78,
2.	पर्याप्त बजट नियंत्रण प्रणाली की कमी	2	22, *
3.	नियंत्रण प्रणाली की अनुपस्थिति/अपर्याप्तता	1	22
4.	आन्तरिक सम्प्रेक्षण प्रणाली व्यापार की प्रकृति व आकार में अनूरूप नहीं थी या उसको मजबूत बनाने की आवश्यकता थी	4	22,48,74, *
5.	अचल सम्पत्ति पंजिका का त्रुटिपूर्ण रख रखाव/रख रखाव न होना	2	22, *
6.	मशीनों व श्रम के निरर्थक समय का पता लगाने की प्रणाली का अभाव	1	22
7.	स्कन्ध व पुर्जे का आदेशस्तर न निश्चित किया जाना/पालन न किया जाना	1	79
8.	उत्पादन लेखाओं को अलग से न बनाया जाना	1	22
9.	प्रमाप लागत प्रणाली का अभाव	1	78
10.	कच्चे माल के अपव्यय/हानि के मानक का निर्धारण न किया जाना तथा स्कन्धन परिचालन)	1	78
11.	राजस्व मान्यता के मानकों का अ–पालन (वित्तीय कम्पनी	1	74

1.2.9.2 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा (4) के अन्तर्गत, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर टिप्पणी का अथवा अनुपूरित करने का अधिकार है। इस

* हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेण्ट प्रोजेक्ट, बिजनौर, परिसमापनाधीन

प्रावधान के अन्तर्गत वर्ष के दौरान (अक्टूबर 1996 से सितम्बर 1997 तक) 40 कम्पनियों के 49 लेखे समीक्षा के लिये चुने गये।

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उल्लिखित न की गई कुछ कम्पनियों के वार्षिक लेखाओं की समीक्षा के दौरान देखी गई त्रुटियाँ एवं चूकें नीचे उल्लिखित हैं:

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड (1992–93)

कम्पनी के लाभ को अवशेष सरकारी निधि पर ब्याज को कम्पनी की आय में सम्मिलित करने से 37.02 लाख रुपये बढ़ाकर बताया गया, यद्यपि शासनादेश में ऐसा प्रावधान नहीं था।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (1994–95)

(i) विविध देनदारों में 321.13 लाख रुपये सम्मिलित था जो कि विविध कार्यों में अनुमोदित लागत से अधिक व्यय को प्रदर्शित करता था जिसके सम्बन्ध में संशोधित प्राक्कलन या तो प्रस्तुत ही नहीं किये गये थे या ग्राहकों द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत नहीं किये गये थे। न तो संदेहास्पद ऋण को कोई प्रावधान किया गया न ही लेखे में तथ्य प्रदर्शित किया गया।

(ii) कम्पनी द्वारा कराये गये अतिरिक्त कार्य के सम्बन्ध में 11.10 लाख रुपये मूल्य के विविध देनदारों का कोई प्रावधान नहीं किया गया यद्यपि कार्य को ग्राहकों द्वारा अस्वीकृत किया गया था।

(iii) संविदा लेखे में भवनशिल्प शुल्क व उस पर सेण्टेज के व्यय को डेबिट करने के कारण लाभ व कार्य लागत को 39.14 लाख रुपये बढ़ाकर दिखाया गया, यद्यपि समझौते के अनुसार यह अभारित था।

उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड (1993–94)

सरकार द्वारा प्रदत्त निधि पर ब्याज को कम्पनी की आय में सम्मिलित करने से हानि को 47.50 लाख रुपये कम दर्शाया गया, यद्यपि शासनादेश में ऐसा प्रावधान नहीं था।

उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड–तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड (1995–96)

इन्ट्रेस्ट कर अधिनियम 1974 के प्रावधान के अनुसार वर्ष 1991–92 से 1995–96 के दौरान देय इन्ट्रेस्ट कर के अप्रावधान से कम्पनी का लाभ 25.29 लाख रुपये अधिक दर्शाया गया।

उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज निगम लिमिटेड (1992–93)

(i) कम्पनी ने वर्ष 1976–77 से 1991–92 तक के लिए 161.44 लाख रुपये की बिक्री कर माँग का प्रावधान नहीं किया और न ही माँग में इस तथ्य को दर्शाया गया।

(ii) ई.पी.एफ. अंशदान में अल्प–प्रावधान के कारण कम्पनी की हानि को 3.05 लाख रुपये कम दर्शाया गया।

(iii) वर्ष 1992–93 के लिए विद्युत प्रभार को व्यय शीर्ष में लेखित न करने के कारण कम्पनी की हानि को 1.86 लाख रुपये कम दर्शाया गया।

उत्तर प्रदेश पोल्ट्री व लाईव स्टाक स्पेश्यलिटीज लिमिटेड (1993–94)

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निधि पर ब्याज को कम्पनी की आय में सम्मिलित करने से लाभ को 21.97 लाख रुपये बढ़ाकर दर्शाया गया, यद्यपि यह सरकार को देय था।

उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज निगम लिमिटेड (1991–92)

(i) वर्ष 1989–90 से 1990–97 के लिए ऋण पर 8 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत ब्याज का प्रावधान करने से संचित हानि व असुरक्षित ऋण 4.52 लाख रुपये से कम दर्शाये गये।

(ii) वर्ष 1991–92 के लिए आयकर दायित्व के अप्रावधान के कारण हानि को 5.18 लाख रुपये कम दर्शाया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड (1995–96)

यू.पी.एस.ई.बी. हेतु विकास–छूट वापसी के दायित्व का प्रावधान न करने के कारण कम्पनी की हानि को 24.88 लाख रुपये कम दर्शाया गया।

उत्तर प्रदेश स्टेट ऐग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन (1994–95)

पी.एफ. ट्रस्ट के व्यय दायित्व का प्रावधान न करने के कारण कम्पनी की संचित हानि को 66.17 लाख रुपये कम दर्शाया गया।

हैण्डलूम इन्टैन्सिव डेवलपमेण्ट प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड (1983–84)

अत्यधिक ब्याज के प्रावधान के कारण कम्पनी का लाभ 3.50 लाख रुपये अधिक दर्शाया गया।

उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (1994–95)

फर्नीचर और फिटिंग, मोटरकार आदि पर ह्रास के अल्प प्रावधान के कारण कम्पनी की हानि 3.78 लाख रुपये कम दर्शायी गयी।

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड (1993–94)

वर्ष 1993–94 के दौरान 15 छविग्रहों की बिक्री के पूँजीगत लाभ को सम्मिलित करने के कारण कम्पनी का लाभ 70.64 लाख रुपये अधिक दर्शाया गया।

1.2.10 क्षमता उपयोग

निर्माणी कम्पनियों की संस्थापित अथवा निर्धारित क्षमता (जहाँ तक सूचना उपलब्ध हो पाई) परिशिष्ट–4 में दी गई है। 16 कम्पनियों में क्षमता उपयोग का प्रतिशत 0.33 से लेकर 95.78 के मध्य था। तीन चीनी कम्पनियों के प्रकरण में क्षमता उपयोग में कमी का मुख्य कारण गन्ने की अनुपलब्धता, पुरानी मशीनों में मशीनी रूकावट थी जबकि अन्य मामलों में मांग में कमी, कच्चे माल की कमी एवं श्रम अशान्ति कम क्षमता उपयोग के मुख्य सहयोगी कारक थे।

1.2.11 619–बी कम्पनियाँ

कम्पनी अधिनियम की धारा 619–बी के अन्तर्गत 6 कम्पनियाँ आती थीं। नीचे दी गई तालिका इन कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी एवं कार्यचालन परिणाम नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर इंगित करती है:

(करोड़ रुपये में)

कम्पनी का नाम	लेखाओं का वर्ष	प्रदत्त पूँजी	निवेश			लाभ (+) हानि (-)	संचित हानि
			राज्य सरकार	सरकारी कम्पनियाँ	अन्य		
अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	1996-97	2.00	0.82	--	1.18	+ 0.30	5.32
कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1993-94	0.24	--	--	0.24	+ 0.03	0.49

(करोड़ रुपये में)

कम्पनी का नाम	लेखाओं का वर्ष	प्रदत्त पूँजी	निवेश			लाभ (+) हानि (-)	संचित हानि
			राज्य सरकार	सरकारी कम्पनियाँ	अन्य		
इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड	शुरू से ही लेखे नहीं बनाये गये (1975-76)						
स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड	1978-79	0.90	--	0.55	0.35	+ 0.45	--
अपट्रान कलर पिक्चर ट्यूब्स लिमिटेड	1993-94	42.49	--	30.38	12.11	+48.97	208.44
उ0प्र0 बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड	1996-97	2.69	0.81	0.56	1.32	+ 6.09	--

अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड, कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड तथा अपट्रान कलर पिक्चर ट्यूब्स लिमिटेड से सम्बन्धित 5.32 करोड़ रुपये, 0.49 करोड़ रुपये तथा 208.44 करोड़ रुपये की संचित हानियाँ उनकी प्रदत्त पूँजी क्रमशः 2 करोड़ रुपये, 0.24 करोड़ रुपये तथा 42.49 करोड़ रुपये से अधिक हो गईं

1.2.12 अन्य निवेश

राज्य सरकार ने 58 अन्य कम्पनियों में 75.05 करोड़ रुपये का निवेश किया। यद्यपि सरकार ने इन कम्पनियों में 10 लाख और अधिक का निवेश किया, ये नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण के अधीन नहीं है, क्योंकि सरकार, सरकारी कम्पनियों एवं निगमों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेश की गई कुल धनराशि सम्बन्धित कम्पनियों के साधारण अंशपूँजी के 51 प्रतिशत से कम थी। इन कम्पनियों की सूची परिशिष्ट–1 में दी गई है।

1.3 सांविधिक निगम

1.3.1 सामान्य पहलू

31 मार्च 1997 को राज्य में चार सांविधिक निगम थे। इन निगमों की लेखापरीक्षा व्यवस्थायें नीचे दी गई हैं:

निगम का नाम	संविधि जिसके अन्तर्गत गठन	स्थापन की तिथि	लेखापरीक्षा व्यवस्था	वर्ष जब तक के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	वर्ष जब तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस0ए0आर0) विधायिका में रखा गया	भारत के नियंत्रक व महालेखा–परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्राधिकार
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्	विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 5 (1)	अप्रैल 1959	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एकमात्र लेखापरीक्षा	1995-96	1989-80	विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 की धारा 69(2)
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	सड़क परिवहन अधिनियम 1950 की धारा 3	जून 1972	तदैव	1995-96	1992-93	सड़क परिवहन अधिनियम 1950 की धारा 33(2)
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	राज्य वित्तीय निगम 1951 की धारा 3	नवम्बर 1954	शासपत्रित लेखाकार, एस0ए0आर0, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत किया जाता है	1996-97	1992-93	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 37 (6)
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	भण्डारागार निगम अधिनियम 1962 की धारा 18(1)	मार्च 1958	तदैव	1996-97	1993-94	भण्डारागार निगम अधिनियम 1962 की धारा 31(8)

1.3.2 निवेश

31 मार्च 1996 के 13537.88 करोड़ रुपये (अंशपूँजी 424.28 करोड़ रुपये, दीर्घकालीन ऋण 13113.60 करोड़ रुपये) के विरुद्ध, 31 मार्च 1997 को चार सांविधिक निगमों में कुल निवेश 14668.20 करोड़ रुपये (अंशपूँजी 425.18 करोड़ रुपये, दीर्घकालीन ऋण 14243.02 करोड़ रुपये) था।

इन निगमों में क्षेत्रवार निवेश नीचे दिया जाता है:

(करोड़ रुपये में)

निगम का नाम	साधारण अंशपूँजी एवं ऋण		वर्ष के अन्त में		1996–97 में ऋण पूँजी अनुपात
	1995-96		1996-97		
	अंशपूँजी	ऋण	अंशपूँजी	ऋण	
1. विद्युत विभाग					
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्	--	11973.91	--	13027.12	--
2. परिवहन विभाग					
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	314.01	73.32	314.01	59.82	0.19:1
3. उद्योग विभाग					
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	100.00	1063.70	100.00	1153.51	11.54:1
4. सहकारिता विभाग					
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	10.27	2.67	11.17	2.57	0.23:1
योग	**424.28**	**13113.60**	**425.18**	**14243.02**	

1.3.3 ऋणों पर प्रत्याभूति

सांविधिक निगमों को 1996–97 तक के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों उधार (ब्याज सहित) के विरुद्ध दी गई प्रत्याभूति एवं 31 मार्च 1997 को अनिस्तारित प्रत्याभूति की स्थिति अगले पृष्ठ पर तालिका में दी गई है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	प्रत्याभूति	राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति			31 मार्च 1997 को अनिस्तारित प्रत्याभूति की राशि
		1994-95	1995-96	1996-97	
1.	भारतीय स्टेट बैंक व अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद उधार	9.00	18.00	9.00	6.00
2.	अन्य श्रोतों से ऋण	258.30	91.16	3943.52	2491.61
3.	भारतीय स्टेट बैंक व अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विद्युत के क्रय हेतु खोले गये साखपत्र	123.00	109.00	89.00	--
4.	विदेशी सलाहकारों अथवा ठेकेदारों के साथ समझौते के अन्तर्गत भुगतान की बाध्यता	--	--	--	--

1.3.4 लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जाना

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम एवं उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ने 1996–97 तक के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 1995–96 तक के अपने लेखाओं को अन्तिम रूप दिया। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ने क्रमशः 41.87 करोड़ रुपये तथा 14.26 करोड़ रुपये का घाटा उठाया, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् एवं उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम ने अपने नवीनतम उपलब्ध अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर क्रमशः 170.79 करोड़ रुपये तथा 0.71 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया।

1.3.5 बजट बहिर्गमन

वर्ष 1994–95 से 1996–97 के दौरान साधारण अंशपूँजी, ऋण एवं उपदान के रूप में राज्य सरकार से सांविधिक निगमों को बहिर्गमन अगले पृष्ठ पर तालिका में दिये गये विवरण के अनुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
1.	बजट से साधारण पूँजी का बहिर्गमन	0.37	0.50	--
2.	बजट से दिये गये ऋण	679.14	519.44	973.71
3.	उपदान	---	---	---

1.3.6 उपदान

राज्य सरकार परिषद् की ग्रामीण विद्युतीकरण की हानियों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को उपदान देती हैं।

राज्य सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण की हानियों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को उपदान उपलब्ध कराने हेतु विश्व बैंक को एक वचन दिया (मार्च 1979) ताकि परिषद् अपनी औसत पूँजी आधार पर 9.5 प्रतिशत का प्रतिलाभ प्राप्त एवं अनुरक्षित कर सके। उपदान या तो ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों के सम्बन्ध में संचालन व्यय और संचालन राजस्व के मध्य अन्तर अथवा ऐसी कम धनराशि जो कथित प्रतिलाभ को प्राप्त करने और अनुरक्षित करने के लिए आवश्यक थी। वर्ष 1994–95, 1995–96 एवं 1996–97 के लिए राज्य सरकार से क्रमशः 1236.60 करोड़ रुपये, 1517.20 करोड़ रुपये एवं 1556.77 करोड़ रुपये के उपदान प्राप्त हुए। 31 मार्च 1997 को राज्य सरकार से वसूली योग्य उपदान 7404.40 करोड़ रुपये था।

1.3.7 कार्यचालन परिणाम

सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष के, जिनके लेखाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है कार्यचालन परिणाम परिशिष्ट–5 में संक्षिप्त किये गये हैं। इन निगमों के लेखाओं और भौतिक निष्पादन के बारे में प्रमुख बिन्दु प्रस्तर 1.4 से 1.7 में नीचे दिये गये हैं।

1.4 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

1.4.1 परिषद् की पूँजीगत आवश्यकतायें सरकार, जनता, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण के माध्यम से पूरी की जाती हैं।

परिषद् द्वारा सरकार से प्राप्त ऋण सहित 31 मार्च 1997 को अनिस्तारित दीर्घकालीन ऋणों का कुल योग 13027.12 करोड़ रुपये और पिछले वर्ष तक अनिस्तारित 11973.91 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋणों पर 1053.19 करोड़ रुपये (8.80 प्रतिशत) की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता था।

राज्य सरकार तथा अन्य श्रोतों से उपलब्ध किये गये तथा 1996–97 तक के दो वर्षों में प्रत्येक के अंत में अनिस्तारित ऋणों के विवरण निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपये में)

श्रोत	31 मार्च को अनिस्तारित धनराशि 1996	1997	वृद्धि+/कमी– का प्रतिशत
1. राज्य सरकार	9499.77	10447.56	9.98
2. अन्य श्रोत			
(i) केन्द्र सरकार	32.27	29.08	(-) 9.89
(ii) लोक ऋण :			
- ऋण पत्र	667.62	601.13	(-) 9.96
- वाणिज्यिक निक्षेप	7.29	7.15	(-) 1.92
(iii) विदेशी मुद्रा आस्थागित क्रेडिट्स	267.62	381.07	42.40
(iv) वित्तीय संस्थायें	810.11	738.80	(-) 8.80
(v) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	579.38	663.69	14.55
(vi) राज्य सरकार कम्पनियाँ एवं निगमित निकाय	109.85	158.63	44.41
योग	**11973.91**	**13027.12**	**8.80**

1.4.2 सरकार ने 3290.95 करोड़ रुपये तक की सीमा तक के लिए, लिए गये ऋणों के पुनर्भुगतान और उसके ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति दी थी। 31 मार्च 1997 को उसके विरुद्ध अनिस्तारित धनराशि 2459.38 करोड़ रुपये तथा 2301.93 करोड़ जापानी येन (667.56 करोड़ रुपये के तुल्यांक) सकल 3126.94 करोड़ रुपये थी।

1.4.3 31 मार्च 1997 तक के तीन वर्षों के अन्त में लेखाओं के आधार पर परिषद् की वित्तीय स्थिति निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97 (अनन्तिम)
अ	**देयतायें**			
	दीर्घकालीन ऋण:			
	(अ) सरकार से	8980.33	9499.77	10447.56
	(ब) अन्य श्रोतों से	2701.57	2474.14	2279.56

* वर्ष के प्रारम्भ में कर्मचारियों की संख्या को इंगित करता है।

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97 (अनन्तिम)
	राजकीय प्रदान एवं अनुदान			
	(अ) सरकार से	108.66	128.66	168.55
	(ब) अन्य श्रोतों से	6.85	15.58	32.57
	आरक्षित निधि एवं अतिशेष	1017.58	1209.09	1526.26
	चल देयतायें एवं प्रावधान	6747.19	8800.21	10541.92
	योग अ	**19562.18**	**22127.45**	**25296.42**
ब	**सम्पत्तियाँ**			
	कुल अचल सम्पत्तियाँ	11811.08	12925.28	14032.16
	घटाया–मूल्य ह्रास	2307.66	2815.91	3533.56
	घटाया–उपभोक्ता योगदार	625.22	693.41	781.24
	निबल अचल सम्पत्तियाँ	8878.20	9415.96	9717.36
	पूँजीगत प्रगतिशील कार्य	1713.33	1559.39	1939.14
	चल सम्पत्तियाँ	4484.24	5132.24	5965.81
	सरकार से प्राप्य उपदान	4331.60	5848.10	7404.40
	निवेश	154.42	171.29	269.23
	(अ) अमूर्त सम्पत्तियाँ	0.39	0.47	0.48
	(ब) संचित घाटा	--	--	--
	योग ब	**19562.18**	**22127.45**	**25296.42**
स	**नियोजित पूँजी**	12814.60	13326.77	14754.02

नियोजित निबल अचल सम्पत्तियाँ (प्रकतिशील कार्य सम्मिलित) एवं कार्यशील पूँजी का प्रतिनिधित्व करती है।

1.4.4 परिषद् के 1996–97 तक के लेखाओं के अनुसार तीन वर्षों के कार्यचालन परिणाम नीचे संक्षेपित हैं:

(करोड़ रुपये में)

		विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
1.	(अ)	राजस्व प्राप्तियाँ	3486.10	4134.52	4250.96
	(ब)	राज्य सरकार से उपदान	1236.60	1517.20	1556.77
	(स)	योग	4722.70	5651.72	5807.73
2.		राजस्व व्यय (पूँजीगत निबल व्यय) अमूर्त सम्पत्तियों के अपलेखन सहित किन्तु ह्रास तथा ब्याज रहित	2914.75	3730.34	3785.17

		विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
					(करोड़ रुपये में)
3.		कुल अधिशेष/(–) वर्ष के लिए घाटा (1–2)	1808.04	1921.38	2022.56
4.		विगत वर्ष से सम्बन्धित उपयोजन	10.60	0.94	346.56
5.		अन्तिम सकल अधिशेष/(–) वर्ष के लिए घाटा (3+4)	1818.64	1922.32	2369.12
6.		विनियोग			
	(अ)	ह्रास (घटाया पूँजीगत)	391.60	522.77	736.67
	(ब)	सरकारी ऋणों पर ब्याज	902.38	966.73	1036.16
	(स)	अन्य ऋणों, ऋणपत्रों, अग्रिमों आदि पर ब्याज	510.61	585.12	624.84
	(द)	ऋणों पर कुल ब्याज (ब+स)	1412.99	1551.85	1661.00
	(ई)	घटाया–पूँजीगत ब्याज	244.39	174.50	199.34
	(फ)	राजस्व पर भारित कुल ब्याज (द–इ)	1168.60	1377.35	1461.66
7.		राज्य सरकार से प्राप्त उपदान को लेखे से पूर्व अधिशेष/(–) घाटा (5–6 (अं)– 6 (फ)–1 (ब)	(-)978.25	(-)1495.00	(-)1385.98
8.		निबल अधिशेष/(–) घाटा (5–6) (अ)–6 (फ)	258.44	22.20	170.79
9.		नियुक्त पूँजी पर कुल प्रतिलाभ*	1427.04	1399.55	1632.45
10.		नियुक्त पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	11.14	10.50	11.06

1.4.5 परिषद् के कार्यचालन परिणामों पर लेखापरीक्षा का निर्धारण

1996–97 तक के तीन वर्षों में परिषद् के कार्यचालन परिणामों पर लेखापरीक्षा के मूल्याकंन के आधार पर तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो कि परिषद् के वार्षिक लेखाओं पर आधारित थे, मुख्य कमियों और चूकों को दृष्टिगत रखते हुए किन्तु राज्य सरकार से प्राप्त उपदान अंशों को अनदेखा करते हुए, परिषद् के पूँजीगत प्रतिलाभ तथा पूँजीगत निवेशों के प्रतिशत की शुद्ध बढ़त/घटत का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है:

* नियुक्त पूँजी पर कुल प्रतिलाभ निबल अधिशेष/घाटा जमा लाभ हानि लेखे पर भारित कुल ब्याज (पूँजीगत ब्याज घटाकर) प्रतिनिधित्व करता है।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
1.	निबल अधिशेष/(–) घटत लेखे की पुस्तकों के अनुसार	258.44	22.20	170.79
2.	राज्य सरकार से उपदान	1236.60	1517.20	1556.77
3.	राज्य सरकार से उपदान के पूर्व निबल अधिशेष/ (–) घटत (1–2)	(-)978.16	(-)1495.00	(-)1385.98
4.	परिषद् के वार्षिक लेखे पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर निबल अधिशेष/ (–) घटत में निबल बढ़त/घटत	(-)95.47	(-)128.73	(-) 20.33
5.	राज्य सरकार से अनुदान के पूर्व लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रभाव के पश्चात् निबल अधिशेष /(–) घटत (3–4)	(-)1073.63	(-)1623.73	(-)1506.31
6.	नियुक्त पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	94.97	(-)246.38	(-)44.65
7.	नियुक्त पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	0.74	--	--

1.4.6 निम्न तालिका परिषद् का 1996–97 तक के तीन वर्षों का संचालन/संपादन इंगित करती है:

	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
1-	संस्थापित क्षमता (एम.डब्ल्यू)			
	(अ) तापीय	4544.00	4544.00	4544.00
	(ब) जलीय	1504.75	1504.75	1504.75
	योग	**6048.75**	**6048.75**	**6048.75**
2-	उत्पादित विद्युत (एम. के. डब्ल्यू.एच.)			
	(अ) तापीय	15611.00	17813.00	18423.00
	(ब) जलीय	6064.00	5014.00	5232.00
	योग	**21675.00**	**22827.00**	**23655.00**
	(स) घटाया:सहायक उपभोग	1642.00	1732.00	1812.00
	(द) निबल उत्पादित विद्युत	20033.00	21095.00	21843.00
	(इ) क्रय की गई विद्युत	13331.00	14014.00	14009.00
	(फ) बिक्री हेतु उपलब्ध कुल विद्युत (द+ई)	33364.00	35109.00	35852.00

	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
3-	बिक्री की गई विद्युत (एम. के. डब्ल्यू.एच.)	25810.00	26771.00	27041.00
4-	आवेषण एवं वितरण हानियां (एम. के. डब्ल्यू.एच.)	7554.00	8338.00	8811.00
5-	आवेषण एवं वितरण हानियों का प्रतिशत	22.64	23.75	24.58
6-	संस्थापित क्षमता की प्रति के0डब्ल्यू0 उत्पादित इकाईयाँ (के0डब्ल्यू0एच0)	3583.41	3774.84	3911.00
7.	संस्थापित क्षमता से उत्पादन का प्रतिशत	40.80	42.96	44.64
8.	संयंत्र भार कारक का प्रतिशत	43.59	47.48	49.24
9.	वर्ष के अन्त में विद्युतीकृत ग्राम एवं कस्बे (संख्या)	85334	85657	NA
10.	वर्ष के अन्त में ऊर्जीकृत पम्पसेट्स/नलकूप (संख्या):			
	(अ) निजी नलकूप	706404	729356	NA
	(ब) राज्य नलकूप	31916	NA	NA
11.	संयोजित भार (एम0डब्ल्यू0)	12843	13385	13954
12.	उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में)	58.87	61.40	64.53
13.	कर्मचारियों की संख्या	97711	96153	96053
14.	प्रति एम0के0डब्ल्यू0एच0 कर्मचारी लागत (लाख रुपये में)	2.05	2.18	2.62
15.	उपभोक्ताओं की श्रेणियों के अनुसार बिक्री की गई इकाईयों का विवरण			
	(अ) कृषि	9485	9507	9800
	(ब) उद्योग	6281	6674	6290
	(स) वाणिज्यिक	1901	2134	1902
	(द) घरेलू	6025	6148	6479
	(इ) अन्य	2118	2300	2493
	योग	**25810**	**26771**	**26964**
16.	(अ) प्रति के0डब्ल्यू0एच0 राजस्व (पैसे)	135	143	148
	(ब) प्रति के0डब्ल्यू0एच0 व्यय (नैसे)	172	210	218
	(स) प्रति के0उब्ल्यू0एच लाभ (+) हानि (–) (पैसे)	(-) 37	(-) 67	(-)70

1.5 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

1.5.1 अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार, राज्य एवं केन्द्रीय सरकारें निगम द्वारा अपेक्षित पूँजी को 4:1 के अनुपात में जो जनवरी 1976 में 1:1 में संशोधित कर दिया गया उपलब्ध कराती हैं।

31 मार्च 1997 को निगम की प्रदत्त साधारण पूँजी 314.69* करोड़ रुपये (राज्य सरकार: 245.44 करोड़ रुपये एवं केन्द्र सरकार: 69.25 करोड़ रुपये) 31 मार्च 1996 के 314.01 करोड़ रुपये (राज्य सरकार: 244.76 करोड़ रुपये एवं केन्द्र सरकार: 69.25 करोड़ रुपये) के विरुद्ध थी। पुनः 31 मार्च 1997 को 123.37* करोड़ रुपये के ऋण (राज्य सरकार: 10.54 करोड़ रुपये, भारतीय जीवन बीमा निगम:44.27 करोड़ रुपये तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक:68.36 करोड़ रुपये व अन्य:0.20 करोड़ रुपये) अनिस्तारित थे। राज्य सरकार ने निगम द्वारा अन्य श्रोतों से ऋणों के पुनर्भुगतान तथा उसके ब्याज के भुगतान की प्रतिभूतियाँ दी थीं। 31 मार्च 1997 को उनके विरुद्ध बकाया मूलधन अधोलिखित विवरणानुसार था:

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	प्रत्याभूत धनराशि	31 मार्च 1997 को बकाया धनराशि
(i)	बैंकों से नकद उधार	6.00	6.00
(ii)	भारतीय जीवन बीमा निगम	24.97	16.94
(iii)	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	24.89	13.89
	योग	**55.86**	**36.83**

1.5.2. निगम ने वर्ष 1996–97 के लेखाओं को अद्यतन (अक्टूबर 1997) अन्तिमीकृत नहीं किया। वर्ष 1995–96 तक के तीन वर्षों के अन्त में निगम की वित्तीय स्थिति निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
(अ)	**देयतायें**			
	पूँजी	313.13	313.51	314.01
	आरक्षित निधि एवं अधिशेष	1.38	0.95	0.29
	ऋण	112.40	127.34	147.62
	व्यापार बकायें एवं अन्य चल देयतायें	80.77	122.25	163.42
	योग–अ	**507.68**	**564.05**	**625.34**

* आंकड़े प्रबन्धन द्वारा बताये गये।

	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
(ब)	**परिसम्पत्तियाँ**			
	कुल परिसम्पत्तियाँ	452.71	483.44	498.95
	घटायाः ह्रास	306.67	318.01	329.64
	निबल अचल परिसम्पत्तियाँ	146.04	165.43	169.31
	पूँजीगत प्रगतिशील कार्य	4.20	4.88	3.29
	निवेश	0.80	0.80	1.30
	चल परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	52.67	52.71	63.14
	संचित हानियाँ	303.97	340.23	388.30
	योग–ब	**507.68**	**564.05**	**625.34**
(स)	**नियोजित पूँजी***	122.94	101.57	73.62

1.5.3. 1995–96 तक के तीन वर्षों में निगम के कार्यचालन परिणाम नीचे संक्षिप्त किये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
कुल राजस्व	444.43	457.91	505.91
कुल व्ययः			
(अ) ब्याज के अतिरिक्त	435.58	473.36	525.14
(ब) ब्याज	17.60	20.17	22.64
योग	**453.18**	**493.53**	**547.78**
निबल हानि	8.75	35.62	41.87
नियोर्जित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	8.85	- 15.45	-19.23
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	7.20	--	--

निगम ने वर्ष 1994–95 में 35.62 करोड़ रुपये की हानि की तुलना में वर्ष 1995–96 में 41.87 करोड़ रुपये की हानि उठाई। निगम की हानि 1994–95 की तुलना में वर्ष 1995–96 के दौरान 17.55 प्रतिशत से वृद्धिगत हुई। 1995–96 के दौरान हानि का श्रेय मुख्यतः संचालन व्यय, ईंधन एवं तेल, मरम्मत एवं अनुरक्षण, कल्याण एवं प्रशासनिक व्ययों के मूल्य में वृद्धि को था।

वर्ष 1995–96 के अन्त में संचित हानियाँ 388.30 करोड़ रूपये थीं।

* नियोजित पूँजी निबल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिशील कार्य सहित) जमा कार्यशील पूँजी को दर्शाती है।

1.5.4 नीचे दी गई तालिका निगम के 1996–97 तक के तीन वर्षों का भौतिक सम्पादन इंगित करती है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
अधिकृत वाहनों की औसत संख्या (प्रभावी बेड़ा)	7920	7753	7570
चालू वाहनों* की औसत संख्या	6891	6552	6432
उपयोजन का प्रतिशत	87	85	85
तय किये गये किलोमीटर (लाख में)			
–कुल	6507	6538	6224
–प्रभावी	6344	6377	6072
–निष्प्रभावी	163	161	152
कुल किलोमीटरों से निष्प्रभावी किलोमीटरों का प्रतिशत	2.50	2.46	2.44
प्रति बस प्रतिदिन तय किये गये औसत किलोमीटर	210	211	206
प्रतिकिलोमीटर औसत राजस्व (पैसे)	722	793	883
प्रतिकिलोमीटर औसत व्यय (पैसे)	778	859	947
प्रति किलोमीटर हानि (पैसे)	56	66	64
कुल मार्ग किलोमीटर (लाख में)	5.98	5.94	5.62
संचालित डिपो की संख्या	109	110	110

* वाहनों में बसें, टैक्सी व ट्रक सम्मिलित हैं।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
प्रति लाख किलोमीटर पर व्यवधानों की औसत संख्या	4.43	4.83	5.70
प्रति लाख किलोमीटर पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.20	0.21	0.20
यात्री किलोमीटर			
–अनुसूचित (लाख में)	341371	343235	327009
–संचालित (लाख में)	221891	236832	219096
अधिभोग अनुपात (प्रतिशत)	65	69	67

1.6 उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

1.6.1 31 मार्च 1996 व 31 मार्च 1997 को निगम की प्रदत्त पूँजी 100 करोड़ रुपये थी (राज्य सरकार:63.12 करोड़ रुपये, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक:34.21 करोड़ रुपये एवं अन्य:2.67 करोड़ रुपये)।

1.6.2 राज्य सरकार ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 6(1) के अन्तर्गत 10.32 करोड़ रुपये की अंशपूँजी के पुनर्भुगतान व उस पर 3.5 प्रतिशत न्यूनतम लाभांश के भुगतान की प्रत्याभूति दी। वर्ष 1996–97 के दौरान, निगम की कुल आय 179.85 करोड़ रुपये थी व राजस्व व्यय 194.11 करोड़ रुपये (अनन्तिम) थे। अतः, 14.26 करोड़ रुपये का घाटा था।

सरकार ने निगम द्वारा उठाये गये 694.71 करोड़ रुपये के बाजार ऋण (ऋणपत्र एवं डिबेन्चर) के पुनर्भुगतान की ही प्रत्याभूति दी थी।

1.6.3 1996–97 तक के तीन वर्षों में से प्रत्येक के अन्त में निगम की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
(अ) देयतायें			
(i) प्रदत्त पूँजी	100.00	100.00	100.00
(ii) आरक्षित निधि एवं अतिशेष	9.64	23.95	--

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
(iii) ऋण:			
(अ) ऋणपत्र	428.28	491.45	694.71
(ब) अन्य*	459.98	572.25	591.26
(iv) अन्य देयतायें व प्रावधान	86.43	22.10	157.50
योग अ	**1084.33**	**1209.75**	**1543.47**
परिसम्पत्तियां			
(i) नकद एवं बैंक अतिशेष	32.98	38.20	73.67
(ii) निवेश	0.75	2.26	2.63
(iii) ऋण एवं अग्रिम	921.65	1105.78	1254.38
(iv) निबल अचल परिसम्पत्तियां	11.33	30.59	59.05
(v) अन्य परिसम्पत्तियां	117.62	32.92	21.28
(vi) लाभ व हानि लेखे	--	--	132.46
योग ब	**1084.33**	**1209.75**	**1543.47**
(स) नियोजित पूँजी**	977.56	1092.78	1220.58

1.6.4 निगम के वर्ष 1996–97 तक के तीन वर्षों के कार्यचालन परिणाम नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
आय			
(अ) ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	106.26	149.88	163.30
(ब) अन्य आय	3.69	12.59	16.55
योग	**109.95**	**162.47**	**179.85**
व्यय			
(अ) दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज	72.15	111.65	151.21
(ब) अन्य व्यय	14.48	19.89	42.90
योग	**86.63**	**131.54**	**194.11**
कर पूर्व लाभ (+)/हानि (–)	(+)23.32	(+)30.93	(-)14.26

* 18.60 करोड़ रूपये की अंशपूँजी के बदले 1994–95, 1995–96 तथा 1996–97 में ऋणों को सम्मिलित करता है।

** नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी की अधिशेष व अतिशेष के औसत का साम्य, ऋणपत्रों व डिबेंचरों, आरक्षित निधियों, ऋणों (पुनर्वित्त पोषण सहित) का प्रतिनिधित्व करता है।

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
कर पश्चात लाभ (+)/हानि (–)	(+)23.32	(+)30.93	(-)14.26
अन्य विनियोजन	19.30	27.95	--
लाभांश हेतु उपलब्ध धनराशि	4.02	2.98	--
भुगतान योग्य लाभांश	---	---	--
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	95.47	132.58	--
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	9.77	12.13	--

नीचे दी गई तालिका 1996–97 तक के तीन वर्षों के लिए प्रार्थना पत्रों की प्राप्तियों और निस्तारणों से सम्बन्धित स्थिति इंगित करती है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1994-95		1995-96		1996-97	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित प्रार्थनापत्र	72	7.68	145	58.95	261	110.46
प्राप्त प्रार्थनापत्र	1193	441.98	1939	860.22	2982	994.11
योग	**1265**	**449.66**	**2084**	**919.17**	**3243**	**1104.57**
स्वीकृत प्रार्थनापत्र	974	333.14	1593	620.34	2687	707.45
निरस्त/वापस लिये गये/ अस्वीकृत/लघुकृत प्रार्थनापत्र	146	37.69	230	132.09	381	160.36
वर्ष के अन्त में लम्बित प्रार्थनापत्र	145	78.83	261	110.46	175	68.43
वितरित ऋण	643	175.89	1227	389.39	1491	423.14

विवरण	1994-95		1995-96		1996-97	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
वर्ष के अन्त् में अनिस्तारित ऋण	26068	921.65	27187	1105.78	NA	1254.38
वर्ष के अन्त में वसूली हेतु अतिदेय धनराशि:						
(अ) मूलधन	--	136.06	--	124.47	--	137.65
(ब) ब्याज	--	331.19	--	404.95	--	370.52
योग		**467.25**	--	**529.42**	--	**508.17**
वसूली प्रमाणपत्र प्रकरणों में निहित धनराशि	--	127.92	--	90.65	--	146.18
योग	--	**595.17**	--	**620.07**	--	**654.35**
कुल अनिस्तारित ऋणों से बकाये का प्रतिशत	--	64.58	--	56.08	--	52.17

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 31 मार्च 1997 को 1254.38 करोड़ रुपये (ब्याज रहित) के अनिस्तारित ऋणों में से 508.17 करोड़ रुपये (370.52 करोड़ रुपये के ब्याज सहित) की एक धनराशि वसूली के लिए अतिदेय थी। कुल बकाये से अतिदेय राशि का प्रतिशत 1994–95 के 64.58 प्रतिशत से 1995–96 में 56.08 प्रतिशत तक घटा एवं वर्ष 1996–97 में पुनः घटकर 52.17 प्रतिशत हो गया।

निगम द्वारा अतिदेय ऋणों का वर्षवार विश्लेषण नहीं किया गया। रूग्ण एवं बन्द इकाईयों में निवेश के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

31 मार्च 1997 तक निगम ने निष्पादन न करने वाली परिसम्पत्तियों के लिए 142.02 करोड़ रुपये का संचित प्रावधान किया। इसके अतिरिक्त निगम ने 1994–95 (0.23 करोड़ रुपये), 1995–96 (0.33 करोड़ रुपये) एवं 1996–97 (13.80 करोड़ रुपये) के अशोध्य ऋणों का अपलेखन कर दिया।

1.7 उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

1.7.1 31 मार्च 1997 को निगम की प्रदत्त पूँजी 11.17 करोड़ रुपये (राज्य सरकार:5.99 करोड़ रुपये व केन्द्रीय भण्डारागार निगम:5.18 करोड़ रुपये), 31 मार्च 1996 के प्रदत्त पूँजी 10.27 करोड़

रुपये (राज्य सरकार:5.59 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय भण्डारागार निगम:4.68 करोड़ रुपये) के विरुद्ध थी।

1.7.2 निगम द्वारा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान एवं उन पर ब्याज के भुगतान के लिए सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के विवरण निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	**प्रत्याभूति का वर्ष**	**प्रत्याभूति की धनराशि**	**31 मार्च 1997 को अनिस्तारित**		
			मूलधन	**ब्याज**	**योग**
1. भूमि विकास बैंक से ऋण	1986-87	0.45	1.20	0.11	1.31
2. पंजाब नेशनल बैंक से ऋण	1989-90 तथा 1990-91	4.53	--	0.09	0.09
	योग	**4.98**	**1.20**	**0.20**	**1.40**

1.7.3 31 मार्च 1997 तक के तीन वर्षों में प्रत्येक के अन्त में निगम की वित्तीय स्थिति निम्नवत दर्शायी गयी है:

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	**1994-95**	**1995-96**	**1996-97**
(अ)	**देयतायें**			
	प्रदत्त पूँजी	9.57	10.27	11.17
	आरक्षित निधियाँ एवं अतिशेष	8.47	11.94	12.44
	ऋण	5.02	2.67	2.57
	व्यापार बकाये एवं अन्य चल देयतायें	10.37	12.91	12.04
	योग–अ	**33.43**	**37.79**	**38.22**
(ब)	**परिसम्पत्तियाँ**			
	कुल परिसम्पत्तियाँ	34.02	38.53	39.39
	घटाया–ह्रास	13.27	14.15	14.72

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
निबल अचल सम्पत्तियाँ	20.75	24.38	24.67
पूँजीगत प्रगतिशील कार्य	1.03	0.49	0.77
चल सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	11.65	12.92	12.78
योग—ब	**33.43**	**37.79**	**38.22**
(स) नियोजित पूँजी*	**23.06**	**24.88**	**26.18**

1.7.4 निगम का 1996–97 तक के तीन वर्षों का कार्यचालन परिणाम नीचे संक्षिप्त किया गया है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
आय			
(अ) भण्डारण प्रभार	14.98	19.55	15.51
(ब) अन्य आय	0.26	0.54	5.04
योग	**15.24**	**20.09**	**20.55**
व्यय			
(अ) स्थापना प्रभार	8.75	10.57	10.83
(ब) ब्याज	0.89	0.42	0.27
(स) अन्य व्यय	2.76	3.63	7.39
योग	**12.40**	**14.62**	**18.49**
निबल लाभ (+)/ हानि(–)	+ 2.84	+5.47	+2.06
पूर्व अवधि के समायोजन	- 0.13	-1.23	-1.35
कर पूर्व लाभ	+ 2.71	+4.24	+0.71
लाभांश के लिए उपलब्ध धनराशि	2.71	4.24	0.71
सामान्य आरक्षित निधि से/को हस्तांतरण	2.31	3.75	0.50
प्रस्तावित लाभांश	0.40	0.47	0.21

* नियोजित पूँजी, निबल अचल परिसम्पत्तियों (कार्यशील पूँजी सहित) जमा कार्यशील पूँजी को दर्शित करती है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ :	(+) 3.60	+4.66	+0.98
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	15.61	18.73	3.74

1.7.5. निगम का 1996–97 तक के तीन वर्षो का भौतिक सम्पादन निम्नवत संक्षिप्त किया गया है:

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
प्रबन्धित केन्द्रों की संख्या	102	100	100
वर्ष के अन्त तक उत्पन्न की गई भण्डारण क्षमता:–		**(लाख टनों में)**	
(अ) अधिष्ठित	11.54	11.72	11.78
(ब) किराये पर	1.17	1.33	1.17
योग	**12.71**	**13.05**	**12.95**
उपयोजित औसत क्षमता	9.22	11.72	10.40
उपयोजन का प्रतिशत	72.54	89.80	80.25
		(रुपये प्रति टन)	
औसत राजस्व	161.06	166.81	149.13
औसत व्यय	136.44	124.74	177.78
औसत निबल आय	+ 24.62	+42.07	-28.65

अध्याय II

सरकारी कम्पनियों पर समीक्षायें

अध्याय–II

अनुच्छेद 2अ
उत्तर प्रदेश राज्य स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	प्रस्तावना	48
1.2	उद्देश्य व गतिविधियां	49
1.3	संरचनात्मक ढाँचा	49
1.4	लेखा–परीक्षण का क्षेत्र	49
1.5.1	वित्तीय स्थिति	50
1.5.2	कार्य चालन परिणाम	51
2.1	क्षमता उपयोजन	53
2.2	श्रम, उत्पादकता एवं तकुआ दक्षता	56
2.3	सूत की प्राप्ति	57
2.4	प्रति तकुआ पारी में निम्न उत्पादन के कारण हानि	59
3.1	लागत विश्लेषण	60
3.2	सूत के निम्न कोटि काउन्ट के उत्पादन में उच्चकोटि के कपास के उपयोग के कारण हानि	61
3.3	कच्चे माल की अधिप्राप्ति में हानि	63
3.4	बीमा प्रीमियम पर परिहार्य व्यय	65
3.5	विस्कोस तन्तु रेशे के आयात में हानि	67
3.6	विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान	68
4.1	निर्यात कोटि के सूत का उत्पादन	69
4.2	निर्यात होने वाले सूत की घटिया कोटि के कारण हानि	70
5.1	बाजार निर्णयों में पारदर्शिता का अभाव	71
5.2	सूत की बिक्री की अवरोही प्रवृत्ति	71
5.3	भण्डार की विलम्बित निकासी के कारण हानि	73
6.1	ड्राफ्टिंग कनवर्जन में अतिरिक्त व्यय	74
6.2	पुरानी मशीनों का घटिया मशीनों द्वारा प्रतिस्थापन के कारण हानि	74
7	भण्डार नियंत्रण	76
8	जनशक्ति विश्लेषण	78
	उपसंहार	79

अनुच्छेद 2अ

उत्तर प्रदेश राज्य स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड

मुख्य अंश

कम्पनी का निगमन अगस्त 1974 में, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड (राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी) की नियंत्रित कम्पनी के रूप में किया गया, जो कि रायबरेली, बाराबंकी, अकबरपुर तथा मऊ में 50,000 तकुए प्रत्येक की क्षमता वाली चार कताई मिलों में कपास और स्टेपिल/पॉलिस्टर सूत के निर्माण में लगी थी। अकबरपुर इकाई तालाबन्दी के कारण जून 1990 से बन्द पड़ी थी।

(प्रस्तर 2 अ.1.1)

कम्पनी ने 1995–96 तक पाँच वर्षों के दौरान (1993–94 को छोड़कर) 2.18 करोड़ रुपये से 19.86 करोड़ रुपये के मध्य श्रेणीबद्ध घाटा उठाया। 1995–96 के अन्त तक कुल संचित हानियाँ 1992–93 के 98 करोड़ रुपये से बढ़कर 115.25 करोड़ रुपये हो गयी, जिससे 78.43 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी का क्षरण हो गया।

(प्रस्तर 2अ.1.5.1 तथा 2अ.1.5.2)

कम्पनी ने नियंत्रण योग्य कारकों से 83.73 लाख किलोग्राम सूत का उत्पादन खो दिया जिसके फलस्वरूप यह 20.19 करोड़ रुपये की उपरिव्यय लागत वसूल न कर सकी।

(प्रस्तर 2अ.2.1)

उत्पादन के विभिन्न चरणों में कपास व संश्लेषित सूत अपशिष्ट पर लागू काटन टेक्सटाईल रिसर्च एसोशियेसन (सी.टी.आर.ए.एस.) के मानकों से तुलना करने पर, कम्पनी ने 1995–96 तक पाँच वर्षों के दौरान अपशिष्ट के अतिशय प्रतिशत का पंजीयन किया जिसके फलस्वरूप जब मानकों से तुलना की गई तब 6.27 करोड़ रुपये मूल्य के 17.24 लाख किलोग्राम कच्चे माल की हानि फलित हुई।

(प्रस्तर 2अ.2.3)

मशीनों की धीमी तकुआ गति के कारण प्रति तकुआ पारी में निम्न उत्पादन हुआ जिसके परिणामस्वरूप 1995–96 तक पाँच वर्षों के दौरान 15.36 करोड़ रुपये के 22.77 लाख किलोग्राम सूत के उत्पादन की हानि हुई

(प्रस्तर 2अ.2.4)

घटिया कोटि के सूत के उत्पादन हेतु उत्कृष्ट कोटि के कपास के प्रयोग से 1995–96 के दौरान 0.17 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2अ.3.2)

कम्पनी ने न्यूनतम् भण्डार स्तर बनाने हेतु अपेक्षित पर्याप्त कपास की अपर्याप्ता के फलस्वरूप तथा भुगतानों में विलम्ब के कारण परिचालन व्यय वहन करने के फलस्वरूप 0.83 करोड़ रुपये का घाटा उठाया।

(प्रस्तर 2अ.3.3)

कम्पनी ने विद्युत व्यय के परिहार्य भुगतान (0.56 करोड़ रुपये), कन्साईन्मेंट बिक्री में अतिरिक्त करार दायित्व (0.56 करोड़ रुपये), रिंग फ्रेमों के कर्षण रूपान्तर पर अतिरिक्त व्यय (1.09 करोड़ रुपये) तथा निम्न कोटि की मशीनों की प्राप्ति पर हानि (0.20 करोड़ रुपये) के फलस्वरूप 2.41 करोड़ रुपये का घाटा उठाया।

(प्रस्तर 2अ.3.6, 2अ.5.2(ii), 2अ.6.1 तथा 2अ.6.2)

2अ.1.1. प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड (यू.पी.एस.एस.सी.), कानपुर [पूर्वकालीन उत्तर प्रदेश राज्य स्पिनिंग मिल (संख्या 1) लिमिटेड], अकबरपुर, रायबरेली, मऊनाथ भंजन (मऊ) एवं बाराबंकी में 25000 तकुए प्रत्येक की क्षमता वाली चार कताई मिलों को स्थापित एवं संचालित करने के लिये, अगस्त 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड (राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी) की नियंत्रित कम्पनी के रूप में संस्थापित की गई थी। 1975–76 के दौरान संस्थापित 25000 तकुए प्रत्येक की क्षमता को 1981–83 के दौरान 50000 तकुए प्रत्येक तक बढ़ा दिया गया था। रायबरेली, बाराबंकी तथा मऊ की मिलों का आधुनिकीकरण अगस्त, 1987 में आरम्भ किया गया तथा 17.12 करोड़ रुपये की लागत पर जून 1991 में पूर्ण किया गया। अकबरपुर इकाई तालाबंदी के कारण जून 1990 से बंद पड़ी थी।

2अ.1.2. उद्‌देश्य एवं क्रियाकलाप

कपास कताई यंत्र तथा द्विगुणक, तम्बू निर्माता, सूत व्यापारी, विरंजक तथा रंगरेज, क्रय, धुनाई, कताई, रंगाई का व्यवसाय एवं कपास व अन्य रेशेदार पदार्थों का व्यापार करना, कपास इकाइयों को स्थापित करना तथा सभी प्रकार के धागों का निर्माण एवं/अथवा व्यापार करना, कम्पनी के मुख्य उद्‌देश्य हैं।

इन उद्‌देश्यों का अनुसरण करने के लिए, कम्पनी वर्तमान में विभिन्न काउन्ट* के तन्तु/पॉलिस्टर सूत के निर्माण एवं विक्रय में कार्यरत है।

2अ.1.3. संगठनात्मक ढाँचा

कम्पनी का प्रबन्धन, एक निदेशक मण्डल में निहित है। 31 मार्च 1996 को इसमें सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रबन्ध निदेशक सरकार द्वारा नामित दस निदेशक तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.आई.), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.सी.आई.), तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.आई.) द्वारा नामित एक–एक निदेशक सहित तेरह निदेशक थे। दिन प्रतिदिन के मामलों में प्रबन्ध निदेशक, मुख्यालय पर एक प्रबन्धक (तकनीकी) एवं एक वित्त अधिकारी द्वारा तथा मिलों के संचालन हेतु सम्बन्धित मुख्य कार्यकारियों द्वारा सहयोग प्राप्त करता है। कम्पनी सचिव तथा नियंत्रक (वित्त) के पद जून 1994 से रिक्त पड़े थे।

2अ.1.4. लेखा परीक्षा का क्षेत्र

कम्पनी के कार्यों की समीक्षा अन्तिम बार 1985–86 में, 31 मार्च 1986 को समाप्त हुये वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार के लिए की गई थी। सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा प्रतिवेदन पर सितम्बर, 1997 तक चर्चा नहीं की गई थी। अगस्त 1996 और मार्च 1997 के मध्य सम्पन्न की गई वर्तमान समीक्षा में कम्पनी तथा इसकी तीनों मिलों (रायबरेली, मऊ एवं बाराबंकी) के 1991–92 से 1995–96 तक पाँच वर्षों के क्रियाकलापों की छानबीन की गई जिनके परिणाम अगले पृष्ठ पर उल्लिखित प्रस्तरों में प्रस्तुत किये गये हैं :

---

* काउन्ट सूत की लम्बाई का मापक है, जो इंगित करता है कि एक पाउन्ड भार में कितने लच्छे बनें, प्रत्येक लच्छा 840 गज सूत का होता है।

2अ.1.5 वित्तीय एवं कार्यचालन परिणाम

2अ.1.5.1 वित्तीय स्थिति

कम्पनी की वित्तीय स्थिति 1995–96 तक के प्रत्येक पाँच वर्षों के अन्त में संक्षेप में निम्नलिखित थी :

(लाख रुपयों में)

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
देयतायें					
प्रदत्त पूँजी	4601.84	7107.84	7842.84	7842.84	7842.84
आरक्षित एवं अधिशेष	220.14	220.14	205.67	34.85	35.43
ऋण	6319.18	4329.73	4623.32	3732.38	4380.66
चालू देयतायें	3652.78	3968.06	4404.30	5331.91	6806.67
योग	**14793.94**	**15625.77**	**17076.13**	**16941.98**	**19065.60**
परिसम्पत्तियाँ					
निबल अचल परिसम्पत्तियाँ	1555.35	1402.87	1465.61	1416.10	1312.35
पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य	54.54	11.49	10.43	29.33	24.94
चालू परिसम्पत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम	3381.25	3023.12	4834.35	4513.84	6201.32
बट्टेखाते में न डाले गये विविध व्यय	2.40	1.80	3.60	2.40	1.80
संचित हानियाँ	9800.40	11186.49	10762.14	10980.31	11525.19
योग	**14793.94**	**15625.77**	**17076.13**	**16941.98**	**19065.60**
नियोजित पूँजी*	2577.39	2543.45	4042.64	1431.11	3554.31
निबल पूँजी**	-4980.82	-3860.31	-2717.23	-3105.02	-3648.72

* नियोजित पूँजी में निबल अचल परिसम्पत्तियां (पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य सहित) एवं कार्यचालन पूँजी शामिल है।

** निबल पूँजी में प्रदत्त पूँजी एवं आरक्षित पूँजी (अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों को छोड़कर) शामिल है।

31 मार्च 1996 के अन्त में कम्पनी की संचित हानियाँ 115.25 करोड़ रुपये थी, जिसके कारण कम्पनी की प्रदत्त पूँजी पूरी तरह से क्षरित हो चुकी थी। 1993–94 का घाटा, सरकारी ऋण पर ब्याज के न लगाये जाने के कारण, जो कि प्रदत्त पूँजी में बदल दिया गया था, कम दिखाई पड़ता है। निबल पूँजी भी पिछले पाँच सालों में नकारात्मक है परन्तु सरकारी ऋण एवं उस पर ब्याज के प्रदत्त पूँजी में बदल जाने से वर्ष 1991–92 की तुलना में 1992–93 एवं 1993–94 के वर्षों में निबल पूँजी में कुछ सुधार देखने को मिलता है।

2अ.1.5.2 कार्यचालन परिणाम

1995–96 तक के पाँच वर्षों के अन्त में कम्पनी के कार्यचालन परिणाम का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:–

(लाख रुपयों में)

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
बिक्री					
(उत्पादन शुल्क रहित)	9509.88	10202.09	11640.52	14593.78	15113.44
जोड़ाः भण्डार में वृद्वि (+)/ ह्रास (–)	(-) 383.24	(-) 171.67	(+) 521.80	(+) 15.54	(+) 493.65
घटायाः विक्रय व्यय,					
चुँगी एवं ढुलाई	178.72	232.65	291.05	372.29	409.88
उत्पादन लागत	**8947.92**	**9797.77**	**11871.27**	**14237.03**	**15197.21**
घटायाः परिवर्तनीय	7682.81	8169.35	8949.56	11604.53	12479.69
लागत*	(85.9)	(83.4)	(75.4)	(81.5)	(82.3)
अंशदानित लागत	**1265.11**	**1628.42**	**2921.71**	**2632.50**	**2717.52**
घटायाः कर्मचारी लागत	1607.90	1532.36	1696.57	1783.48	1967.49

* परिवर्तनीय लागत में कच्चा माल, भण्डार, विद्युत एवं ईंधन की खपत शामिल है।

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
घटायाः अन्य व्यय मूल्य ह्रास एवं ब्याज को छोड़कर	143.90	160.66	183.06	235.78	221.51
घटायाः प्राविधान एवं बट्टाखाता मूल्य ह्रास एवं ब्याज के प्रभारण	345.37	292.48	3.59	4.98	0.98
से पूर्व संचालन परिणाम	**(-) 832.06**	**(-) 357.08**	**1038.49**	**608.26**	**527.54**
घटायाः ब्याज	1166.32	1067.59	780.19	976.54	1147.25
घटायाः मूल्य ह्रास	268.52	226.25	137.26	188.80	180.54
जोड़ाः अन्य आय	179.00	272.95	305.05	254.06	250.47
वर्ष में लाभ(+)/हानि(–)	**(-) 2087.90**	**(-) 1377.97**	**(+) 426.09**	**(-) 303.02**	**(-) 549.78**
पूर्वावधि समायोजन	102.20	(-) 8.12	(-) 1.74	84.85	4.90
शुद्ध लाभ(+)/हानि(–)	**(-) 1985.70**	**(-) 1386.09**	**(+) 424.35**	**(-) 218.17**	**(-) 544.88**

टिप्पणीः कोष्ठक में दिये गये अंक परिवर्तनीय लागत का उत्पादन लागत से प्रतिशतता दिखाते हैं।

कम्पनी 1983–84 (1993–94 छोड़कर) से लगातार घाटे में चल रही है। 1993–94 में लाभ के मुख्य कारण सरकारी ऋण पर ब्याज का अंशपूँजी में बदलना एवं अच्छे संचालन, परिणाम थे। लेखा परीक्षा में हानियों के मुख्य कारण निम्न प्रकार से पाये गये :

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि	सम्बन्धित प्रस्तर
1.	उत्पादन प्रक्रिया में हानियाँ	41.82	2अ.2.1, 2अ.2.3 एवं 2अ.2.4
2.	उत्पादन लागत कम करने में विफलता	2.88	2अ.3.2 से 2अ.3.6

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि	सम्बन्धित प्रस्तर
3.	निर्यात स्तर के सूत के उत्पादन में निम्न कार्य सम्पादन	0.40	2अ.4.1 एवं 2अ.4.2
4.	सूत की बिक्री में अपकर्षीय प्रवृत्ति एवं अन्य परिहार्य हानियाँ	1.63	2अ.5.2
5.	यन्त्र की प्राप्ति में हानि	1.29	2अ.6
6.	जनशक्ति आधिक्य	3.62	2अ.8
	कुल	**51.64**	

2.अ.2 उत्पादन सम्पादन

2.अ.2.1 क्षमता उपयोग

कम्पनी अपनी मिलों के लिये, उनके प्रक्षिप्त क्षमता उपयोग* के आधार पर सूत के उत्पादन के लक्ष्य को इंगित करते हुये वार्षिक सम्पादन बजट तैयार करती है। प्रत्येक मिल में संस्थापित 50,000 तकुओं के लिए कम्पनी ने 96 प्रतिशत की क्षमता उपयोग का मानक निश्चित किया (दिसम्बर 1991) इसके विरुद्ध वास्तविक उपयोजन 1995–96 तक के पाँच वर्षों के दौरान 65.26 और 94.97 के मध्य निम्न विवरणानुसार रहा:

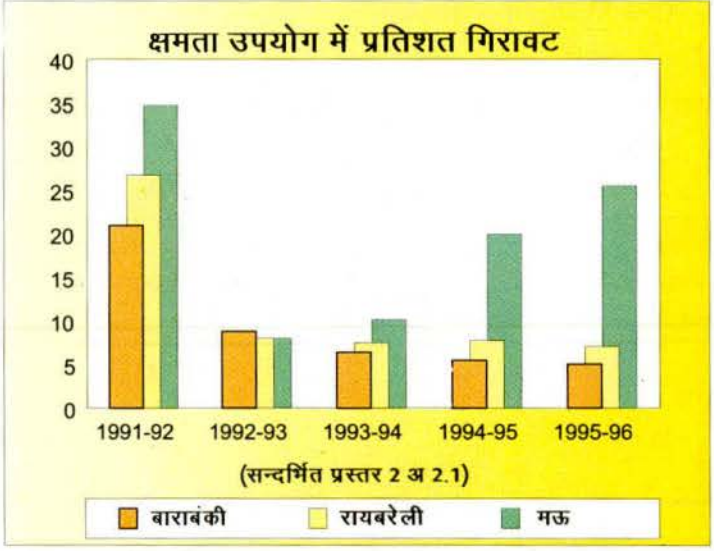

* क्षमता उपयोग तकुआ पारी की उपलब्धता एवं उसके वास्तविक संचालन में अनुपात को दिखाता है।

(संख्या लाखों में)

वर्ष	इकाई	उपलब्ध तकुआ पारी की संख्या	संचालित तकुआ पारी की संख्या	कमी
1991-92	रायबरेली	538.80	394.79	144.01
			(73.27)	(26.73)
	मऊ	537.52	350.88	186.64
			(65.26)	(34.74)
	बाराबंकी	538.80	425.88	112.92
			(79.04)	(20.96)
1992-93	रायबरेली	537.30	493.78	43.52
			(91.90)	(8.10)
	मऊ	536.01	493.34	42.67
			(92.04)	(7.96)
	बाराबंकी	535.79	488.75	47.04
			(91.22)	(8.78)
1993-94	रायबरेली	537.30	496.97	40.33
			(92.49)	(7.51)
	मऊ	536.01	481.77	54.24
			(89.88)	(10.12)
	बाराबंकी	537.30	502.92	34.38
			(93.60)	(6.40)
1994-95	रायबरेली	537.30	495.61	41.69
			(92.24)	(7.76)
	मऊ	536.01	429.17	106.84
			(80.07)	(19.93)
	बाराबंकी	537.30	507.92	29.38
			(94.53)	(5.47)
1995-96	रायबरेली	538.80	500.61	38.19
			(92.91)	(7.09)
	मऊ	537.52	400.58	136.94
			(74.52)	(25.48)
	बाराबंकी	538.81	511.70	27.11
			(94.97)	(5.03)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गये क्षमता उपयोग (कॉलम 4) एवं कमी (कॉलम 5) के प्रतिशत दिखाते हैं।

कच्चे माल, विद्युंत शक्ति एवं योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति में कमी के कारण कम्पनी ने 83.73 लाख किलोग्राम सूत के उत्पादन की हानि उठाई जिसके फलस्वरूप यह 20.19 करोड़ रुपये की उपरिव्यय लागत वसूल न कर सकी।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने 1995–96 तक पिछले पाँच वर्षों में 83.73 लाख किलोग्राम सूत के उत्पादन का घाटा ऐसे घटकों की वजह से उठाया जो नियंत्रित किये जा सकते थे। फलतः यह 20.19 करोड़ रुपये की उपरिव्यय लागत निम्न विवरणानुसार वसूल न कर सकी।

(i) कम्पनी ने 1995–96 तक के पाँच वर्षों के दौरान, कच्चे माल में कमी के कारण 47.70 लाख किलोग्राम सूत का उत्पादन खो दिया जिसके फलस्वरूप 8.20 करोड़ रुपये तक के उपरिव्यय लागत वसूल न कर सकी।

(ii) कम्पनी, मुख्य उत्पादन संयंत्र की ऊर्जा की आवश्यकता (1250 के.वी.ए.) को पूरा करने में सक्षम, रायबरेली और बाराबंकी में 3000 के.वी.ए. प्रत्येक तथा मऊ में 2000 के.वी.ए. के जनरेटिंग सेटों के होते हुए भी, 21.70 लाख किलोग्राम उत्पादन की हानि को नियंत्रित अथवा न्यूनतम करने में विफल रही। जिसके फलस्वरूप यह 7.62 करोड़ रुपये की उपरिव्यय लागत वसूल न कर सकी।

(iii) कम्पनी ने मानक से अधिक कार्य शक्ति के होते हुये भी योग्य कर्मचारियों के न तैनात किये जाने के कारण 14.33 लाख किलोग्राम उत्पादन की हानि उठाई जिसके फलस्वरूप यह 4.37 करोड़ रुपये के उपरिव्यय लागत वसूल न कर सकी।

कच्चे माल, विद्युतशक्ति एवं कर्मचारियों की कमी के कारण उत्पादन में घाटे को मानते हुए सरकार ने बताया (सितम्बर 1997) कि 1991–92 में निधि की बहुत कमी थी, विद्युत उत्पादकों की क्षमता उतनी नहीं थी जितनी कि मिलों के कुल विद्युत भार के लिए आवश्यक थे, एवं कम्पनी को काम करवाने में औद्योगिक संस्कृति की कमी के कारण मुश्किल हुई थी। उत्तर संतोषजनक नहीं थे क्योंकि 1991–92 में कम्पनी के पास 13.44 करोड़ रुपये का 36.71 लाख कि. ग्राम. कच्चा माल उपलब्ध था जिसको समय से उपलब्ध न कराया जा सका। (निधि की कमी का कोई औचित्य नहीं था)। इसके अलावा विद्युत प्रवाह निरन्तर प्रकार का था एवं विद्युत उत्पादकों की क्षमता बिजली चले जाने पर रिंग फ्रेम को चालू रखने के लिए पर्याप्त थी और कम्पनी के पास पर्याप्त मात्रा में मानवशक्ति भी थी।

2अ.2.2 श्रम उत्पादकता एवं तकुआ दक्षता

श्रम उत्पादकता, प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष उत्पादन को इंगित करती है तथा तकुआ दक्षता प्रति तकुआ संचालित पारी के उत्पादन को इंगित करती है। जबकि श्रम उत्पादकता 1991–92 में 4683.00 किलोग्राम से 1994–95 में 6304.00 किलोग्राम बढ़ गई, यह बाद में कर्मियों के उत्पादन सम्पादन पर अपर्याप्त नियंत्रण के कारण 1995–96 के दौरान 6003.00 किलोग्राम की निम्नता तक पहुँच गई

इसी प्रकार तकुआ दक्षता, 1995–96 तक के पाँच वर्षों के दौरान, 204.72 ग्राम और 158.03 ग्राम के मध्य थे। क्योंकि इन दिनों उत्पादन का स्तर बहुत निम्न था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण		1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
(i)	तैनात कर्मियों की औसत संख्या	4393	3980	4136	3796	4010
(ii)	औसत काउन्ट स्पन	23.76	29.69	27.83	29.83	31.31
(iii)	कर्मचारी मूल्य (लाख रुपये में)	1607.90	1532.36	1696.57	1783.48	1967.49
(iv)	उत्पादन (लाख कि.ग्रा.)	173.15	157.95	180.97	160.45	153.81
		(205.70)	(233.23)	(251.82)	(293.31)	(240.71)
(v)	उत्पादन का मूल्य (लाख कि.ग्रा.)	8947.92	9797.77	11871.27	14237.03	15197.21
(vi)	श्रम उत्पादकता अर्थात् प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष उत्पादन (कि.ग्रा.)	3941.50	3968.59	4375.48	4226.82	3835.66
		(4683)	(5891)	(6088)	(6304)	(6003)
(vii)	संचालित तकुआ पारी (संख्या लाख में)	1171.55	1475.87	1481.66	1432.70	1412.89
(viii)	तकुआ दक्षता अर्थात् प्रति तकुआ पारी उत्पादन (ग्राम)	147.80	107.02	122.14	111.99	108.86
		(175.58)	(158.03)	(169.96)	(204.72)	(170.36)
(ix)	वेतन एवं पारिश्रमिक प्रति किग्रा उत्पादन (रुपये)	9.29	9.70	9.37	11.12	12.79
		(7.81)	(6.57)	(6.73)	(6.08)	(8.17)

टिप्पणीः कोष्ठक में 20 काउन्ट के सामान्य चलन में बदले अंक हैं।

इस सम्बन्ध में, लेखा परीक्षा द्वारा किये गये विश्लेषण ने निम्न बिन्दु प्रकट किये:

1994–95 एवं 1995–96 हेतु, 230.86 लाख किलोग्राम के वार्षिक लक्ष्यों के संदर्भ में, श्रम उत्पादकता क्रमशः 6985.00 किलोग्राम और 6612.00 किलोग्राम अगणित होती है। इसकी तुलना में, प्राप्त की गई उत्पादकता क्रमशः 6304.00 और 6003.00 किलोग्राम (90.00 और 91.00 प्रतिशत) थी। हानियों के कारणों को ज्ञात करने तथा उपचारी उपाय सुझाने के लिये प्रतिनियुक्त, अहमदाबाद टेक्सटाइल इण्डसट्री रिसर्च एशोसियेशन (अतिरा) ने श्रमिकों में 10 प्रतिशत की कटौती करने की संस्तुति की थी (सितम्बर 1992)। यद्यपि 1992–93 के दौरान, तैनात कर्मचारी 4393 से घटाकर 3980 कर दिये गये थे परन्तु 1993–94 से 1995–1996 के दौरान वे अतिरा द्वारा निर्धारित स्तर से अधिक थे। इन दो सालों में तकुआ दक्षता में कमी भी देखी गईं अतः, कम्पनी अपने कर्मचारियों को कम करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन पर ऊँची लागत आई।

प्रबन्धक ने बताया (अगस्त 1997) कि 1994–95 एवं 1995–96 में महीन काउन्ट सूत के उत्पादन के कारण तकुआ दक्षता में कमी दिखाई पड़ती है। उत्तर संतोषजनक नहीं थे क्योंकि यदि 20 काउन्ट के सामान्य चलन के आधार पर प्रति किलोग्राम उत्पादन पर श्रम उत्पादकता, तकुआ दक्षता एवं वेतन एवं भत्तों को बदले फिर भी 1995–96 में स्थिति संतोषजनक नहीं प्राप्त होती है।

2अ.2.3 सूत की प्राप्ति

कम्पनी ने, विभिन्न प्रक्रियाओं में उत्पादन तथा अपशिष्ट (रद्दी) के लिये अपने मानकों को नियत नहीं किया। मिलों के पास उच्च तथा अर्ध उच्च कार्डिंग प्रक्रिया की मशीनें हैं और इस प्रकार काटन टेक्सटाइल रिसर्च एशोसियेशन (सी.टी.आर.ए.) के मानक लागू होते हैं। इन मानकों की तुलना में, सूत का 84.91 और 87.85 प्रतिशत के मध्य, उत्पादन काफी कम था। इस कारण से कार्डिंग चरण पर 5.09 और 8.44 के मध्य कपास सूत में अपशिष्ट का (5 प्रतिशत के मानक के विरुद्ध), 0.72 और 1.61 के मध्य कठोर अपशिष्ट का (0.4 प्रतिशत के मानक के विरुद्ध), 0.78 और 1.27 के मध्य संश्लेषित सूत के कठोर अपशिष्ट का (0.2 प्रतिशत के मानक के विरुद्ध) तथा 0.36 और 1.10 के मध्य अदृश्य हानि का (0.5 प्रतिशत के मानक के विरुद्ध) प्रतिशत रहा। इसके परिणामस्वरूप, 17.24 लाख किलोग्राम के अतशिय अपशिष्ट के कारण 628.68 लाख रुपये की हानि हुई (कार्डिंग चरणः 10.83 लाख किलोग्राम पर 371.63 लाख रुपये, कठोर अपशिष्टः 4.95 लाख किलोग्राम पर 159.16 लाख रुपये, संश्लेषित कठोर अपशिष्टः 0.93 लाख किलोग्राम पर 59.93 लाख रुपये तथा संश्लेषित सूत पर अदृश्य अपशिष्टः 0.53 लाख किलोग्राम पर 35.96 लाख रुपये)। कम्पनी की रायबरेली मिल ने कपास सूत की प्राप्ति के विभिन्न चरणों पर उच्चतम अपशिष्ट प्रतिशत अंकित किया।

मानक की तुलना में अपशिष्ट (रद्दी) के अधिक दर के कारण 6.27 करोड़ रुपये की हानि।

कम्पनी ने उत्पादन के विभिन्न चरणों में अपशिष्ट के उच्च दर के कारणों का असामान्य हानियों को कम करने के उद्देश्य से विश्लेषण नहीं किया था। कम्पनी के विभिन्न मिलों में कपास सूत से सम्बन्धित (काउन्टवार सूत प्राप्ति सहित) उत्पादन का विवरण परिशिष्ट-6 में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, सूत के समान काउन्ट के लिये प्राप्ति का प्रतिशत इतना अधिक भिन्न नहीं होना चाहिये। लेखा परीक्षा द्वारा किये गये विश्लेषण ने प्रगट किया कि कम्पनी की विभिन्न मिलों में यह भिन्नता 0.6 और 5.0 प्रतिशत के मध्य श्रेणीबद्ध रही। जैसा कि नीचे विवरण दिया गया:

काउन्ट	1993-94		1994-95		1995-96	
	सूत की प्राप्ति	भिन्नता का दायरा	सूत की प्राप्ति	भिन्नता का दायरा	सूत की प्राप्ति	भिन्नता का दायरा
6/8एस	83.3 से 84.7	1.4	81.0 से 84.0	3.0	80.2 से 81.9	1.7
10/16एस	84.3 से 84.9	0.6	83.8 से 86.8	3.0	83.3 और 84.0	0.7
20/24एस	86.9 से 88.3	1.4	85.0 और 87.5	2.5	84.5 और 87.7	3.2
30/34एस	85.6 और 87.0	1.4	84.6 और 86.1	1.5	85.6 और 87.7	2.1
37/40एस	83.2 और 88.2	5.0	84.0 और 86.6	2.6	83.2 और 86.7	3.5

टिप्पणी: अंक सूत प्राप्ति की प्रतिशतता को दिखाते हैं।

समरूप मापदण्ड के अनुपालन तथा कच्चे माल की केन्द्रीय अधिप्राप्ति के बावजूद उल्लेखनीय असंगत भिन्नता, उत्पादन प्रक्रिया पर नियंत्रण के अभाव को इंगित करती है। सी.टी.आर.ए. के मानकों (अप्रैल 1991) की तुलना में, 1995–96 में 191.20 लाख रुपये के मूल्य के कुल 1.96 लाख किलोग्राम के उत्पादन की हानि देखी गई (सम्मिश्रण में प्रतिबन्धित प्रतिशत के आधार पर) जैसा कि परिशिष्ट–7 में विवरण दिया गया है।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1997) कि सूत की प्राप्ति सम्मिश्रण में कपास की प्रतिबन्धित प्रतिशतता पर निर्भर करती है। उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि 1995–96 में उल्लिखित की गयी हानि सम्मिश्रण में कपास की वास्तविक प्रतिशतता के आधार पर बताई गई है।

2अ.2.4 प्रति तकुआ पारी कम उत्पादन के कारण हानि

पैकिंग चरण पर तकुआ पारी सूत का उत्पादन (ग्राम में) उपलब्ध मशीनों के 12500 आर.पी.एम. और 14000 आर.पी.एम. मध्य की निष्पाद्य गति एवं कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये नियत किया गया एवं मासिक उत्पादन बजट के माध्यम से मिलों को सूचित किया गया। मानकों की तुलना में प्रति तकुआ पारी प्राप्त किये गये कुछ कपास काउन्टों के विश्लेषण में, पाँच वर्षों के दौरान मशीनों द्वारा निष्पादित मुख्यतः निम्न गति के कारण 12500 आर.पी.एम. से (14000 आर.पी.एम. तक निष्पाद्य गति के विरुद्ध 10000 से 12500 वास्तविक गति) 15.36 करोड़ रुपये के मूल्य के 22.77 लाख किलोग्राम के उत्पादन की हानि (गिरावट 5 और 25 प्रतिशत के मध्य श्रेणीबद्ध) को इंगित किया। विवरण परिशिष्ट–8 में दिखाया गया है।

प्रति तकुआ पारी मानक गति को प्राप्त करने में असफल रहने के कारण 15.36 करोड़ रुपये मूल्य की 22.77 लाख किलोग्राम उत्पादन हानि।

जून 1991 में 17.12 करोड़ रुपये के मूल्य पर पूर्ण किया गया, सभी मिलों के प्रथम चरण का आधुनिकीकरण एवं विविधिकरण (25000 तकुए प्रत्येक) तथा प्रत्येक वर्ष प्रचुर व्यय 9.31 करोड़ रुपये* 1995–96 तक पाँच वर्षों में किये जाने के बाद भी अपेक्षित स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सका।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1997) कि कम्पनी द्वारा जो मानक निर्धारित किये गये थे वह दूसरी कम्पनियों द्वारा निर्धारित मानक से ज्यादा थे। निम्न कोटि का कच्चा माल, अकुशल मजदूर श्रम और विद्युत ऊर्जा की परेशानी एवं उत्पादन के प्रकार इत्यादि ने भी प्रति तकुआ पारी उत्पादन को प्रभावित किया। उत्तर स्वयं इस बात को इंगित करते हैं कि प्रबन्धन उत्पादन को प्रभावित करने वाले तत्वों को नियंत्रित करने में एवं अपने बनाये मानक को प्राप्त करने में असफल रहा। जोकि उपलब्ध मशीनों एवं कच्चे माल की उपलब्धता कोटि पर आधारित थे।

* पूँजी में परिवर्तित व्ययः 6.22 करोड़ रुपये (1991–92: 1.59 करोड़, 1992–93: 0.57 करोड़, 1993–94: 1.56 करोड़, 1994–95: 1.73 करोड़ एवं 1995–96: 0.77 करोड़ रुपये), राजस्व व्ययः 3.09 करोड़ रुपये (1993–94: 0.77 करोड़, 1994–95: 0.99 करोड़ एवं 1995–96: 1.33 करोड़ रुपये)।

2अ.3. उत्पादन लागत को कम किये जाने में असफलता

2.अ.3.1. लागत विश्लेषण

1993–94 को छोड़कर, जब कम्पनी बिक्री का मूल्य वसूल करने व 2 प्रतिशत का लाभ अर्जित करने में समर्थ थी, अन्य वर्षों के दौरान कम्पनी ऐसे मूल्यों की वसूली करने में असफल रही। 1995–96 तक के पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी के तीनों मिलों के लिये उत्पादन मूल्य की तुलना में, लागत के प्रत्येक घटक का प्रतिशत नीचे इंगित किया गया है :

(प्रतिशत)

		1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
उत्पादन का मूल्य		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
लागत के घटक:						
(i)	कच्चा माल	72.97	67.96	60.31	67.12	68.79
(ii)	भण्डार एवं कलपुर्जे (पैकिंग सामग्री सहित)	4.96	5.25	5.49	4.94	4.95
(iii)	ऊर्जा एवं ईंधन	7.94	10.17	9.60	9.46	8.38
(iv)	पारिश्रमिक एवं वेतन	17.97	16.62	14.29	12.52	12.95
(v)	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	1.61	1.64	1.54	1.66	1.46
(vi)	ब्याज	13.03	10.90	6.57	6.86	7.55
(vii)	प्राविधान एवं बट्टा खाता	3.86	2.98	0.03	0.03	0.01
(viii)	पूर्व वर्षों के समायोजन	(+) 0.18	(+) 0.25	(+) 0.18	(+) 0.67	(+) 0.04
(ix)	योग	122.52	115.77	98.01	103.26	104.13
(x)	अन्तर (+)/(–)	(-) 22.52	(-) 15.77	(+) 1.99	(-) 3.26	(-) 4.13

जैसा कि दृष्टिगोचर होगा, मुख्य सहयोगी घटक, कच्चे माल की ऊँची लागत थी। लागत संप्रेक्षकों द्वारा सूचित किये जाने के बावजूद कम्पनी ने नियंत्रण हेतु लागत के प्रत्येक अवयव के लिये मानकों को निर्धारित नहीं किया था।

अतिरा ने सितम्बर 1992 के अपने प्रतिवेदन में बिक्री मूल्य के 36 प्रतिशत बिक्री मूल्य (कच्चे माल की लागत + पैकिंग सामग्री) के अंशदान की संस्तुति की थी। अतिरा की संस्तुतियों के अनुसार 3 प्रतिशत की पैकिंग लागत को मानते हुए सम लाभ–हानि बिन्दु प्राप्त करने के लिए, कच्चे माल

की लागत बिक्री मूल्य का 61 प्रतिशत होनी चाहिए। तथापि, कम्पनी, लागत को अपेक्षित स्तर तक कम नहीं कर सकी जो कि 1995–96 तक के पाँच वर्षों के दौरान (1993–94 को छोड़कर) 67.12 से 72.97 के मध्य रही। जबकि कम्पनी ने संस्तुतियों को पूरी तरह से तीनों मिलों के लिये लागू किया था। कम्पनी ने ऊँची लागत के लिये कोई कार्यवाही भी नहीं की।

2अ.3.2 सूत के निम्न कोटि काउन्ट के उत्पादन में उच्चकोटि के कपास के उपयोग के कारण हानि

कपास सम्मिश्रण लागत को पूर्व निर्धारित स्तर पर रखने के लिये, उपलब्ध भण्डार, लागत आदि के आधार पर कपास मिश्रण का पूर्व निर्धारण किया जाता है। तथापि, सूत के विभिन्न काउन्ट के उत्पादन के लिये कपास को निर्गत करते समय कपास मिश्रण के इस निर्धारण को ध्यान में नहीं रखा गया। 1995–96 तक के तीन वर्षों के दौरान, रायबरेली इकाई की सम्मिश्रण लागत मऊ एवं बाराबंकी ईकाइयों की तुलना में अधिक थी (1995–96 में बाराबंकी में चार काउन्टों को छोड़कर) जैसा नीचे विवरण दिया गयाः

(संमिश्रण लागतः रुपये प्रति किग्रा.)

	1993-94			1994-95			1995-96		
काउन्ट	राय–बरेली	मऊ	बारा–बंकी	राय–बरेली	मऊ	बारा–बंकी	राय–बरेली	मऊ	बारा–बंकी
6/8एस	26.20	25.58	25.80	44.94	37.46	38.14	47.87	44.49	48.95
10/16एस	26.20	25.99	26.97	47.01	44.14	37.00	49.69	47.91	53.10
20/24एस	28.47	28.44	26.97	49.38	47.75	47.37	52.43	48.97	53.10
30/34एस	30.47	30.80	29.00	51.54	51.59	50.16	56.39	54.17	56.17
37/40एस	33.27	32.79	30.07	57.38	54.45	57.47	57.80	57.33	59.59

निम्न कोटि काउन्ट के सूत उत्पादन में उच्चकोटि के कपास के प्रयोग से कम्पनी द्वारा 0.17 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय।

1995–96 के वर्ष के लिये, रायबरेली इकाई की कपास मिश्रण लागत के लेखा परीक्षा विश्लेषण ने प्रगट किया कि सूत के उच्चतर काउन्ट के जैसे 37/40 एस (63483 किलोग्राम), 20/30 एस निर्यात कोटि (107976 किलोग्राम) तथा 40/54 एस धुनी हुई कोटि (83859 किलोग्राम) कपास के उत्पादन के लिये निर्गत किया गया 255048 कि.ग्रा. उत्कृष्ट कपास मिश्रण, वास्तव में, सूत के निम्न काउन्ट के उत्पादन में उपयोजित किया गया, जिससे 17.07 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ जैसा आगे दिया गयाः

निर्गत उच्चकोटि कपास मिश्रण	निम्न काउन्ट के लिये प्रयोग किया गया उच्चकोटि कपास मिश्रण	उपयोजित उच्चकोटि कपास की मात्रा (किलोग्राम)	कपास के मूल्य में अन्तर यदि आपेक्षित कोटि का कपास प्रयोग किया जाता (रुपये प्रति किग्रा0)	कपास के उच्चकोटि मिश्रण के प्रयोग के कारण परिहार्य व्यय (लाख रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37/40एस	30/34एस	63483.0	2.52	1.60
(57.22)		(54.70)		
20/30 एस निर्यात	30/34एस	8876.0	2.79	0.25
(57.49)		(54.70)		
--- तदैव ---	10/16एस	77356.0	9.22	7.13
		(48.27)		
--- तदैव ---	7.5एस	21744.0	11.46	2.49
		(51.00)		
40/54 एस. धुना हुआ	30/40एस	36199.0	3.86	1.40
(54.90)		(51.00)		
--- तदैव ---	7.5एस धुना हुआ	47390.0	8.87	4.20
		(46.03)		
योग				**17.07**

टिप्पणीः कोष्ठक के आंकड़े प्रति किलोग्राम कपास सम्मिश्रण की दर (रुपये में) को इंगित करते हैं।

कपास मिश्रण को तैयार करने में कपास की गुणवत्ता एवं मूल्य को नहीं देखा गया, जिसके कारण निम्नकोटि सूत के उत्पादन में उच्च कोटि का कपास प्रयोग हुआ और कम्पनी को 17.07 लाख रुपये की हानि हुई यह भी देखा गया कि लागत घटक की वास्तविक स्थिति को छुपाने के लिये, इकाई ने 'मिस–1ए'* में काउन्टवार निर्गमन के आंकड़ों की असत्य सूचना दी। मुख्यालय, स्थिति का मिलान करने में भी असफल रहा यद्यपि 'मिस' के साथ–साथ, वास्तविक उपयोजन का वर्णन करते हुये साप्ताहिक वस्तु स्थिति प्रतिवेदन भी उनको प्रस्तुत किया जाता है।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1997) कि कठिनाई के निराकरण एवं वांछित कपास मिश्रण के चुनाव के लिये कम्प्यूटर पैकेज की योजना प्रस्तावित है।

* मिस–1ए में कपास की कोटि एवं मूल्य सहित, सूत के उत्पादन के लिये, निर्गमन का विवरण होता है।

2अ.3.3 कच्चे माल की अधिप्राप्ति में हानि

कच्चे माल की अधिप्राप्ति में, लेखा परीक्षा के विश्लेषण ने प्रगट किया कि कम्पनी ने 82.63 लाख रुपये की हानि उठाई जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

(i) कपास की अधिप्राप्ति में सीधा लेनदेन न करना

केन्द्रीय कपास क्रय समिति के निदेशानुसार (मार्च 1991) कम्पनी को अपनी 120 दिन की आवश्यकता को निश्चित करते हुए क्रय को इस प्रकार सुनिश्चित करना था कि 60 दिन का भण्डार हमेशा बना रहे। इस प्रकार की भारी क्रय को सार्वजनिक संस्थानों से ही क्रय करना था जिनसे क्रय करने में उधार, गुण एवं भण्डारण की सुविधा होती है। 1994–95 में कम्पनी ने गैर सरकारी संस्थानों से भारी मात्रा (89 प्रतिशत) में क्रय किया जबकि सार्वजनिक संस्थानों से मात्र 11 प्रतिशत क्रय किया। दूसरे सालों में सार्वजनिक संस्थानों से क्रय 89 प्रतिशत (1991–92) एवं 53 प्रतिशत (1995–96) के मध्य रहे।

कम्पनी अधिकतर 20/24 काउन्ट सूत के लिये जे–34 एस.जी. श्रेणी के कपास तथा 16/20 काउन्ट के लिये जे–34 आर.जी. श्रेणी के कपास का उपयोग करती है। वर्ष 1994–95 के लिये कपास बाजार की बढ़ती प्रवृत्ति नवम्बर 1994 में ही सुस्पष्ट हो गई थी, जबकि अधिकतर उपयोग होने वाली श्रेणी जे–34 एस.जी. और जे–34 आर.जी. कपास की बाजार दरें 5 से 21 प्रतिशत तक चढ़ गई थी। 17 नवम्बर 1994 को जे–34 एस.जी. की दर 16500.00 रुपये प्रति कैंडी (177.80 कि.ग्रा. भार की कपास की दो गांठे) से बढ़कर 24 नवम्बर 1994 को 19400.00 रुपये प्रति कैंडी हो गई थी। परन्तु पूर्व वर्षों में जब कम्पनी ने 60 दिनों की आवश्यकतानुसार कपास की अधिप्राप्ति की थी, के दौरान अपनाई गई प्रथा के विपरीत 1994–95 के दौरान, कम्पनी 17 से 40 दिन के भण्डारण के आधार पर क्रय करती रही। इससे, 13 दिसम्बर 1994 से 20 मार्च 1995 के दौरान, 20400.00 रुपये और 22301.00 रुपये प्रति कैंडी के मध्य श्रेणीबद्ध उच्चदरों पर (नवम्बर 1994 के दौरान 19400.00 रुपये प्रति कैंडी के विरुद्ध) 4870 गांठों की अधिप्राप्ति पर 55.73 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसी प्रकार, 2 दिसम्बर से 19 दिसम्बर 1994 के दौरान, जे–34 आर.जी. श्रेणी के कपास की 1065 गांठों की, 19600.00 रुपये और 20700.00 रुपये प्रति कैंडी के मध्य श्रेणीबद्ध उच्च दरों से (नवम्बर 1994 के दौरान 17050.00 रुपये प्रति कैंडी के विरुद्ध) अधिप्राप्ति पर कम्पनी ने 16.35 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

60 दिनों की जरूरत के अनुसार भण्डारण के लिये कपास न खरीदने से 0.72 करोड़ रुपये की हानि।

अतः, 60 दिनों की आवश्यकतानुसार क्रय न करके, कम्पनी ने 72.08 लाख रुपये की हानि उठाईं

सरकार ने बताया (सितम्बर 1997) कि कई मौकों में भण्डार 60 दिनों से अंधिक का था और इन क्रयों में आर्थिक कठिनाईयों को भी ध्यान में रखा गया। उत्तर संतोषजनक नहीं थे क्योंकि वास्तविक भण्डार 17 से 40 दिनों के जरूरत का ही था (60 दिनों के विरुद्ध)। आर्थिक कठिनाईयाँ भी नहीं थी क्योंकि कम्पनी ने इन दिनों बैंक से उपलब्ध 4.58 करोड़ से 5.04 करोड़ रुपये के मध्य उधार का इस्तेमाल नहीं किया, जिसका इस्तेमाल कपास क्रय में 60 दिनों के भण्डारण के लिये किया जा सकता था।

(ii) ढुलाई प्रभारों का परिहार्य भुगतान

महाराष्ट्र कोआपरेटिव फेडरेशन (माफेड) के साथ कपास के क्रय हेतु किये गये अनुबंध की मानक शर्तों के अनुसार, अनुबद्ध समय के अन्तर्गत भुगतान के विरुद्ध कपास की सुपुर्दगी लेने में असफलता से कम्पनी, सुपुर्दगी की नियत तिथि के बाद वाली तिथि से 2.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर यातायात प्रभारों के भुगतान की उत्तरदायी हो जायेगी। इसी प्रकार, भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई.) के साथ अनुबंध में, अनुबंध की तिथि से 40 दिनों की मुक्त अवधि के अवसान के तुरन्त बाद वाली तिथि से त्रैमासिक आधार पर गणना करके 1.90 प्रतिशत प्रतिमाह की दर प्रथम 60 दिनों तक तथा तत्पश्चात् 2.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर यातायात प्रभारों के भुगतान का प्राविधान है।

भुगतान में देरी के कारण कपास की खरीद में 0.11 करोड़ रुपये का परिहार्य भुगतान।

प्रचुर मात्रा में धन के होते हुये भी, कम्पनी ने भुगतान में 1 से 180 दिनों तक विलम्ब किया और 10.55 लाख रुपये के यातायात प्रभारों का परिहार्य भुगतान किया जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है :

(लाख रुपये में)

आपूर्तिकर्ता	अवधि	कपास की गाँठें	मूल्य	विलम्ब (दिन)	यातायात प्रभार
माफेड	जनवरी से फरवरी 1994	6560	366.83	1 - 130	8.95
सी.सी.आई.	जुलाई 1993 से मार्च 1994	1993	117.24	11 - 180	1.60
	योग	**8553**	**484.07**		**10.55**

सरकार ने बताया (सितम्बर 1997) कि प्रचुर मात्रा में निधि के होते हुए भी कम्पनी भूचाल (सितम्बर/अक्टूबर 1993), महाराष्ट्र आन्दोलन (दिसम्बर 1993), वाहकों की हड़ताल (सितम्बर/अक्टूबर 1993) एवं प्लेग के कारण भुगतान नहीं कर सकी। उत्तर सन्तोषजनक नहीं थे क्योंकि यदि इन कारणों का जिक्र अनुबन्ध में पहले से ही कर दिया होता तो कम्पनी को अनुबन्धित तिथि के अन्दर भुगतान करने से मुक्ति मिल जाती। इसके अलावा महाराष्ट्र से आपूर्ति के लिये जो समय अनुबन्ध में था वह उत्तर में बताये गये समय से मेल नहीं खाता है।

2अ.3.4. बीमा प्रीमियम पर परिहार्य व्यय

कम्पनी की अचल परिसम्पत्तियाँ, बहाली अथवा प्रतिस्थापन नीति के माध्यम से स्थिरतापूर्वक बीमाकृत हैं। बहाली नीति के सिद्वान्त के अनुसार, नीति के अन्तर्गत देय प्रीमियम की राशि, समान प्रकार श्रेणी, न तो उससे श्रेष्ठ अथवा बीमाकृत सम्पत्ति से अधिक मूल्यवान, की सम्पत्ति यदि यह नवीन थी, को प्रतिस्थापित करने की लागत के आधार पर आगणित की जाती है। तथापि, तकनीकी रूप से उन्नत संयंत्र एवं मशीनरी के प्रकरण में, बीमाकृत सम्पत्ति द्वारा व्युतपाद्य अतिरिक्त फायदा, विशेषज्ञों की राय तथा स्वतन्त्र सर्वेक्षकों के प्रतिवेदनों के आधार पर परिमाणित किया जाता है और निकाली गई अतिरिक्त लागत बीमाकर्ता द्वारा वहन किया जाना चाहिये। ऐसा क्षतिपूर्ति के सिद्वान्त को संरक्षित करने के लिये किया जाता है जो सभी बीमा अनुबंधों का मूल है।

लेखा परीक्षा द्वारा यह देखा गया है कि बीमा की जाने वाली धनराशि का मान निकालने के प्रयोजन हेतु, विद्यमान अचल परिसम्पत्तियों का सकल मूल्य असत्य रूप से प्रत्येक वर्ष 20 प्रतिशत तक तथा विस्तार के दौरान सृजित अचल परिसम्पत्तियों का मूल्य 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक संचयी आधार पर वृद्धिगत किया गया। अतः 1995–96 तक बीमाकृत धनराशि अवास्तविक हो गईं तथ्य की जानकारी मिलने पर, शासपत्रित लेखाकारों की एक फर्म द्वारा मई 1995 में, अचल परिसम्पत्तियों का 1996–97 हेतु पुनः मूल्यांकन किया गया। तद्नुसार, कम्पनी ने अपनी अचल परिसम्पत्तियों को, पुनर्मूल्यांकित मूल्य तथा वर्ष 1996–97 से 20 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत की बोधात्मक वृद्धि के आधार पर बीमाकृत कराया। जिस पर बीमा प्रीमियम देयराशि पिछले वर्षों में दी गई राशि से बहुत कम थी।

सम्पत्तियों के पुर्नमूल्याकन में विवेक बुद्वि को न अपनाने से उनके अधिक मूल्य पर 1.16 करोड़ रुपये का बीमा प्रीमियम अधिक भुगतान किया गया।

इस प्रकार कम्पनी ने 1995–96 तक के चार वर्षों की अवधि के दौरान 1.16 करोड़ रुपये की हानि उठाई जैसा नीचे विवरण दिया गया है :

(लाख रुपये में)

विवरण	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ					
रायबरेली	1600.76	1667.41	1713.76	1721.69	NA
मऊ	1677.88	1632.54	1673.78	1711.61	1766.67
बाराबंकी	1623.79	1707.16	1791.60	1817.71	NA
बीमाकृत मूल्य					
रायबरेली	3594.24	4196.07	4859.40	5511.85	3103.16
मऊ	3745.22	4344.99	5036.15	5036.98	3212.06
बाराबंकी	3663.94	4434.14	4935.25	5813.52	2808.46
भुगतान योग्य प्रीमियम					
रायबरेली	6.32	6.23	6.00	6.17	---
मऊ	5.50	5.28	5.15	5.17	---
बाराबंकी	4.72	5.28	5.38	5.16	---
कुल भुगतान योग्य प्रीमियम	**16.54**	**16.79**	**16.53**	**16.50**	
वास्तविक प्रीमियम भुगतान					
रायबरेली	14.49	15.69	17.04	19.76	9.24
मऊ	12.28	14.05	15.50	15.20	7.66
बाराबंकी	10.65	13.72	14.81	16.51	7.52
योग	**37.12**	**43.46**	**47.35**	**54.46**	**24.42**
आधिक्य	20.58	26.67	30.82	37.96	---

सरकार ने बताया (सितम्बर 1997) कि बीमा बढ़े हुए मूल्यों पर (सकल अचल सम्पत्तियों के मूल्य में बढ़े हुए मूल्य एवं तकनीकी रूप से उन्नत मूल्यों को जोड़कर) जिसका मतलब है उसी प्रकार की गई सम्पत्ति के आधार पर कराया गया था। उत्तर स्वीकार योग्य नहीं थे, क्योंकि बीमा नियमों के अनुसार कोई हानि होने पर, नवीन सम्पत्ति के मूल्य के बराबर की हानि को ही बीमा द्वारा वापस

किया जाना होता है एवं तकनीकी रूप से उन्नत संयंत्र एवं मशीनरी के अतिरिक्त मूल्य को बीमाकर्ता द्वारा स्वयं वहन करना होता है। यदि सम्पत्ति का बीमा उसके वास्तविक मूल्य से अधिक पर किया जाता है तो भी बीमा द्वारा मिलने वाली राशि किन्हीं भी परिस्थितियों में उसके वास्तविक मूल्य (किताबी राशि) से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार सम्पत्ति का बीमा उसके वारतविक मूल्य से अधिक कराने पर भी कम्पनी को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होगा।

अतः, उचित अन्तराल पर पुनर्मूल्यांकन किये जाने में कम्पनी की 1992–93 से 1995–96 के मध्य असफलता असंगत उच्च बीमा मूल्य में परिणामित हुईं जिसके कारण अधिक बीमा प्रीमियम भुगतान से 1.16 करोड़ रुपये की हानि हुई।

2अ.3.5. विस्कोस तन्तु रेशे के आयात में हानि

विदेशी क्रेताओं के लिये निर्यात श्रेणी के पॉलिस्टर विस्कोस (पी.वी.) सूत का निर्माण करने के लिये, कम्पनी ने 30 सितम्बर, 1995 तक भारत सरकार द्वारा आवंटित (जून 1995) कोटे के विरुद्ध 270 मीट्रिक टन शुल्क मुक्त विस्कोस तन्तु रेशे (वी.एस.एफ.) का आयात करने का निर्णय लिया (जुलाई 1995)। तद्नुसार, विश्वव्यापी छानबीन के पश्चात्, 2.20 अमरीकी डॉलर प्रति कि.ग्रा. (तत्पश्चात् 2.22 अमरीकी डॉलर (70.00 रुपये) प्रति कि.ग्रा. में संशोधित) की दर पर इण्डोनेशिया के मेसर्स पी.टी. इन्टी इण्डो रेयान को 270 मीट्रिक टन (बाराबंकी: 215 मी0 टन तथा रायबरेली: 55 मी0 टन) वी.एस.एफ. (स्लेटी) की अधिप्राप्ति का आदेश दे दिया गया। 25/27 जुलाई, 1995 को 5.92 लाख अमरीकी डॉलर की राशि के 266.71 मीट्रिक टन के लिये साख पत्र खोल दिया गया। जिसके विरुद्ध 266.71 मी0 टन विस्कोस तन्तु अगस्त/सितम्बर में प्राप्त किया गया जिसका मूल्य 73.14 रुपये प्रति कि.ग्रा. आया।

> ***गलत निर्णय के कारण विस्कोस तन्तुओं का ऊँचे दाम से खरीद के कारण 0.16 करोड़ रुपये की हानि।***

लेखा परीक्षा द्वारा देखा गया कि सूत का आयात किंचित भी आवश्यक नहीं था क्योंकि पी.वी. सूत निर्यात प्रयोजनाएं हेतु निर्मित नहीं किये जाते हैं। अन्ततः कम्पनी ने आयातित तन्तु को स्वदेशी बाजार के लिये पी.वी. सूत को बनाने में प्रयोग किया, जिसमें देश में ही 67 रुपये प्रति कि.ग्रा. तन्तु का प्रयोग किया जाता है।

इस प्रकार प्रबन्धन के गलत निर्णय के फलस्वरूप 73.14 रुपये प्रति कि.ग्रा. के भाव से 266.71 मी0 टन विस्कोस तन्तुओं का, जिसका मूल्य देश में 67 रुपये प्रति कि.ग्रा. था, क्रय करने में कम्पनी को 16.38 लाख रुपये का घाटा हुआ।

2अ.3.6. विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान

कम्पनी की मऊ इकाई अपने पुराने तथा नये संयंत्रों के लिये, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से 2000 के.वी.ए. प्रत्येक (जून 1992 से 1750 के.वी.ए.) के दो पृथक संयोजनों के माध्यम से ऊर्जा आपूर्ति प्राप्त करती रही है।

अभिलेखों की परीक्षण ने प्रकट किया कि मिल ने अक्टूबर 1993 से जनवरी 1997 के दौरान, 56.19 लाख रुपये की सीमा तक के विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान किया जैसा कि उपप्रस्त (अ) एवं (ब) में नीचे दिया गया है :

(अ) पुराने संयंत्र के क्षतिग्रस्त पी.टी. के प्रतिस्थापन में विलम्ब

खराब पी.टी. के बदलने में देरी एवं माँग प्रभारों के कारण 0.56 करोड़ रुपये में ऊर्जा प्रभारों के परिहार्य भुगतान से हानि।

जून 1995 में क्षतिग्रस्त, पुराने संयंत्र का पी.टी., 0.24 लाख रुपये के मूल्य पर, 28 अक्टूबर, 1996 को 17 महीनों के विलम्ब से प्रतिस्थापित किया जा सका। जून 1995 से अक्टूबर 1996 के दौरान, मिलों के बिल आगणन को परिवर्ती पद्वति के आधार पर (623297 के.डब्ल्यू.एच. प्रतिमाह का औसत उपभोग) बनाये गये जबकि 28 अक्टूबर, 1996 को नये पी.टी. की संस्थापना के पश्चात् के तीन महीनों की अवधि (नवम्बर 1996 से जनवरी 1997) के लिए औसत मासिक उपभोग 518699 के.डब्ल्यू.एच. आया था। नये मीटर द्वारा अंकित औसत उपभोग के आधार पर (परिषद् के नियमों के अनुसार पूर्ववर्ती बिलों के संशोधन में विचार न किये जाने योग्य) मिल ने जून, 1995 से अक्टूबर, 1996 के दौरान 1778166 के.डब्ल्यू.एच. के लिये ऊर्जा प्रभारों के रूप में 47.99 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान किया। क्षतिग्रस्त पी.टी. को जून 1995 में तत्काल प्रतिस्थापित करके इससे बचा जा सकता था।

(ब) मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान

मीटर पाठांकन के अनुसार, उपभोग की गई वास्तविक ऊर्जा के लिये, ऊर्जा प्रभारों के अतिरिक्त एक औद्योगिक उपभोक्ता के वास्तविक अधिकतम उपभोग अथवा अनुबन्धित भार का 75 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के लिये लागू दरों पर माँग प्रभारों का भुगतान करना होता है।

नये संयंत्र के 1750 के.वी.ए. के अनुबन्धित भार के विरुद्ध (जून 1992 में भार को कम किये जाने के पश्चात्), अक्टूबर 1993 से जनवरी 1997 के मध्य वास्तविक अधिकतम भार, 1050 और 1293.5 के.वी.ए. के मध्य श्रेणीबद्ध था जो अनुबन्धित भार के 75 प्रतिशत से कम था (अर्थात् 1312.5

के.वी.ए.)। अतैव, मिल को उपरोक्त अवधि के दौरान, 1312.5 के.वी.ए. की बिल योग्य माँग के 75 प्रतिशत के लिये माँग प्रभारों का भुगतान करना पड़ा जिससे 8.20 लाख रुपये के अनावश्यक 6193.50 के.वी.ए. के भार के लिये (अनुबन्धित भार के 75 प्रतिशत की बिल योग्य माँग तथा पूर्ण की गई वास्तविक माँग का अंतर होने के कारण) माँग प्रभारों का भुगतान हुआ।

2अ.4 निर्यात

2अ.4.1 बिक्री मूल्य से उच्च लागत पर निर्यात कोटि के सूत का उत्पादन

निर्यात नीति के अनुसार निर्यात कोटि के सूत का विक्रय मूल्य निर्धारित करते समय उसके उत्पादन में अतिरिक्त मूल्य (अत्यधिक निपुण करना, स्वचलित तकनीकी मूल्य द्विसंचालन मूल्य, एवं अतिरिक्त पैकिंग मूल्य) एवं 10 प्रतिशत लाभांश को शामिल करना होता है। इसके विरुद्ध निर्यात कोटि के सूत का विक्रय तद्नुसार बिना मूल्य निर्धारण के कर दिया गया।

भारत सरकार द्वारा आवंटित नियतांश के विरुद्ध, रायबरेली मिल विदेशी क्रेताओं को, मुख्यालय द्वारा निर्धारित की गई दरों एवं शर्तों पर, या तो सीधे अथवा व्यापारी निर्यातकों के माध्यम से सूत का निर्यात करती है।

1995–96 के दौरान, सूत के निर्यात का बिक्री मूल्य इसकी बिक्री लागत से कम थी जो नकारात्मक लाभ अथवा 31.57 लाख रुपये की हानि में परिणामित हुआ। विवरण नीचे दिया गया है:

निर्यात कोटि सूत को घाटे में बेचने से 0.32 करोड़ रुपये की हानि।

(लाख रुपये में)

काउन्ट	निर्यात की गई मात्रा	निर्गत मिश्रण की प्रति किग्रा. लागत	अपशिष्ट* बहुगुणक	उपयोजित मिश्रण की निबल लागत	कुल रूपान्तरण लागत	उत्पादन की कुल लागत	बिक्री एवं वितरण व्यय	बिक्री का मूल्य	विक्रय मूल्य	बिक्री के मूल्य पर लाभांश	हानि
	(किग्रा.)	(रुपये)	(प्रति किलोग्राम लागत)					(रुपये)		(लाख रुपये में)	
12/1 निर्यात ए/सी	24300	60.45	1.224215	74.00	16.41	90.41	9.09	99.50	74.00	(-) 21.50	5.22
14/1निर्यात ए/सी	28020	60.45	1.224215	74.00	15.90	89.90	9.34	99.24	84.00	(-) 15.24	4.27
16/1 के०डब्ल्यू ए/सी	18882	60.45	1.224215	74.00	18.77	92.77	9.69	102.46	87.82	(-) 14.64	2.76

काउन्ट	निर्यात की गई मात्रा (किग्रा.)	निर्गत मिश्रण की प्रति किग्रा. लागत (रुपये)	अपशिष्ट* बहुगुणक	उपयोजित मिश्रण की निबल लागत	कुल रूपान्तरण लागत	उत्पादन की कुल लागत	बिक्री एवं वितरण व्यय	बिक्री का मूल्य (रुपये)	विक्रय मूल्य	बिक्री के मूल्य पर लाभांश	हानि
			(प्रति किलोग्राम लागत)							(लाख रुपये में)	
20/1के०डब्ल्यू ए/सी	110700	55.59	1.173607	65.24	19.21	84.45	9.93	94.38	88.52	(-) 5.86	6.49
30/1के०डब्ल्यू ए/सी	59050	63.46	1.173607	74.48	25.10	99.58	10.62	110.20	97.00	(-) 13.20	7.80
2/12 टी०एफ०ओ०	11476	60.45	1.224215	74.00	20.16	94.16	9.60	103.76	82.00	(-) 21.76	2.50
2/24 टी०एफ०ओ०	28234	5.24	1.173607	64.83	32.53	97.36	11.51	108.87	99.90	(-) 8.97	2.53
										कुल	**31.57**

मुख्यालय को, कपास मिश्रण की लागत सूचित करते समय मिल ने एम.आई.एस. में 64.83 रुपये और 74.48 रुपये प्रति कि.ग्रा. के मध्य की वास्तविक लागत के विरुद्ध, 58.64 और 61.60 रुपये प्रति कि.ग्रा. के मध्य की लागत के निम्न श्रेणी कपास मिश्रण को इंगित किया। मुख्यालय भी विसंगति का संज्ञान लेने में असफल रहा यद्यपि समकालिक रूप से सभी विवरण, साप्ताहिक वस्तुस्थिति प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रस्तुत किये गये थे।

2अ.4.2. निर्यात होने वाले सूत की घटिया कोटि के कारण हानि

निम्न कोटि सूत के निर्यात में 0.08 करोड़ रुपये का घाटा।

कम्पनी, भारत सरकार द्वारा आवंटित कोटे के विरुद्ध विदेशों को सूत निर्यात कर रह था (सीधे अथवा व्यापारी निर्यातकों के माध्यम से)। इस संदर्भ में यह देखा गया कि कम्पनी ने वर्ष 1991–92 के दौरान, अपनी रायबरेली इकाई के माध्यम से जर्मनी के मेसर्स कार्ल वेस्की को कपास सूत का निर्यात किया। कम्पनी ने, विदेशी क्रेता को आपूर्ति किये गये 203536 कि.ग्रा. कपास सूत में से 61016 कि.ग्रा. कपास सूत से सम्बन्धित (बीजक मूल्यः 181221 अमरीकी डालर), सूत गुणवत्ता की निम्न कोटि शिकायत प्राप्त की। गुणवत्ता क्षतिपूर्ति हेतु, क्रेता द्वारा भारत सरकार के पास, 27506 अमरीकी डालर (8.25 लाख

* अपशिष्ट बहुगुणक द्वारा कपास के कच्चे माल में अपशिष्ट कपास को जोड़कर शुद्व कपास का मूल्य निकालते है।

रुपये) का दावा दायर किया गया (अप्रैल से दिसम्बर 1991)। जिसका भुगतान कम्पनी ने जून 1995 में कर दिया।

इस प्रकार कम्पनी को निम्न कोटि सूत के निर्यात में 8.25 लाख रुपये का घाटा हुआ। जिसके लिये अभी तक (सितम्बर 1997) कोई भी जिम्मेवारी निर्धारित नहीं की गईं

2अ.5. बिक्री सम्पादन

5.1. बाजार निर्णयों में पारदर्शिता की कमी

अप्रैल 1992 में प्रत्येक कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय विक्रय समिति (सी.एस.सी.) गठित की गयी, जिसने प्रत्येक मिल में उसके मुख्य कार्यकारी की अध्यक्षता में विक्रय समितियाँ (एस.सी.) गठित की और उनको विक्रय हेतु सूत की दरों को नियत करने के अधिकार हस्तगत कर दिये थे। जनवरी 1993 और फरवरी 1995 के मध्य, इन अधिकारों को वापस ले लिया गया था। पुनः फरवरी 1995 से इन अधिकारियों को पुनर्स्थापित कर दिया गया।

दूरभाष पर सूत की दरें निश्चित करके बिक्री पंजिका में अंकित कर दी जाती है। जिन्हें एस.सी. के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाता था। यद्यपि, सी.एस.सी. ने चर्चा एवं उनके द्वारा लिये गये निर्णयों के समर्थक कार्यवृत्त के अभिलेखेां को रखा था (जनवरी 1993 से फरवरी 1995 के मध्य में जब कि अधिकारी को एस.सी. से वापस ले लिया गया था)। एस.सी. द्वारा ऐसे कोई अभिलेख रखे नहीं गये थे। सूत की उपभोक्ता माँग और बाजार मूल्य को इंगित करते हुये अभिलेखी साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं थे। मुख्यालय तथा प्रत्येक मिलों पर एक मूल्य लागत प्रकोष्ठ होते हुये भी, विक्रय मूल्य की तुलना में, निर्णयों की पारदर्शिता के लिये, दरों की प्रमाणिकता तथा लागत के विश्लेषण का प्रमाण व्यवस्थित नहीं किया गया था।

2 अ.5.2 अतिरिक्त साधन उपलब्धता के बावजूद सूत की बिक्री में लगातार कमी:

कम्पनी ने बिक्री बढ़ाने के लिये आठ बिक्री डिपो खोले (1992–93) तथा 1992–93 से प्रेषण विक्रय भी आरम्भ किया। लेखा परीक्षा द्वारा किये गये एक विश्लेषण ने प्रकट किया कि बिक्री का मूल्य, बिक्री वसूली से अधिक रहा था (1993–94 में सभी मिलों को तथा 1994–95 एवं 1995–96 में बाराबंकी मिल को छोड़कर) जिससे 1995–96 तक पाँच वर्षों के दौरान 20.80 करोड़ रुपये के लाभांतर की हानि हुईं विवरण परिशिष्ट–9 मे दिये गये हैं :

1995–96 पाँच सालों में बिक्री मूल्य, बिक्री लागत से कम होने के कारण कम्पनी को 20.80 करोड़ रुपये का घाटा।

लेखा परीक्षा में आगे निम्न बातें प्रकाश में आईं :

(i) यातायात प्रभारों का उदग्रहण न किया जाना

डिपो वितरक के साथ अनुबन्ध के अनुसार, कम्पनी वितरण आदेश के चौथे दिन से इक्कीसवें दिन तक 30 जनवरी 1996 तक भुगतान प्राप्ति के सम्बन्ध में 2.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर यातायात प्रभारों को उगाही करती है। प्राविधान के संशोधन से पूर्व 30 जनवरी 1996 वितरण आदेश अवैद्य हो जाना था तथा कम्पनी ऐसे सूत की बिक्री बाजार में करने तथा उस पर उठाई गई हानि को वसूली करने के लिए अधिकृत थी।

जुलाई 1994 से जनवरी 1996 की अवधि से सम्बन्धित 169 अनुबन्धों के प्रकरण में माल, वितरण आदेश की तिथि से इक्कीस दिन के पश्चात् भी बेचे नहीं गये थे। इक्कीस दिनों के पश्चात् इन वितरण आदेशों को अवैद्य नहीं किया गया और विक्रय भी नहीं किया गया। इस बारे में हानि की मात्रा लेखा परीक्षा में आगणित नहीं की जा सकी। फिर भी यातायात प्रभारों की मात्रा के आधार पर हानि, 9.72 लाख रुपये आगणित होती है।

अतैव, कम्पनी ने समझौते की शर्तों का पालन न करने अथवा प्रारम्भ में ही समझौते में यातायात प्रभारों के उगाही के लिये किसी धारा का प्राविधान करने में असफल होने के कारण 9.72 लाख रुपये की हानि उठायी।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1997) कि 1994 से 1996 के मध्य चार डिपो से 15.26 लाख रुपये की वसूली की गयी थी। उत्तर सन्तोषजनक नहीं थे, क्योंकि प्रस्तर में जिन मामलों के बारे में बताया गया है उन मामलों में अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कोई वसूली नहीं की गयी थी।

(ii) प्रेषण बिक्री में अतिरिक्त संविदागत दायित्व को स्वीकार करना

अप्रैल 1992 से प्रेषण बिक्री की योजना पुनः आरम्भ की गईं प्रेषण अभिकर्ता के साथ हुए समझौतों के अनुसार प्रेषण अभिकर्ता को मिल मूल्य पर सूत की आपूर्ति की जानी थी। सूत आपूर्ति पश्चात् अभिकर्ताओं द्वारा किये गये व्यय कम्पनी द्वारा देय नहीं थे। अभिकर्ता, उसके द्वारा दी गयी सेवाओं के लिये मिल मूल्य पर 1 प्रतिशत कमीशन का हकदार था। इन प्राविधानों के विरुद्ध कम्पनी ने अभिकर्ता द्वारा की गई बिक्री पर उसके द्वारा किये गये व्यय के लिये 1995–96 तक के चार वर्षों के दौरान, कुल 56.45 लाख रुपये के भुगतानों की प्रतिपूर्ति की।

अभिकर्ताओं को बिक्री पर व्यय के बदले अनुबन्ध की शर्तों के विरुद्ध भुगतान करने से कम्पनी को 0.56 करोड़ रुपये की हानि।

2अ.5.3. भण्डार की विलम्बित निकासी के कारण हानि

बेहतर मूल्य प्राप्त करने, बिक्री को बढ़ाने तथा न्यूनतम भण्डार रखने के लिए कम्पनी ने अप्रैल, 1992 से मिल स्तर पर इसके मुख्य कार्यकारियों की अध्यक्षता में एक विक्रय समिति का गठन किया। मिलों को केवल उस सीमा तक सूत का उत्पादन करना था जहाँ तक उनके लिए 45 दिनों की अवधि के अन्दर बिक्री करना सम्भव था।

लेखा परीक्षा द्वारा किये गये विश्लेषण में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये :

(i) निम्न दरों पर सूत के निस्तारण से हानि

माल यातायात के उच्च मूल्य तथा व्यापक रूप से अस्थिर सूत बाजार के कारण, उपलब्ध भण्डार को शीघ्रता से निस्तारित किया जाना तथा नये भण्डार का निस्तारण मात्रानुसार उत्पादित किया जाना सदैव विवेकपूर्ण होता है। अप्रैल, 1994 से मई 1996 के दौरान, मिलों ने, विद्यमान भण्डार की बेहतर मूल्य पर बिक्री को सुनिश्चित किये बिना ही, उसी काउन्ट के नये भण्डार का उत्पादन किया। इससे 24 एक्स.एक्स.आर., 30 एक्स.एक्स.आर., 40 एक्स.एक्स.आर., 32 सी.आर. एवं 40 पी.सी. (48:52) कपास सूत की बाद में निम्न दरों पर बिक्री होने के कारण 64.92 लाख रुपये (रायबरेली: 34.31 लाख रुपये, मऊ: 5.71 लाख रुपये तथा बाराबंकी: 24.90 लाख रुपये) की हानि हुई

भारी भण्डारण के कारण सूत की निम्न दरों पर बिक्री से 0.65 करोड़ रुपये की हानि।

(ii) जमा हुये माल पर यातायात मूल्य

24 एक्स.एक्स.आर., 30 एक्स.एक्स.आर., 21 एच.के.ए.सी., 24 एक्स.एक्स.ए. 30 पी.सी. (67:33) एवं 32 सी.आर. काउन्ट के सूत के विशाल के भण्डार के पैंतालिस दिनों से अधिक जमा हो जाने के कारण कम्पनी को मार्च 1994 से दिसम्बर 1996 के मध्य कुल 31.63 लाख रुपये के यातायात प्रभारों का (2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर) व्यय 3.814 मी0 टन से 130.388 मी0 टन के बीच रहे एक से दस महीने (45 दिनों को छोड़कर) तक अबिक्रीत सूत पर, वहन करना पड़ा।

45 दिनों की निर्धारित अवधि में विभिन्न प्रकार के सूतों की बिक्री न होने से कम्पनी को 0.32 करोड़ रुपये का यातायात प्रभार वहन करना पड़ा।

2अ.6. मशीनों की अधिप्राप्ति में हानि

2अ.6.1.ड्राफ्टिंग कन्वर्जन* में अतिरिक्त कुल व्यय

निधियों की प्रचुर संबद्वता से बचने के लिये, चयनात्मक आधार पर किसी परीक्षण आदेश के बिना, मई 1990 और दिसम्बर 1991 के मध्य, मऊ इकाई के 44 रिंग फ्रेम (111 में से) तथा बाराबंकी इकाई के 21 रिंग फ्रेम (111 में से) के दो भागों का ड्राफ्टिंग कनवर्जन स्टार मार्केटिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली से क्रमशः 124.75 लाख रुपये तथा 56.06 लाख रुपये के मूल्य पर कराया गया। तथापि, ड्राफ्टिंग कनवर्जन ने बाधा देना आरम्भ कर दिया जिससे प्रारम्भ से ही निष्क्रिय तकुआ प्रतिशत मिले और सितम्बर 1997 तक नहीं सुधरे। सितम्बर, 1992 (2.80 लाख रुपये) और अक्टूबर, 1992 (6.24 लाख रुपये) तक वैध, 9.04 लाख रुपये की बैंक प्रत्याभूति कालातीत हो गई क्योंकि बैंक को बैंक प्रत्याभूति आहवानित करने के, कम्पनी के निर्देशों (22, सितम्बर 1992) को उसके द्वारा वापस ले लिया गया (26, सितम्बर 1992)। समस्या पर काबू पाने के लिये, जून 1993 में 1.21 लाख रुपये के मूल्य पर सोवेरेन इन्जीनियर्स, कोयम्बटूर को मऊ में एक रिंग त्नेम के आंशिक ड्राफ्टिंग कनवर्जन हेतु एक परीक्षण आदेश दिया गया। कार्य, अक्टूबर, 1993 में निष्पादित किया गया। सफल कार्य सम्पादन होने पर, उसी आपूर्तिकर्ता को 60.15 लाख रुपये (245.70 रुपये प्रति तकुआ दर पर) के मूल्य पर रिंग त्नेम के 51 सेटों के आंशिक ड्राफ्टिंग कनवर्जन हेतु पुनरादेश दिया गया (नवम्बर 1993) जो 1994–95 के दौरान निष्पादित किया गया। उसके सफल सिद्ध होने पर कम्पनी ने आंशिक ड्राफ्टिंग कनवर्जन कराने का फैसला किया (अक्टूबर 1994)। इसमें वांछित परिणाम मिलने के अलावा पूर्ण ड्राफ्टिंग कनवर्जन की तुलना में व्यय भी कम शामिल था।

परीक्षण आदेश के बिना मऊ एवं बाराबंकी मिलों में पूर्ण ड्राफ्टिंग के अविवेकी निर्णय से 1.09 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय

इस प्रकार कम्पनी के मऊ एवं बाराबंकी में 65 रिंग फ्रेमों (29032 तकुआ) 180.81 लाख रुपये (622.80 रुपये प्रति तकुआ से औसत दर पर) पूर्ण ड्राफ्टिंग कनवर्जन के निर्णय परीक्षण आदेश के बिना, से 109.48 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय आंशिक ड्राफ्टिंग कनवर्जन की तुलना में अधिक हुआ।

2अ.6.2. पुरानी मशीनों का घटिया मशीनों द्वारा प्रतिस्थापना से हानि

संयुक्त पूँजीगत माल समिति (जे.सी.जी.एम.) ने उच्च तकुआ गति, सूत की बेहतर गुणवत्ता एवं विविधकृत उत्पाद मिश्रण को प्राप्त करने के लिये 16 पुरानी टेक्स्टूल मार्का द्विगुणक मशीनों को

* ड्राफ्टिंग कनवर्जन, रिंग फ्रेम का एक ऐसा भाग है जिसके द्वारा सूत को वाँछित काउन्ट प्रदान किया जाता है।

12 नवीन द्विगुणक मशीनों से प्रतिस्थापित करने का अनुमोदन किया (जून 1993)। तद्नुसार, अक्टूबर और दिसम्बर 1993 में टेक्स्मैको, नई दिल्ली को 1180 रुपये प्रति तकुए की दर पर, 400 तकुआ प्रत्येक की 6 द्विगुणक मशीनों के क्रक्रय हेतु (32.40 लाख रुपये उत्पादन शुल्क सहित के) दो आपूर्ति आदेश दिये। नवम्बर, 1993 से जनवरी, 1994 की अवधि के दौरान 6 मशीनें प्राप्त करने पर, कम्पनी द्वारा यह देखा गया (जनवरी 1994) कि मशीनों के शीर्षों और तलों का धातु कठोर क्रक्रोमियम युक्त न होकर, साधारण धातु की एवं अति घटिया थी। जिसके कारण तलों को क्षति पहुँचनी शुरू हो गई आपूर्तिकर्ता के अभियन्ता की उपस्थिति में फरवरी, 1996 में एक विस्तृत जाँच की गई और यह देखा गया कि मशीनें लक्षित गति (10500 से 11000 आर.पी.एम.) पर नहीं चल सकीं क्योंकि इस गति पर सूत के टूटने की दर नियंत्रण से परे थी। अनेकों प्रयासों एवं परीक्षणों के पश्चात्, अन्ततः, आपूर्तिकर्ता ने सुझाव दिया (जुलाई 1994) कि मशीनें लक्षित गति की 80 प्रतिशत की निम्मित क्षमता अर्थात् 8800 आर.पी.एम. पर चलाई जाएं और मशीनों में केवल मध्यम काउन्ट अर्थात 40 एस. का सूत प्रयोग किया जाय। अतएव, पुरानी मशीनों को उच्च तकुआ गति वाली मशीनों से प्रतिस्थापित करने तथा उत्पाद मिश्रण के विविधीकरण का मुख्य उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

दोषपूर्ण मशीनों की खरीद में कम्पनी द्वारा 0.20 करोड़ रुपये का फालतू खर्च।

इसी बीच दिसम्बर, 1993 में, 8000 आर.पी.एम. प्रत्येक की उत्पादकता वाली 8 पुरानी टेक्स्टूल मार्का द्विगुणक मशीनें, 1.60 लाख प्रत्येक (कुल 12.80 लाख रुपये) में बेच दी गई। अतः, घटिया मशीनों के क्रय के कारण आठ मशीनों की 64000 आर.पी.एम. की उत्पादन गति को, 52800 आर.पी.एम. की उत्पादन गति वाली नई मशीनों से (32.40 लाख रुपये मूल्य पर) प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस प्रकार कम्पनी ने अपनी विद्यमान गति को स्थाई रूप से 11200 आर.पी.एम. पर निम्मित करने के साथ–साथ, घटिया मशीनों के क्रय पर 19.60 लाख रुपये का अलाभकारी व्यय किया।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1997) कि मशीनों का 8800 आर.पी.एम. पर काम करने का अवलोकन सही नहीं था। यह सिर्फ मशीनों के चालू होने तक के लिये ही था। उत्तर सन्तोषजनक नहीं थे क्योंकि आपूर्तिकर्ता ने दोष दूर कर पाने में असमर्थ रहने पर ही मशीनों को 80 प्रतिशत क्षमता पर मध्यम काउन्ट के सूत के लिये चलाने का सुझाव दिया था। इसके अलावा अगस्त 1997 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसी फर्म का 15 द्विगुणक मशीनों की निम्नतम निविदा दोषपूर्ण आपूर्ति के कारण ठुकरा दिया था।

2अ.7. भण्डार नियंत्रण

1995–96 तक के पाँच वर्षों के दौरान, कम्पनी ने 26.09 करोड़ रुपये (1991–92) से 33.71 करोड़ रुपये तक के मूल्य का माल उठाया। लेखा परीक्षा द्वारा जाँच परीक्षण में देखे गये बिन्दुओं की चर्चा नीचे की गई है :

(i) भण्डार का अतिशय उपभोग

भण्डार का मानक से ज्यादा 5.62 करोड़ रुपये का उपभोग

कम्पनी अपने प्रायोजित सम्पादन बजटों में, प्रतिवर्ष प्रति तकुआ पारी भण्डार एवं कलपुर्जों, रंग सामग्री, रसायनिक द्रव्य, कोयला (तेल एवं पैकिंग का छोड़कर) के उपभोग का पैसे में मानक नियत करती है। तद्नुरूप, इन मानकों के अनुसार 1995–96 तक के पाँच वर्षों के दौरान भण्डारों के उपभोग के मूल्य कच्चे माल के प्रतिस्थापना मूल्य सहित (कपासः 14 से 16 पैसे के मध्य तथा संश्लेषित सूतः 16 से 20 पैसे के मध्य) में 5.62 करोड़ रुपये के अतिशय उपभोग को इंगित किया जैसा नीचे विवरण दिया गया :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	उपयोजित तकुआ पारियाँ (संख्या लाख में)	मानक के अनुसार	भण्डार का उपयोग वास्तविक	अतिशय उपभोग
1991-92	1171.55	1.68	2.53	0.85
1992-93	1475.87	2.50	3.11	0.60
1993-94	1481.66	2.33	3.97	1.64
1994-95	1432.70	3.22	4.51	1.29
1995-96	1412.88	3.23	4.47	1.24
			योग	5.62

यद्यपि, भण्डार क्रय नियमावली, उपचारी उपायों के लिये, प्रबन्ध (तकनीकी) द्वारा भण्डार के उपभोग विश्लेषण के बारे में प्रबन्धन को उपभोग एवं असंगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करती है परन्तु ऐसा प्रतिवेदन तैयार नहीं किया जा रहा था।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1997) कि भण्डार के उपभोग का मानक उपलब्ध तुकआ पारी पर आधारित था। उसमें ड्राफ्टिंग कनवर्जन के मूल्य को शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार वास्तविक भण्डार उपभोग मानक के अन्दर ही थे। उत्तर सन्तोषजनक नहीं थे क्योंकि कम्पनी ने उपभोगित तकुआ पारी एवं ड्राफ्टिंग कनवर्जन को लेकर ही मानक निर्धारित किये थे।

(ii) रायबरेली इकाई के माल भण्डार के अभिलेखों की समीक्षा ने प्रकट किया कि जनवरी 1995 से दिसम्बर 1996 के दौरान निर्मित 55.20 लाख रुपये के मूल्य का 0.53 लाख किग्रा. कपास एवं संश्लेषित मिश्रण सूत, मार्च 1997 तक भण्डार में बिना बिके पड़ा था। मार्च 1997 तक यातायात प्रभारों का मूल्य (2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर) 17.91 लाख रुपये आगणित किया गया।

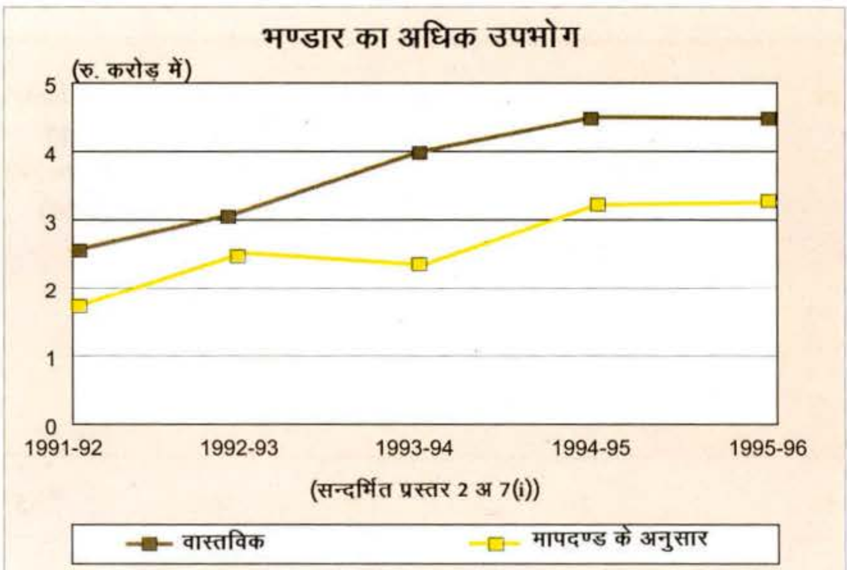

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि उपरोक्त भण्डार (0.53 लाख कि.ग्रा) में सम्मिलित मार्च/अप्रैल 1995 (10454 कि.ग्रा., मूल्यः 7.65 लाख रुपये) तथा अप्रैल 1996 (15150 कि.ग्रा., मूल्यः 17.69 लाख रुपये) के दौरान उत्पादित 25.34 लाख रुपये मूल्य के विभिन्न प्रकार के कपास एवं मिश्रित सूत के 0.256 लाख कि.ग्रा. (जैसे 2/8 एक्स.एक्स.आर. 30 मिलैंक, 32 पी.सी. 48:52), 2/30 पी.वी. (67.33), 40 पी.वी. एवं 2/40 पी.वी. (48.52) अपने उत्पादन से ही भण्डार में पड़े थे। सूत का उत्पादन, मासिक उत्पादन कार्यक्रम और बाजार माँग के बिना ही किया गया था। इसमें से 0.48 लाख कि.ग्रा. सूत 6.76 लाख रुपये के घाटे में 18 मार्च से 11 अगस्त 1997 के मध्य बेचा गया। बाकी 4960 कि.ग्रा. सूत सितम्बर 1997 तक पड़ा रहा।

रायबरेली मिल ने 0.35 लाख कि.ग्रा. के अबिक्रीत सूत पर 0.18 करोड़ रुपये का यातायात प्रभार के खर्च के अलावा इसमें से 0.48 लाख कि.ग्रा. की बिक्री पर 0.07 करोड़ रुपये का घाटा उठाया।

2अ.8. जनशक्ति विश्लेषण

मई 1992 में, कम्पनी ने सी.टी.आर.ए. के मानक के आधार पर अपने विभिन्न उत्पादन विभागों के लिये कार्य मानकों का संशोधन कर दिया। तद्नुसार, कार्य मानकों को 1992–93 के पारिश्रमिक दर पर 1.38 करोड़ रुपये की संभावित वार्षिक बचत के साथ, 4228 से 3622 श्रमिक प्रतिदिन तक 1992–93 से कम कर दिया।

श्रमिकों के संशोधित मानक से अधिक भर्ती से 3.62 करोड़ रुपये का जनशक्ति पर अतिरिक्त व्यय।

तथापि, वास्तविक जनशक्ति संशोधित मानक से अधिक थी जिससे 1995–96 तक के चार वर्षों के दौरान 3.62 करोड़ रुपये का अतिरिक्त जनशक्ति भार परिणामित हुआ जैसा नीचे विवरण दिया गया:

वर्ष	कर्मियों की प्रतिदिन नियुक्ति संशोधित कार्यमानकों के अनुसार	वास्तविक	अतिरिक्त नियुक्ति	प्रतिदिन/कर्मी औसत पारिश्रमिक (रुपये)	अतिशय पारिश्रमिक का भार (लाख रुपये में) कालम 4x5x साल के कुल दिन)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1992-93 (अक्टूबर 1992 से मार्च 1993)	3622	3980	358	68.71	44.77
1993-94	3622	4136	514	72.93	136.82
1994-95	3622	3796	174	84.30	53.54
1995-96	3622	4010	388	89.45	126.68
योग					**361.81**

सरकार ने बताया (सितम्बर 1997) कि श्रमिकों की कार्य संख्या उत्पादन मिश्रण, सूत के काउन्ट एवं पैकिंग के प्रभार पर निर्भर करता है, यह भी बताया कि जितना महीन काउन्ट होगा उतने ही कम श्रमिक लगेगें (60 काउन्ट पर एक दैनिक श्रमिक के बदले 10 काउन्ट पर चार दैनिक श्रमिक चार रिंग फ्रेमों पर)। उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि अटीरा ने सितम्बर 1992 के अपने अनुशंसा में 10 प्रतिशत तक कार्य–शक्ति को कम करने के लिये कहा था। अतः समय के साथ अनुभव के बढ़ने के बाद एवं सूत के औसत काउन्ट में सुधार के बाद कार्य–शक्ति में भी सुधार होना चाहिए।

उपसंहार

कम्पनी 1974 में सूत कातने, डब्लरस्, कनात निर्माण, सूत का व्यापार, रंगसाज, कपास एवं दूसरी रेशे वाली वस्तुओं की खरीद इत्यादि, कपास यूनिटों की स्थापना एवं सब प्रकार के धागों के उत्पादन और व्यापार के मुख्य उद्देश्य के साथ संस्थापित की गई थी। मिलों के आधुनिककरण के बावजूद कम्पनी 1983–84 (1993–94 को छोड़कर) से लगातार घाटे में चल रही थी। मार्च 1996 तक का इसका कुल घाटा इसकी कुल प्रदत्त पूँजी के बराबर हो गया। 1993–94 में लाभ के मुख्य कारण थे:

सरकारी ऋण, जो कि प्रदत्त पूँजी में बदल दिया गया, पर ब्याज का न लगाया जाना।

कम्पनी के घटिया निष्पादन एवं घाटे में चलने के मुख्य कारण थे।

- मिलों को कम क्षमता पर चलने के कारकों का कम से कम न रख पाना।
- कम श्रमिक क्षमता एवं कम तकुआ क्षमता।
- मानक के अन्दर क्षमता को न रख पाने से अत्यधिक उत्पादन लागत।
- कच्चे माल की खरीद एवं सूत के बिक्री में हानि और
- अत्यधिक भण्डार यातायात लागत एवं अधिक जनशक्ति।

कम्पनी को बढ़िया निष्पादन के लिये मशीनी क्षमता उपयोग, श्रमिक क्षमता, तकुआ क्षमता को बढ़ाने के साथ–साथ लागत नियंत्रण के लिये विभिन्न मानकों का सख्ती से पालन, बुद्धिसंगत क्रय पद्धति का पालन, अच्छा मूल्य पाने के लिये बाजार प्रवृत्ति का अवलोकन एवं श्रम शक्ति का बुद्धिसंगत उपयोग करना होगा।

अध्याय–II

अनुच्छेद 2ब
उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
1	प्रस्तावना	84
1.1	उद्देश्य एवं क्रियाकलाप	84
1.2	संगठनात्मक ढाँचा	85
1.3	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	85
1.4	वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम	85
2	नियंत्रित कपड़े की अधिप्राप्ति एवं बिक्री	88
2.1	लक्ष्य एवं उपलब्धि	89
2.2	योजना के कार्यचालन परिणाम	90
2.3	धागे के मूल्यों में संशोधन में विलम्ब के कारण हानि	91
2.4	बिक्री देयकों के निगर्तन किये जाने से उपदान की हानि	91
2.5	हानि में परिणामित ऊनी कपड़ों की आपूर्ति में विलम्ब	92
2.6	परिसज्जक के पास कपड़े की अवरुद्धता	92
2.7	गमछे की अतिरिक्त अधिप्राप्ति	93
3.1	प्रदर्शन कक्षों का सम्पादन	94
3.2	परिसज्जित कपड़े का क्रय	95
3.3	चुंगी के भुगतान में अतिरिक्त व्यय	96
3.4	रेशम की सामग्री की अधिप्राप्ति	96
3.5	ऊनी मदों की अधिप्राप्ति	98
4.1	उपदानित धागे के वितरण की योजना	99
4.1.1	लक्ष्यों की अनुपलब्धि	99
4.1.2	पात्रता रहित फर्मों को उपदानित धागे का निर्गमन	100
4.2	उधार पर बेचे गये धागे के वसूल न किये गये बकाये	101
5	भण्डार नियंत्रण	101

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
5.1	बढ़े हुए भण्डार में परिणामित होती हुई परिमाणी अधिप्राप्ति	102
5.2	नीलामी में हुई हानियों के लिये कार्यवाही का अभाव	103
5.3	भण्डार में कमियाँ और उनकी जाँच	104
5.3.1	लम्बित जाँच वाली कमियाँ	104
5.3.2	अन्तर इकाई अन्तरणों में अनुसरण न की गई कमियाँ	105
5.4	भण्डार में कमियों से सम्बन्धित अनुशासनिक प्रकरण	105
6	वित्त एवं नकद प्रबन्ध	107
6.1	भारतीय स्टेट बैंक के सी.सी. खाते में डेबिट अवशेषों का होना	107
6.2	निधि के लेखाकरण में विलम्ब	108
6.3	बैंक ड्राफ्टों के संकलन में विलम्ब	109
7.	विविध ऋणी एवं वसूली योग दावे	109
7.1	वसूली योग बीमा के दावों की स्थिति	110
7.2	निरस्त की गई आपूर्तियों के विरुद्ध वसूल न किये गये अग्रिम	111
7.3	आर.एम.एम., मुम्बई के विरुद्ध भारी अग्रिम	112
8.1	परियोजना एक मुश्त योजना के क्रियान्वयन में खामियाँ	112
8.2	सुस्मान कपड़ा योजना के क्रियान्वयन में खामियाँ	113
9.1	प्रक्रम गृह	114
9.2	रंगरेजी की मशीन	115
10.1	इटावा में प्रक्रम गृह की स्थापना	115
10.2	समझौते की अवधि के दौरान प्रदर्शन कक्ष का अवकाश	116
	उपसंहार	117

खण्ड 2ब

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड

मुख्य अंश

कम्पनी, राज्य में हथकरघा/विद्युतकरघा की ईकाइयों की सहायता एवं विकसित करने के दृष्टिकोण से जनवरी 1973 में निगमित की गई थी। अपने उद्देश्यों के अनुसरण में कम्पनी सरकार द्वारा सौंपी गई विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के साथ–साथ बुनकरों से कपड़े की अधिप्राप्ति एवं अपने प्रदर्शन कक्षों के माध्यम से बिक्री करती है। यह हानियाँ उठाती रही तथा इसकी संचित हानि इसकी चुकता पूँजी से 1992–93 से वृद्धिगत हो गई थी।

(प्रस्तर 2बी.1, 2बी.1.1 एवं 2बी.1.4)

1996–97 तक के पाँच वर्षों के दौरान, केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित कपड़े की समनुदेशित अधिप्राप्ति के लक्ष्यों की प्राप्ति में कम्पनी की असफलता ने उसे 15.64 करोड़ रुपये के ऊपरी प्रभार की वसूली से वंचित कर दिया।

(प्रस्तर 2बी.2.1)

1.34 करोड़ रुपये मूल्य के गमछे की उसकी बिक्री की संभव्यता का आकलन किये बिना ही अधिप्राप्ति, न केवल 2 वर्ष से अधिक बिक्री के बिना पड़े हुए भण्डार में 1.11 करोड़ रुपये की निधियों का अवरोध किया बल्कि इन अवरुद्ध निधियों पर 0.51 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि में परिणामित हुईं

(प्रस्तर 2बी.2.7)

कम्पनी, उपदानित दरों पर धागे की अधिप्राप्ति एवं वितरण में अपनी असफलता के कारण, योजना की मार्च 1996 तक की वैधता अवधि के दौरान 2.97 करोड़ रुपये के केन्द्रीय उपदान को न तो प्राप्त एवं न ही बुनकरों को वितरित कर सकी।

(प्रस्तर 2 बी.4.1.1)

5.95 करोड़ रुपये के भण्डार एवं नकद की कुल कमियाँ जाँच के लिये उनके संज्ञान में आने के पश्चात् 1 से 5 वर्षों से अधिक से लम्बित थी।

[प्रस्तर 2बी.5.3.1,बी.5.3.2 एवं 2बी.5.4(i)(ii)]

कम्पनी, निधि की स्थिति का अनुश्रवण तथा प्रदर्शन कक्षों द्वारा अंतरित निधियों को लेखाबद्ध करने में विलम्ब को नियंत्रित करने में असफल रही। जो 0.48 करोड़ रुपये के परिहार्य ब्याज प्रभारों में परिणामित हुआ।

(प्रस्तर 2बी.6.1 से 2बी.6.3)

2ब.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश हथकरघा वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड एक सरकारी कम्पनी के रूप में 9 जनवरी 1973 को निगमित की गई थी और इसने 22 जनवरी 1973 से व्यवसाय आरम्भ किया। 20 दिसम्बर 1977 को कम्पनी का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड कर दिया गया।

2बी.1.1 उद्देश्य एवं क्रियाकलाप

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य :

- हथकरघा एवं विद्युतकरघा क्षेत्र की ईकाइयों को सहायता, वित्त पोषण और विपणन सम्बन्धी सहायता देनाः
- कपड़े और धागे के रेखांकन और प्रक्रमन हेतु केन्द्रों की स्थापना एवं संचालित करनाः
- उद्योगों के कच्चे माल एवं परिष्कृत वस्त्रों का व्यापार करनाः
- बुनकरों को नवीन तकनीकी में प्रशिक्षित करना एवं निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं में सुधार हेतु अनुसंधान करनाः

कम्पनी, बुनकरों से नियंत्रित एवं नियंत्रण मुक्त हथकरघा कपड़े की अधिप्राप्ति, उसे खलीलाबाद (बस्ती) के अपने प्रक्रम गृह में अथवा निजी फर्मों के माध्यम से प्रक्रमित करना तथा परिष्कृत माल की बिक्री में कार्यरत है। प्रक्रमों/प्रौद्योगिकी के उत्थान एवं वित्त पोषण के सम्बन्ध में कम्पनी की भूमिका, सरकार द्वारा बनाई गई एवं वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित था।

2 ब.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

कम्पनी का प्रबन्धन एक अंशकालिक अध्यक्ष एवं एक प्रबन्ध निदेशक सहित सरकार द्वारा नामित आठ निदेशकों को सम्मिलित करते हुए एक निदेशक मण्डल में निहित है। कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक कम्पनी का मुख्य कार्यकारी है जो दैनिक प्रशासन में मुख्यालय पर दो उप सामान्य प्रबन्धकों, एक वित्त नियंत्रक और दो मुख्य विपणन प्रबन्धकों द्वारा सहायित होता है। 16 क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा शीर्षित हैं जो डिपो प्रबन्धकों के आधीन कार्यरत 177 प्रदर्शन कक्षों पर नियंत्रण रखते हैं। इसके अतिरिक्त, 23 परियोजना कार्यालय बुनकरों से कपड़े की अधिप्राप्ति का कार्य करते हैं।

2ब.1.3 लेखा परीक्षा के क्षेत्र

मार्च 1991 तक के पाँच वर्षों हेतु कम्पनी के क्रियाकलापों की समीक्षा, 31 मार्च 1992 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में की गई थी जिसमें योजनाओं तथा सहायक कम्पनियों की कार्य पद्धति में खामियों तथा नकद व भण्डार की हानियों के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियेां के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही में विलम्ब को इंगित किया गया था। प्रतिवेदन पर सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा अब तक चर्चा नहीं की गई (सितम्बर 1997)।

अक्टूबर 1996 से मई 1997 के मध्य, लेखा परीक्षा द्वारा की गई वर्तमान समीक्षा में 1995–96 तक के पाँच वर्षों के दौरान कपड़े की अधिप्राप्ति, प्रदर्शन कक्षों का बिक्री सम्पादन, भण्डार नियंत्रण एवं नकद प्रबन्धन से सम्बन्धित पहलुओं की समीक्षा की गई और उनके परिणाम अनुवर्ती प्रस्तरों में दर्शाये गये हैं।

2ब.1.4 वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम

कम्पनी के लेखों 1987–88 से बकाये में हैं। तथापि, अनन्तिम लेखों का आधार लेकर इसकी वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणामों को अगले पृष्ठ पर संक्षिप्त किया गया है :

(अ) वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)

विवरण		1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
I	देयतायें					
	(अ) प्रदत्त पूँजी	1375.49	1375.49	1399.79	2274.49	2284.95
	(ब) आरक्षित निधि एवं अतिशेष	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	(स) ऋण नकद उधार सहित	2483.29	2492.61	1563.53	2519.00	2588.64
	(द) व्यापार देय एवं अन्य चालू देयतायें	7425.03	8334.35	8370.52	7508.21	8142.27
	योग	**11284.21**	**12202.85**	**11334.24**	**12302.10**	**13016.26**
II	परिसम्पत्तियाँ					
	(अ) कुल अचल परिसम्पत्तियाँ	717.31	786.26	803.66	820.06	831.94
	(ब) घटायाः मूल्य ह्रास	361.55	400.15	436.66	472.38	509.75
	(स) शुद्ध अचल परिसम्पत्तियाँ	355.76	386.11	367.00	347.68	322.19
	(द) निवेश	50.45	50.45	50.45	50.45	50.45
	(य) चालू परिसम्पत्ति, ऋण एवं अग्रिम	10027.91	10199.96	8560.23	9278.42	9344.74
	(र) विविध व्यय संचित हानियो सहित	850.09	1566.73	2356.56	2625.55	3298.88
	योग	**11284.21**	**12202.85**	**11334.24**	**12302.10**	**13016.26**
III	**नियोजित पूँजीः***	**2958.64**	**2251.72**	**556.71**	**2117.89**	**1522.19**
IV	**शुद्ध परिसम्पत्ति****	**525.80**	**(-) 190.84**	**(-) 956.37**	**(-) 350.66**	**(-) 1013.53**

1992–93 से कम्पनी की संचित हानियों ने उसकी प्रदत्त पूँजी का क्षरण कर दिया और तभी से शुद्ध परिसम्पत्तियों ने भी एक नकारात्मक मूल्य अंकित किया। कम्पनी की नाकारात्मक शुद्ध परिसम्पत्ति तब और भी क्षरित होगी जब शेयरों (31 लाख रुपये) में 246.09 लाख रुपये के निवेश तथा तीन सहायक कम्पनियों जो अप्रैल 1991 में कम्पनी के साथ अपने विलय से पूर्व ही नकारात्मक शुद्ध परिसम्पत्ति रखती थीं, को अग्रिम दिये गये, ऋणों (215.09 लाख रुपये) का लेखों में समायोजन किया जायेगा।

* नियोजित पूँजी, शुद्ध अचल परिसम्पत्तियों (प्रगतिगत कार्य सहित) तथा कार्यशील पूँजी का प्रतिनिधित्व करती है।

** शुद्ध परिसम्पत्ति, प्रदत्त पूँजी आरक्षित निधि के योग से अमूर्त परिसम्पत्तियों को घटा कर प्रतिनिधित होती है।

(ब) कार्यचालन परिणाम

(लाख रुपये में)

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
I. आय					
बिक्री	9692.07	10481.98	5115.44	4299.68	4231.47
धागे और कपड़े पर उपदान एवं अनुदान	2032.27	1763.88	1513.88	776.62	802.65
अन्य आय	465.46	467.92	498.81	517.35	531.62
योग	**12189.80**	**12713.78**	**7128.13**	**5593.65**	**5565.74**
II. व्यय					
उत्पादन व्यय एवं क्रय भण्डार में वृद्धि (–)/	10597.93	9253.58	4181.87	5206.93	3259.57
ह्रास (+)	(-) 1182.02	(+) 465.72	(+) 863.66	(-) 1424.19	(+) 361.22
कर्मचारियों का पारिश्रमिक	835.29	1000.45	1053.88	1064.85	1282.60
प्रशासनिक ऊपरिव्यय	848.71	826.61	723.28	552.18	674.85
बिक्री का ऊपरी व्यय	1544.64	1884.78	1103.89	485.25	635.26
अन्य विविध व्यय	25.07	0.08	---	0.60	0.60
योग	**12669.62**	**13431.22**	**7926.58**	**5885.62**	**6214.10**
III. वर्ष की शुद्ध हानि	479.82	717.44	798.45	291.97	648.36
IV. पूर्व अवधि के व्यय (+)/					
आय (–)	(-) 10.00	(-) 0.80	(-) 8.63	(-) 28.37	(+) 25.57
V. शुद्ध हानि पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात्	469.82	716.64	789.82	263.60	673.93

वित्तीय प्रभाव सहित हाँनियों के मुख्य कारण जैसे कि लेखा परीक्षा में विश्लेषित किये गये, निम्न थे:–

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	कारण	वित्तीय प्रभाव	प्रस्तर संख्या
1.	कपड़े की अधिप्राप्ति एवं बिक्री में हानियाँ	166.33	2ब.2 एवं 2ब.3
2.	प्रचुर भण्डार एवं भण्डार परिवहन मूल्य	774.03	2ब.5
3.	निधियों के लेखाकरण एवं अंतरण में विलम्ब	47.81	2ब.6
4.	विविध ऋणियों एवं दावों में भारी वृद्धि	333.47	2ब.7
5.	प्रक्रम गृह के कार्यचालन/स्थापना में खामियाँ	41.90	2ब.9.2 एवं 2ब.10.1
	योग	**1363.54**	

2ब.2 जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत नियंत्रित कपड़े की अधिप्राप्ति एवं बिक्री

जनता कपड़ा योजना, बेराजगार हथकरघा बुनकरों को निर्वाहित रोजगार उपलब्ध करने तथा अति निर्धन वर्गों को सामर्थ्यनीय मूल्य पर कपड़ा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई थी। योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, जनता कपड़े की प्रत्येक श्रेणी की अधिप्राप्ति का राज्यवार वार्षिक लक्ष्य एवं अधिप्राप्ति तथा उसकी बिक्री की दर नियत करती है। योजना के क्रियान्वयन पर नियंत्रण का कार्य राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति (स्लिक) को सौंपा जाता है जो राज्य के विभिन्न अभिकरणों के मध्य, श्रेणीवार लक्ष्यों का आवंटन करती है। योजना के अन्तर्गत कम्पनी, बुनकरों से कपड़े की अधिप्राप्ति करती है और ऐसे कपड़े के 85 प्रतिशत को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अधिकृत अभिकरणों को बेचा जाता है तथा शेष 15 प्रतिशत को अपने प्रदर्शन कक्षों के माध्यम से बेचा जाता है। कम्पनी, कपड़े की अधिप्राप्ति के सीधे मूल्य पर 25 प्रतिशत उपरिव्यय की अधिकारी है तथा अधिप्राप्त किये गये कपड़े पर 3.40 रुपये प्रति वर्ग मीटर का प्राप्त उपदान, इसी सीमा तक बिक्री मूल्य में छूट के द्वारा उपभोक्ताओं को अग्रसारित कर दिया जाता है।

2ब. 2.1 लक्ष्य एवं उपलब्धि

रिलक द्वारा नियत, जनता कपड़े की अधिप्राप्ति के वर्ष दर वर्ष कम होते हुए लक्ष्यों के बाद भी, कम्पनी द्वारा उन्हें 1996–97 तक के पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त नहीं किया जा सका जैसा कि नीचे विवरित किया गया :

(लाख रुपये में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक अधिप्राप्ति	अधिप्राप्ति में कमी (लाख वर्ग मीटर में)
1992-93	750.00	591.38	158.62
1993-94	600.00	289.90	310.10
1994-95	525.00	127.67	397.33
1995-96	370.00	73.92	296.08
1996-97	75.00	18.90	56.10

कम्पनी, कपड़े की अधिप्राप्ति के घटते हुए लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में अपनी असफलता के कारण 15.64 करोड़ रुपये के अपने ऊपरी व्यय की वसूली न कर सकी।

उपरोक्त से यह दृष्टिगोचर होगा कि जनता कपड़े की अधिप्राप्ति के लक्ष्य साथ ही वास्तविक अधिप्राप्ति ने, लेखा परीक्षा द्वारा समीक्षा के अन्तर्गत समाहित की गई अवधि में एक अधागतिज झुकाव दिखाया तथापि, प्रबन्धन द्वारा कपड़े की अधिप्राप्ति में गिरावट के साथ–साथ, अधिप्राप्ति में कार्यरत जनशक्ति तथा अन्य ऊपरी व्यय में कोई कटौती करने की चेष्टा नहीं की गई थी। चूँकि किये गये ऊपरी व्यय अचल प्रकृति के हैं, कम्पनी द्वारा ऐसे प्रभारों की वसूली, अधिप्राप्ति के परिमाण एवं कपड़े की बिक्री पर निर्भर करती है। लक्ष्यों की तुलना में, 1992–93 से 1996–97 के दौरान, 1218.23 लाख वर्ग मीटर कपड़े की निम्न

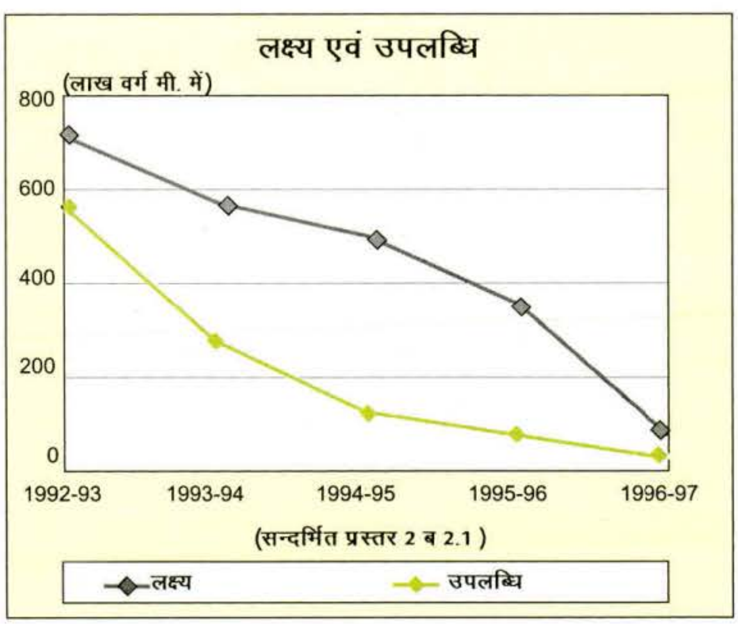

अधिप्राप्ति ने कम्पनी को 1563.86 लाख वर्ग मीटर कपड़े की निम्न अधिप्राप्ति ने कम्पनी को 1563.86 लाख रुपये के ऊपरी व्यय की वसूली से वंचित कर दिया।

2ब.2.2 योजना के कार्य चालन परिणाम

निम्न सारणी, 1995–96 तक के पाँच वर्षों के कार्यचालन परिणाम को संक्षिप्त करती है:

(लाख रुपये में)

	विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
(i)	बिक्री से आय	2750.93	3453.87	1429.40	727.41	939.04
(ii)	व्यय:					
	निर्माण लागत	3861.94	4090.99	2077.38	791.92	952.29
	स्थापना लागत एवं उपरी व्यय	567.94	690.93	609.54	386.75	478.50
	विक्रय एवं वितरण व्यय	328.98	435.74	256.36	100.91	88.84
	योग	**4758.14**	**5217.67**	**2943.28**	**1279.58**	**1519.63**
(iii)	सकल हानि [(i) - (ii)]	2007.21	1763.10	1513.88	552.17	580.59
(iv)	स्वीकार्य उपदान	2550.14	2214.79	1067.26	295.82	286.08
(v)	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)	(+) 542.93	(+) 450.99	(-) 446.62	(-) 256.35	(-) 94.51

यद्यपि, कम्पनी ने जनता कपड़े पर स्वीकार्य उपदान को जमा के रूप में लेते हुए 1992–93 तक लाभ अर्जित किया, इसने 1993–94 से लगातार हानि उठानी आरम्भ कर दी।

1993–94 से बिक्री में गिरावट और हानि में वृद्धि के मुख्य कारण, केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में आबंटित सलेटी कपड़े के विरुद्ध रंगरेजिन घागे कपड़ों के अन्तर्गत 50 प्रतिशत नियतांश का आवंटन था जिसके लिये बुनकरों के पास अपेक्षित प्रशिक्षण और सुविधायें नहीं थी। यद्यपि केन्द्र सरकार की नीति में ऐसा परिवर्तन कम्पनी को 1991–92 में अच्छी तरह ज्ञात था, कम्पनी ने करघों के आधुनिकीकरण एवं रंगरेजिन धागे वाली श्रेणियों में बुनकरों के प्रशिक्षण को विलम्ब से 1993–94 में आरम्भ किया जिसे अभी तक पूर्ण किया जाना था (सितम्बर 1997)।

2ब.2.3 धागे के मूल्यों में संशोधन में विलम्ब के कारण हानि

कम्पनी द्वारा बुनकरों को भुगतान की जाने वाली जनता कपड़े की विभिन्न श्रेणियों की अधिप्राप्ति दरें, बुनकरों द्वारा भुगतान किये जाने वाले धागे के मूल्यों को संज्ञान में लेते हुए स्लिक द्वारा आवधिक रूप से संशोधित की जाती हैं। तद्नुसार कम्पनी, संशोधित दरों पर अधिप्राप्त कपड़े के भुगतान में, बुनकरों को निर्गत किये गये धागे की अपनी दर को विनयमित करने की अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा द्वारा यह देखा गया कि स्लिक ने नवम्बर 1994 से धागे के मूल्यों में वृद्धि पर विचार करते हुए जनता कपड़े की विभिन्न श्रेणियों की अधिप्राप्ति दरों को संशोधित कर दिया। यद्यपि, कम्पनी ने स्लिक द्वारा निर्धारित, कपड़े की अधिप्राप्ति दरों को नवम्बर 1994 से संशोधित कर दिया, परन्तु इसने अपने धागा विभाग की चूक के करण धागे के निर्गम मूल्य में संगत वृद्धि दिसम्बर 1994 से की। धागे के मूल्यों में संशोधन में विलम्ब से, नवम्बर 1994 के दौरान बुनकरों को धागे की विभिन्न श्रेणियों की 37075 गांठों के निम्न दरों पर निर्गम पर 4.65 लाख रुपये की हानि हुई।

2ब.2.4 बिक्री देयकों के निर्गत न किये जाने से उपदान की हानि

11 वर्ष पूर्व की आपूर्तियों के लिये देयकों के जारी न किये जाने से 26.28 लाख रुपये की हानि हुई।

बुनकरों से अधिप्राप्त, नियंत्रित कपड़े का मुद्रण कम्पनी की सहायिका वस्त्र मुद्रण निगम लिमिटेड, कानपुर द्वारा मार्च 1991 तक किया गया। सहायक कम्पनी, कम्पनी के निर्देशों के अनुसार परिष्कृत कपड़े को प्रेषित करने और कम्पनी के विरुद्ध देयकों को जारी करके ऐसे प्रेषण की स्थिति सूचित किये जाने की अपेक्षित थी। कम्पनी को सूचित, प्रेषण स्थिति के आधार पर वह, क्रेता के विरुद्ध देयकों को जारी करने तथा केन्द्र सरकार से उपदान का दावा करने को अपेक्षित थी।

अगस्त 1986 में सहायक कम्पनी ने उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ को 9.65 लाख रुपये के मूल्य की 29700 जोड़े जनता धोतियों का प्रेषण किया और इस प्रेषण के लिये कम्पनी के विरुद्ध एक देयक जारी किया। इस क्रम में कम्पनी ने प्रेषण पर न तो 6.42 लाख रुपये के उपदान का ही दावा किया और न ही आपूर्तियों के लिये क्रेता के विरुद्ध जून 1997 तक देयकों को ही जारी किया। क्रेता के विरुद्ध देयकों को जारी न करने अथवा उपदान का दावा न करने का कारण, सहायक कम्पनी तथा संघ के साथ लेन–देन का समय से मिलान न करना था। कम्पनी ने चूक के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जिससे संघ के पास 9.65 लाख रुपये की अवरुद्धता के अतिरिक्त 6.42 लाख रुपये के उपदान की हानि हुई और परिणामतः, सितम्बर 1986 से जून 1987 की अवधि के दौरान उस पर 19.86 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

2ब.2.5 हानि में परिणामित ऊनी कपड़े की आपूर्ति में विलम्ब

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ, लखनऊ ने अक्टूबर 1993 में कम्पनी को, संघ की फर्रुखाबाद शाखा को 750 ऊनी शाल तथा 1300 कम्बल की शीघ्र आपूर्ति का आदेश प्रेषित किया। कम्पनी ने फरवरी 1994 में अपने जसपुर गोदाम से 2.39 लाख रुपये के मूल्य के मदों की आपूर्ति शीतकाल के अन्त में की। अतैव, संघ ने आपूर्तियों को स्वीकार नहीं किया और उसे मार्च 1994 में कम्पनी के अधिकृत परिवहन अभिकर्ता को हस्तान्तरित कर दिया। परिवहनकर्ता द्वारा अनेकों अनुस्मारकों के बाद भी गोदाम के प्रभारी ने माल का वितरण वापस नहीं किया और जो तीन वर्षों से अधिक लम्बे भण्डारण के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। कम्पनी ने तीन वर्षों से अधिक 2.39 लाख रुपये के मूल्य के कम्पनी के माल की अवरुद्धता और उससे कम्पनी को हानि पहुँचाने के लिये उत्तरदायी दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की (अगस्त 1997)।

2.ब.2.6 अपर्याप्त प्रतिभूति के कारण परिसज्जक के पास कपड़े की अवरुद्धता

विभिन्न परियोजना कार्यालयों द्वारा प्रतिभूति प्राप्त किये बिना परिसज्जकों को कपड़े का बारम्बार निर्गम नियंत्रित करने में असफलता से 12.05 लाख रुपये की हानि हुई।

कम्पनी का मुख्यालय, निजी परिसज्जकों को देय कैलेन्डरिंग प्रभारों को अन्तिम रूप देता है। मुख्यालय द्वारा अनुमोदित मानक शर्तों पर, परियोजना कार्यालय द्वारा उनकों कपड़े को हस्तांतरित किये जाने से पूर्व प्रतिभूति अथवा बैंक गारण्टी प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था होती है। तथापि, कपड़े हस्तान्तरित किये जाने के समय परियोजना कार्यालयों द्वारा कोई प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई जिससे वसूली हेतु बिना किसी प्रभावी कार्यवाही के, फर्म के पास 10.82 लाख रुपये के मूल्य के माल का अधिसंचय और मार्च 1988 से अगस्त 1997 की अवधि में अवरुद्ध निधियों पर 12.05 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुईं प्रकरणों पर नीचे चर्चा की गई है :

(i) धामपुर और बाराबंकी के परियोजना कार्यालयों द्वारा, फरवरी 1988 से जुलाई 1993 के दौरान बिना कोई प्रतिभूति प्राप्त किये दो फर्मों की निर्गत किये गये 3.82 लाख रुपये के मूल्य के कपड़े अब तक (अगस्त 1997) वसूल नहीं किये गये। सम्पत्ति की अवैध रोक पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा कर, फर्मों के विरुद्ध कोई सीधी कार्यवाही करने के स्थान पर, कम्पनी ने एक प्रकरण में फर्म द्वारा गलती किये जाने के 17 महीने पश्चात् मध्यस्थ की नियुक्ति की (जनवरी 1995 और सितम्बर 1996) तथा दूसरे प्रकरण में 96 महीने बाद। इन प्रकरणों में अब तक कोई वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि एक प्रकरण में अधिनिर्णय प्रतीक्षित था जबकि दूसरे प्रकरण में मध्यस्थ द्वारा दिये गये अधिनिर्णय (फरवरी 1996) को, वसूली किये जाने हेतु न्यायालय का नियम नहीं बनाया गया (अगस्त 1997)।

कम्पनी ने मार्च 1988/जुलाई 1993 से अगस्त 1993 के दौरान, 3.82 लाख रुपये की अवरुद्ध उपरोक्त धनराशि पर 4.91 लाख रुपये के ब्याज की हानि उठाई।

(ii) इटावा परियोजना के प्रकरण में निम्न बिन्दु देखे गये :

(अ) परियोजना अधिकारी, इटावा ने नवम्बर 1991 में निर्धारित दरों पर अपने कपड़ों का प्रक्रमन, रंगरेजी तथा कैलेन्डरिंग हेतु आल इण्डिया हैन्डलूम प्रोसेस सेन्टर, इटावा के साथ एक समझौता निष्पादित किया। फर्म, कपड़े के मूल्य को कवर करते हुए प्रतिभूति/बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने की अपेक्षित थी। तथापि, बिना कोई प्रतिभूति/बैंक गारण्टी प्राप्त किये ही परियोजना ने फर्म को 15000 जोड़े धोतियाँ निर्गत कर दी (सितम्बर 1991)। फर्म ने मार्च 1993 तक 2.01 लाख रुपये मूल्य की केवल 3700 जोड़े धोतियाँ ही वापस की। फर्म द्वारा वापस न किये गये 6.13 लाख रुपये के मूल्य के अवशेष 11300 जोड़े के विरुद्ध, कम्पनी के पास 4.70 लाख रुपये के वसूल न हुए अवशेष को छोड़ते हुए (अगस्त 1997) फर्म के लम्बित दावों के 1.43 लाख रुपये ही उपलब्ध थे। 4.70 लाख रुपये की अवरुद्ध धनराशि पर कम्पनी ने अक्टूबर 1991 से अगस्त 1997 की अवधि के दौरान 5.21 लाख रुपये के ब्याज की हानि भी उठाई।

(ब) इसी प्रकार, 1991–92 और 1992–93 के दौरान परियोजना अधिकारी, मथुरा द्वारा बिना कोई समझौता निष्पादित किये और प्रतिभूति प्राप्त किये, इटावा और मथुरा के 17 मुद्रकों को निर्गत, 4.42 लाख रुपये 6622 जोड़ी धोतियाँ, परियोजना को वापस किये बिना अब तक पड़ी थीं। इन बकायों के विरुद्ध, कम्पनी के पास बिना वसूली के (अगस्त 1997) 2.30 लाख रुपये को छोड़ते हुए, फर्म के केवल 1.12 लाख रुपये की राशि के दावे ही उपलब्ध थे। 2.30 लाख रुपये की वसूल न की गई धनराशि पर कम्पनी ने, मार्च 1993 से अगस्त 1997 के दौरान, 1.93 लाख रुपये के ब्याज की हानि भी उठाई।

2ब.2.7 गमछे की अतिरिक्त अधिप्राप्ति

कम्पनी ने बाराबंकी और सीतापुर में अपने परियोजना कार्यालयों के माध्यम से 1994–95 में 10.23 लाख गमछे (मूल्यः 124.17 लाख रुपये) तथा 1995–96 में 0.78 लाख गमछे (मूल्यः 9.52 लाख रुपये) की अधिप्राप्त की। अधिप्राप्त की गई मात्रा के 85 प्रतिशत की बिक्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अन्तर्गत अधिकृत राज्य अभिकरणों को तथा अवशेष मात्रा, कम्पनी के अपने प्रदर्शन कक्षों के माध्यम से की जानी अपेक्षित थी।

माँग के अभाव में कम्पनी, 111.27 लाख रुपये के मूल्य के 9.11 लाख गमछे के भण्डार को छोड़ते हुए, राज्य अभिकरणों को 8.70 लाख गमछे की संकल्पित बिक्री के विरुद्ध 0.36 लाख गमछे और अपने प्रदर्शन कक्षों से 2.30 लाख गमछे के विरुद्ध केवल 1.53 लाख गमछे की ही बिक्री कर

कम्पनी ने 1.11 करोड़ रुपये के मूल्य के गमछे की उसकी बिक्री की संभवाना का बिना आकलन किये अधिप्राप्ति में 0.51 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि उठाई।

सकी। गमछे के भण्डार के अधिसंचय के मुख्य कारण थे, 1994–95 के दौरान बाराबंकी परियोजना द्वारा उसे सौंपे गये 5.50 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 7.01 लाख गमछे की अधिप्राप्ति और 9.52 लाख रुपये मूल्य के 0.78 लाख रुपये गमछे की पुनः अधिप्राप्ति, जबकि 31 मार्च 1995 को उसका प्रचुर भण्डार विद्यमान था।

अतः बाजार माँग का आकलन किये बिना 9.11 लाख गमछे की अधिप्राप्ति न केवल 111.27 लाख रुपये की निधियों के अवरोधन बल्कि अप्रैल 1995 से अगस्त 1997 तक की अवधि में 51.09 लाख रुपये के ब्याज की हानि में भी परिणामित हुई।

2ब.3 नियंत्रण मुक्त कपड़े की अधिप्राप्ति एवं बिक्री

कम्पनी का मुख्यालय, 177 प्रदर्शन कक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई आवश्यकताओं पर विचार करते हुए अधिप्राप्त किये जाने वाले कपड़े की विभिन्न श्रेणियों की मात्रा एवं दरें निश्चित करता है। मुख्यालय द्वारा अनुमोदित मात्रायें बुनकरों से अधिप्राप्ति हेतु विभिन्न परियोजना कार्यालयों के मध्य आवंटन की जाती हैं। कम्पनी, हथकरघा उत्पादों के व्यापारियों से परिष्कृत कपड़े की अधिप्राप्ति भी करती है।

2ब.3.1 प्रदर्शन कक्षों का सम्पादन

मुख्यालय द्वारा सरकारी विभागों को सीधे भारी आपूर्ति हेतु कपड़े को छोड़कर, कम्पनी द्वारा बुनकरों और फर्मों से अधिप्राप्त किये गये नियंत्रण मुक्त कपड़े की, देश में स्थित प्रदर्शन कक्षों के माध्यम से बिक्री की जाती है। कम्पनी, प्रत्येक वर्ष अलग–अलग प्रदर्शन कक्षों को बिक्री का वार्षिक लक्ष्य आवंटित करती है। प्रदर्शन कक्षों द्वारा प्राप्त किये गये लक्ष्यों को नीचे संक्षिप्त किया गया है :

(प्रदर्शन कक्षों की संख्या)

प्रदर्शन कक्षों के लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रतिशत	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
50 प्रतिशत तक	20	20	127	154	36
50 प्रतिशत से अधिक 70 प्रतिशत तक	29	32	41	11	44

प्रदर्शन कक्षों के लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रतिशत	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
70 प्रतिशत से अधिक 90 प्रतिशत तक	31	50	9	1	49
90 प्रतिशत से अधिक	115	119	4	1	48
योग	**195**	**221**	**181**	**167**	**177**

1995–96 में लक्ष्य प्राप्ति किये प्रदर्शन कक्षों की संख्या में बढ़ोत्तरी का कारण लक्ष्य निर्धारण का आधार पूर्व कार्य निष्पादन के स्थान पर ब्रेक इवेन करना था जिससे प्रदर्शन कक्षों के लक्ष्यों में 1994–95 के 3611.47 लाख रुपये से 1995–96 में 2410.22 रुपये घट गये।

60 प्रदर्शन कक्षों के 1993–94 से 1995–96 के कार्य निष्पादन की नमूना जाँच में यह पाया गया कि 27 प्रदर्शन कक्ष लगातार नकारात्मक अंशदान दे रहे थे जिसका अर्थ यह हुआ कि वे हानिग्रस्त थे और वे अपने प्रत्यक्ष लागत की वसूली में ही सक्षम नहीं थे। कम्पनी द्वारा प्रदर्शन क्रमवार विवरण न रखने के अभाव में हानि की सही धनराशि की गणना नहीं की जा सकी। कम्पनी ने उनके सम्पादन के सुधार के लिये कोई कार्यवाही नहीं की।

2ब.3.2 परिष्कृत कपड़े का क्रय

फर्मों से परिष्कृत उत्पादों के सीधे क्रय ने, न केवल 20.08 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय संकलित किया अपितु बुनकरों की सहायता करने के अपने उद्देश्य को भी निष्फल कर दिया।

कम्पनी, बुनकरों की सहायता करने के अपने उद्देश्य के अनुसरण में, धागे के मूल्य के अतिरिक्त, बुनकरों को देय उचित परिवर्तन प्रभारों को संज्ञान में लेने के पश्चात् व्युतपन्न दरों पर, उनसे सलेटी कपड़े की अधिप्राप्ति करती है। कम्पनी द्वारा बुनकरों से क्रय किये गये सलेटी कपड़े की परिसज्जा, मुख्यालय द्वारा अनुमोदित दरों पर निजी परिसज्जकों को सौंपी जाती है।

कम्पनी ने 1994–95 से 1996–97 के दौरान, मेरठ की तीन फर्मों को जॉब आधार पर, अपने द्वारा आपूर्ति किये गये कपड़ों पर मुद्रण हेतु, चादरों तथा परदे के कपड़े का मुद्रण अधिप्रदान किया। तथापि, 1995–96 और 1996–97 के दौरान, कम्पनी ने उसी समय उन्हीं फर्मों से, उनके द्वारा

प्रस्तावित दरों के विरुद्ध समान गुणवत्ता और विशिष्टताओं के परिष्कृत मदों (मूल्यः 97.52 लाख रुपये) का भी क्रय किया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि इन फर्मों के पक्ष में परिष्कृत मदों के क्रय आदेशों को अन्तिम देते समय, प्रबन्धन ने जॉब मुद्रण आधार पर विभागीय उत्पादन के समक्ष सीधे क्रय का कोई तुलनात्मक लागत विश्लेषण नहीं किया। परिणामस्वरूप, कम्पनी को जॉब कार्य द्वारा विभागीय उत्पादन की मूल्यांकित लागत की तुलना में इन फर्मों को अनुमत उच्च दरों के कारण, इन परिष्कृत मदों की अधिप्राप्ति पर 20.08 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

अतैव, फर्मों से परिष्कृत मदों का सीधा क्रय न केवल 20.08 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय में परिणामित हुआ अपितु बुनकरों को समुचित परिवर्तन प्रभार को हस्तांतरित करने का मुख्य उद्देश्य, जो ऐसे क्रय में कम्पनी द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका, भी निष्प्रभावी हो गया।

2ब.3.3 चुंगी के भुगतान में अतिरिक्त व्यय

कम्पनी, कानपुर स्थित अपने केन्द्रीय भण्डार तथा राज्य स्थित परियोजना कार्यालयों से देश भर के अपने प्रदर्शन कक्षों को, उनके द्वारा बिक्री हेतु कपड़े का प्रेषण करती है। ऐसे प्रेषणों के देयक, बिक्री मूल्य पर निर्गत किये जाते हैं जिसमें स्थापना व्यय तथा लाभ को सम्मिलित करते हुए, लागत मूल्य और उस पर बढ़ाया गया मूल्य सम्मिलित था। कम्पनी, माल के आयात में बीजकों के मूल्य पर, अन्य राज्यों से 1 से 3 प्रतिशत (राज्य–राज्य में भिन्न होते हुए) पर चुंगी/प्रवेश कर उद्ग्रहण करने वाले राज्यों में स्थित प्रदर्शन कक्षों को प्रेषण के प्रकरण में भी, लागत जमा आधार पर प्रेषण बिलों को निर्गत करने की यही प्रथा अपनाती रही। देयकों का लागत के आधार पर, जिस पर चुंगी देय थी, के स्थान पर वृद्धिगत मूल्य सहित निर्गत किया जाना, राज्य से बाहर पाँच क्षेत्रों को प्रेषणों पर 1992–93 से 1996–97 के दौरान 8.16 लाख रुपये की चुंगी के अतिरिक्त भुगतान में परिणामित हुआ।

2ब.3.4 रेशम की सामग्री की अधिप्राप्ति

रेशमी साड़ियों और रेशमी परिधान सामग्री की अधिप्राप्ति दो परियोजना कार्यालयों द्वारा की जाती है, एक वाराणसी में और दूसरा मुबारकपुर (मऊ में)। बुनकरों से अधिप्राप्त किये गये मदों का, मुद्रकों/परिसज्जकों को परिष्करण और वापसी के लिये निर्गत किये जाने से पूर्व, परियोजना कार्यालय पर गुणवत्ता नियंत्रण इकाई द्वारा निरीक्षण किया जाता है। परियोजनायें, परिष्कृत मदों को कानपुर के केन्द्रीय भण्डार को अंतरित करने की अपेक्षित होती है जहाँ माल, केन्द्रीय

अपने परियोजना कार्यालयें द्वारा निम्न स्तरीय रेशमी सामग्री की बारम्बार अधिप्राप्ति को रोकने में असफलता से, 8.24 करोड़ रुपये की अवरुद्ध निधियों पर 0.18 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

भण्डार की पंजिकाओं के लेखों में लिये जाने से पूर्व, मुख्यालय की गुणवत्ता नियंत्रण इकाई द्वारा जाँचा जाता है। इस सम्बन्ध में निम्न अनियमिततायें देखी गई :

(अ) निम्न स्तरीय साड़ियों का क्रय

(i) केन्द्रीय भण्डार, कानपुर ने वर्ष 1992–93 के दौरान, परियोजना कार्यालय, मुबारकपुर (1020 अदद) और वाराणसी (79 अदद) को 16.95 लाख रुपये की 1099 साड़ियों को वापस कर दिया क्योंकि मुख्यालय की गुणवत्ता नियंत्रण इकाई द्वारा आपूर्तियों को निम्न स्तरीय पाया गया। यद्यपि, इन परियोजना कार्यालयों द्वारा साड़ियों को बुनकरों को वापस कर दिया जाना चाहिये परन्तु उनके द्वारा उन्हें भण्डार में रख लिया गया और बुनकरों को वापस नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, 1993–94 के दौरान, वाराणसी परियोजना द्वारा 3.24 लाख रुपये के मूल्य की 221 निम्न स्तरीय साड़ियाँ अधिप्राप्त की गई जो केन्द्रीय भण्डार, कानपुर द्वारा परियोजना को प्रतिस्थापन प्राप्त करने के लिये वापस कर दी गईं 1320 साड़ियों का समस्त भण्डार बुनकरों से प्रतिस्थापन प्राप्त किये बिना परियोजना में अब तक रखा था (अगस्त 1997)।

(ii) वर्ष 1994–95 के केन्द्रीय भण्डार, कानपुर के वार्षिक सत्यापन अभ्यावेदन में, मुख्यालय की गुणवत्ता नियंत्रण इकाई द्वारा 1994–95 के दौरान निरस्त किया गया, 4.04 लाख रुपये का रेशम का कपड़ा सम्मिलित था। यद्यपि, निरस्त की गई आपूर्तियों, सम्बन्धित परियोजना कार्यालयों को, बुनकरों से प्रतिस्थापन प्राप्त करने के लिये वापस की जानी थी, केन्द्रीय भण्डार में उसे रखे रहा गया। केन्द्रीय भण्डार द्वारा अनियमित ढंग से रखी रहीं निरस्त आपूर्तियों का तथ्य, प्रबन्धन के संज्ञान में अप्रैल 1995 में आ गया परन्तु परियोजना कार्यालयों द्वारा किये गये निम्न स्तरीय क्रय एवं केन्द्रीय भण्डार–द्वारा अनुचित रोक के (अगस्त 1997) कारणों की छानबीन हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई (अगस्त 1997)।

अतः, उपरोक्त वर्णित निम्न स्तरीय रेशम की साड़ियों/कपड़े की अधिप्राप्ति के कारण कुल 24.03 लाख रुपये की कम्पनी की निधियाँ अवरुद्ध कर दी गई जिससे 1993–94 से 1997–98 तक भिन्न–भिन्न अवधियों में 18.02 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई (अगस्त 1997)। प्रबन्धन ने अपने कर्मचारियों पर निम्न स्तरीय सामग्री की अधिप्राप्ति अथवा उसके प्रतिस्थापन न किये जाने के लिये उत्तरदायित्व नियत नहीं किया।

(ब) नवीन मदों के परिमाणी क्रय में निधियों का निरोधन

कम्पनी के प्रबन्धक निदेशक ने, विपणन संभावनाओं का आकलन करने के लिये परीक्षण आधार पर कोराएक्स कोरा रेशमी कटवर्क परिधान सामग्री नामक एक नवीन मद के 1000 मीटर की अधिप्राप्ति का निर्णय इस शर्त के साथ लिया (मई 1995) कि सम्बन्धित दल द्वारा बिना बिका भण्डार

वापस ले लिया जाएगा। तथापि, परीक्षण आदेशों के माध्यम से (जैसा पहले निर्णय लिया गया था) मदों की विक्रेयता का आकलन किये बिना, कम्पनी के मुख्य प्रबन्धक (उत्पादन) ने, बिना बिके भण्डार की वापसी हेतु किसी प्राविधान के बिना 28.75 लाख रुपये के मूल्य के 23000 मीटर कंपड़े की आपूर्ति के तीन आदेश दो दलों को दे लिये (मई–जुलाई 1995)। जून 1995 और मार्च 1996 के मध्य, दलों द्वारा 26.76 लाख रुपये के मूल्य के 21406 मीटर कपड़े की आपूर्ति कर दी। परियोजना ने साथ ही सितम्बर 1995 और मार्च 1996 के दौरान इन्हीं फर्मों से 13.96 लाख रुपये के 11635 मीटर कोरा एक्स कोरा रेशमी बूटी की अधिप्राप्ति कर ली।

प्रबन्धन द्वारा, आवधिक संकलन एवं भण्डार की तुलना में अलग–अलग मदों के बिक्री सम्पादन की समीक्षा के अभाव में, उपरोक्त अधिप्राप्तियों में से 8329 मीटर (39 प्रतिशत) रेशमी कटवर्क और 9488 मीटर (82 प्रतिशत) सिल्क बूटी की बिक्री एवं भण्डार की स्थिति, लेखा परीक्षा में जांच परीक्षित की जा सकी। यह देखा गया कि दोनों मदों की बिक्री अप्रभावी थी क्योंकि मात्र 754 मीटर रेशमी कटवर्क एवं 64 मीटर रेशमी बूटी का ही विक्रय किया जा सका, जो जांच परीक्षित मात्राओं के लगभग 9 और 1 प्रतिशत को क्रमशः प्रदर्शित करते हैं। कुल 20.80 लाख रुपये के मूल्य के 7575 मीटर रेशमी कटवर्क तथा 9424 मीटर रेशमी बूटी के अवशेष भण्डार को भण्डार में विरुद्ध निधियों पर उठाई गई ब्याज की हानि 3.95 लाख रुपये के राशि की थी जिससे बचा जा सकता था यदि परीक्षण आदेश, बिना बिके भण्डार की वापसी के प्राविधान के साथ दिया गया होता।

2ब.3.5 ऊनी मदों की अधिप्राप्ति

कम्पनी ने क्षतिग्रस्त भण्डार एवं निम्न स्तरीय ऊनी माल की बिक्री पर 0.20 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

ऊनी मदों की अधिप्राप्ति, उत्तंराचल विकास परियोजना ऋषिकेश से की जाती है। लेखा परीक्षा द्वारा निम्न बिन्दु देखे गये:

(i) परियोजना अधिकारियों ने आंकलित किया (दिसम्बर 1993) कि भण्डार में 27.56 लाख रुपये के मूल्य का ऊनी माल निम्नस्तरीय था क्योंकि मेरीनों कंबल, मेरीनो शाल तथा वर्स्टेड ब्लेजर घटिया ऊन/धागे से निर्मित थे। इसलिये, 1994–95 के दौरान, इन मदों को 15.62 लाख रुपये में निस्तारित कर दिया गया। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने अधिप्राप्ति लागत से कम में बिक्री से 11.94 लाख रुपये की हानि उठाईं कम्पनी ने निम्न स्तरीय अधिप्राप्ति के लिये अधिकारियों पर उत्तरदायित्व नियत करने की कार्यवाही आरम्भ नहीं की (अगस्त 1997)।

(ii) ऋषिकेश परियोजना ने कानपुर के केन्द्रीय भण्डार को 7.72 लाख रुपये के मूल्य के 3575 जनाने शालों का प्रेषण किया (नवम्बर 1992) जिन्हें गुणवत्ता नियंत्रण जांच के आधार पर पूर्णतयः क्षतिग्रस्त और बिक्री के अयोग्य के रूप में भण्डार के लेखों में लिया गया। समस्त ढेर

लगभग पाँच वर्षों से (अगस्त 1997) भण्डार में रखा जा रहा है और इसकी लागत की वसूली की कोई सम्भवना नहीं है। प्रबन्धन ने 7.72 लाख रुपये की हानि में परिणामित होने वाली परिस्थितियों के लिये उत्तरदायित्व नियत करने हेतु कोई विस्तृत जांच अब तक नहीं की (अगस्त 1997)।

(iii) 1991–92 में मुख्यालय ने पशुपति टेक्नोफैब, गुड़गाँव को ऊनी कपड़े की परिसज्जा के लिये एक अनुबंध अधिप्रदान किया यद्यपि फर्म ने ऋषिकेश परियोजना कार्यालय द्वारा 1988–89 तक अनेकों निर्गत किये गये 2.64 लाख रुपये के 7543 मीटर कमीज के कपड़े को निरुद्ध कर लिया। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, फर्म को परिष्कृत कपड़े के 1 प्रतिशत से अधिक के क्षतिग्रस्त कपड़े का भुगतान करना था।

फर्म ने पुनः 0.77 लाख रुपये के मूल्य का ऊनी कपड़ा रख लिया और 1 प्रतिशत से अधिक परिष्कृत कपड़े की क्षति के कारण 1.35 लाख रुपये के दंड का भुगतान नहीं किया। अतः फर्म से वसूली योग्य 4.76 लाख रुपये (1988–89 तक के बकाया 2.64 लाख रुपये सहित) के बकाये के बावजूद, कम्पनी ने बिना वसूली किये फरवरी 1993 में फर्म को उनके प्रक्रम प्रभारों के रूप में 0.95 लाख रुपये निर्मुक्त कर दिये। कम्पनी ने फर्म से उपरोक्त राशि की वसूली हेतु अब तक कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की (अगस्त 1997)।

2ब.4 धागों की अधिप्राप्ति एवं बिक्री

2ब.4.1 उपदानित धागों के वितरण की योजना

हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन का समुचित स्तर अवस्थित करने और धागों के उच्च बाजार मूल्यों का वहन करने के लिये बुनकरों को राहत देने के उद्देश्य से, 1994–95 के दौरान, भारत सरकार ने कम्पनी के माध्यम से पाँच महीनों के लिये उपदानित दरों पर जिसे बाद में मार्च 1996 तक बढ़ा दिया गया, बुनकरों को लच्छी धागों की आपूर्ति की योजना आरम्भ की। योजना में, उपदानित दरों पर बुनकरों को वितरित धागों पर कम्पनी को 15 रुपये प्रति कि.ग्रा. के उपदान (अप्रैल 1995 से 20 रुपये प्रति कि.ग्रा. बढ़ाया गया) का प्रकल्प था। उपदान, केवल कम्पनी से सीधे सम्बद्ध सदस्यों प्रथम सदस्यों को ही वितरित धागों के प्रकरण में स्वीकार्य था।

2ब.4.1.1 लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

निम्न तालिका, उपदानित धागों के वितरण हेतु, स्लिक द्वारा नियत लक्ष्यों और उनके विरुद्ध कम्पनी की उपलब्धि को संक्षिप्त करती हैं :

वर्ष	धागों के वितरण का लक्ष्य (लाख कि.ग्रा. में)	प्राप्ति	प्राप्ति का प्रतिशत
1994-95	18.90	12.69	67.14
1995-96	14.60	4.42	30.15

जैसा कि प्रबन्धन ने माना, निधि की कमी का कारण उपदानित धागों के वितरण में गिरावट थी और कम्पनी, बुनकरों के मध्य उनके वितरण के लिये 296.73 लाख रुपये के उपदान को प्राप्त नहीं कर सकी। चूँकि, कम्पनी की कपड़े की अधिप्राप्ति की दर, उसके द्वारा बुनकरों से प्रभारित धागों की निर्गत दर पर आधारित होती थी, उपदानित धागों के निर्गत में गिरावट के कारण कम्पनी द्वारा कपड़े की उच्च दर पर अधिप्राप्ति की गई। तथापि, कम्पनी ने योजना के अन्तर्गत अपने दायित्वों को पूर्ण करने हेतु कार्यशील पूँजी की व्यवस्था करने के लिये वाणिज्यिक बैंकों से सम्पर्क नहीं किया।

कम्पनी, धागों पर 2.97 करोड़ रुपये के उपदान वितरण करने में असफल हो गई क्योंकि इसने धागे की अधिप्राप्ति के लिये निधियों की व्यवस्था नहीं की।

2ब.4.1.2 अपात्र फर्मों को उपदानित धागे का निर्गम

योजना के अन्तर्गत, कम्पनी बुनकरों को राहत दिये जाने के लिये, अपने सदस्यों/प्रथम सदस्यों को उपदानित धागों का निर्गत किये जाने की अपेक्षित थी। तथापि, लेखा परीक्षा द्वारा यह देखा गया कि 1994–95 एवं 1995–96 के दौरान, गाजियाबाद परियोजना कार्यालय ने निजी फर्मों को, जो कम्पनी के आपूर्ति आदेशों के विरुद्ध परिमाणी आपूर्तियों कर रही थीं और कम्पनी से सीधे सम्बद्ध सदस्य/प्रथम सदस्य नही थीं, 114.87 लाख रुपये के मूल्य का 1.57 लाख कि.ग्रा. उपदानित धागा निर्गत किया। अपात्र फर्मों को उपदानित दरों पर धागों के निर्गत के परिणामस्वरूप, कम्पनी ने केन्द्रीय उपदान के अनियमित उपयोजन द्वारा, फर्मों को 25.83 लाख रुपये का अनुचित वित्तीय लाभ पहुँचाया।

कम्पनी ने 25.83 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुँचाते हुए अपात्र फर्मों को उपदानित धागों का निर्गत किया।

2ब.4.2 उधार पर बिक्री किये गये धागों के वसूल न किये गये बकाये

परियोजना अधिकारी, इटावा ने धागों की उधार बिक्री हेतु मुख्यालय से बिना कोई अनुमोदन प्राप्त किये और तीन फर्मों से बिना किसी बैंक गारण्टी के, 6.75 लाख रुपये के मूल्य के विभिन्न काउन्टों के धागों की 2000 गांठे निर्गत कीं (1991–92)। फर्म ने केवल 2.89 लाख रुपये के देयों का पुनर्भुगतान किया और 1993–94 से उनके विरुद्ध अनिस्तारित 3.92 लाख रुपये के अवशेष बकाये (ब्याज सहित) के विरुद्ध कोई भुगतान नहीं किया। कम्पनी ने अपने बकायों की वसूली हेतु फर्मों के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही आरम्भ की और न ही मुख्यालय से अनुमोदन/फर्मों से बैंक गारण्टी प्राप्त किये बिना, उधार पर धागे के निर्गम की अनुमति देने के लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही ही आरम्भ की (अगस्त 1997)।

2ब.5 भण्डार नियंत्रण

परिष्कृत माल का भण्डार, कपड़े की अधिप्राप्ति में संलग्न परियोजनाओं, कानपुर तथा जसपुर के दो केन्द्रीय भण्डारों जहाँ परियोजनाओं द्वारा अधिप्राप्त किये गये माल का अंतरण किया जाता है एवं सम्पूर्ण देश में फैले 177 प्रदर्शन कक्षों पर रखा जाता है निम्न तालिका, कपड़े के भण्डार (नियंत्रित एवं नियंत्रण मुक्त) तथा 1995–96 तक के पिछले पाँच वर्षों में भण्डार पर व्यय की गई परिवहन लागत (ब्याज एवं रखरखाव प्रभार) को इंगित करती है:

(लाख रुपये में)

	विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
(अ)	**रखे हुए भण्डार की स्थिति**					
	नियंत्रण मुक्त कपड़ा	3362.30 (5.8)	3500.07 (6.0)	2800.14 (9.1)	3433.96 (11.5)	3433.16 (12.5)
	नियंत्रित कपड़ा	796.34 (3.5)	632.29 (2.2)	268.20 (2.3)	987.00 (16.3)	953.44 (21.5)
	योग	**4158.64**	**4132.36**	**3068.34**	**4420.96**	**4386.60**
(ब)	**भण्डार परिवहन पर** व्यय की गई लागत	909.61	994.92	864.08	898.71	1056.83

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े, मासिक बिक्री के संदर्भ में अन्तिम भण्डारों को इंगित करते हैं।

मासिक बिक्री के संदर्भ में नियंत्रण मुक्त एवं नियंत्रित कपड़े के भण्डार को, 1991–92 से 1995–96 के दौरान, क्रमशः 5.8 महीने से 12.5 महीने एवं 2.2 महीने से 21.5 महीने तक तेजी से वृद्धि जिसके परिणामस्वरूप, कम्पनी को भण्डार परिवहन पर भारी लागत व्यय करना पड़ा। भण्डार के विशाल संग्रह के मुख्य कारण थे :

- भण्डार के संग्रह पर नियंत्रण करने के लिये, प्रत्येक परियोजना एवं प्रदर्शन कक्ष हेतु भण्डार का न्यूनतम और अधिकतम स्तर का निर्धारण न किया जाना,
- निजी फर्मों के पास प्रक्रमन हेतु पड़े हुए भण्डार तथा उनकी शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने में की गई प्रगति की आवधिक समीक्षा का अभाव,

(प्रस्तर 2ब.2.6)

- प्रबन्धन के तत्काल ध्यानाकर्षण की अपेक्षा वाले मदों का उनके निस्तारण हेतु निर्धारण करने के लिये भण्डार का मदवार एवं आयुवार विश्लेषण का अभाव,

(प्रस्तर 2ब.5.1(i)(ii)(iii))

- वार्षिक भौतिक सत्यापन के दौरान, भण्डार में देखी गई भारी कमियों को समाप्त करने के लिये समय–सूची का अभाव।

(प्रस्तर 2ब.5.3.1 एवं 2.ब.5.3.2)

2ब.5.1 वृद्धिगत भण्डार में परिणामित परिमाणी अधिप्राप्ति

वाल हैंगिंग, शाल और अस्तर चादरों की परिमाणी अधिप्राप्ति से उनके भण्डार का भारी अधिसंचय हुआ जिसके परिणामस्वरुप 0.54 करोड़ रुपये का भण्डार परिवहन लागत व्यय हुआ।

(i) कम्पनी ने, मऊनाथ भंजन क्षेत्र में उत्पादित वाल हैगिंग की बिक्री संभव्यता का आकलन किये बिना, 1994–95 एवं 1995–96 के दौरान, 38.31 लाख रुपये के मूल्य पर 17988 वाल हैंगिंग का क्रय किया, जिसमें से 1996–97 तक के तीन वर्षों की अवधि के दौरान केवल 5318 वाल हैंगिंग का ही निस्तारण हो पाया और 27.18 लाख रुपये मूल्य के शेष 12670 वाल हैंगिंग अधिप्राप्ति से ही प्रदर्शनकक्षों एवं केन्द्रीय गोदाम में पड़े थे। बिना बिक्री के पड़े 12670 वाल हैंगिंग में, 1995–96 के दौरान मद की भण्डार में उपलब्धता तथा उनकी बिक्री की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर किया गया 11.32 लाख रुपये के मूल्य के 4988 वाल हैंगिंग का परिहार्य क्रय सम्मिलित था। 27.18 लाख रुपये के मूल्य के 12670 वाल हैंगिंग के

बिना बिक्री हुए भण्डार पर अगस्त 1997 तक, भण्डार पर किया गया परिवहन व्यय 11.97 लाख रुपये की राशि का था।

(ii) कम्पनी की उत्तरांचल विकास परियोजना ने जनवरी 1992 से मार्च 1993 के दौरान, केन्द्रीय भण्डार को 12629 शालों (मूल्यः16.08 लाख रुपये) की आपूर्ति की जिसमें से भण्डार द्वारा प्रदर्शनकक्षों को, कम माँग के कारण जुलाई 1997 तक केवल 11056 शाल ही प्रेषित किये जा सके और शेष 1573 शाल (मूल्यः2.00 लाख रुपये) अब तक भण्डार में पड़े थे (अगस्त 1997)।

अप्रभावी बिक्री के बावजूद, कम्पनी ने 1993–94 से 1995–96 के दौरान, 5.91 लाख रुपये के मूल्य पर पुनः 4642 शालों की अधिप्राप्ति की, वह भी तब से भण्डार में पड़े हैं (जुलाई 1997)। मार्च 1997 तक के पाँच वर्षों के दौरान रखा हुआ औसत भण्डार, मात्र 2.50 लाख रुपये की वार्षिक औसत बिक्री के विरुद्ध, 8.5 लाख और 20.00 लाख रुपये के मध्य विस्तीर्ण था।

अतः शालों की अधिक अधिप्राप्ति, अप्रैल 1992 से जुलाई 1997 तक अधिशेष भण्डार पर, 20.80 लाख रुपये के भण्डार परिवहन लागत में परिणामित हुईं

(iii) वर्ष 1995–96 और 1996–97 के दौरान, केन्द्रीय भण्डार, जसपुर में रखी हुई अस्तर चादरों (जनता कपड़ा) का भण्डार काफी अधिक था। वर्ष 1995–96 और 1996–97 के दौरान रखा गया मासिक भण्डार केवल लगभग 10 लाख रुपये की औसत मासिक बिक्री के विरुद्ध 26.94 लाख रुपये से 70.97 लाख रुपये तक विस्तीर्ण था। एक माह की बिक्री आवश्यकता से अधिक भण्डार के परिवहन में किया गया अतिरिक्त व्यय 20.67 लाख रुपये की राशि का था (जुलाई 1997)।

2ब.5.2 नीलामी में हुई हानियों पर कार्यवाही का अभाव

प्रबन्ध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, क्षतिग्रस्त कपड़ों और धागों की नीलामी द्वारा बिक्री की जाती है। क्षतिग्रस्त कपड़े और धागों की बिक्री में उठाई गई भारी हानियों के लिये, कम्पनी के अधिकारियों/कर्मचारियों पर उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु, उनकी चूकों को निश्चित करने हेतु विश्लेषण नहीं किया जाता है। नीलामी में भारी हानियों की सीमा, 154.24 लाख रुपये के मूल्य के कपड़े/धागों की नीलामी (जुलाई–अगस्त 1995) द्वारा केवल 29.01 लाख रुपये में बिक्री किये जाने से, जिससे कम्पनी को 125.23 लाख रुपये की हानि हुई परन्तु सम्बन्धित कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया, यथेस्ट रूप से प्रदर्शित है।

कम्पनी ने क्षतिग्रस्त भण्डार की बिक्री में उठाई गई 1.25 करोड़ रुपये की हानियों के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु कोई जाँच आरम्भ नहीं की।

31 मार्च 1997 को 174.22 लाख रुपये के मूल्य के क्षतिग्रस्त कपड़े भण्डार में पड़े थे परन्तु नीलामी द्वारा उनका निस्तारण अब तक प्रतीक्षित था (अगस्त 1997)।

2ब.5.3 भण्डार में कमियाँ और उनकी जाँच

भण्डार में कमियाँ, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में वार्षिक रूप से किये गये वार्षिक भण्डार सत्यापन (ए.एस.वी.) द्वारा निश्चित की जाती हैं। ए.एस.वी. प्रतिवेदनों में कमियों की, मुख्यालय पर सामान्य प्रबन्धक, मुख्य लेखाधिकारी एवं मुख्य विपणन अधिकारी से युक्त एक समिति द्वारा जो अपने निष्कर्षों को आदेशों हेतु प्रबन्ध निदेशक को प्रस्तुत करती है, संवीक्षा की जाती है।

2ब.5.3.1 लम्बित जाँच वाली कमियाँ

अप्रैल 1997 को, प्रदर्शन कक्षों और प्रदर्शनियों के ए.एस.वी. में देखी गई कमियों और समिति द्वारा उनकी संवीक्षा की स्थिति नीचे दी गई है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	पायी गई कमियाँ		समिति द्वारा संवीक्षा की गई कमियाँ	
	प्रदर्शन कक्षों एवं प्रदर्शनियों की संख्या	धनराशि	प्रदर्शन कक्षों की संख्या	धनराशि
1992-93	183	27.07	अनुपलब्ध	
1993-94	171	47.38	26	4.54
1994-95	183	43.42	शून्य	शून्य
1995-96	196	30.05	39	2.67

कम्पनी ने यह निश्चित करने के लिये कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये कि क्या 1992–93 के दौरान पाई गई 27.07 लाख रुपये की कमियों की समिति द्वारा वास्तव में संवीक्षा की गई और उनकी वसूली हेतु कोई कार्यवाही की गईं

वर्ष 1994–95 की 43.42 लाख रुपये की कमियाँ, समिति द्वारा दो वर्ष से अधिक बीत जाने के पश्चात् भी, बिल्कुल संवीक्षित नहीं की गई, 1993–94 की कमियों के संदर्भ में भी संवीक्षा की

प्रगति अप्रभावी थी क्योंकि 42.84 लाख रुपये की कमियाँ तीन वर्षों से अधिक से संवीक्षा के बिना पड़ी थी। 1993–94 से 1995–96 तक के वर्षों की 113.64 लाख रुपये की कमियों की संवीक्षा के लम्बन ने, कम्पनी को देय राशि की वसूली में उसी के अनुरूप विलम्ब कर दिया।

कम्पनी, 1.14 करोड़ रुपये की भण्डार की कुल कमियों के प्रकरण को वार्षिक भौतिक सत्यापन में, इसके पता लगने के तीन वर्षों के बीत जाने के पश्चात् भी अन्तिम रूप देने में विफल रही।

2ब.5.3.2 अन्तर–इकाई अंतरणों में अनुसरण न की गई कमियाँ

केन्द्रीय भण्डार/परियोजना कार्यालयों से प्रदर्शन कक्षों को या एक प्रदर्शन कक्ष से दूसरे प्रदर्शन कक्ष को अंतरित किये गये भण्डारों के मध्य होने वाली कमियों की समिति द्वारा बिलकुल भी संवीक्षा नहीं की गईं कमियाँ, जो 1992–93 से 1995–96 के दौरान कुल 12.86 लाख रुपये की थी, लेखा परीक्षा में निश्चित एवं विश्लेषित की गई जिसने इंगित किया कि प्रदर्शन कक्षों द्वारा कम प्राप्ति, मुख्यतः केन्द्रीय भण्डार एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रेषित माल से सम्बन्धित थी जैसा कि निम्न विश्लेषण में दृष्टिगोचर होगाः

(लाख रुपये में)

प्रेषक इकाइयों का नाम	अल्प लेखाकरण
केन्द्रीय भण्डार, कानपुर से अन्तरण	4.78
परियोजना से अन्तरण	0.15
क्षेत्रीय कार्यालयों से अन्तरण	4.96
अन्तर–प्रदर्शन कक्ष अन्तरण	2.97
योग	**12.86**

अतः, 12.86 लाख रुपये की उपरोक्त कमियाँ समग्र रूप से संवीक्षा के बिना ही पड़ी रहीं। प्रबन्धन ने भविष्य में ऐसे क्षरण से बचने के लिये कमियों के कारणों को कभी भी विश्लेषित नहीं किया।

2ब.5.4 भण्डार में कमियों से सम्बन्धित अनुशासनिक प्रकरण

कम्पनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध उनके द्वारा अस्तित्व में लाई गई कम्पनी की सम्पत्ति की कमियों एवं हानियों के अनुशासनिक कार्यवाही चलाने हेतु, जाँच अधिकारियों को

नियुक्त किया। कम्पनी ने, समय–समय पर जाँच के लिये संदर्भित प्रकरणों तथा उचित अनुसरण को सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक चरण पर प्रगति को दर्शाते हुए कोई समेकित अभिलेखों को अवस्थित नहीं किया। लेखा परीक्षा की संवीक्षा के दौरान निम्न बिन्दु देखे गये :.

(i) जाँच प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलम्ब

जाँच अधिकारी द्वारा अपनी नियुक्ति के तीन माह के अन्दर प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन, नीचे दिये गये संक्षिप्त विश्लेषण के अनुसार तीन वर्षों से अधिक तक अप्रस्तुत रहेः–

(लाख रुपये में)

विलम्ब की अवधि	प्रकरणों की संख्या	निहित हानि की धनराशि
1 वर्ष तक	2	56.44
2 वर्ष से अधिक से तीन वर्षों तक	6	87.32
3 वर्ष से अधिक से पाँच वर्षों तक	7	225.87
योग	**15**	**369.63**

कम्पनी, 3.70 करोड़ रुपये की हानियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने में असफल रही जो पाँच वर्षों तक की अवधि तक लम्बित रहे।

जाँच में लिये गये असामान्य समय ने, 369.63 लाख रुपये की राशि की हानियों की वसूली को उसी के अनुरूप विलम्बित कर दिया। विलम्बों के प्रसंग में इसका उल्लेख किया जा सकता है कि उपरोक्त 15 प्रकरणों में से कुल 38.89 लाख रुपये के भण्डार की कमियों और अप्राधिकृत व्यय के तीन प्रकरणों में, जिन्हें प्रबन्धन द्वारा मार्च 1990 और अप्रैल 1993 के मध्य खोज लिया गया था, 9 से 11 महीनों तक अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 22.34 लाख रुपये की राशि के भण्डार एवं नकद की कमियाँ उन्हीं अधिकारियों द्वारा पुनः उत्पन्न कर दी गईं 61.23 लाख रुपये की समस्त राशि की वसूली नही हुई क्योंकि कार्यवाहियाँ प्रगति में थी (जुलाई 1997)।

(ii) जाँच प्रतिवेदनों पर निर्णय लेने में विलम्ब

प्रबन्धन को जाँच प्रतिवेदनों पर, सम्बन्धित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिसों को समय से निर्गत करके तथा उनके उत्तरों की प्राप्ति पर अन्तिम आदेशों को निर्गत करते हुए, दो माह के

अन्दर कार्यवाही करना होता है। 105.51 लाख रुपये की हानि को निहित करते हुए सात प्रकरण में से एक प्रकरण में (हानिः 6.48 लाख रुपये) अन्तिम कार्यवाही, जाँच प्रतिवेदन की प्रस्तुति के 12 महीने पश्चात् की गईं 99.03 लाख रुपये की हानि को निहित करते हुए शेष छः प्रकरण, अन्तिम निर्णय हेतु 6 महीने से 4 वर्ष तक विस्तीर्ण अवधि से लम्बित हैं।

कम्पनी, 0.99 करोड़ रुपये की हानि को निहित करते हुए जाँच प्रतिवेदनों, जो 4 वर्षों तक की विभिन्न अवधियों के लिये लम्बित रहें, पर समय से अन्तिम कार्यवाही करने में असफल रही।

विलम्ब के मुख्य कारणों में एक, जैसा कि लेखा परीक्षा द्वारा देखा गया, 31.07 लाख रुपये की हानि को निहित करते हुए तीन प्रकरणों के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर प्रबन्धन द्वारा चाही गई पुनः जाँच थी। 5 महीने के निर्धारित सम्पूर्ण समय को देखते हुए, दण्डात्मक कार्यवाही करने में विलम्ब असामान्य था।

2ब.6 वित्त एवं नकद प्रबन्धन

कम्पनी ने मुख्यालय पर, भरतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) से 4.94 करोड़ रुपये तथा उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक (यू.पी.सी.बी.) से 6.40 करोड़ की नकद उधार सुविधा का लाभ उठाया 72 प्रदर्शनकक्षों के सम्बन्ध में जहाँ कोई कलेक्शन खाते संचालित नहीं किये जाते हैं, प्रदर्शनकक्ष प्रभारियों को बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से उचित अन्तरालों पर बिक्री राशि को मुख्यालय को प्रेषित करना होता है। शेष 105 प्रदर्शनकक्षों के लिये कम्पनी ने बैंकों में, बिना कोई समझौता निष्पादित किये, 90 कलेक्शन खाते खोले थे। प्रदर्शन कक्षों की बिक्री राशि को, प्रदर्शनकक्ष प्रभारियों द्वारा दूसरे दिन, कलेक्शन खाते में जमा करना होता है। संचयी बैंकों को न्यूनतम आवश्यक अवशेष के पश्चात्, पाक्षिक जमा राशियों को मुख्यालय के कलेक्शन खातों में तार–प्रेषण द्वारा अंतरित करने के निर्देश दिये गये हैं। 1995–96 तक के पाँच वर्षों में प्रत्येक के अन्त में, विशाल निधियाँ पारगमन (67.23 लाख रुपये और 279.63 लाख रुपये के मध्य विस्तारित) तथा कलेक्शन खातों (318.07 लाख रुपये और 1012.69 लाख रुपये के मध्य विस्तारित) में रही जिससे ब्याज का परिहार्य प्रभार हुआ जैसा नीचे विस्तारित किया गया :

2ब.6.1 भारतीय स्टेट बैंक के सी.सी. खाते में डेबिट अवशेषों का रहना

कम्पनी, वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रदर्शन कक्षों के मासिक प्रेषण विवरणों का मिलान करने के पश्चात्, प्रत्येक बैंक खाते का खाता शेष निश्चित करती है। परिणामस्वरूप, बैंकों से ऋणों को कम करने के लिये, अधिशेष निधियों

कम्पनी ने एक नगद उधार खाते में लगातार डेबिट अवशेष रखने एवं दूसरे खाते में ओवरड्राफ्ट करने के कारण 35.74 लाख रुपये का परिहार्य ब्याज दिया।

को समय से अंतरित करने हेतु प्रत्येक बैंक खाते में उपलब्ध अवशेषों की स्थिति, वर्ष के अन्त तक अनिश्चित बनी रही।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि भारतीय स्टेट बैंक के सी.सी. खाते में नवम्बर 1993 और नवम्बर 1994 के मध्य मासिक न्यूनतम डेबिट अवशेष, जो 0.16 लाख रुपये से 688.72 लाख रुपये तक विस्तीर्ण था, कुल 2257.07 लाख रुपये के थे और इसने कोई ब्याज अर्जित नहीं किया। उसी अवधि के दौरान, यू.पी.सी.बी. के सी.सी. खाते में मासिक क्रेडिट अवशेष जो 200.99 लाख रुपये से 622.16 लाख रुपये तक विस्तीर्ण थे। कुल 4152.74 लाख रुपये के थे, जिस पर कम्पनी को 19 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज का भुगतान करना पड़ा यदि, कम्पनी प्रत्येक माह भारतीय स्टेट बैंक के सी.सी. खाते में उपलब्ध अवशेषों को यू.पी.सी.बी. के सी.सी. खाते में यदि हस्तान्तरित करती रहती तो 35.74 लाख रुपये के ब्याज के भुगतान से बच सकती थी।

2ब.6.2 शाखा कलेक्शन खातों से अंतरित निधि के लेखाकरण में विलम्ब

कम्पनी ने, बैंकों द्वारा क्रेडिट दिये जाने में अनुचित विलम्ब को खोजने के लिये, शाखा कलेक्शन खातों से तार–प्रेषण अंतरण द्वारा किये गये प्रेषणों का मुख्यालय कलेक्शन खातों में की गई लेखाबद्ध राशि के साथ समय से मिलान करने की कोई पद्धति विकसित नहीं की। 1993–94 से 1995–96 के दौरान, मुख्यालय कलेक्शन खातों में क्रेडिट की वास्तविक तिथि के साथ, शाखा कलेक्शन खातों से किये गये प्रेषणों की जाँच परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि बैंकों द्वारा क्रेडिटों का लेखाकरण, डाक विलम्ब और स्थानीय संकलन हेतु 7 दिनों की छूट अनुमत करने के पश्चात् भी असामान्य रुपये से विलम्बित था जैसा कि नीचे संक्षिप्त किया गया।

(लाख रुपये में)

विलम्ब की अवधि	बैंक ड्राफ्टों की संख्या	धनराशि
10 दिनों तक	9	4.17
10 दिनों से अधिक से 30 दिनों तक	129	91.54
30 दिनों से अधिक से 90 दिनों तक	82	56.93
90 दिनों से अधिक से 50 महीनों तक	41	18.36
योग	**261**	**171.00**

क्रेडिट दिये जाने में विलम्ब, 9.89 लाख रुपये की राशि के ब्याज की हानि में परिगामित हुआ। किसी समझौते के अभाव में कम्पनी, सम्बन्धित बैंकों से ब्याज की उपरोक्त हानि की वसूली करने में सक्षम नही रही।

2ब.6.3 बैंक ड्राफ्टों के संकलन में विलम्ब

प्रदर्शन कक्षों द्वारा मुख्यालय को बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से प्रेषित की गई बिक्री राशियों को एक पंजिका में प्रविष्ट किया जाता है जो न तो बैंक ड्राफ्टों की मुख्यालय में प्राप्ति की तिथि और न ही संकलन हेतु बैंकों को उनकी प्रस्तुति की तिथि ही इंगित करती है। परिणामस्वरुप, कम्पनी के कर्मचारियों और बैंक को आरोपणीय परिहार्य विलम्ब अनिश्चित बना रहता है।

लेखा परीक्षा द्वारा यह देखा गया कि 1993–94 से 1995–96 के दौरान बैंकों में जमा किये गये कुल 10.79 करोड़ रुपये के बैंक ड्राफ्टों के विरुद्ध, बैंकों द्वारा क्रेडिट 164 दिनों तक विस्तारित विलम्बो के पश्चात् (डाक द्वारा प्राप्ति तथा बैंक द्वारा संकलन में निहित समय के लिये 10 दिनों की छूट अवधि अनुमत करने के पश्चात्) दिये गये जैसा आगे संक्षिप्त किया गया:

(लाख रुपये में)

विलम्ब की अवधि	बैंक ड्राफ्टों की संख्या	धनराशि
10 दिनों तक	20	10.22
10 दिनों से अधिक से 30 दिनों तक	127	1031.67
30 दिनों से अधिक से 90 दिनों तक	56	29.64
90 दिनों से अधिक 164 दिनों तक	8	7.05
योग	**211**	**1078.58**

अतः 1993–94 से 1995–96 के दौरान कुल 1078.58 लाख रुपये के बैंक ड्राफ्टों की धनराशियों के क्रेडिट में 8 दिनों से 164 दिनों तक विस्तारित भिन्न अवधियों के विलम्ब के कारण कम्पनी को सी.सी. खाते के अन्तर्गत बैंकों से उपरोक्त सीमा तक की ऋण ली गई निधियों पर 2.18 लाख रुपये के ब्याज की हानि उठानी पड़ी। कम्पनी ने उपचारी उपायों को अपनाने में अपने को समर्थ बनाने के लिये, विलम्बों का अब तक विश्लेषण नहीं किया।

2ब.7 विविध ऋणी एवं वसूली योग्य दावे

निम्न तालिका, 1995–96 तक के पाँच वर्षों के अन्त में, विविध ऋणियेां और वसूली योग्य अग्रिमों की वर्ष वार स्थिति को इंगित करती है:

(लाख रुपये में)

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
विविध ऋणी	1324.69	2163.83	1244.89	1321.91	1523.01
मासिक बिक्री के संदर्भ में ऋणी	1.64	2.48	2.92	3.70	4.32
वसूली योग्य अग्रिम	2144.55	2018.99	2279.30	2022.08	2344.89

उपरोक्त से यह दृष्टिगोचर होगा कि मासिक बिक्री के संदर्भ में ऋणी, वर्ष दर वर्ष वृद्धिगत हो रहे हैं, जो निम्न कारणों से है :

(i) ऋणों का आयुवार विश्लेषण नहीं किया जा रहा है और इस लिये पुराने और भारी ऋण, शीघ्र परिसमापन सुनिश्चित करने के लिये, अनभिज्ञात रहे।

(ii) कम्पनी ने न तो एसोसियेशन आफ कार्पोरेशन तथा एपेक्स सोसाइटीज़ आफ हैन्डलूम, नई दिल्ली के विरुद्ध, उनकी तरफ से केन्द्रीय सरकार के विभागों को की गई आपूर्तियों के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अनिस्तारित देयों का वार्षिक मिलान किया और न ही मार्च 1996 को उनके विरुद्ध अनिस्तारित 180.09 लाख रुपये के पक्ष में देयक वार विश्लेषण ही उपलब्ध थे।

2ब.7.1 वसूली योग्य बीमा के दावों की स्थिति

31 मार्च 1997 तक भण्डारण और पारगमन में हानियों के कारण 0.91 करोड़ रुपये के बीमा दावे लम्बित थे।

कम्पनी, चोरी, आग, क्षति के कारण भण्डारण में हानियों एवं पारगमन हानियों आदि के विरुद्ध सुरक्षा देने के लिये, भण्डारित अथवा पारगमन में माल की बीमा सुरक्षा करवाती हैं 31 मार्च 1997 को, भण्डारणों में 84.88 लाख रुपये की हानियों तथा पारगमन में 6.39 लाख रुपये की हानियों के दावे लम्बित थे। लेखा परीक्षा द्वारा एक संवीक्षा ने निम्न बिन्दु प्रगट किये :

(अ) तीन प्रकरणों में, जहाँ चोरी और आग के कारण 5.28 लाख रुपये के दावे दायर किये गये थे (अप्रैल 1992 से अक्टूबर 1992) दावों को पुलिस द्वारा दी गई अन्तिम रिपोर्टों में यह इंगित करते हुए कि चोरी हुई ही नहीं और अग्निकाँड कर्मचारियों के कारण हुए, के आधार पर बीमाकर्ता

द्वारा अस्वीकार कर दिये गये। कम्पनी ने हानियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों से वसूली हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की (अगस्त 1997)।

(ब) बाढ़ और आग द्वारा हुई हानियों के सात प्रकरणों के सम्बन्ध में, 67.55 लाख रुपये के कम्पनी के दावे (1990–91 से 1993–94) के विरुद्ध, बीमा कम्पनियों ने क्षतिग्रस्त माल के निस्तार मूल्य को 56.56 लाख रुपये मानते हुए, दावों का केवल 15.99 लाख रुपये में निपटारा कर दिया। क्षतिग्रस्त माल, बीमाकर्त्ता द्वारा भण्डार की निर्मुक्ति से 3 से 5 वर्षों तक, अनिस्तारित पड़ा रहा और इसलिये हानि की वास्ताविक सीमा अनिश्चित पड़ी रही (अगस्त 1997)।

(स) पारगमन की हानियों और क्षति के 10 प्रकरणों के सम्बन्ध में, सितम्बर 1992 और जनवरी 1995 के मध्य, बीमा कम्पनियों के सम्मुख दायर किये गये 6.39 लाख रुपये के दावे लम्बित थे (जुलाई 1997)। न तो बीमा कम्पनियों ने दावों के अस्वीकरण के कारणों को बताया और न ही कम्पनी द्वारा उनकी कभी पूछताछ की गई

2ब.7.2 अस्वीकार की गई आपूर्तियों के विरुद्ध वसूल न किये गये अग्रिम

गारण्टी प्राप्त किये बिना, फर्मों को अग्रिम के भुगतान से 0.16 करोड़ रुपये की निधियों का अवरोधन हुआ जिससे 0.03 करोड़ रुपये के ब्याज की परिगामी हानि हुई

कम्पनी ने अप्रैल–जून 1996 के मध्य, रक्षा विभाग के लिये बैरक कम्बल के 2300 नगों की आपूर्ति हेतु, गाजियाबाद की तीन फर्मों को 53.82 लाख रुपये के मूल्य के आदेश प्रेषित किये। आपूर्ति आदेश में, बिना किसी बैंक गारण्टी के आदेश सहित 30 प्रतिशत तक अग्रिम भुगतान का प्राविधान था। अन्तिम भुगतान, रक्षा विभाग द्वारा माल की स्वीकृति पर किया जाना था।

कम्पनी के गाजियाबाद परियोजना कार्यालय ने क्रियादेशों के साथ तीन फर्मों को 16.32 लाख रुपये का अग्रिम दे दिया। फर्मों द्वारा दी गई समस्त आपूर्तियों को जून 1996 में रक्षा विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। फर्म ने अस्वीकृति के स्थान पर न तो नवीन आपूर्तियाँ ही प्रस्तावित की और न ही कम्पनी द्वारा दी गई अग्रिम धनराशि को ही वापस किया (अगस्त 1997)। गारण्टी प्राप्त किये बिना ही, फर्मों को अग्रिम के भुगतान से अगस्त 1997 तक 16.32 लाख रुपये की कम्पनी की निधियों का अवरोधन हुआ जिससे 3.36 लाख रुपये के ब्याज की परिणामी हानि हुई

2ब.7.3 आर.एम.एम., मुम्बई के विरुद्ध भारी अग्रिम

1996–97 के अन्त पर, क्षेत्रीय विपणन प्रबन्धक (आर.एम.एम.), मुम्बई के विरुद्ध अनिस्तारित अग्रिम 45.19 लाख रुपये का था, जिसमें पाँच वर्षों से अधिक से अनिस्तारित 32.15 लाख रुपये का अग्रिम सम्मिलित था। ऐसे भारी अग्रिमों की, प्रबन्धन द्वारा, उत्तरदायित्व निर्धारण एवं व्यय से अधिक अग्रिमों की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु कभी समीक्षा नही की गयी। अगस्त 1997 तक आर.एम.एम. द्वारा लेखों की प्रस्तुति के अभाव में, लेखा परीक्षा द्वारा स्थिति की समीक्षा नहीं की जा सकी।

2ब.8 अन्य परियोजनायें और योजनायें

2ब.8.1 परियोजना एक मुश्त योजना के क्रियान्वयन में खामियाँ

कम्पनी, सभी 9 जिलों में योजना के सम्पूर्ण क्रियान्वयन में असफल रही जिसके परिणामस्वरुप 2.10 करोड़ रुपये अनुपयोजित रहे।

1991–92 में भारत सरकार ने हथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण दिये जाने, प्रशिक्षित बुनकरों को करघो और कार्यशालाओं के वितरण तथा लाभांश के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये एक परियोजना एक मुश्त योजना आरम्भ की। योजना का उद्देश्य, बुनकरों को सलेटी कपड़े से रंगरेजिन धागे के वस्त्रों की बुनाई में प्रवत्त करना था। कम्पनी द्वारा योजना को, निधि की निर्मुक्ति से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना था। राज्य के 13 जिलों में योजना की कुल लागत 567.55 लाख रुपये थी और जो कम्पनी द्वारा क्रियान्वित की जानी थी।

4 जिलों में योजना के क्रियान्वयन के लिये 180.50 लाख रुपये और 9 जिलों के लिये 125.96 लाख रुपये की राशि की निधियाँ केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा 1992–93 से 1995–96 के दौरान कम्पनी को निर्मुक्ति की गईं 1995–96 तक प्राप्त 306.46 लाख रुपये की कुल निधियों के विरुद्ध, कम्पनी ने मार्च 1997 तक 96.15 लाख रुपये का व्यय किया। इस सम्बन्ध में, लेखा परीक्षा में निम्न बिन्दु देखे गये :

(i) चार जिलों में जहाँ 1993–94 तक सरकार द्वारा 180.50 लाख रुपये की निधियाँ उपलब्ध कराई गई और योजना का क्रियान्वयन मार्च 1995 तक पूर्ण रूप से किया जाना था, कम्पनी ने मार्च 1997 तक केवल 96.15 लाख रुपये का व्यय किया और योजना सभी जिलों में अब तक क्रियान्वयन के अन्तर्गत थी (अगस्त 1997)।

(ii) नौ जिलों में, जहाँ योजना का क्रियान्वयन 1996–97 तक पूर्ण किया जाना था, कम्पनी ने योजना के अन्तर्गत सहायता हेतु बुनकरों के चुनाव के लिये ही कार्यवाही आरम्भ नहीं की। परिणामस्वरुप, 125.95 लाख रुपये की समस्त निधि अनुपयोजित रही (मार्च 1997)।

एकमुश्त योजना के क्रियान्वयन न किये जाने से कम्पनी को हानि पहुँची क्योंकि वह रंगरेजिन कपड़े की नई श्रेणियों के अन्तर्गत आवंटित नियंत्रित कपड़े के, 1993–94 से अधिप्राप्ति लक्ष्यों का मात्र 20 से 48 प्रतिशत ही प्राप्त कर सकी।

2ब.8.2 सुस्मान कपड़ा योजना के क्रियान्वयन में खामियाँ

जून 1988 में भारत सरकार ने, उत्पादन शुल्क की रियायती दर पर पालिस्टर तन्तु धागों (पी.एफ.वाई.) के प्रयोग से, जनसाधारण को सस्ते कपड़े उपलब्ध कराने के लिये, मानव निर्मित धागों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की एक योजना का आरम्भ किया। राज्य में योजना पर नियंत्रण करने के लिये मुख्य अभिकरण, निदेशक, हथकरघा थे।

कम्पनी को, जो क्रियान्वयन अभिकरणों में से एक थी, भारत सरकार के अन्तिम अनुमोदन हेतु निदेशक, हथकरघा के माध्यम से, वार्षिक उत्पादन योजना पी.एफ.वाई. की आवश्यकता एवं छीजन को संज्ञान में लेते हुए कपड़े की प्रत्येक श्रेणी के लिये लागत पत्र को प्रस्तुत करने को वांछित थी। योजना का क्रियान्वयन, उत्पादन शुल्क में रियायत की स्वीकृति के लिये रूपरेखा को केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् अप्रैल 1994 में ही आरम्भ किया जा सका। लेखा परीक्षा में निम्न बिन्दु देखे गये:

(i) कम्पनी, जिसे वर्ष 1994–95 के दौरान, 1.55 लाख मीटर कपड़े के उत्पादन का एक लक्ष्य सौंपा गया था, मार्च 1997 तक 5.88 लाख रुपये के मूल्य का 0.28 लाख मीटर कपड़ा ही उत्पादित कर सकी। कम्पनी ने, 1995–96 और 1996–97 के दौरान, 3.50 लाख मीटर कपड़े के वार्षिक उत्पादन के लिये पुनः कार्यक्रम प्रस्तुत किये परन्तु भारत सरकार द्वारा कोई लक्ष्य नहीं सौंपा गया क्योंकि 1994–95 का लक्ष्य मार्च 1997 तक अपूर्ण रह गया था।

(ii) 0.28 लाख मीटर कमीज के कपड़े के उत्पादन में उपयोजित धागा 5365 कि.ग्रा. था जो मानक के अनुसार 2739 कि.ग्रा. की आवश्यकता से अधिक था। यह 3.72 लाख रुपये के मूल्य के 2626 कि.ग्रा. धागे के अतिरिक्त उपभोग में परिणामित हुआ। कम्पनी ने अतिरिक्त उपभोग के लिये उत्तरदायित्व नियत नहीं किया।

2ब.9 खलीलाबाद के प्रक्रम गृह एवं रंगरेजी मशीन का अप्रभावी सम्पादन

2ब.9.1 प्रक्रम गृह (प्रासेस हाउस)

खलीलाबाद के प्रक्रम गृह· का क्षमता उपयोजन, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित कपड़े के आवंटन में मुख्यतः वर्ष दर वर्ष गिरावट के कारण, 1993–94 में 12.9 प्रतिशत से 1996–97 में 3.9 प्रतिशत तक गिर गया।

कम्पनी ने उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार के लिये, बुनकरों से क्रय किये गये कपड़ों को निजी फर्मों के स्थान पर अपने स्वयं के संयंत्र पर प्रक्रमित करने के लिये, 1980 में 207.32 लाख रुपये की लागत पर खलीलाबाद में एक प्रक्रम गृह की स्थापना की। प्रक्रम गृह में विरंजन, रंगरेजी, कैलेण्डरिंग तथा परिष्करण सुविधाओं की व्यवस्था थी।

प्रक्रम गृह का क्षमता उपयोजन धीरे–धीरे, भारत सरकार द्वारा सिल्क के माध्यम से नियंत्रित कपड़े के नियतांश के आवंटन में मुख्यतः वर्ष दर वर्ष गिरावट के कारण, 1993–94 में 12.9 प्रतिशत से 1996–97 में 3.9 प्रतिशत तक गिर गया। क्षमता उपयोजन में गिरती प्रवृत्ति के बावजूद, उत्पादन की प्रत्यक्ष लागत तथा अन्य ऊपरी व्ययों में कोई भी अनुरूप कमी नहीं थी जिससे प्रक्रम गृह को लगातार हानियाँ हुई जैसा नीचे संक्षिप्त किया गया :

(लाख रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
अर्जित किये गये प्रक्रमन	22.17	29.45	15.60	14.57
प्रभार व्ययः				
प्रत्यक्ष लागत	18.25	25.30	15.08	12.73
स्थापना एवं ऊपरी व्यय	39.16	40.11	40.48	37.46
योग	**57.41**	**65.41**	**55.56**	**50.19**
शुद्ध हानि	**35.24**	**35.96**	**39.96**	**35.62**

आवृती हानियों के बावजूद, कम्पनी ने उसकी कार्यप्रणाली में सुधार के लिये उपचारी उपाय नहीं किये।

2ब.9.2 रंगरेजी मशीन

जून 1987 में निदेशक मण्डल ने, खलीलाबाद प्रक्रम गृह में संश्लेषित वस्त्रों (पालिस्टर धागों से निर्मित) को चटक रंगो में रंगरेजिन करने हेतु एक जेट रंगरेजी मशीन को संस्थापित करने के एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया। तथापि, कम्पनी ने मशीन को क्रय करने एवं स्थापित करने के लिये छः वर्षों तक कोई कार्यवाही नहीं की। मई 1993 में, मशीन को संस्थापित किये जाने की वित्तीय संभाव्यता का बिना पुर्नआंकलन किये, कम्पनी ने 9.55 लाख रुपये में इसकी आपूर्ति एवं संस्थापन के लिये एक आदेश प्रेषित किया। अगस्त 1994 में आपूर्ति की गई मशीन, जिसकी रंगरेजी की संस्थापित क्षमता 30 लाख मीटर कपड़े वार्षिक थी, पालिस्टर धागों में अत्यन्त कम कार्य होने के कारण जो मशीन के आपूर्ति आदेश के दिये जाने से पूर्व ही 1987–88 में 0.89 लाख कि.ग्रा. से 1993–94 में 0.08 लाख कि.ग्रा. तक पहले ही कम हो चुका था, मार्च 1997 तक अपनी क्षमता का मात्र 3 से 4 प्रतिशत ही रंगरेजित कर सकी।

अतः, 9.55 लाख रुपये की लागत पर रंगरेजिन मशीन की, पालिस्टर धागों के व्यापार में तीव्र गिरावट के दृष्टिगत उसकी आवश्यकता का बना पुर्नआकलन किये अधिप्राप्ति ने, मशीन के नाम मात्र के उपयोजन के कारण, निधि का अवरोधन किया।

2ब.10 अन्य रुचिकर विषय

2ब.10.1 इटावा में प्रक्रम गृह की स्थापना

कम्पनी, गृह में तीन वर्षों से अधिक से अवरुद्ध 32.25 लाख रुपये की वसूली करने में असफल रही।

कम्पनी, ने वस्त्र उत्पादन में बढ़ते हुए एक क्षेत्र में किसी प्रक्रम गृह अभाव के दृष्टिगत, इटावा में एक प्रक्रम गृह स्थापित करने के लिये, सरकार को एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया (जुलाई 1990)। पी.आई.बी. ने, कम्पनी द्वारा वित्तीय संस्थाओं से व्यवस्थित किये जाने वाले ऋणों के माध्यम से वित्तपोषित होने वाली परियोजना का 189.71 लाख रुपये की लागत पर अनुमोदन कर दिया (फरवरी 1991)।

सरकार ने, परियोजना की स्थापना को सुगम बनाने के लिये, अंशदानों के नाम पर 50 लाख रुपये निर्मुक्ति कर दिये (मार्च 1991)। तथापि, कम्पनी ने, जैसा कि प्रकल्पित था, वित्तीय संस्थाओं से शेष निधियों को प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये। जबकि, भवन का निर्माण प्रगति में

था, निदेशक मण्डल ने परियोजना की प्रगति पर विचार करने के उपरान्त प्रबन्धन को, परियोजना की वित्तीय संभाव्यता का पुर्नआंकलन करने तथा इकाई के निजीकरण हेतु विकल्प तलाशने का भी निर्देश दिया (जून 1993)। जबकि, मण्डल के निर्देशों पर प्रबन्धन की संस्तुति प्रस्तुत की जानी थी, सरकार ने जुलाई 1994 में वित्तीय अवरोधों के कारण स्वयं ही प्रक्रम गृह के निजीकरण करने का निर्णय ले लिया क्योंकि उसे लगा कि निजी प्रक्रम गृहों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना भी संभव नहीं होगा। सरकारी निर्णय के पश्चात् प्रबन्धन ने, निदेशक मण्डल को प्रस्तुत करने के लिये वित्तीय संभाव्यता का पुर्नआंकलन पूर्ण नहीं किया।

कम्पनी, जिसने निर्माणाधीन भवनों पर जून 1994 तक 32.25 लाख रुपये का व्यय किया, ने काम को तत्काल रोक दिया और सरकार को अगस्त 1997 में 17.75 लाख रुपये के व्यय न किये गये अवशेष को वापस कर दिया। निर्माण रोके जाने के तीन वर्षों से अधिक के व्ययगत हो जाने के बावजूद, परियोजना में अवरुद्ध निधियों की वसूली किये जाने के उद्‌देश्य से, इकाई के निजीकरण हेतु कोई प्रगति नहीं की।

2ब.10.2 समझौते की अवधि के दौरान प्रदर्शन कक्ष का छोड़ना

कम्पनी ने कपूरथला शापिंग सेन्टर, लखनऊ में अपने प्रदर्शन कक्ष के लिये दस वर्षों के पट्टे पर 3339.00 रुपये के मासिक किराये पर 113 वर्ग फीट क्षेत्र प्राप्त करने के लिये, लखनऊ के एक दल से फरवरी 1985 में एक समझौता किया। पट्टे के पाँच वर्षों के अवसान के पश्चात्, मार्च 1990 से किराये में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जानी थी। समझौते में दलों के मध्य एक पट्टानामे के निष्पादन तथा दोनों दलों द्वारा उस पर होने वाले व्यय को समान रूप से बटवारे की व्यवस्था थी।

कम्पनी ने बिना कोई पट्टानामा निष्पादित किये, 1985–86 के दौरान, प्रदर्शन कक्ष की सुसज्जा में 4.12 लाख रुपये व्यय कर दिये। परिसर का पट्टानामा निष्पादित नहीं हो सका क्योंकि भवन स्वामी ने समझौते की अवधि के दौरान, किराये में प्रत्येक तीन वर्षों के पश्चात् वृद्धि के प्राविधान सहित संशोधित शर्तों का प्रस्ताव कर दिया (जनवरी 1988)। किसी पट्टानामा की अनुपस्थिति में भवन स्वामी ने जून 1988 में प्रदर्शन कक्ष को रिक्त करने का एक कानूनी नोटिस निर्गत कर दिया। दिसम्बर 1990 में प्रबन्धन ने आंकलित किया कि प्रदर्शन कक्ष के खाली किये जाने की स्थिति में सुसज्जा पर पुनः अप्राव्य 2.12 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ेगी। कम्पनी ने, 2.12 लाख रुपये की सुसज्जा की हानि का दावा किये बिना ही, परिसर को जून 1990 में खाली कर दिया और समझौते की अवसान न हुई अवधि के दौरान, फरवरी 1995 तक 7572 रुपये के मासिक किराये पर एक नये प्रदर्शन कक्ष (971 वर्ग फीट) को किराये पर लेने में (अप्रैल 1992) पुनः 1.21 लाख रुपये का व्यय कर दिया। 3.33 लाख रुपये की हानि से बचा जा सकता था यदि व्यवसाय आरम्भ करने और भवन

में कोई सुसज्जा आरम्भ करने से पूर्व, प्रबन्धन अपने पक्ष में पट्टानामा निष्पादित किये जाने पर जोर देता।

उपसंहार

कम्पनी, हथकरघा एवं विद्युत करघा क्षेत्र को वित्तीय एवं विपणन द्वारा सहायता करने हेतु एवं बुनकरों को प्रशिक्षण हेतु स्थापित की गई थी। कम्पनी ने विद्युतकरघा क्षेत्रों को सहायतार्थ कुछ नहीं किया एवं हथकरघा क्षेत्र में भी वित्तीय सहायता नहीं दी। बुनकरों को प्रशिक्षण भी सरकार द्वारा वित्तपोषित योजनाओं तक सीमित रहा। इसने हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों को धागा वितरित किया एवं उन्हें उनके उत्पादों के अधिप्राप्ति एवं बिक्री में, विपणन में सहायता की। तथापि कम्पनी द्वारा सम्पादित सीमित उद्देश्य अधोगति की ओर थे जोकि निम्न कमियों के कारण भारी हानियों में परिणामित हुए।

- नियंत्रित कपड़े की, लक्ष्यों से अत्यन्त कम अधिप्राप्ति एवं बिक्री तथा निधियों का अवरोधन;
- बुनकरों को उपदानित धागा उपलब्ध कराने में विफलता जिससे कपड़ों की अधिप्राप्ति उच्च दरों पर करनी पड़ी;
- अनियोजित एवं स्तरहीन कार्यों के कारण प्रचुर भण्डार का लम्बी अवधि तक अधिसचय जिससे भण्डार परिवहन पर ऊँची लागत तथा नीलामी में उनके निस्तारण पर भारी हानियाँ उठानी पड़ी;
- कुछ प्रदर्शन कक्षों द्वारा नकारात्मक सहयोग;
- पुराने विविध ऋणियों व अन्य दावों का परिसमापन न किया जाना;
- अन्तर–प्रदर्शन कक्ष–अंतरणों और लेखों का खरीददारों के साथ विलम्बित मिलान/मिलान न किया जाना जिससे परिणामस्वरूप भारी अनिस्तारित बकाये;
- क्षेत्रीय ईकाइयों से नकद आपूर्तियों का अनुश्रवण और नियंत्रण करने में असफलता तथा उपलब्ध अधिशेष निधियों का सी.सी. खाते में जमा न किया जाना;
- अन्य परियोजनाओं तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में खामियाँ;
- प्रक्रम गृह एवं रंगरेजी मशीन का अप्रभावी संपादन

हानियों का कम करने और अपने प्रचालन में सुधार करने के लिये, कम्पनी को निम्न सुधारात्मक उपायों को अपनाने की आवश्यकता है:

- अपने नकद प्रबन्ध तन्त्र को सुदृढ़ बनाना;
- सामग्री अधिप्राप्ति शाखा, विपणन शाखा, प्रदर्शन कक्षों तथा प्रक्रम गृह की कार्यप्रणाली में सुधार करना तथा गहन अनुश्रवण;
- प्रदर्शन कक्षों और दूसरे भण्डारों में रखे हुए मदों के भण्डार का मिलान तथा नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करना;
- पुराने, ऋणियों और अन्य दावों परिसमाप्त करने के लिये तत्काल कार्यवाही करना;
- अन्य परियोजनाओं तथा योजनाओं का उचित मूल्यांकन तथा समय से निष्पादन की व्यवस्था;
- अपने कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर कठोर अनुश्रवण एवं नियंत्रण करना।

उपरोक्त प्रकरण, कम्पनी/सरकार को जून 1997 में सूचित किये ग़ये उनके उत्तर अब तक प्राप्त नही हुए (सितम्बर 1997)।

अध्याय–II

अनुच्छेद 2स
कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	122
2.	उद्देश्य	123
3.	संगठनात्मक ढाँचा	123
4.	लेखापरीक्षण का क्षेत्र	123
5.1	वित्तीय स्थिति	124
5.2	कार्यचालन के परिणाम	126
6.	गतिविधियाँ	127
6.अ.1	पर्वत तार निर्माणी	128
6.अ.2	पर्वत प्लास्टिक निर्माणी	129
6.अ.2.1	विलम्बित/त्रुटिपूर्ण आपूर्ति के फलस्वरुप हानि	132
6.अ.3	रोजिन व टर्पेण्टाईन निर्माणी	132
6.ब.1	फलों का विपणन	134
6.ब.2	जड़ी–बूटी (शाकीय)के व्यवसाय में हानि	136
6.ब.3	पादप/बीज विपणन योजना	137
6.स	पर्यटन	138
6.स.1	(i) अवासीय	138
6.स.1	(ii) खान–पान सेवाएँ	139
6.द.	रसोई गैस का वितरण	140
6.इ.	सिविल निर्माण खण्ड	142
7.	चाय विकास योजना	144
8.	निवेश	146
9.	लेखे एवं आन्तरिक लेखा परीक्षण	149
10.1	निम्न विद्युत फैक्टर प्रभार पर परिहार्य भुगतान	149
10.2	अनियमित व्यय	150
10.3	स्टाम्प शुल्क का परिहार्य भुगतान	150
	उपसंहार	151

खण्ड 2स

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड

मुख्य अंश

30 मार्च 1971 को निगमित पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड को कुमाऊँ क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से उद्योगों, पर्यटन, विपणन एवं निर्माण सम्बन्धित गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु, अगस्त 1976 में कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड के रूप में पुनर्नामित किया गया था।

(प्रस्तर 2स.1)

कम्पनी ने 91.04 लाख के सकल ऋण पर 61.94 लाख रुपये के परिहार्य ब्याज दायित्व को वहन किया, जोकि उन उद्देश्यों से जिनके निमित उन्हें प्राप्त किया गया था, विचलन के कारण अथवा अप्रयुक्त पड़े रहने के कारण हुआ।

[प्रस्तर 2स.5.1(अ) व (ब)]

सरकारी आदेश के उल्लंघन में, कम्पनी ने सरकार से प्राप्त निधि पर अर्जित 1.31 करोड़ रुपये के ब्याज को लेखित किया और इसे सरकार को क्रेडिट करने के स्थान पर अपनी आय के रूप में एफ.डी.आर. में निवेशित किया।

(प्रस्तर 2स.5.2)

पर्वत तार निर्माणी के न्यून क्षमता–उपयोग के कारण, कम्पनी ने 1995–96 तक विगत पाँच वर्षों के दौरान 54.92 लाख रुपये का घाटा उठाया, जोकि 15.42 लाख रुपये और बढ़ जायेगा यदि मूल्य निर्धारण समिति के प्रस्ताव के अनुसार विक्रय मूल्य में कमी के लाभ को उपभोक्ताओं में वितरित किया जाता है।

(प्रस्तर 2स.6.अ.1)

1995–96 तक विगत पाँच वर्षों के दौरान रोजिन एवं टर्पेंटाइन निर्माणी में प्रक्रिया–क्षति, 8 प्रतिशत निर्धारित मानक के विरुद्ध 11.2 से 12.1 प्रतिशत के मध्य श्रेणीबद्ध थी जिसके फलस्वरूप 14.09 लाख रुपये की हानि हुईं कम्पनी ने पेल श्रेणी के रोजिन की अल्प–प्राप्ति के फलस्वरूप भी

29.41 लाख रुपये का अतिरिक्त घाटा उठाया, जोकि 51 प्रतिशत के निर्धारित मानक के विरुद्ध शून्य से 6.2 प्रतिशत के मध्य श्रेणीबद्ध था।

[प्रस्तर 2स.अ:3(ii) तथा (iii)]

कम्पनी ने जड़ी–बूटी व्यवसाय में अत्यधिक उपरिव्यय तथा किसानों द्वारा सीधा व्यवसाय करने की अनुमति के कारण 76.85 लाख रुपये का घाटा उठाया।

(प्रस्तर 2स.6.ब.2)

कम्पनी ने मार्च 1996 तक विगत पाँच वर्षों के दौरान पर्यटक विश्राम गृहों के अल्प–अभिधारण तथा खाद्य व ईंधन लागत को निर्धारित सीमा में रखने में विफलता के फलस्वरूप 1.14 करोड़ रुपये का घाटा उठाया।

[प्रस्तर 2स.6.स.1(i) तथा (ii)]

कम्पनी ने 1995–96 तक विगत पाँच वर्षों के दौरान अत्यधिक उपरिव्यय तथा एल.पी.जी. रिफिलों का संशोधित बिक्री मूल्य अपनाने में बिलम्ब के फलस्वरूप रसोई गैस (एल.पी.जी.) के अभिकरण–संचालन में 29.84 लाख रुपये का घाटा उठाया।

(प्रस्तर 2स.6.द)

अल्प टर्न ओवर के फलस्वरूप कम्पनी, निर्माण खण्ड का 30.55 लाख रुपये का उपरिव्यय वसूल न कर सकी।

(प्रस्तर 2स.6.ई)

2स.1 प्रस्तावना

प्रान्त के गढ़वाल व कुमाऊँ के क्षेत्रों की सामाजिक–आर्थिक अवस्था में सुधार करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड को 30 मार्च 1971 को एक पूर्ण–स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में निगमित किया गया था। मार्च 1976 में गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड के सृजन पर पूर्वगामी उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड की गतिविधियां, जिससे कुमाऊँ विकास निगम लिमिटेड के रूप में पुनर्नामित किया गया, केवल कुमाऊँ क्षेत्र जिसमें नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और ऊधमसिंह नगर जनपद निहित थे; तक ही सीमित हो गयी।

2स.2 उद्देश्य

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं:–

- क्षेत्र की आर्थिक, औद्योगिक व कृषि विकास के प्रोत्साहन अथवा उत्थान हेतु उद्योगों, परियोजनाओं व उपक्रमों को सहायता, पोषण, प्रोत्साहन या स्थापना, विकास या निष्पादित करना;
- क्षेत्र में उद्योगों के हितों को तथा सम्बद्ध गतिविधियों को सहायता, समुपदेशण, वित्तपोषण व प्रोत्साहन देना;
- क्षेत्रों में पर्यटन की सहायतार्थ होटलों व रेस्तराओं का विकास हेतु पर्यटन–यातायात व व्यवसाय को विकसित करना;
- क्षेत्र के वन्य स्रोतों व उद्यानों, सब्जियों का विकास व समुपयोजन करना।

2स.3. संगठनात्मक ढाँचा

कम्पनी का प्रबन्धन एक निदेशक मण्डल में निहित है जिसमें न्यूनतम तीन व अधिकतम पन्द्रह सदस्य होते हैं। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी के प्रमुख अधिशासी हैं जिनकी सहायतार्थ मुख्यालय में चार महाप्रबन्धक तथा प्रबन्धक हैं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में ईकाई–स्तर पर पर्यटन विकास अधिकारीगण हैं।

कम्पनी ने एक अर्हता प्राप्त कम्पनी सचिव को नियुक्त नहीं किया है जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1965 की धारा 383–ए के तहत वांछित था यद्यपि संस्थापना से ही इसकी प्रदत्त पूँजी 25 लाख रुपये से अधिक थी।

2स.4 लेखा परीक्षण का क्षेत्र

वर्ष 1984–85 तक पाँच वर्षों की अवधि में कम्पनी के क्रियाकलापों पर एक समीक्षा पहले भी 31 मार्च 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार, में सम्मिलित की गई थी। प्रतिवेदन पर सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा अभी तक (सितम्बर 1997) चर्चा नहीं की गई है।

1995–96 तक पाँच वर्षों की अवधि में कम्पनी के क्रियाकलापों का पुनरीक्षण लेखा परीक्षण द्वारा अगस्त 1996 से फरवरी 1997 तक किया गया, जिसके परिणाम आगामी प्रस्तरों में वर्णित हैं।

2स.5. वित्तीय स्थिति व क्रिया–कलाप के परिणाम

2स.5.1 वित्तीय स्थिति :

कम्पनी के लेखे 1993–94 से अवशिष्ट में हैं। 1995–96 तक पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त तक कम्पनी की वित्तीय स्थिति निम्ववत् दर्शायी गई है :

(लाख रुपये में)

	विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
अ.	दायित्व					
(i)	प्रदत्त पूंजी	8926.61	904.67	931.83	931.83	992.88
(ii)	पृत्याधृत व अतिरेक	103.27	103.27	102.94	102.97	37.53
(iii)	उधार ग्रहण					
अ.	बैंकों से प्रतिभूत ऋण	83.22	64.70	47.74	30.48	53.
ब.	सरकार से अप्रतिभूत ऋण					
(iv)	वर्तमान दायित्व व प्रावधान					
	योग	2129.02	2129.00	2122.67	2061.17	2561.63
ब. सम्पत्ति						
(i)	सकल परिसम्पत्ति	515.93	527.54	524.88	561.00	548.72
(ii)	घटाया अवमूल्यन	302.75	327.03	356.66	363.25	381.25
(iii)	शुद्ध स्थिर परिसम्पत्ति	213.18	200.51	168.22	197.75	167.47
(iv)	कार्य उन्नत पूंजी	--	--	4.02		
(v)	निवेश	245.51	262.11	481.11	650.24	650.24
(vi)	वर्तमान सकल सम्पत्ति, ऋण व अग्रिम					
	भण्डार तालिका	216.39	155.81	158.44	80.80	109.62
	विविध देनदान	118.52	108.98	110.85	76.99	93.58
	रोकड़ व बैंक शेष	593.75	468.72	371.99	437.53	874.67
(vii)	ऋण व अग्रिम	542.76	738.07	580.23	356.69	433.02
(viii)	अ–अपलिखित विविध–व्यय	0.82	0.80	0.84	0.58	0.52

(लाख रुपये में)

	विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
(ix)	वृहद हानि	198.09	194.00	246.97	260.59	252.51
	योग	2129.02	2229.00	2122.67	2061.17	2561.63
स.	नियुक्त पूंजी*	759.85	842.27	593.50	450.63	791.48
द.	शुद्ध अतिशेष**	730.97	813.14	786.95	773.63	777.38

टिप्पणी: कम्पनी ने वर्ष १९९४–९५ व १९९५–९६ के प्राविधिक लेखे नहीं तैयार किये। तालिका को प्रबंधन द्वारा प्रदत्त आँकड़ों के आधार पर संकलित किया गया है।

सरकार से उपरोक्त अप्रतिभूत ऋण में सम्मिलित हैं:

अनुपयुक्त ऋण की वापसी न करने के फलस्वरूप 61.04 लाख रुपये के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(अ) राज्य सरकार से, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा कम्पनी को पट्टे पर प्रदत्त पर्यटक विश्रामगृहों (टी आर एच एस) की विशेष मरम्मत हेतु प्राप्त (जुलाई 1994) 60 लाख रुपये का एक ऋण/तथापि, मार्च 1996 तक कम्पनी द्वारा मात्र 29.40 लाख रुपये की धनराशि का ही उपयोग किया गया। ऋण के अनुपयुक्त 30.69 लाख रुपये पर सितम्बर 1997 तक 18.90 लाख रुपये का ब्याज भारित हुआ।

(ब) टेलीट्रोनिक्स लिमिटेड तथा ट्रान्सकेबिल्स लिमिटेड (कम्पनी की सहायिकाओं) द्वारा मार्च 1993 व जुलाई 1994 में प्राप्त क्रमशः 21.99 लाख रुपये व 75 लाख रुपये के ऋण पैकेज सहायता हेतु प्राप्त हुए। कम्पनी ने, टेलीट्रोनिक्स लिमिटेड हेतु प्राप्त 21.99 लाख रुपये का समस्त ऋण तथा ट्रान्सकेबिल्स लिमिटेड हेतु प्राप्त 75 लाख रुपये ऋण में से 38.45 लाख रुपये की धनराशि उन उद्देश्यों से अलग जिनके निमित्त ऋण लिया गया था, प्रतिधारण कर लिया। इस प्रकार, 60.44 लाख रुपये धनराशि के ऋण निधि पर कम्पनी ने सितम्बर 1997 तक 43.04 लाख रुपये का परिहार्य ब्याज दायित्व वहन किया, उन उद्देश्यों को प्राप्त किये बिना जिसके निमित्त ये ऋण प्राप्त किये गये थे।

इस सम्बन्ध में, सम्प्रेक्षा द्वारा यह पाया गया कि कम्पनी ने ऋण (91.04 लाख रुपये) के उक्त अनुपयुक्त अंश को वापस नहीं किया और भारी नकद व बैंक अवशेष जो कि 371.99 लाख रुपये से 874.67 लाख रुपये के मध्य सम्प्रेक्षा की अवधि के दौरान था, के होते हुये भी 19.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष

* नियुक्त पूँजी से तात्पर्य है शुद्ध स्थिर सकल सम्पत्ति (प्रगतिगत कार्य सहित) जमा कार्यवाही पूँजी

** शुद्ध अतिशेष से तात्पर्य है प्रदत्त पूँजी धन जमा प्रत्याघृत व अतिरेक, घटाया अभूर्त परिसम्पत्ति

की दर से 61.04 रुपये ब्याज का भुगतान किया। प्रबन्धन इसके लिये कोई उचित कारण न प्रस्तुत कर सका।

2स.5.2 कार्यचालन का परिणाम

मार्च 1996 तक पाँच वर्षों में कम्पनी के क्रिया–कलापों के परिणाम अधोलिखित है:

(लाख रुपये में)

	विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
अ.	व्यय					
(i)	क्रय	572.77	742.63	879.92	1090.95	1261.95
(ii)	प्रयुक्त कच्चा माल	274.01	244.29	213.88	96.73	187.34
(iii)	उत्पादन व्यय व अन्य उपरिव्यय	420.33	448.57	590.96	1422.14	793.23
(iv)	ब्याजः					
(अ)	सरकारी ऋण पर	14.27	14.28	14.27	30.93	39.49
(ब)	बैंक उधार पर	6.32	5.41	7.91	2.70	2.55
(v)	अवमूल्य	27.02	24.28	32.49	18.25	18.00
(vi	लाभ (+)/हानि (–)	(-) 77.94	(+) 4.08	(-) 48.23	(-) 13.62	(+) 8.08
	योग	**1236.78**	**1483.54**	**1691.20**	**2648.08**	**2310.64**
ब.	आयः					
(i)	बिक्री	980.46	1240.47	1257.02	1415.68	1618.77
(ii)	अन्य आय	228.42	251.18	395.47	1296.06	673.14
(iii)	स्कन्ध में बढ़त (+)/ घटत (–)	(+)27.90	(-)8.11	(-)38.71	(-)63.66	(+)18.73
	योग	**1236.78**	**1483.54**	**1691.20**	**2648.08**	**2310.64**

उपरोक्त में, अन्य आय में कम्पनी द्वारा राज्य सरकार से समय–समय पर विशेष प्रयोजनार्थ प्राप्त निधि को सावधि जमा/जमानत में दिसम्बर 1993 के शासनादेश के प्रावधानों के उल्लघंन में

निवेशित करके प्राप्त हुई (मार्च 1996 तक पाँच वर्षों के दौरान) 131.40 लाख रुपये की एक धनराशि सम्मिलित है, यद्यपि इन निधियों के (मोचन) सम्बन्धी शर्तों में यह वांछनीय था कि कम्पनी द्वारा अर्जित इस प्रकार का कोई भी ब्याज राज्य सरकार को क्रेडिट किया जायेगा। प्रबन्धन ने व्यक्त किया (जुलाई 1993) कि स्वीकृति आदेश में ऐसी कोई शर्त निहित नहीं थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस विषय पर उपरोक्त सन्दर्भित दिसम्बर 1993 का शासनादेश सुस्पष्ट है।

कम्पनी ने त्रुटिवश से राज्य सरकार से प्राप्त ऋण निधि पर अर्जित 1.31 करोड़ रुपये के ब्याज को अपनी आय मान लिया।

दयनीय कार्यचालन व हानियों के मुख्य कारण निम्नवत् थे:

- पर्वत वायर फैक्ट्री का दयनीय काय सम्पादन: 70.34 लाख रुपये

(प्रस्तर 2स.6अ.1)

- विपणन गतिविधियों में घाटा: 99.07 लाख रुपये

(प्रस्तर 2स.6ब)

- पर्यटन व पैकेज टूअरों में लगातार घाटा: 99.78 लाख रुपये

(प्रस्तर 2स.6.स)

- एल.पी.जी. वितरण कार्य में घाटा: 29.84 लाख रुपये

(प्रस्तर 2स.3.6द)

2स.6 गतिविधियाँ

समीक्षा की अवधि के दौरान, कम्पनी की मुख्य गतिविधियाँ, कटीले तार, पॉलीथीन के थैले रोजिन व टर्पेण्टाइन के उत्पादन व बिक्री, फलों के व्यवसाय, जड़ी–बूटियाँ (शाकीय) व गौण खनिज, ईंधन रसोई गैस (एल पी जी) व पेट्रोल/डीजल के वितरण, पर्यटन के प्रोत्साहन, चाय–बागानों के विकास आदि तक सीमित थीं।

इनमें से कतिपय गतिविधियों पर समीक्षा के परिणाम अग्रगामी प्रस्तरों में उल्लिखित हैं:

2स.6.अ उत्पादन हेतु गतिविधियाँ

2स.6.अ.1. पर्वत तार निर्माणशाला (फैक्ट्री):

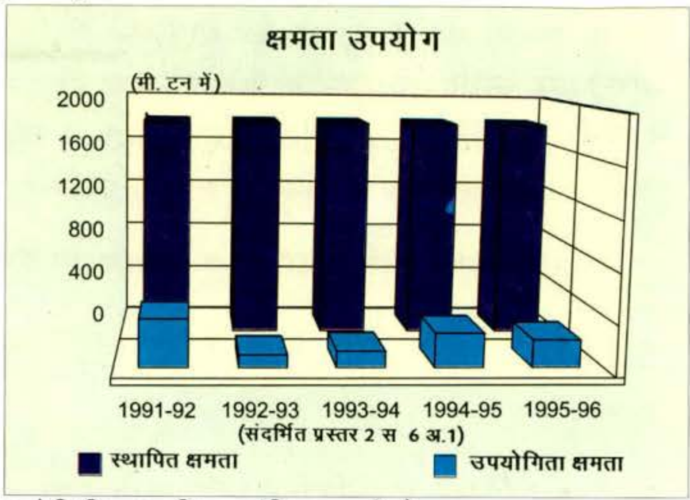

कम्पनी ने विशेष रूप से वन विभाग की आवश्यकता–पूर्ति हेतु, काठगोदाम में पर्वत तार निर्माणशाला नामक एक कटीले तार की उत्पादनकर्ती इकाई को स्थापित किया (अगस्त 1977) इकाई की प्रारम्भिक क्षमता 900 एम.टी. प्रतिवर्ष थी, जिसे बाद में (जनवरी 1979) बढ़ाकर 1800 एम टी प्रति वर्ष तक किया गया। 1995–96 तक के पाँच वर्षों के दौरान निर्माण शाला के कार्यचालन को अधोलिखित तालिका इंगित करती है:–

		1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
				(एम.टी.में)		
(अ)	भौतिक:					
(i)	स्थापन क्षमता	1800	1800	1800	1800	1800
		(21.2)	(5.6)	(7.2)	(15.1)	(12.2)
(ii)	तार का उत्पादन	381.30	100.34	130.21	272.14	220.18
(iii)	तार की बिक्री	357.90	173.49	142.78	275.41	185.02
				(लाख रुपये में)		
ब.	वित्तीय:					
(i)	बिक्री प्राप्तियाँ	92.21	46.80	27.84	54.52	40.43
(ii)	कच्चे माल की आगम–लागत	64.20	32.55	25.83	50.08	35.35
(iii)	वेतन/भृतियाँ आदि	13.05	14.95	16.86	13.80	16.37
(iv)	अन्य उपरिव्यय	16.24	9.72	3.02	2.04	2.66
(v)	हानियाँ	1.28	10.42	17.87	11.40	13.95

नोट: ब्रैकेट की संख्याएँ क्षमता उपयोग का प्रतिशत दर्शाती हैं।

निम्नलिखित प्रेक्षण किये गए:

> ***कम्पनी ने पर्वत वायर फैक्ट्री के अल्प क्षमता उपयोग के कारण 54.92 लाख रुपये का घाटा उठाया जो कि 15.42 लाख रुपये से और बढ़ जाता यदि विक्रय मूल्य में कमी से हुए लाभ को ग्राहकों को दिया जाता।***

- 1991–92 से 1995–96 की अवधि के दौरान, निर्माणी ने 54.92 लाख रुपये का घाटा स्थापित क्षमता के कम उपयोग के कारण उठाया।
- वर्ष 1991–92 से 1995–96 तक की उपरोक्त बिक्री प्राप्तियाँ मुख्यतः वन विभाग से थी तथा कम्पनी द्वारा भारित दरों पर आधारित थीं। तथापि, यह पाया गया कि उपरोक्त वर्षों हेतु सरकार द्वारा नियुक्त मूल्य स्थिरीकरण कमेटी द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित दरें (जून 1993) कमी की तरफ थी तथा अतिरिक्त बिक्री प्राप्तियाँ जो की कम्पनी द्वारा निर्धारित दरों पर आधारित थीं, उन्हें वन विभाग को वापस करना पड़ेगा। इस प्रकार, कमेटी के उपरोक्त निर्णय से उपरोक्त 54.92 लाख रुपये की हानि में 15.42 लाख रुपये की वृद्धि होगी।
- कम्पनी का क्षमता उपयोग एक पारी के क्रिया कलाप को भी समर्थित नहीं करता था, तथापि कम्पनी ने नवम्बर 1996 में उत्पादन बन्द होनें के बाद भी दो पारियों के कर्मचारियों की तैनाती को जारी रखा। यदि कम्पनी ने एक पारी के आधार पर ही स्टाफ को तैनात किया होता तो मार्च 1996 तक पाँच वर्षों के दौरान वेतन/मेहनताने पर व्यय हुई 18.03 लाख की धनराशि को नवम्बर 1996 से अगस्त 1997 के दौरान 12.20 लाख रुपये के व्यर्थ मेहनताने के भुगतान के अलावा बचाया जा सकता था।

प्रबन्धन ने कम्पनी द्वारा उठाई गई हानि का प्रमुख कारण वन विभाग की माँग में गिरावट बताया (जुलाई 1997)। यद्यपि, अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे परिलक्षित हो कि प्रबन्धन ने अन्य सम्भाव्य क्रेताओं से आदेश प्राप्त करने की सम्भावनाओं के सम्वेषण हेतु अनुकूलतम् क्षमता उपयोग बनाने के लिये कोई सम्भावी प्रयास किया हो जिससे कम से कम उपरिव्यय को समावेशित किया जा सके।

2स.6.अ.2 पर्वत प्लास्टिक निर्माणी:

वन विभाग, अन्य सरकारी विभागों व अन्य ग्राहकों द्वारा की गई पॉलीथीन थैलियों की वृहद् स्तरीय माँगों को पूरा करने के उद्देश्य से, कम्पनी ने काठगोदाम में 90 एम.टी. प्रतिवर्ष स्थापित क्षमता

की एक पर्वत प्लास्टिक निर्माणी (1978) स्थापित किया। निर्माणी की क्षमता को अप्रैल 1991 तक 360 एम.टी. तक बढ़ाया गया क्षमता उपयोग प्रतिशत 1991–92 के 45.4 प्रतिशत से धीरे–धीरे गिरकर 1994–95 में 17.17 प्रतिशत आया फिर 1995–96 में उठकर 22.5 प्रतिशत हुआ। मार्च 1996 तक के पाँच वर्षों के दौरान उत्पादन, बिक्री प्राप्तियाँ, परिचालन व्ययों आदि का विवरण अधोलिखित सारिणी में दर्शाया गया है:

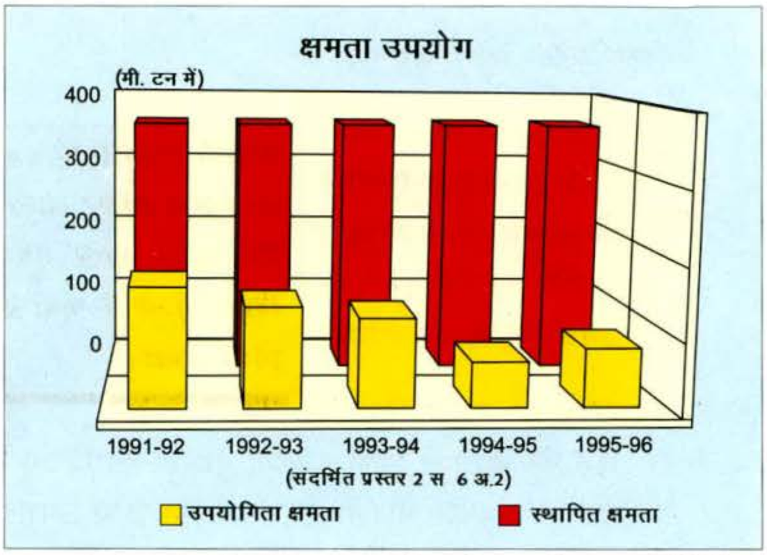

		1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
						(एम.टी. में)
अ.	**भौतिक**					
(i)	स्थापन क्षमता	360	360	360	360	360
(ii)	स्वयं की फैक्ट्री में उत्पादन	163.28	136.58	121.62	63.77	80.77
(iii)	निजी पक्षों द्वारा	(45.4)	(37.9)	(33.8)	(17.7)	(22.5)
	उत्पादन	88.72	42.11	42.57	12.68	12.65
(iv)	कुल उत्पादन	252.00	178.69	164.19	76.45	93.52
						(लाख रुपये में)
ब.	**वित्तीय**					
(i)	बिक्री	107.80	124.50	92.41	65.18	87.96
(ii)	स्कन्ध में बढ़त/घटत	(+)33.84	(-)9.97	(+)16.39	(-)11.88	(-)8.85
(iii)	प्रयुक्त कच्चा माल	114.51	84.68	81.58	36.44	54.24
(iv)	वेतन तथा मेहनताने	13.43	15.84	18.13	16.79	16.90
(v)	अन्य उपरिव्यय	3.99	3.91	4.85	3.51	3.51
(vi)	निजी पक्षों को भुतान किये गये परिवर्तन व्यय	2.26	1.07	1.09	0.32	0.32
(vii)	लाभ (+) हानि (–)	7.45	9.03	3.15	(-)3.76	4.14

नोटः ब्रैकेट में दर्शायी गई संख्यायें क्षमता उपयोग का प्रतिशत दर्शाती है।

इस सम्बन्ध में अधोलिखित पर्यवेक्षण किये गये :

(i) निर्माणी में थैलियों के उत्पादन की लागत अत्यधिक उपरिव्यय के कारण बहुत ऊँची थी और पाँच वर्षों की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा निजी पक्षों को भुगतान की गई 0.03 लाख रुपये प्रति एम.टी. के परिवर्तन व्यय की तुलना में 0.11 लाख रुपये से 0.32 लाख रुपये प्रति एम.टी. के मध्य श्रेणीबद्ध रही।

(ii) सरकार ने अपने आदेश (नवम्बर 1988) के माध्यम से कम्पनी को स्पष्ट निर्देश दिया था कि पॉलीथीन थैलियों के उत्पादन मे बाहरी एजेन्सियों को न लगाया जाय। किन्तु कम्पनी ने, 17.7 से 45.4 प्रतिशत के मध्य श्रेणीबद्ध कम क्षमता उपयोग के बावजूद, थैलियों के उत्पादन का आदेश निजी पक्षों को देती रही तथा शासनादेशों का उल्लंघन करती रही।

(iii) 1995–96 पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, कम्पनी ने विभिन्न सरकारी विभागों से 1035.16 एम.टी. की पॉलीथीन थैलियों (मूल्य 652.57 लाख रुपये) की आपूर्ति के आदेश प्राप्त किये। यद्यपि, क्षमता उपयोग की वृद्धि में असफलता के कारण, कम्पनी 252.83 लाख रुपये मूल्य के 408.71 एम.टी. थैलियों को प्रदान करने में चूक गईं इस प्रकार, कम्पनी ने स्वयं को 12.04 लाख रुपये का संभवी लाभ अर्जित करने से वंचित कर दिया।

वन विभाग से 1990–91 से 34.35 लाख रुपये वसूल नहीं किया जा सका क्योंकि कम्पनी इन प्राप्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं कर सकी।

(iv) वन विभाग से 1990–91 से 34.35 लाख रुपये की धनराशि वसूल न की जा सकी क्योंकि कम्पनी विभाग को उपरोक्त प्राप्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत न कर सकी।

(v) प्रबंधन द्वारा 1991–92 में 2.65 लाख रुपये मूल्य की 5.3 एम.टी. पॉलीथीन थैलियों की कमी पायी गई किन्तु वसूली के लिए कोई दायित्व निर्धारण अब तक (सितम्बर 1997) नहीं किया गया।

(vi) 1994–95 के दौरान 3.76 लाख रुपये का घाटा मुख्यतः क्षमता के कम उपयोग एवं परिणामतः उपरिव्यय के असमायोजन के कारण था।

2स.6.अ.2.1 विलम्बित/त्रुटिपूर्ण आपूर्ति के फलस्वरुप हानिः

(अ) बरेली सामाजिक वानिकी के संरक्षक व निदेशक द्वारा 6x12x200 एम.एम. आकार की 5.5 एम.टी. पॉलीथीन थैलियों की आपूर्ति हेतु 2.15 लाख रुपये मूल्य के पाँच आदेश (सितम्बर 1989) दिये गये। आपूर्ति आदेश की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण की जानी थी। कम्पनी ने थैलियों के उत्पादन हेतु दो निजी फर्मों से नवम्बर 1989 व मार्च 1990 के दौरान, अर्थात् अनुमानित आपूर्ति अवधि (अक्टूबर 1989) की समाप्ति के बाद व्यवस्था किया। क्रेता ने असामान्य विलम्ब के कारण, थैलियों को नहीं लिया। चूँकि उत्पादित थैलियाँ असामान्य आकार की थी, जो कि इन दिनों प्रायः नहीं प्रयुक्त होती हैं, ये निर्माणी के स्कन्ध में अबिक्रीत पड़ी हुई थीं (सितम्बर 1997)।

प्रबन्धन ने विलम्बित आपूर्ति हेतु न तो कोई दायित्व निर्धारण किया और न अप्रचलित भण्डार की समापन के लिये अब तक (सितम्बर 1997) कोई कदम ही उठायें। 2.15 लाख रुपये तक के उपरोक्त अवरोधन पर सितम्बर 1997 तक ब्याज का आकलन 3.14 लाख रुपये आकलित हुआ।

प्रबन्धन ने व्यक्त किया (जुलाई 1997) कि ये थैलियाँ सुधारी व बिक्री की जायेगी। थैलियों का सुधार/निस्तारण प्रतीक्षित था (सितम्बर 1997)।

(ब) 1985–86 से 1989–90 के दौरान, कम्पनी ने 3.07 लाख रुपये मूल्य की 6.428 एम.टी. पॉलीथीन थैलियाँ बहराईच, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी व लखीमपुर खीरी खण्डों के खण्डीय वन अधिकारियों को आपूर्ति किया जो कि सम्बन्धित खण्डो द्वारा त्रुटिपुर्ण पायी गई तथा 1.15 लाख रुपये मूल्य की 1.498 एम.टी.त्रुटिपूर्ण पॉलीथीन थैलियाँ कम्पनी को वापस की गई व शेष 1.92 लाख रुपये मूल्य की 4.93 एम.टी. थैलियाँ सम्बन्धित खण्डों के पास रह गयी। तथापि, चूंकि कम्पनी ने त्रुटिपूर्ण थैलियों का प्रतिस्थापन नहीं किया, खण्डों द्वारा उनका भुगतान अभी तक (सितम्बर 1997) मुक्त नहीं किया गया। प्रबन्धन ने व्यक्त किया (जुलाई 1997) कि मामले में दायित्व निर्धारित किया गया है तथा 3.02 लाख रुपये की वसूली के आदेश जारी किये गए हैं। यद्यपि, अभी तक (सितम्बर 1997) की वसूली नहीं की गई है।

2स.6.अ.3 रोजिन व टर्पेण्टाईन निर्माणीः

पिथौरागढ़ में उपलब्ध रेजिन के उपयोग की दृष्टि से व इस पिछड़े जनपद के निवासियों का रोजगार प्रदान करने हेतु, कम्पनी ने चम्पावत (पिथौरागढ़) में 1850 एम.टी. धारण क्षमता वाली (तीन पारी आधार पर) एक रोजिन व टर्पेण्टाईन निर्माणी स्थापित किया (जुलाई 1978)। 1995–96

तक पाँच वर्षों की अवधि के दौरान क्षमता उपयोग, वसूली का प्रतिशत, प्रक्रिया–हानि आदि के विस्तृत विवरण निम्नवत् सारिणीबद्ध है:

	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
अ. धारण क्षमता (एम.टी.)	1850	1850	1850	1850	1850
ब. प्रोसेस्ड रेजिन (एम.टी.)	702.03	948.37	627.80	84.00	436.10
स. उपयुक्त क्षमता (प्रतिशत)	37.9	51.3	34.0	4.5*	23.6
द. प्राप्त रोज़िन (एम.टी.)	523.40	700.68	466.46	74.90	322.10
इ. प्राप्त टर्पेण्टाईन तेल (एम.टी.)	96.68	133.28	89.66	14.53	64.97
फ. प्रक्रिया हानि (एम.टी.)	81.95	114.41	71.68	(5.43)**	49.03
ग. प्रक्रिया हानि का प्रतिशत	11.7	12.1	11.4	(14.5)	11.2
ह. हलके श्रेणी के रोजिन की प्राप्ति (एम.टी.)	9.42	39.23	14.77	शून्य	20.06
आई. प्राप्त कुल रोजिन के सापेक्ष हल्के श्रेणी के रोजिन का प्रतिशत	1.8	5.6	3.2	शून्य	6.2

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रेक्षण किये गये हैं:

(i) 1991–92 से 1995–96 के दौरान कम क्षमता उपयोग, (4.5 से 51.3 प्रतिशत के मध्य श्रेणीबद्ध) के बावजूद, जिसके कारक प्रबन्धन द्वारा राज्य वन विभाग से रोजिन की अनुपलब्धता इंगित किये गए, प्रबन्धन द्वारा रोजिन आपूर्ति हेतु वैकल्पिक स्रोतों को खोजने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने मार्च 1996 के अन्त तक 212.00 एम.टी. रोजिन को भी निर्धारित समयावधि के अन्दर लागत जमा न होने के कारण नहीं ग्रहण किया जिसे वन विभाग द्वारा अक्टूबर 1995 में आवंटित किया गया था। यदि कम्पनी ने उक्त रोजिन को समय से ग्रहण व प्रक्रियागत किया होता, तो इससे 5.35 लाख रुपये का व्यय परिहार्य हो सकता था जो कि उक्त अवधि के दौरान फालतू वेतन व मेहनताने तथा अन्य उपरिव्ययों पर व्यय करना पड़ा।

* वन विभाग से अनुपालब्धता के कारण कम क्षमता–उपयोग।

** अव्याख्यित लाभ को दर्शाते हैं।

(ii) दर्शायी गई 8 प्रतिशत प्रक्रिया–हानि के विरुद्ध, रोजिन में स्वीकृत 3 प्रतिशत से अधिक अशुद्धियों तथा पुराने स्कन्ध के रोजिन की आपूर्ति के कारण वास्तविक प्रक्रिया हानि 11.2 से 12.1 प्रतिशत के मध्य श्रेणीबद्ध थी। 1995–96 तक पाँच वर्षों के दौरान मानक से अधिक क्षतिग्रस्त 87.99 एम.टी. रोजिन का कुल मूल्य 14.09 लाख रुपये आकलित था।

> ***कम्पनी ने रेज़िन की अतिरिक्त प्रक्रिया हानि के कारण 14.09 लाख रुपये का घाटा उठाया।***

(iii) परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, हलके श्रेणी (श्रेणी–I) के रोजिन का प्रतिशत, कुल प्राप्त रोजिन के सापेक्ष 51 प्रतिशत रहता था। तथापि 1995–96 तक पाँच वर्षो की अवधि के दौरान श्रेणी– I के रोजिन की वास्तविक प्राप्ति मात्र शून्य से 6.2 प्रतिशत के मध्य ही श्रेणीबद्ध रही। उपरोक्त अवधि के दौरान 981.10 एम.टी.कम प्राप्त हलके श्रेणी के रोजिन का मूल्य 29.41 लाख रुपये आकलित हुआ (आधिक्य में प्राप्त अन्य श्रेणी के रोजिन के मूल्य को समायोजित करने के पश्चात्)।

> ***हल्के श्रेणी के रोज़िन की अल्प–प्राप्ति से 29.41 लाख रुपये का घाटा फलित हुआ।***

(iv) वर्ष 1981–82 तक तथा वर्ष 1994–95 से, रोजिन–छनित्र (आर.एफ.) को कम्पनी द्वारा पुनः प्रक्रियाबद्ध किया जाता रहा था तथा श्रेणी–III (गाढ़े) 75 प्रतिशत्त रोजिन की प्राप्ति की जाती थीं 1982–83 से 1993–94 की अवधि के दौरान, प्रबन्धन ने 5.57 लाख रुपये मूल्य का 46.33 एम.टी.आर.एफ.विक्रय किया, यद्यपि इसे पुनः प्रक्रियाबद्ध किया जा सकता था और गाढ़े श्रेणी के 10.08 लाख रुपये मूल्ये के 34.75 एम.टी. रोजिन की प्राप्ति हो सकती थी। प्रबन्धन के उपरोक्त निर्णय से 4.51 लाख रुपये की हानि परिणामित हुई।

2स.6.ब. विपणन गतिविधियाँ:

2स.6ब.1. फलों का विपणनः

परिक्षेत्र के फल–उत्पादकों को परितोषद् मूल्य दिलाने के दृष्टिकोण से कम्पनी ने फलों का विपणन प्रारम्भ किया (1972)। यद्यपि, समीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी का विपणन भारत सरकार की दिसम्बर 1990 से प्रभावी बाजार अन्तरायण योजना (एम.आई.एस.) के अन्तर्गत "माल्टा" फल के विपणन तक ही सीमित रहा। कम्पनी द्वारा उठाई गई हानि को केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा आधो–आध के अनुपात में सहायित किया जाना था। तथापि, वर्ष 1993–94 व तत्पश्चात् से योजना के प्रावधानों में नकद हानि के अतिरिक्त उपरिव्ययों को निर्धारित दरों में सरकारों द्वारा सहायित करना भी प्रॉवधानित था।

अधोलिखित सारणी में क्रय, विक्रय, उपरिव्यय, प्राप्य सहाय आदि के विस्तृत विवरण दिये गये है।

(लाख रुपये में)

		1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1.	प्राप्त व बिक्रीत मात्रा (क्विंटल)	235	1314	1535	1158	1207
2.	माल्टे का क्रय	0.66	3.65	3.84	3.18	3.62
	जोड़ाःउपरिव्यय	3.86	4.86	4.40	2.48	5.20
	कुल लागत	4.52	8.51	8.24	5.66	8.82
	घटाया बिक्री प्रप्तियाँ	0.39	2.49	3.16	2.59	3.08
3.	हानि के लिये वांछित उपदान	4.13	6.02	5.08	3.07	5.74
4.	प्राप्त/प्राप्य सहाय	1.34	2.55	2.28	3.07	3.20
5.	उठाई गई हानि	2.79	3.47	2.80	--	2.54
6.	माल्टा के प्रति किग्रा0 पर उपरिव्यय	16.43	3.70	2.87	2.14	4.31
7.	8 प्रति किग्रा पर स्वीकार्य उपरिव्यय					
	(रोकड़ हानि के अतिरिक्त	--	--	2.25	2.65	2.65

उपरोक्त सारणी से यह परिलक्षित होगा कि अत्यधिक मानव शक्ति की तैनाती व माल्टा की अल्प प्राप्ति के कारण उपरिव्यय पर कम्पनी के व्यय योजना के अन्तर्गत स्वीकृतियों से अधिक थे। उपरिव्यय को निर्धारित सीमा के अन्दर रखने में प्रबन्धन की विफलता के फलस्वरूप, मार्च 1994 तक तीन वर्षों के अवधि हेतु कम्पनी द्वारा दावा कुल 15.23 लाख रुपये में से, कम्पनी का 9.06 लाख रुपये का दावा, सरकार द्वारा अस्वीकृत हो गया। माल्टा फल के विपणन में कम्पनी का घाटा 2.54 लाख रुपये से बढ़ जाएगा यदि सरकार 5.74 लाख को वास्तविक हानि के विरुद्ध मात्र 3.20 लाख रुपये की सीमा तक जो कि योजना में स्वीकृत थी, उपरिव्यय का पुर्नभुगतान करती है।

2स.6.ब.2. जड़ी–बूटी (शाकीय) के व्यवसाय में हानिः

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, वर्ष 1984–85 (वाणिज्यिक) में कम्पनी की जड़ी–बूटी (शाकीय) के योजना में उठाये गए घाटे के विषय में उल्लेख किया गया था।

अधोलिखित तालिका में 1995–96 तक के पाँच वर्षों के दौरान खण्ड का कार्यचालन निर्दिष्ट है:–

		1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
(i)	क्रय मूल्य (लाख रुपये में)	1.57	2.36	20.38	3.46	0.50
(ii)	प्रति एम.टी. क्रय मूल्य (रुपये)	3962	3730	4755	5078	4249
(iii)	बिक्री मूल्य (लाख रुपये में)	4.49	3.36	25.28	5.22	1.09
(iv)	प्रति एम.टी. बिक्री मूल्य (रुपये)	5279	4399	5940	6530	6823
(v)	प्रति एम.टी. मार्जिन (रुपये)	1317	669	1185	1452	2574
(vi)	क्रय मूल्य के सापेक्ष मार्जिन का प्रतिशत	33.0	17.6	25.0	28.6	60.6
(vii)	उपरिव्यय (लाख रुपये में)	6.76	7.82	8.53	11.01	11.22
(viii)	उपरिव्यय प्रति एम.टी. में (रुपये)	17088	12364	1989	16156	4609
(ix)	प्रति एम.टी. हानि (रुपये)	15772	11695	804	14704	92035
(x)	अन्य आय (लाख रुपये में)	3.74	5.18	1.73	6.03	6.66
(xi)	स्कन्ध में वृद्धि/कमी (लाख रुपये में)	1.85	0.89	0.95	0.49	0.29
(xii)	कुल हानि (लाख रुपये में)	1.94	2.53	2.85	3.72	3.93

सारणी से यह परिलक्षित होगा कि पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, कम्पनी लगातार हानि उठाती रही जो कि कुल 14.97 लाख रुपये थी।

अत्यधिक मानव शक्ति की तैनाती तथा जड़ी–बूटी की अल्प–प्राप्ति के फलस्वरुप 14.97 लाख रुपये का घाटा।

हानि के प्रमुख कारण, जैसा कि सम्प्रेक्षा द्वारा विश्लेषित किये गए, निम्नवत् थे:

(i) 669 रुपये से 2574 रुपये के मध्य श्रेणीबद्ध मार्जिन के विरुद्ध, उपरिव्यय पर व्यय 1989 रुपये से 94604 रुपये प्रति एम.टी. के मध्य श्रेणीबद्ध रहा था। जिसके मुख्य कारक अनावश्यक रूप से 22 कर्मियों की तैनाती जो कि बाउल्डर–बजरी योजना में फालतू हो गए थे: तथा जड़ी बूटी की अल्प प्राप्ति थे।

(ii) कम्पनी ने जड़ी बूटियों की स्वयं प्राप्ति व बिक्री के स्थान पर उपरोक्त अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा वसूले गए 17.9 से 60.6 प्रतिशत वास्तविक मार्जिन के विरुद्ध किसानों को मात्र 10 प्रतिशत का मार्जिन स्वीकार करते हुए सीधे व्यापार करने की अनुमति दिया। इस प्रकार, मार्च 1996 तक पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी 236.00 लाख रुपये मूल्य की 5540 एम.टी. जड़ी बूटी पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत यथार्थ प्राप्त मार्जिन के आधार पर किसानों द्वारा सीधे बिक्री किये जाने पर 7.9 से 50.6 प्रतिशत के अतिरिक्त अंशदान तथा 61.88 लाख रुपये की तत्सम्बन्धित आय से वंचित रह गई।

कम्पनी ने 61.88 लाख रुपये का घाटा उठाया क्योंकि इसने 17.9 से 60.6 प्रतिशत के यथार्थ मार्जिन के सापेक्ष मात्र 10 प्रतिशत का मार्जिन स्वीकार करके किसानों को सीधे जड़ी बूटी का व्यापार करने दिया।

2स.6ब.3.पादप/बालवृक्ष विपणन योजना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1984–85 (वाणिज्यिक) में पादप/बालवृक्ष विपणन योजना' के अन्तर्गत निर्मित मिस्ट चैम्बरों के अनार्थिक संचालन सम्बन्धित उल्लेख किया गया था।

मार्च 1996 तक के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, कम्पनी को उक्त योजना के अन्तर्गत भवाली व तराई खेत के दो मिस्ट चैम्बरों पर 7.46 लाख रुपये की हानि हुई।

सरकार ने मार्च 1993 में कम्पनी को भवाली के मिस्ट चैम्बर को गुच्छी मशरुम परियोजना (सरकार की एक सहायक अनुदान द्वारा वित्तपोषित) में उपयोग करने हेतु हस्तान्तरित करने का निर्देश दिया।

कम्पनी ने मिस्ट चैम्बर को परियोजना को हस्तान्तरित नहीं किया और सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही, चैम्बर को 2.05 लाख रुपये लागत पर एल.पी.जी. सिलेण्डर रखने हेतु एक गोदाम में परिवर्तित कर दिया (जून 1995)। गैस गोदाम को एल.पी.जी. सिलेण्डर रखने हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सका, जिसके कारण अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं थे। कम्पनी के लेखा–पुस्तकों में सम्पत्ति की लागत को समायोजित किये बिना ही भूमि, जिस पर गोदाम स्थित था, को गुच्छी मशरूम परियोजना को 1994–95 में हस्तान्तरित कर दिया गया। इस प्रकार, 2.05 लाख रुपये का व्यय निष्फल गया।

2स.6स. पर्यटन

कम्पनी की पर्यटन गतिविधियों में पर्यटक विश्राम–गृहों (टी.आर.एच.एस.) का संचालन व अनुरक्षण, जलपान गृहों व रेस्टराओं का संचालन और पैकेज टुअर्स का संचालन सम्मिलित हैं।

2स.6.स.1. पर्यटक विश्राम गृह

2स.6.स.1(i) आवासीय

सरकार के निर्णयानुसार (जनवरी 1977), राज्य पर्यटन विभाग के 25 टी.आर.एच.एस. कम्पनी को समय–समय पर पट्टे पर दिये गए थे। अधोलिखित सारणी में मार्च 1996 तक पाँच वर्षों के दौरान आवासीय क्षमता–उपयोग, आय, व्यय तथा उठाई गई शुद्ध हानि परिलक्षित है:

	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
शायिका क्षमता (संख्या)	314760	328500	402230	428510	429684
यथार्थ अधिभोग (संख्या)	89614	89394	110308	95036	122649
अधिभोग का प्रतिशत	28.5	27.2	27.4	22.2	28.5
					(लाख रुपये में)
अर्जित आय	43.91	48.40	74.61	74.60	75.87
वहन किया गया व्यय	62.30	78.37	77.77	77.64	117.48
लाभ (+)/हानि (–)	(-)18.39	(-)29.97	(-)3.16	(-)3.04	(-)41.61

1991–92 से 1995–96 के दौरान 96.17 लाख रुपये की हानि के मुख्य कारण वर्ष में स्टाफ की निरन्तर तैनाती तथा टी.आर.एच.एस. की अलाभप्रद स्थितियों के फलस्वरूप अल्प क्षमता उपयोग थे। उपरोक्त हानि में पुनः वृद्धि होती यदि एक सरकारी ऋण (60 लाख रुपये) पर 1994–95 तथा 1995–96 की अवधि हेतु 3.61 लाख रुपये का दण्डनीय ब्याज प्रावधानित होता क्योंकि कम्पनी जुलाई 1995 तथा जुलाई 1996 में देय ऋण की किश्तों का भुगतान करने में असफल रही थी।

पर्यटक गृहों के असुविधाजनक स्थानों पर होने से कम अधिभोग के कारण 96.17 रुपये का घाटा परिणामित हुआ।

प्रबन्धन ने अद्यावधि (जनवरी 1997) टी.आर.एच.एस. की कार्य–पद्धति की क्षमता के उपयोग को बढ़ाने तथा व्यय को घटाने के दृष्टिकोण से पुनरीक्षण नहीं किया।

2स.6स.1.(ii) खान–पान सेवाएँ:–

समस्त टी.आर.एच.एस. में खान–पान सेवाओं का प्रॉवधान है। इसके अतिरिक्त खैराना, धिकाला और रोपवे साईट पर पृथक जलपान गृह भी संचालित किये जा रहे हैं। खाद्य व ईंधन लागत पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु, प्रबन्धन ने (मई 1991) कुल बिक्री का 35–45 प्रतिशत उपभोग मानक निर्धारित किया, जो कि 40 प्रतिशत में पुनरीक्षित किया गया (अप्रैल 1996)।

अधोलिखित तालिका 1995–96 तक पाँच वर्षों के दौरान वर्षवार बिक्री, खाद्य व ईंधन लागत, बिक्री का प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत औसत मानक से अधिक प्रयुक्त खाद्य व ईंधन की लागत को दर्शाती है:–

(लाख रुपये में)

वर्ष	बिक्री	खाद्य व ईंधन लागत		लागत व बिक्री का प्रतिशत	अतिरिक्त लागत मानक से परे
		वास्तविक	40% लागत		
1991-92	24.47	13.25	9.79	54.2	3.46
1992-93	30.64	15.37	12.26	50.2	3.11
1993-94	46.51	22.71	18.60	48.8	4.11
1994-95	40.81	19.78	16.32	48.5	3.46
1995-96	43.26	21.36	17.30	49.4	4.06
				योग	18.20

खान–पान उपरिव्यय को निर्धारित सीमा में रखने में कम्पनी की विफलता से 18.20 लाख रुपये का घाटा परिणामित हुआ।

उपरोक्त से यह परिलक्षित होगा कि 40 प्रतिशत औसत मानक के विरुद्ध जलपान गृहों में खाद्य व ईंधन लागत को निर्धारित लागत सीमा में रखने में प्रबन्धन की विफलता के फलस्वरुप उपरोक्त पाँच वर्षों की अवधि के दौरान 18.20 लाख रुपये की समेकित हानि परिणामित हुई। प्रबन्धन ने अब तक (सितम्बर 1997) खाद्य व ईंधन की अत्यधिक लागत के कारणों का विश्लेषण नहीं किया है।

2स.6.द रसोई गैस का वितरण

कम्पनी ने कमीशन जो कि आई.ओ.सी. द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया गया, के आधार पर इण्डियन आयल कार्पोरेशन (आई.ओ.सी.) की लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) का वितरण प्रारम्भ किया (मार्च 1976)। प्रारम्भ में कम्पनी ने नैनीताल में एक बिक्री केन्द्र स्थापित किया जिनकी संख्या बाद में (मार्च 1996) बढ़ कर 18 हो गई। इस प्रकार प्राप्त कमीशन से, कम्पनी स्थापन, भण्डार व्यय आदि वहन करती थी।

अधोलिखित तालिका 31 मार्च 1996 तक पाँच वर्षों के दौरान एल.पी.जी. सिलेण्डरों की बिक्री, अर्जित कमीशन, बिक्री/वितरण व्यय व फलित हानियों को दर्शाती है:–

(लाख रुपये में)

	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1. बिक्री प्राप्तियाँ	497.28	638.39	759.39	901.16	1056.47
2. क्रय मूल्य	457.47	592.19	709.22	850.35	989.60
3. अर्जित कमीशन	39.81	46.20	50.71	50.81	66.87
4. प्राप्त उपदान	10.84	12.38	14.62	18.52	25.15
5. विविध आय	3.57	4.55	7.18	9.31	14.01
6. सकल आय	54.22	63.13	72.57	78.64	106.03
7. बिक्री व्यय	56.53	67.86	76.42	93.16	110.46
8. शुद्ध हानि	2.31	4.73	3.85	14.52	4.43
9. बिक्रीत सिलेण्डर (संख्या)	768464	828384	868077	926440	1105150
10. प्रति सिलेण्डर आय (रुपये)	7.06	7.62	8.36	8.49	9.60

(लाख रुपये में)

	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
11. प्रति सिलेण्डर विक्रय मूल्य (रुपये)	7.36	8.20	8.80	10.06	10.00
12. बिक्रीत सिलेण्डरों में वृद्धि (प्रतिशत) (1991-92 तक)	--	7.8	12.9	20.6	43.8
13. बिक्री व्यय में वृद्धि (प्रतिशत) (1991-92 तक)	--	20.0	35.2	64.8	95.4

उपरोक्त से यह परिलक्षित होगा कि इतनी लाभप्रद योजना में भी कम्पनी ने घाटा उठाया जो कि पाँच वर्षों के दौरान 29.84 लाख रुपये समेकित हुआ। घाटे का मुख्य कारण, जैसा कि सम्प्रेक्षा द्वारा विश्लेषण से ज्ञात हुआ, अत्यधिक बिक्री–व्यय तथा उक्त कार्य में संशोधित दरों के विलम्बित क्रियान्वयन से रिफिलों की बिक्री में अल्प प्राप्ति था।

विक्रय मूल्य के नियंत्रण में विफलता तथा संशोधित दरों के विलम्बित क्रियान्वयन से 29.64 लाख रुपये की हानि।

प्रबन्धन द्वारा यह व्यक्त किया गया (जुलाई 1997) कि यदि हॉट प्लेट के क्रय व बिक्री को जोड़ा जाय तो खण्ड लाभ में चल रहा है। उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि यह अत्यधिक बिक्री व्यय अथवा रिफिलों की बिक्री में अल्प प्राप्ति को तर्कसंगत करने में विफल है।

अधोलिखित अन्य बिन्दु भी परिलक्षित हुये:

(अ) रिफिलों (एल.पी.जी.) की बिक्री में अल्प–प्राप्ति:

कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं को रिफिल आई.ओ.सी. द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर बेचे जाते हैं। ये दरें कम्पनी के मुख्यालय द्वारा सभी एल.पी.जी. इकाईयों को वितरित की जाती हैं। सम्प्रेक्षा द्वारा यह पाया गया कि कतिपय एल.पी.जी. केन्द्र संशोधित दरों से जिस तिथि से वे प्रभावित थीं, मुख्यालय से सूचना की विलम्बित प्राप्ति के कारण भारित करने में असफल रहे। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने 1995–96 के दौरान 8.21 लाख रुपये का घाटा उठाया, जैसा कि सम्प्रेक्षा द्वारा आठ एल.पी.जी. केन्द्रों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया।

उक्त हानि के लिये प्रबन्धन ने अभी तक (सितम्बर 1997) न तो कोई दायित्व निर्धारित किया और न इस प्रकार की हानि की पुनरावृत्ति बचाने के लिए कोई सुधारात्मक कार्य ही किया।

(ब) गैस डिवीजनों की कमी:

कम्पनी के आन्तरिक सम्प्रेक्षक के रूप में नियुक्त (जून 1996) मेसर्स सक्सेना व अग्रवाल, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट, कानपुर द्वारा 15 अप्रैल 1996 को किये गए भौतिक सत्यापन के फलस्वरुप, कम्पनी के छः एल.पी.जी. केन्द्रों में निम्नलिखित वस्तुएँ कम पायी गई:

गैस एजेन्सियाँ	एल0पी0जी0 सिलेण्डर	हाट प्लेटें	रबड़ की ट्यूब	रेगुलेटर
1. पर्वत गैस	370	57	66	शून्य
2. अल्मोड़ा गैस	273	22	शून्य	6
3. पिथौरागढ़ गैस	शून्य	74	161	शून्य
4. बागेश्वर गैस	1	14	31	शून्य
5. हल्द्वानी गैस	8	2	50	3
6. रुद्रपुर गैस	शून्य	शून्य	1	1
योग	**652**	**169**	**309**	**10**

5.55 लाख रुपये की उक्त कमियाँ अगस्त 1996 में प्रबन्धन के संज्ञान में लाई गई थीं किन्तु उपरोक्त कमियों के लिये अभी तक (सितम्बर 1997) दायित्व निर्धारण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

2स.6.ई. सिविल निर्माण खण्ड

सरकार द्वारा कम्पनी के वर्तमान टी.आर.एच. की वार्षिक मरम्मत व अनुरक्षण के अतिरिक्त नवीन टी.आर.एच.के निर्माण व अन्य कार्यों में त्वरित निर्माण सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से, कम्पनी ने (जनवरी 1977) क्षेत्रीय प्रबन्धक के अधीन एक सिविल निर्माण खण्ड स्थापित किया।

अधोलिखित तालिका 1995–96 तक के पाँच वर्षों के दौरान खण्ड क्रिया–कलापों को दर्शाती है:

(लाख रुपये में)

		1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
(i)	सरकार से प्राप्त कुल निधि	553.32	492.87	514.75	433.98	402.94
(ii)	वर्ष के दौरान निष्पादित कार्य	79.31	89.28	123.55	79.24	78.30
(iii)	अर्जित सेण्टेज	11.90	13.39	18.53	11.89	11.75
(iv)	वर्ष के अन्त में हस्तगत निधि (i-ii-iii)	462.11	390.20	372.67	342.85	312.89
(v)	संस्थापन व अन्य उपरिव्यय	16.59	18.53	20.58	19.38	22.93
(vi)	अर्जित हानियाँ (iii-v)	4.69	5.14	2.05	7.49	11.18
(viii)	कुल उपलब्ध निधि के सापेक्ष अर्जित सेण्टेज सहित निष्पादित कार्य का प्रतिशत	16.5	20.8	27.6	21.0	22.3
(viii)	निष्पादित कार्य के सापेक्ष उपरिव्यय का प्रतिशत (v) से (vi)	20.9	23.3	22.3	26.5	28.5

उपरोक्त से यह परिलक्षित होगा कि निर्माण कार्य हेतु सरकार से प्राप्त निधि का अल्प उपयोग किया गया और पाँच वर्षों की अवधि के दौरान यह उपयोग 16.5 से 27.6 प्रतिशत के मध्य रहा। अल्प निष्पादन के फलस्वरुप, प्राप्य 15 प्रतिशत सेण्टेज प्रभार के सापेक्ष कम्पनी अपना उपरिव्यय भी वसूल न कर सकी, पाँच वर्षों की अवधि के दौरान कम्पनी का उपरिव्यय निष्पादित कार्य के सापेक्ष 20.9 से 28.5 प्रतिशत के मध्य रहा जो कि मार्च 1996 तक उपरोक्त अवधि के दौरान 30.55 लाख रुपये की हानि में समेकित हुआ।

पुनः यह पाया गया कि:

(अ) सरकार द्वारा कम्पनी को प्रदत्त 56 कार्यों (लागत 1207.23 लाख रुपये) में से, मार्च 1996 तक कम्पनी 804.84 लाख रुपये की अनुमानित लागत के 825.06 लाख रुपये के मात्र 40 कार्य ही पूर्ण कर सकी।

अल्प निष्पादन के कारण सिविल निर्माण खण्ड 30.55 लाख रुपये का उपरिव्यय वसूल नहीं कर सका।

(ब) 1977 से 1989 के दौरान कम्पनी को 98.51 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 10 टी.आर.एच. के निर्माण का कार्य दिया गया था। उपरोक्त कार्य 1983 से 1994 की अवधि के दौरान 117.19 लाख रुपये की लागत पर पूर्ण किया गया। तथापि, 18.28 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय वहन करने हेतु कम्पनी ने सरकार से पूर्व अनुमोदन नहीं प्राप्त किया। अभी तक (सितम्बर 1997) कम्पनी ने संशोधित अनुमान नही बनाये, जिसके कारण अतिरिक्त व्यय का दावा भी नहीं प्रस्तुत किया गया।

2स.7. चाय विकास योजना

सरकार ने (मार्च 1993) कुमाऊँ क्षेत्र में (21.07 करोड़ रुपये) एक चाय विकास परियोजना संस्थापित किया जिसे भारत की चाय परिषद (3.90 करोड़ रुपये) व सरकार (17.17 करोड़ रुपये) द्वारा वित्त पोषित होना था। योजना का निष्पादन कम्पनी द्वारा आठ वर्षों की अवधि में होना था। कुमाऊँ क्षेत्र में कम्पनी द्वारा 21.07 करोड़ रुपये की लागत से 600 हेक्टेयर लगभग पादपीकरण वांछित था।

अधोलिखित तालिका मार्च 1996 को समाप्त हुई अवधि में कम्पनी द्वारा निष्पादित कार्य का प्रावधान व यथार्थ तथा प्राप्त व व्यय निधि को दर्शाती है:

(लाख रुपये में)

		1994-95	1995-96
(i)	नर्सरी बनाने की लागत		
	(प्रावधान)	11.25	16.21
	(यथार्थ)	18.81	33.00
(ii)	पादपीकरण लागत		
	(प्रावधान)	49.30	71.20
	(यथार्थ)	1.53	34.41
(iii)	मार्ग परिवहन		
	(प्रावधान)	4.38	6.26
	(यथार्थ)	1.79	3.60
(iv)	संरचनात्मक ढाँचा		

		1994-95	1995-96
	(प्रावधान)	जिला योजना के अन्तर्गत प्रावधानित किया जाना है।	
(v)	जल वितरण		
	(यथार्थ)	--	14.15
(vi)	संयन्त्र व उपस्कार		
	(प्रावधान)	--	259.35
	(यथार्थ)	--	शून्य
(vii)	कान्टिन्जेन्सी		
	(प्रावधान)	6.49	35.33
	(यथार्थ)	0.43	0.55
(viii)	प्रशासनिक उपरिव्यय		
	(प्रावधान)	13.00	70.63
	(यथार्थ)	9.48	12.70
(ix)	प्राप्त निधि	88.86	315.87
(x)	उपयुक्त	32.04	98.41
(xi)	अनुपयुक्त निधि	56.82	217.46
(xii)	पादपीकरण (प्रति हैक्टेयर)		
	(लक्ष्य)	35	50
	(यथार्थ)	--	38

निम्नलिखित बिन्दु परिलक्षित हुएः

- सरकार व चाय परिषद द्वारा अवमुक्त 404.73 लाख रुपये में से, कम्पनी मात्र 130.45 लाख रुपये का ही उपयोग कर सकी तथा अवशेष 274.28 लाख रुपये धनराशि को कम्पनी की कार्यवाहक पूँजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्दिष्ट किया गया।

- परियोजना रिपोर्ट के अनुसार मार्च 1996 तक दो वर्षों की अवधि के दौरान कम्पनी को 85 हेक्टेयर में पादपीकरण करना अपेक्षित था। इसके सापेक्ष, कम्पनी मात्र 38 हेक्टेयर में ही पादपीकरण कार्य कर सकी जो कि लक्ष्य का 44.7 प्रतिशत था।

_नर्सरी बनाने में कम्पनी ने 38 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।_

नर्सरी बनाने व प्रति हेक्टेयर पादपीकरण की अनुमानित लागत 2.44 लाख रुपये थी। उपरोक्त के सापेक्ष, प्रति हेक्टेयर की यथार्थ लागत 3.44 लाख रुपये अगणित हुई जिससे 38 हेक्टेयर पर पादपीकरण कार्य में 38 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय परिणामित हुआ।

यह पुनः देखा गया कि योजना जैसा कि अक्टूबर 1995 तक क्रियान्वयन हुआ, की मूल्यांकन नवम्बर 1995 में सरकार के ग्राम्य विकास विभाग की इकाई– ''अम्बेदकर विशिष्ट रोजगार योजना'' द्वारा की गई थी। इस सम्बन्ध में अधोलिखित प्रेक्षण किये गए:

- योजना का क्रियान्वयन सुस्त व असन्तोषजनक था।
- भूमि के चयन में यथोचित सावधानी नहीं बरती गई और चाय खेती के लिये अनुपयुक्त भूमि के चयन के कारण सिंचाई हेतु परिहार्य व्यय वहन किया गया।
- एक पूर्णकालीन विशेष नियंत्रण अधिकारी व अन्य योग्य तथा अनुभवी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई।
- प्रशासनिक उपरिव्यय पर 20 प्रतिशत के अनुमानित व्यय के सापेक्ष, यथार्थ व्यय 42.8 प्रतिशत था। अतिरिक्त व्यय जैसा कि सम्प्रेक्षण द्वारा अगणित किया गया, 5.05 लाख रुपये था।

प्रबन्ध ने अभी तक (सितम्बर 1997) कोई सुधारात्मक कार्ययोजना निरुपित नहीं किया है।

2स.8. निवेश

कुमाऊँ परिक्षेत्र में उद्योगों के विकास हेतु कम्पनी ने पाँच सहायिकाएँ व ग्यारह औद्योगिक इकाईयाँ सहायक/संयुक्त सेक्टर में स्थापित की थीं।

31 मार्च 1996 तक इन इकाईयों की वर्तमान स्थिति तथा साम्य व ऋण में निवेशों का विस्तृत विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है:

(लाख रुपये में)

	निगम का वर्ष	प्रदत्त पूँजी	निवेश		योग	वर्तमान स्थिति
			साम्य	ऋण		
अ. सहायिकायें						
1. टेलीट्रानिक्स लिमिटेड	1973	344.65	368.60	44.59	413.19	1994–95 तक समेकित हानि 320.26 लाख रुपये
2. ट्रान्सकेबिल्स लिमिटेड	1973	63.24	62.64	164.20	226.84	1994–95 तक हानि 270 लाख रुपये
3. कुमाउँ अनुसूचित जनजाति विकास लिमिटेड	1976	50.00	28.00	--	28.00	1994–95 (अनन्तिम) तक लाभ 3.29 लाख रुपये
4. कुमाऊँ टेलीविजन लिमिटेड	1984	99.75	54.00	3.94	57.94	1994–95 तक हानि 232.62 लाख रुपये
5. नार्दन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेण्ट लिमिटेड	1979	0.06	0.06	--	0.06	अभी तक संस्थापित नहीं हुई
योग "अ"					**726.03**	
ब. संयुक्त सेक्टर इकाईयाँ						
1. उपाई लिमिटेड	अनु–पलब्ध	17.01	1.00	--	1.00	सम्भव नहीं पाया गया अतः समाप्तिकरण की स्थिति के अधीन
2. इण्डियन मेडिसिन्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	1978	100.00	49.00	--	49.00	1993–94 तक 3.29 लाख रुपये लाभ
3. कुमाऊँ स्टील्स लिमिटेड	1984	--	49.00 (33%)	--	22.35	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एन.ओ.सी. के अभाव में इकाई स्थापित न हो सकी और समाप्तिकरण विचाराधीन है
4. शिवालिक सीमेण्ट लिमिटेड	1984	32.0 (26%)	18.60	--	18.60	कच्चे माल/उत्खनन पट्टे की अनुपलब्धता के कारण
5. राज सीमेण्ट कम्पनी	1984	28.25 (15%)	5.00	0.05	5.05	इकाई स्थापित न हो सकी और समाप्तिकरण विचाराधीन है
6. उ.प्र. वन उद्योग	1976	3.56	0.75	--	0.75	1989–90 तक 4.12 लाख रुपये का घाटा: निर्माणी 1978 से बन्द पड़ी है
7. कुमाऊँ रेजिन प्राईवेट लि0	1986	15.00 (26%)	2.85	0.02	2.87	1992–93 तक 2.31 लाख रुपये का घाटा

	निगम का वर्ष	प्रदत्त पूँजी	निवेश		योग	वर्तमान स्थिति
			साम्य	ऋण		
8. कुमद्रान लिमिटेड	1977	25.00 (49%)	12.25	11.84	24.09	इकाई रूग्न घोषित (सितम्बर 1995 की गई है तथा समाप्तिकरण में है अंतरिम हानि 26.00 लाख रू.
9. कुमार आक्सीजन लिमिटेड	1988	40.52 (11.33%)	7.00	--	7.00	इकाई ने 1994–95 तक 67.20 लाख रुपये की हानि उठाई।
10. सी.आर.टी. इन्जीनियरिंग लिमिटेड	1992	5.90	1.00	--	1.00	लेखे उपलब्ध नहीं
11. प्लाण्ट्स एग्रोटेक लिमिटेड	1993	35.00 (49%)	17.15	--	17.15	----तदैव -----
				योग "ब"	148.86	
				महायोग (अ+ब)	874.89	

नोटः ब्रैकेट की संख्यायें स्वीकृत अंशधारण पद्वति दर्शाती हैं।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु परिलक्षित हुएः

7.34 करोड़ रुपये के निवेश के सापेक्ष कम्पनी की सहायिकाओं व संयुक्त सेक्टर इकाईयों ने 9.48 करोड़ रुपये का समेकित घाटा उठाया।

- मार्च 1996 तक इन तीन सहायिकाओं व पाँच संयुक्त सेक्टर इकाईयों की समेकित हानि 948.06 लाख रुपये आगणित हुई जो कि कम्पनी द्वारा इनमें निवेशित 733.68 लाख रुपये की धनराशि के सापेक्ष अत्यधिक थी।

- एक सहायिका और चार संयुक्त क्षेत्र इकाईयाँ, जिनमें कम्पनी ने 47.06 लाख रुपये निवेशित किये थे, 12 से 17 वर्षों के बाद भी अभी तक (सितम्बर 1997) कार्यशील न हो सकीं।

- दो सहायिकाओं व चार संयुक्त क्षेत्र इकाईयें को बिना कोई शर्तें व स्थितियाँ निर्धारित किये तथा बिना किसी अनुबन्ध के 224.64 लाख रुपये ऋण निर्गत किये गए थे। अतएव, उक्त ऋण की वापसी संदेहास्पद है।

- कम्पनी ने तीन सहायिकाओं व सात संयुक्त क्षेत्र इकाईयों को उनकी प्रदत्त पूँजी के सापेक्ष अग्रिम के रुप में कुल 168.98 लाख रुपये निर्गत किये थे किन्तु इन इकाईयों द्वारा कोई अंश पर्याप्त समय बीतने के बाद भी आवंटित नहीं किये गए।

- कम्पनी ने एक सहायिका व पाँच संयुक्त क्षेत्र इकाईयों को सह–प्रोन्नत कर्ताओं द्वारा स्वीकृत (इक्विटी) साम्य के पूर्व–प्रेरण के बिना ही स्वीकृत अंशधारण पद्धति से अधिक 41.93 लाख रुपये निर्गत किये, जिसे सह–प्रोन्नत कर्ता अभी तक (सितम्बर 1997) नहीं लाये।

2स.9 लेखे व आन्तरिक लेखापरीक्षा

कम्पनी के लेख 1994–95 से बकाये में थे। कम्पनी ने अपनी आकृति के अनुरुप न तो अपना लेखे मैनुअल बनाया और न ही सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा नियमित रूप इंगित किये जाने के बाद भी एक आन्तरिक सम्प्रेक्षा खण्ड स्थापित किया।

लेखाओं के बकायों को दृष्टिगत रखते हुए, कम्पनी ने (मार्च 1996) तक के चार वर्षों के लेखाओं के समापन हेतु एक चार्टर्ड एकाउण्टेन्टों की फर्म को 2.40 लाख रुपये शुल्क पर नियुक्त किया (जून 1996)। फर्म ने मात्र दो वर्षों 1992–93 व 1994–95 के लेखाओं का ही समापन किया (सितम्बर 1997) यद्यपि उन्हें उपरोक्त चारों लेखाओं को फरवरी 1997 के अन्त तक समाप्त कर देना था। यही फर्म 0.60 लाख रुपये शुल्क पर कतिपय चयनित इकाईयों की आन्तरिक सम्प्रेक्षा हेतु भी तैनात (जून 1996) की गई थी। तथापि, इसके द्वारा जुलाई/अगस्त 1996 में प्रस्तुत आन्तरिक सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन, अभी तक (सितम्बर 1997) निदेशक मण्डल के समक्ष नहीं रखी गई है।

2स.10 अन्य रुचिकर विषय

2स.10.1 न्यून विद्युत गुणांक प्रभार का परिहार्य व्यय

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् (उ.प्र.रा.वि.प.) दर सूची एच.वी.–2 के अनुसार, उक्त दर सूची से आच्छादित प्रत्येक उपभोक्ता को 0.85 पर विद्युत गुणांक बनाये रखना होता है। विद्युत गुणांक 0.85 से कम हो जाने की दशा में, 0.85 से 0.80 तक प्रति 0.01 की गिरावट पर एक प्रतिशत की दर से न्यून विद्युत गुणांक प्रभार की देयता थी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक 0.01 से 0.70 तक की गिरावट पर 2 प्रतिशत् सरचार्ज देय था। रोपवे नैनीताल इकाई के बिजली के बिलों की जाँच से ज्ञात हुआ कि विद्युत गुणांक हमेशा 0.85 से कम रहा तथा अप्रैल 1991 से दिसम्बर 1996 के दौरान यह 0.33 से 0.72 के मध्य श्रेणीबद्व रहा था जिसके परिणामस्वरुप 2.19 लाख रुपये धनराशि के न्यून विद्युत गुणांक प्रभार की परिहार्य देयता बनी। कम्पनी ने अभी तक (सितम्बर 1997) न तो न्यून विद्युत गुणांक

के कारणों की जाँच किया और न ही भविष्य में इस प्रकार का भुगतान बचाने हेतु बचाव किया। उत्तर में प्रबन्धन द्वारा यह व्यक्त किया गया (जुलाई 1997) कि मामले पर यू.पी.एस.ई.बी.से पत्राचार चल रहा है।

2स.10.2. अनियमित व्यय

पिथौरागढ़ में नैनी–सैनी हैलीपेड के उद्घाटन समारोह पर होने वाले व्यय हेतु सरकार द्वारा मार्च 1994 में 2.21 लाख रुपये की एक धनराशि अनुमोदित की गई। उक्त धनराशि का आहरण व भुगतान जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ द्वारा होना था।

कम्पनी ने सरकार/बी.ओ.डी. के किसी निर्देश के बिना ही उद्घाटन समारोह पर 8.83 लाख रुपये व्यय कर दिया (23 जनवरी 1994) कम्पनी द्वारा 8.83 लाख रुपये के प्रत्यापण का सरकार को प्रस्तुत दावा (जुलाई 1994) सरकार द्वारा अभी तक (सितम्बर 1997) स्वीकृत नहीं हुआ। जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ ने समारोह पर हुए व्यय के सापेक्ष कम्पनी को मात्र 0.50 लाख रुपये ही वितरित किया (जून 1995)। अवशेष 8.33 लाख रुपये की धनराशि अभी तक (सितम्बर 1997) कम्पनी द्वारा प्राप्त नहीं हुई। प्रबन्धन द्वारा यह व्यक्त किया गया (जुलाई 1997) कि व्यय निगम की विकासीय कार्य–कलाप के रुप में वहन किया गया। उत्तर सन्तोषप्रद नहीं है क्योंकि उद्घाटन का कार्य राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित था, न कि निगम द्वारा।

2स.10.3 स्टाम्प शुल्क का परिहार्य भुगतान

लघु वन उत्पादों के संग्रहण व परिचालन हेतु कम्पनी ने 1991–92 से 1994–95 के दौरान परमिटों/अनुबन्ध द्वारा उत्खनन अधिकार प्राप्त किये।

चूँकि लघु वन उत्पादों के संग्रहण व परिचालन के अधिकार हेतु एक अनुबन्ध परमिट पट्टे पर नहीं था, भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत 100 रुपये प्रति इकाई के दर से तथा उससे अधिक दर पर नहीं, का स्टाम्प शुल्क देय था। तथापि, कम्पनी ने इस नियम को नहीं देखा तथा अक्टूबर 1992 से सितम्बर 1994 के दौरान प्राप्त किये गये चार परमिटों पर 3,18,612 रुपये स्टाम्प शुल्क का भुगतान कर दिया जिससे भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत देय स्टाम्प शुल्क से तुलना करने पर 3,18,212 रुपये का अतिरिक्त भुगतान कर दिया।

सरकार के मई/जून 1995 के स्पष्टीकरण कि स्टाम्प शुल्क 100 रुपये की दर पर ही देय थी, के बावजूद कम्पनी ने मात्र 0.92 लाख रुपये की वापसी का ही दावा किया (मई 1995) (जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ) तथा अभी तक (सितम्बर 1997) कम्पनी द्वारा अवशेष 2.26 लाख रुपये की धनराशि का दावा नहीं किया गया।

प्रबन्धन द्वारा उत्तर में यह व्यक्त किया गया (जुलाई 1997) कि यह धनराशि सरकारी लेखे में जमा की गई है अतएव निष्फल नहीं था। उत्तर सही नहीं है क्योंकि कम्पनी ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार भुगतान नहीं किया था तथा अतिरिक्त भुगतान की गई धनराशि की वापसी की सम्भावना भी अत्यन्त क्षीण है।

उपसंहार

कम्पनी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक स्तर को सुधारने के अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर सकी क्योंकि यह उन कार्यकलापों को परिभाषित एवं निर्धारित करने में असफल रही जिन्हें कम्पनी को अपने मेमोरैन्डम आफ एसोसियेशन में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये करना था। दूसरी ओर कम्पनी में फल/फूल, विपणन जड़ी–बूटी में व्यापार खानपान सेवायें, रसोई गैस का वितरण एवं निर्माण कार्य किये जिसे कोई भी कर सकता था। इन कार्यकलापों में कम्पनी की भूमिका प्रोत्साहनकर्ता तक सीमित होनी चाहिए थी न कि सीधे हिस्सा लेने की। कम्पनी ने कार्यों का निष्पादन अकुशलतापूर्वक मुख्यतः निम्न कारणों से किया:

- कंटीले तार की निर्माणी का निर्बल निश्पादन व अर्जित हानियाँ इसके न्यून क्षमता उपभोग, उच्च उत्पादन लागत, बाज़ार में कम माँग तथा प्लास्टिक व रोजिन एवं टर्पेन्टाइन निर्माणी के संचालन में कमियाँ।

- फलों व जड़ी–बूटियों की विपणन गतिविधियों में अर्जित हानियाँ अत्यधिक उपरव्यिय, अत्यधिक मानव शक्ति, किसानों के माध्यम से विपणन तथा अल्प प्राप्तियाँ।

- पर्यटक विश्राम गृहों के संचालन, एल.पी.जी. के वितरण तथा निर्माण कार्य में अर्जित हानियाँ आय से अधिक व्यय तथा पर्यटक विश्राम गृहों की हानिप्रद स्थिति।

- इक्विटी शेयरों/उपदानों में ऋणों तथा संयुक्त सेक्टर इकाईयों में 874.89 लाख रुपये के निष्फल निवेश, जो (संयुक्त क्षेत्र इकाईयाँ) अधिकांशतः या तो घाटे में चल रही थी या बन्द पड़ी थीं।

अपने क्रियाकलापों को सुधारने हेतु कम्पनी को अधोलिखित राहत उपाय अपनाने की आवश्यकता है:

- उन कार्यकलापों को परिभाषित करे जिन्हें कम्पनी द्वारा अपने केन्द्रीभूत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु करना चाहिये तथा इसे विपणन, अभिकरण, निर्माण–कार्य आदि करने से बचना चाहिये।

- क्षमता उपयोग में सुधार, उत्पादन लागत में गिरावट तथा विभिन्न निर्माणियेां के विविध उत्पादनों हेतु अन्य बाजारों की खोज।
- उपरिव्यय में कटौती कर के विपणन गतिविधियों में सुदृढ़ीकरण, नए बाजारों की खोज, एल.पी.जी. वितरण का पुनरीक्षण तथा निर्माण गतिविधियों को सफल बनाना।
- कैटरिंग सुविधाओं में सुधार, खाद्य व ईंधन लागत में कटौती तथा हानिप्रद स्थानों पर स्थित पर्यटक विश्राम गृहों को जारी रखने पर पुनर्विचार।
- अनुपयुक्त सहायिकाओं व संयुक्त क्षेत्र इकाईयों में इक्विटी शेयरों/ऋणों में निवेश के मोचन हेतु तत्काल कदम उठाना।

ये मामले सरकार को अप्रैल 1997 में प्रतिवेदित थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1997)।

अध्याय III

सांविधिक निगमों पर समीक्षायें

अध्याय III

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

अनुच्छेद 3अ

अपूर्ण विष्णु प्रयाग जल–विद्युत परियोजना

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
1	प्रस्तावना	158
2	परियोजना का निष्पादन	159
2.1	परियोजना प्राक्कलन का बारम्बार एवं विलम्बित संशोधन	160
2.2	वित्तीय प्रबन्धक की कमी	160
2.3	66 के.वी. लाइन निर्माण कराने में अतिरिक्त व्यय	161
2.4	प्रेषण लाइन के मानचित्र में बदलाव करने से निष्फल व्यय	163
2.5	कम दर पर बची हुई सामग्री की वसूली से हानि	163
2.6	निष्क्रिय पड़े उपकरण	164
2.7	मानव शक्ति का कम उपयोग	164
2.8	विद्युत उत्पादन में हानि और मँहगे एवं दुर्लभ संसाधनों का असंरक्षण	164
3.	परियोजना का निजीकरण	165
3.1	बिना स्पर्धात्मक निविदाओं के निजीकरण	166
3.2	परिसम्पत्तियों का कम दर पर लाइसेन्सी को हस्तांतरण	166
3.3	संरक्षण व रख–रखाव खर्च पर अधिक भार	167
3.4	निलम्बलेख लेखे में निधि का परिबन्धन	168
3.5	कार्यवाहक पूँजी पर अत्यधिक ब्याज	168
3.6	पारेषण पद्धति के लगाने में विलम्ब पर किसी घटना के होने का प्रावधान नहीं	168
3.7	तृतीय पक्ष को ऊर्जा–बिक्री हेतु चक्रीय शुल्क का प्रावधान नहीं	169
3.8	इक्विटी के प्रत्यावर्तन पर अत्यधिक भार	169
3.9	परियोजना का लागू न किया जाना	169
	उपसंहार	170

अनुच्छेद 3अ

विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना का पूर्ण न होने के कारण निजीकरण

मुख्य अंश

परिषद् ने 1965 में चमोली जनपद के विष्णुप्रयाग में अलकनन्दा नदी के तट पर 120 एम.डब्ल्यू. क्षमता का एक जल–विद्युत गृह स्थापित करने का निर्णय लिया जिसे 1987 में 360 एम.डब्ल्यू. संशोधित किया गया। परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार 1993–94 से 28.43 पैसे प्रति यूनिट की लागत से ऊर्जा का 2213.57 एम.यू. वार्षिक उत्पादन होना था। 60.19 करोड़ रुपये व्यय के पश्चात् भी परियोजना मुख्यतः निधि की अल्पता के कारण पूर्ण न हो सकी, अन्ततोगत्वा अक्टूबर 1992 में सरकार ने इसके निजीकरण हेतु विचार किया।

(प्रस्तर 3अ.1)

120 एम.डब्ल्यू. क्षमता वाली परियोजना के 17.04 करोड़ रुपये के 1965 के आंकलन का प्रथम संशोधन 1977 में 262 एम.डब्ल्यू. हेतु 104.71 करोड़ रुपये किया गया था, पुनः 1982 में 480 एम.डब्ल्यू. हेतु 266.54 करोड़ रुपये किया गया और अन्त में 1987 मे 360 एम.डब्ल्यू. हेतु 345.95 करोड़ रुपये किया गया। इस प्रकार, लगभग दो दशक परियोजना अनिर्णय की स्थिति में रही जिससे परिषद् की यथोचित छानबीन, सर्वेक्षण व नियोजन में खामियाँ परिलक्षित हुईं।

(प्रस्तर 3अ.2.1)

श्रीनगर–जोशीमठ पारेषण लाइन की संस्थापना पर 2.20 करोड़ रुपये की मूल्य वृद्धि का भुगतान किया गया जो कि मुख्यतः समान कार्यों हेतु भुगतान की गई दरों की तुलना में मूल्य वृद्धि की उच्च दरों पर भुगतान के कारण था, 1.37 करोड़ रुपये की मूल्य वृद्धि बचाई जा सकती थी, यदि परिषद् ने उक्त कार्य के दो आइटमों का कार्य अन्य एजेन्सियों द्वारा कराने हेतु अपने अधिकारी की संस्तुति को स्वीकार किया होता।

(प्रस्तर 3अ.2.3(i))

परियोजना की अपूर्णता के परिणामस्वरूप 2213.57 एम.यू. ऊर्जा के अनुमानित वार्षिक उत्पादन पर 163.41 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत की अ-प्राप्ति हुई जिसका कारण उत्पादन की अनुमानित लागत से उच्च दरों पर ऊर्जा–क्रय था।

(प्रस्तर 3अ.2.8)

स्पर्धी बोलियाँ आमंत्रित किये बिना परियोजना को निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया गया तथा पी.पी.ए. में द्वि–सूत्री (वार्षिक क्षमता प्रभार व ऊर्जा प्रभार) प्रावधानित थी। इस प्रकार, सरकार की 1994 की ऊर्जा–नीति में निहित न्यूनतम दरसूची का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

(प्रस्तर 3अ एवं 3अ.3.1)

पी.पी.ए. में अनुज्ञापी द्वारा 60.19 करोड़ रुपये मूल्य की सम्पदा लागत हेतु मात्र 25 करोड़ रुपये का भुगतान प्रावधानित था जिससे परिषद् को 35.19 करोड़ रुपये की हानि परिणामित होती।

(प्रस्तर 3अ.3.2)

पी.पी.ए. में प्रावधानित द्वि–सूची दर सूची के फलस्वरूप परिषद् पर संरक्षण व रख–रखाव व्यय की अत्यधिक दर (18.07 करोड़ रुपये), निलम्बलेख लेखे में परिषदीय निधि के परिबन्धन पर ब्याज–हानि (5.98 करोड़ रुपये) तथा कार्यवाहक पूँजी पर अत्यधिक ब्याज (5.61 करोड़ रुपये) के कारण लगभग 29.66 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की अतिरिक्त ऊर्जा लागत का भुगतान देय होता।

(प्रस्तर 3अ.3.3, 3अ.3.4 तथा 3अ.3.5)

अनुज्ञापी के साम्य पर 16 प्रतिशत का करेत्तर प्रत्यावर्तन ऊर्जा लागत में सम्मिलित करने के फलस्वरूप साम्य के 24.62 प्रतिशत वार्षिक का कुल भार पड़ेगा जो कि उन ऋणों पर प्रचलित 18 प्रतिशत ब्याज दर से भी अधिक है, जिन्हें परिषद् ने परियोजना के वित्तपोषण से प्राप्त किया होता।

(प्रस्तर 3अ.3.8)

3अ.1. प्रस्तावना

प्रदेश की भारत–चीन सीमा में दूरस्थ एवं पहाड़ी भूमि हेतु ऊर्जा की माँग को दृष्टिगत करते हुये, परिषद् ने सितम्बर 1965 में एक जल विद्युत ऊर्जा गृह 120 एम.डब्ल्यू. क्षमता (पूँजी मूल्य 17.04 करोड़ रुपये) जो कि पुर्ननिर्धारित वर्ष 1987 में 360 मेगावाट (पूँजी मूल्य 345.95 करोड़ रुपये) का अलकनन्दा की तलहटी तथा चमोली जिला के विष्णु प्रयाग में स्थापित करने का निर्णय लिया।

सिविल कार्यों, ऊर्जा भवन सहित, को सिंचाई विभाग द्वारा 240.19 करोड़ रुपये में निष्पादित करना था और विद्युत कार्यों, प्रेषण एवं वितरण लाइनों, टरबाइन, जेनरेटर और स्विचगियर उपकरण का रख–रखाव परिषद् द्वारा 105.76 करोड़ रुपये से किया जाना था। परियेाजना रिपोर्ट में बताया गया कि परियोजना के पूर्ण होने पर 2213.57 मिलियन यूनिट को 28.43 पैसे प्रति यूनिट की दर से वर्ष 1993–94 में वार्षिक उत्पादन किया जाना था।

परियोजना प्राक्कलन को पूर्ण करने में दो दशक (1965 से 1987) लगे। इसके पश्चात् परिषद् को प्रेषण और वितरण लाइन को निष्पादित करने में तथा 60.19 करोड़ रुपये व्यय करने पर सितम्बर 1979 से मार्च 1996 में डीजल ऊर्जा उत्पादन गृह के निर्माण में एक और दशक का समय लगा। सिंचाई विभाग द्वारा सड़क तथा भवन का निर्माण (21.96 करोड़ रुपये) कराया, श्रीनगर (गढ़वाल) से जोशीमठ (चमोली) की 66 के.वी. लाइन (110 कि.मी.) निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु (6.51 करोड़ रुपये), कार्य स्थल पर वितरण लाइन और डीजल ऊर्जा गृह (2.57 करोड़ रुपये), स्थापना का मूल्य (4.43 करोड़ रुपये) और पूँजी पर ब्याज (24.72 करोड़ रुपये) व्यय किये गये। परियोजना के मुख्य भाग टरबाइन, जेनरेटर और स्विचगियर उपकरणों को लाने एवं लगाने के कार्य को नहीं लिया गया। निधियों के प्रबन्ध में अकर्मण्य रहने के कारण कार्य पूरा न किये जाने के कारण अक्टूबर 1992 में सरकार ने निजी क्षेत्र सहभागिता हेतु जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तदोपरान्त सितम्बर 1994 में परियोजना क्रियान्वयन समझौता लागू किया गया। बोर्ड ने ऊर्जा क्रय अनुबन्ध जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित जयप्रकाश पावन वेंचर लिमिटेड के साथ कर लिया। निम्नलिखित प्रस्तरों में परिषद् द्वारा कार्य करवाने में अतिरिक्त किये गये व्यय एवं ऊर्जा क्रय अनुबन्ध के प्राविधान जो कि परिषद् के हितों के लिये हानिकारक थे, वर्णित है।

1965 में मिले परियोजना का परिषद् द्वारा 25 साल तक पूर्ण न किये जाने के कारण अधूरे कार्य का सरकार द्वारा निजि सेक्टर जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज़ को दिया जाना

3अ.2. परियोजना का निष्पादन

परियोजना प्राक्कलन को बार–बार एवं देर से संशेाधित करने, वित्तीय व्यवस्था की कमी एवं 66 के.वी. प्रेषण लाइन को बनाने के लिये असाधारण अत्यधिक अतिरिक्त व्यय के कारण परियोजना का निष्पादन बर्बाद हो गया जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

3अ.2.1. परियोजना प्राक्कलन का बारम्बार एवं विलम्बित संशोधन

केन्द्रीय जल एवं ऊर्जा आयोग को 120 मेगावाट क्षमता मूल्य 17.04 करोड़ रुपये का परियोजना प्राक्कलन (सितम्बर 1965) प्रस्तुत किया गया जिसे आयोग की सलाह (जनवरी 1966) के अनुसार क्षमता बढ़ाने के लिए 262 मेगावाट क्षमता मूल्य 57.18 करोड़ रुपये से पुर्ननिर्धारित किया गया (जुलाई 1971)। अप्रैल 1977 के मूल्य के आधार पर पुर्ननिर्धारित 104.71 करोड़ रुपये मूल्य के परियोजना प्राक्कलन को जुलाई 1978 में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया। सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी ॲथारिटी के कहने पर 480 मेगावाट क्षमता के पुनर्निर्धारित प्राक्कलन मूल्य 266.54 करोड़ रुपये बनाया गया। मार्च 1986 के मूल्य के आधार पर परियोजना प्राक्कलन 345.95 करोड़ रुपये (विद्युत कार्य 105.75 करोड़ रुपये जिसको परिषद् द्वारा कराया जाना था) अन्तिम रूप से 360 मेगावाट क्षमता के लिए पुर्ननिर्धारित किया गया (1987)। इस प्रकार, परियोजना पर दो दशक तक कोई निर्णय नहीं लिया गया जिसके फलस्वरूप 104.71 करोड़ रुपये की 262 एम.डब्ल्यू. स्वीकृत योजना की तुलना में 241.24 करोड़ रुपये की मूल्य वृद्धि एवं क्षमता में केवल 98 एम.डब्ल्यू. की वृद्धि परियोजना बनाने के समय में ही हुई परिषद् के जल–विद्युत परियोजना के महाप्रबन्धक ने (फरवरी 1997) संशोधनों को तकनीकी विचार विमर्श जोकि समय–समय पर तकनीकी परिकल्पनाओं एवं कल्पनाचरणों के माध्यम से विकास हुआ के कारण बताया। बार–बार संशोधन ने परिषद् की उचित अन्वेषणा, सर्वेक्षण एवं नियोजन की कमी को उजागर करता है।

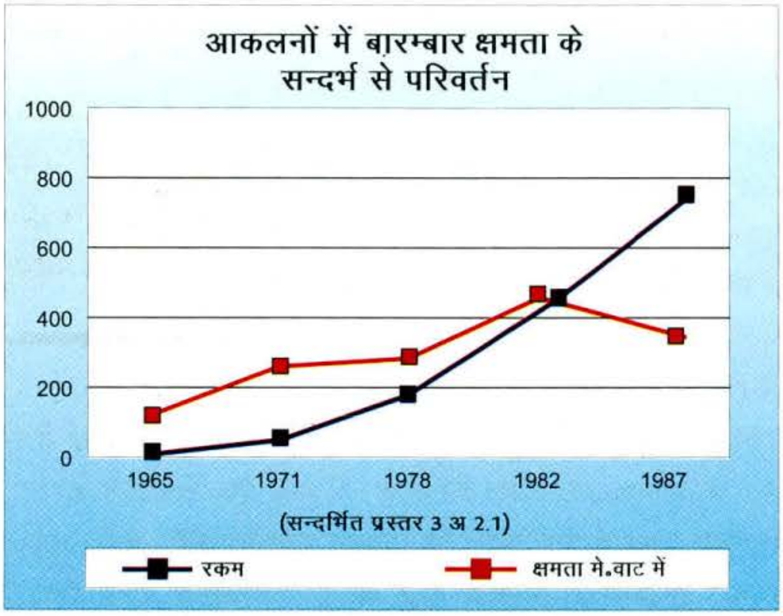

3अ.2.2. वित्तीय प्रबन्धन की कमी

परियेाजना प्राक्कलनों में या अन्य अभिलेखों में जो सम्प्रेक्षा को उपलब्ध कराये गये, में परियोजना के वित्तपोषण के साधन का उल्लेख नहीं किया गया। सामान्य प्रबन्धक, जल विद्युत परियोजना, देहरादून ने बताया (फरवरी 1997) कि योजना आयोग द्वारा राज्य एवं परिषद् को वार्षिक प्लान में निर्धारण परियोजना का धन उपलब्ध कराने के स्वाभाविक साधन थे। यह संज्ञान में आया

कि परिषद् ने वर्ष 1978–79 से 1981–82 तक बजट में आर्थिक व्यवस्था नहीं की। यद्यपि परियोजना मूल्य 345.95 करोड़ की तुलना में वर्ष 1982–83 से 1991–92 के बजट में मात्र 14.51 करोड़ रुपये की तुच्छ धनराशि की व्यवस्था की गईं परिषद् ने परियोजना के लिए उधार के श्रोतों से भी धन का नियोजन नहीं किया। फलतः परियोजना का क्रियान्वयन बर्बाद ही नहीं हुआ अपितु परियोजना अपूर्ण अवस्था में निजी सेक्टर को हस्तांतरित भी कर दी गयी।

3.अ.2.3. 66 के.वी. लाइन निर्माण कराने में अतिरिक्त व्यय

> ***वन विभाग द्वारा समय से मंजूरी न मिलने के कारण 66 के.वी. लाइन के देरी से निर्माण की वजह से 2.20 करोड़ रुपये की मूल्य वृद्धि जिसमें 1.60 करोड़ का प्रचलित दरों की तुलना में अतिरिक्त व्यय सम्मिलित है।***

श्रीनगर–जोशीमठ प्रेषण लाइन (100 कि.मी.) के निर्माण का कार्य दिसम्बर 1980 में प्राप्त निविदा के आधार पर (जुलाई 1981) में रंजीत सिंह एण्ड कम्पनी मेरठ को 68.04 लाख में दिया गया (सीमेन्ट और लाइन सामग्री को छोड़कर जिसे परिषद् द्वारा निःशुल्क दी जानी थी)। जून 1983 तक स्थिर मूल्यों की शर्तों पर समझौता जनवरी 1986 में हुआ और डीजल एवं कार्य वाले श्रमिक के मूल्यों में वृद्धि 2 दिसम्बर 1980 के मूल्यों के आधार पर की गईं दिये गये कार्य के निष्पादन में निम्न अतिरिक्त एवं परिहार्य भुगतान संज्ञान में आये।

(i) यद्यपि वन विभाग से मंजूरी नहीं ली गई एवं इस कारण कार्य को देर से पूरा करने की पूरी सम्भावना थी, स्टोर परचेज कमेटी के सदस्य ने तुलनात्मक विवरण तैयार करते समय मूल्य वृद्धि के इन कारणों को नहीं देखा। सितम्बर 1990 में वन विभाग से मंजूरी ली गयी उसके बाद बड़े कामों को किया जा सकता था। जुलाई 1981 के कार्य आदेश में जून 1983 के बाद की मूल्य वृद्धि के असर को पर्यवेक्षित करने के विकल्प को खुला रखने का प्राविधान समिति द्वारा नहीं किया गया। फर्म ने जून 1983 तक सर्वे सम्बन्धी न्यून कार्य ही 5.20 लाख रुपये का किया जबकि 152.17 लाख मूल्य के बचे कार्य (मूल्य वृद्धि कार्य–क्षेत्र बढ़ने के कारण) जुलाई 1983 से मार्च 1994 के मध्य किये गये एवं परिषद् ने अप्रैल 1995 तक (मूल्य विचलन सहित) 377.68 लाख रुपये का भुगतान किया। परिणामतः मूल्य विचलन का 220.31 लाख रुपये का भुगतान किया गया जो कि निष्पादित कार्य (157.37 लाख रुपये) का 140 प्रतिशत आंकलित हुआ। मूल्य वृद्धि को विचार करते हुए (31.21 से 342.92 प्रतिशत) फर्म को स्वीकृत विभिन्न कार्यों की दरें, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत पारेषण परिक्षेत्र, रुड़की (ई.टी.सी.) द्वारा काशीपुर (नैनीताल) की अन्य फर्म को फरवरी 1990 में 2.23 कि.मी. लाईन के संस्थापना के समान कार्य हेतु स्वीकृत दरों की अपेक्षाकृत अत्यधिक उच्च थीं जैसा कि निम्नवत् उल्लिखित है:

आइटम	यूनिट	मौलिक मात्रा	कार्य की मात्रा	काशीपुर फर्म की 1990 की दर	मेरठ फर्म की दर		अतिरिक्त व्यय (लाख रुपये में)
					1981 की वस्तविक दर (रुपये)	वृद्धिगत दर (रुपये)	
रान्डम रबल्स मैसानरी (1:5 अनुपात)	घन मीटर	100	8654 (865)	601	650	852.87 से 2878.95	120.93
काउन्टर पाइज अरथिंग	मीटर	300	50790 (16930)	12.50	20	26.24 से 88.58	17.75
कन्डक्टर की स्ट्रिंगिंग	कि.मी.	100	110.20 (10)	7100	7500	23243.25 से 33219.00	21.28
योग							**159.96**

नोट–कोष्ठक में दिये गये अंक मूल मात्रा से निष्पादित मात्रा की तुलनात्मक प्रतिशत वृद्धि को अंकित करते हैं।

उपरोक्त विवरण इंगित करते हैं कि फरवरी 1990 में प्राप्त की गई दरें जुलाई 1981 में अपनाई गई दरों से भिन्न थीं जो कि इस तथ्य को भी परिलक्षित करता है कि जुलाई 1981 में कार्य को देते समय परिषद् ने दरों का कोई उचित विश्लेषण नहीं किया। काशीपुर की फर्म को स्वीकृत दरों की तुलना में, मेरठ की फर्म को स्वीकृत अत्यधिक दरों के फलस्वरुप 159.96 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। पुनश्च् लागत वृद्धि का भुगतान विद्युत पारेषण खण्ड द्वारा ई.टी.सी., रुड़की से अनुमोदन के पश्चात् किया जाना था किन्तु विद्युत पारेषण खण्ड ने बिना इस प्रकार का अनुमोदन लिये ही भुगतान कर दिया।

यह उल्लेख रुचिकर है कि यद्यपि अधीक्षण अभियन्ता, ई.टी.सी., रुड़की ने उपरोक्त तालिका में दिये गये प्रथम दो कार्यों की अतिरिक्त मात्रा अन्य एजेन्सियों द्वारा अति न्यून दरों पर कराने का प्रस्ताव किया था। (नवम्बर 1986) विद्युत पारेषण परिकल्पना परिक्षेत्र, लखनऊ ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से परिषद्, दो मदों पर काशीपुर की फर्म को स्वीकृत मूल्य की तुलना में 136.93 लाख रुपये की बचत कर सकता था।

(ii) क्रय समिति के सदस्य को 100 लाख रुपये तक की निविदाओं को अनुमोदित करने का ही अधिकार है। इसके विरुद्ध वास्तविक भुगतान जिसमें मूल्य वृद्धि के साथ 377.68 लाख रुपये का भुगतान किया जिसके लिए अध्यक्ष द्वारा शीर्षित केन्द्रीय क्रय समिति का अनुमोदन आवश्यक था। वास्तव में निहीत–कार्य का प्राक्कलन सही नहीं किया गया था और जून 1983 के बाद का मूल्य वृद्धि पर भी विचार नहीं किया गया था। जिससे कार्य के मूल स्थिति पर ही आर्थिक प्रभाव घट गया। इसके बाद भी केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति अथवा परिषद् की कार्य–उपरान्त स्वीकृति नहीं प्राप्त की गईं

3अ.2.4. पारेषण लाइन के मानचित्र में बदलाव करने से निष्फल व्यय

लाइन के मार्ग की सीध में परिवर्तन के कारण कुछ मीनारों की नींव एवं वाह्य ढाँचे को नष्ट होने व उखाड़ने से 9.03 लाख रुपये का निष्फल व्यय परिणामित हुआ।

मेरठ की फर्म ने ए.बी. एवं सी. तरह के 406 मीनारों (टावरों) के पायों एवं 398 मीनारों का वाह्य ढाँचा स्थापित किया जिनमें से 385 मीनारों के पाये एवं ढाँचे मार्ग की सीध में परिवर्तन के कारण उपयोग किये जा सके। इस प्रकार 21 मीनारों के पाये नष्ट किये गये एवं 13 मीनारों के बाह्य ढाँचों का उखाड़ा गया जिससे उनको स्थापित करने में 9.03 लाख रुपये का व्यय निष्फल हो गया। इसके अतिरिक्त 7.28 लाख रुपये के मीनारों के भाग (वजन 42.453 टन) एवं अन्य लाइन सामग्री फालतू हो गई (1990–91) और सितम्बर 1997 तक निस्तारित/उपयोग नहीं की गईं

3अ.2.5. कम दर पर बची हुई सामग्री की वसूली से हानि

अनुबन्ध के अनुसार परिषद् को सीमेन्ट और फैब्रिकेटेड गैलवनाइज्ड टावर पार्टस बिना मूल्य के इस शर्त के साथ दी गई थी कि फालतू बचा सीमेन्ट तथा अन्य सामग्री यदि ठेकेदार वापस नहीं करता है तो क्रमशः 1000 रुपये तथा 6000 रुपये प्रति टन की दर से वसूली की जायेगी। यद्यपि कार्य के निष्पादन में मूल्य वृद्धि का प्रावधान था लेकिन ठेकेदार द्वारा गलत तरीके से प्रयोग करने से रोकने के लिये सामग्री की वसूली में मूल्य वृद्धि का प्रावधान नहीं किया गया। जिस कारण ठेकेदार के बिल से अप्रैल 1995 में 21.834 टन के टावर पार्ट्स तथा 29 बैग सीमेन्ट के लिये केवल 1.32 लाख रुपये की वसूली प्रावधानित दर से की गई फलस्वरुप चालू दरों क्रमशः 25000 रुपये तथा 2000 रुपये प्रति टन की तुलना में 4.16 लाख रुपये की हानि हुई।

3अ.2.6. निष्क्रिय पड़े उपकरण

सिंचाई विभाग द्वारा मार्च 1996 तक व्यय 21.96 करोड़ रुपये का कार्य–वार विवरण परिषद् में उपलब्ध नहीं था। इसमें 4 कम्प्रेशर, 2 लोडर, 2 डोजर तथा एक क्रेन को क्रय करने में वर्ष 1981 तक 62.94 लाख रुपये व्यय किये गये सम्मिलित थे जो वर्ष 1982–83 से 8 से 14 वर्ष तक व्यर्थ पड़े रहे। पुनश्च् अक्टूबर 1993 से मार्च 1996 तक 16.76 लाख रुपये बिना कार्य के आपरेटिंग स्टाफ के वेतन तथा रख–रखाव पर व्यय किये गये जो कि निष्फल व्यय था (शेष अवधि के व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं था)।

0.63 करोड़ रुपये में खरीदे गये उपकरण 9 से 14 सालों तक बेकार ही नहीं पड़े रहे बल्कि 0.17 करोड़ रुपये का आपरेटिंग स्टाफ एवं रख–रखाव पर व्यय निष्फल हो गया।

3अ.2.7. मानवशक्ति का कम प्रयोग

1987 के परियोजना प्राक्कलन में कुल खर्चे के 10 प्रतिशत व्यय का प्रावधान स्थापना व्यय के लिये था। एक अलग से ऊर्जा निर्माण खण्ड सितम्बर 1979 में बनाया गया जिसमें सितम्बर 1979 से जून 1991 तक प्राविधिक और अप्राविधिक 37 से 79 तक कर्मचारी कार्यरत रहे। जिनके द्वारा 2.57 करोड़ रुपये के विद्युत कार्य किये। विद्युत प्रेषण खण्ड ऋषिकेश ने भी वर्ष 1982–83 से 1995–96 तक 6.51 करोड़ रुपये के प्रेषण कार्य किये। 9.08 करोड़ रुपये कुल व्यय के विरुद्ध, उसी समय में स्थापना पर 4.43 करोड़ रुपये व्यय जोकि 49 प्रतिशत बने। स्थापना पर व्यय कार्य के मूल्य का 10 प्रतिशत के मानक के विरुद्ध स्थापना व्यय पर 3.52 करोड़ रुपये (39 प्रतिशत) अधिक किया गया।

1979–80 एवं 1995–96 के मध्य 9.08 करोड़ रुपये विद्युत कार्य के निष्पादन में मानव शक्ति का कम उपयोग हुआ जिससे 3.52 करोड़ रुपये का अतिरिक्त स्थापना व्यय फलित हुआ।

3अ.2.8. विद्युत उत्पादन में हानि और मँहगे एवं दुर्लभ संसाधनों का असरंक्षण

जुलाई 1971 की परियोजना प्राक्कलन में बताया गया कि परियोजना पाँच वर्षों बाद जुलाई 1976 में संचालित की जायेगी। तथापि परियोजना को प्राक्कलन के बार–बार पुनरीक्षण करने के बाद भी 1983, 1986 एवं 1993 की बढ़ी हुयी तारीखों पर ही संचालित नहीं किया जा सका। फलतः वर्ष 1987 की

परियोजना के पूर्ण न होने के कारण मँहगी ऊर्जा क्रय करनी पड़ी जिसके कारण 163.41 करोड़ रुपये के बचत का वार्षिक लक्ष्य न प्राप्त हो सका।

परियोजना प्राक्कलन में उल्लिखित 2213.57 मिलियन यूनिट ऊर्जा का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य 1993–94 से पूरा नहीं हो सका। दूसरी तरफ, परिषद् प्रत्येक वर्ष नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन एवं अन्य श्रोतों से ऊर्जा क्रय करता रहा। इस कारण, प्राक्कलन मूल्य 28.43 पैसे प्रति यूनिट और क्रय मूल्य 102.25 पैसे से तुलना करने पर 1993–94 में 2213.57 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त न कर पाने से 163.41 करोड़ रुपये की बचत का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

इसके अतिरिक्त दूसरा उद्देश्य मँहगी और अल्प सामग्री (कोयला और तेल) की जगह प्राकृतिक जल का प्रयोग करना था, परिषद् ने 2213.17 मिलियन यूनिट के ऊर्जा उत्पादन में प्रतिवर्ष 17.66 लाख टन का कोयला, जिसका मूल्य 198.55 करोड़ रुपये था, वार्षिक प्रयोग में लिया। (वर्ष 1993–94 के औसत उपभोग एवं मूल्य के आधार पर)।

3अ.3. परियोजना का निजीकरण

धन की कमी के कारण परिषद् के परियोजना को पूरा करने में असफल रहने के कारण सरकार ने अगस्त 1992 में परियोजना के निजीकरण का फैसला किया। फलतः सरकार ने समझौता–ज्ञापन के माध्यम से 400 मेगावाट (100 एम.डब्ल्यू. की 4 यूनिट) की पुर्ननिर्धारित क्षमता की परियोजना जय प्रकाश इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, लखनऊ को दे दिया (अक्टूबर 1992), जिसका परियोजना क्रियान्वयन समझौता सितम्बर 1994 में हुआ। विद्युत गृह में उत्पादित ऊर्जा को परिषद् और फर्म जय प्रकाश पावर वेन्चर लिमिटेड देहरादून (जिसे आगे से लाइसेन्सी कहा जाएगा) तथा जिसे जे.पी.एल. ने प्रोन्नत किया कि सितम्बर 1996 की शर्तों के अधीन परिषद् क्रय करेगा। परियोजना के बनने की तिथि से 30 वर्ष के लिए ऊर्जा क्रय समझौता लागू रहेगा जिसे अगले 20 वर्षों के लिए आपसी समझौते के साथ बढ़ाया जायेगा।

ऊर्जा क्रय समझौते में 2006.47 मिलियन यूनिट वार्षिक ऊर्जा के अभिकल्प उत्पादन निहित था, जिसमें से 400 के.वी. बस बार पर 1979.37 मिलियन यूनिट ऊर्जा 27.10 मिलियन यूनिट कम से कम 5 क्यूसेक पानी को बैरेज की तुरन्त डाउनस्ट्रीन रखने को सुनिश्चित करने में हानियों के लिए (0.35 प्रतिशत), सहायक उपभोग (0.5 प्रतिशत) तथा प्रेषण हानियों (0.5 प्रतिशत) घटाने के बाद उपलब्ध होनी थी। पुनश्च् 12 प्रतिशत ऊर्जा (237.53 मिलियन यूनिट) सरकार/परिषद् को बिना मूल्य के देनी थी, शेष 1741.84 मिलियन यूनिट ऊर्जा विक्रय योग्य छोड़नी थी। ऊर्जा क्रय समझौते में दो भागी अनुसूची का प्रावधान था, एक वार्षिक क्षमता शुल्क एवं ऊर्जा शुल्क। वार्षिक क्षमता शुल्क में उधार बकाया पर ब्याज और ह्रास/पट्टा शुल्क सम्मिलित था। ऊर्जा शुल्क, अनुमोदित पूँजीगत व्यय का 1.5 प्रतिशत संरक्षण एवं रख–रखाव के रूप में (वेटेड सूचकांक के संदर्भ में संशोधन की शर्त के साथ) इक्विटी का 16 प्रतिशत करेत्तर आय के साथ में लाइसेन्सी द्वारा भुगतान योग्य आयकर,

कार्यरत पूँजी पर ब्याज एवं अन्य विविध शुल्कों, पर आधारित होना था। इस प्रकार मूल्य जिस पर ऊर्जा का क्रय होना था, के अभाव में परिषद् के वित्तीय हित सुरक्षित नहीं किये गये।

जे.पी.एल. द्वारा परियोजना का पूँजीगत मूल्य 1205 करोड़ रुपये मार्च 1996 में आंका गया, जिसका पुनरीक्षित मूल्य दिसम्बर 1996 में 1983 करोड़ रुपये था। हालांकि सी.ई.ए. द्वारा परियोजना का अनुमोदित पूँजीगत मूल्य 1614.66 करोड़ रुपये अनुमानित पूँजी पर अनुमोदित किया गया, जिसका वित्तीय प्रबन्ध इक्विटी के रुप में 400 करोड़ रुपये (जे.पी.एल. 190 करोड़ रुपये, सार्वजनिक निर्गम–185 करोड़ रुपये एवं परिषद् 25 करोड़ रुपये) एवं 1214.66 करोड़ के ऋण के रुप में किया गया।

सम्प्रेक्षा ने ऊर्जा क्रय समझौता की जाँच में पाया कि निजीकरण परिषद्/सरकार कि उत्तम वित्तीय हित में नहीं था, जैसा कि नीचे चर्चित है।

3अ.3.1 बिना तुलनात्मक निविदाओं के निजीकरण

राज्य सरकार ने ऊर्जा सेक्टर का निजीकरण करने से पूर्व ऊर्जा नीति नहीं बनाईं राज्य सरकार की 1994 में ऊर्जा नीति में बताया गया कि न्यूनतम अनुसूची दर के आधार पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करके एवं तुलनात्मक निविदाओं के माध्यम से ऊर्जा परियोजनाओं को प्राइवेट सेक्टर में सहभागिता करने के लिये नामी औद्योगिक घरानों को आकर्षित करना था। नीति के अभाव में, राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्वारा शीर्षित गठित कमेटी ने, पाँच पार्टियों में से जिसमें टेहरी विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली (भारत सरकार का उपक्रम) सम्मिलित थी, अनके निविदा प्रस्तावों (प्राप्त जून 1992) पर सहमति तथा तकनीकी, वित्तीय एवं प्रबंधकीय क्षमताओं के आधार पर जे.पी.एल. को चुना (अगस्त 1992)। दर–सूची अथवा वित्तीय पैमानों के आधार पर तुलनात्मक निविदायें नहीं आमंत्रित की गईं इस प्रकार, परिषद् ने तुलनात्मक निविदाओं के आधार पर न्यूनतम अनुसूची को निर्धारित करने के फायदों को खो दिया।

3अ.3.2. परिसम्पत्तियों का कम दर पर लाइसेन्सी को हस्तांतरण

परिषद् द्वारा 60.19 करोड़ रुपये का व्यय करके परियोजना के लिये निर्मित समस्त परिसम्पत्ति योजना का हिस्सा था, जिसको ऊर्जा क्रय समझौते के अनुसार लाइसेन्सी को हस्तांतरण करना था। हालांकि उन परिसम्पत्तियों के मूल्य का मात्र 25 करोड़ रुपये का प्रावधान समझौते में किया गया था (जिसे ऋण माना जाएगा) जिसे लाइसेन्सी को, आर्थिक संस्थाओं से उस परियोजना के लिए जब तक ऋण नहीं मिल जाता, लागू दर पर ब्याज सहित अदा करना होगा। परिणामतः लाइसेन्सी से 35.19 करोड़ रुपये कम चार्ज

समझौते में मात्र 25 करोड़ रुपये के प्रावधान के विरुद्ध लाइसेन्सी को 60.19 करोड़ रुपये के परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण से परिषद् को 35.19 करोड़ रुपये का घाटा होगा।

किये गये जिनके कारणों को नहीं उल्लिखित किया गया। लाइसेन्सी को हस्तांतरित होने वाली परिसम्पत्तियों को भी अभिलेख में नहीं लिखा गया। सितम्बर 1996 तक परिषद् ने 3.26 करोड़ रुपये के भवन, स्टोर तथा उपकरणों के हस्तांतरण किये थे।

3अ.3.3. संरक्षण और रख–रखाव खर्च का अधिक भार

ऊर्जा क्रय समझौते में बीमा सहित संरक्षण एवं रख–रखाव खर्चों का प्रावधान, अनुसूची दर निर्धारण के लिए अनुमोदित पूँजीगत व्यय (1614.66 करोड़ रुपये) के 1.5 प्रतिशत (वाणिज्यिक चालन के प्रथम वर्ष के पश्चात् भारित मूल्य सूचकांक के संदर्भ में परिवर्तनीय) होना था न कि वास्तविक संरक्षण एवं रख-रखाव खर्चो एवं ऊर्जागृह की इकाइयों की संख्या के आधार पर। वर्तमान में छिबरो ऊर्जा गृह (240 एम.डब्ल्यू.) का पूँजी मूल्य विष्णु प्रयाग ऊर्जा गृह (400 एम.डब्ल्यू. मूल्य 1614.66 करोड़ रुपये) की तुलना में 968.80 था।* छिबरो ऊर्जा गृह के वार्षिक संरक्षण एवं रख–रखाव के व्यय (कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी सहित) वर्ष 1994–95 से 1996–97 में 260.44 लाख रुपये से 393.98 लाख रुपये के बीच रहे जो कि वर्तमान पूँजी मूल्य का 0.27 से 0.41** प्रतिशत था। छिबरो के 0.41 प्रतिशत मूल्य की तुलना में विष्णु प्रयाग की पूँजी मूल्य के 1.5 प्रतिशत प्रावधान करने से परिषद् ने 17.60 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष (1614.66 करोड़ रुपये का 1.09 प्रतिशत) अधिक भुगतान करने पड़ेगा जिसे ऊर्जा क्रय करते समय टेरिफ दरों में पहले से भारित कर लिया गया था। इसके अलावा 1614.66 करोड़ रुपये के पूँजी मूल्य में शामिल भूमि का मूल्य (6.44 करोड़ रुपये) और पूँजीगत अतिरिक्त पार्ट्स (25.00 करोड़ रुपये) को 1.5 प्रतिशत पूँजी मूल्य के हिसाब से ओ. एण्ड एम. खर्च की गणना में बहिष्कृत नही किया गया जैसा कि दिसम्बर 1995 में जवाहरपुर तापीय ऊर्जा गृह (2400 एम.डब्ल्यू.) के पी.पी.ए. में परिषद् ने समझौता किया था। इस प्रकार केवल इसी मद में 0.47 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का अधिक भुगतान किया गया।

> ***पूँजी के 1.5 प्रतिशत के हिसाब से संरक्षण एवं रख–रखाव खर्चों का प्राविधान करने से परिषद् द्वारा 18.07 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय परणिामित होगा।***

इसके अलावा टैक्स और ड्यूटी सहित अन्य खर्चे, पानी के प्रयोग पर कर को ओ एण्ड एम खर्चों में सम्मिलित नहीं किये गये थे और टैरिफ उद्देश्य से उस पर अलग से विचार किया जाना था जिस में परिषद् पर अतिरिक्त बोझ परिणामित होगा।

* 240 एम.डब्ल्यू. x रुपये 1614.66 करोड़/400 एम.डब्ल्यू = 968.80 करोड़ रुपये

** 3.94 करोड़ रुपये x 100/968.80 करोड़ रुपये = 0.41 प्रतिशत

3अ.3.4. एसक्रो लेखे में निधि का अवरूद्ध होना

एसक्रो लेखा के प्रावधान से 33.24 करोड़ रुपये की निधि अवरुद्ध होगी एवं उस पर 5.98 करोड़ रुपये वार्षिक ब्याज का नुकसान परिणामित होगा।

ऊर्जा क्रय समझौते के अनुसार सरकारी गारन्टी द्वारा परिषद् को ऊर्जा बिलों का भुगतान साख पत्र से करने का प्रावधान था। पी.पी.ए. में परिषद् को एक अलग से एसक्रो लेखा को साख पत्र निर्गत करके एक बैंक में स्थापित करना जिसमें परिषद् द्वारा एक महीने के बिलों की सीमा तक समस्त राजस्व धनराशि को जमा करने की आवश्यकता थी जिसमें लाइसेन्सी का पहला हक होना था। इस प्रकार, एस्क्रो लेखे की स्थापना से 33.24 करोड़ रुपये धन अवरुद्ध होगा (2.29 रुपये प्रति यूनिट उत्पादन मूल्य के अनुमानित आधार पर जो लगभग एक माह के ऊर्जा बिल की धनराशि है) और परिणामतः 5.98 रुपये प्रति वर्ष लगातार ब्याज की हानि होगी (18 प्रतिशत प्रति वर्ष से)।

3अ3.5. कार्यरत पूँजी पर अत्यधिक ब्याज

कार्य पूँजी पर अत्यधिक ब्याज 5.61 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त लागत में परिणामित होगा।

पी.पी..ए. की शर्तों के अनुसार, दो माह के औसत पर ऊर्जा की बिक्री के बराबर प्राप्त धन कार्यरत पूँजी का भाग होगा, उसके ऊपर ब्याज को टैरिफ निर्धारण के समय विचार किया गया था। दो माह का समय अधिक था क्योंकि प्रत्येक माह के 37 दिन के बाद ऊर्जा बिल के भुगतान करने पर पेनाल्टी देय होगी। 37 दिन के समय तथा दो माह की औसत बिलिंग पर ब्याज के प्रावधान की तुलना करने पर पाया गया कि 5.61 करोड़ रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त ऊर्जा मूल्य परिणामतः देय होगा।

3अ 3.6. प्रेषण पद्वति के लगाने में देरी पर किसी दुर्घटना (देवी आपदा) की धारा के होने का प्रावधान नहीं

परिषद् ने 400 के.वी. प्रेषण पद्धति से उत्पादित ऊर्जा के ले जाने का प्रावधान पी.पी.ए. में किया था। यदि प्रेषण पद्धति को देर से पूरा किया जाता है और ऊर्जा गृह में व्यावसायिक उत्पादन देर से होगा एवं परिषद् लाइसेन्सी को व्यावसायिक उत्पादन की तिथि प्रेषण पद्वति को पूरा करने की तिथि तक क्षमता चार्जेज तथा ऊर्जा चार्जेज देगा। परिषद् ने, यदि किसी बड़ी घटना के कारण प्रेषण पद्धति को पूरा करने में देरी होती है, के लिए परिषद् के हित सुरक्षित करने के लिये कोई प्रावधान नहीं किया जबकि परिषद् द्वारा दिसम्बर 1995 में जवाहरपुर तापीय ऊर्जा परियोजना के पी.पी.ए. में ऐसा प्रावधान किया गया था।

3अ3.7. अन्य पार्टी को ऊर्जा विक्रय पर चक्रीय शुल्क का प्रावधान नहीं

पी.पी.ए. में प्रावधान है कि लाइसेन्सी परिषद् से बिना पूर्व अनुमति के अन्य पार्टी को ऊर्जा विक्रय कर सकेगा। पी.पी.ए. में कोई प्रावधान वर्ष 1994 की सरकारी ऊर्जा पद्धति की शर्तों के अनुसार परिषद् की पारेषण तंत्र के माध्यम से लाइसेन्सी के द्वारा इस प्रकार की ऊर्जा बिक्री हेतु चक्रीय शुल्क के परिषद् को भुगतान हेतु न था। ऊर्जा नीति में ऊर्जा पद्धति में चक्रीय शुल्क की दरें 12.5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत क्रमशः 132 के.वी. तथा 220 के.वी. लाइनों में प्रावधानित थीं। चक्रीय शुल्क के प्रावधान न होने से लाइसेन्सी द्वारा अन्य पार्टी को ऊर्जा बेचने पर, परिषद् कोई भी राशि लाइसेन्सी से न पा सकने के कारण हानि उठायेगा।

3अ3.8. पूँजी पर आय का अतिरिक्त बोझ

टैरिफ निर्धारण के लिए पी.पी.ए. में लाइसेन्सी द्वारा देय आयकर सहित 16 प्रतिशत करेत्तर प्रतिलाभ का प्रावधान था। इससे 35 प्रतिशत की वर्तमान आय की दर से पूँजी पर 24.62 प्रतिशत कुल भार पड़ेगा। यह 18 प्रतिशत की प्रचलित ब्याज की दर से अधिक होगा जो परिषद् परियोजना को उधार धन लेकर बनवाता। पी.पी.ए. यह भी नहीं दर्शाता कि इस मद में साल के शुरू की इक्विटी पूँजी ली जायेगी अथवा साल भर की औसत इक्विटी पूँजी।

दर सूची निर्धारण के लिए 16 प्रतिशत करेत्तर प्रतिलाभ के प्रावधान से कुल भार 24.62 प्रतिशत (आयकर सहित) परिणामित होगा जोकि प्रचलित 18 प्रतिशत ब्याज दर से काफी अधिक है।

3अ 3.9. परियोजना को लागू न किया जाना

अगस्त 1992 में एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करने के दो वर्ष बाद पी.आई.ए. को सितम्बर 1994 में निष्पादित किया गया। इसके बाद भी सितम्बर 1994 के संविदा 2001 तक परियोजना सस्थापन की अनुसूचित तिथियों का पालन नहीं हो सका। जिससे 2003 तक 1996 के पी.पी.ए. में परिवर्तित किया गया। यह जानकारी में आया कि लाइसेन्सी ने नवम्बर 1995 में पर्यावरण एवं वन विभाग, भारत सरकार से पर्यावरण निकासी प्राप्त की जबकि सी.ई.ए. से टेक्नो–इॅक्नामिक निकासी जून 1997 में दी। परियोजना को देर से लागू करने के कारण न केवल ऊर्जा की उपलब्धता में देर

परियोजना के क्रियान्वयन में देरी के कारण पूँजीगत लागत 1993–94 में 1205 करोड़ रुपये से 1997 में 1614.66 करोड़ रुपये बढ़ गई परिणामतः प्राक्लित ऊर्जा उत्पादन दर 1.93 रुपये से 2.29 प्रति यूनिट हो गई

हुई अपितु लाइसेन्सी की परियोजित पूँजी मूल्य वर्ष 1993 की 1205 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1996 में 1614.66 करोड़ रुपये हो गयी जिसके कारण प्राक्कलित उत्पादन मूल्य 1.93 रुपये प्रति यूनिट से 2.29 रुपये प्रति यूनिट बढ़ गया।

उपसंहार

परिषद् द्वारा 1965 विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना की कल्पना 1965 में प्रान्त के दूरस्थ व भारत–चीन सीमान्त के पर्वतीय क्षेत्रों में ऊर्जा की माँग–पूर्ति हेतु की गयी थी किन्तु मुख्यतः निधि–अभाव के कारण 60.19 करोड़ रुपये व्यय करने के पश्चात् भी पूर्ण न की जा सकी।

परियोजना को पूर्ण करने में परिषद् की विफलता पर सरकार ने इसके निजीकरण का निर्णय लिया जिसके निमित्त अक्टूबर 1992 में जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, लखनऊ (जे.पी.एल.) के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये, तदोपरान्त सितम्बर 1994 में एक परियोजना क्रियान्वयन करार किया गया। सितम्बर 1996 में जे.पी.एल. की एक परियोजना जय प्रकाश पावर वेन्चर लिमिटेड, देहरादून नामक अनुज्ञापी के साथ ऊर्जा क्रय करार (पी.पी.ए.) पर हस्ताक्षर किये गये, जिसके तहत 2003 तक परियोजना की संस्थापना होनी थी। कुल मिलाकर पी.पी.ए. परिषदीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे अनुज्ञापी को अधोलिखित प्रावधानिक कमियों के कारण अतिरिक्त भुगतान होगाः

सरकार की 1994 की ऊर्जा–नीति में प्रावधानित न्यूनतम दर–सूची के आधार के स्थान पर विद्युत का क्रय द्वि-सूत्री दर-सूची (वार्षिक क्षमता लागत व ऊर्जा लागत) पर आधारित है,

- अनुज्ञापी को सम्पत्ति हस्तान्तरण पर अवभारण,
- अत्यधिक परिचालन व अनुरक्षण व्यय,
- किसी ब्याज–लाभ के बिना निलम्बलेख लेखे में परिषदीय निधि की अनावश्यक अवरूद्धता
- कार्यवाहक पूँजी पर अत्यधिक ब्याज एवं अंशपूँजी पर प्रतिलाभ का भार,
- तृतीय पक्ष को ऊर्जा–बिक्री पर चक्र–शुल्क का अप्रावधान।

चूँकि परियोजना अभी तक क्रियान्वित नहीं हुई है, परिषद् पी.पी.ए. के उक्त प्रावधानों को विद्युत क्रय की लागत में कमी लाने की दृष्टि से पुनर्विचार व पुनरावलोकन कर सकता है। समय और लागत–वृद्धि के व्यय को बचाने हेतु परियोजना की समयबद्ध पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिये भी कार्यवाही की जा सकती है।

उक्त मामले जून, 1997 में परिषद् व शासन को प्रतिवेदित किये गये थे, उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1997)।

अध्याय III

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

अनुच्छेद 3ब

जल विद्युत परियोजनाओं का नियोजन और क्रियान्वयन

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	176
2.	परियोजना आंकलनों के विलम्बित संशोधन के कारण लागत अतिक्रमण	178
3.	उत्पादन और राजस्व की हानि	179
4.	आदेशों के निरस्त किये जाने के कारण हानि	180
5.	कार्यविहीन कर्मचारियों पर व्यय	181
6.	निष्क्रिय उपस्कर और अधिशेष भण्डार	181
7.	निधियों की अवरूद्धता	182
8.	परियोजनाओं का निजीकरण	182
9(i).	सिंचाई विभाग को प्रेषित निधियों का निदान न किया जाना	183
9(ii).	आयातित स्पात की कमी के कारण हानि	183
9(iii).	संविदागत दायित्व के पूर्ण न किये जाने के कारण ऋण का निरस्तीकरण	184
	उपसंहार	184

खण्ड 3ब

जल विद्युत परियोजनाओं का नियोजन और क्रियान्वयन

मुख्य अंश

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्र की विद्युत माँग की पूर्ति हेतु, हस्तगत की गई (अप्रैल 1977 और मार्च 1988) जल विद्युत परियोजनायें जैसे मनेरी भाली (चरण.II), लखवार व्यासी एवं श्रीनगर, एक ही समय में सभी को लेने की वजह से वित्तीय साधनों के अभाव में पूर्ण नहीं की जा सकीं।

(प्रस्तर 3 ब.1)

परियोजनाओं की प्रारम्भिक विनिर्दिष्ट क्षमता, लागत और समय सारणी के पालन न किये जाने से समय और 2534.31 करोड़ रुपये की लागत का अतिक्रमण हुआ।

(प्रस्तर 3 ब.2)

इन परियोजनाओं का समय सारणी के अनुसार क्रियान्वयन न किये जाने से परिषद, 926.43 रुपये मूल्य के 3462.13 एम.यू. विद्युतशक्ति के निर्दिष्ट वार्षिक उत्पादन को प्राप्त नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक जल के उपयोजन द्वारा, कोयला और तेल के मूल्यवान और दुष्प्राप्य निवेशों के संरक्षण के उददेश्य निष्फल हो गये और ताप विद्युत उत्पादन पर निर्भरता बनी रही परिणामस्वरूप 166.24 करोड़ रुपये मूल्य के 27.56 लाख मीट्रिक टन कोयले का वार्षिक उपयोग हुआ।

(प्रस्तर 3 ब.3)

आदेशों के निरस्त किये जाने से परिषद ने, बी.एच.ई.एल. को भुगतान किये गये अग्रिम की वापसी न होने के कारण, 10.65 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

(प्रस्तर 3 ब.4)

1991–92 से 1996–97 के दौरान, परिषद ने कार्यविहीन कर्मचारियों के वेतन एवं पारिश्रमिक पर 11.47 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय किया।

(प्रस्तर 3 ब.5)

परिषद, सभी तीन परियोजनाओं में अवरुद्ध पड़े रहे 486.00 करोड़ रुपये के व्यय पर 87.59 करोड़ रुपये की आवर्ती वार्षिक ब्याज देयता का व्यय करती रही।

(प्रस्तर 3 ब.7)

मनेरी–भाली (चरण–II) एवं श्रीनगर परियोजनाओं के निजीकरण के सरकार के प्रयत्न, प्रथम परियोजना में फर्म का चुनाव न किये जाने तथा दूसरी परियोजना में फर्म द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन को सरकार द्वारा स्वीकृति न दिये जाने के कारण, सफल नहीं हुये।

(प्रस्तर 3 ब.8)

3 ब.1 प्रस्तावना

ताप विद्युत संयंत्रों में प्रयुक्त होने वाले कोयले और तेल के मूल्यवान और दुष्प्राप्य निवेशों के विरुद्ध, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जल का उपयोग करके, दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों की विद्युत मांग की सस्ते मूल्य पर पूर्ति के लिये, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (परिषद) ने तीन जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं को (उत्तरकाशी, पौड़ी और देहरादून जिलों में एक–एक) स्थापित करने का निर्णय लिया (अप्रैल 1972 से मार्च 1980 के मध्य)। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन, प्रत्येक परियोजना में एक अधिशासी अभियन्ता तथा एक उपमुख्य लेखाधिकारी द्वारा सहायित, देहरादून में तैनात एक सामान्य प्रबन्धक (जी.एम.) के प्रभार के अन्तर्गत था। कुछ कार्य निष्पादित किये जाने के पश्चात, वित्तीय साधनों के अभाव में, सितम्बर 1997 तक इन परियोजनाओं में से कोई भी पूर्ण होने की अनुसूचित तिथि एवं वर्तमान स्थिति के विवरण नीचे दिये गये है:

(करोड़ रुपये में)

परियोजना का नाम	अद्यतन क्षमता (एम. डब्ल्यू.)	अद्यतन संशोधित लागत	सितम्बर 1997 तक किया गया व्यय	पूर्ण होने की अद्यतन संशोधित अनुसूचित तिथि	वर्तमान स्थिति
मनेरी भाली (चरण–II) उत्तरकाशी	156 (304)	43-32 (फरवरी 1989 में 338.66)	153.83	1983-84 (मार्च 1993)	योजना आयोग द्वारा, जुलाई 1972 का 43.32 करोड़ रुपये का प्रारम्भिक आंकलन, 47.51 करोड़ रुपये के लिये अनुमोदित किया गया (अप्रैल 1974)। योजना आयोग द्वारा 338.66 करोड़ रुपये के संशोधित आंकलन का अनुमोदन नहीं किया गया और परियोजना, वित्तीय साधनों के अभाव में पूर्ण नहीं की जा सकी।
लखवर की लखवर–व्यासी (3 x 100 एम.डब्ल्यू.) तथा देहरादून की हथियारी (2 x 60 एम.डब्ल्यू.)	420 (420)	140.97 (जून 1997 में 1776.00)	205.00	1983 (2002)	योजना आयोग द्वारा, मार्च 1973 का 140.97 करोड़ रुपये का प्रारम्भिक आंकलन, 154.62 करोड़ रुपये के लिये अनुमोदित किया गया (जनवरी 1976)। योजना आयोग द्वारा परियोजना की रूपरेखा को संस्तुति नहीं दी गई क्योंकि वह अद्यतन नहीं थी। परियोजना, वित्तीय साधनों के अभाव में पूर्ण नहीं की जा सकी।
श्रीनगर, गढ़वाल (6 x 55 एम.डब्ल्यू.)	200 (330)	144.18 (मार्च 1994 में 748.12)	127.77	1987 (1992)	1981 में तैयार किया गया, छः वर्षोंकी समापन अवधि के साथ 144.18 करोड़ रुपये का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, योजना आयोग द्वारा अप्रैल 1986 में अनुमोदित किया गया। परियोजना, विश्वबैंक, जिसके माध्यम से इसे वित्त पोषित किया जाना था, के संविदागत दायित्व की पूर्ति करने में परिषद की विफलता के कारण, पूर्ण नहीं की जा सकी।

टिप्पणीःकोष्ठक के आंकड़े, नवीनतम संशोधित क्षमता, लागत आंकलन और पूर्ण होने की अनुसूचित तिथि को इंगित करते हैं।

निधियों का प्रबन्ध करने में परिषद की असमर्थता के कारण, इन परियोजनाओं के एक पर्याप्त अवधि के पश्चात भी क्रियान्वयन न किये जाने से, लागत अभिवृद्धि, उत्पादन और राजस्व की हानि, कार्यविहीन कर्मचारियों एवं खाली पड़े/अधिशेष भण्डारों आदि पर व्यय के पहलुओं की चर्चा, अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है।

3ब.2 परियोजना आंकलनों के विलम्बित संशोधन के कारण लागत अतिक्रमण

परियोजना आंकलनों का, लागत अतिक्रमण खराब प्रारम्भिक लागत आंकलनों की वजह से लागत और क्षमता दोनों में वृद्धि के सम्बन्ध में बारम्बार संशोधन किया गया।

लागत और क्षमता में वृद्धि के सम्बन्ध में परियोजना आंकलन का बारम्बार संशोधन, त्रुटिपूर्ण प्रारम्भिक लागत आंकलन के कारण 2534.31 रुपये के समय अतिक्रमण और लागत अतिक्रमण में परिणामित हुआ जिससे कार्य बीच में ही स्थगित हो गया।

निम्न तालिका, प्रबन्धन द्वारा आंकलन के संशोधन के प्रतिरूप को इंगित करती है:

(करोड़ रुपये में)

मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना (चरण–II)उत्तरकाशी		**श्रीनगर जल विद्युत परियोजना**		**लखवार व्यासी बहुप्रयोजनीय जल विद्युत परियोजना**		
आंकलन के तैयार करने और संशोधन किये जाने का वर्ष	**लागत**	**आंकलन के तैयार/ संशोधन किये जाने का वर्ष**	**लागत**	**आंकलन के तैयार/ संशोधन किये जाने का वर्ष**	**लागत**	
जुलाई 1972	43.32	1981	144.18	1973	140.97	
जून 1973	47.51	1986	372.32	जनवरी 1976	154.62	
मार्च 1976	82.63	1994	748.12	अप्रैल 1979	228.48	
फरवरी1981	181.97			जनवरी 1982	276.42	
फरवरी 1984	212.66			1992	920.50	
फरवरी 1989	338.66			1995 1996	1200.00 1776.00	
प्रारम्भिक आंकलन की तुलना में लागत में वृद्धि	**295.34**		**603.94**		**1635.03**	**2534.31**

वित्तीय व्यवस्था के कार्य को, प्रबन्धन के लिये और दु:साध्य बनाते हुए, मूल रूप से निर्धारित क्षमता लागत एवं समय पर कार्य न करने की वजह से परियोजना को पूर्ण करने हेतु समय और लागत पर अभिवृद्धि 2534.31 करोड़ रुपये की राशि में परिणामित हुआ। अंततः, परियोजनायें बीच में ही स्थगित हो गईं।

3 ब.3 उत्पादन और राजस्व की हानि

इन परियोजनाओं के अब तक (सितम्बर 1997) क्रियान्वयन न किये जाने के कारण, परिषद् परियोजनाओं के समापन की अनुसूचित बहुत बड़ी अकार्यशील पूँजी सम्पत्ति का प्रादुर्भाव हुआ तथा तिथियों में, 926.43 करोड़ रुपये के मूल्य के 3462.13 एम.यू.विद्युत ऊर्जा के वार्षिक निर्दिष्ट उत्पादन को प्राप्त नहीं कर सकी जैसा नीचे इंगित किया गया:

इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन न किये जाने से परिषद् 926.43 करोड़ रुपये के मूल्य के 3462.13 एम.यू. के निर्दिष्ट वार्षिक उत्पादन को प्राप्त नहीं कर सकी।

(करोड़ रुपये में)

परियोजना का नाम	समापन की अनुसूचित तिथि	वार्षिक उत्पादन लक्ष्य (एम.यू.में)	राजस्व की वार्षिक हानि	वार्षिक उत्पादन की प्राप्ति के लिये कोयले की आवश्यकता (लाख एम.टी. में)	कोयले का मूल्य
मनेरी भाली (चरण–II)	1983-84	1327.13	491.04	10.48	62.07
लखवार व्यासी	1983	852.00	313.50	6.82	41.58
श्रीनगर	1992	1283.00	121.89	10.26	62.59
योग		**3462.13**	**926.43**	**27.56**	**166.24**

इसके अतिरिक्त कीमती एवं दुष्प्राप्य कोयला और तेल के निवेश के संरक्षण का उद्देश्य जो कि प्राकृतिक पानी के उपयोग से प्राप्त होना था, नहीं प्राप्त हुआ और तापीय विद्युत उत्पादन पर

निर्भरता जारी रही, जिससे 3462.13 एम.यू. विद्युत ऊर्जा के ताप विद्युत उत्पादन के लिये अपेक्षित 166.24 करोड़ रुपये मूल्य के वार्षिक 27.56 लाख मीट्रिक टन कोयले का प्रयोग हुआ।

3ब.4 आदेशों के निरस्त किये जाने के कारण हानि

बी.एच.ई.एल. द्वारा अग्रिम वापसी न करने के कारण हानि

परियोजना प्राधिकारियों द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को विद्युत–यांत्रिकी उपस्करों के आरेखण, निर्माण, आपूर्ति, स्थापन, परीक्षण और चालू करने हेतु, 147.85 करोड़ रुपये के पाँच आदेश प्रेषित किये गये और इन आदेशों के विरुद्व, मार्च 1981 से अक्टूबर 1990 के दौरान, अग्रिम के रूप में 29.42 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। निधियों की कमी और परिषद/राज्य सरकार के निर्णयों के अनुसार, इन परियोजनाओं के निजीकरण की संभावनाओं के कारण (प्रस्तर 3ब. 8 में चर्चित), सितम्बर 1995 में इन आदेशों को निरस्त कर दिया गया। तथापि, बी.एच.ई.एल. ने अपने लम्बित देयकों के विरुद्ध, 18.77 करोड़ रुपये की एक राशि का समायोजन अनुमत कर दिया और नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार, 10.65 करोड़ रुपये का अवशेष धन परिकल्पना की कीमत, इन्जीनियरिंग शुल्क एवं अन्य खर्चों के मद में रोक लिये:

(करोड़ रुपये में)

परियोजना का नाम	आदेशों की संख्या एवं प्रेषण तिथि	आदेश की धनराशि	दिये गये अग्रिम की धनराशि	भुगतान की तिथि	रोकी गई धनराशि
मनेरी भाली (चरण–II)	तीन (1983, 1985 एवं 1988)	38.97	19.40	दिसम्बर 1984 से अप्रैल 1988	4.30
लखवार व्यासी	एक (1981)	40.41	4.52	मार्च 1981 से मार्च 1982	2.05
श्रीनगर	एक (सितम्बर 1990)	68.47	5.50	अक्टूबर 1990	4.30
योग		**147.85**	**29.42**		**10.65**

इस प्रकार आदेशों के निरस्तीकरण के फलस्वरूप बी.एच.ई.एल द्वारा अग्रिम के अवशेष धन को रोकने की वजह से परिषद ने 10.65 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया।

3ब.5 कार्यविहीन कर्मचारियों पर व्यय

मनेरी भली (चरण–II) और श्रीनगर परियोजनाओं का कार्य क्रमशः वर्ष 1989–90 और 1991–92 से स्थगित/निलम्बित कर दिया गया था परन्तु कार्य स्थलों पर तैनात कर्मचारियों को सितम्बर 1997 तक अन्यत्र कहीं स्थानान्तरित/उपयोजित नहीं किया गया जिससे 1991–92 से 1996–97 तक के वर्षोंके दौरान, वेतन, यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्तों पर क्रमशः 7.37 करोड़ रुपये और 4.10 करोड़ रुपये का अनुत्पादक व्यय हुआ।

निष्कार्य वेतन/पारिश्रमिक के भुगतान से यद्यपि बिल्कुल बचाया ही नहीं जा सकता था तो भी इसे न्यूनतम किया जा सकता था यदि इन परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को अन्य परियोजनाओं में अधिक विवेकपूर्ण ढंग से तैनात किया जाता।

परिषद् ने कार्यविहीन कर्मचारियों के वेतन और पारिश्रमिक पर 11.47 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय किया।

3ब.6 निष्क्रिय उपस्कर और अधिशेष भण्डार

(i) 278.88 लाख रुपये के मूल्य के उपस्कर (क्रेन, कम्प्रेशन सेट, डीजल जनरेटिंग सेट और नवम्बर 1983 तथा फरवरी 1984 में चालू किये गये दो निष्क्रिय डीजल विद्युत गृह को सम्मिलित करते हुए) तथा 191.75 लाख रुपये के मूल्य के भण्डार, परियोजनाओं के समापन न किये जाने के कारण लम्बे समय से अनुपयोजित पड़े थे, जिससे नीचे दिये गये विवरण के अनुसार, 470.63 लाख रुपये की सीमा तक की निधियों की अवरुद्धता हुई।

परियोजनाओं का अक्रियान्वयन, अनुपयोजित पड़े अपस्करों और भण्डारों में निवेशित 4.71 करोड़ रुपये की निधियों की अवरूद्धता में, परिणामित हुआ।

(लाख रुपये में)

परियोजना का नाम	निष्क्रिय उपस्कर	अवधि जब से निष्क्रिय पड़े हैं	अधिशेष भण्डार	कब से अनुपयोजित पड़े हैं
मनेरी भाली (चरण–II)	87.43	1985-86	45.75	अप्रैल 1989
लखवार व्यासी	135.86	1983-84	शून्य	--
श्रीनगर	55.59	1989-90	146.00	1990-91
योग	**278.88**		**191.75**	

अतः, परियोजनाओं के अक्रियान्वयन (लागू न किये जाने) के कारण, इन उपस्करों और भण्डारों का उपयोजन नहीं किया जा सका। परिषद द्वारा, उन्हें अन्यत्र उपयोजित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(ii) 78.55 लाख रुपये और 57.31 लाख रुपये की कुल लागत पर लखवार और हथिआरी में क्रमशः नवम्बर 1983 और फरवरी 1994 में स्थापित किये गये डीजल विद्युत गृह अपने संस्थापन तिथि से निष्क्रिय पड़े थे और टूट–फूट के लिये अनावरित थे। इसके अतिरिक्त, 1990–91 से 1994–95 के दौरान, 4.89 लाख रुपये की राशि उनके अनुरक्षण पर व्यय की गई जो व्यर्थ सिद्ध हुई।

3ब.7 निधियों की अवरूद्धता

परिषद ने इन परियोजनाओं पर मार्च 1997 तक 486.60 करोड़ रुपये की राशि का व्यय किया, जो अवरुद्ध पड़ी रही।

अवरुद्ध निधियों पर, 18 प्रतिशत की दर पर 87.59 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ब्याज देयता का आगणन किया गया।

परिषद् सभी तीनों परियोजनाओं में अवरूद्ध पड़े 486.60 करोड़ रुपये के व्यय पर, 87.59 करोड़ रुपये के वार्षिक ब्याज देयता का व्यय करती रही।

परिषद ने अपनी खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद, इन तीन जल विद्युत परियोजनाओं को एक साथ हाथ में ले लिया और निष्पादन करती रही तथा परिणामस्वरूप, कोई भी पूर्ण नहीं की जा सकी। यदि उन्हें बारी–बारी से लिया जाता, उनके पूर्ण होने की सम्भावनायें अधिक होती और निधियों की अवरुद्धता के कारण हुई ब्याज की हानि से भी बचा जा सकता था।

3ब.8 परियोजनाओं का निजीकरण

चूंकि परिषद, परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिये, निधियों की व्यवस्था करने में असमर्थ थी, राज्य सरकार ने 1994 की अपनी नवीन ऊर्जा नीति के अनुसरण में निजी क्षेत्रों की कम्पनियों से मनेरी भाली (चरण–II) और श्रीनगर परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये (मार्च 1994)। लखवार–ब्यासी परियोजना के निजीकरण हेतु कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गई (सितम्बर 1997)।

मनेरी भाली परियोजना (चरण–II) के लिये, निजी दलों (व्यापारियों) से प्राप्त (अक्टूबर 1994) प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा अब तक (सितम्बर 1997) अन्तिम रूप नहीं दिया गया। श्रीनगर परियोजना के प्रकरण में, अप्रैल 1994 में प्राप्त किये गये प्रस्ताव को मई 1994 में अन्तिम रूप दिया

परियोजना को पूर्ण करने में परिषद् की असफलता के कारण सरकार दो परियोजनाओं का निजीकरण करने के लिए प्रेरित हुई, परन्तु न तो एक परियोजना के लिए प्राप्त निजी दल से प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया न ही दूसरी परियोजना जिसके लिए अगस्त 1994 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे को क्रियान्वित किया गया।

गया और परियोजना को अगस्त 1994 में स्थापित किये जाने हेतु राज्य सरकार और मेसर्स डंकन के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। यह समझौता ज्ञापन जिसे हस्ताक्षर किये जाने की तिथि से 18 महीने की अवधि के लिये प्रभावी रहना था, मार्च 1998 तक बढ़ा दिया गया।

मेसर्स डंकन द्वारा प्रस्तुत (मई 1995) किया गया विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब तक (सितम्बर 1997) स्वीकृत नहीं किया गया।

3ब.9 अन्य रूचिकर विषय

3ब.9(i) सिंचाई विभाग को प्रेषित निधियों का मिलान न किया जाना

परिषद के अभिलेखों के अनुसार, 1977–78 से 1992–93 के दौरान, मनेरी भाली (चरण–II) परियोजना के सिविल कार्योंके निष्पादन के लिये, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को 120.35 करोड़ रुपये तक की निधियाँ नियुक्त की गईं थी परन्तु सिंचाई विभाग के अभिलेखों के अनुसार, उनके द्वारा केवल 108.48 करोड़ रुपये की राशि ही प्राप्त की गई थी। 11.87 करोड़ रुपये के अन्तर का अब तक (सितम्बर 1987) मिलान नहीं किया गया था।

3ब.9(ii) आयातित इस्पात की कमी के कारण हानि

फरवरी 1983 से जुलाई 1984 के दौरान, लखवार-व्यासी जल विद्युत परियोजना के लिये, विद्युत इस्पात प्रकोष्ठ, लखनऊ द्वारा विद्युत निर्माण खण्ड, डाक पत्थर, देहरादून को 0.62 करोड़ रुपये के मूल्य का आयातित इस्पात (1418.374 टन) निर्गत किया। यह इस्पात, परियोजना को, विभिन्न आर.आर. के माध्यस से, रेलवे द्वारा भेजा गया। परियोजना द्वारा 0.59 करोड़ रुपये के मूल्य इस्पात का कुल 1341.431 टन आयातित इस्पात प्राप्त किया गया और लेखबद्ध किया गया तथा 0.03 करोड़ रुपये के मूल्य की 76.943 टन की अवशेष मात्रा कम प्राप्त की गई। अतः परियोजना ने, सितम्बर 1997 तक ट्रांसफर डेबिट (एटीडी) की एडवाइस स्वीकार नहीं की। न तो रेलवे/बीमा से कमियों के दावे किये गये और न ही कमियों के कारणों की पुष्टि करने के लिए कोई विभागीय जाँच आरम्भ की गयी। अतः परिषद ने 0.03 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

3ब.9(iii) संविदागत दायित्व के पूर्ण न किये जाने के कारण ऋण का निरस्तीकरण

परिषद ने इण्टरनेशनल बैंक आफ रिकान्सट्रक्शन एण्ड डेवलपमेन्ट (आई.बी.आर.डी.) से अपनी विभिन्न योजनाओं हेतु 350 मिलियन यू.एस. डालर का एक संयुक्त ऋण स्वीकृत कराया (जुलाई 1988) जिसमें श्रीनगर परियोजना के निष्पादन के लिये 112.8 मिलियन यू.एस. डालर सम्मिलित था। परिषद को 24.374 मिलियन यू.एस.डालर की राशि मुक्त करने के पश्चात, 5 अप्रैल 1991 को आई.बी.आर.डी.ने, ऋण का शेष भाग निलम्बित कर दिया और अन्ततः इसे नवम्बर 1992 में इस आधार पर निरस्त कर दिया कि परिषद, निबल अचल परिसम्पत्तियों पर तीन प्रतिशत के प्रत्यागम की दर प्राप्त करने के लिये, जैसा कि समझौते में अनुबन्धित था, अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार को इंगित करते हुये कोई कार्य योजना प्रस्तुत नहीं कर सकी।

आई.बी.आर.डी. से प्राप्त 24.374 मिलियन यू.एस. डालर में से श्रीनगर परियोजना के लिये कितना उपयोजित किया गया, उस पर भुगतान किये गये ब्याज तथा पुनर्भुगतान की वर्तमान स्थिति, परिषद् द्वारा लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई है।

इसलिये, आई.बी.आर.डी. द्वारा अपेक्षित कार्य योजना को प्रस्तुत करने में परिषद् की असफलता के कारण, 112.8 मिलियन यू.एस.डालर का ऋण प्राप्त नहीं किया जा सका परिणामस्वरूप श्रीनगर परियोजना, निधियों की कमी के कारण पूर्ण नहीं की जा सकी।

उपसंहार

राज्य के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों की विद्युत माँग की पूर्ति करने के उद्देश्य से 1054 एम.डब्ल्यू. की कुल क्षमता के साथ, तीन जल विद्युत परियोजनायें प्रकल्पित की गई।

तथापि, आवश्यक निधियों की व्यवस्था करने में परिषद की विफलता के कारण, इन्हें पूर्ण नहीं किया जा सका और 486.60 करोड़ रुपये के विशाल व्यय किये जाने के पश्चात, इनका परित्याग करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप परिषद को निम्न कारणों से हानियाँ उठानी पड़ीः—

- निर्दिष्ट विद्युत ऊर्जा के अनुत्पादन के कारण, राजस्व की हानि।
- आदेशों के निरस्तीकरण के कारण हानि।
- कार्यविहीन कर्मचारियों, उपस्कर और अधिशेष भण्डारों पर व्यय।
- निधियों की अवरुद्धता के ब्याज की हानि।

परिषद को, परियोजनाओं का एक—एक करके निजीकरण अथवा उनको पूर्ण करने के लिये तत्काल कदम उठाने चाहिये।

प्रकरण परिषद् को जून 1997 में तथा सरकार को सितम्बर 97 में सूचित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 1997)

अध्याय III

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

अनुच्छेद 3स

जवाहरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निजीकरण

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	188
2(i)	स्पर्धी बोली के बिना निजीकरण	190
2(ii)	अत्यधिक परिचालन एवं अनुरक्षण (ओ. एण्ड एम.) व्यय का प्रावधान	191
2(iii)	निलम्बलेख लेखे में परिषदीय निधि का परिबन्धन	191
2(iv)	कार्यवाहक पूँजी पर अत्यधिक ब्याज का प्रावधान	192
2(v)	ऊर्जा की अत्यधिक परिवर्ती लागत का प्रावधान	192
2(vi)	साम्य के प्रत्यावर्तन पर अत्यधिक भार	193
2(vii)	ऊर्जा के सहायक उपभोग की सीमा का प्रावधान न होना	193
2(viii)	तृतीय पक्ष को ऊर्जा बिक्री हेतु चक्रि शुल्क (व्हीलिंग चार्जेस) का प्रावधान न होना	193
2(ix)	परियोजना के नहीं लागू होने से ऊर्जा की उपलब्धता में विलम्ब	194
	उपसंहार	194

अनुच्छेद 3स

जवाहरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निजीकरण

मुख्य अंश

जवाहरपुर (एटा) में तापीय विद्युत गृह 750 मेगावाट (पुनरीक्षित 800 मेगावाट जुलाई 1994 में) संस्थापित क्षमता की स्थापना हेतु शासन ने एक समझौता ज्ञापन (मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैन्डिग) पैसिफिक विद्युत शाक्ति विकास निगम वैनकुअर (कनाडा) से नवम्बर 1993 में हस्ताक्षरित किया। विद्युत क्रय करार (पी.पी.ए.) कनाडा की फर्म की सहायक कम्पनी जवाहरपुर पावर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से दिसम्बर 1995 में किया गया था।

(प्रस्तर 3 स.1)

परियोजना निजी क्षेत्र को बगैर प्रतिस्पर्धी निविदाओं एवं बोलियों के लिए सौंपी गयी थी। पी.पी.ए. में परिषद द्वारा विद्युत खरीद हेतु दर सूची दो भागों (स्थिर शुल्क एवं परिवर्तनीय शुल्क) में प्रावधानित थी। इस प्रकार, शासन की विद्युत नीति 1994 में निहित न्यूनतम दर सूची का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

प्रस्तर 3 स.2(i)

पी. पी. ए. में दी गयी द्विभागी दर सूची की वजह से अतिरिक्त ऊर्जा लागत 118.59 करोड़ रुपये (लगभग) प्रतिवर्ष अत्यधिक संचालन एवं अनुरक्षण दर (79.25 करोड़ रुपये), निलम्बलेख लेखों (16.06 करोड़ रुपये) में परिबन्धन से ब्याज हानि, कार्यशील पूँजी पर अधिक ब्याज (13.37 करोड़ रुपये) एवं अधिक परिवर्तनीय शुल्कों (9.91 करोड़ रुपये) के रूप में परिणामित हुई, जिसे परिषद् द्वारा भुगतान किया जाना था।

(प्रस्तर 3 स.2 (ii) से (v))

लाइसेन्सी की साम्य (इक्यूटी) पर 16 प्रतिशत का करेत्तर विवरण (पोस्ट टैक्स रिटर्न) जो मूल्य सूची के स्थिर शुल्कों में शामिल था की वजह से साम्य के 29.63 प्रतिशत वार्षिक कुल भार जो कि कर्ज की प्रचलित ब्याज दर 18 प्रतिशत से उच्च था, और जिस पर परिषद् प्रोजेक्ट हेतु वित्त पा सकती थी, में परिणामित हुआ।

(प्रस्तर 3 स.2(vi))

3स.1 प्रस्तावना

ऊर्जा उत्पादन में निजी उपक्रम के योगदान द्वारा राज्य में ऊर्जा की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति के उद्देश्य से सरकार ने बैनकुअर (कनाड़ा) के पैसिफिक इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन के साथ एक समझौता–ज्ञापन (मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैण्डिंग, एम.ओ.यू.) पर, जवाहरपुर (एटा) में 750 मेगावाट (250 मेगावाट प्रत्येक की 3 इकाईयाँ) की संचालित क्षमता वाले एक ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु नवम्बर 1993 में हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन जिसको कि अठ्ठारह माह तक के समय के लिए लागू रहना था उसी में अन्य शर्तों के साथ प्रावधान था कि

(i) फर्म विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 9 माह के अन्दर प्रस्तुत करेगी

(ii) सम्पूर्ण उत्पादित ऊर्जा के पारस्परिक सहमति की मूल्य सूची पर परिषद् को बेचेगी

(iii) पब्लिक लिमिटेड कम्पनी को परियोजना को लागू एवं संचालित करने हेतु निगमित करेगी

(iv) न निरस्त होने वाली बैंक गारण्टी 50.00 लाख रुपये जो कि एम.ओ.यू. के जारी रहने तक वैध रहेगी

राज्य सरकार आवश्यक लाइसेन्स विद्युत उत्पादन एवं बिक्री करने हेतु, फर्म के लिए मजूर करने पर सहमत थी। यह लाइसेन्स प्रारम्भ से 30 वर्ष के लिए अनुकूल प्रावधानों सहित आगामी 20 वर्षों के लिए और नवीनीकृत करने हेतु था।

परियोजित विद्युत स्टेशन की क्षमता 800 मेगावाट जुलाई 1994 में पुनरीक्षित की गई थी (2 यूनिट 400 मेगावाट प्रत्येक) यह पुनरीक्षण इस आधार पर था कि 400 मेगावाट की परिकल्पना सिद्ध, विश्वसनीय थी एवं उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाती है। परियोजना प्रतिवेदन पूँजीगत लागत हेतु 4143 करोड़ रुपये 800 मेगावाट क्षमता फर्म द्वारा सेण्ट्रल विद्युत अॅथारिटी को जुलाई 94 में तकनीकी आर्थिक मंजूरी प्रस्तुत की गई थी। प्रतिवेदन दिसम्बर 1996 में 3810.14 करोड़ रुपये के लिये पुनरीक्षित किया गया जिसमें समतलीय विद्युत (ऊर्जा) कीमत 1.91 रुपये प्रति यूनिट दर्शायी गयी थी। परियोजना को आर्थिक मंजूरी अगस्त 1997 तक प्रतीक्षित थी।

विद्युत स्टेशन द्वारा उत्पादित ऊर्जा परिषद द्वारा ऊर्जा क्रय करार (पी.पी.ए.) जो कि परिषद एवं कनेडियन फर्म की सहायक कम्पनी जवाहरपुर इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के मध्य दिसम्बर 1995 में हुआ था, की शर्तों के अनुसार खरीदनी थी।

पी.पी.ए. की महत्वपूर्ण शर्तें संक्षेप में नीचे कही गयी हैं–

(अ) परियोजना की पूँजीगत लागत जे.पी.एल. द्वारा किये गये वास्तविक खर्च अथवा बोर्ड एवं सेण्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अॅथारिटी द्वारा अनुमोदित धनराशि जो कम हो, द्वारा सीमित होगी। आर्थिक पैकेज जो कि कर्जों एवं साम्य (इक्विटी) को दर्शाता हो और जिसका प्रबन्ध पूँजीगत लागत से हो, का अनुमोदन बोर्ड एवं सेण्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अॅथारिटी द्वारा होगा।

(ब) यूनिट I एव II का क्रमशः 48 एवं 54 माह के अन्तर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक संचालन वित्तीय बंदी की दिनांक से (मजबूर करने वाली दैवी आपदा वाली घटनाओं के उपरान्त विस्तार की शर्त के अधीन) निर्धारित था, असफलता की दशा में कम्पनी को 4 लाख प्रतिदिन के हिसाब से 180 दिन तक तत्पश्चात रुपये 40.50 लाख प्रतिदिन प्रति यूनिट रुपये 80 करोड़ प्रति यूनिट की अधिकृत सीमा तक परिषद को क्षतिपूर्ति दावा देय था।

(स) यदि किसी भी यूनिट की परीक्षित क्षमता नामित या दर्शायी गयी क्षमता की तुलना में वाणिज्यिक संचालन की दिनांक को कम पायी जायेगी तो पूँजीगत लागत प्रोरेटा आधार पर कम कर दी जायेगी तथा कम्पनी को क्षतिपूर्ति दावा रुपये 7000 प्रति किलो वाट की दर से क्षमता की कमी या गिरावट पर परिषद के लिये देय होगा।

(द) परिषद कम्पनी को क्रय की गयी विद्युत का भुगतान दो भाग टैरिफ के आधार पर करेगी। वैरिएबिल चार्ज में कोयले तथा तेल की कीमतें सन्निहित रहेंगी। फिक्सड् चार्ज (स्थिर देय) जो कि प्राप्त करने योग्य प्लाण्ट लोड फैक्टर 68.49 प्रतिशत पर आधारित होगा, में कर्जों पर ब्याज, कार्यशील पूँजी पर ब्याज, अवमूल्यन, संचालन एवं रख–रखाव खर्च 2.5 प्रतिशत पूँजी का, 16 प्रतिशत पोस्ट कर वापसी साम्य (इक्यूटी) पर तथा आयकर जो कम्पनी द्वारा देय होगा आदि सन्निहित होंगे।

(त) फर्म 400 के0वी0 स्टेशन तथा स्विचयार्ड को बनायेगी तथा देख–रेख करेगी। ऊर्जा के इवैक्यूशन के लिये 220 के0वी0 सब स्टेशन तथा प्रेषण लाइन परिषद द्वारा बनायी एवं रख–रखाव की जायेगी। परिषद की बाहरी अन्तर सम्पर्क सुविधा (220 के0वी0 सब स्टेशन तथा प्रेषण लाइन) यूनिट I की अनुसूचित मिलान की दिनांक को पूरा न कर पाने की दशा में जिसके लिये फर्म को दोषी नही कहा जा सके या किसी अन्य फोर्स मेज्योर घटनाओं की वजह से, परिषद फर्म को शुल्क सूची का स्थिर मूल्य भाग का भुगतान करेगी जो कि यूनिट I की

अनुसूचित मिलान को बाहरी अन्तर सम्पर्क सुविधाओं को पूर्ण करने की दिनांक यदि यूनिट I मिलान के तैयार हैं से होगा

(थ) उत्तर प्रदेश सरकार राज्य विद्युत परिषद के दायित्वों से सम्बन्धित गारन्टी फर्म को दे चुकी है। राज्य सरकार भारत सरकार को भी अनुशंसा करेगी कि कानूनी दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सरकार के दायित्वों के सम्बन्ध में गारन्टी फर्म को दे दे।

(द) परिषद प्रत्येक माह ऊर्जा खरीद के भुगतान लेटर आफ क्रेडिट/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ऊर्जा बीजकों के पेश करने के 30 दिन के अन्दर करेगी तथा इस प्रयोजन हेतु निलम्ब लेख एक अनुसूचित बैंक में रखेगी तथा प्रत्येक उपयुक्त समय एक माह के बिल के समतुल्य पूँजी उसमें रखेगी।

(ध) परिषद एवं फर्म को अनुबन्ध की समाप्ति हेतु राजनैतिक/विद्युत स्टेशन फोर्स मेज्योर की घटना दूसरी पार्टी की चूक की घटना की दशा की चाहत (आप्शन) दी गयी थी।

(न) पी.पी.ए. यूनिट I की वाणिज्यिक प्रारम्भ जो कि आपसी सहमति के समय तक बढ़ाया जा सकता है की दिनांक से 30 दिनों तक प्रभावी रहेगा।

3स.2 ऊर्जा क्रय करार में कमियाँ

सम्प्रेक्षा द्वारा निजीकरण प्रक्रिया की परीक्षण जाँच से अधोलिखित बिन्दु प्रकाश में आए

(i) स्पर्धी बोली के बिना निजीकरण

सरकार द्वारा 1994 में ऊर्जा–उत्पादन में निजी क्षेत्र की सहभागिता हेतु नीति निर्धारित की गयी थी जिसके तहत निजी क्षेत्र की सहभागिता ऊर्जा उत्पादन में न्यूनतम मूल्य सूची के आधार पर प्रतिस्पर्धी बोलियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार द्वारा आमन्त्रित करना था ताकि ख्याति प्राप्त औद्योगिक घरानों को आकर्षित किया जा सके। सरकार के प्रमुख सचिव (ऊर्जा) की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी द्वारा पाँच प्रस्तावों (फर्मों) के आधार पर जो कि फरवरी 93 के खुले विज्ञापन आमन्त्रण के परिणामस्वरूप अप्रैल 93 में प्राप्त हुये थे, जिसमें उक्त फर्मों ने अपनी मात्र इच्छा एवं तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धन क्षमताओं को दर्शाया था, कनाडा की फर्म का चयन किया गया (मई 1993)। विद्युत खरीद का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई

बिना प्रतिस्पर्धी बोली के परियोजना के निजीकरण ने परिषद को न्यूनतम दरों (टैरिफ) जैसा कि शासन की ऊर्जा नीति 1994 में निहित था, से वंचित रखा।

प्रतिस्पर्धी बोलियाँ नहीं आमन्त्रित की गयी थीं। इस प्रकार, परिषद ने न केवल स्पर्धी बोलियों द्वारा निर्धारित किये जाने वाली न्यूनतम दर–सूची का लाभ गंवाया, वरन् परिवर्ती दरों पर ऊर्जा–क्रय के भुगतान का दायित्व भी वहन किया जिसका उतार चढ़ाव उनके नियंत्रण से परे था।

(ii) अत्यधिक परिचालन एवं अनुरक्षण (ओ एण्ड एम)

पी.पी.ए. में पूँजीगत लागत पर 2.5 प्रतिशत की दर से (प्रथम प्रशुल्क वर्ष के पश्चात् थोक मूल्य–सूची के सन्दर्भ में परिवर्तनीय) ओ एण्ड एम व्यय प्रावधानित था जिसे प्रशुल्क दरों के निर्धारण हेतु वास्तविक व्यय से असम्बद्व कर के विचार किया जाना था। इसकी परिणति, दिसम्बर 1996 में जे.पी.एल. द्वारा प्रायोजित 3810.14 करोड़ रुपये की पूँजीगत लागत पर 2.5 प्रतिशत ओ एण्ड एम व्यय 95.25 करोड़ रुपये के विचार–विमर्श में होना थी। दूसरी तरफ, परिषद के आनपारा ताप विद्युत गृह 'बी' चरण के मामलें में, जिसमें 500 मेगावाट प्रत्येक की दो इकाईयाँ निहित थीं, जो कि मार्च व सितम्बर 1994 में चालू की गई थीं। वास्तविक ओ एण्ड एम व्यय (स्टाफ के वेतन व भत्तों सहित) वर्ष 1995–96 में मात्र 19.16 करोड़ रुपये राशि था। यह 4534.02 करोड़ रुपये की पूँजीगत लागत पर 0.42 प्रतिशत ओ एण्ड एम व्यय के प्रावधान से परिषद द्वारा 79.25 करोड़ रुपये (3810.14 करोड़ रुपये का 2.08 प्रतिशत) प्रतिवर्ष के वास्तविक परिचालन एवं अनुंरक्षण (ओ एण्ड एम) अनपारा तापीय विद्युत गृह स्टेज 'ब' व्यय की तुलना में अधिक था।

> ***दर (टैरिफ) निर्धारण के लिये पूँजीगत लागत पर 2.5 प्रतिशत की दर से परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय के प्रावधान से रुपये 79.25 करोड़ प्रतिवर्ष के अतिरिक्त भुगतान की सम्भावना।***

(iii) निलम्बलेख लेखे में परिषदीय निधि का परिबन्धन

पी.पी.ए. के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार गारण्टी के माध्यम से परिषद द्वारा ऊर्जा बिलों का भुगतान साख–पत्रों से किया जाना था। तथापि, पी.पी.ए. के अनुसार परिषद से यह अपेक्षित था कि एक अनुसूचित बैंक में एक पृथक निलम्बलेख लेखा स्थापित किया जाय तथा उसमें सभी तत्संगत अवधियों के एक माह के देयकों के समकक्ष निधि का अनुरक्षण किया जाये। इस प्रकार, सरकार/सी.ई.ए. की किसी मार्ग–दर्शिका टिप्पणी के अभाव में व आवश्यकता के बिना ऐसे एक लेखे के अनुरक्षण से 92.04 करोड़ रुपये तक (एक माह के देयकों की उपसादन धनराशि) की परिषदीय

> ***निलम्बलेख लेखे के संचालन से 89.24 करोड़ को सीमा तक परिषद की निधि का परिबन्धन तथा उससे उपजी 16.06 करोड़ प्रतिवर्ष की ब्याज हानि।***

निधि का परिबन्धन हुआ जिसके फलस्वरूप 16.06 करोड़ रुपये (18 प्रतिशत की दर से) प्रतिवर्ष की ब्याज–हानि हुई।

(iv) कार्यवाहक पूँजी पर अत्यधिक ब्याज का प्रावधान

(अ) पी.पी.ए. की शर्तों के अनुसार, प्रशुल्क देयक के औसत मासिक धनराशि के द्विगुणित के समतुल्य प्राप्य, कार्यवाहक पूँजी का अंश बनेगें। जिसका ब्याज दरों (टैरिफ) को निर्धारित करने के लिये विचारणीय होगा। यह अत्यधिक था, क्योंकि परिषद पर प्रत्येक माह के अन्त में 35 दिनों के पश्चात ऊर्जा–देयकों के भुगतान पर अर्थदण्ड भुगतान का दायित्व बनता था। 35 दिनों की अवधि की तुलना में, मासिक ऊर्जा देयक की द्विगुणित धनराशि पर ब्याज का प्रावधान ऊर्जा की कीमत पर 13.37 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के अतिरिक्त मूल्य में परिणति की सम्भावना है।

> ***कार्यवाहक पूँजी पर अत्यधिक ब्याज की वजह से ऊर्जा की अतिरिक्त कीमत रुपये 17.61 करोड़ प्रतिवर्ष की सम्भावना।***

(ब) भारत सरकार की मार्च 1992 की मार्ग–दर्शक टिप्पणी के अनुसार केवल एक माह का कोयले का स्कन्ध ही प्रशुल्क निर्धारण के लिये कार्यवाहक पूँजी पर ब्याज के आगणन हेतु विचारार्थ वांछित था तथापि, पी.पी.ए. उक्त प्रयोजनार्थ प्राथमिक ईंधन के 60 दिन के स्कन्ध हेतु प्रावधानित करता है। इसके फलस्वरूप परिषद द्वारा 4.24 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त ऊर्जा मूल्य देय होगा।

(v) ऊर्जा की अत्यधिक परिवर्ती लागत का प्रावधान

परिषद द्वारा देयक ऊर्जा की परिवर्ती लागत, साथ–साथ उत्पादित ऊर्जा के प्रति के.डब्ल्यू.एच. पर 3.5 मि.ली. की दर से तेल–उपयोग की लागत को सम्मिलित करेगी। तथापि, परिषद के अनपारा ताप विद्युत–गृह (जिसमें 210 मेगावाट प्रत्येक की 3 ईकाईयाँ तथा 500 मेगावाट की 2 ईकाईयाँ सम्मिलित हैं) में तेल का वास्तविक उपभोग, 2.60 मि.ली. (1991–92) से 0.68 मि.ली. (1995–96) के मध्य, उत्पादित ऊर्जा के प्रति के.डब्ल्यू.एच. हेतु वर्ष 1991–1992 से 1995–1996 के दौरान प्रति के.डब्ल्यू.एच. 1.9 मि.ली. के औसत उपभोग के साथ रहा था। इस प्रकार, पी.पी.ए. में प्रावधानित ईंधन तेल के उपभोग का उच्च आदर्श, परिषद द्वारा देय अत्यधिक परिवर्ती लागत 5.67 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष

> ***ईंधन, तेल की खपत के पी.पी.ए. में प्रदत्त उच्च मापदण्ड के प्रावधान की वजह से अतिरिक्त ऊर्जा खर्चों 5.67 करोड़ प्रतिवर्ष जो परिषद द्वारा देय होंगे का परिणामित होना।***

तक के रूप में परिणामित होगा। पुनः, पी.पी.ए. में परिवर्ती लागत के निर्धारण हेतु विचारणीय प्राथमिक व द्वितीयक ईंधन की अनुमानित औसत इकाई लागत, ईंधन के सड़क मार्ग द्वारा परिवहन, परिवहन–हानि, रेलवे दावों, कोयले पर भुगतान की गई वास्तविक श्रेणी के प्रयुक्त कोयले पर लागू दरों की अपेक्षा उच्च दरें, भरणतट प्रभार/विलम्ब शुल्क तथा कोयले के साथ 200 एम. एम. से बड़े आकार के पत्थरों की आपूर्ति से हानि के कारण अतिरिक्त लागत के अपवर्जन कराने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इन क्षेत्रों के प्रबंधन की क्षमता पर निर्भर करते हुए, परिषद को, हानियों को निर्धारित प्रतिशत तक सीमित करने हेतु प्रावधान के अभाव में, अतिरिक्त भार वहन करना होगा।

(vi) साम्य के प्रत्यावर्तन पर अत्यधिक भार

16 प्रतिशत (इक्यूटी) पर पश्च कर (पोस्ट टैक्स) प्रशुल्क निर्धारण के प्रावधान से कुल भार (आयकर को मिलाकर) 29.63 प्रतिशत जो कि प्रचलित 18 प्रतिशत कर्जों पर ब्याज दर से अत्यधिक था, के घटित होने की सम्भावना।

प्रशुल्क निर्धारण में, पी.पी.ए. द्वारा साम्य पर 16 प्रतिशत प्रत्यावर्तन का पश्च–कर (पोस्ट टैक्स) इस प्रकार के प्रत्यावर्तन पर जे.पी.एल. द्वारा देय आयकर की धनराशि के साथ निर्गत किया गया। इससे 46 प्रतिशत आयकर की दर पर आधारित साम्य का 29.63 प्रतिशत कुल भार आगणित हुआ (जैसा जे.पी.एल. द्वारा अनुमोदित था)। यह परियोजना के वित्तीय पोषण हेतु परिषद द्वारा प्राप्त ऋण पर 18 प्रतिशत ब्याज की प्रचलित दर से भी अधिक था। पुनः, यह पी.पी.ए.में प्रदर्शित नहीं है कि साम्य पूँजी को इस उद्देश्य के लिये वर्ष के प्रारम्भ से माना जायेगा अथवा इस प्रकार की पूँजी पर वर्ष के दौरान औसत को माना जायेगा।

(vii) ऊर्जा के सहायक उपभोग की सीमा का प्रावधान न होना:

पी.पी.ए. ने जे.पी.एल. को विद्युतगृह के संचालन में विद्युत ऊर्जा की आन्तरिक आवश्यकता–पूर्ति हेतु सहायक उपभोग की अनुमति उत्पादित ऊर्जा से प्रदान किया। तथापि, ऊर्जा उपभोग के इस मात्रा (क्वान्टम्) की कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई, जबकि भारत सरकार की मार्च 1992 की मार्ग–दर्शक टिप्पणी में यह प्रावधान था कि उत्पादित ऊर्जा से 7.5 से 9.5 प्रतिशत सीमा तक (ऊर्जा) को वाष्प अथवा विद्युत–चालित पम्पों के अनुसार सहायक उपभोग में लाया जायेगा।

(viii) तृतीय पक्ष को ऊर्जा बिक्री हेतु चक्रि–शुल्क (व्हीलिंग चार्जेस) का प्रावधान न होना

पी.पी.ए. के प्रावधानों में जे.पी.एल. द्वारा तृतीय पक्ष को ऊर्जा बिक्री की अनुमति थी। तथापि, पी.पी.ए. में परिषद को चक्रि शुल्क भुगतान का कोई प्रावधान नहीं किया गया जबकि सरकार की 1994 की ऊर्जा नीति के अनुसार यदि जे.पी.एल. इस प्रकार की बिक्री हेतु ऊर्जा का चक्रयान (व्हीलिंग

आफ पावर) परिषद के पारेषण तन्त्र द्वारा करती है। ऊर्जा नीति में 132 के0 वी0 तथा 220 के0 वी0 लाइनों द्वारा पारेषण पर क्रमशः 12.5 प्रतिशत व 10 प्रतिशत की दरों से चक्रि शुल्क (देयता) का प्रावधान था। चक्रि–शुल्क (व्हीलिगं चार्जेस) सम्बन्धी उपबन्ध की अनुपस्थिति में परिषद को क्षति होना अपरिहार्य था क्योंकि परिषद नियमानुसार कोई भी रकम तीसरी पार्टी को बिक्री की दशा में लाइसेन्सी से दावा नहीं कर सकती है।

(ix) परियोजना के नहीं लागू होने से ऊर्जा की उपलब्धता में विलम्बः

एम.ओ.यू. पर नवम्बर, 1993 में हस्ताक्षर होने के दो वर्ष पश्चात् दिसम्बर, 1995 में पी.पी.ए. का निष्पादन किया गया। पी.पी.ए. में वित्तीय समापन की तिथि से (अर्थात् वित्तीय व्यवस्थाओं से सम्बन्धित करार के परिपालन से) क्रमशः 48 महीने एवं 54 महीने के अन्त तक इकाई–I तथा II का वाणिज्यिक चालूकरण निहित था। दिसम्बर, 1996 की संशोधित परियोजना प्रतिवेदन में इकाई–I तथा II का वाणिज्यिक चालूकरण क्रमशः मई 2001 व नवम्बर 2001 तक प्रस्तावित था (मई, 1997)। तथापि परियोजना का तकनीकी एवं आर्थिक मंजूरी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.सी.ए.) द्वारा (अगस्त 1997) तक नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप न केवल ऊर्जा की उपलब्धता में विलम्ब हुआ वरन् ऊर्जा उत्पादन की लागत में वृद्धि भी हुई।

उपसंहार

सरकार ने बढ़ी हुई ऊर्जा माँग से निपटने के लिये मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैन्डिंग पैसिफिक इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेन्ट निगम वैनुकअर (कनाडा) के साथ तापीय शक्ति विद्युतगृह 800 मेगावाट (2 यूनिट 400 मेगावाट प्रत्येक) की स्थापना हेतु बगैर प्रतिस्पर्धी बोलियों के आमन्त्रण के जो कि परिषद की अपनी ही विद्युत नीति जो कि आगे चलकर निर्धारित की गयी के विरुद्ध था, नवम्बर 1993 में हस्ताक्षरित किया। विद्युत परियोजना जवाहरपुर पावर इन्डिया लिमिटेड (जे. पी. एल.), नई दिल्ली जो कि उपरोक्त कनाडियन कम्पनी की सहायक कम्पनी है के द्वारा निष्पादित होना है तथा एक विद्युत खरीद का करार (पी.पी.ए.) इसी सहायक कम्पनी के साथ परिषद द्वारा दिसम्बर 1995 में किया गया था।

परियोजना की दो यूनिटें मई व नवम्बर 2001 में प्रारम्भ होनी है। पी.पी.ए. सब मिलाकर परिषद के हित में नहीं है क्योंकि इसके प्रावधानों में निहित निम्न कमियों की वजह से परिषद द्वारा जे.पी.एल. को अतिरिक्त भुगतान की आवश्यकता पड़ेगी।

- विद्युत खरीद प्रशुल्क सूची के दो भागों (स्थिर एवं परिवर्तनीय दरों) पर आधारित है न कि सरकार की 1994 की ऊर्जा नीति में प्रदत्त न्यूनतम प्रशुल्क सूची (टैरिफ) के आधार पर।

- अत्यधिक संचालन एवं रख–रखाव खर्च
- परिषद की निधि का अनावश्यक निलम्बलेख लेखों बगैर किसी ब्याज के लाभ के परिबन्धन
- कार्यशील पूँजी पर अत्यधिक ब्याज
- अत्यधिक परिवर्तनीय विद्युत शुल्क और साम्य पर वापसी का बोझ
- सहायक विद्युत खपत की सीमा तथा तीसरी पार्टी को विद्युत की बिक्री पर चक्रि शुल्क (व्हीलिगं चार्जेस) सम्बन्धी प्रावधान का न होना।

चूँकि परियोजना अब भी निष्पादित नहीं हुई है परिषद ऊपर लिखित प्रावधानों पर पुनरावलोकन तथा पुनर्विचार विद्युत खरीद की कीमत को कम करने के प्रयोजन से कर सकता है। लागत एवं समय सीमा की वृद्वि की वजह से ही विद्युत क्रय लागत को कम करने के उद्देश्य से आवश्यक कार्यवाही समय से परियोजना को पूर्ण कराना सुनिश्चित करते हुये भी की जा सकती है।

उपरोक्त मामला परिषद एवं शासन को जून 1997 में सूचित किया गया था परन्तु अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (सितम्बर 1997)।

अध्याय III

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

अनुच्छेद 3द

वितरण क्षेत्र वाराणसी की कार्यविधि

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
1.1	प्रस्तावना	200
1.2	संगठनात्मक ढाँचा	200
1.3	लेखा परीक्षण का क्षेत्र	201
1.4	कार्य चालन परिणाम	201
1.5	अनियमित खपत नमूना (पैटर्न)	202
2	प्रणाली की खामियाँ	202
2.1	अत्यधिक वितरण हानियाँ	203
2.2	अपर्याप्त प्रणाली क्षतिपूर्ति	204
2.3	व्यापारिक हानियाँ	206
2.3.1	ऊर्जा क्षरण के हानि देयक जारी न करना	206
2.3.2	देयकों का जारी न करना	207
2.3.3	गलत मीटर वाचन के परिणामतः विलम्बित राजस्व निर्धारण	207
2.3.4	बिना मीटर की आपूर्ति के प्रकरणों में कम निर्धारण	208
2.3.5	अनियमित वापसी	209
2.3.6	अधिकतम माँग के अनियमित कटौती	211
2.3.7	माँग चार्ज की गलत संगणना	211
2.3.8	त्रुटिपूर्ण मापकों के कारण राजस्व हानि	212
2.3.9	कम शक्ति गुणक सरचार्ज को भारित न करना	214
2.3.10	भार में अनियमित कमी	214
2.3.11	ऊर्जा खपत में सादृश्य न होना	216
2.3.12	मीटर वाचन में अद्यतन माँग का गलत अंकन	216
2.3.13	गलत शुल्क सूची का प्रयोग	217

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
2.3.14	मीटर के त्रुटिपूर्ण व्यवहार के कारण ऊर्जा हानि	217
3.	अवशेषों में वृद्धि	218
3.1	वसूली पत्रों का कम मात्रा में जारी करना	219
3.2	बकायों का संचयन	219
3.3	चेक द्वारा भुगतान की सुविधा वापस न लेने क कारण अवशेषों की बढ़ोत्तरी	221
4.	अग्रिम रोकड़ तथा परिषद् को सम्पत्तियों पर अपर्याप्त नियन्त्रण	221
4.1	असमायोजित अग्रिम भुगतान	222
4.2	राजस्व का गबन	222
4.3	परिषद् की सम्पत्तियों की चोरी	223
4.4	भण्डार का अपयोजन	223
4.5	निष्प्रयोज्य लाइनों से लाइन सामग्री की चोरी	224
4.6	निधि की अवरुद्धता	224
5.	वितरण ट्रांसफारमरों का अत्यधिक खराब होना	225
5.1	वितरण ट्रांसफारमरों के न लौटाने से हानि	225
6.	उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ	226
	उपसंहार	228

अनुच्छेद 3द

वितरण क्षेत्र वाराणसी की कार्यविधि

मुख्य अंश

वितरण क्षेत्र वाराणसी; नियोजन, अनुश्रवण, विद्युत वितरण एवं आलेखन पर प्रभावी नियन्त्रण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा सत्यापित तेरह क्षेत्रों में एक वितरण क्षेत्र है जिसका प्रधान मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता होता है।

(प्रस्तर 3द 1.1)

क्षेत्र को मार्च 1997 तक के पाँच वर्षों में राजस्व हानि 469 करोड़ रुपये तक पहुंची जिसके मुख्य कारण अत्यधिक वितरण हानि, विद्युत ऊर्जा का निर्धारण न करना कम निर्धारण करना तथा वितरण ट्रान्सफार्मरों का अत्यधिक खराब हो जाना था।

(प्रस्तर 3द 1.4)

केन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 11.5 प्रतिशत हानि के विरुद्ध वास्तविक हानि 19.9 और 23.1 प्रतिशत रही। 1996–97 तक के पाँच वर्षों की अवधि में मानक से अधिक ऊर्जा हानि 1411.759 एम.यू. आंकलित की गयी जिसका मूल्य 118.19 करोड़ रुपये हुआ।

(प्रस्तर 3द 2.1)

कैपेसिटर बैंकों के वांछित संख्या में प्रस्थापित न करने के परिणामस्वरूप 24.990 एम.यू. के प्रणाली हानि के बचत की हानि हुई। जिसका मूल्य 3.57 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष था।

(प्रस्तर 3द 2.2)

बिना मीटर के आपूर्ति/दोषपूर्ण मीटर आदि के कारण, ऊर्जा आपूर्ति के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप 13.08 करोड़ रुपये कम राजस्व का निर्धारण हुआ।

(प्रस्तर 3द 2.3)

वर्ष 1992–93 में 225.48 करोड़ रुपये राजस्व का बकाया बढ़कर वर्ष 1996–97 में 583.36 करोड़ रुपये हो गया। क्षेत्रीय प्रबन्धन वसूली की प्रक्रिया का उत्साह से अनुश्रवण, नियोजन एवं

प्रशासन करने में असफल रहा और 91.08 करोड़ रुपये के बकाया को भू–राजस्व बकाया के रूप में वसूलने के लिए वसूली प्रमाण पत्र तक जारी नहीं किया।

(प्रस्तर 3द एवं 3.1)

निष्प्रयोज्य लाइनों के अविलम्ब उखाड़ने की कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप 0.40 करोड़ रुपये की लाइन सामग्री की चोरी हुई।

(प्रस्तर 3द 4.5)

वितरण प्रवर्तकों की क्षतिग्रस्तता बोर्ड द्वारा निर्धारित एक वर्ष में 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मानक से बहुत अधिक रही जिसका आंकलित मूल्य वर्ष 1992–93 से 1996–97 की अवधि में 82.60 करोड़ रुपये है।

(प्रस्तर 3द 5)

1.1 प्रस्तावना

वाराणसी वितरण क्षेत्र, ऊर्जा वितरण कार्य के उत्तरदायित्व से सन्निहित, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के 13 वितरण क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है।

वितरण क्षेत्रों की कार्यविधि में मितव्ययिता एवं दक्षता लाने के लिए पुनरीक्षित संरचना योजना (1987) के अन्तर्गत, सम्बंधित मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, ऊर्जा एवं परिषद् की परिसम्पत्तियों के क्षरण, राजस्व अवशेषों की वसूली, वितरण हानियों, संयन्त्र एवं उपकरणों की देखभाल एवं रख–रखाव, सेवा सूचकों में सुधार एवं प्रणाली–उन्नयन की योजनाओं के बनाने तथा क्रियान्वयन के निर्देशन, नियोजन, प्रबोधन तथा नियन्त्रण के उत्तरदायित्व सन्निहित हैं।

1.2 संगठनात्मक ढाँचा

वाराणसी क्षेत्र, पाँच वितरण मण्डलों तथा एक कार्यमण्डल में, प्रत्येक एक अधीक्षण अभियन्ता के अधीन, विभक्त है। ये मण्डल पुनः उन्नीस विद्युत नगरीय या वितरण खण्डों (वि.न.वि.ख./वि.वि.ख.), दो विद्युत निर्माण खण्डों, पाँच विद्युत परीक्षण खण्डों, एक विद्युत माध्यमिक कार्य खण्ड (वि.मा.का.ख.) तथा एक विद्युत कार्यशाला खण्ड (वि.का.ख.) सहित 28 खण्डों में विभक्त हैं। वित्त एवं लेखा तथा आन्तरिक सम्प्रेक्षा का कार्य, दोनों वाराणसी में ही नियुक्त, क्रमशः एक उप लेखाधिकारी तथा उप निदेशक के अधीन है।

1.3 लेखा परीक्षण का क्षेत्र

क्षेत्र के 29 खण्डों में से 19 खण्डों के पाँच वर्षों (1992–97) के अभिलेखों की नमूना जाँच अगस्त 1996 से फरवरी 1997 तक की गई। वर्ष 1996–97 में इन 19 खण्डों का पूँजीगत एवं अनुरक्षण पर परिव्यय तथा राजस्व का निर्धारण सम्पूर्ण क्षेत्र के पूँजीगत परिव्यय एवं अनुरक्षण पर परिव्यय तथा राजस्व के निर्धारण का क्रमशः 64.3 और 76.9 प्रतिशत था। नमूना जाँच के परिणाम आगे के प्रस्तरों में दिये गये हैं।

1.4 कार्यचालन परिणाम

मार्च 1997 तक के पाँच वर्षों के कार्यचालन परिणाम निम्नवत हैं:–

विवरण		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
		(यूनिट मिलियन में)				(सामयिक)
(i)	ऊर्जा प्राप्त	2467.693	2403.942	2475.847	3419.771	3559.263
(ii)	ऊर्जा बिक्री	1898.213	1925.007	1955.548	2728.197	2761.239
(iii)	विकृति ऊर्जा की कुल लागत* (रुपये लाख में)	29752.55	32218.86	33912.54	47807.49	52865.95
(iv)	ऊर्जा की लागत प्रति के.डब्लू.एच.(रुपयों में)	1.57	1.67	1.73	1.75	1.91
(v)	राजस्व का निर्धारण (रुपये लाख में)	21064.56	23864.60	28229.18	39489.38	37008.01
(vi)	राजस्व प्रति के.डब्लू.एच. (रुपयों में)	1.11	1.24	1.44	1.45	1.34
(vii)	आधिक्य (+)/घाटा (–) (रुपये लाख में)	(-) 8687.00	(-)8354.26	(-) 5682.36	(-) 8318.11	(-) 15857.94
(viii)	प्रति के.डब्लू.एच. आधिक्य (+)/घाटा (–) (रुपये में)	(-) 0.46	(-) 0.43	(-) 0.29	(-) 0.30	(-) 0.57

उपरोक्त से दृष्टव्य है कि क्षेत्र, उपभोक्ताओं से ऊर्जा की लागत तक नहीं वसूल सका तथा इन पाँच वर्षों में घाटा 5683.36 लाख रुपये से 15897.94 लाख रुपये का था। वर्ष 1994–95 में घाटे में कमी का मुख्य कारण जुलाई 1994 में दर सूची से बढ़ोत्तरी में था।

लेखा परीक्षा में विश्लेषित घाटे के मुख्य कारण थे:

* ऊर्जा का उत्पादन क्रय, पारेषण तथा वितरण लागत सन्निहित है।

(i) अधिक वितरण हानियाँ (1818.94 लाख रुपये) के परिणामतः विक्रय के लिए ऊर्जा का कम उपलब्ध होना।

(प्रस्तर 3द 2.1)

(ii) भारी व्यापारिक हानियाँ (1307.87 लाख रुपये)

(प्रस्तर 3द 2.3)

(iii) सब–स्टेशन कार्यों पर अनुत्पादक पूँजीगत परिव्यय, सम्पत्तियों एवं लाइन के सामानों की चोरी आदि (166.07 लाख रुपये) और

(प्रस्तर 3द 4.4, 4.6 तथा 4.7)

(v) वितरण प्रवर्तकों का आधिक्य में क्षतिग्रस्त (8259.73 लाख रुपये) होने के परिणामतः वितरण लागत का अधिक होना।

(प्रस्तर 3द 5.1)

3द 1.5 अनियमित खपत नमूना (पैटर्न)

परिषद् द्वारा लघु, मध्यम तथा भारी उद्योगों के उपभोक्ताओं के ऊर्जा खपत के लिए निर्धारित फैक्टर क्रमशः 0.4, 0.5 एवं 0.75 थे। इस आधार पर इन उपभोक्ताओं की प्रति के.डब्ल्यू./दिन खपत, लघु भार के लिए 9.6 यूनिट, मध्यम भार के लिए 12 यूनिट एवं भारी शक्ति भारों के लिए 18 यूनिट आंकलित होती है। लेखा विश्लेषण में यह परिलक्षित हुआ कि 1996–97 तक के पाँच वर्षों में इसके विरुद्ध प्रति के. डब्ल्यू./दिन खपत गैर सरकारी श्रेणी के उपभोक्ताओं के सन्दर्भ में सरकारी उपभोक्ताओं की तुलना में कम थी। जबकि गैर–सरकारी उपभोक्ताओं की खपत 1.9 (लघु शक्ति) एवं 7.2 (भारी शक्ति) के बीच थी। सरकारी उपभोक्ताओं की खपत नमूना काफी अच्छी क्रमशः 4.4 और 19.8 के मध्य थी।

जबकि क्षेत्र द्वारा इस प्रकार के अनियमित खपत नमूने के कारणों का विश्लेषण करने का कोई प्रयास नहीं किया, लेखा परीक्षण द्वारा विश्लेषण में पाया गया कि यह मुख्यतयः व्यापारिक हानियों के कारण था, जैसा कि प्रस्तर 3द 2.3 में विवेचित है।

3द 2. प्रणाली की खामियाँ

क्षेत्र का उप-पारेषण एवं वितरण तन्त्र जिसमें 33 के.वी. क्षमता के 221 उप-केन्द्र जिनकी रूपान्तरण क्षमता 1395 मेगावोल्ट एम्पियर (एम.वी.ए.) तथा 33 के.वी. 2649 कि.मी. थी, से 5.69 लाख

प्रणाली सुधार के लिए योजना 22.87 करोड़ रुपये व्यय करने के पश्चात् स्थगित करने के परिणामतः लाइन हानियाँ बढ़ गई।

उपभोक्ताओं (भार 1348 एम.वी.ए.) को 40431 वितरण ट्रान्सफार्मरों (क्षमता 1900 एम.वी.ए.) से ऊर्जा प्रदत्त की गई। विद्युत ऊर्जा परिषद् के पारेषण क्षेत्र के तीन 220 के.वी.ए. तथा सैंतीस 132 के.वी. उप-केन्द्रों जिसकी रूपान्तरण क्षमता 1425 एम.वी.ए. थी, से प्राप्त की गई। यद्यपि उच्चतम माँग (1425 एम.वी.ए.) तथा संयोजित भार (1146 एम.वी.ए.) की पूर्ति के लिए ट्रान्सफार्मरों की क्षमता पर्याप्त थी लेकिन ग्राम्य विद्युतीकरण कारपोरेशन (आर.ई.सी.) द्वारा सुनिश्चित किये गये मानक, 15 से 20 कि.मी. के विरुद्ध 33 के.वी. लाइनों की औसत लम्बाई 21 कि.मी.से 78 कि.मी. के मध्य थी जिसके परिगामतः अधिक लाइन हानियाँ हुई। लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि रूपान्तरण की पर्याप्त क्षमता के बावजूद जो़न की वितरण प्रणाली उच्च वितरण–हानियों तथा वितरण ट्रांसफार्मरों की अत्यधिक क्षतिग्रस्तता की घटनाओं से अभिभूत है। लाइन हानियों को कम करने की दृष्टि से मात्र वाराणसी शहर का उप–पारेषण तथा वितरण प्रणाली के अध्ययन का कार्य टाटा कंसल्टिंग इन्जीनियर्स, बाम्बे को (जून 1987) 4 लाख रुपये शुल्क पर दिया गया। इस परामर्शदाता ने अपनी रिपोर्ट (जून 1987) में प्रस्तावित किया कि प्रणाली में सुधार के लिए 5900 लाख रुपये का पूँजीगत परिव्यय अपेक्षित था। योजना आयोग तथा सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अँथारिटी (सी.ई.ए.) ने इस योजना के लिए मात्र 3635 लाख रुपये अनुमोदित किया (जुलाई 1989) जिसमें से 1877 लाख रुपये पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली (पी.एफ.सी.) द्वारा ऋण के रूप में देना था तथा शेष राशि परिषद् को अपने श्रोतों से उपलब्ध कराना था। परिषद् ने अप्रैल 1990 से अक्टूबर 1996 के मध्य 1817 लाख रुपये पी.एफ.सी. से ऋण के रूप में प्राप्त किया।

उक्त योजना के विरुद्ध मार्च 1995 तक 2287 लाख रुपये का व्यय किया गया और उसके पश्चात् धन के अभाव में योजना को स्थगित कर दिया गया।

इस योजना में इसके कार्यान्वयन के पश्चात लाइन हानियों का 36.4 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक कमी का प्रावधान किया गया था लेकिन 2287 लाख रुपये के भारी व्यय करने के पश्चात् भी 1995–96 में हुई 33.60 प्रतिशत की लाइन हानि वर्ष 1996–97 में 36 प्रतिशत तक बढ़ गई। इस प्रकार, मार्च 1995 तक हुये 2287 लाख रुपये व्यय से प्रणाली में कोई भी सुधार नहीं हुआ।

2.1 अत्यधिक वितरण हानियाँ

वितरण हानियाँ बिक्री हेतु उपलब्ध ऊर्जा और वास्तविक ऊर्जा की बिक्री का अन्तर दर्शाता है। यह अन्तर तन्त्र में तकनीकी हानियों तथा चोरी, अनाधिकृत ऊर्जा का प्रयोग एवं खराब मीटरिंग उपकरण के कारण व्यापारिक हानियों के रूप में सन्निहित हैं।

वितरण हानियाँ मानक के अन्दर न रख पाने के परिणामस्वरूप मार्च 1997 तक के पाँच वर्षों में 188.19 करोड़ रुपये मूल्य की 1411.75 एम.यू. ऊर्जा की हानि हुई।

जुलाई 1991 में केन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण ने संस्तुति की कि उप–पारेषण एवं वितरण हानियाँ 11.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मार्च 1997 के अन्त तक के पाँच वर्षों में इस मानक के विरुद्ध क्षेत्र की वितरण हानियाँ 19.9 से 23.1 प्रतिशत के बीच पायी गयी। परिषद् की इस अवधि में सम्पूर्ण वितरण हानियाँ केवल 14.8 से 19.4 प्रतिशत के बीच पायी गई।

अत्यधिक हानियों के क्षेत्रों की पहचान की दृष्टि से ऊर्जा पर तकनीकी समिति ने फीडर वार ऊर्जा लेखा से तुलना हेतु फीडर वार ऊर्जा–बजट बनाने की संस्तुति की थी (1977)। तथापि, प्रबन्धन ने सुधारात्मक कार्यों हेतु, अधिक हानि के क्षेत्रों को सुनिश्चित करने के लिए फीडर वार ऊर्जा बजट तथा लेखा नही बनाया।

मानक को अधिक ऊर्जा हानि का परिमाण मार्च 97 तक के पाँच वर्षों में 1411.759 एम.यू. आंकलित किया गया जिसका मूल्य 18818.94 लाख रुपये था।

3द 2.2 अपर्याप्त प्रणाली क्षतिपूर्ति

भार छोर पर कैपेसिटर्स बैंकों की संस्थापना, त्रुटि गुणक की प्रतिपूर्ति करके तन्त्रहानियों को कम करने वाले साधनों में एक मुख्य एवं सर्वमान्य साधन है। प्रणाली में भार वाहक क्षमता में वृद्वि करना तथा वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार इसके अतिरिक्त लाभ हैं। परिषद् ने मई 1991 में क्षेत्र की सभी इकाइयों को, नये कैपेसिटर बैंकों को संस्थापित करने खराब कैपेसिटरों की मरम्मत करने का निर्देश दिया क्येांकि इससे प्रणाली के शक्ति गुणक में (0.7 से 0.9 तक) सुधार ट्रांसफार्मरों की भार वाहन क्षमता में 28 प्रतिशत तक बढोत्तरी लाइन हानियों में 40 प्रतिशत तक कमी तथा

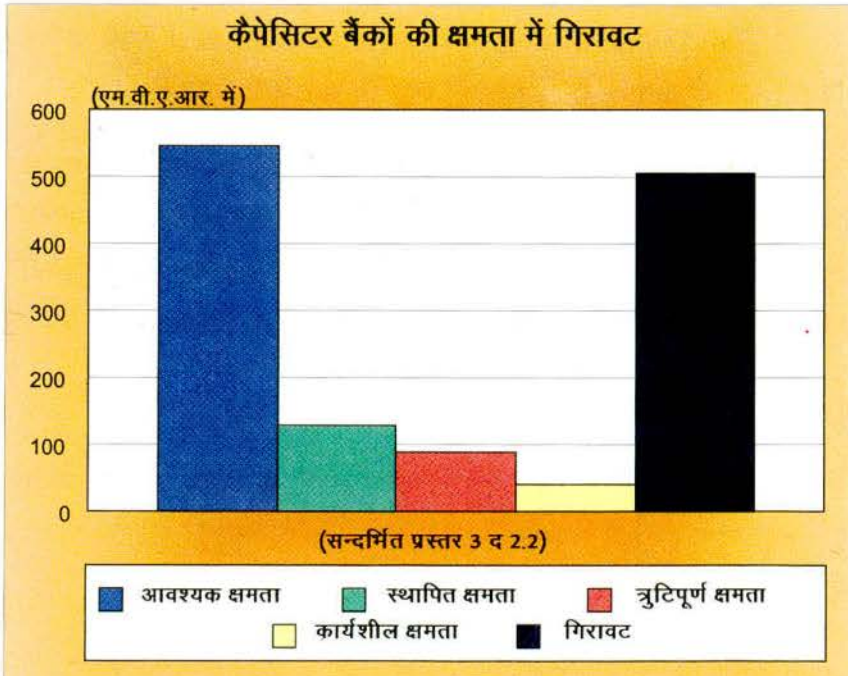

वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार के कारण आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ती है।

पाँच मण्डलों की सम्प्रेक्षा जाँच में यह पाया गया (फरवरी 1997) कि मार्च 1996 के अन्त तक कैपेसिटर्स बैंकों की क्षमता में 505.628 एम.वी.ए.आर. की निम्न विवरणानुसार कमी थी:

	मण्डल का नाम	उपकेन्द्रों की संख्या (5 एम.वी.ए. एवं उसके ऊपर)	रूपान्तरण क्षमता (एम.वी.ए. में)	कैपेसिटर बैंक (एम. वी. ए. आर. में)				
				वांच्छित क्षमता	स्थापित क्षमता	खराब कैपेसिटर बैंक की क्षमता	कार्य क्षमता	क्षमता में कमी
(i)	वि.वि. मण्डल, वाराणसी	39	334.500	160.560	35.556	21.196	14.360	146.200
(ii)	न.वि.वि. मण्डल, वाराणसी	22	266.000	127.680	17.958	9.486	8.472	119.208
(iii)	वि.वि. मण्डल, जौनपुर	24	166.000	79.680	29.744	18.744	11.000	68.680
(iv)	वि.वि. मण्डल, गाजीपुर	26	226.000	108.480	12.800	10.700	2.100	106.380
(v)	वि.वि. मण्डल, आजमगढ़	21	144.500	69.360	32.480	28.280	4.200	65.160
	योग	**132**	**1137.000**	**545.760**	**128.538**	**88.406**	**40.132**	**505.628**

कैपेसिटर बैंकों की अपेक्षित क्षमता 545.760 एम.वी.ए.आर. के विरुद्ध संस्थापित क्षमता 128.538 एम.वी.ए.आर. थी, जो कुल क्षमता की मात्र 23.6 प्रतिशत आंकलित होती है। इसमें से 88.406 एम.वी.ए.आर. (संस्थापित क्षमता का 68 प्रतिशत) क्षतिग्रस्त थी और मात्र 40.132 एम.वी.ए.आर. (अपेक्षित क्षमता की मात्र 7 प्रतिशत) कार्यशील दशा में थे। इस प्रकार प्रणाली क्षतिपूर्ति में 505.628 एम.वी.ए.आर. की कमी हुयी जो 357.360 लाख रुपये की 24.990 एम.यू. वार्षिक हानि के समतुल्य थी।

वर्ष 1991–92 में वाराणसी क्षेत्र में 23.10 एम.वी.ए.आर.(2.1 एम.वी.ए.आर. के 11 सेट) क्षमता के कैपेसिटर बैंक (1993–94 में कम होकर 21 एम.वी.ए.आर. हो गया) लगाने का अपर्याप्त कार्यक्रम बनाया गया इसके विरुद्ध 1994–95 में मात्र 8.40 एम.वी.ए.आर. (40 प्रतिशत) संस्थापित किया जा सका। इसी प्रकार, 1992–93 में 16.80 एम.वी.ए.आर. (2.4 एम.वी.ए.आर. के 7 कैपेसिटर्स) के आवंटन के विरुद्ध अगस्त 1997 तक 11 के.वी. केबिल के अभाव में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।

वांछित मात्रा में कैपेसिटर बैंक न स्थापित करने के परिणामस्वरूप 3.57 करोड़ रुपये की 24.990 मि.यू. ऊर्जा प्रणाली में बचत की हानि हुई।

3द 2.3 व्यापारिक हानियाँ

दोषपूर्ण मीटरिंग, ऊर्जा की चोरी अथवा क्षरण आदि के कारण निर्धारणीय ऊर्जा का एक बड़ा भाग बिना हिसाब के रह जाता है, परिणामतः परिषद् को हानि हो जाती है। उच्च यथार्थता वाले मीटरों का संस्थापन, इनकी आवर्तित परीक्षण एवं जाँच तथा सही निर्धारण देयकों का जारी करना तथा सभी प्रकरणों में देयकों का जारी करना, पर्याप्त मात्रा में व्यापारिक हानियों को कम कर सकता है।

क्षेत्र 13.08 करोड़ रुपये तक के व्यापारिक हानियों को कम करने में असफल रहा।

तथापि, क्षेत्र व्यापारिक हानियों को कम करने में सक्षम नहीं था। सम्प्रेक्षा द्वारा जाँच किये गये (अगस्त 1996 से फरवरी 1997 तक) प्रकरणों में ही यह हानि 1307.87 लाख रुपये (मई 1989 से अगस्त 1997 तक) की आती है, जो कि आगे आने वाले प्रस्तरों में विवेचित है:

3द 2.3.1ऊर्जा के क्षरण के लिए देयक जारी न करना

फरवरी 1983 में परिषद् ने, खण्डीय अधिकारियों को अनुदेश जारी किया कि छापे के समय पाये गये ऊर्जा की चोरी के प्रकरणों में पुलिस एफ.आई.आर. लिखवाने के अतिरिक्त चोरी की गई

0.40 करोड़ के ऊर्जा चोरी के प्रकरणों में बिल केवल 0.16 करोड़ रुपये के जारी किये गये।

ऊर्जा का निर्धारण भी किया जाय तथा वसूली के अभाव में इस राशि को उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट इलेक्ट्रिकल अण्डरटेकिंग (ड्यूज रिकवरी) एक्ट 1958 के अन्तर्गत वसूल किया जाय।

तथापि, 7 खण्डों में अगस्त 1991 से जुलाई 1996 की अवधि में, ऊर्जा चोरी के 476 प्रकरणों में 40.20 लाख रुपये का निर्धारण करने का प्रस्ताव किया गया जिसमें से लेखा परीक्षा की आपत्ति के पश्चात् चार खण्डों द्वारा 287 प्रकरणों में 15.54 लाख रुपये के देयक जारी किया गया। शेष प्रकरणों में देयक जारी न करने के कारणों को नहीं प्रस्तुत किया गया।

3द 2.3.2देयकों का जारी न करना

0.38 करोड़ रुपये के ऊर्जा देयक इस तथ्य के कारण नहीं जारी किया जा सका कि उपभोक्ता के नाम लेजर में चढ़े नहीं थे।

परिषद् ने जुलाई 1970 के आदेश के अनुसार, आवर्ती देयकों को जारी करने के लिए ग्राहकों को विद्युत संयोजन अवमुक्त करने के लिए माह के अन्दर लेजर में प्रविष्ट कर लेना था। लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि अप्रैल 1992 से अगस्त 1997 तक की अवधि के निजी नलकूप (4.55 लाख रुपये) लघु एवं मध्यम शक्ति (21.56 लाख रुपये) तथा सड़क रोशनी (11.65 लाख रुपये) से सम्बन्धित 37.76 लाख रुपये के देयक, उपभोक्ताओं के नाम की लेजर में प्रविष्टि न होने के कारण वि.वि.ख. भदोही तथा वि.वि.ख. iv वाराणसी, द्वारा जारी नहीं किये जा सके।

3द 2.3.3.गलत मीटर वाचन के परिणामतः विलम्बित राजस्व निर्धारण

वि.वि.ख.-II जौनपुर, के अन्तर्गत डीलक्स फ्लोर मिल्स, बदलापुर (भार 290 के.वी.ए.) की आपूर्ति मई 1992 से 25 जुलाई 1994 तक विच्छेदित रही। 26 जुलाई 1994 को पुनः संयोजन के पश्चात् शक्ति–गुणक के निर्धारण करने के लिए सभी भागों तथा उच्चतम माँग का मीटर वाचन पहली बार 7 नवम्बर 1994 को तथा दूसरी बार 24 जून 1996 को किया गया। मध्यवर्ती अवधि में, मुख्यतया सीलिंग प्लायर की अनुपलब्धता के कारण के.वी.ए.एच. तथा उच्चतम माँग का वाचन न होने से माँग का गलत अभिलेखन किया गया और शक्ति–गुणक की संगणना नहीं की गयी (सिवाय फरवरी 1995 के जबकि उच्चतम माँग तथा शक्ति गुणक की गणना गलत तरीके से की गई थी)। इसके परिणामतः अगस्त 1994 से मई 1996 की अवधि में उपभोक्ता अनुबंधित भार के 75 प्रतिशत मात्रा भार के लिए भारित किया जाता रहा तथा कम शक्ति गुणक सरचार्ज के लिए भारित नहीं किया गया (जून 1996 से निर्धारण सही किया जाता रहा)।

7 नवम्बर 1994 तथा पुनः 24 जून 1996 को उपलब्ध के.डब्ल्यू.एच. तथा के.वी.एच. की प्रगामी वाचन के आधार पर सम्प्रेक्षा द्वारा आंकलित शक्ति–गुणक 0.586 आता है। इसी प्रकार, जून 1996 से अक्टूबर 1996 के मध्य औसत उच्चतम माँग 349 के.वी.ए. थी। इस आधार पर, अगस्त 1994 से मई 1996 (उसके पश्चात् सही निर्धारण किया गया) की अवधि में 7.15 लाख रुपये कम भारित किया गया (दिसम्बर 1996 में फरवरी 1995 से मई 1996 की अवधि के लिए भारित 1.47 लाख रुपये, जो गलत मापन पर आधारित था, के अतिरिक्त)। सम्प्रेक्षा द्वारा आपत्ति किये जाने पर खण्ड ने उपभोक्ता का निर्धारण (7.15 लाख रुपये) फरवरी 1997 में कर दिया जिसका भुगतान सितम्बर 1997 तक अपेक्षित था।

3द 2.3.4 बिना मीटर के आपूर्ति के प्रकरणों में कम निर्धारण

बिना मीटर ऊर्जा आपूर्ति 5.32 करोड़ रुपये के कम निर्धारण में परिणामित हुई।

परिषद् के अक्टूबर 1962 के आदेश के अनुसार, सहायक अभियन्ता (मीटर) नये संयोजन के अवमुक्त किये जाने के तुरन्त पश्चात् परीक्षित–मीटरों को संस्थापन के लिए अपेक्षित है। सम्प्रेक्षा में पाया गया कि निम्न प्रकरणों में संयोजन बिना मीटर लगाये अवमुक्त कर दिया गया था, परिणामतः 532.18 लाख रुपये का कम राजस्व निर्धारण किया गया, जिसका विवरण निम्न है:

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	उपभोक्ता का नाम (खण्ड)	भार	कम निर्धारण की राशि	अवधि	टिप्पणी
(i)	सोन पम्प कैनाल स्टेज III (वि0वि0ख0, राबर्ट्सगंज)	9412 के.वी.ए.	316.97	अप्रैल 1994 से जुलाई 1997	ऊर्जा की खपत प्रत्येक मोटरों की क्षमता तथा उनके चलित घंटों के आधार पर उनकी गणना में 0.8 से गुणा करके कम कर दिया गया जोकि गलत था। अप्रैल 1994 से जुलाई 1996 तक मोटरों की क्षमता गलती से 1600 के. डब्लू. के स्थान पर 1000 के.डब्लू. ले लिया गया था।

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	उपभोक्ता का नाम (खण्ड)	भार	कम निर्धारण की राशि	अवधि	टिप्पणी
(ii)	जल संस्थान, वाराणसी (न0वि0वि0ख0–I वाराणसी)	(अ) 1050 के.वी.ए.	6.79	19 सितम्बर से 29 नवम्बर 1995	गुणांक 0.75 के स्थान पर 0.2 लेकर ऊर्जा की खपत की गणना की गई।
		(ब) 350 के.डब्लू.	10.18	5 फरवरी से 17 अगस्त 1995	ऊर्जा के खपत की गणना 0.2 के गुणक को लेकर की गई थी जोकि गलत था। इस दशा में गुणक नहीं लगना था क्योंकि निर्धारण प्रत्येक मोटर के चलते घंटों के आधार पर किया गया था।
(iii)	विश्व बैंक ट्यूबवेल्स(वि.वि.ख.–II गाजीपुर)	1912 बी.एच.पी.	95.17	अप्रैल 1994 से दिसम्बर 1996	ऊर्जा के खपत की गणना 0.75 के गुणक के स्थान पर 0.50 लेकर की गई थी।
(iv)	कुशमहा पम्प कैनाल (वि.वि.ख.रावर्टसगंज)	140 के.वी.ए.	10.95	फरवरी 1991 से नवम्बर 1992 तथा अप्रैल 1994 से जुलाई 1997	ऊर्जा का निर्धारण 12600 यूनिट प्रति माह के स्थान पर न्यूनतम खपत आंकलन के लिए निर्धारण किया गया।
(v)	धोवा पम्प कैनाल (वि.वि.ख.राबर्ट्सगंज)	1845 के.वी.ए.	92.12	जनवरी 1994 से मार्च 1996	ऊर्जा का निर्धारण मोटरों की चलित घंटों के आधार पर न करके 735 के.वी.ए. भार को लेकर न्यूनतम खपत के आधार पर 66150 यूनिट प्रति के आधार पर किया गया।
	योग		**532.18**		

3द 2.3.5 अनियमित वापसी

(i) जनवरी 1989 में 700 के.वी.ए. का भार, 11 के.वी. स्वतन्त्र पोषक के माध्यम से 33/11 के.वी. उप–संस्थान, ढोभी से वि.वि.ख.I जौनपुर द्वारा अवमुक्त किया गया। उपभोक्ता का राजस्व निर्धारण अप्रैल 1989 तक विरलविधा के उद्योगों को लागू दर से किया गया तथा उसके पश्चात् मई 1989 से दिसम्बर 1993 तक की अवधि में उप–खण्ड अधिकारी की एक रिपोर्ट (सितम्बर–1989) कि उपभोक्ता को परिषद् के आदेशानुसार 24 घण्टे की आपूर्ति की जाती रही

के आधार पर अविरल विधा को लागू उच्चतर दरों पर की गई। परिषद् ने नवम्बर 1993 में, अविरल तथा विरल विद्या के उद्योगों, जैसा कि टैरिफ में दर्शाया गया है, के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण जारी किया। इसके अनुसार, टैरिफ के आधार पर विरल अथवा अविरल विधा के उद्योगों के लिए अनुबन्ध पुनरीक्षित करने थे तथा पुनरीक्षित अनुबन्ध की तिथि से प्रभावी दरों को लागू करना था। मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) ने इस प्रावधान के प्रतिकूल तथा बिना पुनरीक्षित अनुबंध के खण्ड को इस उपभोक्ता के मई 1989 से दिसम्बर 1993 तक के देयकों को विरल विधा की टैरिफ से संशोधित करने का निर्देश दिया (नवम्बर 1995)। तदनुसार, देयकों में समायोजन के द्वारा 10.47 लाख रुपये की अमान्य वापसी कर दी गई (मई 1996)।

क्षेत्र ने तीन उपभोक्ता को 0.32 करोड़ रुपये की अवमान्य वापसी की।

(ii) वि.वि.ख.II जौनपुर के अधीन अभिनव स्टील, जौनपुर (भार 1100 के.वी.ए.) को मापन तन्त्र का करेन्ट/पोटेन्शियल ट्रांसफार्मर इकाई, इसके संस्थापन के ही दिन क्षतिग्रस्त हो गया (8 जुलाई 1995) उपभोक्ता द्वारा परिषद् के आदेशों के अनुसार भुगतान करने के वादा करने के पश्चात् 8 जुलाई 1995 से 19 सितम्बर 1995 तक उपभोक्ता को सीधा संयोजन दे दिया गया। मापन–तन्त्र 20 सितम्बर 1995 को पुनः स्थापित हो गया। छापा दल द्वारा, उपभोक्ता के परिसर की जाँच करने पर (26 सितम्बर 1995) सीधा–संयोजन हटा हुआ नहीं पाया गया, फैक्टरी निबंधित काल में चलती हुई पायी गई और मापन–तन्त्र त्रुटिपूर्ण पाया गया। तद्नुसार, एल.एफ.डी. नियम के आधार पर 25.95 लाख रुपये का राजस्व निर्धारण कर दिया गया। मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) के निर्देशानुसार उपभोक्ता द्वारा निर्धारण स्वीकृत कर लिया गया और उसके द्वारा अगस्त/सितम्बर 1995 में 7.84 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। शेष राशि (18.11 लाख रुपये) अक्टूबर 1995 से मई 1996 के मध्य 2.26 लाख रुपये की आठ बराबर मासिक किश्तों में देय था। तथापि, उपभोक्ता ने अक्टूबर 1995 एवं दिसम्बर 1995 में मात्र दो किश्तों (4.53 लाख रुपये) का भुगतान किया तथा उक्त विद्युत देयों का मीटर संस्थापन के पश्चात् आयी तीन महीने की औसत खपत के आधार पर समायोजन करने के लिए अधीक्षण अभियन्ता से अनुरोध किया। यद्यपि, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई (कन्ज्यूमर्स रेगुलेशन 1984) में इस आधार पर समायोजन करने का कोई प्रावधान नहीं है, नियमानुसार समायोजन करने एवं अधीक्षण अभियन्ता के निर्देश के बावजूद, अधिशाषी अभियन्ता ने सितम्बर 1995 में स्थापित मीटर द्वारा अपलिखित तीन महीने की औसत खपत के आधार पर निर्धारण को पुनरीक्षित कर 16.89 लाख रुपये कर दिया गया और देयकों में समायोजन द्वारा 9.06 लाख रुपये वापस कर दिया (दिसम्बर 1990)।

(iii) वि.वि.खण्ड II जौनपुर भदोही के अधीन अम्बा सीमेन्ट एवं केमिकल, रामपुर, भदोही (भार 270 के.वी.ए.) का मीटर अक्टूबर 1994 से मई 1995 तक दोषयुक्त था और उस अवधि में राजस्व

निर्धारण पहले के तीन महीनों के औसत खपत के आधार पर की जाती रही (24132 यूनिट प्रतिमाह)।

तथापि, उक्त प्रकार से किया गया निर्धारण, मीटर परिवर्तित किये जाने के बाद के महीनों जून से अगस्त 1995 की औसत खपत 12327 यूनिट प्रति माह लेकर पुनरीक्षित कर दिया गया (अप्रैल 1996) तथा दिसम्बर 1996 में, देयक में समायोजन द्वारा 2.37 लाख रुपये की वापसी कर दी गई।

3द.2.3.6 अधिकतम माँग में अनियमित कटौती

जोन द्वारा उपभोक्ता की अधिकतम् माँग को अनियमित घटाने से 0.38 करोड़ रुपये के कम निर्धारण के अलावा 0.06 करोड़ रुपये के अतिरिक्त शुल्क निर्धारण नहीं हुआ।

न.वि.वि.खण्ड बनारस के अन्तर्गत मण्डलीय विद्युत अभियन्ता पूर्व रेलवे, मुगलसराय को 3000 के.वी.ए. भार (2250 के.वी.ए. औद्योगिक भार तथा 750 के.वी.ए. अनौद्योगिक भार) 33 के.वी. पर आपूर्ति की जाती थी। संयुक्त माँग तथा ऊर्जा उपभोग का मापन करने के लिए 33 के.वी. अन्तर्गमन पैनेल पर मुख्य मीटर, अनौद्योगिक प्रकाश एवं पंखा खपत का मापन करने वाले सब–मीटर के साथ संस्थापित था। यद्यपि, मार्च 1978 के परिषद् आदेश में विशिष्ट रूप से यह स्पष्ट किया गया था कि मुख्य मीटर द्वारा वंचित उच्चतम् माँग में से अनौद्योगिक प्रकाश एवं पंखा की माँग को न घटाया जाय तथापि खण्ड ने कुल वास्तविक माँग में से इस प्रकार की माँग को गलत ढंग से घटा दिया। इसके परिणामतः नवम्बर 1994 से अगस्त 1996 की सम्प्रेक्षित अवधि में 37.94 लाख रुपये का कम निर्धारण हुआ। पुनश्च्, खण्ड ने नवम्बर 1994 से मई 1995 तक की अवधि का अधिक माँग के लिए अतिरिक्त शुल्क (5.46 लाख रुपये) तथा मार्च 1995 के लिए कम शक्ति गुणक सरचार्ज (0.37 लाख रुपये) कुल 5.83 लाख रुपये का निर्धारण नहीं किया। स्थानीय प्रबन्धन ने बताया (फरवरी 1997) कि अधिक माँग के लिए 5.46 लाख रुपये का देयक जनवरी 1997 में जारी कर दिया गया है लेकिन वसूली प्रतीक्षित थी। तथापि, कम निर्धारण तथा कम शक्ति गुणक सरचार्ज (38.31 लाख रुपये) के देयक जारी नहीं किये गये थे (सितम्बर 1997)।

3द.2.3.7 माँग चार्ज की गलत संगणना

वि.वि.खण्ड.I गाजीपुर ने देवकली पम्प कैनाल स्टेज II के 8118 के.वी.ए. भार के लिए सितम्बर 1989 में अनुबन्ध किया जिसके विरुद्ध वास्तविक संयोजित भार 8559 के.वी.ए. था। माँग तथा ऊर्जा खपत का वाचन करने के लिए मीटर संस्थापित न होने के कारण, डिमाण्ड चार्ज की गणना संयोजित भार के आधार पर करने के प्रावधान के विरुद्ध गलत तरीके से 6089 के.वी.ए. की माँग, जो कि अनुबंधित भार का 75 प्रतिशत था, पर किया गया। इस प्रकार 6419 के.वी.ए. के वसूली

योग्य डिमाण्ड चार्ज के विरुद्ध मात्र 6089 के.वी.ए. प्रतिमाह के लिए वसूली की गई जिसके परिणामतः जनवरी 1992 से अप्रैल 1997 की अवधि में 18.61 लाख रुपये कम का राजस्व निर्धारण हुआ।

3द.2.3.8 त्रुटिपूर्ण मापकों के कारण राजस्व हानि

त्रुटिपूर्ण मापकों के कारण क्षेत्र को 4.16 करोड़ रुपये की हानि हुई।

इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई (कन्ज्यूमरस) रेगुलेशन की धारा 21 के अनुसार किसी उपभोक्ता को आपूर्ति–ऊर्जा का मापन उसके परिसर में संस्थापित मापक द्वारा की जायेगी। यदि किसी समय मापक त्रुटिपूर्ण हो जाता है तथा चोरी अथवा अनाचार की कोई आशंका नहीं है, तो मापक के त्रुटिपूर्ण रहने की अवधि में उपभोक्ता द्वारा उपयोग में लायी गयी ऊर्जा का निश्चयन इस अवधि के पहले के तीन लगातार महीनों में हुए औसत खपत के आधार पर किया जायेगा। पुनः, यदि ऊर्जा के उपयोग की स्थितियां समान नहीं रहीं तो खपत हुई ऊर्जा का निश्चयन संयोजित भार तथा उपयोग की अवधि के आधार पर किया जायेगा। अधो–विवेचित प्रकरणों में उपभोक्ता द्वारा उपभोग में लायी गयी ऊर्जा का निर्धारण प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया परिणामतः 416.38 लाख रुपये राजस्व की हानि हुई।

(i) खण्डीय अधिकारी वि.वि.ख.I जौनपुर द्वारा झुनझुनवाला गैसेज लिमिटेड (भार 1000 के. वी. ए.) के परिसर में संस्थापित मीटर माह फरवरी 1995 से त्रुटि–पूर्ण संसूचित किया गया क्योंकि यह इलेक्ट्रानिक मीटर पूरे विवरण से अपलिखित नहीं कर रहा था। विस्थापित मीटर की विशुद्वता की जाँच करने के लिए बिना किसी चेक मीटर को स्थापित किये 29 अगस्त 1995 को नये इलेक्ट्रानिक मीटर को विस्थापित कर दिया गया। सितम्बर/अक्टूबर 1995 में इस नये मीटर द्वारा वाचित खपत बहुत कम (56684 तथा 80536 यूनिट) था तथा जाँच के बाद मीटर के टर्मिनल–प्रेशर पर कार्बन जमा हुआ पाया गया। कार्बन जमाव को हटाने के पश्चात्, ऊर्जा की खपत तथा माँग में क्रमशः 335689 से 435594 यूनिट एवं 1145 के.वी.ए. से 1976 के.वी.ए. प्रतिमाह (नवम्बर 1995 से अप्रैल 1996) की अवधि में औसत खपत 371223 यूनिट तथा माँग 1375 के.वी.ए. प्रतिमाह की पर्याप्त वृद्धि पायी गयी जिससे यह निर्दिष्ट होता है कि पुराने मीटर द्वारा वाचित खपत काफी कम थी। माह सितम्बर/अक्टूबर 1995 को ऊर्जा देयक, पुराने त्रुटि–युक्त मीटर द्वारा वाचित जून 1995 से अगस्त 1996 की अवधि के औसत खपत 143675 यूनिट तथा माँग 880 के.वी.ए. के आधार पर पुनरीक्षित कर दिया गया। इसके परिणामतः नये मीटर द्वारा वाचित औसत खपत की तुलना में 13.41 लाख रुपये राजस्व की हानि हुई। पुनश्च, त्रुटियुक्त मीटर को हटाने में विलम्ब तथा पुराने मीटर की वाचन की शुद्धता तथा कम ऊर्जा खपत के वाचन को सुनिश्चित करने के लिए चेक मीटर न लगाने के परिणामतः परिषद् को भारी हानि हुई (राशि अपरिमित)।

(ii) एफ.सी.आई., व्यासनगर, वाराणसी (भार 85 के.डब्ल्यू.) के परिसर में संस्थापित ऊर्जा मीटर अगस्त 1994 से खराब था तथा अगस्त 1994 न.वि.वि.ख. IV वाराणसी द्वारा उपभोक्ता को रेट शिड्यूल एल.एम.वी. 2 के अन्तर्गत न्यूनतम ऊर्जा 7225 रुपये प्रतिमाह की दर से भारित किया गया। उपभोक्ता की पहले की खपत उपलब्ध नहीं थी। विद्युत आपूर्ति की अवधि 10 घंटे प्रतिदिन तथा गुणक 0.4 लेकर एल.एच.एफ.डी. फार्मूले से प्रतिमाह की खपत 10200 यूनिट आती है। इस प्रकार, खराब मीटर को न बदलने के कारण अगस्त 1994 से दिसम्बर 1996 की अवधि में उपभोक्ता को कम चार्ज की गई ऊर्जा–खपत का मूल्य 5 लाख रुपये आता है, परिणामतः परिषद् को इतनी ही राशि की हानि हुई।

(iii) वि.वि.ख.I जौनपुर द्वारा शाहगंज तथा जलालपुर के दो स्वतन्त्र विश्व बैंक फीडरों पर संस्थापित मीटर अपने स्थापना की तिथि से (स्थापना तिथि उपलब्ध नहीं थी) तथा केराकत फीडर का मीटर जुलाई 1992 से खराब थे। खण्ड ने रेगुलेशन में दिये गये प्रावधान के अनुसार उपभोक्ता को पहले दो फीडर के लिए भार, गुणक तथा उपभोग की अवधि के आधार पर भारित न करके, जुलाई 1992 तक गलत तरीके से केराकत फीडर की प्रोरेटा खपत के आधार पर तथा उसके बाद 1987, 1988 तथा 1989 के संगत महीनों के खपत के आधार पर भारित किया। इस प्रकार का अपनाया गया आधार पुनः गलत था क्योंकि वर्ष 1987 से 1989 तक की खपत केराकत फीडर की प्रोरेटा खपत के आधार पर ली गयी थी। इसके परिणामतः, एल.एच.एफ.डी. फामूर्ले के अनुसार जुलाई 1992 से दिसम्बर 1996 की अवधि में 10.96 एम.यू. ऊर्जा पर 168.64 लाख रुपये की हानि हुई।

(iv) देवकली पम्प कैनाल (भार 8118 के.वी.ए.), चक्का बाँध (ए) पम्प कैनाल (भार 6600 के.वी.ए.) तथा चक्का बाँध (बी) पम्प कैनाल (भार 3350 के.वी.ए.) के परिसर में संस्थापित मीटर क्रमशः अप्रैल 1991 तथा मार्च 1993 के पहले (निश्चित तिथि नहीं बताई गई) से ही खराब थे तथा वि.वि.ख I एवं वि.वि.ख. II गाजीपुर द्वारा ऊर्जा खपत का निर्धारण मोटरों की क्षमता (के.डब्ल्यू.) में चले हुए घंटों का गुणा करके किया गया। इस प्रकार से आंकलित खपत को पुनः 0.9 के गुणक से गुणा करके कम कर दिया जाता था। चूँकि खपत का निर्धारण प्रति मोटर के चलित घंटों के आधार पर किया गया था, 0.9 से गुणा करना गलत था। इसके परिणामतः अप्रैल 1993 से मार्च 1997 की अवधि में 11.549 एम.यू. ऊर्जा पर 213.42 लाख रुपये राजंस्व की हानि हुई।

पुनश्च्, वि.वि.ख.II गाजीपुर द्वारा चक्का बाँध (ए) पम्प कैनाल की माँग का गलत निर्धारण करने के कारण फरवरी 1996 तथा जून से अक्टूबर 1996 की अवधि में 4620 के.वी.ए. अतिरिक्त माँग के लिए उपभोक्ता 8.55 लाख रुपये से कम भारित किया गया, परिणामतः परिषद् को इतनी ही राशि की हानि हुई।

(v) मीटर प्रणाली में खराबी के कारण, जनवरी से अक्टूबर 1996 की अवधि में मुख्य इलेक्ट्रिकल फोरमैन, नार्दन रेलवे वाराणसी, (भार 200 के.डब्ल्यू.) को न.वि.वि.ख. **iv** वाराणसी द्वारा सीधी विद्युत आपूर्ति की गयी तथा जनवरी से अप्रैल 1996 तक 10000 यूनिट एवं जून से अक्टूबर 1996 तक 20000 यूनिट प्रतिमाह की दर से ऊर्जा खपत का निर्धारण किया गया। मई 1996 माह का कोई निर्धारण नहीं किया गया। रेगुलेशन की धारा 21 (III) (ए) के अनुसार, ऊर्जा की खपत का निर्धारण पिछले तीन लगातार महीनों की औसत खपत (अक्टूबर से दिसम्बर 1995) जो 39971 यूनिट प्रतिमाह आंकलित होती है, के आधार पर होना था। इसके परिणामतः 259710 यूनिट पर 7.36 लाख रुपये की हानि हुई।

2.3.9 कम शक्ति गुणक सरचार्ज भारित न करना

बड़े एवं भारी उद्योगों के लिए लागू रेट शिड्यूल (एच.वी.–2) के अनुसार 0.85 से 0.80 तक की प्रत्येक 0.01 की कमी के लिए एक प्रतिशत की दर से कम शक्ति गुणक सरचार्ज भारित करने का प्रावधान करती है। पुनश्च, यदि कम शक्ति गुणक 0.80 से कम होना है तो 0.80 से नीचे (0.7. तक की कमी तक सीमित) की प्रत्येक 0.01 की शक्ति गुणक की कमी के लिए 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त उगाही की जायेगी।

मे0 मोतीलाल इन्जीनियरिंग (भार 175 के.वी.ए.) का शक्ति गुणक, रेट शिड्यूल की धारा 12(अ) के अनुसार जनवरी 1990 से नवम्बर 1995 तक की अवधि में 0.70 आंकलित हुआ लेकिन न.वि.वि.ख. IV, वाराणसी द्वारा उपभोक्ता से 4 लाख रुपये का कम शक्ति गुणक सरचार्ज की वसूली नहीं की गई (अगस्त 1997)।

3द.2.3.10 भार में अनियमित कमी

निर्धारित प्रक्रिया के अपनाये बगैर भार कम करने के कारण 21.10 लाख रुपये की हानि

(i) इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई (कन्ज्यूमर्स) रेगुलेशन 1984 की धारा 10 (बी) के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भार कम करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, यह सुनिश्चित करने के पश्चात् भार में कमी स्वीकृत की जायेगी, कि

(i) सही माँग को अभिलेखित करने के लिए स्वस्थ (ठीक–ठाक) डिमाण्ड इन्डीकेटर लगा हुआ है,

(ii) पहले से लगे हुए उपकरण वांछित कम क्षमता के उपकरणों से विस्थापित हैं,

(iii) उपभोक्ता ने चालू दर के अनुसार, अतिरिक्त जमानत राशि जमा कर दिया है तथा

(iv) 101 अश्वशक्ति के नीचे भार में कमी की स्थिति में कमी मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता (सी.जेड.ई.) द्वारा भार में कमी स्वीकृत है तथा उपभोक्ता ने देय भार में कमी का देय शुल्क जमा कर दिया है।

हनुमान कोल्ड स्टोरेज एवं आइस फैक्टरी आजमग़ढ (वि.वि.ख़ II आजमगढ़ के अधीन) ने जुलाई 1989 में अपने वर्तमान भार (110 बी.एच.पी.) को 100 वी.एच.पी. तक कम करने के लिए आवेदन किया। यद्यपि उपभोक्ता ने शासकीय निरीक्षण शुल्क (225 रुपये) तथा भार कम करने का शुल्क (4000 रुपये) अप्रैल 1991 में जमा किया था, लेकिन अधिशाषी अभियन्ता द्वारा, बिना सी.जेड.ई. की स्वीकृति के, भार की कमी को अक्टूबर 1989 से लागू कर दिया। पुनश्च्, पहले से स्थापित 250 के.वी.ए. का ट्रान्सफार्मर 100 के.वी.ए. के ट्रांसफार्मर द्वारा बदला नहीं गया तथा उच्चतम् माँग सूचक जून 1992 तक खराब रहा। जुलाई 1992 से जुलाई 1995 की अवधि में उच्चतम् माँग 90 के.वी.ए. से 174 के.वी.ए. के मध्य थी जो यह दर्शाती है कि व्यावहारिक रूप से भार में कमी नहीं की गई थी। अगस्त 1995 से उपभोक्ता की उच्चतम् माँग अंकित नहीं की गई थी। इस प्रकार, पिछली अवधि से भार में कमी तथा निर्धारित प्रावधानों का अनुशरण न करने के परिणामतः अक्टूबर 1989 से मार्च 1997 की अवधि में 5.10 लाख रुपये, जो दोनों भारों के राजस्व निर्धारण का अन्तर है, की हानि हुई।

(ii) वि.वि.ख. II जौनपुर के अधीन स्थित राजी स्टील (प्रा0) लिमिटेड, जौनपुर ने अक्टूबर 1994 में तथा पुनः फरवरी 1995 में 1900 के.वी.ए. से 1100 के.वी.ए. तक भार में कमी करने के लिए आवेदन किया। खण्ड द्वारा फरवरी 1995 में उपभोक्ता से,

(i) पुनरीक्षित बी. एण्ड एल. फार्म जमा करने,

(ii) इस आशय का प्रमाण पत्र कि आर्क फरनेश का कम किया हुआ भार, आवेदित भार से अधिक नहीं होगा

(iii) सब–स्टेशन की क्षमता को कम करना तथा

(iv) पुनरीक्षित जमानत/सिस्टम लोडिंग चार्जेज को फरवरी 1995 के अन्त तक जमा करने के लिए कहा गया।

यद्यपि उपभोक्ता ने, 1100 के.वी.ए. की आवेदित कम भार के विरुद्ध 1490 के.वी.ए. भार का बी. एण्ड एल. फार्म जमा कर दिया, लेकिन इसके द्वारा सब–स्टेशन की क्षमता (2100 के.वी.ए.) में तदनुसार कमी नहीं की गई, जमानत तथा सिस्टम लोडिंग चार्जेज नहीं जमा किया गया तथा उपभोक्ता द्वारा फरवरी 1995 में उपभोग में लायी गई उच्चतम् माँग 1242 के.वी.ए. थी, फिर भी खण्डीय अधिकारी ने मार्च 1995 में 1100 के.वी.ए. के लिए नया अनुबन्ध जो अक्टूबर 1994 से प्रभावी था, कर लिया। इसके परिणामतः अक्टूबर 1994 से फरवरी 1995 की अवधि में 16 लाख रुपये, जो पाँच महीनों की

अवधि में दोनों भारों के अन्तर पर 400 रुपये प्रति के.वी.ए. प्रति माह की दर से लगता था, की हानि हुई।

3द.2.3.11 ऊर्जा खपत में सादृश्य न होना

वि.वि.ख. II आजमगढ़ द्वारा जगन्नाथ स्टील (प्रा0) लिमिटेड, फूलपुर (शाहगंज) को 2300 के.वी.ए. का भार, शाहगंज से निकलने वाले 33 के.वी. स्वतन्त्र फीडर द्वारा अवमुक्त किया गया था (नवम्बर 1993)। यद्यपि, नवम्बर 1993 से मई 1996 तक की अवधि की विद्युत देयकों के अवलोकन (अगस्त 1996) पर पाया गया कि ज्यादातर ऊर्जा की खपत न्यूनतम खपत शुल्क से भी कम था लेकिन खण्डों ने ऊर्जा का कोई क्षरण है अथवा नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए खण्ड ने इस ऊर्जा खपत के आंकड़ों की तुलना वाह्य–गामी फीडर पर अंकित ऊर्जा–खपत से नहीं किया। मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) के आदेश (सितम्बर 1994) के बावजूद कि ऊर्जा की किसी क्षरण को अभिज्ञान करने के लिए, ऊर्जा खपत की तुलना उपभोक्ता के उत्पादन आंकड़ों से करे, खण्डीय अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

> ***ऊर्जा खपत की वाह्यगामी फीडर के पैनल मीटर से सादृश्य न करने से 1.28 करोड़ रुपये की हानि हुई।***

सम्प्रेक्षा द्वारा की गई नमूना जाँच में यह पाया गया कि वाह्य–गामी पैनल पर स्थापित मीटर के अनुसार माह मार्च 1995 से अगस्त 1997 के मध्य 13.904 मिलियन यूनिट आपूर्ति ऊर्जा भारित की गई जिसके परिणामतः 127.50 लाख रुपये की 5.01 मिलियन यूनिट ऊर्जा की हानि हुई।

3द.2.3.12 मीटर वाचन में उच्चतम माँग का गलत अंकन

मोनिक वीड्स प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी (भार 380 के.वी.ए.) के परिसर में न.वि.वि.ख.I वाराणसी द्वारा जनवरी 1992 में एक इलेक्ट्रानिक मीटर (संगमों मेक), जो उच्चतम माँग की संगामी पठन भी करता था, संस्थापित किया गया। मीटर रीडिंग स्लिप के अनुसार मई 1993 तक संगामी उच्चतम माँग 10610 के.वी.ए.तथा उसके पश्चात मई 1994 में 18665 के.वी.ए. थी। इस अन्तक्रवधि में उच्चतम माँग की पठन सही तरीके से नहीं की गई थी। पुनश्च, मीटर पठन सहायक अभियन्ता (मीटर) के साथ संयुक्त रूप से जो कि अपेक्षित था, नहीं लिया गया। मई 1993 से मई 1994 की अवधि में मीटर द्वारा अंकित 8055 के.वी.ए. की माँग के विरुद्ध मीटर स्लिप में वास्तविक रूप है अंकित तथा बिल्ड माँग 4926 के.वी.ए. मात्र थी, जिसके परिणामतः 3129 के.वी.ए. जिसका मूल्य 8.67 लाख रुपये होता है, कम चार्ज किया गया। परिषद् की तकनीकी सम्प्रेक्षा

> ***एस. डी. ओ. द्वारा माँग का गलत अंकन करने के परिणामतः 8.67 लाख रुपये की हानि हुई।***

दल द्वारा इंगित करने पर खण्ड ने एक पूरक देयक जारी किया (अगस्त 1995), जिसे उपभोक्ता द्वारा इस आधार पर अनादृत कर दिया गया कि उपखण्डीय अधिकारी द्वारा मीटर रीडिंग का पठन उसके प्रतिनिधियों के समक्ष किया गया था तथा उसके देयकों का भुगतान कर दिया गया है इस प्रकार एस.डी.ओ. द्वारा गलत मीटर रीडिंग लेने के परिणामतः परिषद् को 8.67 लाख रुपये की हानि हुई।

3द.2.3.13 गलत शुल्क सूची का प्रयोग

विभिन्न उपभोक्ताओं के विरुद्ध दर सूची के गलत प्रयोग से 43.73 लाख रुपये की हानि परिणामित हुई।

शुल्क सूची एल.एम.वी.–5, 25 वी.एच.पी. तक के अनुबंधित भार वाले उन सभी पावर उपभोक्ताओं पर लागू होती है जो ग्रामीण–अनुसूची के अनुसार सिंचाई के लिए निजी नलकूपों पम्पिंग सेटों के लिए विद्युत आपूर्ति प्राप्त करते हैं। शुल्क सूची एल.एम.वी.–6, उन पम्पिंग सेटों जो ग्रामीण अनुसूची के अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति प्राप्त करते हैं। 4 वितरण खण्डों द्वारा नगरीय फीडरों से संयोजित पम्पिंग सेटों पर एल.एम.वी.–6 के स्थान पर गलत रूप से एल.एम.वी.–5 लागू किया गया जिसके परिणामतः अप्रैल 1992 से अगस्त 1997 की अवधि में 38.25 लाख रुपये कम प्रभार किया गया।

इसी प्रकार दो वितरण खण्डों में अविरल–विधा वाले चार उपभोक्ताओं जिनकी बिलिंग शुल्क सूची एल.एम.वी.–6 के पैरा 4 के अनुसार अविरल–विधा की दर से अपेक्षित थी, विरल–विधा की दर से की गई जिसके परिणामतः जनवरी 1992 से अगस्त 1997 की अवधि में 5.48 लाख रुपये कम प्रभार किया गया।

3द.2.3.14 मीटर के त्रुटिपूर्ण व्यवहार के कारण अज्ञात ऊर्जा–हानि

वि.वि.ख. भदोही के अधीन स्थित माम्ब ऊलेन, भदोही (भार 300 एच.पी.) के परिसर में संस्थापित मीटर की रीडिंग के आधार पर अगस्त 1994 से नवम्बर 1995 (सिवाय अक्टूबर/नवम्बर 1994 के) की अवधि में आंकलित शक्ति गुणक 0.29 से 0.77 के मध्य था। उपभोक्ता ने जून 1995 में एक चेक–मीटर संस्थापित करने का अनुरोध किया लेकिन मीटर की विशुद्धता का सत्यापन करने के लिए चेक–मीटर लगाने के स्थान पर, नवम्बर 1995 में पुराने मीटर को बदल दिया गया। नये मीटर के संस्थापन के पश्चात् शक्ति–गुणक में सुधार हुआ और दिसम्बर 1995 से अक्टूबर 1995 की अवधि में 0.94 से 0.98 के मध्य रहा जो यह दर्शाता है कि पुराने मीटर द्वारा आलेखित ऊर्जा उपभोग गलत था। अगस्त 1994 से नवम्बर 1995 की अवधि में पुराने मीटर द्वारा आलेखित उपभोग 551348 के डब्ल्यू.एच. तथा 1028260 के.वी.एच. था। शक्ति गुणक 0.95 (बाद से नये मीटर द्वारा

आलेखित) को लेकर के.वी.ए.एच. रीडिंग को के.डब्ल्यू.एच. में परिवर्तित करने पर विद्युत उपभोग 976847 यूनिट का आता है जिसके विरुद्ध मात्र 551347 यूनिट के लिए ऊर्जा प्रभार लिये गये थे। इस प्रकार, पुराने मीटर की विशुद्धता का सत्यापन न करने से जोन को अगस्त 1994 से नवम्बर 1995 की अवधि में 5.92 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

3द.3. अवशेषों में वृद्धि

मार्च 1993 के अन्त में 22547.93 लाख रुपये का ऊर्जा–प्रभार का अवशेष मार्च 1997 के अन्त में 58336.10 लाख रुपये तक बढ़ गया (लगभग ढ़ाई गुना), जिसका विवरण परिशिष्ट 10 में है।

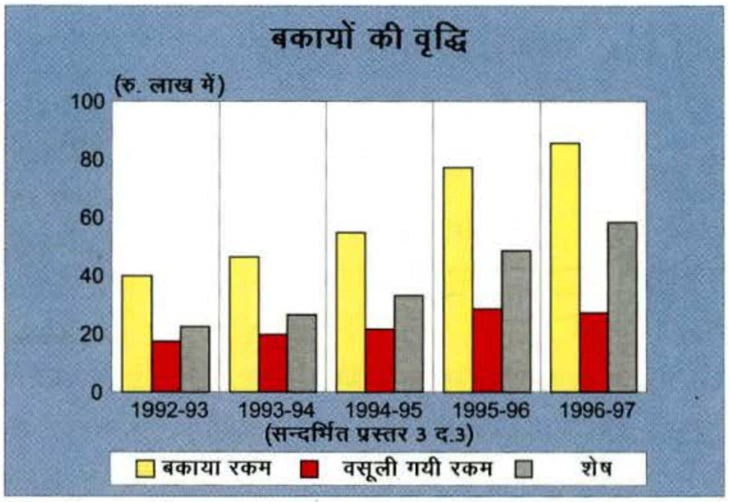

1996–97 तक पाँच वर्षों के राजस्व का निर्धारण तथा वसूली का विवरण निम्नवत है:

(रुपये लाख में)

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
वर्ष के प्रारम्भ में अवशेष	18901.91	22547.93	26626.95	37728.90*	48603.49
वर्ष के राजस्व का निर्धारण	21064.52	23864.60	28229.18	39489.38	37008.01
वसूली की स्थिति					
वसूलने योग्य राशि	39966.47	46412.53	54853.13	77218.28	85611.50
वर्ष में वसूली गई राशि	17418.54	19788.58	21665.26	28614.79	27275.40
वर्ष के अन्त में वसूली योग्य राशि का शेष	22547.93	26623.95	33187.87	48603.49	58336.10
वसूली का वसूलने योग्य राशि का प्रतिशत	43.58	42.64	39.50	37.06	31.86

* जोन में अप्रैल 1995 में हस्तांतरित आजमगढ़ मंडल के अवशेष सम्मिलित हैं।

जबकि वसूल किये गये राजस्व की राशि, इन पाँच वर्षों में बढी लेकिन कुल देय के सापेक्ष में वसूली का प्रतिशत जो 1992–93 में 43.58 थी 1996–97 में घटकर 31.86 हो गई परिणामतः बकायों में पर्याप्त वृद्वि हो गयी।

बकायों में वृद्वि के कारणों का सम्प्रेक्षा में विवेचन करने पर पाया गया कि जोन वसूली की प्रकिया का अनुश्रवण, नियोजन तथा प्रशासन करने में जैसा कि प्रस्तरों में विवेचित है असफल रहा।

3द.3.1 वसूली पत्रों का कम मात्रा में जारी करना

विद्युत अवशेषों में वृद्वि के बावजूद जोन ने 91.08 करोड़ रुपये के वसूली पत्र जारी नहीं किये।

उनर प्रदेश राज्य विद्युतीय उपक्रम (बकाया वसूली) अधिनियम 1958 के अन्तर्गत परिषद् के बकाया अवशेषों को भू–राजस्व की भाँति वसूल किया जा सकता है यदि उक्त अधिनियम को धारा 3 के अन्तर्गत माँग पत्र जारी कर दिया गया है। मांग पत्र पर विद्युत देयों के न जमा करने पर धारा 5 के अन्तर्गत भू–राजस्व की तरह अवशेषों की वसूली के लिए जिलाधिकारी के एक वसूली–प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तथापि, 15111.09 लाख रुपये के माँग पत्र (धारा 3 के अन्तर्गत जारी तथा अवसूलित) के विरुद्ध धारा 5 के अन्तर्गत मार्च 1997 के अन्त तक मात्र 6003.38 लाख रुपये (39.7 प्रतिशत) के वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये जिसके विरुद्ध 1996–97 में 84 लाख रुपये की वसूली हुई।

पुनश्च्, सात वितरण खण्डों में 433.49 लाख रुपये के 5140 मामलों के वसूली प्रमाण पत्र जिला प्रशासन द्वारा, गलत पता/लापता होना (247.10 लाख रुपये), मृत्यु अथवा सम्पनि की अनुपलब्धता (47.10 लाख रुपये) तथा अन्य कारणों (139.29 लाख रुपये) के आधार पर वापस कर दिया गया। चूँकि खण्ड सही पते तथा अन्य दूसरी जरूरी चीजें उपलब्ध कराने में असफल रहे, अगस्त 1997 तक इनकी वसूली नहीं की जा सकी।

पुनश्च, अधोविवेचित व्यक्तिगत मामलों में जाँच में पाया गया कि अवशेषों की वसूली के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये।

3द.3.2 बकायों का संचयन

(i) जयरामपुर स्टील उद्योग, आजमगढ़ (भार 400 के.वी.ए.) का विद्युत संयोजन 5.45 लाख रुपये के राजस्व बकाये के कारण सितम्बर 1989 मे विच्छेदित कर दिया गया। मु.अ. (वाणिज्यिक) के आदेशानुसार बकाये का 25 प्रतिशत (1.36 लाख रुपये) जमा करने पर लाइन पुनः संयोजित कर दी गयी (मार्च 1990) चूँकि 4.09 लाख रुपये की अवशेष राशि जो अप्रैल से अगस्त 1990 की अवधि में 5 बराबर किश्तों में देय थी, उपभोक्ता द्वारा भुगतान नहीं किया गया, लाइन अक्टूबर

1990 में पुनः विच्छेदित कर दी गयी। मु.अ. (वाणिज्यिक) द्वारा उपभोक्ता के एक बार फिर 7.47 लाख रुपये अवशेष का भुगतान 10 बराबर किश्तों में करने के लिए, अनुमति दे दिया गया (फरवरी 1991)। यद्यपि 0.75 लाख रुपये का भुगतान करने पर लाइन पुनः संयोजित की जानी थी, परन्तु वास्तव में मात्र 0.60 लाख रुपये का भुगतान करने पर यह मार्च 1990 में संयोजित कर दी गई थी। उपभोक्ता द्वारा 6.72 लाख रुपये की बाद की किश्तें नहीं जमा की गयीं तथा लाइन पुनः विच्छेदित कर दी गयी (जून 1991)। मु.क्षे.अ. ने, जून 1991 में 6.87 लाख रुपये का भुगतान 9 किश्तों में करने के लिए पुनः अनुमत कर दिया। तद्नुसार, लाइन तुरन्त जून 1991 में संयोजित कर दी गयी। उपभोक्ता ने मात्र तत्कालीन देयक का भुगतान किया तथा अवशेष किश्तों का भुगतान नहीं किया। चूँकि जुलाई तथा अगस्त 1991 में उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक 1.05 लाख रुपये जमा किये गये के दो चेक/अनादृत हो गये इसलिए लाइन अगस्त 1991 में पुनः विच्छेदित कर दी गयी। 0.70 लाख रुपये का भुगतान करने पर लाइन अक्टूबर 1991 में पुनः संयोजित कर दी गयी। आपूर्ति का पुनः संयोजन कर दिये जाने के पश्चात् उपभोक्ता ने नवम्बर 1991 में सिविल जज, आजमगढ़ के समक्ष एक मुकदमा परिषद् द्वारा विद्युत विच्छेदन न किये जाने तथा वसूली करने पर रोक लगाने के लिए दायर कर दिया। कोर्ट द्वारा नवम्बर 1991 में दिया गया स्थगन आदेश मार्च 1992 में निरस्त कर दिया गया। उपभोक्ता ने पुनः ऊर्जा मीटर की विशुद्धता को विवादित करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया तथा न्यायालय ने निर्णय दिया कि (फरवरी 1993) उपभोक्ता को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई (कन्ज्यूमरस) रेगुलेशन 1984 की धारा 21 तथा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 की धारा 26 के अन्तर्गत उनर प्रदेश राज्य के इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर के समक्ष प्रतिवेदन करना चाहिए। उपभोक्ता ने अप्रैल 1993 में चीफ इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर के समक्ष प्रतिवेदन किया लेकिन 2349.80 रुपये की अपेक्षित निरीक्षण शुल्क उपभोक्ता द्वारा नहीं जमा किया गया और वाद सितम्बर 1996 में निरस्त कर दिया गया। लाइन मार्च 1994 में काट दी गई थी तथा जून 1994 तक संचित अवशेष 41.19 लाख रुपये का हो गया था। जून 1994 के पश्चात् बिलिंग बन्द कर दी गई। अक्टूबर 1996 में जारी किया गया 38.55 लाख रुपये का वसूली प्रमाण पत्र, यह कहते हुए कि धनराशि की वसूली सम्भव नहीं है, जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा जून 1997 में वापस कर दिया गया।

> ***किश्तों का अविवेकपूर्ण निश्चयन करने एवं किश्तों के भुगतान सम्बन्धी वचनबद्वता का सम्मान किये बिना ही उपभोक्ताओं की आपूर्ति के पुनः संयोजन के परिणामतः 0.52 करोड़ रुपये के बकायों का संचयन हो गया, जिनकी वसूली संदिग्ध थी।***

इस प्रकार किश्तों का अविवेकपूर्ण निश्चयन करने तथा किश्तों के भुगतान सम्बन्धी वचनबद्धता का सम्मान किये बिना आपूर्ति को समायोजित किये जाने के परिणामतः मार्च 1990 के अन्त में 5.45

लाख रुपये का बकाया जून 1994 के अन्त तक 41.19 लाख रुपये (लगभग 8 गुना) हो गया, जिसकी वसूली भविष्य में सम्भव प्रतीत नहीं होती।

(II) वि.वि.खण्ड. I गाजीपुर द्वारा मार्च 1982 में कुशवाहा किसान कोल्ड स्टोरेज तथा आइस फैक्टरी गाजीपुर को 225 वी एच बी का भार अवमुक्त किया गया। उपभोक्ता ने विद्युत बिलों का भुगतान में चूक की तथा फरवरी 1986 के अन्त में 1.54 लाख रुपये का बकाया मुख्यतया आफ–सीजन (दिसम्बर 1986 अक्टूबर 1987 तथा अगस्त 1989) में विद्युत–विच्छेदन करने, सीजन के प्रारम्भ में (मार्च 1987, मार्च 1988, मार्च 1989) विभिन्न अधिकारियों द्वारा किश्तों में भुगतान करने के लिए अनुमत् करने तथा प्रारम्भिक किश्त के भुगतान के पश्चात् विद्युत संयोजन हो जाने के पश्चात् उपभोक्ता द्वारा शेष किश्तों का भुगतान न किये जाने के कारण फरवरी 1990 के अन्त में 10.67 लाख रुपये तक बढ़ गया। जिलाधिकारी को नवम्बर 1986 तथा जून 1990 में जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्र (9.90 लाख रुपये) इस आधार पर वापस कर दिये गये (जनवरी 1991) कि देयों की वसूली के लिए कोल्ड स्टोरेज के स्वामी के पास कोई सम्पनि नहीं बची है।

प्रथम बार में ही पूरे देयों के भुगतान के पश्चात् ही आपूर्ति संयोजन में जोन् की असफलता के परिणामतः अवशेषों का संचयन हुआ जिनकी अब वसूली सम्भव नहीं है।

3द.3.3 चेक द्वारा भुगतान की सुविधा वापस न लेने के कारण अवशेषों की बढ़ोत्तरी

इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई (कन्ज्यूमरस्) रेगुलेशन 1984, के अनुसार प्रथम चेक के अनादृत हो जाने के पश्चात् ही चेक द्वारा ऊर्जा प्रभारों के भुगतान करने की सुविधा वापस ले लेनी चाहिए। वि.वि.ख.ष्प जौनपुर के अधीन सुमन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड जौनपुर द्वारा अप्रैल 1995 से मार्च 1996 के अवधि के ऊर्जा प्रभारों के भुगतान हेतु दिये गये। 6.59 लाख रुपये के 7 चेक (मई 1995 से मार्च 1996) बैंक द्वारा अनादृत कर दिये गये। उपभोक्ता द्वारा इस चेक की धनराशि का भुगतान बाद में नहीं किया गया। वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात् भी इस राशि की वसूली नहीं की जा सकी।

इस प्रकार प्रथम चूक (मई 1995 में 0.45 लाख रुपये) के पश्चात् ही चेक द्वारा भुगतान करने की सुविधा वापस न लेने के परिणामतः अवशेष में बढ़ोनरी 6.59 लाख रुपये तथा उसकी वसूली न हो सकी।

3द.4. अग्रिम भुगतान, रोकड़ तथा परिषद् की परिसम्पत्तियों पर अपर्याप्त नियन्त्रण

मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता अग्रिम भुगतान के समायोजन, एकत्रित की गई राजस्व की वसूलियों का कैश बुक की प्रविष्टियों से समाधान करने तथा बीमा सीमा से अधिक मात्रा में रोकड़ रखने की

प्रक्रिया का अनुश्रवण करने में असफल रहा। इसकी परिणति निम्न चर्चित 288.05 लाख रुपये मूल्य के अधोविवेचित असमायोजित अग्रिम भुगतान, दुराचरण तथा चोरी में हुई।

3द.4.1 असमायोजित अग्रिम भुगतान

अक्टूबर 1976 के परिषद्‌ादेश के अनुसार जब तक पहले लिए गये अग्रिम भुगतान समायोजित तथा बन्द नहीं हो जाते किसी भी कर्मचारी को नया अस्थाई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। अस्थाई अग्रिम भुगतान के लेखों का समायोजन स्वीकृत वाउचरों की स्थिति में, व्यय करने/अग्रिम भुगतान लेने के एक सप्ताह के अन्दर तथा अन्य मामलों में एक माह के अन्दर हो जाना चाहिए। समायोजन न होने की स्थिति में खण्डीय–लेखाकार को अपने मुख्य लेखाधिकारी को तुरन्त सूचित करना चाहिंए। इन अनुदेशों के प्रतिकूल खण्डों ने एक से अधिक अग्रिम भुगतानों को स्वीकृत किया और निर्धारित समय सीमा में कोई कार्यवाही नहीं किया जिसके परिणामतः मार्च 1994 के अन्त में 54.55 लाख रुपये का अवशेष अग्रिम भुगतान बढ़कर मार्च 1997 के अन्त में 106.11 लाख रुपये हो गया। 5 खण्डों की सम्प्रेक्षा में पाया गया कि 71.02 लाख रुपये मार्च 1993 से मार्च 1997 तक असमायोजित पड़े रहे। इसके अतिरिक्त, वि.वि.ख. भदोही के अधीन 19 कर्मचारियों के विरुद्ध अप्रैल 1990 से मार्च 1991 की अवधि के अस्थाई अग्रिम भुगतान (3.57 लाख रुपये) का समायोजन विविध अग्रिम भुगतान में डालकर (अप्रैल 1991) कर दिया गया था जिसकी समायोजन अथवा वसूली अगस्त 1997 तक प्रतीक्षित थी।

परिषद् के आदेश के उल्लंघन में कर्मचारियों को 1.06 करोड़ रुपये के अस्थाई अग्रिम दिये गये जिनके 0.71 करोड़ रुपये मार्च 1993 से असमायोजित थे।

3द.4.2 राजस्व का गबन

कैश स्टब, राजस्व खण्डों द्वारा राजस्व वसूली की रसीदों के आधार पर तैयार किया जाता है तथा कम्प्यूटर बिलिंग केन्द्रों की, कम्प्यूटर द्वारा बिल किये जाने वाले उपभोक्ता के विरुद्ध राजस्व की वसूली का अंकन करने के लिए भेज दिया जाता है। कम्प्यूटर जब अगले चक्र की ऊर्जा देयकों को तैयार करता है, तो उपभोक्ता से वसूल की गई राजस्व की राशि को अंकित कर देता है तथा कम्प्यूटर को अंकन के लिए प्रेषित कैश–स्टब की राशि वास्तव में अंकित राशि तथा दोनों अंको के अन्तर को दर्शाते हुए एक रिपोर्ट (आर–16) भी तैयार करता है। रिपोर्ट–16 में दर्शाए अन्तर का समाधान भेजे गये कैश स्टव, अंकित वसूली की राशि तथा कैश बुक के अनुसार वसूल की गई राशि के आधार पर खण्ड द्वारा करना अपेक्षित है। वि.वि.ख. भदोही में वसूले गये तथा अंकित राजस्व का समाधान खण्डीय कार्यालय में उचित रुप से नहीं किया गया जिसके कारण कैश स्टब में एक ही

कैश रसीद प्राप्ति एक से अधिक उपभोक्ताओं के विरुद्व, विभिन्न राशि के साथ के साथ दर्शायी गई । इसके परिणामतः अगस्त 1997 तक 9.03 लाख रुपये का गलत नगद प्राप्ति अंकन हुआ ।

स्थानीय प्रबन्धन ने बताया व्यक्ति निलम्बित कर दिया गया है और अग्रिम की कार्यवाही अगस्त 1997 तक प्रगति पर थी ।

3द.4.3 परिषद् की परिसम्पनियों की चोरी

दिसम्बर 1975 में निर्गत परिषद् के आदेशानुसार 6000 रुपये तक के सकल चोरी के मामले खण्ड के उप–खण्डीय अधिकारियों द्वारा तथा 6000 रुपये से ऊपर के मामले खण्ड अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा छानबीन किये जाने थे। अधिशासी अभियन्ताओं को उपखण्डीय अधिकारियों के क्षेत्र में आने वाले मामलों के 10 प्रतिशत मामलों जिसमें एक ही स्थान पर बार–बार घटित होने वाले चोरी के मामलों सहित, स्वतन्त्र रूप से छान–बीन करनी थी।

वाराणसी वितरण क्षेत्र के आठ खण्डों में लेखा परीक्षण में पाया गया कि अप्रैल 1991 से नवम्बर 1996 तक की अवधि में 106.31 लाख रुपये मूल्य के ट्रांसफार्मर तथा तारों केबिलों की चोरी हुई लेकिन सिवाय पुलिस में एफ आई आर दर्ज कराने के अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारियों ने तदोपरान्त प्रगति के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जिसके कारण उस अवधि में चोरी गयी कोई भी परिसम्पनि बरामद नहीं की जा सकी। वि.वि.ख.II वाराणसी, न.वि.वि.ख. I, II एंव IV वाराणसी, माध्यमिक कार्य खण्ड, कार्यशाला खण्ड वाराणसी, वि.वि.ख. II आज़मगढ, वि.वि.ख. II जौनपुर, वि.वि.ख. भदोही तथा वि.वि.ख. राबर्टगंज में चोरी कें प्रकरणों की प्रविष्टि भी चोरी के रजिस्टर में नहीं की गई थी।

3द.4.4. भण्डार का अपयोजन

मासिक स्कन्ध तथा औजार एवं संयन्त्र लेखा जो प्रत्येक महीने उप–खण्ड/खण्ड में प्रस्तुत किये जाने थे, नगरीय विद्युत निर्माण खण्ड II वाराणसी में तैनात श्री एल.पी. राय, अवर अभियन्ता द्वारा जुलाई 1990 से जनवरी 1991 की अवधि में प्रस्तुत नहीं किये गये। श्री राम फरवरी 1991 से अप्रैल 1994 की अवधि में डयूटी से अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहे। अगस्त 1992 में खण्डीय अधिकारी ने सम्बन्धित उप–खण्ड अधिकारी को श्री राय के स्टोर में उपलब्ध सभी स्कन्ध सामग्री को दो उप खण्डीय अधिकारियों की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन करने के पश्चात् श्री एम.एम. श्रीवास्तव जे.ई. को हस्तान्तरित करने का निर्देश दिया लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अवर अभियंता द्वारा 16.17 लाख रुपये की सामग्री का अपयोजन के लिए न तो प्राथमिकी दर्ज कराई गई और न ही विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

जनवरी 1993 में श्री राय के स्टोर का भौतिक सत्यापन उप खण्डीय अधिकारी द्वारा करने पर 54 आइटम, 28.57 लाख रुपये मूल्य के कम पाये गये। जून 1994 में श्री एम.एल. श्रीवास्तव जे.ई. के स्टोर का भी भौतिक सत्यापन किया गया तथा उस स्टोर में अधिक पाये गये सामान (मूल्य 12.40 लाख रुपये) का समायोजन गलत तरीके से श्री राय के कमी के विरुद्ध कर दिया गया। इस प्रकार अन्तिम रूप से श्री राय के विरुद्ध पायी गई सामग्री की शुद्ध कमी 16.17 लाख रुपये आंकलित की गई जिसे सितम्बर 1994 में श्री राय के विरुद्ध विविध अग्रिम डाल दिया गया। इसके अतिरिक्त श्री राय के विरुद्ध 0.22 लाख रुपये का एक अस्थाई अग्रिम भी बाकी था। सदस्य (वितरण) के जनवरी 1993 के निर्देश के बावजूद न तो सामग्री की उपरोक्त कमी के लिए कोई एफ.आई.आर. दायर की गयी न ही कमी के लिए अभी तक कोई विभागीय कानूनी कार्यवाही शुरु की गई (अगस्त 1997)।

3द.4.5 निष्प्रयोज्य लाइनों से लाइन सामग्री की चोरी

निश्प्रयोज्य लाइनों को उखाड़ने में देरी के कारण सामग्री की चोरी से परिषद् को 40.01 लाख रुपये की परिहार्य हानि हुई।

नये 132 के.वी. सब–स्टेशनों के चालू होने के पश्चात् वर्तमान 33 के.वी. लाइनें निष्प्रयोज्य हो गयी। सम्बन्धित खण्डों द्वारा लाइनों को उखाड़ने के लिए लंबित कार्यवाही न करने के कारण 40.01 लाख रुपये मूल्य की सामग्री इन लाइनों से चुरा ली गई। अवशेष बची हुई 26.90 लाख रुपये मूल्य की सामग्री अगस्त 1997 तक इन लाइनों से नहीं उतारी गई तथा उन्हें खुले रुप से भविष्य में चोरी के लिए छोड़ दिया गया।

3द.4.6 निधि की अवरुद्धता

सिंचाई तथा औद्योगिक चारों को आपूर्ति ऊर्जा में सुधार करने के लिए वर्ष 1988–89 में 33/11 के.वी. उप–संस्थान, चोपन के निर्माण का प्रस्ताव किया गया। उप–संस्थान को वर्तमान 33 के.वी. डाला चोपन लाइन से ऊर्जीकरण होना था। 33/11 के.वी. उप–संस्थान चोपन का निर्माण कार्य 19.75 लाख रुपये की लागत से मा.वि.नि.ख. वाराणसी द्वारा मार्च 1989 में पूरा कर लिया गया था। तथापि, 33 के.वी. डाला–चोपन लाइन में दोष आ जाने जो 0.91 लाख रुपये के व्यय पर ठीक हो सकता था, के कारण इसको सितम्बर 1997 तक चालू नहीं किया जा सका। इस प्रकार, उप–संस्थान के निर्माण पर हुआ व्यय (19.75 लाख रुपये) निष्फल हो गया

मार्च 1989 में पूर्ण निर्मित उपसंस्थान के ऊर्जाकरण न होने से 0.20 करोड़ रुपये की परिषद् निधि अवरुद्ध हुई जिसके फलस्वरूप 0.30 करोड़ रुपये की ब्याज की हानि हुई।

तथा अवरुद्ध निधि पर, 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अप्रैल 1989 से सितम्बर 1997 की अवधि में ब्याज के रुप में आंकलित 30.22 लाख रुपये की हानि हुई।

3द.5. वितरण ट्रान्सफार्मरों का अत्यधिक खराब होना

1996–97 तक के पाँच वर्षों की अवधि में 23083 ट्रान्सफार्मरों जिनकी कीमत 82.60 करोड़ रुपये की मानक से अधिक संख्या में खराब हुये।

वितरण ट्रान्सफार्मरों (25 से 1000 के.वी.ए.) का जीवन काल 25 वर्ष अनुमानित है वशर्तें अनुश्रवण की निवारक अनुरक्षरता समयबद्धता का ध्यान रखा जाय तथा निवारक उपाय उपलब्ध हो। परिषद् ने यह भी निर्धारित किया (मई 1982) कि एक वर्ष में स्थापित ट्रान्सफार्मरों के 2 प्रतिशत से अधिक ट्रान्सफार्मर क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए। क्षतिग्रस्त को न्यूनतम करने के लिए परिषद् ने (मई 1982) फील्ड यूनिटों को कई कदम उठाने की संस्तुति की, यथा (i) क्षतिग्रस्तता के कारणों का पता लगाने के साथ विस्तृत अनुश्रवण करना (ii) प्रत्येक ट्रांसफार्मर का ऐतिहासिक रिकार्ड रखना (iii) 25 के.वी.ए. रेटिंग्स से ऊपर के ट्रान्सफार्मरों के लिए 11 के वी ए छोर पर ड्राप आउट फ्यूज का प्रयोग करना (iv) एल.टी. छोरों को क्रिम्पिंग टूल्स तथा कापर लग्स से जोड़ना तथा (v) एल.टी. छोरों पर दबाब व भार न आने देना आदि। तथापि, खण्डों ने परिषद् द्वारा संस्तुत निवारक उपायों का अनुगमन नहीं किया जिसके कारण 15 खण्डों में क्षतिग्रस्तता की दर निर्धारित मानक से सदैव अधिक 2.3 तथा 90.5 प्रतिशत के बीच रही। वर्ष 1992–93 से 1996–97 की अवधि में निर्धारित मानक से अधिक क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों की संख्या 23083 थी (जारी दर पर कुल मूल्य 8259.73 लाख रुपये)।

सदस्य (वितरण) ने ट्रान्सफार्मरों की क्षतिग्रस्तता पर टिप्पणी करते हुए (नवम्बर 1991) मुख्य अभियन्ताओं को ट्रान्सफार्मरों की क्षतिग्रस्तता के कारणों का पता न लगाने के लिए उत्तरदायी ठहराया तथा ट्रान्सफार्मरों की क्षतिग्रस्तता में कमी लाने के लिए दिसम्बर 1991 यूज लगाने की कार्य–योजना निर्धारित की। तथापि, क्षेत्रीय प्रबन्धन ने इन ट्रान्सफार्मरों की क्षतिग्रस्तता को नियन्त्रित करने की कोई कार्यवाही अगस्त 1997 तक नहीं की।

3द.5.1 वितरण ट्रांसफार्मरों को न लौटाने से हानि

इलेक्ट्रिसिटी स्टोर प्रोक्योरमेन्ट सर्किल, लखनऊ द्वारा समय–समय पर विभिन्न फर्मों से ट्रांसफार्मरों की मरम्मत के लिए दर–संविदायें की गयी थीं तथा ट्रांसफार्मरों की मरम्मत इन्हीं दर–संविदाओं के विरुद्ध ही करवाने थे। इन दर–संविदाओं में, ट्रांसफार्मरों को मरम्मत के लिए फर्मों को दिये जाने के पूर्व ही, दी जाने वाले ट्रांसफार्मरों के मूल्य का आवृत करते हुए सिक्योरिटी डिपाजिट प्राप्त करने का प्रावधान था।

मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता ने, तुरन्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए 10 वितरण–ट्रांसफार्मरों को तत्कालीन दर–संविदाओं की शर्तों तथा दरों पर, विद्युत उद्योग, वाराणसी से मरम्मत कराने का अनुमोदन किया (अप्रैल 1, 1987)। तथापि, न0वि0वि0ख0 .iv वाराणसी ने, अनुमोदन की तिथि से एक साल बाद, बिना कोई जमानत लिए, 10 वितरण ट्रांसफार्मरों (निर्गत दर पर मूल्य 8.25 लाख रुपये) को जून 1988 में फर्म को दे दिया। फर्म ने अगस्त 1997 तक इन ट्रांसफार्मरों को वापस नहीं किया। खण्ड ने इन ट्रांसफार्मरों के मूल्य की वसूली के लिए पुलिस विभाग में न तो कोई एफ.आई.आर. लिखाई और न ही कोई कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ की।

इस प्रकार, तुरन्त आवश्यकता के बहाने (संस्तुति के एक साल पश्चात् ट्रांसफार्मरों को दिया जाना) निर्धारित–प्रक्रिया से हटकर तथा बिना कोई जमानत प्राप्त किये, ट्रांसफार्मर दे देने वाला जोन का कार्य परिषद् के वित्तीय हित में नहीं था।

3द.6. उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ

कार्य पूरा होने के पश्चात् नोटिस निर्गत न करने के कारण उपभोक्ता को 21.37 लाख रुपये का अनुचित लाभ दिया गया।

(i) परिषद् द्वारा ट्रैम्बकम फ्लोर मिल्स को 500 के.वी.ए. का एक विद्युत भार स्वीकृत किया गया (अप्रैल 1990) तथा वि.वि.ख. I जौनपुर द्वारा 31 अगस्त 1991 को एक अनुबंध निष्पादित किया गया। उपभोक्ता को संयोजन देने के लिए लाइन का कार्य (11 के वी स्वतन्त्र पोषक) खण्ड द्वारा जुलाई 1992 में पूरा कर लिया गया था लेकिन उपभोक्ता द्वारा अपने इन्सटालेशन का कार्य पूरा न किये जाने के कारण संयोजन 6 मार्च 1995 को किया जा सका। परिषद् के 1976 तथा जून 1985 के आदेशों के अनुसार बिलिंग के उद्देश्य से विद्युत–आपूर्ति की तिथि, संयोजन की वास्तविक तिथि अथवा उपभोक्ता को लाईन के कार्य–समाप्ति के बाद एक माह की दी गयी नोटिस की समाप्ति की तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, होगी। चूँकि अपेक्षित नोटिस नहीं दी गई थी, अतः उपरोक्त आदेश में दिये प्रावधान के अनुसार निर्धारण नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, उपभोक्ता को सितम्बर 1992 से फरवरी 1995 की अवधि में 21.37 लाख रुपये (न्यूनतम चार्ज से आधार पर) का अनुचित लाभ दिया गया।

(ii) परिषद् द्वारा, राजी स्टील (प्रा0) लिमिटेड, सतहरिया (जौनपुर) के पक्ष में उनके इन्डक्सन फरनेस के लिए 2350 के.वी.ए. का एक भार जो 132 के.वी.ए. उप संस्थान मछली शहर से 33 के.वी. स्वतन्त्र लाइन द्वारा दिया जाना था, स्वीकृत किया गया (नवम्बर 1991)। उसके पश्चात् परिषद् के अध्यक्ष ने लाइन को 33 के.वी. उप संस्थान, मुगराबाद शाहपुर से दिये जाने की अनुमति दी। इस भार को उपरोक्त के अनुसार दिये जाने के लिए खण्ड (वि.वि.ख. II जौनपुर)

ने 16.10 लाख रुपये का प्राक्कलन जिसमें उपभोक्ता से लिये जाने वाली लाइन सर्विस चार्जेज (7.80 लाख रुपये) तथा परिषद् को चार्ज होने वाले 8.30 लाख रुपये (6.11 लाख रुपये एम.ओ.सी.वी. के मूल्य को सम्मिलित करते हुए) सम्मिलित था।

प्राक्कलन की जाँच में पाया गया कि एस.टी. पोल/रेल तथा ए.सी.एस.आर. रैकून कन्डक्टर (अधिक मूल्य की सामग्री) के स्थान पर प्राक्कलन में पी.सी.सी. पोल तथा ए.सी.एस.आर. बीजल (कम मूल्य की सामग्री) का प्रावधान किया गया तथा एम.ओ.सी.वी. का मूल्य जो उपभोक्ता से वसूलना था। परिषद् को चार्ज किया गया। इस प्रकार उपभोक्ता को 10.34 लाख रुपये की सीमा तक लाभ दिया गया।

इसके अतिरिक्त, परिषद् आदेश (जून 1992) के विरुद्ध उपभोक्ता को संयोजन 4.02 लाख रुपये के लागत से 33 के.वी. ट्रंक लाईन मछली शहर मुगरा बादशाहपुर से जोड़कर दे दिया गया (जुलाई 1994) तथा अवशेष धनराशि 3.78 लाख रुपये (उपभोक्ता द्वारा मार्च 1994 में सर्विस लाइन चार्ज के रूप में जमा किये गये 7.80 लाख रुपये में से) सितम्बर 1994 में वापस कर दिया गया।

इस प्रकार, उपभोक्ता से 33 के.वी. स्वतन्त्र लाइन के लिए सर्विस लाइन चार्ज के रूप में 18.14 लाख रुपये लेने के स्थान पर उपभोक्ता से संयोजन देने के लिए केवल 4.02 लाख रुपये लिये गये परिणामता उपभोक्ता को 14.12 लाख रुपये का अनुचित लाभ दिया गया।

(iii) पी.वी.के. डिस्टिलरी लिमिटेड, नन्दगंज (भार 118 के.वी.ए.) का संयोजित भार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के निर्देशानुसार वि.वि.ख. I गाजीपुर द्वारा मार्च 1993 में विच्छेदित कर दिया गया। न्यूनतम चार्ज तथा विलम्ब से भुगतान का सरचार्ज (विच्छेदन की तिथि के पहले के 2.25 लाख रुपये अवशेष को लेकर) के आधार पर अप्रैल 1995 तक के विद्युत–बिलों की आंकलित बाकी राशि, 7.72 लाख रुपये थी। विच्छेदन की अवधि के समस्त प्रभारों की माफी तथा नये संयोजन (118 के.वी.ए.) की स्वीकृति हेतु उपभोक्ता के आवेदन (मई 1995) पर मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) में अधीक्षण अभियन्ता को 2.25 लाख रुपये, मात्र की अवशेष राशि की वसूली करने के पश्चात् उपभोक्ता को नया भार स्वीकृत करने तथा आपूर्ति देने के लिए निर्देशित किया। मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वाराणसी द्वारा 118 के.वी.ए. का नया भार स्वीकृत कर दिया गया (दिसम्बर 1995) तथा जुलाई 1996 में संयोजित कर दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई (कन्ज्यूमर) रेगुलेशन 1984 के धारा 8(11) के अनुसार उपभोक्ता बकाया अवशेषों के साथ विच्छेदित अवधि के न्यूनतम् प्रभार का भुगतान करने के लिए अपेक्षित था। इस प्रकार, पुराने संयोजन के स्थान पर नया संयोजन देने से उपभोक्ता को 5.47 लाख रुपये का अनुचित लाभ दिया गया।

उपसंहार

परिषद् के वितरण समन्वय के पुनरीक्षित संरचना योजना (1987) के अनुसार, मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वाराणसी को क्षेत्र की कार्य–पद्धति में मितव्ययिता तथा दक्षता लाने के उत्तरदायित्व से सन्निहित किया गया था। मु.क्षे.अ. ऊर्जा के क्षरण तथा परिसम्पत्तियों, राजस्व अवशेषों की वसूलियों तथा ऊर्जा हानियों पर नियन्त्रण के निर्देशन, नियोजन तथा अनुश्रवण के लिए भी उत्तरदायी था।

क्षेत्र की अप्रभावी अनुश्रवण तथा नियन्त्रण के कारण राजस्व अवशेषों में भारी वृद्धि, वितरण हानियाँ भी नियन्त्रित नहीं की जा सकीं तथा बिलिंग न होने/ कम होने, गलत तथा दोष–पूर्ण मीटरिंग के कारण व्यावसायिक हानियाँ रोकी नहीं जा सकीं जिसके परिणामतः ऊर्जा प्रभारों का कम निर्धारण हुआ। प्रबन्धन असफलता के कारण रोकड़ तथा सम्पत्तियों की हानि/क्षरण नियन्त्रित नहीं किया जा सका।

खण्डों के राजस्व समन्वयों को सुदृढ़ करना अपेक्षित है ताकि ऊर्जा का सही निर्धारण हो सके तथा व्यवसायिक हानियाँ कम की जा सकें। वितरण ट्रांसफार्मरों की जल्दी जल्दी क्षतिग्रस्तता को रोकने के लिए गहन अनुश्रवण की आवश्यकता है। डिफाल्टिंग उपभोक्ताओं का विच्छेदन तथा वसूली प्रमाण पत्रों को जारी करने की प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता है जिससे राजस्व अवशेषों में कमी की जा सके।

अध्याय III

पनकी ताप विद्युत गृह

अनुच्छेद 3ई

पनकी ताप विद्युत गृह

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
1.1	प्रस्तावना	232
1.2	लेखा परीक्षा क्षेत्र	232
1.3	संगठनात्मक ढाँचा	232
2.	क्रिया कलापों का सम्पादन	233
2.1	संयंत्र उपलब्धता एवं क्षमता उपयोग	233
2.2	विवशक बन्दी	235
2.3	सहायक संयंत्रों में खपत	235
3.	उत्पादन की उच्च लागत	237
4.	न्यून तापीय दक्षता के कारण इनपुट्स की अधिक खपत	238
4.1	कोयले की अधिक खपत	239
4.2.1	ईंधन तेल की अधिक खपत	241
4.2.2	टरबाइन आयल की अधिक खपत	242
4.3	डिमनरलाइज्ड वाटर की अधिक खपत	243
5.	रेलवेज की प्रदत्त योजना के न अपनाने से हुई हानि	243
6.	कोयला परिचालन अभिकर्ता की नियुक्ति में समन्वय की कमी से हानि	244
7.	अधिक मानव शक्ति की तैनाती	245
8.	भण्डार प्रबन्धन	245
8.1	भण्डार संधारण	245
9.	नियंत्रण लेखा अभिलेखों का व्यवस्थित न किया जाना	245
10.	अन्य रोचक विषय	246
	उपसंहार	247

अनुच्छेद 3ई

पनकी ताप विद्युत गृह

मुख्य अंश

पनकी ताप विद्युत गृह (पी.टी.पी.एस.) में चार संयंत्र (32 मेगादाट के दो संयंत्र क्रमशः अक्टूबर 1967 एवं जुलाई 1968 में तथा 110 मेगावाट के दो संयंत्र नवम्बर 1976 एवं मार्च 1977 में संस्थापित) हैं। जिनकी कुल क्षमता 284 मेगावाट है। जनवरी 1990 में क्षमता घटकर 274 मेगावाट रह गई।

(प्रस्तर 3ई 1.1)

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) ने विद्युत गृह के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के पश्चात् प्लान्ट लोड फैक्टर में औसतन 11 प्रतिशत के सुधार एवं 283 मिलियन यूनिट के अतिरिक्त उत्पादन की अपेक्षा की थी। किन्तु मुख्य मशीनों की ओवरहालिंग एवं प्रतिस्थापना के बावजूद पी.एल.एफ. केवल 23.6 एवं 35.1 के मध्य रहा जो कि नवीनीकरण के पूर्व की समयावधि से भी कम है। जिसके फलस्वरूप वर्ष 1996–97 तक के पाँच वर्षों में रुपये 187.91 करोड़ मूल्य का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त नहीं हुआ।

(प्रस्तर 3ई 2.1)

निर्धारित 10 प्रतिशत प्रतिमान के विरुद्ध सहायक संयंत्रों में खपत 10.9 एवं 16.1 प्रतिशत के मध्य रही जिसके फलस्वरूप वर्ष 1996–97 तक के पाँच वर्षों में विद्युत गृह में 147.482 मिलियन यूनिट विद्युत (मूल्यः 19.47 करोड़ रुपये) की ज्यादा खपत हुई।

(प्रस्तर 3ई 2.3)

1996–97 तक के पिछले पाँच वर्षों में विद्युतगृह में विद्युत उत्पादन लागत 144.74 पैसे प्रति यूनिट के बीच रही, जबकि इस बीच परिषद् की औसत राजस्व 118 पैसे और 148 पैसे के मध्य थी। उत्पादन की उच्च लागत निम्न ऊर्जा क्षमता, जिसके कारण 94.29 करोड़ रुपये की ऊष्मा हानि एवं कोयला, तेल और खनिज रहित (डिमिनरलाइज्ड) जल की ज्यादा खपत होने के कारण हुई।

(प्रस्तर 3ई 4)

परिषद् द्वारा रेलवे की प्रिपेड योजना के अन्तर्गत लदान स्थल पर भाड़े के अग्रिम भुगतान के तरीके को अपनाकर एवं फ्री रेलवे रसीद (प्रीपेड योजना के अन्तर्गत) प्राप्त न कर पाने के फलस्वरूप 1996–97 तक के पाँच वर्षों के मध्य रुपये 12.35 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(प्रस्तर 3ई 5)

3ई 1.1 प्रस्तावना

पनकी ताप विद्युत गृह (पी.टी.पी.एस.) में चार संयंत्र (32 मेगावाट के दो संयंत्र एवं 110 मेगावाट के दो संयंत्र) हैं जिनकी कुल क्षमता 284 मेगावाट है। 32 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों की स्थापना अक्टूबर 1967 तथा जुलाई 1968 तथा 110 मेगावाट संयंत्रों की स्थापना क्रमशः नवम्बर 1976 एवं मार्च 1977 में हुई। 110 मेगावाट संयंत्रों में अन्तर्निहित अवरोधों के कारण कुल क्षमता घटाकर 274 मेगावाट कर दी गई (जनवरी 1990)।

3 ई 1.2 लेखा परीक्षा क्षेत्र

विद्युत गृह की क्रिया-कलापों की समीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1982 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार में प्रकाशित हुई। तदुपरान्त् (I) ईंधन प्रबन्धन, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण और (II) पी.टी.पी.एस. के भण्डार नियंत्रण विषयों पर समीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1991 एवं 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्षों के प्रतिवेदन में समाविष्ट की गई। इन प्रतिवेदनों पर अभी तक सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा नहीं की गई है (सितम्बर 1997)।

विद्युत गृह के मार्च 1996 तक के पाँच वर्षों की समयावधि के कार्य निष्पादन की समीक्षा माह अगस्त 1996 से मार्च 1997 की अवधि में की गई तथा मार्च 1997 तक के परिचालन सम्बन्धित आकड़ों का समावेश (सितम्बर 1997 में) निम्नलिखित अनुच्छेदों में किया गया है।

3ई.1.3 संगठनात्मक ढाँचा

पनकी ताप विद्युत गृह का समग्र प्रबन्धन परिषद् के सदस्य (उत्पादन) में सन्निहित है तथा पनकी में नियुक्त महाप्रबन्धक पी.टी.पी.एस. के दिन प्रतिदिन प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी है। एक उप मुख्य लेखाधिकारी एवं पाँच अधीक्षण अभियन्ता, जो कि भण्डार परिचालन एवं अनुरक्षण, ब्वायलर एवं टरबाइन को सम्मिलित करते हुए, कन्ट्रेल एवं इन्सट्रूमेन्टेंशन, कोयला परिचालन एवं अन्य सिविल कार्यों को सम्मिलित करते हुए, के प्रभारी हैं, मात्र प्रबन्ध के सहयोग के लिए हैं। अधीक्षण अभियंताओं के सहयोग के लिए 17 अधिशासी अभियंता है।

3ई 2 क्रियाकलापों का सम्पादन

3ई 2.1 संयंत्र उपलब्धता* एवं क्षमता उपयोग**

संयंत्र उपलब्धता में कमी एवं पी.एल.एफ. के निम्नस्तर के फलस्वरूप 1415 मिलियन यूनिट्स जिसका मूल्य 187.91 करोड़ रुपये है, का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त नहीं हुआ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के प्रतिवेदन में उद्धृत किया गया था कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) ने रुपये 44.66 करोड़ लागत की संशोधित परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत करते हुए (फरवरी 1989) अपेक्षा की थी कि संयंत्र का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण पूर्ण होने के पश्चात् नवीनीकरण के पूर्व अवधि (1984–85 जबकि नवीनीकरण कार्य प्रारम्भ किया गया) की तुलना में जब कि यह 31.5 प्रतिशत 32 मेगावाट संयंत्र में तथा 49.3 प्रतिशत 110 मेगावाट संयंत्र में था, प्लाण्ट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) में औसतन 11 प्रतिशत का सुधार तथा 60 प्रतिशत पी.एल.एफ. पर 283 मिलियन यूनिट्स का अतिरिक्त उत्पादन होगा। संयंत्र के अधिकांश नवीनीकरण के कार्य मार्च 1992 में पूर्ण हो गए थे, तथा पी.टी.पी. एस द्वारा 1996–97 तक ओवरहालिंग एवं ब्वायलर्स टरबाइन्स कोयला संचालन संयंत्र विद्युत उपकरण कन्ट्रोल एवं इन्सट्रूमेन्टेशन आदि के अधिकांश हिस्सों के प्रतिस्थापना पर किया गया व्यय 43.20 करोड़ रुपये था। परन्तु पी.टी.पी.एस. 60 प्रतिशत पी.एल.एफ. प्राप्त करने में असफल रहा जिसके कारण वांक्षित उत्पादन वृद्धि प्राप्त नहीं हुई। नवीनीकरण के पश्चात् की समयावधि (1992–97) में 60 प्रतिशत पी.एल.एफ. का वांछित स्तर प्राप्त नहीं हो सका तथा यह अधोलिखित विवरण के अनुसार 23.6 एवं 39.7 प्रतिशत के मध्य रहा (समग्र 45.2 प्रतिशत–32 मेगावाट संयंत्र की क्षमता को छोड़ने के पश्चात् जो कि निष्प्रोज्य रहा):

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
अ उपलब्ध घंटे					
32 मेगावाट***	8760	14592	17520	14616	8760
110 मेगावाट	17520	17520	17520	17568	17520

* उपलब्ध घंटों में वास्तविक संयंत्र परिचालन घंटों का अनुपात संयंत्र उपलब्धता है।

** क्षमता उपयोग वास्तविक उत्पादन से संस्थापित उत्पादन क्षमता का अनुपात है (इसे प्लाण्ट लोड फैक्टर भी कहा जाता है)

*** 32 मेगावाट क्षमता की एक यूनिट मई 1986 से जुलाई 1993 तक टरबाइन रोटर के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बन्द रही। इसे लोड पर 1993–94 से लिया गया। पुनः 32 मेगावाट क्षम्ता की एक यूनिट 30 नवम्बर 1995 से अधिक कम्पन के कारण बन्द रही जिसे लोड पर अभी नहीं लिया गया है (सितम्बर 1997)

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
ब परिचालन के घंटे					
32 मेगावाट	5359	5451	8474	6471	4127
110 मेगावाट	7005	9793	7729	6164	11830
स संयंत्र उवपलब्धता		**(प्रतिशत)**			
32 मेगावाट	61.2	37.4	48.4	36.8	23.6
110 मेगावाट	40.0	55.9	44.1	35.1	67.5
द स्थापित उत्पादन क्षमता		**(मिलियन यूनिट्स)**			
32 मेगावाट	280.320	466.940	560.640	467.712	280.320
110 मेगावाट	1839.600	1839.600	1839.600	1844.640	1839.600
य वास्तविक उत्पादन					
32 मेगावाट	121.657	124.242	183.355	140.715	92.824
110 मेगावाट	446.820	651.459	518.587	426.055	749.705
र क्षमता उपयोग या प्लाण्ट लोड					
32 मेगावाट	43.4	26.6	32.7	30.1	33.1
110 मेगावाट	24.3	35.4	28.2	23.8	40.8
ल समग्र पी.एल.एफ.	26.8	33.6	29.2	24.5	39.7

पी.एल.एफ. के निम्न स्तर के कारण 1996–97 तक के पाँच वर्षों में 187.91 करोड़ रुपये मूल्य की 1415 मिलियन यूनिट्स का अतिरिक्त वांक्षित उत्पादन प्राप्त नहीं हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 1997) कि कोयले की गुणवत्ता में कमी, संयंत्रों की बारम्बार ट्रिपिगिं एवं ब्वयालर टयूब्स में रिसाव उत्पादन में कमी के कारण थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि

संयंत्रों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के पश्चात् बतायी गई समस्यायें (कोयले की गुणवत्ता को छोड़कर) नहीं आनी चाहिये थी।

3ई.2.2 विवशक बन्दी (फोर्सड आउटेज)

विवशक बन्दी को अनुमोदित प्रतिमान के अन्तर्गत नियंत्रित कर पाने में प्रबन्धन की असफलता के फलस्वरूप रुपये 240 करोड़ रुपये मूल्य की 1817.862 मिलियन यूनिट्स की उत्पादन हानि।

सी.ई..ए. ने अपने दसवें वार्षिक विद्युत शक्ति सर्वेक्षण (1977) में इंगित किया कि विवशक बन्दी उपलब्ध घंटों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रतिमान के विरुद्ध विवशक बन्दी का वास्तविक प्रतिशत 1996–97 तक के पाँच वर्षों में 12.5 एवं 76.4 के मध्य रहा। विवशक बन्दी (ग्रिड की खराबी के अलावा) जो कि रिसाव, ब्रेकडाउन इत्यादि के कारण होती है, को अनुरक्षण एवं ओवरहालिंग की निर्धारित अनुसूची का अनुसरकण करके नियंत्रित किया जा सकता था। वर्ष 1992–93 से 1996–97 तक 10 प्रतिशत से अधिक विवशक बन्दी के कारण 1817.862 मिलियन यूनिट्स, जिनका मूल्य 240 करोड़ रुपये आंकलित होता है, की उत्पादन हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 1997) कि अधिक विवशक बन्दी सुपरहीटर्स, कन्डेन्सर एवं ब्यायलर टयूब्स् में रिसाव के कारण हुई। उत्तर अनुरक्षण की समस्याओं की देखभाल न कर पाने में प्रबन्धन की विफलताओं को इंगित करता है।

3ई 2.3 सहायक संयंत्रों में खपत

सिस्ट्म की कमियों को नियंत्रित कर पाने में प्रबन्धन की असफलता के फलस्वरूप 147.482 मिलियन यूनिट्स ऊर्जा जिसका मूल्य 19.47 करोड़ रुपये आता है, की अधिक खपत सहायक संयंत्रों में हुई।

विद्युत गृह में उत्पादित कुछ ऊर्जा की खपत सहायक संयंत्रों में होती है और वह बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती। मार्च 1997 तक के पाँच वर्षों की अवधि में सी.ई.ए. द्वारा अनुशंसित 10 प्रतिशत प्रतिमान के विरुद्ध वास्तविक सहायक खपत 10.9 और 16.1 प्रतिशत के मध्य रही जिसके फलस्वरूप 147.482 मिलियन यूनिट्स जिसका मूल्य रुपये 19.47 करोड़ होता है, की अधिक खपत अगले पृष्ठ पर दिये गये विवरण के अनुसार हुई :

वर्ष	वास्तविक उत्पादन	प्रतिमान के अनुसार सहायक संयंत्रों में खपत	वास्तविक खपत	अधिक खपत	मूल्य (करोड रुपये में)
	(मिलियन	यूनिट्स	में)		
2 x 32 मेगावाट					
1992-93	121.657	12.166	14.285 (11.7)	2.119	0.25
1993-94	124.242	12.424	16.335 (13.1)	3.911	0.47
1994-95	183.355	18.336	22.026 (12.0)	3.690	0.50
1995-96	140.715	14.072	15.340 (10.9)	1.268	0.18
1996-97	92.824	9.282	10.555 (11.4)	1.273	0.19
योग	**662.793**	**66.280**	**78.541 (11.8)**	**12.261**	**1.59**
2 x 110 मेगावाट					
1992-93	446.820	44.682	71.775 (16.1)	27.093	3.20
1993-94	651.459	65.146	97.155 (14.9)	32.009	3.84
1994-95	518.587	51.859	76.633 (14.8)	24.774	3.34
1995-96	426.055	42.606	61.621 (14.5)	19.015	2.72
1996-97	749.705	74.971	107.301 (14.3)	32.330	4.78
योग	**2792.626**	**279.264**	**414.485 (14.8)**	**135.221**	**17.88**

टिप्पणी: कुल उत्पादन पर सहायक संयंत्रों में खपत का प्रतिशत कोष्ठक में दिया गया है।

प्रबन्धन ने सहायक संयंत्रों के खपत के कारणों के विषय मे बताया (सितम्बर 1997) कि संयंत्र निम्न भार पर बारम्बार विवशक बन्दी के साथ चल रहे थे, तथा बन्दी के समय भी कुछ आक्जलरी चलती रही उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संयत्रों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के पश्चात् दोषपूर्ण कार्यशैली अपेक्षित नहीं थी। यह व्यवस्था की कमियों को नियंत्रित न कर पाने में प्रबन्धन की चूकों कों इंगित करती हैं।

3ई.3 उत्पादन की उच्च लागत

परिषद् की प्रति यूनिट औसत राजस्व की तुलना में उत्पादन लागत अत्यधिक रही जिसके परिणामस्वरूप मार्च 1997 तक के पाँच वर्षों में अधोलिखित विवरण के अनुसार 119.34 करोड़ रुपये की कमी हुई।

प्रति यूनिट औसत राजस्व की तुलना में प्रति यूनिट उत्पादन लागत अधिक होने के कारण मार्च 1997 तक के पाँच वर्षों में 119.34 करोड़ रुपये की कमी (डेफिसिट) हुई।

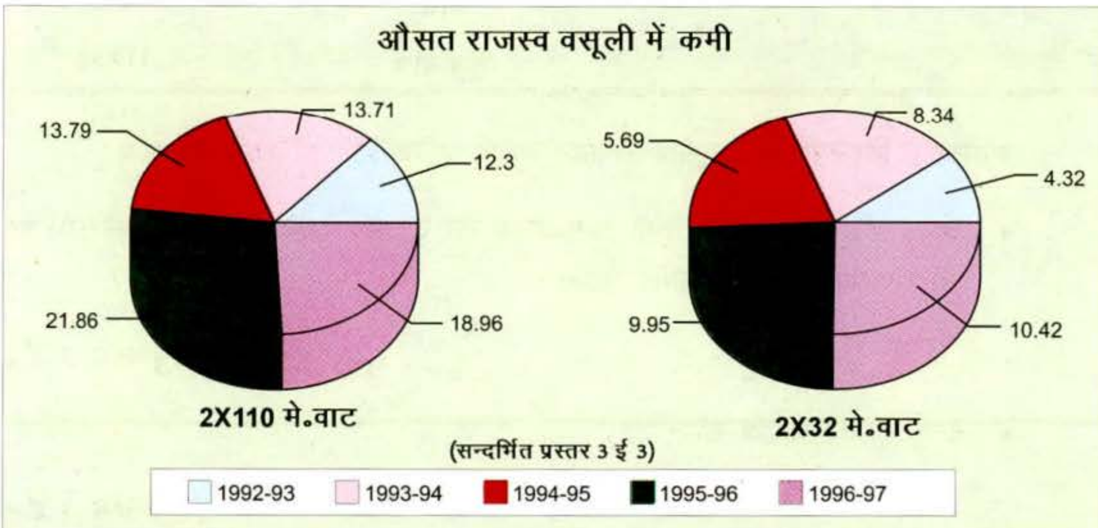

वर्ष	उत्पादन सहायक संयंत्रों में खपत को छोड़ते हुए (मिलियन यूनिट में)	उत्पादन लागत (पैसे	प्रति यूनिट औसत राजस्व प्रति	कमी यूनिट)	कुल कमी (करोड़ रुपये में)
(अ) 2 x 32 मेगावाट					
1992-93	107.372	158.22	118	40.22	4.32
1993-94	107.907	197.25	120	77.25	8.34

वर्ष	उत्पादन सहायक संयंत्रों में खपत को छोड़ते हुए (मिलियन यूनिट में)	उत्पादन लागत (पैसे	प्रति यूनिट औसत राजस्व प्रति	कमी यूनिट)	कुल कमी (करोड़ रुपये में)
1994-95	161.329	170.28	135	35.28	5.69
1995-96	125.375	222.36	143	79.36	9.95
1996-97	82.269	274.64	148	126.64	10.42
			योग		**38.72**
(ब) 2 x 110 मेगावाट					
1992-93	375.045	150.80	118	32.80	12.30
1993-94	554.293	144.74	120	24.74	13.71
1994-95	441.954	166.21	135	31.21	13.79
1995-96	364.434	202.99	143	59.99	21.86
1996-97	642.404	177.52	148	29.52	18.96
			योग		**80.62**
			कुल योग		**119.34**

सम्प्रेक्षा में विश्लेषण के अनुसार उत्पादन लागत अधिक होने के मुख्य कारण थे।

- संयंत्र की उपलब्धता में कमी, कम क्षमता का उपयोग, अधिक विवशक (फोसर्ड) बंदी एवं सहायक संयत्रों में अधिक खपत

(अनुच्छेद 3 ई.2)

- इनपुट्स की अधिक खपत एवं

(अनुच्छेद 3 ई.4)

- मानव शक्ति की अधिक तैनाती

(अनुच्छेद 3 ई.7)

3 ई.4 न्यून तापीय दक्षता के कारण इनपुट्स की अधिक खपत

गारन्टीड तापीय दक्षता की प्राप्ति में असफलता के कारण प्रबन्धन ने अधिक ऊष्मा (कोयला एवं तेल) की खपत पर 94.29 करोड़ रुपये का व्यय किया।

तापीय विद्युत गृह में खपत के मुख्य इनपुट्स में मुख्यतया कोयला, तेल एवं खनिज रहित जल हैं जिन्हें संयंत्रों

की तापीय दक्षता को उन्नत कर उत्पादन लागत में कमी हेतु नियंत्रित किया जा सकता है। तापीय दक्षता का तात्पर्य ईंधन के रूप में प्रयुक्त इनपुट्स की मात्रा में हुए विद्युत उत्पादन के समतुल्य ऊष्मा के अनुपात से है। सम्भारकों (सप्लायर्स) द्वारा 32 मेगावाट संयंत्रों की तापीय दक्षता 29 प्रतिशत तथा 110 मेगावाट संयंत्रों की 29.8 प्रतिशत तापीय दक्षता की गारन्टी दी गई थी। इसके विरुद्ध हाई प्रेशर हीटर्स को सरकिट में न ला पाने, ब्यायलर प्रेशर पार्ट्स के क्षरण को नियंत्रित तथा रिसाव पर नियंत्रण रख पाने में प्रबन्धन की असफलता के कारण वर्ष 1996–97 तक समाप्त होने वाले पाँच वर्षों में तापीय दक्षता 18.1 तथा 23.1 के मध्य रही।

गारन्टीड तापीय दक्षता न प्राप्त कर पाने के फलस्वरूप इनपुट्स (जैसे कोयला एवं तेल) ऊष्मा एवं खजिन रहित जल की अधिक खपत हुई। वांछित स्तर तक ऊष्मा बनाए रखने में असफल रहने के कारण वर्ष 1996–97 तक के पाँच वर्षों में इन इनपुट्स की अधिक खपत के कारण 4280712.28 मिलियन किलो कैलोरी ऊष्मा (966996 मीटरिकटन कोयले के समतुल्य), जिसका मूल्य रुपये 94.29 करोड़ है, का नुकसान हुआ।

3ई 4.1 कोयले की अधिक खपत

प्रबन्धन द्वारा निम्न स्तरीय गुणवत्ता के कोयले के आधार पर परिवर्तित प्रतिमानों को पाने में सफल न होने के फलस्वरूप रुपये 45.85 करोड़ मूल्य के 4.63 लाख टन कोयले की अधिक खपत हुई।

परियोजना प्रतिवेदन (सितम्बर 1962) के अनुसार कोयले की खपत इसकी कैलोरिफिक वैल्यू (सी.वी.) पर निर्भर करती है। 32 मेगावाट संयत्र के ब्यायलर सी ग्रेड कोयला (सी.वी. 4466 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम) पर अभिकल्पित है। इसके आधार पर निर्धारित कोयला खपत 0.635 किलोग्राम प्रति यूनिट थी। इसके अतिरिक्त परियोजना प्रतिवेदन (अगस्त 1970) के अनुसार 110 मेगावाट संयंत्रों के बयालर ग्रेड सी कोयला (सी.वी. 4500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम) पर 0.600 किलोग्राम प्रति यूनिट की खपत पर पूर्वभाषित थे। पी.टी.पी.एस. ने निम्न

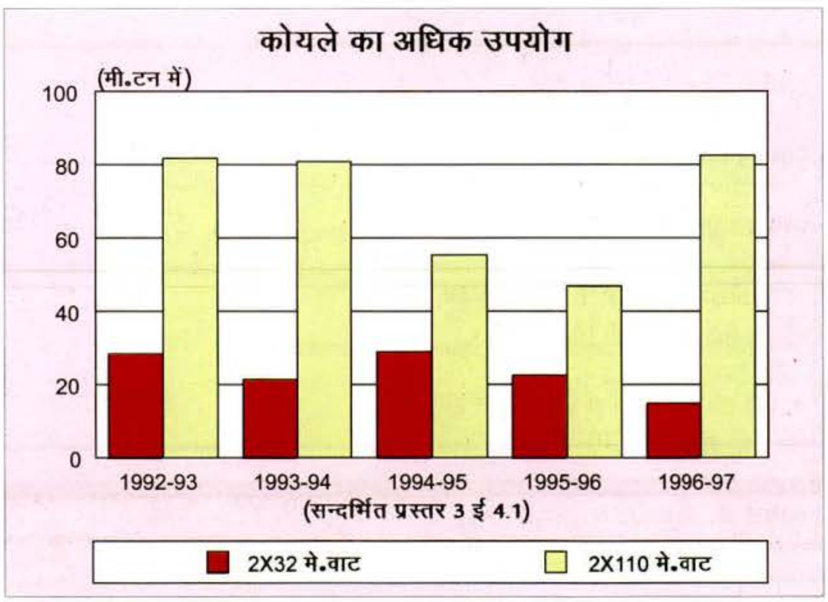

स्तर के कोयला, जिसकी ऊष्मीय शक्ति 4049 से 5530 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम के मध्य थी, का उपयोग किया। अतः निम्न स्तर के कोयले के सम्भारण के आधार पर परिषद् ने 0.70 किलोग्राम प्रति यूनिट 32 मेगावाट संयंत्र के लिए तथा 0.80 किलोग्राम प्रति यूनिट 110 मेगावाट संयंत्र कोयले की खपत का प्रतिमान निर्धारित किया। इसके विरुद्ध, वास्तविक खपत 0.86 एवं 0.93 किलोग्राम प्रति यूनिट के मध्य 32 मेगावाट संयंत्र में तथा 0.91 एवं 0.98 किलो ग्राम प्रति यूनिट के मध्य 110 मेगावाट संयंत्रों में अधोलिखित विवरण के अनुसार रही:

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
(अ) 2x32 मेगावाट					
उत्पादन (मिलियन यूनिट में)	121.657	124.242	183.355	140.715	92.824
प्राप्त कोयले की कैलोरिफक वैल्यू का वेटेड औसत (कि. कैल. प्रति कि.ग्रा.)	4886	4197	4137	4117	4335
प्रतिमान के अनुसार कोयले की अवश्यकता (कि.ग्रा. प्रति यूनिट)	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
कोयले की अवश्यकता (मी. टन में)	85160	86969	128349	98501	64977
कोयले की खपत (मी. टन में)	113475 (0.93)	108327 (0.87)	157245 (0.86)	121014 (0.86)	79829 (0.86)
अधिक खपत (मी. टन में)	28315	21358	28896	22513	14852
औसत मूल्य प्रति टन (रुपयों में)	864	1091	1045	1083	1301
अधिक कोयले की खपत का मूल्य (करोड़ रुपये में)	2.45	2.33	3.02	2.44	1.93
(अ) 2x110 मेगावाट					
उत्पादन (मिलियन यूनिट में)	446.820	651.459	518.587	426.055	749.705
प्राप्त कोयले की कैलोरिफिक वैल्यू का वेटेड औसत (कि. कैल प्रति कि.ग्रा.)	4671	4736	4149	4049	42.47
कोयले की आवश्यकता प्रतिमान के अनुसार (कि. गा. प्रति यूनिट में)	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
कोयले की आवश्यकता (मी. टन में)	357456	521167	414870	340844	599764

कोयले की खपत (मी. टन में)	439196 (0.98)	601988 (0.92)	470165 (0.91)	387710 (0.91)	682232 (0.91)
अधिक खपत (मी. टन में)	81740	80821	55295	46866	82468
औसत मूल्य प्रति टन (रुपये में)	780	918	966	1049	1166
अधिक कोयले की खपत का मूल्य (करोड़ रुपये में)	6.38	7.42	5.34	4.92	9.62

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गए आंकड़े प्रति यूनिट उत्पादित ऊर्जा पर वास्तविक खपत (किलो ग्राम) दर्शाते हैं।

अतः वर्ष 1996–97 तक के पाँच वर्षों में 45.85 करोड़ रुपये मूल्य के 463124 टन कोयले की अधिक खपत हुई। सम्प्रेक्षा में विश्लेषण के अनुसार कोयले की अधिक खपत इसकी निम्नस्तरीय गुणवत्ता के अलावा मुख्यतः कन्डेन्सर ट्यूब्स एवं ब्यायलर ट्यूब्स से रिसाव के कारण हुई।

3ई 4.2.1 ईंधन तेल की अधिक खपत

ईंधन तेल की खपत प्रतिमान की तुलना में, 1.12 लाख कि.ली. जिसका मूल्य 7.96 करोड़ रुपये है, अधिक हुई।

हल्के डीजल आयल की आवश्यकता ब्यायलरों के प्रारम्भ करने तथा लौ के स्थियीकरण के लिए होती है। परिषद् ने पी.टी.पी.एस. के लिए तेल की खपत का प्रतिमान 12 मि.ली. प्रति यूनिट निर्धारित किया (फरवरी 1983) इसकी तुलना में वास्तविक खपत 12.5 से 26.5 मि.ली. प्रति यूनिट के मध्य रही (वर्ष 1994–95 में 110 मेगावाट संयंत्रों के अलावा)। अधोलिखिपत विवरण के अनुसार 7.96 करोड़ रुपये मूल्य के 11186.745 किलो लीटर तेल की अधिक खपत हुई:

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
ईंधन तेल की खपत (किली. में)					
32 मेगावाट					
प्रतिमान के अनुसार	1459.884	1490.904	2200.260	1688.580	1113.890
वास्तविक	2200.500	3293.500	4693.000	2664.956	2001.000
अधिक	740.616	1802.596	2492.740	976.376	887.110
खपत (मि.ली प्रति यूनिट)	18.1	26.5	25.6	18.9	21.6
मूल्य (लाख रुपये में)	42.07	116.27	181.13	73.68	85.95

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
110 मेगावाट					
प्रतिमान के अनुसार	5361.840	7817.508	6223.044	5112.660	8996.460
वास्तविक	7425.740	8139.032	5379.700	6494.281	9516.723
अधिक	2063.900	321.524	शून्य	1381.620	520.263
खपत (मि.ली. प्रति यूनिट)	16.6	12.5	10.4	15.2	12.7
मूल्य (लाख रुपये में)	117.23	20.74	शून्य	104.26	50.41

प्रबन्धन ने ईंधन तेल की अधिक खपत के कारणों में अत्यधिक ट्रिपिंग्स, निम्न स्तरीय कोयला एवं विभिन्न उपकरणों का पुराना होना बताया (सितम्बर 1997)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ट्रिपिंग्स एवं पुराने उपकरणों की समस्याओं का पी.टी.पी.एस. के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण जो कि वर्ष 1996–97 तक किया गया, के पश्चात पर्याप्त कमी आ जानी चाहिए थी।

3ई 4.2.2 टरबाइन आयल की अधिक खपत

प्रतिमान की तुलना में 0.45 करोड़ मूल्य के टरबाइन आयल की अधिक खपत हुई।

टरबाइन आयल का उपयोग टर्बो जनरेटर्स में होता है। टरबाइन आयल की खपत का प्रतिमान परिषद् द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। 32 मेगावाट संयंत्रों में वर्ष 1994–95 में न्यूनतम खपत 0.52 लीटर प्रति घंटे थी। 110 मेगावाट संयंत्र के लिए बी.एच.ई.एल. (संयंत्र के निर्माता) के इरेक्शन मैनुअल के अनुसार टरबाइन आयल की खपत 0.40 लीटर प्रति परिचालन घंटे प्रति टर्बो सेट होना चाहिए था। अतः 0.52 लीटर प्रति घंटे 32 मेगावाट संयंत्रों में तथा 0.40 लीटर प्रति घंटें 110 मेगावाट संयंत्रों में खपत के विरुद्ध वर्ष 1996–97 तक के पाँच वर्षों में वास्तविक खपत 0.61 तथा 2.82 लीटर के मध्य 32 मेगावाट संयंत्रों में तथा 1.33 एवं 4.43 लीटर प्रति घंटे के मध्य 110 मेगावाट संयंत्रों में रही।

सभी संयंत्रों में वर्ष 1996–97 तक के पाँच वर्षों में सम्पूर्ण अधिक खपत 111658 लीटर, जिसका मूल्य रुपये 44.66 लाख रुपये था, हुई। प्रबन्धन ने इन आयलों की अधिक खपत के मुख्य कारणों में आयल कूलर में रिसाव तथा मशीनों की ओवरहालिंग में हुई देरी बताया (सितम्बर 1997)।

3 ई. 4.3 डिमिनरलाइज्ड वाटर की अधिक खपत

खनिज रहित जल प्राकृतिक जल (डिमिनरलाइज्ड वाटर) में कास्टिक सोडा फ्लेक एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करके उसमें से अम्लीय एवं क्षरीय तत्वों को निकाल कर प्राप्त किया जाता है। 32 मेगावाट एवं 110 मेगावाट संयंत्रों के ब्वायलर क्रमशः 120 टन प्रति घंटे तथा 375 टन प्रति घंटे जल प्रवाह के अनुसार अभिकल्पित है। परिषद् ने कुल जल प्रवाह के अधिकतम 8 प्रतिशत पर खनिज रहित जल की खपत का प्रतिमान 9.6 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे 32 मेगावाट संयंत्रों और 30 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे 110 मेगावाट संयंत्रों के लिए निर्धारित किया। इसके विरुद्ध वर्ष 1995–96 में, 32 मेगावाट संयंत्रों में वास्तविक खपत 10.1 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे तथा 110 मेगावाट संयंत्रों में 1995–96 तक के चार वर्षों में (वर्ष 1996–97 के अलावा) 32 क्यूबिक मीटर एवं 38.5 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे के मध्य रही।

इस प्रकार पी.टी.पी.एस. ने अधिकतम निर्धारित प्रतिमान से ऊपर 127918 क्यूबिक मीटर जल का अधिक खपत किया। इसके फलस्वरूप 42.854 मी0 टन (मूल्य रुपये 7.90 लाख) कास्टिक सोडा फ्लेक तथा 183.538 मी. टन (मूल्य 2.54 लाख रुपये) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (कुल मूल्य 10.34 लाख रुपये) अधिक खपत हुये।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 1997) कि खनिज रहित जल की अधिक खपत बारम्बार हुई ट्रिपिंग एवं कन्डेन्सर टयूब्स में रिसाव के पश्चात् संयंत्रों के बार–बार कमीशनिगं के कारण हुई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परिषद् ने समय से रिसाव एवं ट्रिपिंग्स में कमी न करके खनिज रहित जल की खपत को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया।

3ई.5 रेलवेज की प्रदत्त (प्रिपेड) योजना के न अपनाने से हुई हानि

लदान स्थल पर अग्रिम भुगतान की व्यवस्था न करने से 12.35 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय

रेलवेज की प्रिपेड भुगतान योजना के अन्तर्गत यदि कोयला खदान के लदान स्थल पर ही भाड़े का भुगतान कर दिया जाये और ली रेलवे रसीद प्राप्त कर ली जाए तो सरचार्ज के भुगतान की आवश्यकता नहीं रहती। यदि रेलवे रसीद ल्ेट–टु–पे आधार पर ली जाती है और भाड़े का भुगतान गन्तव्य रेलवे स्टेशन पर बैगन के प्राप्त होने के पश्चात् किया जाता है तब रेलवे भाड़े पर 5 प्रतिशत सरचार्ज (अप्रैल 1993 से 10 प्रतिशत तथा जनवरी 1995 से 15 प्रतिशत परिवर्तित दर पर) अतिरिक्त चार्ज करता है।

पी.टी.पी.एस. ने सुविधा न लेकर रेलवे रसीदें ल्ेट–टु–पे के आधार पर प्राप्त की। भुगतान की इस विधि से वर्ष 1992–93 से 1996–97 की अवधि में पी.टी.पी.एस. को 14.34 करोड़ रुपये के

सरचार्ज का दायित्व फालतू में वहन करना पड़ा। धन की अनुपलब्धता की स्थिति में यदि पी.टी.पी.एस. 18 प्रतिशत ब्याज पर कैश क्रेडिट द्वारा धन की व्यवस्था कर भाड़े का भुगतान पूर्व में कर ले रेलवे रसीद प्राप्त कर लेता तो निम्नलिखित विवरण के अनुसार पर्याप्त धन की बचत होती:

(लाख रुपये में)

वर्ष	भुगतान की धनराशि		कैश क्रेडिट का मूल्य		
	भाड़ा	सरचार्ज	प्रति माह कैश क्रेडिट की वांछित धनराशि	देय ब्याज	परिहार्य सरचार्ज
1992-93	1832.04	91.60	152.67	27.48	64.12
1993-94	3081.21	308.92	256.77	46.22	262.70
1994-95	3342.03	296.05	278.50	50.13	245.92
1995-96	2267.29	340.43	188.94	34.01	306.42
1996-97	2715.85	396.84	226.32	40.74	356.10
योग	**13238.42**	**1433.84**	**1103.20**	**198.58**	**1235.26**

अतः, लदान स्थल पर अग्रिम भुगतान करने की व्यवस्था परिकल्पित करने में परिषद् की असफलता तथा रेलवे की व्यवस्थानुसार ले रेलवे रसीद प्राप्त न कर पाने के फलस्वरूप 1996–97 तक के पाँच वर्षों में 12.35 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

3 ई.6 कोयला परिचालन अभिकर्त्ता की नियुक्ति में समन्वय की कमी से हानि

कोयले की आपूर्ति के पर्यवेक्षण एवं परिचालन हेतु प्रत्येक विद्युत गृह स्थानीय निविदाएं आमंत्रित कर कोयला परिचालन अभिकर्त्ताओं की नियुक्त करता है। टाँडा तापीय विद्युत गृह (टी.टी.पी.एस.) एवं पी.टी.पी.एस. द्वारा 1993 से 1997 तक दी गई दरों का सम्प्रेक्षा में विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि पी.टी.पी.एस. ने टी.टी.पी.एस. की अपेक्षा 1993 से 1997 की समयावधि में ऊँची दरें स्वीकृत की। इसके अलावा पी.टी.पी.एस. ने वर्ष 1996–97 की अपनी ही दरों की तुलना में वर्ष 1991 से 1996 की समयावधि में ऊँची दरें स्वीकृत की जिसके कारण 7.76 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ।

स्थानीय प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 1997) कि पूर्व में इस कार्य को करने वाली कुछ एजेन्सियाँ ही थी जिसके कारण प्रतियोगात्मक एवं नीची दरें प्राप्त न की जा सकीं। उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं हैं क्योंकि टी.टी.पी.एस. द्वारा उसी प्रकार के कार्य के लिए दी गई दरें नीची थीं। इस कार्य हेतु परिषद्

की सह ईकाइयों में समन्वय अथवा परिषद् द्वारा मुख्यालय स्तर पर की गई केन्द्रीय निविदाओं के माध्यम से इस हानि को बचाया जा सकता था।

3ई.7 अधिक मानव शक्ति की तैनाती (नियुक्ति)

अधिक मानव शक्ति होने के बावजूद, जिस पर 6.43 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय आया, विद्युत गृह ने 4.26 करोड़ रुपये का व्यय समयोपरि भत्ते में किया।

तापीय विद्युत गृहों की स्टाफिंग पैटर्न पर अनुशंसा हेतु गठित समिति (अगस्त 1989) ने अनुशंसा की (नवम्बर 1992) कि मानव शक्ति की नियुक्ति संस्थापित क्षमता पर 4.8 व्यक्ति प्रति मेगावाट होनी चाहिए। इसके विरुद्ध वास्तविक नियुक्ति 5.8 एवं 6 व्यक्ति प्रति मेगावाट के मध्य रही जिसके कारण 1996–97 तक के पाँच वर्षों में 285 से 430 कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति रही।

एक आपरेटर के न्यूनतम वेतन के आधार पर अधिक नियुक्त कर्मचारियों के ऊपर 6.43 करोड़ रुपये का व्यय आया है। अधिक मानव शक्ति के बावजूद, पी.टी.पी.एस. ने समयोपरि भत्ते पर प्रतिवर्ष रुपये 58.42 लाख एवं 102.87 लाख के मध्य (कुल रुपये 426.42 लाख) का व्यय वर्ष 1992–93 से 1996–97 की समयावधि में किया।

3ई.8 भण्डार प्रबन्धन

3ई.8.1 भण्डार संधारण

मार्च 1997 तक पाँच वर्षों में विद्युत गृह के भण्डार लेखों में प्रदर्शित भण्डार संधारण (ईंधन एवं तेल के अतिरिक्त) के मूल्य की स्थिति नीचे दी गई है:–

(लाख रुपये में)

विवरण	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
प्रारम्भिक अवशेष	1502	143	114	1455	1376
प्राप्तियाँ	315	489	3062	1137	649
निर्गमन	1674	518	1721	1216	579
अन्तिम अवशेष	143	114	1455	1376	1446
अवशेष भण्डार महीने की खपत के रूप में	1.0	2.6	10.1	13.6	30.0

परिषद् द्वारा विद्युत गृह के भण्डार संधारण की सीमा निहित नहीं की गई है। भण्डार संधारण का अवशेष वर्ष 1992–93 में एक माह की खपत से बढ़कर 1996–97 में 30 माह की खपत तक हो गया। दिन प्रति दिन की आवश्यकता हेतु 3 माह के भण्डार खपत को छोड़कर वर्ष 1996–97 तक के पाँच वर्षों में अधिक भण्डार संधारण पर 18 प्रतिशत ब्याज की दर से रुपये 611.64 लाख के ब्याज की हानि हुई। सम्प्रेक्षा में यह भी देखा गया कि

- भण्डार के अन्तिम अवशेष के मूल्य का मिलान भण्डार मूल्य खाता से, इसके अद्यतन व्यवस्थित न किए जाने के कारण, नहीं किया गया।
- भण्डार के अधिकतम, न्यूनतम तथा पुनर्खरीद स्तर को प्रबन्धन/परिषद् द्वारा निर्धारित नहीं किया गया।
- सामग्रियों का नाजुक, साधारण, तेज एवं मन्द गति की सामग्रियों में वर्गीकृत नहीं किया गया।
- माह दिसम्बर 1994 में 1278 लाख रुपये के समायोजन, जो कि पुस्तक अवशेष एवं वास्तविक अवशेष का अन्तर है, के कारण वर्ष 1994–95 एवं उससे अगले वर्षों में भण्डार के पुस्तक मूल्य में असाधारण वृद्धि हुई।

3ई.9 नियंत्रण लेखा अभिलेखों का व्यवस्थित न किया जाना

भण्डार सम्बन्धी नियंत्रय अभिलेखों (4 एस एवं 4 टी), उचन्त रजिस्टर (क्रय एवं प्रकीर्ण अग्रिम), रजिस्टर ऑफ वर्क्स एवं वर्क्स कम्पलीशन रिपोर्ट्स या तो व्यवस्थित नहीं की जा रही थी या जहां मेन्टेन्ड थी उनकी पोस्टिंग अथवा क्लोजिंग नहीं की गई। उनके व्यवस्थित न किए जाने, पोस्टिंग अथवा क्लोजिंग न किए जाने के फलस्वरूप, अधिक बुकिंग से प्राप्त सामग्री/दिए गए अग्रिम भुगतान के केसेज, कार्यों के विरुद्ध किए गए व्यय पर नियंत्रण इत्यादि सम्प्रेक्षा में प्रमाणित न हो सके।

3 ई.10 अन्य रोचक विषय

अपर्याप्त बीमा सुरक्षा से हानि

पी.टी.पी.एस. के लोकोमोटिव इंजन को कोयले के वैगन्स की शन्टिग हेतु परिसर से बाहर जाना होता है। चूँकि पी.टी.पी.एस. लोकोमोटिव उसी पथ से, जिस पर रेलवे लोकोमोटिव गतिशील रहता था, गुजरना पड़ता था, इसका पेरिल्स आफ एक्सीडेन्ट बाई एक्सटर्नल मीन्स से सुरक्षा हेतु

कम्प्रीहेन्सिव बीमा कराना आवश्यक था। किन्तु पी.टी.पी.एस. ने अपने परिसर के अन्दर के लिए केवल अग्नि बीमा पालिसी ली थी।

26 मई 1994 को पी.टी.पी.एस. का लोकोमोटिव इंजन रेलवे के लोकोमोटिव इंजन से टकराकर पनकी रेलवे स्टेशन तक घिसटता चला गया और इस प्रक्रिया में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। यद्यिप पी.टी.पी.एस. ने न्यू इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ में दावा पेश किया (मई 1994) परन्तु उन्होंने यह कहते हुए कि दुर्घटना, अग्नि बीमा पालिसी में सम्मलित नहीं थी, इसे खारिज कर दिया (जनवरी 1995) इसी बीच पी.टी.पी.एस. ने 26.36 लाख रुपये का व्यय निर्माण एवं ओवरहालिंग (11.50 लाख रुपये) तथा स्पेयर्स (14.86 लाख रुपये) पर किया। पर्याप्त बीमा सुरक्षा के द्वारा किया गया व्यय बचाया जा सकता था।

उपसंहार

अक्टूबर 1967 तथा मार्च 1977 के मध्य चार चरणों में कुल 284 मेगावाट संस्थापित क्षमता के साथ स्थापित पनकी ताप विद्युत गृह पर पी.एल.एफ. के सुधार एवं संयंत्रों की सम्पूर्ण दक्षता के लिए ओवरहालिंग एवं नवीनीकरण पर (1992–97) पर्याप्त व्यय हुआ। इसके अलावा न्यून संयंत्र उपलब्धता, निम्न क्षमता उपयोग, अनुरक्षण में कमी, संयंत्र बन्दी की अधिकता, कोयला, तेल एवं रसायनों की अधिक खपत ने इसको क्रियान्वयन को बुरी तरह प्रभावित किया जिसके फलस्वरूप वांछित स्तर पर उत्पादन प्राप्त नहीं हुआ।

संयंत्रों की दक्षता वार्षिक अनुरक्षण अनुसूची का पालन कर तथा समय से पूँजीगत ओवरहालिंग/संयंत्रों के दोष निवारण के द्वारा सुधारी जा सकती थी।

यह प्रकरण परिषद् तथा सरकार को जून 1997 में प्रतिवेदिन किया गया जिसके उत्तर सितम्बर 1997 तक प्राप्त नहीं हुए।

अध्याय IV

विविध रुचिकर विषय

अध्याय IV
विविध रूचिकर विषय

अनुच्छेद 4अ
सरकारी कम्पनियाँ

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड	
1.	असोवनीयत आयात के कारण हानि	253
2.	संस्थागत विक्रय एजेण्ट को अस्वीकृत कमीशन का भुगतान	254
	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड	
3.	परिनिर्धारित क्षति का परिहार्य भुगतान	255
4.	न्यून ऊर्जा गुणांक के कारण अधिभार का परिहार्य भुगतान	256
	उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	
5.	अधिक अनुबन्धित भार के कम न किये जाने से हानि	257
6.	विदेशी मुद्रा की बुकिंग न करने से हानि	258
7.	न बिकने योग्य पालीयेस्टर सिलाई धागे का सादे हैंक लच्छी के रूप में उत्पादन से हानि	259
8.(अ)	निधि के अविवेकपूर्ण प्रबन्धन से हानि	260
8.(ब)	खाते में चेक के विलम्बित जमा करने से हानि	261
	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	
9.	भूमि खण्ड के प्रत्यावस्थान के कारण हानि	261
10.	अशुद्ध माँग उठाने के कारण हानि	262
11.	न्यून दर पर औद्योगिक भूखण्ड का आवंटन	263
12.	बैंक प्रत्याभूति न भुनाने के कारण हानि	264
	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	
13.	इक्विटी अंशपूँजी के असमापन तथा वसूली का अनुसरण न करने के कारण हानि	265
14.	परिहार्य व्यय	266

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
15.	भूखण्ड की लागत के लिये भवन निर्माण अग्रिम का अस्वीकृत न होने से हानि	267
उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड		
16.	नकद धन का गबन	268
उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एवं लाईवस्टाक स्पेश्यलिटीज़ लिमिटेड		
17.	वैक्सीन के प्रपण में उच्च दरों के कारण परिहार्य व्यय	269
उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड		
18.	ब्याज की हानि	270
उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य व आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड		
19.	बैंक प्रत्याभूति के अ–नकदीकरण से रायल्टी/कमीशन की हानि	271
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड		
20.	बोनस का अनाधिकृत भुगतान	272
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड		
21(अ)	अनाधिकृत कटौती के विरुद्ध अनुसरण न करने से हानि	273
21(ब)	वापस न की गई खाली सीमेण्ट की बोरियों पर अतिरिक्त प्रभार का भुगतान	274
उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड		
22.	रेलवे दावे की अस्वीकृति से हानि	274
23.	नकद क्रेडिट लेखे में बिक्री–प्राप्ति को क्रेडिट न करने से हानि	275

अनुच्छेद 4अ

सरकारी कम्पनियाँ

अपट्रान इण्डिया लिमिटेड

4अ.1 असोवनीयत आयात के कारण हानि

कम्पनी ने प्रक्रिया नियन्त्रण उपकरण के उत्पादन के लिये उनके अनुकूलन, बाजारीय माँग एवं वित्तीय सम्बन्ध सुनिश्चित किये बगैर अगस्त 1985 से जुलाई 1991 के दौरान सी.आई.एफ. मूल्य (लागत, बीमा, भाड़ा) पर 177.77 लाख रुपये विभिन्न पुर्जों एवं घटकों के आयात के आदेश निर्गत किये इन उपकरणों को ऊर्जा, स्टील, खाद एवं रसायनिक सेक्टर के बिक्री किये जाने का प्रयोजन था। जून 1985 से दिसम्बर 1991 के दौरान प्राप्त पुर्जों को दिल्ली (110.55 लाख रुपये) तथा लखनऊ (67.22 लाख रुपये) बन्धक भण्डारणों में रखे गये। बंधक भण्डारण में से उपकरणों को कस्टम डियूटी एवं भण्डारण शुल्क का भुगतान करके लेना था।

कम्पनी ने उपयुक्तता को सुनिश्चित किये बिना विभिन्न पुर्जों को आयात किया जिन्हें बाद में तकनीकी अप्रचलन के कारण बंधक भण्डारण में अपने अधिकार त्याग देने से 1.78 करोड़ रुपये का घाटा उठाया।

कम्पनी तकनीकी अड़चनों, अप्रचलित तकनीक और प्राइवेट प्रतियोगियों के प्रवेश की वजह से संयंत्रों का एकीकरण/निर्माण करने की स्थिति में नहीं थी। इसी वजह से कम्पनी ने उपकरण तथा पुर्जे/घटक आदि बन्धक भन्डार गृह से नहीं छुड़ाये। कम्पनी ने फरवरी 1996 में इन उपकरणों पर से अपना अधिकार त्याग दिया।

इस प्रकार की खरीद फरोख्त जो कि बाजारीय अनुकूलन, सम्भावित ग्राहकों द्वारा उत्पाद की ग्राहता तथा वित्तीय सम्बन्धों को बगैर सुनिश्चित किये की गयी थी, की वजह से 177.77 लाख रुपये का नुकसान परिणामित हुआ।

प्रबन्ध निदेशक ने अगस्त 1995 में निदेशक मंडल को प्रेषित अपने प्रतिवेदन में कम्पनी के असन्तोषजनक कार्य और बिगड़ी दशा का कारण टर्न ओवर में प्रमाज्ञा उछाल को पाने के लिये काल्पनिक योजना बनाना तथा सभी स्तरों पर प्रबन्धन की असफलता का होना बताया (अगस्त 1995)।

प्रबन्धन ने पुनः पुष्टि की (जुलाई 1997) कि आयातित सामग्री को उत्पाद अप्रचलन, बाजारीय भविष्य कथन के घटित न होने आदि के कारण नहीं छुड़ाया गया था।

प्रकरण शासन को मई 1997 में प्रतिवेदित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 1997)।

4अ.2 संस्थागत विक्रय एजेण्ट को अस्वीकृत कमीशन का भुगतान

निदेशक मण्डल (बी.ओ.डी.) ने (अगस्त 1992) प्रबन्ध निदेशक (एम.डी.) को (i) उत्पादों की बिक्री के लिये कोटेशन का अनुमोदन (ii) जहाँ आवश्यकता हो वहाँ कमीशन एजेन्ट एवं डीलर की नियुक्ति तथा (iii) विज्ञापन और बी.ओ.डी. द्वारा अनुमोदित बजट के अन्दर बिक्री उन्नति के खर्चे पर स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार हस्तान्तरित कर दिये।

कम्पनी ने एजेण्टों को 1.66 करोड़ रुपये का अनुचित कमीशन भुगतान किया जिन्हें आपूर्ति आदेश की प्राप्ति के पश्चात् नियुक्त किया गया था।

(अ) कम्पनी ने सितम्बर 1994 में डी.आर.डी. से 1250 सी.टी.वी. सेट्स की आपूर्ति के लिये 13500 रुपये प्रति सेट (सम्पूर्ण योगः 1.69 करोड़ रुपये) के आदेश प्राप्त किये जो कम्पनी को निर्गमन के बाद भुगतान होने थे।

आदेश प्राप्त होने के बाद, कम्पनी ने क्षेत्रीय प्रबन्धक, चेन्नई से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर 17.11.94 को ग्रामीण विकास समिति, चेन्नई के श्री वी. साई कुमार को 2400 रुपये प्रति सेट के कमीशन पर उनके प्रयासों से प्राप्त आदेशों व कम्पनी तथा बी.ओ.डी. के मध्य बराबर सम्बन्ध बनाये रखने के सम्बन्ध में एजेण्ट नियुक्त किया। अनुबन्ध अनुचित रूप से 16 सितम्बर 1994 की पूर्व तिथि से किया गया।

1250 सेट के आर्डर के विरुद्ध, कम्पनी ने 1715 सीटीवी सेट्स (सम्मिलित 465 सेट्स सीधे आर्डर प्राप्त करने के विरुद्ध) अक्टूबर 1994 से अप्रैल 1996 के मध्य आपूर्ति किये। कम्पनी ने नवम्बर 1994 से अप्रैल 1996 के मध्य श्री वी. साई कुमार को 35.20 लाख रुपये का कमीशन (निहित 30 लाख रुपये कमीशन 1250 सेट आपूर्ति करने के फलस्वरूप) भुगतान किया यद्यपि उन्होंने न तो आर्डर प्राप्त किये थे और न ही कोई अन्य सम्पर्क प्रक्रिया निष्पादित किया था।

(ब) कम्पनी ने दिसम्बर 1995 में डी.आर.डी. से 4700 सी.टी.वी. सेट्स की आपूर्ति के लिये 14500 रुपये प्रति सेट की दर से (सम्पूर्ण योगः 6.82 करोड़ रुपये) आदेश प्राप्त किये थे। आर्डर में यह

निहित था कि प्रोफार्मा इन्वायस जमा करने पर कुल मूल्य का 25 प्रतिशत अग्रिम मिल जाता। तद्नुसार, 1.70 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान कम्पनी को 29 दिसम्बर 1995 को प्राप्त हुआ।

उसी समय, कम्पनी ने एम.डी. के अनुमोदन से 5 फरवरी 1996 को मद्रास के श्री पी. शानमुगम के साथ एक अनुबन्ध (कम्पनी द्वारा अधिप्रमाणित नहीं), किया जिसमें वह एक एजेण्ट के रूप मे छः माह के लिये (जो बाद में नवीनीकरण योग्य) नियुक्त किये गये; उनके द्वारा किये गये प्रयासों से आर्डर प्राप्त होने पर प्रति सेट 2950 रुपये कमीशन भुगतान करना था। कार्य क्षेत्र में लगातार सम्बन्ध बनाये रखना जब तक कि आदेश पूर्णरूप से कार्यान्वित न हो जाय; समय से बिलों को एकत्र करना तथा कम्पनी व ग्राहक के मध्य सहयोग करना जिससे आदेश का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हो सके, था।

सी.टी.वी. की आपूर्ति 30 दिसम्बर 1995 से शुरू हुई और 9 मार्च 1996 को पूर्ण हुई। 5.12 करोड़ रुपये के अवशेष का भुगतान 5 फरवरी से 13 मार्च 1996 के मध्य हुआ। कम्पनी ने 22 जनवरी से 13 मार्च 1996 के मध्य 1.36 करोड़ रुपये कमीशन के रूप में दिये जिसमें 1.08 करोड़ रुपये 3668 सेट्स की आपूर्ति का सम्मिलित था जो अनुबन्ध के पूर्व आपूर्ति किये गये और 0.28 करोड़ रुपये 1032 सेट्स की आपूर्ति के विरुद्ध था।

सम्परीक्षण में यह देखा गया कि डी.आर.डी. से आर्डर 15 दिसम्बर 1995 को प्राप्त हुये और उसके विरुद्ध 25 प्रतिशत का अग्रिम 29 दिसम्बर 1995 को एजेन्ट नियुक्त होने के पहले मिला और इसलिये 1.36 करोड़ रुपये का कमीशन भुगतान आर्डर को प्राप्त करने के लिये मान्य नहीं था। पुनः बिल को निर्गत कराने में एजेन्ट को 35 दिन का विलम्ब हुआ जो यह प्रदर्शित करता है कि एजेन्ट ने कोई भी प्रयत्न बिल का भुगतान कराने में नहीं किया।

इन दोनों मामलों में 1.66 करोड़ रुपये कमीशन भुगतान स्पष्टीकरण–रहित था इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आदेश कम्पनी द्वारा स्वयं ही प्राप्त किये गये थे तथा एजेण्टों द्वारा कोई सम्पर्क कार्य नहीं किया गया था।

प्रकरण कम्पनी तथा सरकार को जुलाई 1997 में प्रतिवेदित किये गये, उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1997)।

अपट्रान पॉवरट्रानिक्स लिमिटेड

4.अ.3 परिनिर्धारित क्षति का परिहार्य भुगतान

कम्पनी ने अगस्त 1988 व सितम्बर 1993 के मध्य बीस आपूर्ति आर्डर इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज (आई.टी.आई.), मनकापुर (गोण्डा) से पॉवर प्लाण्टस, एनर्जी ग्रिडस और इन्वर्टर्स इत्यादि

आपूर्ति करने के लिये प्राप्त किये। आपूर्ति किये जाने की नियत अवधि सितम्बर 1988 व नवम्बर 1993 के मध्य थी। शर्तों में साथ–साथ यह प्राविधित था कि परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति (एल.डी.) कम से कम 2 प्रतिशत प्रतिमाह तथा अधिक से अधिक 5 प्रतिशत जो पैकेज का मूल्य था उस पर लगाई जायेगी यदि आपूर्ति समय के बाद जो आपूर्ति आर्डर में उल्लिखित थी, की जायेगी। कम्पनी ने उपकरणों की आपूर्ति 1 से 11 माह के विलम्ब से फरवरी 1989 से नवम्बर 1993 के मध्य की। तद्नुसार, आई.टी.आई. ने एल.डी. की धनराशि 17.06 लाख रुपये बिल से काट लिया। एल.डी. को माफ करने के लिये कम्पनी का प्रार्थना-पत्र जनवरी 1994 में निरस्त कर दिया।

कम्पनी उत्पादों हेतु कच्चे माल की प्राप्ति कार्य–क्रम को नियोजित करने में असफल रही। फलतः यह उत्पादों की आपूर्ति न कर सकी जिससे एल.डी. के रूप में 17.06 लाख रुपये के परिहार्य हानि परिमाणित हुई।

सम्परीक्षण (जनवरी 1997) में यह पाया गया कि कम्पनी ने कच्चे माल की आपूर्ति निर्माण कार्य सम्पन्न करने के लिए सुचारुरूप से सुनियोजित नहीं किया जिससे कि आपूर्ति समय से पूर्ण की जा सके। कम्पनी ने सभी मामलों में प्राप्ति प्रक्रिया विलम्ब से शुरू किया जिससे कि निर्माण में विलम्ब के साथ निरीक्षण में भी विलम्ब हुआ। पुनः कम्पनी ने कोई भी जिम्मेदारी इस कमी के लिये नहीं निर्धारित की और मार्च 1995 (8.50 लाख रुपय) तथा अक्टूबर 1996 में (8.56 लाख रुपये) धनराशि का अपलेखन कर दिया।

प्रबन्धन ने व्यक्त किया (जून 1997) कि अथक प्रयास के बावजूद, आई.टी.आई. एल.डी. को माफ करने के लिये राजी नहीं हुए। पुनः यह भी व्यक्त किया कि दूसरे विकल्प की अव्यवहारिकता को देखते हुये कम्पनी ने धनराशि के अपलेखन का निश्चय किया। तथापि प्रबन्धन ने संविदागत आपूर्ति कार्य–क्रम के अनुसार समर्थ होने योग्य अपने प्राप्ति कार्य–क्रम को नियोजित न करने के सम्बन्ध में कोई कारण नहीं प्रस्तुत किया।

प्रकरण सरकार को जुलाई 1997 में प्रतिवेदित था उत्तर प्राप्त नहीं हुये (सितम्बर 1997)।

4अ.4 न्यून ऊर्जा गुणांक के कारण अधिभार का परिहार्य भुगतान

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की दर सूची एच.वी.–2 के प्राविधान के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को मासिक औसत ऊर्जा गुणांक 0.85 को बनाये रखने के लिये शन्ट कैपेसिटर संस्थापित करना चाहिये। मासिक औसत ऊर्जा गुणांक के इससे नीचे गिरने पर, 0.01 से 0.80 तक गिरने पर माँग व ऊर्जा भार पर अधिभार 1 प्रतिशत तथा 0.80 से नीचे प्रत्येक 0.01 के गिरावट पर 2 प्रतिशत (0.70 के गिरने तक सीमित) भुगतान का दायित्व होगा।

कम्पनी अपने 200 के.डब्ल्यू. विद्युत भार के लिये, 0.85 स्तर तक मासिक औसत ऊर्जा गुणांक, कैपेसिटर बैंक प्रतिस्थापित कर बनाये न रख सकी। ऊर्जा गुणांक दिसम्बर 1991 से जून 1997 तक 0.55 से 0.82 के मध्य तक सीमित रही जिसके कारण इसे 3.49 लाख रुपये का अधिभार भुगतान करना पड़ा।

उत्तर में प्रबन्धन ने व्यक्त किया (जुलाई 1997) कि विद्युत धारा में तोड़मरोड़ घटक के कारण, शण्ट कैपेसिटर का प्रयोग ऊर्जा गुणांक को उन्नत नहीं करता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 0.85 पर ऊर्जा गुणांक को बनाये रखने हेतु शण्ट कैपेसिटर का संस्थापन दर–सूची में प्रावधानित था जो कि यू.पी.एस.ई.बी. से हुए करार का भाग है तथा न्यून ऊर्जा गुणांक की तकनीकी समस्यायें, यदि वे थीं भी, तो सुधार हेतु एस.ई.बी. प्राधिकरण के संज्ञान में कभी नहीं लाई गई।

प्रकरण प्रबन्धन को मार्च 1997 तथा शासन को मई 1997 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 1997)।

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड

4अ.5 अधिक अनुबन्धित भार के कम न किये जाने से हानि

बड़े एवं भारी विद्युत उपभोक्ताओं पर लागू उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की दर अनुसूची एच.वी.–2 के अनुसार, अनुबन्धित भार के 75 प्रतिशत अथवा वास्तविक भार, जो भी अधिक है, पर माँग प्रभार, उपभोग की गई विद्युत के प्रभारों सहित समय–समय पर वसूल किया जाता है।

कम्पनी की चार कताई मिलें मेरठ, झाँसी, संडीला और काशीपुर प्रत्येक की दो ईकाईयाँ जिनका अनुबन्धित भार क्रमशः 2000 के.वी.ए. (कुलः 16000 के.वी.ए.) था। लेखा परीक्षण के अनुसार सभी आठ इकाईयों द्वारा वास्तविक उपभोग भार के आधार पर जनवरी 1992 से दिसम्बर 1996 तक अवधि के लिये (मई 1997) यह प्रदर्शित हुआ कि पाँच ईकाईयों के सम्बन्ध में वास्तविक भार की आवश्यकता 1800 के.वी.ए. तथा तीन इकाईयों के सम्बन्ध में 1600 के.वी.ए. से अधिक नहीं थी। कम्पनी ने मेरठ मिल की ईकाई ए और बी का अनुबन्धित भार मई 1997 में घटाकर 1800 के.वी.ए. कर दिया और संडीला मिल की ए यूनिट का भार मार्च 1993 में 1800 के.वी.ए. तथा तत्पश्चात् नवम्बर 1995 में 1500 के.वी.ए. कर दिया। तथापि, पाँच ईकाईयों (संडीला बी, झांसी ए. व बी. और काशीपुर ए. व बी.) का भार आवश्यकतानुसार भार से कम नहीं किया गया।

कम्पनी अपनी वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप अपना विद्युत भार कम करने में असफल रही जिससे 49.89 लाख रुपये का घाटा उठाया।

प्रबन्धन की यथासमय आवश्यकतानुसार भार निर्धारण करने में और वास्तविक भार आवश्यक सीमा तक कम करने हेतु किये गये प्रयासों में असफलता (झांसी ए व बी 1600 के.वी.ए. तक तथा अन्य तीन ईकाईयों में 1800 के.वी.ए. तक) के कारण माँग प्रभार पर 49.89 लाख रुपये जनवरी 1992 से जुलाई 1997 तक अवधि का अधिक व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने उत्तर में व्यक्त किया (सितम्बर 1997) कि जहाँ झाँसी व काशीपुर की इकाईयों में एस.ई.बी. को अतिरिक्त प्रतिभूति भुगतान न करने के कारण भार घटाया न जा सका, वहाँ संडीला बी इकाई का भार कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं था व प्रस्तर में इंगित इस ईकाई से सम्बन्धित हानि (7.60 लाख रुपये) यू.पी.एस.ई.बी. को भुगतान किये गए कुल देयक का मात्र 0.39 प्रतिशत थी।

घाटा उठाने के बाद भी संडीला बी इकाई का भार कम न करने का प्रबन्धन का निर्णय कम्पनी की शोचनीय वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायोचित नहीं था जैसा कि बी.आई.एफ.आर. को पहले से सन्दर्भित है।

प्रकरण शासन को मई 1997 में प्रतिवेदित था, उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 1997)।

4अ.6 विदेशी मुद्रा की बुकिंग न करने से हानि

कम्पनी ने (जुलाई 1995) मेसर्स पी.टी. इन्टी इन्डोरेयोनुटामा, मेडन (इण्डोनेशिया) से 225 एम.टी. विसकॉस स्टैपल फाइवर (वी.एस.एफ) के आयात के लिये एक अनुबन्ध किया। विक्रय मूल्य लेटर ऑफ क्रेडिट (एल.सी.) द्वारा यू.एस. डालर में देय था। बैंक की विदेश विनिमय बुकिंग दर जुलाई 1995 में 5 पैसे प्रति डॉलर प्रति माह थी जो साईट एल.सी. के लिये 10 पैसे प्रति डॉलर तथा डी.ए. 180 दिन की एल.सी. के लिये 40 पैसे प्रति डॉलर आंकलित था जो कि एल. सी. के लिए क्रमशः दो माह व आठ माह की अवधि हेतु था।

विदेशी मुद्रा विनिमय की अग्रिम बुकिंग में विफलता के फलस्वरुप कम्पनी ने 20.22 लाख रुपये का घाटा उठाया।

कम्पनी ने जुलाई 1995 में जब विनिमय दर 31.55 रुपये प्रति डॉलर थी, उस समय दो साईट एल.सी. (यू.एस.डॉलर (99900 + 95460 = यू.एस.डालर) 195360) तथा एक डी.ए. 180 दिन की एल.सी. (यू.एस.डॉलर 317840) प्रतिस्थापित की। लेकिन कम्पनी ने विदेशी विनिमय की बैंकों से कोई भी अग्रिम बुकिंग नहीं की थी जिसमें केवल 1.47 लाख रुपये की लागत आती। इसके फलस्वरूप, सितम्बर 1995 में वी.एस.एफ. प्राप्त होने पर बैंक ने उस समय की लागू दर क्रमशः 32.63 रुपये प्रति डॉलर (सितम्बर 1995) तथा 37.78 रुपये प्रति डॉलर (फरवरी 1996) पर दो बिल यू.एस. डॉलर 195142.02 (साईट एल.सी. के विरुद्ध) तथा यू.एस. डॉलर 314370.23 (डी.ए.एल.सी. के विरुद्ध) बनाये।

इस प्रकार, प्रबन्धन की बैंक से विदेश विनिमय की अग्रिम बुकिंग व्यवस्था बनाने में असफलता के कारण, कम्पनी को 20.22 लाख रुपये, जो एल.सी. स्थापित करते समय के प्रचलित विनिमय दरों तथा वास्तविक का अन्तर था (अग्रिम बुकिंग शुल्क को विचार में लेने के पश्चात्), की हानि हुई।

प्रबन्धन ने व्यक्त किया (सितम्बर 1997) कि मुख्य नियंत्रक (वित्त) की शिथिलता के कारण विदेशी मुद्रा विनिमय की बुकिंग नहीं हो सकी किन्तु यह मामला उनके आरोप–पत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। प्रबन्धन का उत्तर सत्य नहीं है क्योंकि कम्पनी के अभिलेखानुसार जब एल.सी. स्थापित की गई उस समय कम्पनी के मुख्य नियंत्रक (वित्त) अवकाश पर थे तथा शिथिलता कम्पनी के अगले प्रभारी अधिकारी की उपेक्षा एवं अज्ञान के फलस्वरूप थी।

सम्पूर्ण प्रकरण (मामला) शासन को जून 1997 में प्रतिवेदित किया गया था परन्तु कोई उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 1997)।

4अ.7 न बिकने योग्य पोलियेस्टर सिलाई धागे का सादे हैंक लच्छी के रूप में उत्पादन से हानि

मुख्यालय द्वारा अनुमोदित मासिक उत्पादन बजट के आधार पर, कम्पनी की इकाईयाँ धागा उत्पादन करती हैं। बाजार की माँग देखते हुये उत्पादन बजट तैयार किया जाता है। फरवरी से मई 1995 के मध्य, कम्पनी की सन्डीला इकाई ने 100 प्रतिशत पोलियेस्टर सिलाई धागा 3/54 काउन्ट का 22200 किग्रा. सादी लच्छी के रूप में उत्पादित किया जिसका मूल्य 33.30 लाख रुपये 150 रुपये प्रति किग्रा. की औसत लागत से बिना किसी मासिक उत्पादन बजट के क्योंकि कम्पनी के पास इस गुणवत्ता का आदेश नहीं था, उत्पादित किया। इस उत्पादित यार्न में से, कम्पनी मात्र 21300 किग्रा. यार्न 17.44 लाख रुपये में 81.88 रुपये प्रति किग्रा. की औसत दर से (फरवरी 1995 से अगस्त 1997 के दौरान) बिक्री कर सकी। पुनः, सण्डीला यूनिट द्वारा कोठीवाल कम्पनी लिमिटेड को आपूर्ति की गई नौ बेल्स (900 किग्रा.) सादी यार्न की लच्छियाँ (जुलाई 1995), डीलर द्वारा घटी हुई 20 रुपये प्रति किग्रा. की दर पर भी स्वीकार्य नहीं थी। कम्पनी को माल वापस मंगाना पड़ा जो कि सितम्बर 1997 तक कम्पनी के पास पड़ा है।

कम्पनी ने विणपन को सुनिश्चित किये बिना पोलियेस्टर धागे का सादे हैंक लच्छी के रूप में उत्पादन करके 14.51 लाख रुपये का घाटा उठाया।

इस प्रकार, लच्छी के रूप में 3/54 काउन्ट वाले पोलीयेस्टर सिलाई धागों का बिना बाजार में बिकने की योग्यता को निश्चित किये हुये तथा बिना बजट के प्राविधान के उत्पादन करने के कारण 21300 किग्रा. यार्न की बिक्री पर 14.51 लाख रुपये का घाटा हुआ (31.95 लाख रुपये की लागत के विरुद्ध 17.44 लाख रुपये प्राप्त हुए)।

प्रबन्धन ने चूक को स्वीकार करते हुए व्यक्त किया (मई 1997) कि मुख्यालय के स्टाफ व इकाई के तकनीकी अनुभाग पर दायित्व का निर्धारण किया गया है। तथापि, घाटे की भरपाई व इस प्रकार की चूककी पुनरावृत्ति बचाने हेतु कार्यवाही सितम्बर 1997 तक प्रतीक्षित थी।

प्रकरण शासन को अप्रैल 1997 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 1997)।

4अ.8(अ) निधि के अविवेकपूर्ण प्रबन्धन से हानि

कम्पनी ने कपास वितरकों को भुगतान करने के लिए तीन राष्ट्रीयकृत बैंकों, यथा इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इन्डिया तथा भारतीय स्टेट बैंक, कानपुर से 18 करोड़ रुपये तक की, समेकित सीमा के अन्दर नकद क्रेडिट की सुविधा ली थी। यार्न बिक्री प्राप्तियों को डेबिट अवशेष घटाने के लिये नगद क्रेडिट खाते में जमा किया जाता है तथा ब्याज दायित्व (17.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय) को न्यूनतम् किया जाता है।

तथापि, कम्पनी ने ओरियन्टल बैक ऑफ कामर्स (ओ.बी.सी.) शारदा नगर, कानपुर में वेतन, पारिश्रमिक व अन्य तत्कालीन आवश्यकताओं के प्रबन्ध हेतु 4.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज पर एक अलग बचत बैंक खाता खोला (नवम्बर 1995)। 2 नवम्बर 1995 से 6 अप्रैल 1996 के दौरान 12.29 करोड़ रुपये की समेकित यार्न बिक्री प्राप्तियों को बचत बैंक खाते में जमा किया तथा 6.17 करोड़ रुपये धनराशि से कपास वितरकों को जनवरी 1996 तक का भुगतान किया। इस अवधि के दौरान इसने 18 करोड़ रुपये की नगद क्रेडिट सीमा का भी उपयोग कर लिया तथा उच्च ब्याज भार वहन करना जारी रखा। 12.29 करोड़ रुपये के नगद क्रेडिट पर 8.49 लाख रुपये के ब्याज भुगतान के सापेक्ष, इसने बचत बैंक में 0.85 लाख रुपये का अत्यल्प ब्याज अर्जित किया जिससे इस अवधि के दौरान 7.64 लाख रुपये का परिहार्य ब्याज–भार फलित हुआ। 6 अप्रैल 1996 से बचत बैंक खाता बन्द कर दिया गया।

कम्पनी ने 7.64 लाख रुपये का अतिरिक्त ब्याज वहन किया क्योंकि धनराशि अल्प ब्याज दरों पर निवेशित रह गई।

उत्तर में, प्रबन्धन ने व्यक्त किया (जून 1997) कि बचत बैंक खाता नियमित प्रकृति के दायित्वों, यथा पारिश्रमिक, विद्युत प्रभार इत्यादि के लिए खोला गया था क्योंकि बैंकों की नगद क्रेडिट सीमा प्रायः उपयोग की गई थीं, अवशेषों के पुनर्स्थापन के बिना आगे उधार सम्भव नहीं था, तथा सम्बन्धित बैंकों द्वारा आहरण–परिसीमन की सम्भावना थी। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि बचत बैंक खाते की धनराशि का उपयोग पारिश्रमिक, विद्युत देयों तथा अन्य सांविधिक दायित्वों के स्थान पर, कपास वितरकों के भुगतान हेतु किया गया।

इस प्रकार, नगद क्रेडिट खाते के अवशेष पुनर्स्थापन के स्थान पर अलग से एक बचत बैंक खाता खोलना और इसमें ब्याज की न्यून दर पर यार्न की बिक्री प्राप्तियों को जमा करना कम्पनी के वित्तीय हित में नहीं था क्योंकि इससे 7.64 लाख रुपये का परिहार्य ब्याज भुगतान फलित हुआ।

4अ.8(ब) खाते में चेक के विलम्बित जमा करने से हानि

कम्पनी ने (मार्च 1993) 185 गाँठ हैंक यार्न जिसका मूल्य 14.29 लाख रुपये था नेशनल हैन्डलूम डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (एन.एच.डी.सी.) नई दिल्ली को बेचा। एन.एच.डी.सी. ने (अप्रैल 1993) कम्पनी के मुख्यालय को सकल 14.15 लाख रुपये की तीन चेक जमा करके प्रेषित दस्तावेज छुड़ाया। यद्यपि कम्पनी ने (अप्रैल 1993) ये चेक चालू खाते में ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स कानपुर में जमा किये थे, लेकिन बैंक ने कम्पनी के खाते में 6.8.94 को अर्थात् 472 दिन विलम्ब से जमा किया। कम्पनी को ब्याज के रूप में 3.31 लाख रुपये का घाटा फलित हुआ, जिस की दर 17.75 प्रतिशत से 19.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगाई गई है जो बैंक द्वारा नकद–उधारी खाते पर लगाई जाती है। बैंक द्वारा धनराशि के विलम्बित जमा का मामला नहीं उठाया गया जिसका कोई कारण प्रबन्धन द्वारा नहीं बताया गया।

जबकि उत्तर में प्रबन्धन ने व्यक्त किया (जुलाई 1997) कि मुख्य नियंत्रक (वित्त) को उपरोक्त सहित अन्य विविध आरोपों से आरोप-पत्रित किया गया है तथा उन्हें तत्कालीन प्रभाव से पदच्युत किया गया है, सम्बन्धित पत्रावली के पुनरावलोकन के दौरान यह देखा गया (जिसकी छाया प्रतियाँ प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई) कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में मुख्य नियंत्रक (एफ) के विरुद्ध विलम्बित जमा का आरोप स्थापित नहीं किया जा सका।

प्रकरण सरकार को जुलाई 1997 में प्रतिवेदित किये गये, उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 1997)।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

4अ.9 भू-खण्ड के प्रत्यावस्थन के कारण हानि

कम्पनी ने (फरवरी 1976) वाडब्रो टायर्स प्राइवेट लिमिटेड (फरवरी 1997 में पुनर्नामित वाडब्रो इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड) को 10540 वर्ग मीटर का एक भूखण्ड साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद में 3.25 लाख रुपये की किश्त पर आवंटित किया। किश्त का 25 प्रतिशत मार्च 1976 तक और किश्त की शेष धनराशि आठ बराबर वार्षिक किश्तों में जमा होना था। कम्पनी के पास प्रत्यावस्थन का अधिकार, मूल आवंटी को बकाये के भुगतान तथा आवंटन की तिथि और उस समय के बाजार भाव के अन्तर का 50 प्रतिशत भुगतान करने पर, संरक्षित था। 2.43 लाख रुपये की किश्तों के भुगतान

में हुई चूक को दृष्टिगत रखते हुए, क्षेत्रीय प्रबन्धक, गाजियाबाद ने सितम्बर 1984 में इकाई का आवंटन निरस्त कर दिया और सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में सिविल याचिका भूखण्ड को पुनः हस्तगत करने के लिये दायर कर दी। केस कम्पनी के पक्ष में मार्च 1996 में निर्णित हुआ और खाली जगह का कब्जा कम्पनी द्वारा जून 1996 में किया गया।

11 वर्षों तक कोर्ट में सफलतापूर्वक मामला लड़ने के बाद तथा जीत कर कब्जा प्राप्त करने के बावजूद, कम्पनी ने मूल आवंटी के पक्ष में भूखण्ड को 73.78 लाख रुपये की प्रचलित बाजार दर के स्थान पर 44.93 लाख रुपये में प्रत्यावस्थित कर दिया। इससे 28.85 लाख रुपये का घाटा परिणामित हुआ।

सम्प्रेक्षा द्वारा (अप्रैल 1997) यह देखा गया कि 11 वर्षों तक कोर्ट में मामला सफलतापूर्वक लड़ने के बाद तथा जीत कर कब्जा प्राप्त करने के बावजूद, क्षेत्रीय प्रबन्धक ने मूल आवंटी के आवेदन पर (जून 1996) 44.93 लाख रुपये के भुगतान पर उसी बाकी इकाई को भू–खण्ड प्रत्यावस्थित कर दिया जबकि नई इकाई को उस समय के दर के अनुसार आवंटन 73.78 लाख रुपये की किश्त के अनुसार मिला था। बिना किसी सर्वोत्तम आर्थिक स्थिति के ध्यान में रखकर भूखण्ड के प्रत्यावस्थन के कारण कम्पनी को 28.85 लाख रुपये का घाटा हुआ।

प्रबन्धन ने व्यक्त किया (जून 1997) कि आवंटन मूल आवंटी के पक्ष में इसलिये किया गया कि नए आवंटी को कब्जा देने से शेड, इमारत, बाउण्डरी वाल व फाटक आदि बनने के कारण समस्यायें उठेंगी। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कम्पनी ने पूर्व में ही भू-खण्ड पर कब्जा ग्रहण कर लिया था तथा आवंटन को मूल आवंटी के पक्ष में प्रत्यावस्थन की कार्यवाही कम्पनी के वित्तीय हित में नहीं थी।

प्रकरण शासन को मई 1997 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1997)।

4अ.10 अशुद्ध माँग उठाने के कारण हानि

वाणिज्यिक उद्देश्यों तथा उससे सम्बन्धित सुख सुविधाओं जैसे पेट्रोल पम्प, सर्विस स्टेशन, वे–ब्रिजेस, कैटरिंग सर्विसेज, सिनेमा हाल और भण्डारगृह इत्यादि के लिये भूखण्ड की दरों का प्रीमियम निदेशक मंडल द्वारा फरवरी 1985 में सामान्य प्रीमियम दर से 100 प्रतिशत अधिक निर्धारित की गई। तथापि, क्षेत्रीय प्रबन्धक बरेली ने दर जो निर्धारित किये गये उनको ध्यान में न रखकर सितम्बर 1986 से मार्च 1987 के बीच भूखण्ड संख्या 8–ए, बी–40 से 43 और ए–1 क्रमशः औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा (बरेली), पट्टीकलां (रामपुर) और बाजपुर (नैनीताल) में उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (पी.सी.एफ.) को भण्डारगृह बनाने के लिए सामान्य प्रीमियम दर 7.19 लाख रुपये

(14.38 लाख रुपये के विरुद्ध) में आवंटित कर दी तथा इस प्रकार एक अनुबंध भी कर लिया। फलतः 7.19 लाख रुपये की कम मांग की गई। मार्च–जुलाई 1988 में अनियमितता देखने पर, शेष धनराशि 7.19 लाख रुपये (100 प्रतिशत सामान्य दर से ऊपर) की माँग अगस्त 1988 में की गई जिसका भुगतान नहीं किया गया। फरवरी 1993 में अन्तिम नोटिस देने के पश्चात्, 15.91 लाख रुपये का रिकवरी सर्टिफिकेट जो प्रीमियम का शेष (7.19 लाख रुपये) और ब्याज जून 1993 तक (8.72 लाख रुपये) का योग था निर्गत की गई जिसके फलस्वरूप अप्रैल 1994 में परसाखेड़ा से सम्बन्धित भूखण्ड का 9.78 लाख रुपये (जिसमें 0.88 लाख रुपये एकत्रित व्यय सम्मिलित था) प्राप्त हुआ। पट्टीकलां तथा बाजपुर से सम्बन्धित भुगतान पी.सी.एफ. द्वारा नहीं किया गया।

अशुद्ध माँग उठाने के कारण 7.19 लाख रुपये का घाटा परिणामित हुआ।

बाद में, पी.सी.एफ. ने (अगस्त 1994) नई माँग को उठाने, रिकवरी सर्टिफिकेट के निर्गमन तथा 9.78 लाख रुपये की वसूली की तुरन्त वापसी को इस आधार पर चुनौती दिया कि कम्पनी के अनुबन्ध पारित तथा भुगतान लेने के बाद कोई वैधानिक आधार अतिरिक्त प्रीमियम के दावा करने का नहीं था। निदेशक मंडल जिनको प्रकरण संदर्भित किया गया था (सितम्बर 1995) ने निश्चय किया कि वसूल की गई धनराशि को लौटा दिया जाये और यह चाहा कि इस कमी के कारण की प्रारम्भिक जाँच करायी जाये। तद्नुसार, दिसम्बर 1995 में धनराशि पी.सी.एफ को वापस कर दी गई। तथपि, जून 1997 तक कम्पनी ने कोई जाँच प्रारम्भ नहीं की।

इस प्रकार, क्षेत्रीय कार्यालय बरेली की कम दर पर प्रीमियम की माँग करने व अनुबन्ध पारित करने के कारण 7.19 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रकरण कम्पनी तथा शासन को जुलाई 1997 में प्रतिवेदित किया गया था, परन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (सितम्बर 1997)।

4अ.11 न्यून दर पर औद्योगिक भूखण्ड का आवंटन

कम्पनी औद्योगिक भूखण्डों को विकसित करके औद्योगिक क्षेत्र में समय–समय पर किस्त दर तय करके आवंटित करती है। भूखण्ड उद्यमी को 90 वर्षों के पट्टे पर आवंटित की जाती है और किस्त का भुगतान ब्याज सहित वार्षिक किस्त पर देय होता है। ईकाईयाँ जो भूखण्ड के लिये आवेदन करते हैं उन्हें आवेदन पत्र पूर्णरूप से भरकर तथा साथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, भूमि उपयोगिता नक्शा, समावेशन का सर्टिफिकेट तथा भागितापत्र मुख्तारनामा लगानी थी। इकाईयों को आवेदन पत्र जमा करने के तुरन्त बाद, यदि कोई कमी होती है तो सूचित कर दिया जाता है कि आवेदन पत्र को पूर्ण करके 10 दिन के अन्दर पुनः जमा कर दें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त योग्य माने जायेगें।

21 सितम्बर 1996 से कम्पनी ने भूखण्डों की दर जो औद्योगिक क्षेत्र, कोसी कोटवाँ (मथुरा) में स्थित 100 रुपये प्रति वर्गमीटर से पुनरीक्षित कर 200 रुपये प्रति वर्गमीटर इस आशय के साथ कर दिया कि पुनरीक्षित दर उन आवेदन पत्र पर नहीं लागू होगीं जो आवंटन के लिये उस दिनांक तक लम्बित पड़ी हैं।

कम्पनी ने एक फर्म को, जो योग्य नहीं थी, अ–पुनरीक्षित दरों पर एक भूखण्ड आबंटित कर के 6.61 लाख रुपये का प्रीमियम खो दिया।

महाराजा इन्जीनियर्स, दिल्ली ने (19 सितम्बर 1996) एक आवेदन-पत्र दिया था जिसमें पंजीकृत सहभागिता पत्र (डीड) जिससे उसका अस्तित्व सिद्ध हो सके तथा मुख्तारनामा नहीं लगा था। तथापि, क्षेत्रीय प्रबन्धक, आगरा ने (24 सितम्बर 1996) यूनिट को वाँछित अभिलेखों को जमा करने के लिये बगैर सूचित किये 6605 वर्गमीटर का एक भूखण्ड जिसका मूल्य पुर्नरीक्षण से पूर्व की (पुरानी) दरों पर 6.61 लाख रुपये था, आवंटित कर दिया। फर्म की सहभागिता पत्र दिनांक 23 अक्टूबर, 1996 को निष्पादित एवं पंजीकृत हुआ था तथा उसी दिन से फर्म अस्तित्व में आई थी। इस प्रकार, एक अस्तित्व हीन फर्म को कम्पनी द्वारा 24 सितम्बर, 1996 को दिया गया आवंटन प्रारम्भ से ही अनियमित था जिसके फलस्वरूप 6.61 लाख रुपये के प्रीमियम का घाटा हुआ जो कि 6605 वर्गमीटर भूखण्ड पर भारित दर (100 रुपये प्रति वर्गमीटर) तथा लागू दर (200 रुपये प्रति वर्गमीटर) का अन्तर था।

उत्तर में, प्रबन्धन ने (सितम्बर 1997) अपूर्ण आवेदन, जो कि निरस्त होने योग्य था, पर आवंटन करने का कोई न्यायोचित तर्क या औचित्य नहीं प्रस्तुत किया।

प्रकरण शासन को मई 1997 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर थे। प्राप्त नहीं हुए थें (सितम्बर 1997)।

4अ.12 बैंक प्रत्याभूति न भुनाने के कारण हानि

कम्पनी ने (जून 1989) भारत सरकार से (जी.ओ.आई.) टोनर्स एवं डेवेल्पर्स निर्माण करने हेतु कानपुर देहात में एक संयुक्त क्षेत्र प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिये पंजीकृत सार्टिफिकेट प्राप्त किया। संयुक्त क्षेत्र में प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिये कम्पनी ने (फरवरी 1990) राठी उद्योग लिमिटेड (आर.यू.एल.) दिल्ली को, वित्तीय सहयोग के लिये उनके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर चुना। एक मेमोरेन्डम ऑफ अन्डस्टैंडिंग (एम.ओ.यू.) फरवरी 1990 में हस्ताक्षरित हुआ था जिसमें प्रोजेक्ट की सम्भाव्यता को आंकने के लिये एवं किस प्रकार से व्यय को व्यवस्थित किया जायेगा। प्रावधान के तद्नुसार, सहयोगी (कोलावरेटर) को 2 लाख रुपये एक समिति व अपने दायित्वों के सुचारुरूप में निर्वाहन हेतु 5 लाख रुपये की एक बैंक प्रत्याभूति को प्रोजेक्ट प्रतिस्थापित कराने के लिये पहल करनी थी।

सहयोगी ने मई 1990 में एक वर्ष के लिये 5 लाख रुपये की बैंक गारन्टी प्रस्तुत की जो एम.ओ.यू. के चालूकरण की अवधि (फरवरी 1991) तक प्रभावी रहनी थी तथा जिसके एम.ओ.यू. प्रभावीकरण अवधि के बढ़ने तक आगे भी प्रभावी रहना था। लेकिन, 2 लाख रुपये का भुगतान जो सहयोगी द्वारा समिति को करना था, नहीं किया गया।

पाँच लाख रुपये की बैंक प्रत्याभूति को सहयोगी समिति द्वारा मई 1991 से एक वर्ष के लिये बढ़ाया गया लेकिन वह एम.ओ.यू. की वैधता को फरवरी 1991 से आगे बढ़ाने के सम्पूरक करार के अभाव में फरवरी 1991 से स्वतः निष्प्रभावी हो गई थी। सहयोगी की प्रत्याभूति की अनुपलब्धता को अनदेखा करते हुए, कम्पनी ने दिसम्बर 1991 तक 3.23 लाख रुपये व्यय किये जिसमें विदेश यात्रा पर (3 लाख रुपये) तथा सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने में, विदेशी सहयोगी के चुनाव में इत्यादि पर (0.23 लाख रुपये) व्यय निहित थे। यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा (जनवरी 1992) उत्पादन क्षेत्र की परियोजनाओं में भाग न लेने के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी ने जी.ओ.आई. से यह निवेदन किया (मई 1992) कि नई कम्पनी अर्थात् राठी ग्राफिक्स टेक्नोलोजीस लिमिटेड जो कि सहयोगी द्वारा परियोजना हेतु स्थापित की गई थी (अगस्त 1991), के पक्ष में विदेशी सहयोग का करार हस्तान्तरित कर दिया जाय। कम्पनी ने मार्च 1994 में सहयोगी से एम.ओ.यू. के प्राविधान के अन्तर्गत खर्च किये गये। 3.23 लाख रुपये के वापसी के बारे में वार्ता की लेकिन उनके द्वारा इस आधार पर मना कर दिया गया कि कम्पनी ने प्रोजेक्ट में भाग नहीं लिया। जबकि एम.ओ.यू. की शर्तों में ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं थी। कम्पनी के निदेशक मंडल ने फर्म से वैधिक प्रत्याभूति प्राप्त किये बिना व्यय करने हेतु दायित्व निर्धारण किये बिना ही जून 1996 में बकाये के बट्टे खाते में डालने की संस्तुति दे दी।

प्रकरण, शासन को मई 1997 में प्रतिवेदित किये गये, उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 1997)।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

4अ.13 इक्विटी अंशपूँजी के अनिस्तारण तथा कर्ज वसूली का अनुसरण न करने के कारण हानिः

कम्पनी ने वर्ष 1974–75 से 1978–79 के दौरान इक्विटी पार्टिसिपेशन स्कीम के अन्तर्गत पाँच संयुक्त क्षेत्र (जून 1972 से फरवरी 1974 के मध्य निगमित) से 11.94 लाख रुपये का इक्विटी शेयर क्रय किया। प्रत्येक सम्बन्धित इकाई के आर्टिकल ऑफ एसोशियेशन के धारा 14 के अनुसार कम्पनी अपने शेयर का निवर्तमान प्राइवेट प्रोमोटर्स को उनके निगमन के चार वर्ष पश्चात् अर्थात् जुलाई 1976 तथा मार्च 1978 के मध्य समापन कर सकती थी। मना करने की हालत में, शेयरों को अन्य किसी भी निजी पक्ष को बेचा जा सकता था।

कम्पनी ने मार्च 1982 तक निवर्तमान प्रोमोटर्स को कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा था। अप्रैल 1982 में एक प्रस्ताव शेयर को वापस क्रय करने के लिये प्रोमोटर्स के पास भेजा गया, जिसका कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद इसको समापन करने के लिये कोई भी प्रयास नहीं क़िया गया। दिसम्बर 1995 में इकाईयाँ इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेशानुसार विघटित कर दी गयी थी और कम्पनी 11.94 लाख रुपये के निवेश का कोई प्रतिफल भी नहीं प्राप्त कर सकी क्योंकि परिसम्पत्ति दूसरे वित्तीय संस्थाओं द्वारा बेची जा चुकी थी।

कम्पनी ने शेयरों की बिक्री व ऋणों की वसूली प्रक्रिया में समयोचित कार्यवाही न करने के कारण 27.62 लाख रुपये का घाटा उठाया।

पुनः कम्पनी ने चार संयुक्त क्षेत्र की इकाईयों (उपरोक्त पाँच इकाईयों में से) को 15.68 लाख रुपये का ऋण 1972–74 के दौरान में बिना किसी अनुबन्ध के जिसमें कि ऋण के पुनर्भुगतान तथा ब्याज की दर की शर्त दी हुई हो, भुगतान कर दिया। कम्पनी ने ऋण के पुनर्भुगतान को पाने के लिये भी कोई प्रयास नहीं किये क्योंकि इकाईयाँ पहले ही विघटित हो चुकी थी और उनके पास कोई भी परिसम्पत्ति उपलब्ध नहीं थी। जिस कारण ऋण न वसूलने योग्य हो गये।

इस प्रकार, शेयर को समय से न बेचने तथा ऋण की वसूली की कार्यवाही न करने के कारण कम्पनी को 27.62 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रकरण कम्पनी तथा शासन को अप्रैल 1997 में प्रतिवेदित किये गये उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 1997)।

4अ.14 परिहार्य व्यय

अशुद्ध लेखे बनाने व अग्रिम कर के विलम्बित भुगतान के कारण कम्पनी को 20 लाख रुपये का घाटा हुआ।

(अ) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, एक आयकरदाता को एक वित्तीय वर्ष में तीन किस्तों में अग्रिम आयकर का भुगतान करना होता है और निर्धारित वर्ष के 31 दिसम्बर तक आयकर अधिकारी के पास आय विवरण जमा करना होता है। अधिनियम पुनः प्रावधानित करता है कि यदि विवरण विलम्ब से जमा किया गया तो 2 प्रतिशत ब्याज प्रत्येक माह इस विलम्ब के कारण लगेगा।

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 1991–92 का आयकर विवरण विलम्ब से अक्टूबर 1993 में (जमा करने की तिथि दिसम्बर 1992 के विरुद्ध) जमा किया था और इस प्रकार से अग्रिम आयकर अक्टूबर 1993 में (जमा करने की तिथि सितम्बर 1991, दिसम्बर 1991 व मार्च 1992 के विरुद्ध) जमा किया।

आयकर विवरण तथा अग्रिम को विलम्ब से जमा करने के कारण 10.47 लाख रुपये का ब्याज आयकर विभाग को जमा करना पड़ा।

(ब) पुनः कम्पनी ने उक्त वित्तीय वर्ष के अनन्तिम लेखे में शुद्ध आय 27.60 लाख रुपये दर्शायी और उस पर 16.99 लाख रुपये (अक्टूबर 1993: 11.87 लाख रुपये और मार्च 1995: 5.12 लाख रुपये) जमा किया। सम्प्रेक्षण में यह पाया गया (जनवरी 1997) कि अनन्तिम लेखे में कम्पनी ने अयथार्थ रूप से प्रमुख ज्ञात व्यय जैसे वेतन पुनरीक्षण का बकाया, सम्मिलित नहीं किया जिसके फलस्वरूप शुद्ध आय 18.42 लाख रुपये से अधिक दर्शायी गई परिणामतः 9.53 लाख रुपये के आयकर का अधिक भुगतान करना पड़ा।

अतिरिक्त आयकर–वापसी का कम्पनी का दावा आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के अन्तर्गत उस समय तक कालबाधित हो गया जब वर्ष 1991–92 के लेखे पूर्ण हुए (अक्टूबर 1996)।

कम्पनी ने अभी तक (अगस्त 1997) 20 लाख रुपये के उस परिहार्य अतिरिक्त व्यय हेतु कोई दायित्व निर्धारण नहीं किया जिसे कि विवरण के विलम्बित जमा/अग्रिम कर के भुगतान व अशुद्ध अनन्तिम लेखे के निर्माण के कारण वहन करना पड़ा।

प्रकरण कम्पनी तथा शासन को अप्रैल 1997 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 1997)।

4अ.15 भूखण्ड की लागत के लिये भवन निर्माण अग्रिम के स्वीकृत न होने से हानि

कम्पनी ने अपने कर्मचारियों को सहकारी आवासीय समिति जोकि स्टाफ द्वारा अपनाई एवं नियंत्रित थी, के सदस्यों के रूप में आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिये निर्णय लिया (अप्रैल 1989)। यह भी निर्णय लिया गया कि भूखण्ड की लागत व विकास की वसूली आवंटी से 25 प्रतिशत तक की आयेगी तथा 75 प्रतिशत की वसूली भवन निर्माण अग्रिम (एच.बी.ए.) को स्वीकृत तथा उस पर 10.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लेकर की जायेगी।

अपनी निधि जो कि भूमि क्रय में अवरुद्ध थी, के विरुद्ध अपने कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत करने में कम्पनी की विफलता से 7.77 लाख रुपये ब्याज का परिहार्य भार फलित हुआ।

तदनुसार, कम्पनी ने 5024 वर्ग मीटर का एक भूखण्ड लागत 17.57 लाख रुपये कानपुर विकास प्राधिकरण (के.डी.ए.) से प्राप्त किया जुलाई 1990 और जनवरी 1992 तक इसकी रजिस्ट्रेशन व पट्टेदारी किराये के रूप में 4.56 लाख रुपये (कुल मूल्यः 22.13 लाख रुपये) व्यय किये। इसमें से कम्पनी ने 2256 वर्गमीटर भूखण्ड अपने 19 कर्मचारियों को निजी उपयोग हेतु आवंटित किये तथा कर्मचारियों से 25 प्रतिशत

लागत के रूप में 3.79 लाख रुपये (1990–91) प्राप्त किये तथापि, कम्पनी ने कर्मचारियों को एच.बी.ए. स्वीकृत नहीं किया (मई 1997) जिसके अभाव में वसूली प्रारम्भ नहीं की जा सकी। परिणामतः कम्पनी को फरवरी 1992 से मई 1997 तक निष्फल निवेश पर 17.75 प्रतिशत की दर से, जो कि नकद क्रेडिट पर लागू है, 7.77 लाख रुपये की ब्याज–हानि वहन करना पड़ा।

अपने उत्तर में प्रबन्धन ने व्यक्त किया (जुलाई 1997) कि भूमि कर्मचारियों को इसलिये नहीं हस्तान्तरित की जा सकी क्योंकि सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य सामान्य सुविधायें जैसे पानी, सीवेज प्रणाली, विद्युत आदि के.डी.ए ने प्रदान नहीं की थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि के.डी.ए. ने भूमि को "जैसी है जहाँ है" के आधार पर प्रस्तावित किया था (जून 1990) तथा सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य सभी विकास कार्य क्रेता को स्वयं करने थे।

प्रकरण कम्पनी को और शासन को जून 1997 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित थे।

उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड

4अ.16 नकद धन का गबन

एक संदिग्ध आचरण वाले व्यक्ति की तैनाती, विवरणों का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित न करने तथा लेखाओं की अभीष्ट जाँच न करने के कारण 9.63 लाख रुपये का गबन हुआ।

राज्य में कम्पनी के विक्रय केन्द्र द्वारा व्यापार चलाने के लिये तथा लेखा जोखा तैयार करने के लिये यह नियम है कि शाखा प्रबन्धक (बी.एम.)की नियुक्ति साधारणतः वरिष्ठ अधिकारियों के बीच से ही होती है जिनके पास विक्रय करने तथा लेखा–जोखा तैयार करने का अच्छा ज्ञान होता है। पुनः, नगदी जो विक्रय द्वारा पूर्व में प्राप्त होती है या तो उसको स्थानीय खाते में जमा कर दिया जाता है या मुख्यालय (एच.ओ.) अलीगढ़ बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेज दिया जाता हैं। शाखा प्रबन्धकों (बी.एम.) को दैनिक/मासिक नगद/स्टाक का प्रतिवेदन मुख्यालय को प्रेषित करना होता है।

श्री शूरवीर विक्रम बहादुर सिंह जिन्होंने राँची शाखा में तैनाती के दौरान गबन किया था (अक्टूबर 1991), उन्हें सामान्य प्रबन्धक द्वारा (जून 1990) तैनाती के विरुद्ध प्रस्ताव रखने पर भी लखनऊ के विक्रय केन्द्र पर बी.एम. के रूप में तैनात कर दिया गया। कथित बी.एम. ने लखनऊ विक्रय केन्द्र पर 9.63 लाख रुपये का गबन इस प्रकार किया :

(I) 1992–93 से 1995–96 के दौरान 4.32 लाख रुपये की नगदी बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा मुख्यालय को प्रेषित किया जाना दर्शाया जो बाद में जाली सिद्व हुआ, तथा

(II) 5.31 लाख रुपये का गलत खर्च पोस्टिंग किया जो किसी भी तरह से भी किसी वाउचर से समर्थित नहीं था।

यद्यपि बी.एम. के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी (मई 1996) तथा पुलिस में एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई थी (जून 1996), सम्प्रेक्षण द्वारा यह पाया गया (अक्टूबर 1996) कि यह गबन तब सम्भव हो सका जब एक व्यक्ति जिसका आचरण संदेहपूर्ण था उसको बी.एम. के रूप में जी.एम. की संस्तुति को अनदेखा करते हुए तैनात किया गया और मुख्यालय द्वारा उनके लेखा–जोखा का जो निरीक्षण समय-समय पर करना था, उसे नहीं किया गया।

प्रकरण कम्पनी को जनवरी 1997 में तथा शासन को जून 1997 में प्रतिवेदित किये गये, उत्तर प्राप्त नहीं हुये (सितम्बर 1997)।

उत्तर प्रदेश पाल्ट्री एवं लाईवस्टाक स्पेश्यलिटीज लिमिटेड

4अ.17 वैक्सीन की खरीद में उच्च दरों के कारण परिहार्य व्यय

शासन द्वारा प्रतिपादित क्रय प्रक्रिया के अनुसार, दवाईयों का चयन और मात्रा को पशुपालन विभाग की विशेषज्ञ समिति (ई.सी.) द्वारा सुनिश्चित किया जाता है तथा दर कम्पनी के क्रय समिति (पी.सी.) द्वारा निर्धारित करने के बाद विभाग के निदेशक द्वारा स्वीकृत होना अपेक्षित है।

कम्पनी ने बिना विशेषज्ञ समिति के निर्णय लिये (18 जुलाई 1994) अल्पकालीन टेन्डर ब्लैक क्वाटर (बी.क्यू.) तथा हीमोरेहजिक सेप्टीसिमिया (एच.एस.) वैक्सीन्स का रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा आपूर्ति करने के लिये आमंत्रित किये जो 4 अगस्त 1994 को खोले गये। तीन फर्मों की दरें, जिन्होंने अपना टेण्डर जमा किया था, बी.क्यू. और एच.एस. वैक्सीन्स का मूल्य 32 रुपये प्रति 50 खुराक न्यूनतम् टेण्डरर द्वारा गया और 43 रुपया प्रति 50 खुराक दूसरे दो टेन्डररों द्वारा दर्शाया गया।

पी.सी. ने इण्डियन वेटिनरी रिसर्च इन्सटिट्यूट (आई.वी.आर.आई.) के परीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य सूत्रों के आधार पर संस्तुति दिया (4 अगस्त 1994) कि न्यूनतम टेण्डरर से कतिपय अन्य सूचनाओं के आधार पर बायो मेड प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद का दर स्वीकार किया जाये। इसके अनुसार, फर्म ने 10 अगस्त 1994 को परीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य सूचना जमा किया। तथापि, समक्ष समिति द्वारा प्रतिपादित न्यूनतम दर पर आर्डर देने के स्थान पर, निदेशक ने एक तकनीकी समिति बनाई ताकि अन्य टेण्डररों के मूल्यों को न्यूनतम टेण्डरर के मूल्य पर लाया जा सके। तकनीकी समिति ने अन्य टेण्डरर की जाँच रिपोर्ट की प्रतीक्षा किये बिना ही, यह संस्तुति दिया

उच्च दरों पर वैक्सीन के खरीद से 6.12 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय फलित हुआ।

(8 अगस्त 1994) कि एच.एस. वैक्सिन्स 1 लाख खुराक का आदेश न्यूनतम टेण्डरर को उनकी बताई 32 रुपये प्रति 50 खुराक दर पर तथा 34 लाख खुराक (बी.क्यू. वैक्सीनः 3 लाख खुराक व एच.एस. वैक्सीनः 31 लाख खुराक) का आदेश दो अन्य फर्मों को वार्ता के पश्चात् तय दर 41 रुपये प्रति 50 खुराक पर दिया जाये। आर्डर 10 अगस्त 1994 तक पारित कर दिये गये और पूरे कोटेशन अगस्त 1994 तक प्राप्त करके भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार, (पी.सी. द्वारा संस्तुति दरों से उच्च दरों पर) वैक्सीन्स की खरीद फरोख्त में 6.12 लाख रुपये का परिहार्य व्यय फलित हुआ।

उत्तर में, प्रबन्धन ने व्यक्त किया (जुलाई 1997) कि चूँकि न्यूनतम टेण्डरर एक नई फर्म थी तथा उसने निविदा के साथ जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया था, निदेशक ने फर्म को केवल एक ट्रायल आदेश देने का निर्णय लिया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि न्यूनतम टेण्डरर एक पंजीकृत फर्म थी तथा उन्होंने आई.वी.आर.आई. जाँच रिपोर्ट छः दिन के अन्दर व आर्डर के अन्तिम निर्गमन के पूर्व दे दी थी। कम्पनी का कदम पी.सी. की संस्तुति के भी प्रतिकूल था जो कि ऐसे मामलों में निर्णय लेने में सक्षम थी।

प्रकरण शासन को जून 1997 में प्रतिवेदित किया गया था, उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुये हैं (सितम्बर 1997)।

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड

4अ.18 ब्याज की हानि

अधिक दर पर ब्याज पाने और आवासीय विकास के लिये राज्य को वित्तीय सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से, सरकार ने सरकारी कम्पनियों तथा सरकारी उद्यमों को यह निर्देश दिया था (मार्च 1985) कि वे अपने पूर्ण या आंशिक अधिशेष धन को हाउसिंग डेवल्पमेन्ट फाईनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.डी.एफ.सी.) में निवेश करें। जमा की अवधि पर निर्भर होने से एच.डी.एफ.सी. में ब्याज की दर 9 से 12 प्रतिशत तक थी जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक में यह दर केवल 7 से 10 प्रतिशत थी। एच.डी.एफ.सी. में राष्ट्रीकृत बैंकों की अपेक्षा जमा को अवधि के पूर्व आहरित करने की सुविधा भी उपलब्ध थी।

कम्पनी ने अपने अधिशेष निधि का निवेश सरकारी सुझाव के अनुरूप एच.डी.एफ.सी. में उच्च दरों के बजाय कम दरों में निवेश के कारण 20.64 लाख रुपये की हानि उठाई

सरकारी निर्देश को अनदेखा करते हुए, कम्पनी ने (सितम्बर 1991 से मई 1994 तक) अधिशेष धन 1714.23 लाख रुपये सावधि जमा रूप से राष्ट्रीकृत बैक में तथा एक को-आपरेटिव बैंक (100.50 लाख

रुपये) में जमा किये। जैसा कि बैंकों में ब्याज की दर एच.डी.एफ.सी. की तुलना में कम थी, अधिशेष निधि का निवेश 20.64 लाख रुपये की ब्याज–हानि के रूप में परिणामित हुआ, जिसका आंकलन एच.डी.एफ.सी. व उन बैंकों के ब्याज की दरों के अन्तर के सन्दर्भ में किया गया।

उत्तर में, प्रबन्धन ने व्यक्त किया (मई 1997) कि धनराशि को सुविधा व वाणिज्यिक दृष्टिकोण से बैंकों में रखा गया था जिससे समय–समय पर इन्हें आहरित किया जा सके। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एच.डी.एफ.सी. में भी ये सुविधाएँ उपलब्ध थीं तथा वह ब्याज भी उच्च दरों पर दे रहा था।

प्रकरण सरकार को अप्रैल 1997 में प्रतिवेदित किये गये, उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 1997)।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड

4अ.19 बन्धक प्रत्याभूति का नगदीकरण न कराने के कारण रॉयल्टी/कमीशन की हानि

कम्पनी ने आस्था कोल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर को विभिन्न कोयला खदानों से स्लैक कोल के आयात तथा उसे राज्य के ईंट–भट्ठा मालिकों को वितरित करने के लिये कोल हैन्डलिंग एजेन्ट नियुक्त किया। अनुबन्ध जो कम्पनी व एजेण्ट के मध्य प्रतिपादित किया गया था (अप्रैल 1991), के प्राविधानों के अनुसार एजेन्ट को निर्धारित स्लैक कोयले की आवंटित मात्रा का 40 प्रतिशत प्राप्त करना था, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधा से आगणित दरों पर बिक्री करना और क्रय मूल्य का 5 प्रतिशत रायल्टी कमीशन के रूप में एजेन्ट द्वारा कम्पनी को देय होना था। इस दायित्व के अनुपालन में, एजेन्ट को कोयले के मूल्य, रेलवे भाड़ा, रेलवे साईडिंग से डिपो तक स्थानीय ढुलाई, 5 प्रतिशत अपव्यय व लाभ हेतु 10 प्रतिशत मार्जिन देते हुए बिक्री हेतु प्राधिकृत किया गया था। शर्त भंग होने की दशा में, एजेण्ट इस मात्रा पर अर्जित लाभ का 1.5 गुणा जुर्माने के रूप में भुगतान करने का भागी था। इस दायित्व के संचालन हेतु 14.22 लाख रुपये की बैंक गारन्टी जून 1991 में प्राप्त की गई थी जिसकी वैधता जून 1993 तक बढ़ाई गई। अनुबन्ध 31 मार्च 1995 तक वैध था यदि इससे पहले संविदा भंग न की गई हो। एजेण्ट से यह भी वाँछित था कि आयात के स्तर व कोयले के वितरण की सावधि सूचना देते रहें।

इस सम्बन्ध में यह परिलक्षित हुआ कि :

(अ) कम्पनी ने जुलाई 1991 से मार्च 1992 के दौरान 98 रैक कोयला आवंटित किया था जिसके विरुद्ध एजेन्ट ने 164.49 लाख रुपये का मात्र 15 रैक कोयला आयात किया और 8.22 लाख रुपये रॉयल्टी/कमीशन का भुगतान किया। इस प्रकार, 39 रैक (आंवटित मात्रा का 40 प्रतिशत) की स्वीकृत मात्रा के विरुद्ध, एजेन्ट ने अपने दायित्व का मात्र आंशिक निर्वाह किया जिसके

फलस्वरूप 24 रैक की कमी हुई जिस पर उनसे 13.16 लाख रुपये की रॉयल्टी/कमीशन मार्च 1993 तक प्राप्त होने थे जब कम्पनी ने अनुबन्ध समाप्त किया।

(ब) सम्प्रेक्षा द्वारा एजेण्ट के बिक्री विवरण (मार्च 1995) के जाँच के दौरान यह परिलक्षित हुआ कि एजेण्ट ने जून 1992 के दौरान प्रेषण बिन्दु पर बेचे गए 6407 टन कोयले पर 2.56 लाख रुपये ढुलाई भाड़ा सम्मिलित करते हुए उच्च विक्रय मूल्य भारित किया थ। चूँकि यह व्यय एजेण्ट द्वारा अपने लाभांश से वहन करना था, एजेण्ट द्वारा प्राप्त 2.56 लाख रुपये का अतिरिक्त विक्रय मूल्य उनसे जुर्माने की दर (1.5 गुणा) पर वसूली योग्य था। कम्पनी ने मार्च 1993 में समाप्ति सूचना जारी करते समय एजेण्ट निमित्त वसूली योग्य 3.84 लाख रुपये का जुर्माना नहीं माँगा। अनुबन्ध समाप्ति की तिथि (मार्च 1993) पर एजेण्ट से कमीशन व जुर्माने के रूप में बकाया 17 लाख रुपये के विरुद्ध, कम्पनी ने 14.22 लाख रुपये की बैंक प्रत्याभूति को जब्त नहीं किया जो मार्च 1993 में समाप्त हो गई। बैंक प्रत्याभूति के वैधता अवधि के अन्तर्गत देयों की प्राप्ति न करने हेतु उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये बिना समस्त उधार बकाया रह गया (अगस्त 1997)।

बैंक प्रतिभूति का आवाहन न करने व उसे मार्च 1993 में समाप्त होने देने से अन्ततोगत्वा कम्पनी के 17 लाख रुपये के दायों की वसूल न हो सकी।

प्रकरण कम्पनी और शासन को मई 1997 में प्रतिवेदित किये गये उत्तर प्रतीक्षित थे।

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड

4अ.20 बोनस का अनाधिकृत भुगतान

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत वेतन का 20 प्रतिशत बोनस कर्मचारियों को भुगतान किया जा सकता है, यदि उस सीमा तक आवंटित अतिरिक्त धन उपलब्ध रहे। यदि अतिरिक्त धन न उपलब्ध रहे तो न्यूनतम बोनस 8.33 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जा सकता है। बोनस या एक्स ग्रेशिया भुगतान को सुचारू रूप से चलाने के लिये जिस कम्पनी में आवंटित अतिरिक्त धन उपलब्ध न हो, शासन ने अक्टूबर 1990 में यह निर्देश दिया कि बोनस का भुगतान न्यूनतम वैधानिक सीमा तक होना चाहिये। 8.33 प्रतिशत से अधिक भुगतान की दशा में मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन चाहिये।

बोनस अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत कम्पनी के पास 1994–95 की अवधि में 5.50 लाख रुपये का अपर्याप्त आवंटित अतिरिक्त धन था जिसके विरुद्ध 5.94 लाख रुपये का न्यूतम बोनस देय था। इसलिए कम्पनी 8.33 प्रतिशत की बैंधानिक सीमा में एक्सग्रेशिया के भुगतान करने के लिए

अधिकृत थी। जबकि कर्मचारियों के दबाव के कारण कम्पनी ने बिनाा निदेशक मंडल की स्वीकृति व राज्य सरकार के अनुमोदन के 8.33 प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत का भुगतान कर दिया। इस प्रकार 8.33 प्रतिशत से अधिक भुगतान का योग 8.32 लाख रुपये हुआ। दिसम्बर 95 में प्राप्त निदेशक मण्डल का कार्यपश्चात् अनुमोदन पर्याप्त नहीं था क्योंकि कैबिनेट कमेटी का आगामी अनुमोदन भुगतान करने के पूर्व नहीं प्राप्त किया गया था।

कम्पनी ने आवंटीय अवशेष न होते हुये भी 8.33 प्रतिशत से अधिक भुगतान कर के 8.32 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

प्रबन्धन ने जनवरी 1997 में व्यक्त किया कि प्रशासनिक वित्त एवं लोक उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव कम्पनी के निदेशक मंडल के पद में सदस्य होते हैं, इसलिये शासन को प्रकरण संदर्भित करना आवश्यक नहीं समझा गया। कम्पनी का उनर अमान्य था क्योंकि कम्पनी शासन के निर्देश के अनुसार पारित कार्य किया।

प्रकरण कम्पनी तथा शासन को मई 1997 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित थे।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड

4अ.21(अ) अनाधिकृत कटौती के विरुद्ध अनुसरण न करने से हानि

म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली ने (सितम्बर 1989) ग्रैन्ड ट्रंक रोड पर सहारनपुर रेलवे लाईन के ऊपर फ्लाई ओवर तथा शहादरा (दिल्ली) पुलिस स्टेशन से ग्रेड सेपरेटर के बनाने हेतु 1690 लाख रुपये का समेकित कार्य आदेश कम्पनी को प्रदान किया। ग्राहक को अपने किसी भी दिल्ली स्टोर से स्टील व सीमेन्ट जो कार्य के लिये आवश्यक था, निर्गत करना था (निर्गत दर जमा 2 प्रतिशत रख–रखाव भार सहित)। कम्पनी की शहादरा यूनिट ने अक्टूबर 1989 में कार्य प्रारम्भ किया और अगस्त 1995 में समाप्त किया।

ग्राहक ने 5550 टन स्टील (दिल्ली स्टोर से निर्गतः 2405 टन तथा चार स्टील उत्पादकों से सीधा निर्गतः 3145 टन) अक्टूबर 1989 से मार्च 1995 के मध्य आपूर्ति किया। सम्प्रेक्षण के दौरान यह पाया गया (दिसम्बर 1996) कि ग्राहक ने 3145 टन स्टील के सीधे वितरण पर 4.82 लाख रुपये भण्डारण भार के रूप में रनिंग बिल से काट लिया। चूँकि माल की आपूर्ति सीधे वितरक द्वारा निर्माण स्थल पर की गई थी, कम्पनी 4.82 लाख रुपये भण्डारण प्रभार भुगतान करने हेतु उत्तरदायी नहीं थी, जिसे कम्पनी को ग्राहक से वापस वसूल करना चाहिये था। क्योंकि कम्पनी ने कोई दावा नहीं किया, उसे 4.82 लाख रुपये का घाटा उठाना पड़ा।

यद्यपि, स्थानीय प्रबन्धन ने भण्डारण भार की गलत वसूली को स्वीकार किया परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि अनाधिकृत वसूली की वापसी क्यों नहीं माँगी गई (सितम्बर 1997)।

4अ.21 (ब) खाली सीमेन्ट बोरी पर अतिरिक्त भार का भुगतान

म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली ने सितम्बर 1989 में 1690 लाख रुपये मूल्य के ग्रैन्ड ट्रंक रोड पर रेलवे लाईन के ऊपर फ्लाई ओवर तथा शहादरा पुलिस स्टेशन से ग्रेड सेपरेटर के बनाने का कार्य कम्पनी को प्रदान किया। कार्य को करने के लिये जो सीमेन्ट की आवश्यकता थी, ग्राहक ने उसका निर्गत मूल्य 63.74 रुपये प्रति बोरी तथा उस पर 2 प्रतिशत भण्डारण भार वसूल किया। खाली बोरी अच्छी हालत में 90 प्रतिशत तक वापस करनी थी अन्यथा वापस न की गई बोरी पर 2 रुपया प्रति बोरी की दर से चार्ज होना था।

शहादरा यूनिट ने कार्य अक्टूबर 1989 में प्रारम्भ किया और जुलाई 1995 तक अधिकतम सिविल कार्य समाप्त किया जिसके फलस्वरूप 4.97 लाख सीमेन्ट बोरी प्रयुक्त हुआ। 4.47 लाख खाली सीमेन्ट बोरी (4.97 लाख का 90 प्रतिशत) के विरुद्ध जो अनुबन्ध के उपबन्ध के अनुसार लौटाना था, इकाई ने अच्छी हालत में उपलब्ध न होने के कारण केवल 0.67 लाख खाली सीमेन्ट बोरी (13.5 प्रतिशत) लौटाई, इसलिये ग्राहक ने 3.81 लाख न लौटाये गये खाली बोरी के विरुद्ध 7.62 लाख रुपये कम्पनी के बिलों से वसूल किये। कम्पनी ने हानि के लिये कोई जिम्मेदारी नहीं निर्धारित की।

प्रकरण प्रबन्धन तथा शासन को मई 1997 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित थे।

उत्तर प्रदेश चीनी निगम लिमिटेड

4अ.22 रेलवे द्वारा दावा अस्वीकार करने के कारण हानि

कम्पनी ने अक्टूबर 1992 में एक आदेश मेगना जूट मिल्स कलकत्ता को 45 गांठ बोरे की आपूर्ति के लिये दिया जो 15 दिसम्बर 1992 में भेजे गये और महोली रेलवे स्टेशन पर 12 जनवरी 1993 में पहुँचे। कम्पनी के महोली इकाई के कर्मचारियों द्वारा बोरे को उतारा गया और रेलवे स्टेशन पर भण्डारण किया गया। 14/15 जनवरी 1993 की रात्रि में, बोरे में आग लग गई और 45 गांठों में से 35 गांठ बोरे बुरी तरह से जल गये और बचा हुआ बोरा किसी कीमत का नहीं था।

45 गांठ बोरे का 2.75 लाख रुपये का भुगतान फरवरी 1993 को कर दिया गया।

35 जली हुई गांठ के सम्बन्ध में, ईकाई ने 16 अप्रैल 1993 को 2.03 लाख रुपये का दावा रेलवे विभाग में किया जो 14 जुलाई 1995 को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि आग निर्धारित अवधि के अन्दर सामान उठा लेने के बाद लगी।

इस प्रकार, गांठ उतारने के पश्चात् सही सुरक्षा न प्रदान करने के कारण कम्पनी को 2.03 लाख रुपये का नुकसान हुआ। जून 1997 तक इस नुकसान की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई।

प्रकरण कम्पनी को दिसम्बर 1996 में और शासन को जून 1997 में प्रतिवेदित किये गये, उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं।

4अ.23 बिक्री से प्राप्त धन का नगद उधार खाते में जमा न होने के कारण हानि

कम्पनी की लक्ष्मीगंज इकाई उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक, लक्ष्मीगंज से 16.5 से 17 प्रतिशत की ब्याज दर जो तिमाही अवशेष पर लागू थी, पर नगद उधारी की सुविधा ले रखी थी। नगर उधारी की सीमा चीनी और भण्डार के स्टाक के गिरवी रखने के विरुद्ध वर्ष 1993–94 से 1995–96 तक 504.48 लाख रुपये से 622.21 लाख रुपये तक उपयोग की गई।

इकाई के प्रधान प्रबन्धक ने 62.10 लाख रुपये अनियंत्रित शीरे का मूल्य जो ब्रिकी से प्राप्त हुआ उसे नगद उधार खाते में जमा करने के बजाय, कम ब्याज (7 से 10 प्रतिशत पर कोआपरेटिव बैंक, गोरखपुर में निवेशित कर दिया जिससे परिहार्य भुगतान 2.49 लाख का ब्याज के रूप में कराया गया, जिसका विवरण अधोलिखित है

	सावधि खाता सं0 व दिनांक	दर प्रतिशत	धनराशि (लाख रुपये)	धन का अवरोधन (वर्ष–दिन)	नगदी–उधारी में ब्याज की दर (प्रतिशत)	दर में अन्तर (प्रतिशत)	परिहार्य ब्याज का भुगतान (रुपये)
(i)	6/9/93	10	6.00	1-10	16.5	6.5	40068
(ii)	6/1/94	8	10.00	0-163	16.5	8.5	37959
(iii)	27/1/94	7	3.00	0-217	16.5	9.5	16943
(iv)	5/2/94	7	6.00	0-222	16.5	9.5	34668
(v)	16/3/94	7	8.00	0-183	16.5	9.5	38104
(vi)	23/6/94	10	5.00	1-84	16.5	6.5	39980
(vii)	5/7/94	7	5.30	0-72	16.5	9.5	9932
(viii)	29/7/94	10	8.80	0-81	16.5	6.5	12694
(ix)	28/5/96	10	10.00	0-97	17	7	18603
	योग		**62.10**				**248951**

प्रकरण कम्पनी व सरकार को जून 1997 में प्रतिवेदित किये गये थे, उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुये हैं।

अनुच्छेद IV
विविध रूचिकर विषय

अनुच्छेद 4ब
सांविधिक निगम

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्	
1.	राजस्व का देरी से निर्धारण	279
2.	ट्रंकलाइन को अनाधिकृत रूप से टैप करना	282
3.	उपभोक्ता से 33 के.वी. 'बे' की लागत न वसूलने के कारण हानि	283
4.	मैचिंग पावर परियोजना के पूर्ण न होने से निधि की अवरुद्धता	284
5.	बिना मीटर के विद्युत आपूर्ति से अल्पभारण	285
6.	राजस्व का कम निर्धारण	286
7.	गलत दर सूची का लागू करना	286
8.	गलत दर सूची का प्रयोग	287
9.	विद्युत प्रभार के देयक निर्गत न करना	288
10.	कम माँग के प्रभार का बिल निर्गत करना	289
11.	प्रारम्भिक प्रतिभूति का न वसूला जाना	290
	उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम	
12.	व्यापार कर का परिहार्य भुगतान	291
	उत्तर प्रदेश वित्त निगम	
13.	ब्याज कर का अधिक भुगतान	292
14.	परिसम्पत्ति के विलम्बित विक्रय के कारण हानि	293
15.	कम प्रस्ताव पर परिसम्पत्ति की बिक्री से हानि	294
16.	नियत तिथि से पूर्व अग्रिम कर का भुगतान	295
	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	
17.	धर्म काँटों का क्रय व संस्थापन	297

अनुच्छेद 4ब

सांविधिक निगम

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

4 ब–1 राजस्व का देरी से निर्धारण

सम्प्रेक्षा की प्रेरणा पर परिषद् 2.73 करोड़ रुपये के निर्धारण में से 2.48 करोड़ रुपये वसूल न कर सका और उस पर 43.30 लाख रुपये प्रतिवर्ष ब्याज का घाटा उठाया।

परिषद् अपने कार्यकलाप का सम्पादन 18 से 20 प्रतिशत की दर से लिये ऋणों, जिसमें कैश क्रेडिट से आहरण भी सम्मिलित है, से करती है। निर्धारण देयक निर्गत करने में विलम्ब के फलस्वरूप वसूली में विलम्ब परिषद् के संसाधनों को प्रभावित करता है।

परिषद् की सोलह इकाईयाँ 272.66 लाख रुपये का निर्धारण निर्धारित समय में नहीं कर सकी थी जिनके देयक पहली बार निम्न विवरण के अनुसार सम्प्रेक्षा की प्रेरणा पर उपभोक्ताओं को निर्गत किये गये:

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	खण्ड का नाम	अल्प प्रभार की धनराशि	प्रकृति और प्रयुक्त अवधि	निर्धारण का माह	वसूली की धनराशि एवं माह	ब्याज की हानि	ब्याज की अवधि
1.	विद्युत वितरण खण्ड-I आगरा	81.19	राजस्व के देयक न बनाना एवं विलम्ब भुगतान अधिभार न लगाना (जून 1995 से नवम्बर 1996 तक)	दिसम्बर 1995	शून्य	12.18	दिसम्बर 1996 से सितम्बर 1997

(लाख रुपये में)

2.	विद्युत वितरण खण्ड-II बलिया	1.81	बिना मीटर के संयोजन देने के कारण अल्प निर्धारण (फरवरी 1996 से जून 1996)	मार्च 1997	1.81 (मार्च 1997)	0.41	जुलाई 1996 से फरवरी 1997 तक
3.	विद्युत वितरण खण्ड (i) बाराबंकी	14.49	न्यूनतम खपत प्रभार की गलत दर को लगाये जाने के कारण राजस्व का अल्प निर्धारण (अगस्त 1994 से दिसम्बर 1995)	जनवरी 1996	(14.49 जनवरी से नवम्बर 1996)	2.25	जनवरी 1995 से दिसम्बर 1995 तक
	विद्युत वितरण खण्ड (ii) बाराबंकी	14.30	विश्व बैंक नलकूपों के राजस्व का अल्प निर्धारण (अक्टूबर 1994 से दिसम्बर 1995)	जनवरी 1996	शून्य	4.50	जनवरी 1996 से सितम्बर 1997 तक
4.	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड प्रथम अलीगढ़	4.83	गलत दर सूची लागू करने के कारण अल्प प्रभार (अक्टूबर 1991 से अगस्त 1995)	मार्च 1997	शून्य	1.81	सितम्बर 1995 से सितम्बर 1997 तक
5.	विद्युत वितरण खण्ड (i) धामपुर	4.17	विलम्ब भुगतान अधिभार का न लगाना (अप्रैल 1994 से मार्च 1996)	नवम्बर 1996	शून्य	1.13	अप्रैल 1996 से सितम्बर 1997 तक
	विद्युत वितरण खण्ड (ii) धामपुर	6.59	विलम्ब भुगतान अधिभार का न लगाना (अप्रैल 1994 से मार्च 1996)	निर्धारण देयक निर्गत नहीं किया गया	शून्य	1.48	जुलाई 1996 से सितम्बर 1997 तक
6.	विद्युत वितरण खण्ड बरेली	3.27	शन्ट कैपेसिटर अधिभार का न लगाना (जनवरी 1996 से सितम्बर 1996)	फरवरी 1997	शून्य	0.59	अक्टूबर 1996 से सितम्बर 1997 तक
7.	विद्युत वितरण खण्ड बुलन्दशहर	2.81	विद्युत कर का कम लगाया जाना (अगस्त 1985 से जनवरी 1986)	जुलाई 1986	2.77 (जुलाई 1996 से नवम्बर 1996)	5.27	फरवरी 1986 से जून 1996 तक

(लाख रुपये में)

8.	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-I बरेली	1.55	अधिष्ठान अधिभार का न लगाना (अप्रैल 1995 से फरवरी 1996)	अक्टूबर 1996	1.55 (दिसम्बर 1996)	0.21	मार्च 1996 से नवम्बर 1996 तक
9.	विद्युत वितरण खण्ड-(i) बलरामपुर	2.11	अधिष्ठान अधिभार का न लगाना (अप्रैल से जून 1996)	अक्टूबर 1996	(2.11 अक्टूबर 1996)	0.10	जुलाई 1996 से सितम्बर 1996 तक
	विद्युत वितरण खण्ड (ii) बलरामपुर	2.18	ईंधन अधिभार का न लगाना (जुलाई 1995 से जून 1996)	अगस्त 1996	(2.18 सितम्बर 1996)	0.07	जुलाई 1996 से अगस्त 1996 तक
10.	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड प्रथम मुजफर नगर	3.52	दर सूची का गलत लगाना (जुलाई 1994 से अप्रैल 1996)	मई 1996	शून्य	0.90	मई 1996 से सितम्बर 1997 तक
11.	विद्युत वितरण खण्ड प्रथम मुरादाबाद	100.13	विद्युत प्रभार के देयक निर्गत न करना (हरिजन बस्ती एवं विद्युतीकृत ग्राम) (अप्रैल 1990 से अप्रैल 1997)	मई 1997	शून्य	7.51	मई 1997 से सितम्बर 1997 तक
12.	विद्युत वितरण खण्ड उरई, जालौन	0.37	निर्धारण की गलत प्रक्रिया का अपनाया जाना (अगस्त 1994 से दिसम्बर 1994)	जुलाई 1997	शून्य	0.18	जनवरी 1995 से सितम्बर 1997 तक
13.	विद्युत वितरण खण्ड–(i) बुलन्दशहर	10.80	अतिरिक्त–अधिभार का न लगाना (फरवरी 1992 से दिसम्बर 1996)	सितम्बर 1997	शून्य	1.46	जनवरी 1997 से सितम्बर 1997 तक
14.	विद्युत वितरण खण्ड–(i) रायबरेली	10.73	ईंधन/अधिष्ठान अधिभार का न लगाना (जुलाई 1994 से नवम्बर 1996)	मार्च 1997	शून्य	1.61	दिसम्बर 1996 से सितम्बर 1997 तक
15.	विद्युत वितरण खण्ड–(i) शाहजहाँपुर	5.52	सकल अतिरिक्त भार देयकीकरण न होना (अगस्त 1992 से अप्रैल 1997)	अगस्त 1997	शून्य	0.41	मई 1997 से सितम्बर 1997 तक
16.	विद्युत वितरण खण्ड–(i) बरौत	2.29	प्रणाली भारण प्रभार का न लगाया जाना (मार्च 1994)	जून 1997	शून्य	1.23	अप्रैल 1994 से सितम्बर 1997 तक
	योग	**272.66**			**24.91**	**43.30**	

272.66 लाख रुपयों में से, परिषद् की ग्यारह इकाईयाँ 247.75 लाख रुपये वसूल नहीं कर सकी। विलम्ब से निर्धारण के कारण परिषद् को निर्धारण देय तिथि अथवा सितम्बर 1997 जो भी पहले हो, तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष का ब्याज 43.30 लाख रुपये छोडना पड़ा।

इन प्रकरणों को परिषद् एवं शासन को जून 1997 में सूचित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 1997)।

4ब.2 ट्रंक लाइन को अनाधिकृत रूप से टैप करना

परिषद् को अपने ही आदेशों की विपरीत ट्रंक लाईन की अनाधिकृत टैपिगं से 7.83 लाख रुपये प्रतिवर्ष के राजस्व का घाटा हुआ।

परिषद् ने मोहित पेपर मिल्स लिमिटेड बिजनौर को अविरल प्रक्रिया भार 1500 के.वी.ए. का भार इस शर्त के साथ स्वीकृत किया (जुलाई 1993) कि आपूर्ति 6 कि.मी. दूरी पर स्थित 132/33 के.वी. उपसंस्थान बिजनौर से 33 के.वी.ए. के एक स्वतन्त्र पोषक से की जायेगी। तद्नुसार उपभोक्ता को बे के निर्माण (17.13 लाख रुपये) एवं व्यक्तिगत पोषक के लिये लाइन के निर्माण (11.61 लाख रुपये) पर सम्पूर्ण व्यय 28.74 लाख रुपये वहन करना था। बाद में परिषद् ने बिना किसी अभिलेखगत कारण के उक्त स्वीकृति को इस शर्त के साथ संशोधित कर दिया (मई 1994) कि 1500 के.वी.ए. के भार को 11 के.वी. वोल्टेज पर, (33 के.वी. स्वतंत्र पोषक के स्थान पर) उपभोक्ता के परिसर में उपलब्ध कराई गई भूमि पर 33 के.वी. से उपसंस्थान का निर्माण करके अवमुक्त किया जायेगा। परिषद् के आदेशों के विपरीत सदस्य (वितरण) ने इस आधार पर कि स्थाई 33/11 के.वी. उपसंस्थान एवं लाइन को बनाने में काफी समय लगेगा जिससे उपभोक्ता को आपूर्ति में काफी विलम्ब होगा उपभोक्ता को आपूर्ति 11 के.वी. वोल्टेज पर एक अस्थाई 33/11 के.वी. उपसंस्थान का निर्माण उपभोक्ता के परिसर में करने के बाद 33 के.वी. बिजनौर–शादीपुर ट्रंक लाइन को टैप करके देने की अनुमति (मई 1994) में प्रदान की। 33 के.वी. पोषक से ट्रान्सफार्मर तक लाइन का निर्माण और ट्रान्सफार्मर से मीटरिंग सिस्टम तक लाइन, प्रणाली भारण एवं प्रतिभूत प्रभारों को उपभोक्ता से वसूल किया जाना था। इसके बावजूद वि.वि. खण्ड–1 बिजनौर ने अनुबन्ध निष्पादित (मार्च 1995) करके उक्त ट्रंक लाइन को मई 1995 में टैप तथा लाइन की लागत (2.31 लाख रुपये) और प्रणाली भारण व मीटर अधिभार (10.86 लाख रुपये) की वसूली के पश्चात् करके आपूर्ति शुरू कर दी।

यद्यपि, परिषद् के जून 1992 के आदेशों सपठित मई 1994 के आदेशानुसार, 33 के.वी. ट्रंक लाइन की टैपिंग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार, परिषदीय आदेश के उल्लंघन में 33 के.वी. ट्रंक लाईन को टैप करके संयोजन देने के फलस्वरूप उपभोक्ता को अधोलिखित विवरणानुसार अनुचित लाभ परिणामित हुआ :

(i) यद्यपि उपभोक्ता 11 के.वी. स्वतंत्र फीडर से भार प्राप्त करने के मामले में अविच्छिन्न आपूर्ति पर लागू उच्च दरों पर देयकीकरण का उत्तरदायी था, जबकि वह विभिन्न आपूर्ति पर लागू निम्न दरों पर देयकीकृत किया गया क्योंकि लाईन जिस पर टैपिंग की गई, ग्रामीण व शहरी दोनों ही फीडरों को भारित करती थी, फलतः निम्न देयकीकरण से परिषद् को 7.83 लाख रुपये प्रतिवर्ष का घाटा हुआ।

(ii) उपभोक्ता के भार को समायोजित करने हेतु 33 के.वी. फीडर पर 1.5 एम.वी.ए. के स्थान पर 103.43 लाख रुपये परिषदीय लागत से 3 एम.वी.ए. ट्रान्सफार्मर की स्थापना करके प्रणाली को उच्चीकृत किया गया। उच्चीकृत प्रणाली का अधिकांश लाभ केवल इसी उपभोक्ता को हुआ क्योंकि प्रणाली से केवल 500 के.वी.ए. भार ही ततपश्चात् समायोजित हो सका

(iii) परिषद् द्वारा जुलाई 1993 में भार स्वीकृत करने पर, उपभोक्ता से 6 कि.मी. लाईन की लागत (11.61 लाख रुपये) वसूल करनी थी। तथापि, ट्रंक लाईन की टैपिंग से, लाईन की लम्बाई में कमी होने पर मात्र 2.31 लाख रुपये ही प्राप्त हुए। जिसके परिणामस्वरूप 9.30 लाख रुपये का अनुचित लाभ हुआ तथा परिषद् उपभोक्ता की लागत से इस सीमा तक परिसम्पत्ति निर्माण से वंचित रहा।

अपने उत्तर में (सितम्बर 1997) परिषद् ने अपने ही आदेशों के विपरीत एक ट्रंक लाईन को टैप करके संयोजन देने का कोई न्यायोचित तर्क नहीं दिया।

प्रकरण को परिषद् शासन को जून 1997 में सूचित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (सितम्बर 1997)।

4ब.3 उपभोक्ता से 33 के.वी. 'बे' की लागत न वसूलने के कारण हानि

> ***उपभोक्ता से 33 के.वी. 'बे' की लागत न वसूलने से उसको 17.13 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।***

मई 1994 के परिषदीय आदेश के अनुसार, इन्डक्शन/आर्क्र भट्टियों के उपभोक्ताओं से स्वतन्त्र पोषक के निर्माण की लागत, बे एवं प्रणाली भारण प्रभारों को वसूल किया जाना था। परिषद् द्वारा वर्ष 1995–96 में 33 के.वी.ए. के एक बे के निर्माण की लागत 17.13 लाख रुपये निर्धारित की गई थी।

विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–II मुजफरनगर ने 132 के.वी.उपसंस्थान जानसठ से एक 33 के.वी. स्वतन्त्र पोषक के निर्माण की स्वीकृति (फरवरी 1997) इन्डक्शन भट्टी के उपभोक्ता को 2200 के.वी.ए. के एक भार को अवमुक्त करने के लिये दी। बाद में स्वीकृति को संशोधित इस शर्त के साथ किया गया (अप्रैल 1995) कि भार को उपसंस्थान की क्षमता 3 एम.वी.ए. के ट्रान्सफार्मरों को लगा

कर बढ़ाने के बाद वर्तमान 11 के.वी.स्वतन्त्र पोषक के द्वारा अवमुक्त किया जायेगा। तद्नुसार 50.45 लाख रुपये (21.89 लाख रुपये उपभोक्ता से प्राप्त योग्य एवं 28.56 लाख रुपये परिषद् के खाते में) का आंकलन तैयार किया गया जिसे अधीक्षण अभियन्ता ने दिसम्बर 1995 में स्वीकृत किया। आंकलन निर्माण के समय 33 के.वी.के निर्माण में जिस सामग्री की कीमत को उपभोक्ताओं से प्राप्त करना था उसे परिषद् के खाते में दिखाया गया। इस प्रकार उपभोक्ता को 33 के.वी. के निर्माण की लागत 17.13 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

प्रकरण को परिषद् को अक्टूबर 1996 में एवं शासन को जुलाई 1997 में सूचित किया गया उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (सितम्बर 1997)।

4 ब. 4 मैंचिंग पावर परियोजना के अपूर्ण रहने के कारण अत्यधिक निधि का अवरोध

विशाल निधि के अवरुद्ध होने से परिषद् को 3.72 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

सप्तम पंचवर्षीय योजना में टिहरी जलविद्युत परियोजना से शक्ति प्राप्त करने के लिये मुजफ्फरनगर में 400 के.वी. उपसंस्थान का निर्माण प्रस्तावित था। उपसंस्थान का कार्य मार्च 1989 तक पूरा होना था। अधीक्षण अभियन्ता 400 के.वी. उपसंस्थान परिकल्पना मण्डल लखनऊ ने जमीन एवं निधि की सुनिश्चितता किये बिना ही, हिन्दुस्तान ब्राउन बोवेरी बड़ौदा को 526.77 लाख रुपये मूल्य के 420 के.वी. क्षमता के 23 एयर ब्लास्ट सक्रिट ब्रेकर (ए.बी.सी.बी.), 245 के.वी. क्षमता के 24 ए.बी.सी.बी. एवं अन्य सम्बन्धित उपकरणों की आपूर्ति करने का आदेश दिया (दिसम्बर 1986)। इसमें से 151.82 लाख रुपये मूल्य के 420 के.वी. के 6 ए.बी.सी.बी. एवं 245 के.वी. के 10 ए.बी.सी.बी. का आवंटन (फरवरी 1988) उक्त उपसंस्थान के लिये किया गया। सामान की आपूर्ति फरवरी से अप्रैल 1988 के मध्य की गई। जिसमें प्रत्येक में से एक ए.बी.सी.बी. को (जून 1988 एवं फरवरी 1993) 400 के.वी. मुरादनगर भेजा गया और शेष 260.91 लाख रुपये मूल्य के (मूल्य वृद्धि सहित) उपकरण मार्च 1997 तक भण्डार में अनुपयुक्त पड़े रहे। क्योंकि अभी तक उपसंस्थान का निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है, अप्रैल 1988 से मार्च 1997 तक उक्त धन अवरुद्ध पड़ा रहा। चूँकि परिषद् वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर धन की व्यवस्था करती है, अतः उक्त अवरुद्ध धन पर मार्च 1997 तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 371.76 लाख रुपयों के न्यूनतम ब्याज की हानि हुई।

स्थानीय प्रबन्धन ने बताया (फरवरी 1997) कि टिहरी जल विद्युत परियोजना के पूरा न होने एवं पावर फाइनेन्स कारपोरेशन, नई दिल्ली द्वारा धन अवमुक्त न करने के कारण उपसंस्थान के निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

यदि परिषद् ने विद्युत परियोजना से सम्बन्धित मुख्य कार्य की गतिविधियों पर सतत् निगाह रख कर तथा उचित समन्वय के साथ खरीद को नियोजित किया होता तो इतनी विशाल धनराशि का अवरुद्ध होना तथा तत्सम्बन्धित ब्याज–क्षति को बचाया जा सकता था।

प्रकरण को परिषद् एवं शासन को जुलाई 1997 में सूचित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (सितम्बर 1997)।

4ब.5 बिना मीटर के विद्युत आपूर्ति से अल्पभारण

विद्युत उपभोग के गलत निर्धारण से सितम्बर 1994 से जुलाई 1997 तक न केवल 2.71 करोड़ रुपये का राजस्व अवनिर्धारित हुआ, वरन् इस अवधि हेतु 61.95 लाख रुपये के ब्याज की भी हानि परिणामित हुई।

उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की माप परिषद् द्वारा स्थापित किये गये सही मीटरों से की जाती है। परिषद् के आदेशानुसार (जुलाई 1982) बड़े एवं भारी शक्ति उपभोक्ताओं के लिये केवल ट्राई वेक्टर मीटर ही लगाये जायेंगे जो ऊर्जा, माँग एवं भार के प्रति क्रियाशील घटक को अंकित करेंगे।

विद्युत वितरण खण्ड सिद्धार्थनगर ने बिठारिया पम्प कैनाल के लिये 1200 के.वी.ए. का भार 33 के.वी.ए. स्वतंत्र पोषक से बिना किसी मीटर के लगाये अवमुक्त किया (जून 1994) क्योंकि यथोचित क्षमता का मीटर उपलब्ध नहीं था। परिणामस्वरूप मासिक देयक, भार फैक्टर, विद्युत आपूर्ति के घंटों एवं दिनों (एल.एफ.एच.डी.सूत्र आधार) जो कि विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) अधिनियम, 1984 के अनुसार गैर मीटरीकृत आपूर्ति पर लागू होना चाहिए, के स्थान पर 120/150 रुपये प्रति के.वी.ए. की न्यूनतम उपभोग प्रत्याभूति (एम.सी.जी.) की दरों से जारी किये गये। इसके फलस्वरूप सितम्बर 1994 से जुलाई 1997 तक परिषद् को 2.71 करोड़ रुपये की हानि हुई। (जो कि न्यूनतम खपत गारन्टी एवं एल.एफ.एच.डी. के आधार पर निर्धारण में अन्तर के बराबर थी)।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 1996) कि उचित मीटर को लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं और निर्धारण को मीटर द्वारा अंकित त्रैमासिक खपत के आधार पर संशोधित कर दिया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमों में इस प्रकार से निर्धारण के पुनरीक्षण का कोई प्रावधान प्रारम्भ ही नहीं है।

इस प्रकार बिना पर्याप्त मीटर व्यवस्था के भार अवमुक्त करने से न केवल 2.27 करोड़ रुपये की हानि हुई वरन् सितम्बर 1994 से सितम्बर 1997 तक के 61.95 लाख रुपये ब्याज की भी हानि हुई।

मामले को परिषद् एवं शासन को जून 1997 में सूचित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (सितम्बर 1997)।

4ब.6 राजस्व का कम प्रभारण

अनुपूरक बिलों को विलम्ब से निर्गत करने के परिणमस्वरुप 9.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष के ब्याज की हानि हुई।

विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) विनियम, 1984 के प्रस्तर 21 (iii)(ब) के अनुसार, दोषयुक्त मीटरों के मामलो में निर्धारण संयोजित भार एवं उपयोग के घण्टों के आधार पर किया जाना अपेक्षित है जिसमें यथोचित पावर फैक्टर का प्रयोग होना चाहिये।

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित (विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, बुलन्दशहर के अन्तर्गत) दनकौर एवं रघुपुरा के 387 बी.एच.पी. से 900 बी.एच.पी. के मध्य संयोजित भार के दो नलकूप समूहों हेतु फीडर के आरम्भ बिन्दु पर स्थापित मीटर फरवरी 1992 से मार्च 1996 तक दोषयुक्त रहे। उपभोक्ता को, लोड फैक्टर उपयोग के घंटों एवं आपूर्ति के दिनों के आधार पर बिल निर्गत किया गया। किन्तु बड़े व भारी विद्युत शक्ति उपभोक्ताओं के लिए लागू फैक्टर 0.75 के स्थान पर गलत फैक्टर 0.50, जो छोटे व मध्यम शक्ति उपभोक्ता पर लागू है, को खण्ड द्वारा अपनाया गया जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 1992 से जून 1996 के दौरान 40.02 लाख रुपये का राजस्व कम प्रभारित हुआ।

स्थानीय प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 1996), कि अब मीटरों को बदल दिया गया है और प्रतिस्थापित मीटर द्वारा अंकित उपभोग के औसत आधार पर निर्धारण को संशोधित कर दिया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विनियम में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है।

मामले को परिषद् एवं शासन को अप्रैल 1997 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

4ब.7 गलत दर सूची का लागू करना

गलत दर सूची लागू करने के फलस्वरूप 8.50 लाख रुपये के राजस्व का कम प्रभरण हुआ।

जुलाई 1994 से प्रभावी दर अनुसूची एल.एम.वी.–1 घरेलू कार्यों हेतु विद्युत उपभोग करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं पर लागू होती है लेकिन व्यवसायिक उपभोक्ता जो व्यापार जैसे दुकानों, भोजनालयों से सम्बन्धित है पर लागू नहीं होती। शुल्क दर सूची (टैरिफ) में प्रावधान है कि यदि परिसर के कुछ भाग का प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिये किया जाता है और विद्युत भार को पृथक–पृथक करके

मीटर नहीं लगाया जाता है तो उपभोग की गई कुल ऊर्जा को अधिक दर सूची के अनुसार प्रभावित किया जायेगा।

सम्प्रेक्षा के समय (मई 1996), यह देखा गया कि नगरीय विद्युत वितरण खण्ड–i बरेली ने गैरीसन इन्जीनियर छावनी परिषद् (प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान), जहाँ आवासीय स्थानों के साथ दुकानें भी हैं, पर दर अनुसूची एल.एम.बी.–1 के अनुसार अगस्त 1994 से देयक निर्गत किये जबकि व्यावसायिक उपभोग हेतु भार को पृथक नहीं किया गया था। अतः इस पर समुचित दर अनुसूची एल.एम.वी.–2 के अनुसार देयक निर्गत करना चाहिये था। इस प्रकार, गलत दर अनुसूची (एल.एम.वी.–2 के स्थान पर एल.एम.वी.–1) लागू करने से अगस्त 1994 से अप्रैल 1997 की अवधि के दौरान 8.50 लाख रुपये का राजस्व कम प्रभारित किया गया। कम दर सूची से प्रभरण व्यवसायिक प्रभर को पृथक करने के अभाव में लगातार (सितम्बर 1997) जारी था।

स्थानीय प्रबन्धन ने सूचित किया (मई 1996) कि उच्चाधिकारियों के अनुमोदन के पश्चात् उक्त सुझाव पर कार्यवाही की जायेगी। तथापि, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई (सितम्बर 1997)।

प्रकरण परिषद् एवं शासन को मई 1997 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

4ब.8 गलत दर सूची का प्रयोग

दर अनुसूची एल.एम.वी.–5 (समान दर सूची) ग्रामीण अनुसूची अर्थात् ग्रामीण पोषक के उपभोक्ताओं जैसे निजी नलकूप (पी.टी.डब्ल्यू.) या पम्पिंग सेट (पी.एस) जिनका अनुबन्धित भार 25 बी.एच.पी. तक है पर लागू होती है जबकि दर अनुसूची एल.एम.बी–6 लघु एवं मध्यम शक्ति उपभोक्ताओं जिनका अनुबन्धित भार 100 बी.एच.पी. तक है, जिसमें पी.टी.डब्ल्यू. एवं पी.एस.उपभोक्ता जो ग्रामीण पोषक की जगह अन्य से (अर्थात् नगरीय पोषक) आपूर्ति लेते हैं, पर लागू होती है। दो विद्युत वितरण खण्डों (वि.वि.खण्ड) में, जिनका वर्णन नीचे दिया हुआ है, दर अनुसूची एल.एम.वी.–5 का गलत प्रयोग किया गया जबकि पम्पिंग सेट नगरीय पोषक संयोजित थे और उनका निर्धारण एल.एम.वी.–6 के अनुसार होना था। ऐसा न करने के परिणामस्वरूप अगस्त 1994 से जून 1997 तक दोनों दर अनुसूचियों के न्यूनतम खपत गारन्टी के अन्तर के आधार पर 4.19 लाख रुपये का जैसा कि नीचे विवर्णित है का अवनिर्धारण हुआ।

(लाख रुपये में)

खण्ड	अवधि	धनराशि
वि.वि. खण्ड गोण्डा	3 अगस्त 1994 से जून 1997	3.02
वि.वि.खण्ड (i) लखीमपुर	अप्रैल 1995 से फरवरी 1997	1.17
योग		**4.19**

स्थानीय प्रबन्धन वि.वि. खण्ड गोण्डा तथा वि.वि.खण्ड–I, लखीमपुर ने बताया कि मार्च 1997 से उपभोक्ता पर एल.एम.वी. 6 के अनुसार देयक जुलाई 1997 तक निर्गत किये गये हैं। दो दर सूचियों में अन्तर के अवनिर्धारण के देयक प्रतीक्षित थे (सितम्बर 1997)।

मामले को परिषद् एवं शासन को जून 1997 में सूचित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (सितम्बर 1997)।

4 ब.9 विद्युत प्रभार के देयक निर्गत न करना

मार्ग प्रकाशों व हरिजन बस्तियों के सम्बन्ध में 3.37 करोड़ रुपये के सकल देयक निर्गत करने में दो खण्ड चूके।

विद्युतीकृत ग्रामों और हरिजन बस्तियों के मार्ग प्रकाशों से सम्बन्धित राजस्व का देयकीकरण एवं वसूली केन्द्रीयकृत रूप से मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) लखनऊ द्वारा प्रत्येक गाँव के लिये 40 वाट के 10 मार्ग प्रकाश बिन्दुओं (400 वाट) तथा प्रत्येक हरिजन बस्ती के लिये 40 वाट के 2 मार्ग प्रकाश बिन्दुओं (80 वाट) के आधार पर की जा रही थी। मार्च 1990 से इस पद्वति का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया और यह निर्णय लिया गया कि विद्युतीकृत ग्रामों और हरिजन बस्तियों से सम्बन्धित प्राप्य सम्बन्धित ग्राम प्रधान से खण्ड स्तर पर वसूल किये जायें तथा दोषी इकाईयों को कोई विद्युत आपूर्ति न की जाय।

विद्युत वितरण खण्ड सुल्तानपुर एवं विद्युत वितरण खण्ड–1 लखीमपुर में 336.61 लाख रुपयों के (30.60 लाख रुपये विद्युत कर सहित) देयक ग्राम प्रधानों पर अप्रैल 1990 से मार्च 1997 तक निर्गत नहीं किये गये जैसाकि अगले पृष्ठ पर वर्णित है:

खण्ड का नाम	ग्राम	हरिजन बस्तियाँ	देयक निर्गत न करने की अवधि	माह	धनराशि(लाख रुपये में)
विद्युत वितरण खण्ड सुल्तानपुर	1701	800	अप्रैल 1993 से मार्च 1997	84	255.49
विद्युत वितरण खण्ड–i लखीमपुर	425	425	अप्रैल 1992 से मार्च 1997	60	81.12
योग					**336.61**

जबकि विद्युत वितरण खण्ड सुल्तानपुर तथा विद्युत वितरण खण्ड– I लखीमपुर के स्थानीय प्रबन्धन ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 1997) कि देयक प्रकाश बिन्दुओं का सत्यापन करने के बाद निर्गत किये जायेंगे कि देयकों का निर्गमन ग्राम प्रधानों द्वारा भुगतान न किये जाने के कारण रोक दिया गया।

मामले को परिषद् को नवम्बर 1996 में एवं शासन को मई 1997 में सूचित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (सितम्बर 1997)।

4ब.10 कम माँग के प्रभार का बिल निर्गत करना

अनुकूल मीटरों के अ–संस्थापन के फलस्वरूप 7.43 लाख रुपये की अल्प–बिलिंग हुई

विश्व बैंक नलकूपों हेतु 16 जुलाई, 1994 से लागू दर सूची (एच.वी.–4) के पैरा के नीचे टिप्पणी (i) में प्रावधान है कि जहाँ वास्तविक अधिकतम माँग को अंकित करने हेतु ट्राईवेक्टर/बाईवेक्टर मीटरों को स्थापित नहीं किया गया है, पर 70 रूपए प्रति बी.एच.पी. की दर से कुल संयोजित भार पर माँग प्रभार के बिल निर्गत किये जायेंगे।

घाटमपुर में दो विश्व बैंक नलकूप के समूहों पर, जिनका जुलाई 1994 से दिसम्बर 1996 के दौरान संयोजित भार 615 से 712 बी.एच.पी. रहा, विद्युत वितरण खण्ड कानपुर ने वास्तविक अधिकतम माँग को अंकित करने हेतु अनुकूल मीटर नवम्बर 1987 में नष्ट होने के पश्चात् नहीं लगाये थे। माँग प्रभार के बिना कुल संयोजित भार पर 70 रुपये प्रति के.वी.ए. की दर के बजाय केवल 75 प्रतिशत की 80 रुपये प्रति के.वी.ए. की दर से निर्गत किये गये। इसके परिणामस्वरूप जुलाई 1994 से दिसम्बर 1996 के दौरान 7.43 लाख रुपये के कम माँग प्रभार के बिल निर्गत किये गये।

मामले को परिषद् एवं शासन को अप्रैल 1997 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1997)।

4ब.11 प्रारम्भिक प्रतिभूति का न वसूला जाना

परिषद् द्वारा मार्च 1994 में निर्गत किये गये आदेश के अनुसार शासकीय/अर्धशासकीय एवं अन्य ऐसे उपभोक्ताओं से जो पूर्व से प्रतिभूति जमा करने से मुक्त थे, प्रारम्भिक प्रतिभूति वसूल की जानी थी। प्रारम्भिक प्रतिभूति मार्ग प्रकाश और सार्वजनिक जलकार्य जल निस्तारण पम्पिंग सेट्स के उपभोक्ताओं से 1000 रुपये प्रति के.डब्ल्यू. एवं अन्य वर्ग के शासकीय (विश्व बैंक उपभोक्ताओं सहित)/अर्धशासकीय उपभोक्ताओं से 300 रुपये प्रति बी.एच.पी. की दर से माँग सूचना निर्गत होने की तीस दिन के अन्दर वसूल किया जाना था।

दस खण्डों में अतिरिक्त प्रतिभूति सकल धनराशि 2.84 करोड़ रुपये के देयक नहीं निर्गत किये गये।

सम्प्रेक्षा द्वारा उल्लेख करने पर प्रारम्भिक प्रतिभूति के 283.81 लाख रुपये के देयक उपभोक्ताओं को निर्गत (सार्वजनिक मार्ग प्रकाश उपभोक्ता 66.16 लाख रुपये, सार्वजनिक जलकार्य/जल निस्तारण सेट 82.86 लाख रुपये तथा राज्य नलकूप, विश्व बैंक नलकूप/पम्पिंग कैनाल 134.79 लाख रुपये) किये गये। तथापि, सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अगस्त 1996 के मध्य देयक निर्गत किये गये।

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	खण्ड का नाम	मार्ग प्रकाश		जलकार्य/सीवेज		राजकीय नलकूप विश्व बैंक नलकूप एवं पम्पिंग के नाम		कुल धनराशि
		भार (के. डब्ल्यू.)	धनराशि	भार (के. डब्ल्यू.)	धनराशि	भार (बी.एच. पी.)	धनराशि	
1.	वि0 वि0 ख0 रूड़की	106	1.06	--	--	--	--	1.06
2.	वि0 वि0 ख0–II सहारनपुर	146	1.46	158	1.58	3313	9.95	12.99
3.	वि0 वि0 ख0–I मेरठ	42	0.42	107	1.07	3391	10.17	11.66
4.	वि0 वि0 ख0–हमीरपुर	337	3.37	718	7.18	17648	52.94	63.49
5.	वि0 वि0 ख0–बाराबंकी	50	0.50	477	4.77	4688	14.06	19.33
6.	वि0 वि0 ख0–सुल्तानपुर	1385	13.85	436	4.36	8353	25.06	43.27
7.	वि0 वि0 ख0–कासगंज	794	7.94	592	5.92	4992	14.97	28.83

क्रम सं.	खण्ड का नाम	मार्ग प्रकाश		जलकार्य/सीवेज		राजकीय नलकूप विश्व बैंक नलकूप एवं पम्पिंग के नाम		कुल धनराशि
		भार (के. डब्ल्यू.)	धनराशि	भार (के. डब्ल्यू.)	धनराशि	भार (बी.एच. पी.)	धनराशि	
8.	वि0 वि0 ख0–बहराईच	121	1.21	751	7.51	--	--	8.72
9.	वि0 वि0 ख0–II हापुड़	128	1.28	550	5.50	2547	7.64	14.42
10.	वि0 वि0 ख0–इलाहाबाद	32	0.32	1560	15.60	--	--	15.92
	योग	**6616**	**66.16**	**8286**	**82.86**	**44934**	**134.79**	**283.81**

यद्यपि देयकों को परिपत्र के निर्गमन के पश्चात् अर्थात् मार्च 1994 से निर्गत किया जाना था, किन्तु उन्हें (अगस्त 1996 से अप्रैल 1997 तक) सम्प्रेक्षा प्रश्नावली की प्रेरणा पर निर्गत किया गया, जिनकी वसूली अभी तक (सितम्बर 1997) प्रतीक्षित थी।

चूँकि परिषद् ऋणित निधि पर कार्यरत है, इसे ब्याज–क्षति को बचाने हेतु अपने बकाये की वसूली सम्बन्धित तत्काल कार्यवाही करना चाहिये था।

मामलें को परिषद् को अक्टूबर 1996 में एवं शासन को जुलाई 1997 से सूचित किया गया उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (सितम्बर 1997)।

उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम

4ब.12 व्यापार कर का परिहार्य भुगतान

समय–समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार, निगम को लूबरीकेन्ट के आपूर्ति में फार्म III डी के जमा करने पर व्यापार कर में 5 प्रतिशत की छूट मिलनी थी।

सम्प्रेक्षण में (जनवरी 1997) यह पाया गया कि निगम के वाराणसी क्षेत्र ने इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन (आई.ओ.सी.) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन (एच.पी.सी.) से 81.68 लाख रुपये का लूबरीकेन्ट खरीदा तथा व्यापार कर 4.08 लाख रुपये (5 प्रतिशत की दर से) के स्थान पर 10 प्रतिशत

की दर से 8.16 लाख रुपये भुगतान किया क्योंकि निगम द्वारा आपूर्तिकर्ता को फार्म III डी नहीं जमा किया गया था।

इस प्रकार, लूबरीकेन्ट के क्रय में फार्म III डी को जमा न करने पर 4.08 लाख रुपये को व्यापार कर के रूप में परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

स्थानीय प्रबन्धन ने (मार्च 1996) यह व्यक्त किया कि अधिनियम के प्राविधान की जानकारी न होने के कारण वे व्यापार कर के छूट का लाभ नहीं उठा सके।

प्रकरण निगम को अप्रैल 1997 में तथा सरकार को जून 1997 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्रतिक्षित थे (सितम्बर, 1997)।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

4ब.13 ब्याज-कर का अधिक भुगतान

निगम ने अपनी कुल आय में लेनदारों से प्राप्त ब्याज कर को गलत रूप से सम्मिलित कर के 0.20 करोड़ रुपये का घाटा उठाया तथा उस पर ब्याज–कर का भुगतान किया।

ब्याज-कर अधिनियम, 1974 (वित्तीय अधिनियम, 1992 द्वारा संशोधित) के अनुसार ब्याज कर 3 प्रतिशत की दर से जो उधार संस्थाओं को दिये गये विगत वर्षों के ऋणों पर देय था। यह कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तीन किश्तों में 15 सितम्बर जो (20 प्रतिशत), 15 दिसम्बर (30 प्रतिशत) व 15 मार्च (20 प्रतिशत) को देय था।

ब्याज-कर को लेनदारों से वसूल करने के लिए, निगम ने उनसे ब्याज की दर को सुविधापूर्वक बढ़ाकर कर (अप्रैल 1990) ब्याज–कर भारित किया। वित्तीय वर्ष 1992–93, 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान, निगम ने ब्याज की कुल धनराशि पर ब्याज कर को आगणित करते हुए ब्याज–कर का विवरण प्रपत्र (रिर्टन) प्रस्तुत किया, जिसमें ग्राहकों से प्राप्त हुए ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज–कर भी सम्मिलित था व जिसे लाभ–हानि लेखे में भी दर्शाया गया था। इसे सम्मिलित करने के फलस्वरूप, 1994–95 की समाप्ति तक तीन वर्षों के दौरान ब्याज–कर का वास्तविक दायित्व 20.10 लाख रुपये से ऊपर निर्धारित हुआ।

अपने उत्तर में प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 1997) कि ब्याज–कर एक प्रत्यक्ष कर है जिसे स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता। प्रबन्धन का उत्तर उचित नहीं है क्योंकि यह कुल ब्याज आय में ब्याज–कर की वसूली को सम्मिलित करने व फलस्वरूप 20.10 लाख रुपये धनराशि को ब्याज–कर के अतिरिक्त भुगतान सम्बन्धी कोई स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत कर सका।

प्रकरण शासन को मई 1997 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर नहीं प्राप्त हुआ (सितम्बर 1997)।

4ब.14 परिसम्पत्ति के विलम्बित विक्रय के कारण हानि

निगम को, उच्च प्रस्ताव को अस्वीकृत करने व एक इकाई को चार वर्ष बाद कम लागत पर बिक्री करने से 28.89 लाख रुपये की ब्याज–हानि के अतिरिक्त 21.50 लाख रुपये का घाटा हुआ।

कम्पनी ने 52.85 लाख रुपये (43.60 लाख रुपये जनवरी 1986 में और 9.25 लाख रुपये मई 1987 में) का खुशीराम ट्यूबमिल (प्राईवेट) लिमिटेड को कन्ड्यूट पाईप निर्माण करने हेतु फतेहपुर में इकाई स्थापना के लिये ऋण वितरित किया था। चूँकि ऋणी ने मूलधन (52.85 लाख रुपये) तथा दिसम्बर 1989 तक देय ब्याज (8.89 लाख रुपये) भुगतान नहीं किया था, एक नोटिस जनवरी 1990 में राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत, कब्जा लेने व विक्रय की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्गत की थी। इकाई का कब्जा नवम्बर 1990 में ले लिया गया और परिसम्पत्ति जो नवम्बर 1991 में ली गई थी उसका निवर्तमान मूल्य 62.88 लाख रुपये निर्धारित किया गया। इसकी बिक्री के विज्ञापन हेतु प्राप्त पाँच प्रस्तावों (नवम्बर दिसम्बर 1991) में केवल उच्च बोली वाला पक्ष उन्नाव कास्टिंग्स लिमिटेड, (यू.सी.एल.) कानपुर (बोली लागत 58.50 लाख रुपये) ही वार्ता के लिये आया।

दिसम्बर 1991 तथा जनवरी 1992 में वार्ता के बाद पार्टी ने अन्ततः (जनवरी 1992) 58.50 लाख रुपये (क्रय मूल्य 51.50 लाख रुपये और विद्युत भार का दायित्व 7.00 लाख रुपये) का प्रस्ताव दिया। भुगतान की शर्तों के अनुसार पहला भुगतान 10 लाख रुपये का क्रय के अन्तिम अनुमोदन होने के पश्चात् और शेष धनराशि एक वर्ष पश्चात् मासिक किस्तों में 3.5 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ भुगतान के लिये छः माह का ऋण स्थगन के साथ भुगतान प्रस्तावित था।

तथापि, निगम ने यू.सी.एल. के संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। चार वर्ष बाद परिसम्पत्ति को दिसम्बर 1995 में मेसर्स हरीओम स्टील्स, कानपुर को 32 लाख रुपये (5 लाख रुपये को छोड़कर जो जेनरेटर का मूल्य था। जिसे पूर्व में मार्च 1993 में बेचा गया) में बेच दिया गया। क्रय मूल्य की शर्तों 10 लाख रुपये का नगद तथा शेष भुगतान 5.50 लाख रुपये की चार छमाही किस्तों में 13.5 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ भुगतान सम्मिलित था।

इस प्रकार, उच्च प्रस्ताव को प्रथम दृष्टया अस्वीकृत करने तथा निम्न दर पर बाद में की गई बिक्री से न केवल 21.50 लाख रुपये की हानि हुई, वरन् दिसम्बर 1991 से नवम्बर 1995 के दौरान जब कि परिसम्पत्ति अ–बिक्रीत पड़ी रही, 53.50 लाख रुपये की अवरुद्ध निधि पर आगणित 13.5 प्रतिशत की दर से 28.89 लाख रुपये ब्याज की भी हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 1997) कि यू.सी.एल. का प्रस्ताव, उनकी ब्याज भुगतान हेतु छः माह के ऋण स्थगन की शर्त बिक्री के मामलों में स्वीकार योग्य न होने के कारण अस्वीकृत किया गया तथा निगम रेकान इण्डस्ट्रीज के एक बेहतर प्रस्ताव पर विचार कर रहा था जो कि तत्पश्चात् पीछे हट गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यू.सी.एल. ने जनवरी 1997 में विद्युत देयों के दायित्व के साथ 51.50 लाख रुपये की धनराशि का प्रस्ताव दिया था, जो कि यदि स्वीकृत होता, तो निगम के लिए अधिक लाभप्रद सिद्ध होता।

4ब.15 कम प्रस्ताव पर परिसम्पत्ति की बिक्री से हानि

कम दाम पर परिसम्पत्ति की बिक्री से 8.00 लाख रुपये का घाटा परिणामित हुआ।

निगम ने अतुल रिफरैक्ट्रीज (प्राईवेट) लिमिटेड, कानपुर को 47.14 लाख रुपये का एक सावधि ऋण (अक्टूबर 1986 से मार्च 1988) वितरित किया। चूँकि ऋण मूलधन (47.14 लाख रुपये) तथा ब्याज (दिसम्बर 1990 तक 20.75 लाख रुपये) का पुनर्भुगतान करने में चूक गया, निगम ने एक सूचना (मार्च 1991)। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के इकाई के अधिग्रहण सम्बन्धी प्रावधानों के अनुसार जारी किया। तथापि, इकाई चार वर्ष पश्चात् जुलाई 1995 में ही अधिग्रहीत की जा सकी जब समेकित देय 164.55 लाख रुपये हो गया।

परिसम्पत्ति की बिक्री के विज्ञापन (मार्च 1995) के प्रत्युत्तर में, कानपुर के श्री पीयूष मिश्रा से 28 लाख रुपये का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ (दिनांक का उल्लेख नहीं मिला) जो कि निगोशिएसन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया (जुलाई 1995)। अन्तिम विक्रय पत्र निर्गत होने के पूर्व, प्रक्रिया में प्रावधानित है कि मूल ऋणी को प्रस्ताव के विषय में सूचित किया जाये, इस दृष्टिकोण से कि क्रेता को अधिक उच्च प्रस्ताव पर लाने का अवसर मिल सके। तद्नुसार, निगम ने 5 अगस्त 1995 को एक अपंजिकृत पत्र 7 दिन की नोटिस (जबकि पत्र रजिस्टर्ड व 15 दिन की नोटिस का होना चाहिए) के साथ निर्गत किया, वह भी बिना वितरित हुये वापस आ गया।

इसी दौरान, अन्तिम विक्रय पत्र 28 लाख रुपये में विक्रय हेतु श्री पीयूष मिश्रा के पक्ष में निर्गत हुआ। इकाई का स्वामित्व क्रेता को (सितम्बर 1995) 8 लाख रुपये के नगदी भुगतान (शेष भुगतान 9 तिमाही किस्त) पर दे दिया गया। सम्प्रेक्षण में यह पुनः पाया गया कि 36 लाख रुपये (पुनः संधि के आधार पर) का दूसरा प्रस्ताव (अगस्त 1995) प्रीमियर पिगमेन्टस लिमिटेड, कानपुर का, विक्रय पत्र निर्गत होने के पूर्व, प्राप्त हुआ था, उसको इस आधार पर (अगस्त 1995) निरस्त कर दिया गया कि प्रस्तावित कर्ता ने मूल केता से मिलकर यह प्रस्ताव दिया। लेकिन निरस्तीकरण का आधार अमान्य था क्योंकि निगम द्वारा प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसर कम्पनी मूल क्रेता को एक अवसर देती ताकि अधिक उच्च प्रस्ताव के साथ एक क्रेता को लाया जा सके। इस प्रकार, इकाई के अधिग्रहण

की विलम्बित कार्यवाही से, निगम को अधिग्रहीत परिसम्पत्ति 28 लाख रुपये के अत्यल्प मूल्य पर बेच देना पड़ा। पुनः कम्पनी द्वारा 36 लाख रुपये के अधिक उच्च प्रस्ताव को, जो कि प्रथम क्रेता से संव्यवहार की तिथि के पर्याप्त पहले प्राप्त हो गया था, अस्वीकार करने की कार्यवाही से 8 लाख रुपये की हानि परिणामित हुई।

यह भी पाया गया कि मूल्य ऋणी को नवम्बर 1996 में विलम्ब से जारी किया गया 180.81 लाख रुपये का एक वसूली प्रमाण-पत्र गाज़ियाबाद जनपद प्राधिकरण द्वारा यह निर्दिष्ट करते हुए वापस कर दिया गया कि परिसम्पत्ति के विवरण जिसके विरुद्ध उक्त धनराशि की वसूली होना है, के अभाव में वसूली सम्भव नहीं थी।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 1997) कि प्रोन्नतकर्ता ने नवम्बर 1991 में बलपूर्वक कब्जा वापस ले लिया था तथा आग से जलने के कारण प्रोन्नतकर्ता के अस्पताल में भर्ती होने को दृष्टिगत करते हुए, मानवीय आधार पर अग्रिम कार्यवाही को छोड़ दिया गया था। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कम्पनी चार वर्ष से अधिक समय तक अधिग्रहण वापस प्राप्त करने हेतु समुचित वैधिक कार्यवाही करने से चूक गई।

मामले को मई 1997 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 1997)।

4ब.16 नियत तिथि से पूर्व अग्रिम कर का भुगतान

अग्रिम ब्याज–कर को भुगतान की नियत तिथि से बहुत पहले जमा करने के कारण कम्पनी ने 12.28 लाख रुपये ब्याज का घाटा उठाया।

ब्याज–कर अधिनियम, 1974 (वित्तीय अधिनियम, 1992 द्वारा संशोधित) के अनुसार आधार संगठन/संस्था विगत वर्षों में अर्जित ब्याज पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज-कर 15 सितम्बर को (20 प्रतिशत) 15 दिसम्बर को (30 प्रतिशत) तथा 5 मार्च को (50 प्रतिशत) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अग्रिम भुगतान करना था। प्राविधानों के बावजूद, निगम ने 780 लाख रुपये का अग्रिम कर (1994–95 300 लाख रुपये और 1995–96 480 लाख रुपये) नियत तिथि से पहले भुगतान कर दिया था जिसके फलस्वरूप 12.28 लाख रुपये के ब्याज का घाटा उठाया, जो कि 13.5 प्रतिशत की दर से लिये गये ऋण के आधार पर अगले पृष्ठ पर आगणित है:–

(धनराशिः लाख रुपये में)

नियत तिथि	निर्दिष्ट तिथियों पर देय धन	भुगतान करने की तिथि	भुगतान किया हुआ धन	अधिक भुगतान किया हुआ धन	शीघ्र जमा करने के दिन	ब्याज की हानि
---	--	15.6.94	45.00	45.00	90	1.50
15.9.94	60.00	15.9.94	90.00	75.00	90	2.50
15.12.94	90.00	15.9.94	15.00	--	--	---
15.3.95	150.00	15.3.95	150.00	--	--	---
	300.00		**300.00**			
15.9.95	96.00	15.9.95	225.00	129.00	90	4.29
15.12.95	144.00	15.12.95	135.00	120.00	90	3.99
15.3.96	240.00	15.3.96	120.00	--	--	---
	480.00		**480.00**			**12.28**

प्रबन्धन ने अक्टूबर 1996 में अग्रिम कर का जमा करने की तिथि से पहले भुगतान करने को स्वीकार किया।

प्रकरण निगम तथा शासन को अप्रैल 1997 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्रतिक्षित थे।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

4ब.17 धर्म काँटों का क्रय व संस्थान

धर्म काँटों की आपूर्ति एवं संस्थापना में विलम्ब के कारण 5.31 लाख रुपये की हानि।

निगम ने बिना कोई निविदा आमंत्रित किये मैसर्स भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड, कानपुर को एक आदेश (मई 1985) तीन डायल प्रकार वाले लारी धर्म काँटों की 2.95 लाख रुपये प्रत्येक कर व ड्यूटी सहित आपूर्ति व संस्थापना हेतु दिया। फर्म ने संयन्त्र की संस्थापना तिथि से 12 महीने संतोषप्रद कार्यकलाप की प्रत्याभूति दी जिसके लिये संविदा धनराशि का 10 प्रतिशत तथा सम्पूर्ण संस्थापन लागत प्रत्याभूति अवधि समाप्त होने के पश्चात् मुक्त किया जाना था। फर्म को जुलाई व अगस्त 1985 के मध्य धर्म काँटों की आपूर्ति व संस्थापना पूर्ण करना था जिसके विरुद्ध फर्म ने दो इकाईयों की आपूर्ति अगस्त 1985 में तथा एक इकाई अप्रैल 1987 में की। फर्म ने संस्थापन में पुनः विलम्ब किया जिससे 1988–89 में संस्थापना की अपेक्षित तिथि से 34 व 38 माह के विलम्ब से केवल दो धर्मकाँटे संस्थापित हो सके। अलीगढ़ भण्डारागार हेतु तीसरा घर्मकाँटा अब तक (अगस्त 1997) अ–संस्थापित पड़ा रहा।

इस तारमत्य में, सम्प्रेक्षण में यह पाया गया किः

(अ) पारस खेड़ा व पनकी भण्डारागारों में संस्थापित दो धर्म काँटे, बारम्बार मरम्मत के बावजूद संतोषप्रद क्रिया-कलाप देने में असफल रहे तथा निगम को उनके स्टीलराड प्रणाली में परिवर्तन

हेतु अक्टूबर 1995 व जनवरी 1997 के दौरान 1.40 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

(ब) तृतीय धर्म काँटे की प्राप्ति हेतु निगम की 2.58 लाख रुपये (शुद्ध भुगतान) की निधि दस वर्ष से अधिक अवरुद्ध रही जिस पर बैंक की चालू वार्षिक अवधि जमा दर (11 प्रतिशत प्रतिवर्ष) से ब्याज की हानि हुई जो अगस्त 1997 तक 2.84 लाख रुपये थी।

(स) इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) द्वारा जून 1997 तक के तोलन प्रभार में निगम के दायों से कटौती करने के फलस्वरूप निगम को पुनः 2.47 लाख रुपये का भी घाटा हुआ क्योंकि अलीगढ़ भण्डारागार से एफ.सी.आई. को प्रेषित माल को तौलने की सुविधा नहीं थी।

अब तक (अगस्त 1997) वहन की गई 5.31 लाख रुपये की कुल हानि परिहार्य थी यदि इन नये प्रकार के धर्म काँटों की कार्यचालन रिपोर्ट के पुनरीक्षण के पश्चात् (क्रय) आदेश दिया जाता।

अपने उत्तर में (सितम्बर 1997), निगम धर्म काँटों के कार्यचालन को परखे बिना दिये गए आदेशों के लिए कोई स्पष्टीकरण न प्रस्तुत कर सका।

प्रकरण शासन को जुलाई 1997 में प्रतिवेदित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (सितम्बर 1997 तक)।

पी. मुखर्जी

लखनऊ 10.4.98

(पी.मुखर्जी)
महालेखाकार (आडिट) द्वितीय
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगलू

नई दिल्ली 16.4.98

(वी. के. शुंगलू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

कम्पनियों की सूची जिनमें सरकार ने 10 लाख रूपये से अधिक निवेशित किये परन्तु जो भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन नहीं हैं।

(प्रस्तर 1.12.12 में संदर्भित)

(करोड़ रूपये में)

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	नवीनतम लेखे की अवधि	सरकार द्वारा निवेश	लाभ+/ हानि–	संचित हानि(–)	प्राप्त लाभांश	टिप्पणियाँ
(अ)	**प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (पिकप) द्वारा निवेशित**						
1.	इंडिया पोलीफाइबर्स लिमिटेड	उपलब्ध नहीं	8.03	(-) 19.91	(-) 168.54	---	बी.आई.एफ.आर. के अन्तर्गत
2.	इंडोगल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड	1995-96	18.15	108.34	--	3.27	
3.	रोड मास्टर स्टील स्ट्रिप्स लिमिटेड	1995-96	0.62	0.34	--	0.09	
4.	जलपाक इण्डिया लिमिटेड	1994-95	0.57	1.68	--	0.03	
5.	नेशनल स्विच गियर्स लिमिटेड	1995-96	0.26	(-) 0.07	(-)1.47	--	
6.	वेजिप्रो फूड एण्ड फीड्स लिमिटेड	1995-96	2.23	(-) 0.23	(-) 19.02	--	
7.	रौनक आटोमोटिव कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड	1996-97	1.50	0.46	(-) 2.91	--	
8.	पशुपति इक्रीलान लिमिटेड	1996-97	4.98	2.59	(-) 3.92	--	
9.	इंडियन मेज एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	उपलब्ध नही	2.73	---	(-) 33.79	--	बी.आई.एफ.आर. के अन्तर्गत

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	नवीनतम लेखे की अवधि	सरकार द्वारा निवेश	लाभ+/ हानि–	संचित हानि(–)	प्राप्त लाभांश	टिप्पणियाँ
10.	हैरिंग क्रैन्क शाफ्ट्स लिमिटैड	1995-96	1.86	(-) 16.36	(-) 21.78	--	
11.	उ0प्र0 ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लिमिटेड	1995-96	0.36	(-) 2.62	(-)14.27	--	
12.	फोनिक्स लैम्पस इंडिया लिमिटेड	1996-97	5.34	0.03	--	--	
13.	सेलार्सन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1995-96	0.60	--	--	--	
14.	रतन बनस्पति लिमिटेड	1995-96	0.89	(-)1.30	(-)3.73	--	
15.	माया फूड लिमिटेड	1995-96	0.71	1.33	--	--	
16.	हिन्दुस्तान बायोटेक लिमिटेड	1995-96	0.59	--	--	--	कियान्वयन स्तर के अन्तर्गत
17.	शैमकीन स्पिनर्स लिमिटेड	1995-96	6.63	4.95	--	--	
18.	भारत बर्ज लिमिटेड	उपलब्ध नही	0.50	(-)10.81	(-)28.48	--	बी.एफ.आई.आर के अन्तर्गत
19.	श्री निवास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	उपलब्ध नही	0.30	0.63	(-)2.14	--	बी.एफ.आई.आर. के अन्तर्गत
20.	मयूर सिन्टेक्स लिमिटेड	उपलब्ध नही	0.20	--	--	--	बी.एफ.आई.आर. के अन्तर्गत
21.	मोहन प्रोटीन्स लिमिटेड	1995-96	4.00	--	--	--	कियान्वयन स्तर
22.	हिन्द एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	1995-96	4.20	--	--	--	कियान्वयन स्तर के अन्तर्गत
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा निवेशित (यू.पी.एस.आई.डी.सी.)							
23.	अजन्ता टेक्सटाइल्स लिमिटेड	उपलब्ध नही	--	--	--	--	बी.एफ.आई.आर. के अन्तर्गत

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	नवीनतम लेखे की अवधि	सरकार द्वारा निवेश	लाभ+/ हानि–	संचित हानि(–)	प्राप्त लाभांश	टिप्पणियाँ
24.	गैन्जेज फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	1995-96	0.20	(-) 2.28	15.49	--	बी.एफ.आई.आर. के अन्तर्गत
25.	श्री ऐसिड्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	1992-93	0.20	(-) 6.87	1.57	--	बी.एफ.आई.आर. के अन्तर्गत
26.	रीगल पालीमर्स लिमिटेड	1993-94	0.15	(-) 4.55	4.85	--	
27.	बेस्ट बोर्ड्स लिमिटेड	1992-93	0.40	(-) 2.62	9.12	--	बी.एफ.आई.आर. के अन्तर्गत
28.	महादेव फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1994-95	0.30	(-) 2.42	13.00	--	बी.एफ.आई.आर. के अन्तर्गत
29.	शैमकेन मल्टीफैब लिमिटेड	1993-94	0.15	2.72	--	0.02	
30.	सम्राट बाइसिकिल्स लिमिटेड	1985-86	0.19	(-) 0.01	0.01	--	वादकरण आधीन
31.	श्री दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1994-95	0.28	(-) 1.40	10.78	--	बी.एफ.आई.आर. के अन्तर्गत
32.	टेलीमेकैनिक एण्ड कन्ट्रोल्स इण्डिया लिमिटेड	1994-95	0.12	(+) 2.25	--	--	
33.	एलायन्स बोर्ड्स लिमिटेड	1993-94	0.20	(-) 1.20	2.58	--	
34.	पोयशा इण्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड	1992-93	0.13	(-) 6.27	17.40	--	
35.	मोदीपोन लिमिटेड	1994-95	0.62	(+) 13.17	--	0.25	
36.	सार्क सिनरटेक प्राइवेट लिमिटेड	1995-96	0.20	(-) 0.17	2.36	--	
37.	तराई फूड्स लिमिटेड	1995-96	0.24	(-) 7.35	7.44	--	
38.	क्लैसिक रगज प्राइवेट लिमिटेड	1994-95	0.20	(-) 1.02	2.00	--	

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	नवीनतम लेखे की अवधि	सरकार द्वारा निवेश	लाभ+/ हानि–	संचित हानि(–)	प्राप्त लाभांश	टिप्पणियाँ
39.	वेल्गा फूड्स लिमिटेड	1992-93	0.22	(-) 1.56	6.83	--	बी.एफ.आई.आर. के अन्तर्गत
40.	विद्या पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड	1994-95	0.12	(-) 0.03	0.03	--	
41.	खटीमा फाइबर्स लिमिटेड	1994-95	0.18	(+) 1.57	शून्य	--	
42.	चन्द्रा सिन्थेटिक्स लिमिटेड	1993-94	0.40	(+) 0.04	--	--	
43.	मित्तल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1993-94	0.23	(-) 2.07	10.05	--	बी.एफ.आई.आर. के अन्तर्गत
44.	बेलवाल स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	1994-95	0.15	(-) 3.50	18.13	--	बी.एफ.आई.आर. के अन्तर्गत
45.	आदित्य केमिकल्स लिमिटेड	1993-94	0.15	(-) 0.31	4.12	--	बी.एफ.आई.आर. के अन्तर्गत
(स) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यू0पी0एफ0सी0) द्वारा निवेशित							
46.	ए0एन0जी0 एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	1996-97	0.15	(+) 0.07	--	--	
47.	आल्प्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	1996-97	0.23	(+) 3.16	--	--	
48.	सिबली स्पिनिंग मिल्स लिमिटेडं	1996-97	0.24	(+)0.21	--	.01	
49.	कृष्णा कोल्ड रोल्ड लिमिटेड कानपुर	1995-96	0.12	(+)0.24	--	--	
50.	स्वास्तिक टेक्नोफैब लिमिटेड	1996-97	0.30	(+) 0.01	--	--	
51.	दीवान टायर्स लिमिटेड	1995-96	0.50	(+) 3.40	--	--	
52.	दीवान रबड़ लिमिटेड	1995-96	0.50	(+)17.81	--	--	

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	नवीनतम लेखे की अवधि	सरकार द्वारा निवेश	लाभ+/ हानि–	संचित हानि(–)	प्राप्त लाभांश	टिप्पणियाँ
(द)	**उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड (यू0पी0एस0एम0डी0सी0) द्वारा निवेशित**						
53.	उत्तर प्रदेश मिनरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1995-96	0.71	(-) 0.60	(-) 0.60	--	इस वर्ष के दौरान कम्पनी कियाशील नहीं थी।
(ई)	**उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिम्स कारपोरेशन लिमिटेड (हिल्ट्रान) द्वारा निवेशित**						
54.	ओमनी इण्डिया लिमिटेड	अनुपलब्ध	0.13	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	--	
55.	विकास जनरल कार्बन लिमिटेड	अनुपलब्ध	0.15	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	--	
56.	नैना सेमी कन्डक्टर्स लिमिटेड	अनुपलब्ध	0.55	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	--	
57.	रामा विजन लिमिटेड	अनुपलब्ध	0.66	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	--	
58.	दौलत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	अनुपलब्ध	0.33	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	--	
	योग		**75.05**				

परिशिष्ट 2

अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बजट बहिर्गमन, बजट से दिये गये ऋण एवं 31 मार्च 1997 को बकाया ऋणों के वितरण दर्शाने वाली विवरणी

(प्रस्तर 1.2.2 में संदर्भित)

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
	कृषि								
1		उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	150.00	----	----	----	150.00	----	----
2		उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	2399.17	332.83	----	----	2732.00	----	1000.00

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
3		उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूज मार्केटिंग एण्ड प्रासेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	640.68	----	64.25	----	704.93	----	269.36
			3189.85	**332.83**	**64.25**	**0.00**	**3586.93**	**0.00**	**1269.36**
	पशुपालन								
4		उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	209.08	63.00	----	----	272.08	----	165.11
5		उत्तर प्रदेश स्टेट पौल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेश्यलिटीज लिमिटेड	165.75 (30.25)	127.75	----	----	293.50 (30.25)	109.75	109.75
			374.83 **(30.25)**	**190.75**	**0.00**	**0.00**	**565.58** **(30.25)**	**109.75**	**274.86**
	क्षेत्रीय विकास								
6		आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00	----	----	----	100.00	----	5.00

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
7		इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	67.00	----	----	----	67.00	----	----
8		बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड (पूर्व उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड)	125.00	----	----	----	125.00	----	21.95
9		बुंदेलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुंदेलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	----	----	1.22	1.18	2.40	----	----
10		गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	93.56	----	----	32.47	126.03	----	91.60
11		लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	70.00	----	----	----	70.00	----	85.79

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
12		मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00	----	----	----	100.00	----	----
13		मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	25.00	----	----	----	25.00	----	64.60
14		उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	129.80	----	----	----	129.80	----	35.00
15		उत्तर प्रदेश बुंदेलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	123.30	----	----	----	123.30	----	5.00
16		वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	70.00	----	----	----	70.00	----	----
			903.66	**0.00**	**1.22**	**33.65**	**938.53**	**0.00**	**308.94**
	इलेक्ट्रानिक्स								
17		श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	124.08	50.63	174.71	----	464.41

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
18		अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	5315.59	----	5315.59	----	8507.96
19		अपट्रान लीजिंग लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	100.00	5.67	105.67	----	255.83
20		अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	117.00	----	117.00	20.00	24.19
21		उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	7030.07 (500.00)	----	----	----	7030.07 (500.00)	85.00	2646.00
			7030.70 (500.00)	**0.00**	**5656.67**	**56.30**	**12743.04 (500.00)**	**105.00**	**11898.39**

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
	निर्यात प्रोत्साहन								
22		दी उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	634.27 (25.00)	65.00	----	----	699.27 (25.00)	----	160.03
23		दी उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	527.86	10.00	----	----	537.86	----	202.22
24		उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	573.94	----	----	----	573.94	----	191.40
			1736.70 (25.00)	**75.00**	**0.00**	**0.00**	**1811.07 (25.00)**	**0.00**	**553.65**
	मत्सय								
25		उत्तर प्रदेश मत्सय विकास निगम लिमिटेड	100.00	----	----	----	100.00	----	----
			100.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति								
26		उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	550.39	----	----	----	550.39	----	2348.13
			550.39	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550.39**	**0.00**	**2348.13**
	हरिजन एवं समाज कल्याण								
27		तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	45.00	---	----	----	45.00	----	125.00
28		उत्तर प्रदेश अनूसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	3218.92 (759.00)	2703.70	----	----	5922.62 (759.00)	----	3026.87
29		उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	710.00 (100.00)	----	----	----	710.00 (100.00)	----	339.84

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
30		उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	42.54	----	----	----	42.54	----	----
31		उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	61.00	48.03	----	----	109.03	----	----
32		उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड (पूर्व हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड)	15.00	----	----	----	15.00	----	540.26
			4092.46 (859.00)	**2751.73**	**0.00**	**0.00**	**6844.19 (859.00)**	**0.00**	**4031.97**

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
	पर्वतीय विकास								
33		गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	20.00	----	30.00	----	50.00	----	17.68
34		गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	511.50	----	----	----	511.50	----	1154.87
35		कुमाऊँ मण्डल अनूसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	22.00	----	28.00	----	50.00	----	----
36		कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1341.88 (349.00)	----	----	----	1341.88 (349.00)	100.00	690.88
37		कुमट्रान लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	9.34	8.97	18.31	----	----

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
38		नादर्न इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	----	----	0.06	0.01	0.07	----	----
39		ट्रान्स केबिल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	----	----	62.80	0.44	63.24	----	292.15
40		उत्तर प्रदेश हिलफोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	3.27	----	3.27	----	----
41		उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	894.53 (100.00)	----	----	----	894.53 (100.00)	----	----

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
42		उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टर्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	0.79	----	0.79	----	----
			2789.91 (449.00)	**0.00**	**134.26**	**9.42**	**2933.59 (449.00)**	**100.00**	**2155.58**
	गृह								
43		उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	300.00	----	---	----	300.00	----	----
			300.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**0.00**
	उद्योग एवं औद्योगिक विकास								
44		आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	562.59	----	----	187.41	750.00	----	37.50
45		कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास लिमिटेड	----	----	2921.00	1702.00	4623.00	----	19610.28

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
46		दी इण्डियन टर्पेटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	18.73	----	----	3.29	22.02	----	72.73
47		उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटैड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड)	----	----	177.72	15.50	193.22	90.00	912.01
48		उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड)	----	----	35.20	----	35.20	----	391.16
49		उत्तर प्रदेश कार्बन एण्ड केमिकल लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड)	----	----	1.27	----	1.27	----	----

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
50		उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	5943.48 (303.00)	----	----	----	5943.48 (303.00)	107.00	1624.80
51		विन्ध्याचल एब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	3.73	3.87	7.60	----	77.67
			6524.80 (303.00)	**0.00**	**3138.92**	**1912.07**	**11575.79 (303.00)**	**197.00**	**22726.15**
	संस्थागत वित्त								
52		उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	818.20	----	----	0.22	818.42	----	----
			818.20	**0.00**	**0.00**	**0.22**	**818.42**	**0.00**	**0.00**

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
	सिंचाई								
53		उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट एण्ड ट्यूब्वेल कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्व उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड)	490.00	100.00	----	497.00	1087.00	----	----
			490.00	**100.00**	**0.00**	**497.00**	**1087.00**	**0.00**	**0.00**
	पंचायती राज								
54		उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	77.77	----	----	68.11	145.88	----	----
			77.77	**0.00**	**0.00**	**68.11**	**145.88**	**0.00**	**0.00**
	नियोजन								
55		मुहम्मदाबाद पीपुल्स टेनरी लिमिटेड	3.06	----	----	2.55	5.61	----	----

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
56		उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	100.00	----	----	----	100.00	----	----
			103.06	**0.00**	**0.00**	**2.55**	**105.61**	**0.00**	**0.00**
	लोक निर्माण								
57		उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	100.00	----	----	----	100.00	----	----
58		उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	1000.00	----	----	----	1000.00	----	----
			1100.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1100.00**	**0.00**	**0.00**
	ग्रामीण एवं लघु उद्योग								
59		यू.पी.एस.आई.सी. प्रोटीस लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	76.25	----	76.25	----	122.50

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
60		उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्सन एप्लाईएंसेस (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	1.63	1.57	3.20	----	10.64
61		उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	596.05	----	---	----	596.05	----	309.55
62		उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	1375.49 (244.00)	1152.95	----	----	2528.44 (244.00)	----	1886.78
			1971.54 **(244.00)**	**1152.95**	**77.88**	**1.57**	**3203.94** **(244.00)**	**0.00**	**2329.47**
	चीनी एवं गन्ना विकास								
63		छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	----	----	1224.52	----	1224.52	----	2455.52

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
64		घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	----	----	879.86	15.00	894.86	170.48	1129.18
65		किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	32.59	----	1620.99	45.46	1699.04	----	----
66		नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	----	----	3404.05	----	3404.05	60.00	----
67		उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	38.25	----	----	32.40	70.65	----	----

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
68		उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	50.50	----	----	10.95	61.45	----	1269.94
69		उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	22.73	----	----	6.62	29.35	----	289.22
70		उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	15.30	----	----	7.59	22.89	----	413.66
71		उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	47575.92	----	----	----	47575.92	8950.00	40952.90
			47735.29	**0.00**	**7129.42**	**118.02**	**54982.73**	**9180.48**	**46510.42**

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
	पर्यटन								
72		उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1512.53 (693.00)	----	----	----	1512.53 (693.00)	----	48.33
			1512.53 (693.00)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1512.53 (693.00)**	**0.00**	**48.33**
	वक्फ़								
73		उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	150.00	----	----	----	150.00	----	----
			150.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**	**0.00**	**0.00**
	वित्त पोषण								
74		द प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	11057.50	----	----	----	11057.50	----	51009.03
75		उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1422.50 (260.00)	----	----	----	1422.50 (260.00)	183.00	2072.00

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
76		उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2407.51	----	----	----	2407.51	50.00	3218.00
			14887.51 (260.00)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14887.51 (260.00)**	**233.00**	**56299.03**
	वस्त्र								
77		उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका) (पूर्वगामी उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (संख्या 2) लिमिटेड)	----	----	3190.52	----	3190.52	800.00	1410.85
78		उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड	16079.37	----	----	----	16079.37	500.00	6713.13

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
79		उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका) (पूर्वगामी उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (संख्या 1) लिमिटेड)	----	----	7842.84	----	7842.84	----	4420.20
			16079.37	**0.00**	**11033.36**	**0.00**	**27112.73**	**1300.00**	**12544.18**
	सीमेण्ट								
80		उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट निगम लिमिटेड	6828.00	----	----	----	6828.00	500.00	12356.14
			6828.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6828.00**	**500.00**	**12356.14**
	विद्युत								
81		उत्तर प्रदेश लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड (पूर्वगामी उत्तर प्रदेश अल्पार्थक एवं लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड)	70.00	----	----	----	70.00	----	1900.00

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	विभाग	कम्पनी का नाम	मार्च 1997 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग		
82		उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	25280.50	----	----	----	25280.50	----	----
			25350.50	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25350.50**	**0.00**	**1900.00**
महा योग:			**144695.81** (**3363.25**)	**4603.26**	**27235.98**	**2698.91**	**179233.96** (**3363.25**)	**11725.23**	**177554.60**

टिप्पणी : कोष्ठक में दी गई संख्यायें वर्ष के दौरान साम्य के निमित्त बजटीय निर्गमन दर्शाती हैं।

परिशिष्ट 3

सरकारी कम्पनी जिनके लेखाओं का अन्तिम रूप दे दिया गया, के नवीनतम वर्ष के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(स्तम्भ 4,5,6,14 एवं 15 के आंकड़ों को छोड़कर लाख रूपये में)
(प्रस्तर 1.2.2 में संदर्भित)

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	कृषि										
1.		उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	30 मार्च 1978	1995-96	1996-97	-9.28	150.00	- 59.99	4688.24	-9.28	---
2.		उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	29 मार्च 1967	1995-96	1996-97	-385.24	2732.00	-5250.50	398.58	8.94	2.25

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.		उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चरल प्रोड्यूज मार्केटिंग एण्ड प्रासेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	6 अप्रैल 1977	1984-85	1994-95	-66.57	190.76	-255.33	80.72	-51.97	---
	पशुपालन										
4.		उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	5 मार्च 1975	1990-91	1996-97	-16.10	146.85	-168.72	220.44	-6.63	---
5.		उत्तर प्रदेश स्टेट पौल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेश्यलिटीज लिमिटेड	7 दिसम्बर 1974	1993-94	1996-97	-1.10	163.50	- 6.35	150.19	-1.10	---
	क्षेत्रीय विकास										
6.		आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	31 मार्च 1976	1986-87	1989-90	+11.24	100.00	-33.13	132.02	12.48	9.46

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.		इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	31 जनवरी 1976	1983-84	1992-93	-11.42	67.00	- 11.42	39.52	-3.97	---
8.		बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड (पूर्व उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड)	31 जनवरी 1976	1984-85	1994-95	-69.26	125.00	- 90.00	449.13	-56.84	---
9.		बुंदेलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुंदेलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	2 मार्च 1974	1986-87	1993-94	-0.01	2.40	- 0.65	4.45	-0.01	---
10.		गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	31 मार्च 1976	1985-86	1995-96	+2.36	122.03	-158.16	61.31	2.36	3.85

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11.		लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	31 जनवरी 1976	1981-82	1992-93	+0.44	50.00	+1.49	60.57	0.52	0.85
12.		मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	31 मार्च 1976	1993-94	1996-97	-10.48	100.00	-76.95	52.39	-10.48	---
13.		मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	30 मार्च 1978	1987-88	1996-97	-15.30	25.00	- 10.57	80.50	-4.64	---
14.		उत्तर प्रदेश बुंदेलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	30 मार्च 1971	1986-87	1995-96	-8.69	123.30	- 96.64	39.12	-8.06	---
15.		उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	30 मार्च 1971	1987-88	1994-95	-13.64	114.80	-107.90	19.02	-13.64	---

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16.		वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	31 मार्च 1976	1987-88	1993-94	-2.71	70.00	- 26.38	88.29	-2.71	---
	इलेक्ट्रानिक्स										
17.		श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	1 मार्च 1979	1995-96	1995-96	+4.15	174.71	-283.35	357.06	5.44	1.52
18.		अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	18 फरवरी 1979	1994-95	1995-96	-3118.95	5315.59	-16481.00	4915.05	-1070.62	---
19.		अपट्रान लीजिंग लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	5 जनवरी 1988	1996-97	1996-97	-15.96	105.67	+0.02	369.85	10.89	2.94

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20.		अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	10 अप्रैल 1977	1995-96	1995-96	-6.70	117.00	-10.06	653.19	45.39	6.95
21.		उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	20 मार्च 1974	1995-96	1995-96	+1.94	8060.07	+38.31	3273.63	2.07	0.06
	निर्यात प्रोत्साहन										
22.		दी उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	20 जनवरी 1966	1994-95	1996-97	-72.21	674.27	-618.66	1100.50	-19.00	---
23.		दी उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	12 फरवरी 1974	1991-92	1995-96	-45.29	537.86	-648.86	793.04	-34.96	---
24.		उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	12 फरवरी 1974	1995-96	1996-97	+11.15	573.94	-682.21	484.06	31.56	6.52

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	मत्सय										
25.		उत्तर प्रदेश मत्सय विकास निगम लिमिटेड	27 अक्टूबर 1979	1988-89	1996-97	-29.41	100.00	-102.28	592.81	-10.83	---
	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति										
26[ए]		उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु विकास निगम लिमिटेड	22 अक्टूबर 1974	1985-86	1995-96	+34.71	50.00	+95.11	524.11	120.97	23.08
	हरिजन एवं समाज कल्याण										
27.		तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	2 अगस्त 1975	1982-83	1990-91	-4.00	45.00	+0.45	70.44	-4.00	---

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(८)	(9)	(10)	(11)	(12)
28.		उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	25 मार्च 1975	1991-92	1996-97	+142.98	3663.88	+434.40	8240.78	144.55	1.75
29.		उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	26 अप्रैल 1991	1994-95	1996-97	-10.54	600.00	- 20.89	1786.42	-7.79	---
30.		उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	23 मई 1989	1994-95	1996-97	+97.90	42.54	+100.69	142.44	97.90	68.73
31.		उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	17 मार्च 1988	1994-95	1996-97	+0.73	109.03	+1.10	209.62	0.73	0.35
32.		उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड (पूर्व हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड)	25 जून 1976	1995-96	1995-96	+113.28	15.00	+149.50	1432.70	113.28	7.91

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	पर्वतीय विकास										
33.		गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ वाल गण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	30 जून 1975	1987-88	1992-93	-9.19	50.00	- 41.94	20.48	-8.93	---
34.		गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	31 मार्च 1976	1992-93	1996-97	+88.50	451.50	+90.30	3396.97	110.62	3.25
35.		कुमाऊँ मण्डल अनूसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	30 जून 1975	1983-84	1995-96	-0.95	25.00	+0.39	25.43	-0.95	---
36.		कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	30 मार्च 1971	1993-94	1996-97	-37.10	836.61	-246.97	498.28	-14.92	---

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
37.		कुमट्रान लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	27 अप्रैल 1987	1989-90	1990-91	-1.61	18.31	- 1.61	12.35	-1.61	---
38.		नादर्न इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	29 जनवरी 1974	1988-89	1996-97	-0.01	0.07	- --	-0.46	-0.01	---
39.		ट्रान्स केबिल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	29 नवम्बर 1973	1993-94	1995-96	-38.64	63.24	-224.29	75.17	-38.64	---
40.		उत्तर प्रदेश हिलफोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	10 अगस्त 1987	---	3.27	---	3.27	---	---	---	---

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
41.		उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	26 जून 1985	1992-93	1994-95	-10.51	644.03	-45.68	319.61	-10.51	---
42.		उत्तर प्रदेश हिल क्वाटर्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	18 जुलाई 1989	---	0.79	---	0.79	---	---	---	---
	गृह										
43.		उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	27 मार्च 1987	1995-96	1996-97	+124.64	300.00	+238.29	538.13	124.64	23.16
	उद्योग एवं औद्योगिक विकास										
44.		आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	28 दिसम्बर 1972	1991-92	1995-96	+10.71	750.00	-6482.96	1114.18	36.32	3.26

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
45.		कान्टीनेन्टल फलोट ग्लास लिमिटेड	12 अप्रैल 1985	1995-96	1996-97	---	4599.95	---	20930.43	---	---
46.		दी इण्डियन टर्पेटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	22 फरवरी 1924	1995-96	1996-97	-363.68	22.02	- 1026.92	-788.98	-345.95	---
47.		उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटैड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड)	1 जनवरी 1975	1995-96	1996-97	-336.23	202.22	- 2232.19	-293.63	-162.91	---
48.		उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड)	8 मार्च 1978	1995-96	1996-97	-107.40	35.20	- 575.87	14.36	-56.15	---

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (−)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
49.		उत्तर प्रदेश कार्बन एण्ड केमिकल लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	12 जनवरी 1982	---	1.27	---	1.27	---	---	---	---
50.		उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	23 मार्च 1974	1993-94	1995-96	+23.07	5640.48	-100.95	3473.44	96.30	2.77
51.		विन्ध्याचल एब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	5 दिसम्बर 1985	1987-88	1995-96	-6.79	---	---	5.98	-6.57	---
	संस्थागत वित्त										
52.		उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	10 सितम्बर 1975	1993-94	1996-97	+27.86	818.42	-986.23	611.42	-78.31	12.80

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	सिंचाई										
53.		उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट एण्ड ट्यूब्वेल कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्व उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड)	26 मई 1976	1995-96	1995-96	-116.40	1087.00	-453.86	612.08	-116.40	---
	पंचायती राज										
54.		उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	24 अप्रैल 1973	1989-90	1996-97	-3.42	137.18	+3.06	143.07	-3.42	---
	नियोजन										
55.		मुहम्मदाबाद पीपुल्स टेनरी लिमिटेड	21 दिसम्बर 1964	1976-77	1992-93	-0.01	5.61	- 4.26	1.35	-0.01	---

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
56.		उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	15 मार्च 1977	1993-94	1996-97	-14.38	100.00	- 13.00	87.00	-14.38	---
	सार्वजनिक निर्माण										
57.		उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	1 मई 1975	1995-96	1996-97	-195.90	100.00	+918.36	1026.89	-195.90	---
58.		उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	18 अक्टूबर 1972	1995-96	1996-97	+343.94	1000.00	+1813.96	1588.47	410.94	25.87
	ग्रामीण एवं लघु उद्योग										
59.		यू.पी.एस.आई.सी. पोटेरीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	27 अप्रैल 1976	1989-90	1996-97	-36.66	76.26	- 225.66	62.46	-24.37	---

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
60.		उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्सन एप्लाईएंसेस (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	28 जून 1972	1974-75	1984-85	-0.81	0.92	- 0.81	6.79	-0.81	---
61.		उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	1 जून 1958	1992-93	1996-97	-340.82	596.05	-448.52	1738.49	-98.06	---
62.		उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	9 जनवरी 1973	1986-87	1995-96	-322.33	1043.49	-1115.60	3256.89	-257.92	---
	चीनी एवं गन्ना विकास										
63.		छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	18 अप्रैल 1975	1994-95	4/97	-300.80	1273.09	-1987.11	2066.33	-34.60	---

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
64.		घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	30 मई 1986	1993-94	1996-97	-232.29	865.05	- 1527.21	563.77	-146.20	---
65.		किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	17 फरवरी 1972	1995-96	1996-97	-53.90	1699.04	-180.51	4154.36	234.45	5.65
66.		नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	18 अप्रैल 1975	1993-94	1996-97	-303.74	3404.05	-5335.88	468.64	-108.93	---
67.		उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	27 अगस्त 1975	1995-96	1996-97	+22.49	69.67	+37.87	1372.30	235.88	17.19
68.		उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	27 अगस्त 1975	1995-96	1996-97	+13.38	61.34	+19.98	2055.48	225.95	10.99

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
69.		उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	27 अगस्त 1975	1992-93	1993-94	+0.02	26.82	+4.54	343.54	43.76	12.74
70.		उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	27 अगस्त 1975	1994-95	1996-97	+0.04	24.42	-21.05	516.41	9.31	1.80
71.		उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	26 मार्च 1971	1993-94	1996-97	-6028.96	47915.12	-52076.48	40476.71	-292.98	---
	पर्यटन										
72.		उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	5 अगस्त 1974	1996-97	1996-97	+103.59	1512.53	-186.12	1401.37	105.28	7.52

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	वक्फ										
73.		उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	27 अप्रैल 1987	1990-91	1996-97	+0.13	150.00	- 0.02	119.39	0.13	0.11
	वित्त पोषण										
74.		द प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	29 मार्च 1972	1996-97	1996-97	+30.40	11057.50	+160.31	58548.38	30.40	0.05
75.		उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	17 नवम्बर 1984	1989-90	1995-96	+7.20	327.50	- 4.32	521.48	7.20	1.38
76.		उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	29 मार्च 1961	1995-96	1996-97	+69.48	2407.51	+0.70	8159.28	335.92	4.11

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (−)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	वस्त्र										
77.		उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका) (पूर्वगामी उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (संख्या 2) लिमिटेड)	20 अगस्त 1974	1996-97	1996-97	-220.82	3190.52	-5090.56	2055.63	19.09	0.93
78.		उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड	2 दिसम्बर 1969	1995-96	1996-97	-5186.19	16079.37	-24841.57	2666.26	-2546.77	---

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
79.		उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका) (पूर्वगामी उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (संख्या 1) लिमिटेड)	20 अगस्त 1976	1995-96	1996-97	-544.88	7842.84	-11525.19	4904.82	602.37	12.28
	सीमेण्ट										
80.		उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट निगम लिमिटेड	29 मार्च 1972	1995-96	1996-97	-4775.52	6828.00	-42599.38	-23980.30	-2291.33	---

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	विद्युत										
81.		उत्तर प्रदेश लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड (पूर्वगामी उत्तर प्रदेश अल्पार्थक एवं लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड)	15 अप्रैल 1985	1995-96	1996-97	+56.46	70.00	+109.81	4870.72	56.46	1.16
82.		उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	22 अगस्त 1980	1995-96	1996-97	-134.76	25280.50	-10931.34	14349.08	-134.76	---
	योग					**+1342.79 -23637.56**	**173161.78**	**+4218.64 -186809.31**	**142107.952**	**-4870.23**	..

परिशिष्ट 3अ

पूर्ण लेखाओं के वर्षों के बकायों के साथ कम्पनियों के नामों की सूची

(प्रस्तर 1.2.6 में संदर्भित)

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्षों में लेखाओं का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	कृषि			
1.		उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	1995-96	1
2.		उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	1995-96	1
3.		उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रासेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	1984-85	12
	पशुपालन			
4.		उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	1990-91	6
5.		उत्तर प्रदेश स्टेट पौल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेश्यलिटीज लिमिटेड		
	क्षेत्रीय विकास			
6.		आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1986-87	10

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्षों में लेखाओं का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.		इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1983-84	13
8.		बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड (पूर्व उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड)	1984-85	12
9.		बुंदेलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुंदेलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	1986-87	10
10.		गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1985-86	11
11.		लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	1981-82	15
12.		मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1993-94	3
13.		मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1987-88	9
14.		उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	1986-87	10
15.		उत्तर प्रदेश बुंदेलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	1987-88	9
16.		वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1987-88	9

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्षों में लेखाओं का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	इलेक्ट्रानिक्स			
17.		श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	1995-96	1
18.		अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	1994-95	2
19.		अपट्रान लीजिंग लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	1996-97	–
20.		अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	1995-96	1
21.		उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	1995-96	1
	निर्यात प्रोत्साहन			
22.		दी उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1994-95	2
23.		दी उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	1991-92	5

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्षों में लेखाओं का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24.		उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	1995-96	1
	मत्सय			
25.		उत्तर प्रदेश मत्सय विकास निगम लिमिटेड	1988-89	8
	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति			
26.		उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	1985-86	11
	हरिजन एवं समाज कल्याण			
27.		तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1982-83	14
28.		उत्तर प्रदेश अनूसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1991-92	5
29.		उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1994-95	2

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्षों में लेखाओं का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.		उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	1994-95	3
31.		उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	1994-95	2
32.		उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड (पूर्व में हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड)	1995-96	1
	पर्वतीय विकास			
33.		गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ वाल गण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	1987-88	9
34.		गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1992-93	4
35.		कुमाऊँ मण्डल अनूसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	1983-84	13
36.		कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1993-94	3

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्षों में लेखाओं का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37.		कुमट्रान लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	1989-90	7
38.		नादर्न इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	1989-90	8
39.		ट्रान्स केबिल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	1993-94	3
40.		उत्तर प्रदेश हिलफोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	–	–
41.		उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	1992-93	4
42.		उत्तर प्रदेश हिल क्वाटर्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	–	–
	गृह			
43.		उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	1995-96	1

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्षों में लेखाओं का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	उद्योग एवं औद्योगिक विकास			
44.		आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	1991-92	5
45.		कान्टीनेन्टल फलोट ग्लास लिमिटेड	1995-96	1
46.		दी इण्डियन टर्पेटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	1995-96	1
47.		उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड)	1995-96	1
48.		उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड)	1995-96	1
49.		उत्तर प्रदेश कार्बन एण्ड केमिकल लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	–	–
50.		उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	1993-94	3

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्षों में लेखाओं का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
51.		विन्ध्याचल एब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	1987-88	9
	संस्थागत वित्त			
52.		उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	1993-94	3
	सिंचाई			
53.		उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट एण्ड ट्यूब्वेल कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्व उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड)	1995-96	1
	पंचायती राज			
54.		उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1989-90	7
	नियोजन			
55.		मुहम्मदाबाद पीपुल्स टैनरी लिमिटेड	1976-77	20
56.		उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	1993-94	3

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्षों में लेखाओं का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	सार्वजनिक निर्माण			
57.		उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	1995-96	1
58.		उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	1995-96	3
	ग्रामीण एवं लघु उद्योग			
59.		यू.पी.एस.आई.सी. पौट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	1989-90	7
60.		उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्सन एप्लाईएंसेस (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	1974-75	22
61.		उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	1992-93	4
62.		उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	1986-87	10

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्षों में लेखाओं का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	चीनी एवं गन्ना विकास			
63.		छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	1994-95	2
64.		घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	1993-94	3
65.		किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	1995-96	1
66.		नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	1993-94	3
67.		उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	1995-96	1
68.		उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	1995-96	1
69.		उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	1992-93	4

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्षों में लेखाओं का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
70.		उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	1994-95	2
71.		उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1993-94	3
	पर्यटन			
72.		उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1996-97	–
	वक्फ			
73.		उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	1990-91	6
	वित्त पोषण			
74.		द प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	1996-97	–
75.		उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1989-90	7
76.		उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	1995-96	1

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्षों में लेखाओं का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	वस्त्र			
77.		उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका) (पूर्वगामी उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (संख्या 2) लिमिटेड)	1996-97	–
78.		उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड	1995-96	1
79.		उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका) (पूर्वगामी उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (संख्या 1) लिमिटेड)	1995-96	1
	सीमेण्ट			
80.		उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट निगम लिमिटेड	1995-96	1

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्षों में लेखाओं का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	विद्युत			
81.		उत्तर प्रदेश लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड (पूर्वगामी उत्तर प्रदेश अल्पार्थक एवं लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड)	1995-96	1
82.		उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	1995-96	1

परिशिष्ट 3ब

समापनान्तर्गत सरकारी कम्पनियों के आद्यतन लेखे जिनको अन्तिम रूप दिया गया, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम (सिवाय कालम संख्या 4,5,6 एवं 12 की संख्यायें लाख रूपये में)

(प्रस्तर 1.2.1 में संदर्भित)

क्रम सं.	विभाग/ क्षेत्र	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि/ समापन में जाने की तिथि	लेखे का वर्ष/ वर्षों में लेखे का बकाया	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ(+)/ हानि (–)	चुकता पूँजी	संग्रहीत लाभ एवं हानि	पूंजी नियोजित	पूँजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	कृषि	उपाय लिमिटेड	20.4.1977 31.3.1991	1985-86 5	-	-0.35	17.01	3.17	12.39	-0.35	-
2.	क्षेत्रीय विकास	गण्डक समादेश क्षेत्रीय विकास लिमिटेड	15.3.1975 07.6.1977	-	-	-	46.00	-	-	-	-
3.	उद्योग	उत्तर प्रदेश एबस्काट प्राइवेट लिमिटेड	28.6.1972 19.4.1986	1975-76 10	-	-	4.85	-	-	-	-
4.	वस्त्र	इण्डियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड	22.2.1964 10.9.1973	-	-	-	2.74	-	-	-	-

क्रम सं.	विभाग/ क्षेत्र	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि/ समापन में जाने की तिथि	लेखे का वर्ष/ वर्षों में लेखे का बकाया	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ(+)/ हानि (–)	चुकता पूँजी	संग्रहीत लाभ एवं हानि	पूंजी नियोजित	पूँजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	उद्योग	द टर्पेटाइन सब्सिडियरी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	11.7.1939 01.4.1978	-	-	-	15.56	-	-	-	-
6.	हैन्डलूम	हैण्डलूम इन्टेसिव डेवलपमेंट कारपोरेशन (गोरखपुर–बस्ती) लिमिटेड	26.5.1976 01.4.1991	1986-87 4	-	+33.03	3.00	36.10	153.16	39.21	25.60
7.	हैण्डलूम	हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (धामपुर–बिजनौर) लिमिटेड	13.9.1976 01.4.1991	1983-84 7	-	- 1.07	2.00	35.95	316.02	18.81	5.95
8.	वस्त्र	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	05.12.1975 01.4.1991	1986-87 4	-	-5.45	26.00	6.15	26.95	-5.45	-
9.	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल लिमिटेड	23.4.1979 19.2.1994	1992-93 1	-	-617.54	658.73	-3531.51	-50.57	-176.21	-
10.	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	उत्तर प्रदेश टायर एवं ट्यूब्स लिमिटेड	14.1.1976 09.1.1996	1992-93 3	-	-217.08	183.16	-996.09	209.53	-143.19	-
11.	वस्त्र	भदोही ऊलेन मिल्स लिमिटेड	14.6.1976 20.2.1996	1994-95 1	-	-165.77	375.54	-1195.91	85.35	-28.54	-

क्रम सं.	विभाग/ क्षेत्र	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि/ समापन में जाने की तिथि	लेखे का वर्ष/ वर्षों में लेखे का बकाया	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ(+)/ हानि (–)	चुकता पूँजी	संग्रहीत लाभ एवं हानि	पूंजी नियोजित	पूँजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
12.	इलेक्ट्रानिक्स	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड	31.3.1978 10.6.1996	-	-	-	5.43	-	-	-	-
13.	इलेक्ट्रानिक्स	कानपुर सेमपैक लिमिटेड	23.5.1977 10.6.1996	1979-80 16	-	-	2.25	-	-	-	-
14.	पर्वतीय विकास	टेलीट्रानिक्स लिमिटेड	27.1.1973 30.11.1996	1991-92 4	-	-62.25	174.71	-151.02	119.44	-53.62	-
15.	पर्वतीय विकास	कुमाऊँ टेलीविजन लिमिटेड	24.8.1977 30.11.1996	1991-92 4	-	-44.44	99.75	-109.80	95.83	-26.11	-
	योग					**1616.73**					

परिशिष्ट 3स

वर्ष 1996–97 के दौरान प्राप्त उपदानों व प्रत्याभूतियों तथा वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूतियों को दर्शाने वाली विवरणी

(प्रस्तर 1.2.4 व 1.2.5 में संदर्भित)

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान		वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूतियाँ			बकाया प्रत्याभूतियाँ	बकाया प्रत्याभूति कमीशन
		राज्य	योग	एस.बी.आई. तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद उधार	अन्य श्रोतों से ऋण	योग		
1.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	0.21	0.21	--	--	--	1.16	--
2.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	4.66	4.66	--	--	--	--	--

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान		वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूतियाँ			बकाया प्रत्याभूतियाँ	बकाया प्रत्याभूति कमीशन
		राज्य	योग	एस.बी.आई. तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद उधार	अन्य श्रोतों से ऋण	योग		
3.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2.91	2.91	--	--	--	--	--
4.	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.07	0.07	--	--	--	--	--
5.	उत्तर प्रदेश सेतु निगम लिमिटेड	79.68	79.68	--	--	--	--	--
6.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	11.46	11.46	4.94	--	4.94	7.72	--
7.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1.17	1.17	--	--	--	--	--
8.	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	115.90	115.90	--	2.90	2.90	24.34	--

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान		वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूतियाँ			बकाया प्रत्याभूतियाँ	बकाया प्रत्याभूति कमीशन
		राज्य	योग	एस.बी.आई. तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद उधार	अन्य श्रोतों से ऋण	योग		
9.	कुमाऊँ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	0.31	0.31	--	--	--	--	--
10.	उत्तर प्रदेश लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड	3.75	3.75	--	--	--	--	--
11.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	1.08	1.08	--	--	--	--	--
12.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	--	--	--	--	--	28.65	--
13.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड	--	--	--	--	--	24.38	--
14.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	--	--	13.80	--	13.80	44.20	--

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान		वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूतियाँ			बकाया प्रत्याभूतियाँ	बकाया प्रत्याभूति कमीशन
		राज्य	योग	एस.बी.आई. तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद उधार	अन्य श्रोतों से ऋण	योग		
15.	दी इण्डियन टर्पेटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	--	--	--	1.25	1.25	0.73	--
16.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	--	--	--	--	--	3.10	--
17.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	--	--	447.73	79.94	527.67	527.67	--
18.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	--	--	--	--	--	2.88	--
19.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	--	--	0.75	--	0.75	0.75	--
20.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	--	--	--	0.08	0.08	0.08	--

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान		वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूतियाँ			बकाया प्रत्याभूतियाँ	बकाया प्रत्याभूति कमीशन
		राज्य	योग	एस.बी.आई. तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद उधार	अन्य श्रोतों से ऋण	योग		
21.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	--	--	24.50	--	24.50	--	--
22.	नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	--	--	14.00	--	14.00	14.00	--
23.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	--	---	---	---	---	14.68	--
24.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड–तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	--	--	20.00	--	20.00	--	---
25.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	--	--	20.00	--	20.00	20.00	--
26.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	--	--	2.98	--	2.98	2.89	--

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान		वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूतियाँ			बकाया प्रत्याभूतियाँ	बकाया प्रत्याभूति कमीशन
		राज्य	योग	एस.बी.आई. तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद उधार	अन्य श्रोतों से ऋण	योग		
27.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	--	--	3.00	--	3.00	3.20	--
28.	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	--	--	--	--	--	0.88	--
29.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	--	--	--	--	--	1.77	--
30.	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	--	--	--	--	--	0.25	--
31.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	--	--	--	--	--	0.56	--
32.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड	--	--	--	--	--	32.70	--

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान		वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूतियाँ			बकाया प्रत्याभूतियाँ	बकाया प्रत्याभूति कमीशन
		राज्य	योग	एस.बी.आई. तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद उधार	अन्य श्रोतों से ऋण	योग		
33.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	--	--	--	--	--	14.70	--
34.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	--	--	8.50	--	8.50	10.26	--
		221.20	**221.20**	**560.20**	**84.17**	**644.37**	**781.54**	**--**

परिशिष्ट 4

1996–97 के दौरान क्षमता का उपयोजन दर्शाते हुए
(प्रस्तर 1.2.10 में संदर्भित)

कम संख्या	कम्पनी का नाम	इकाई	संस्थापित क्षमता	उपयोजन	उपयोजन का प्रतिशत
1	उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट वस्त्र निगम कारपोरेशन की सहायिका) उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (संख्या 2) लिमिटेड की पूर्वगामी	किलोग्राम	99680	115.61 लाख किलोग्राम	92.77
2	उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	किलोग्राम	2.50 लाख स्पेन्डिल्स	255.68 लाख किलोग्राम	77.33
3	उत्तर प्रदेश राज्य स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट वस्त्र निगम लिमिटेड की सहायिका) उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (संख्या 1) लिमिटेड की सहायिका)	किलोग्राम	150000 स्पिंडल्स	199.57 लाख किलोग्राम	91.37
4	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	टी.सी.डी.	4000 टी.सी.डी.	4.71 लाख कुन्तल	72.30
5	दी इण्डियन टर्पेटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	एम.टी.	27716	1057	3.81
6	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	टन प्रति दिन	46105 टी.सी.डी.	53.46 लाख कुन्तल	77.60

कम संख्या	कम्पनी का नाम	इकाई	संस्थापित क्षमता	उपयोजन	उपयोजन का प्रतिशत
7	उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	एम.टी.	2560000	572000	22.34
8	ट्रान्स केबिल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	कि.मी. प्रति वर्ष	7200	822	11.42
9	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	जोड़े	160000	111720	69.83
10	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेंटस लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	संख्या	48000	7500	15.63
11	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	टन	810	25.60	3.16
12	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	संख्या	400000	212450	46.38
13	उत्तर प्रदेश मत्सय विकास निगम लिमिटेड	संख्या लाख में	2700	2586	95.78
14	उत्तर प्रदेश लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश अलपार्थक एवं लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड की सहायिका)	के.डब्ल्यू.	4450	10466 के.डब्ल्यू.एच.	---

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	इकाई	संस्थापित क्षमता	उपयोजन	उपयोजन का प्रतिशत
15	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	संख्या	12000	40	0.33
16	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	टी.सी.डी.	1250 टी.सी.डी.	1.17 लाख कुन्तल	78.21

परिशिष्ट 5

सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष के, जिनके वार्षिक लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाली विवरणी

(प्रस्तर 1.3.7 में संदर्भित)

(करोड़ रूपये में)

क्रम सं0	निगम का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन का वर्ष	लेखे का वर्ष	लाभ (+)/ हानि (–)	दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	विद्युत	April 1959	1996-97	(+)170.79	1270.79	1632.45	14754.02	11.06
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	उद्योग	1954	1996-97	(-)14.26	151.21	---	1220.58	---
3.	उत्तर प्रदेश राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन	सहकारिता	1958	1996-97	(+)0.71	0.27	0.98	25.41	3.86
4.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	1972	1995-96	(-)41.87	22.64	(-)19.23	73.57	--

परिशिष्ट 6

प्रस्तर 2अ.2.3

(लाख किलोग्राम में)

विवरण	1991-92			1992-93			1993-94			1994-95			1995-96		
	राय–बरेली	मऊ	बारा–बंकी	राय–बरेली	मऊ	बारा–बंकी	राय–बरेली	मऊ	बारा–बंकी	राय–बरेली	मऊ	बारा–बंकी	राय–बरेली	मऊ	बारा–बंकी
उपयोजित कपास	73.75	70.15	38.82	61.98	65.22	31.28	62.15	73.98	34.68	63.25	55.96	30.69	53.68	44.39	29.06
प्राप्त किया गया कपास	63.18	60.00	33.21	53.35	57.30	27.40	53.33	64.30	29.98	53.72	48.13	26.29	45.69	38.23	24.89
प्राप्त नर्म बिकी योग्य अपशिष्टः															
	9.00	8.58	4.75	7.49	7.28	3.52	7.84	9.06	4.36	8.67	7.10	3.88	7.25	5.41	3.84
(कठोर अपशिष्ट से भिन्न)															
कठोर अपशिष्ट	0.80	0.71	0.45	1.00	0.66	0.24	0.67	0.71	0.25	0.60	0.46	0.26	0.52	0.52	0.28
अदृश्य अपशिष्ट	0.77	0.86	0.41	0.14	(-)0.02	0.12	0.31	(-)0.09	0.09	0.26	0.27	0.26	0.22	0.23	0.05
								(प्रतिशत)							
प्राप्त किया गया सूत	85.67	85.53	85.55	86.08	87.86	87.60	85.81	86.92	86.45	84.93	86.01	85.66	85.12	86.12	85.65
समस्त अपशिष्टः															
(प) नर्म अपशिष्ट (कठोर अपशिष्ट से भिन्न)	12.20	12.23	12.24	12.08	11.16	11.25	12.61	12.25	12.57	13.71	12.69	12.64	13.51	12.19	13.21
(कास्टिंग चरण पर)	(6.63)	(6.11)	(4.33)	(6.75)	(5.09)	(5.21)	(8.44)	(5.29)	(5.56)	(7.88)	(5.98)	(6.40)	(7.92)	(6.24)	(5.60)
कठोर अपशिष्ट	1.08	1.01	1.16	1.61	1.01	0.77	1.08	0.96	0.72	0.95	0.82	0.85	0.97	1.17	0.96

विवरण	1991-92			1992-93			1993-94			1994-95			1995-96		
	राय–बरेली	मऊ	बारा–बंकी	राय–बरेली	मऊ	बारा–बंकी	राय–बरेली	मऊ	बारा–बंकी	राय–बरेली	मऊ	बारा–बंकी	राय–बरेली	मऊ	बारा–बंकी
अदृश्य (प्रकियागत) हानि	1.05	1.23	1.05	0.23	(-)0.03	0.38	0.50	(-)0.12	0.26	0.41	0.48	0.85	0.41	0.52	0.17
काउन्ट वार प्राप्ति															
6/8एस	82.40	82.57	82.62	80.88	83.37	86.04	84.30	83.41	84.70	81.02	83.10	84.00	81.86	80.25	81.81
10/16एस	84.92	83.35	84.76	84.77	85.29	86.09	84.30	84.85	-	83.85	84.04	86.83	83.97	83.33	-
20/24एस	86.09	87.08	86.35	86.39	88.02	89.38	86.89	87.24	88.26	85.28	85.00	87.48	84.54	85.05	87.74
30/34एस	87.08	87.13	86.35	86.92	.00	88.77	86.89	87.04	85.57	[illegible]	86.06	84.61	85.63	85.71	85.63
37/40एस	87.08	88.52	88.80	86.92	89.68	85.53	88.15	87.79	83.17	86.59	86.59	84.03	86.73	86.72	83.15
60/62एस	-	90.37	-	-	89.29	-	-	87.46	-	-	88.30	-	-	87.98	-
10/16s Export	85.08	-	-	84.49	-	-	86.40	-	-	85.66	-	-	85.72	-	-
20/30s Export	87.69	-	-	86.44	-	-	86.40	-	-	-	-	-	86.02	-	-

टिप्पणीः कोष्ठक के आंकड़े, मानकों के अनुसार सूत की प्राप्ति एवं सूत की वास्तविक प्राप्ति का प्रतिशत इंगित करते हैं।

परिशिष्ट 7

प्रस्तर 2अ.2.3

(लाख किलोग्राम में)

काउन्ट	राय–बरेली				मऊ				बाराबंकी			
	उपायोजित सूत	सम्मिश्रण हेतु गये कपास में औसत प्रतिबन्धित प्रतिशत	सी.टी.आर. ए.एस.के उपयोग किये सूत की प्राप्ति	सूत की मानकों के अनुसार प्राप्ति	उपयोजित सूत	सम्मिश्रण हेतु गये कपास में औसत प्रतिबन्धित प्रतिशत	सी.टी.आर. ए.एस.के उपयोग किये सूत की प्राप्ति	सूत की मानकों के अनुसार प्राप्ति	उपयोजित सूत	सम्मिश्रण हेतु गये कपास में औसत प्रतिबन्धित प्रतिशत	सूत की मानकों के अनुसार प्राप्ति	उपयोजित सूत
(अ) सूत की प्राप्ति												
6/8एस	3.30	8	2.73 (82.80)	2.70 (81.86)	4.31	9	3.53 (81.70)	3.46 (80.25)	3.85	8	3.19 (82.80)	2.89 (81.81)
10/16एस												
7.5 विशेष	2.87	7	2.41 (84.00)	2.41 (83.97)	2.81	7.5	2.33 (82.80)	2.34 (83.33)				
20/24/												
26एस	14.19	5	12.29 (86.60)	12.00 (84.54)	12.03	5	10.42 (86.60)	10.23 (85.05)	6.76	5	5.85 (86.60)	5.91 (87.37)
30/34 एस	12.17	4	10.73 (88.10)	10.42 (85.63)	6.04	4	5.32 (88.10)	5.18 (85.71)	10.07	4	8.87 (88.10)	8.64 (85.76)
37/40 एस	8.88	4	7.83 (88.10)	7.71 (86.73)	10.49	4	9.24 (88.10)	9.10 (86.72)	3.00	4	2.65 (88.10)	2.53 (83.99)

(लाख किलोग्राम में)

काउन्ट	राय–बरेली				मऊ				बाराबंकी			
	उपायोजित सूत	सम्मिश्रण हेतु गये कपास में औसत प्रतिबन्धित प्रतिशत	सी.टी.आर. ए.एस.के उपयोग किये सूत की प्राप्ति	सूत की मानकों के अनुसार प्राप्ति	उपयोजित सूत	सम्मिश्रण हेतु गये कपास में औसत प्रतिबन्धित प्रतिशत	सी.टी.आर. ए.एस.के उपयोग किये सूत की प्राप्ति	सूत की मानकों के अनुसार प्राप्ति	उपयोजित सूत	सम्मिश्रण हेतु गये कपास में औसत प्रतिबन्धित प्रतिशत	सूत की मानकों के अनुसार प्राप्ति	उपयोजित सूत
20/30 निर्यात	2.87	4	2.53 (88.10)	2.47 (86.02)								
10/16 निर्यात	1.38	4	1.21 (88.10)	1.18 (85.72)								
60 एस					1.33	4	1.17 (88.10)	1.17 (87.98)				
योग			**39.73**	**38.89**			**32.01**	**31.48**			**20.56**	**19.97**
(ब) उत्पादन हानि (लाख किग्रा.)				0.84				0.53				0.59
(स) मूल्य (लाख रूपये में)				82.18				49.01				60.01

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े सी.टी.आर.ए.एस मानकों के अनुसार सूत प्राप्ति का प्रतिशत तथा सूत की वास्तविक प्राप्ति को दर्शाते हैं।

परिशिष्ट 8

प्रस्तर 2अ.2.4

(लाख रुपये में)

काउन्ट्स	24एस	30एस	32एस	34एस	37एस	40	60	उत्पादन हानि (लाख किग्रा. में)	मूल्य
अ. मानक (ग्राम में)	**152.46**	**113.85**	**103.95**	**99.00**	**84.15**	**79.20**	**47.52**		
ब. वास्तविक उत्पादन (ग्राम में)									
1991-92									
रायबरेली	146.81	101.19	-	-	79.83	69.93	31.31	1.41	67.57
	(49.47)	(33.58)	-	-	(31.82)	(57.63)	(2.22)		
मऊ	141.74	99.04	-	89.59	78.35	71.93	45.40	1.50	67.79
	(39.15)	(10.47)	-	(51.28)	(15.44)	(49.07)	(2.98)		
बाराबंकी	152.41	102.35	97.79	90.68	84.06	73.58	-	0.10	4.51
	(29.00)	(29.12)	(49.96)	(0.43)	(31.88)	(17.38)	-		
1992-93									
रायबरेली	142.13	100.91	94.60	84.99	73.56	71.23	-	2.82	150.63
	(89.30)	(62.02)	(3.09)	(10.94)	(83.26)	(3.27)	-		
मऊ	148.17	96.49	92.96	88.59	-	70.76	42.09	2.73	146.26
	(73.30)	(4.69)	1.27	(74.37)	-	(142.74)	(62.99)		
बाराबंकी	156.97	96.05	99.16	-	83.75	-	-	0.58	28.79
	(8.91)	(1.91)	(97.20)	-	(93.98)	-	-		
1993-94									
रायबरेली	142.69	98.05	87.58	84.73	71.49	71.00	-	2.13	128.43
	(96.40)	(40.42)	(7.14)	(7.14)	(14.18)	(19.04)	-		
मऊ	148.76	90.25	-	88.75	-	68.58	41.38	1.52	85.65
	(103.29)	(2.66)	-	(17.82)	-	(61.22)	(40.10)		
बाराबंकी	150.29	85.06	95.92	-	79.43	-	-	0.95	54.78
	(41.14)	(0.72)	(77.51)	-	(46.69)	-	-		
1994-95									
रायबरेली	148.02	104.05	97.72	89.80	-	69.86	-	1.57	130.30
	(56.31)	(57.34)	(8.82)	(42.60)	-	(33.29)	-		
मऊ	148.31	104.98	-	87.71	-	69.85	41.22	1.89	153.15
	(36.10)	(21.00)	-	(15.92)	-	(124.55)	(32.8)		
बाराबंकी	149.97	106.35	97.40	-	78.00	70.08	-	0.89	73.04
	(32.28)	(1.65)	(66.98)	-	(37.43)	(13.54)	-		
1995-96									
रायबरेली	152.10	101.68	-	-	77.22	70.78	-	1.21	118.75
	(29.78)	(30.09)	-	-	(34.19)	(70.72)	-		
मऊ	139.66	101.59	-	-	78.44	69.10	39.06	2.54	237.49
	(35.76)	(38.20)	-	-	(13.62)	(100.04)	(29.94)		
बाराबंकी	151.48	102.07	96.79	-	77.28	71.05	-	0.93	89.02
	(29.64)	(4.41)	(81.28)	-	(27.10)	(10.04)	-		
							योग	**22.77**	**1536.16**

टिप्पणी: कोष्ठक के अन्दर की संख्या कार्यशील शिफ्ट दर्शाती है (लाख संख्या में)

परिशिष्ट 9

प्रस्तर 2 अ.5.2

विवरण		1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
				(बिक्री मात्र : लाख किग्रा. में)		
(i)	मिल पर	172.71	127.61	115.20	96.04	82.58
		(93.5)	(78.4)	(65.0)	(58.9)	(54.7)
(ii)	बिक्री डिपो के द्वारा	---	6.30	43.79	55.64	63.64
			(3.9)	(24.7)	(34.1)	(42.2)
(iii)	कन्साइन्मेंट बिक्री	---	21.86	12.44	9.46	1.18
			(13.4)	(7.0)	(5.8)	(0.8)
(iv)	**निर्यातः**					
	(अ) सीधे खरीदारों को	4.25	2.70	0.13	0.93	0.47
	(ब) व्यापारी निर्यातक के द्वारा	(2.3)	(1.7)	(0.1)	(0.6)	(0.3)
		7.68	4.20	5.63	0.98	3.01
		(4.2)	(2.6)	(3.2)	(0.6)	(2.0)
(v)	अन्य उपभोग	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04
	योग	**184.68**	**162.71**	**177.22**	**163.09**	**150.92**
(vi)	सूत का अन्तिम शेष	15.73	11.65	15.34	12.68	16.61
		(8.5)	(7.2)	(8.7)	(7.8)	(11.0)
						(करोड़ रुपये में)
(vii)	बिक्री वसूली से बिक्री लागत से अकिधक होने से हानि	12.68	7.47	(5.17)*	2.12	3.70

टिप्पणीः स्तम्भ (i) से (ii) तक की संख्या में कोष्ठक प्रतिशत दर्शाते हैं।

* कोष्ठक में संख्यायें लाभ इंगित करती हैं।

परिशिष्ट 10

वाराणसी जोन में बकायों की वृद्धि
(प्रस्तर 3द.3 में संदर्भित)

(रूपये लाख में)

उपभोक्ता की श्रेणी	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
गैर–सरकारी					
घरेलू एवं वाणिज्यिक	7531.56	8715.16	10568.32	15170.29	17237.23
(बिजली एवं पंखे)		(15.7)	(40.3)	(101.4)	(128.9)
छोटे एवं मध्यम	1999.48	2212.10	2635.36	5433.46	5912.30
		(10.6)	(31.8)	(171.7)	(195.7)
बड़े एवं भारी	1703.84	2302.30	4024.75	3071.71	4973.24
		(35.1)	(136.2)	(80.3)	(191.9)
निजी ट्यूबवेल्स	4648.64	4780.66	4816.72	8376.23	9807.54
		(2.8)	(3.6)	(80.2)	(111.0)
अन्य	6.59	7.87	8.31	22.28	50.15
		(19.4)	(26.1)	(238.1)	(661.0)
उप–योग	**15890.11**	**18018.09**	**22053.46**	**32073.97**	**37980.46**
		(13.4)	**(38.8)**	**(101.8)**	**(139.0)**
सरकारी एवं अन्य					
सार्वजनिक प्रकाश	491.56	693.50	872.15	1559.12	2059.94
		(41.1)	(77.4)	(217.2)	(319.1)
जल कार्य/निस्तारण कार्य	3752.68	4712.54	5994.57	7507.54	8646.59
		(25.6)	(59.7)	(100.1)	(130.4)
राजकीय नलकूप	995.90	927.97	1128.60	1770.89	2254.54
			(13.3)	(77.8)	(126.4)
विश्व बैंक ट्यूब्वेल्स/पम्प कैनाल्स	953.45	1807.78	2675.11	5227.17	6928.13
		(89.6)	(180.6)	(448.2)	(626.6)
रेलवे	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
अन्य	458.07	457.91	457.82	458.64	460.28
				(0.1)	(0.5)
उप–योग	**6657.82**	**8605.86**	**11134.41**	**16529.52**	**20355.64**
		(29.3)	**(67.2)**	**(148.3)**	**(205.7)**
योग	**22547.93**	**26623.95**	**33187.87**	**48603.49**	**58336.10**
		(18.1)	**(47.2)**	**(115.6)**	**(158.7)**

टिप्पणी (i) कोष्ठक की संख्या 1992–93 के ऊपर प्रतिशत में वृद्धि को इंगित करती है।

(ii) वसूली योग्य राशि में वर्ष के प्रारम्भ में बकाये एवं वर्ष के दौरान निर्धारित राजस्व सम्मिलित है।